

रानपूताना विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत

ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत

भाग १

(शब्द-शक्ति-विवेचन ,

लेखक

डा० भोलाशंकर व्यास

प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



नागरीप्रचारिणी सभा, काशी

प्रकाशक—नागरीप्रचारिणी सभा, काशी

मुद्रक—महतावराय, नागरी मुद्रण, काशी

प्रथम संस्करण, स० २०१३, १५०० प्रतियाँ

मूल्य १०)

पराशक्ति में विलीन

माँ

को

माला का परिचय

जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में खेनड़ी राज्य है। वहाँ के राजा श्री अजीतसिंह जी बहादुर बड़े यज्ञस्वी और विद्याप्रेमी हुए। गणितशास्त्र में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में वह दक्ष और गुणग्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानन्द उनके यहाँ महीनों रहे। स्वामी जी से घंटों शाल्चर्चा हुआ करती। रालपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्य-श्लोक महाराज श्रीरामसिंह जी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुखी प्रतिभा राजा श्रीअजीतसिंह जी ही में दिखाई दी।

राजा श्री अजीतसिंह जी की रानी आउधा (मारवाड़) चाँपावत जी के गर्भ से तीन संतति हुई—दो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूर्यकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहरसिंह जी के ज्येष्ठ चिरजीव और युवराज राजकुमार श्रीउमेदसिंह जी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँदकुँवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के युवराज महाराज कुमार श्रीमानसिंह जी से हुआ। तीसरी संतान जयसिंह जी थे जो राजा श्रीअजीतसिंह जी और रानी चाँपावतजी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए।

इम तीनों के शुभचिंतकों के लिये तीनों की स्मृति, सचित कर्मों के परिणाम से, दुःखमय हुई। जयसिंह जी का स्वर्गवास सत्रह वर्ष की अवस्था में हुआ। सारी प्रजा, सब शुभचिंतक, संबंधी मित्र और गुरुजनों का हृदय आज भी उस आँच से जल ही रहा है। अश्वत्थामा के व्रण की तरह वह घाव कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित् ही हुआ हो। श्रीसूर्यकुमारीजी को एक मात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीरात हुआ। श्रीचाँदकुँवर बाई जी को वैधव्य की विषम यातना भोगनी पड़ी और मातृवियोग और पतिवियोग दोनों का असह्य दुःख वे झेल रही है। उनके एकमात्र चिरजीव प्रतापगढ़ के कुँवर श्रीरामसिंह जी से मातामह राजा श्रीअजीतसिंह जी का कुल प्रजावान् है।

श्रीमती सूर्यकुमारी जी के कोई संतति जीवित न रही। उनके बहुत आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदसिंह जी ने उनके जीवनकाल में दूसरा विवाह नहीं किया। किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञानुसार कृष्णगढ में विवाह किया जिससे उनके चिरजीव वशाकुर विद्यमान हैं।

श्रीमती सूर्यकुमारी जी बहुत शिक्षित थीं। उनका अध्ययन बहुत विस्तृत था उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी अच्छी लिखती थीं और अक्षर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाले चमत्कृत रह जाते। स्वर्गवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी के सब ग्रंथों, व्याख्यानों और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मैं छपवाऊँगी। बाल्यकाल से ही स्वामी जी के लेखों और अध्यात्म, विशेषतः अद्वैत वेदात्, की ओर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बाँधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय। इसका व्यवस्थापन बनते बनते श्रीमती का स्वर्गवास हो गया।

राजकुमार श्रीउमेदसिंह जी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार बीस हजार रुपये देकर नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा ग्रंथमाला के प्रकाशन की व्यवस्था की। तीस हजार रुपये के सूद से गुरुकुल विश्वविद्यालय, कागड़ी में 'सूर्यकुमारी आर्यभाषा गद्दी (चेयर)' की स्थापना की।

पाँच हजार रुपये से उपर्युक्त गुरुकुल में चेयर के साथ ही सूर्यकुमारी निधि की स्थापना कर सूर्यकुमारी ग्रंथावली के प्रकाशन की व्यवस्था की।

पाँच हजार रुपये दरबार हाई स्कूल शाहपुरा में सूर्यकुमारी-विज्ञान-भवन के लिये प्रदान किए।

स्वामी विवेकानंद जी के यावत् निबंधों के अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम ग्रंथ इस ग्रंथमाला में छापे जायेंगे और अल्प मूल्य पर सर्वसाधारण के लिये सुलभ होंगे। ग्रंथमाला की बिक्री की आय इसी में लगाई जायगी। यों श्रीमती सूर्यकुमारी तथा श्रीमान् उमेदसिंह जी के पुण्य तथा यश की निरंतर वृद्धि होगी और हिंदी भाषा का अभ्युदय तथा उसके पाठकों को ज्ञान-लाभ होगा।

भूमिका

वृत्तिविचार भारतीय साहित्यशास्त्र का आधार पीठ है जिसके आधार पर इसका विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है। साहित्यशास्त्र के इतिहास में निःसन्देह वह एक अन्तःपरीक्षण का युगान्तरकारी काल उपस्थित हुआ जत्र लक्ष्यमें मूलतः प्रतिष्ठित होने पर भी प्रतीयमान अर्थ की पृथक् सत्ता का सूत्रपात आनन्दवर्धनाचार्य ने लक्षणग्रन्थ में सर्वप्रथम किया। भारतीय साहित्यशास्त्र भी भारतवर्ष के व्यापक अध्यात्म दर्शन का एक बहुमूल्य अंग है, परन्तु अभी तक आलोचकों की दृष्टि उसके बाहरी साधनों के समीक्षण की ओर इतनी अधिक लगी हुई है कि उसका अन्तरंग सिद्धान्त अनेक पण्डितमन्य आलोचकों की दृष्टि से ओझल ही बना हुआ है। जीवन तथा साहित्य में आनन्द की प्रतिष्ठा करने वाला रससिद्धान्त इसका प्राण है और इसकी यथार्थ मीमांसा करने के लिए वृत्तियों का विशेषतः व्यञ्जना का विचार नितान्त आवश्यक और उपादेय है। प्रत्येक दार्शनिक सम्प्रदाय ने अपने मौलिक सिद्धान्तों की व्याख्या तथा मीमांसा के लिए वृत्तियों का यथेष्ट विवेचन किया है। अभिधा, लक्षणा तथा तात्पर्यवृत्ति किसी न किसी रूपमें प्रत्येक दर्शन को अभीष्ट है, परन्तु व्यञ्जना की मीमांसा भारतीय साहित्यशास्त्र का दार्शनिक जगत् को मूर्ती देन है।

व्यञ्जना वृत्ति का उदय व्याकरण आगम ने अपने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्फोट की व्याख्या के लिए किया। पातञ्जल महाभाष्य में इसका विशद विवेचन है। वैयाकरणों के इस मौलिक सिद्धान्त को ग्रहण करके भी आलंकारिकों ने इसके क्षेत्रको विस्तृत कर दिया। 'ध्वनि' सिद्धान्त का जनक वैयाकरणों का यही स्फोट सिद्धान्त है, परन्तु अलंकारशास्त्र के आचार्यों ने ध्वनि सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के निमित्त बड़ी ही विशद युक्तियों तथा तर्कों का उपयोग किया है। आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट तथा पण्डितराज जगन्नाथ ऐसे मूर्धन्य आचार्य हैं, जिनकी व्याख्यायें नितान्त मौलिक, मनोवैज्ञानिक तथा विचारोत्तेजक हैं। आजकल पाश्चात्य दार्शनिकों की दृष्टि भी इस विषयकी विवेचना की ओर विशेषरूप से आकृष्ट हुई है और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के विवेचक विद्वानों ने शब्द तथा अर्थ के परस्पर सम्बन्ध की गुत्थियों को सुलझाने का श्लाघनीय प्रयास किया है तथा कर रहे हैं, परन्तु

अभी भी इनकी व्याख्यायें उस तल को स्पर्श करने में भी कृतकार्य नहीं हुई हैं जिसका विशद विवरण अलकार शास्त्र के आचार्यों ने इतनी सुन्दरता तथा सूक्ष्मता के साथ अपने ग्रन्थों में किया है। पश्चिमी आलोचना शास्त्र में व्यञ्जना का प्रवेश तो अभी हाल की घटना है। एवरक्राम्बी तथा रिचर्ड्स ने अपने ग्रन्थों में व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता के विषय में हाल में आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया है।

तुलनात्मक दृष्टि से व्याख्यात वृत्तिविषयक ग्रन्थ की हिन्दी में नितान्त आवश्यकता थी। हर्ष का विषय है कि डाक्टर भोलाशंकर व्यास ने इस आवश्यकता की पूर्ति इस ग्रन्थ के द्वारा बड़े ही सुन्दर ढंग से की है। लेखक की दृष्टि व्यापक है सस्कृत में निबद्ध एतद्विषयक ग्रन्थों के अतिरिक्त वह पाश्चात्य विद्वानों के मान्य ग्रन्थों से पूरा परिचय रखता है और इसलिए यह ग्रन्थ बहुत ही प्रौढ, प्राञ्जल तथा प्रामाणिक हुआ है। लिखने का ढंग बहुत ही विशद है। भिन्न भिन्न मतों को उदाहरणों के सहारे समझा कर लेखक ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट कर दिया है। ऐसे सुन्दर, सामयिक तथा उपादेय ग्रन्थ की रचना के लिए मैं व्यासजी को बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हिन्दी के विद्वान् इस ग्रन्थरत्न का यथोचित आदर करेंगे।

अक्षय तृतीया
स० २०१३
१३—५—५६

}

वल्लदेव उपाध्याय

निवेदन

प्रस्तुत प्रबन्ध राजपूताना विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था। आगरा से संस्कृत एम० ए० तथा राजपूताना से हिन्दी एम० ए० करने के पश्चात् मैंने किसी शुद्ध साहित्यशास्त्रीय विषय को लेकर गवेषणा करने की इच्छा प्रकट की। इसकी प्रेरणा मुझे अपने साहित्य-शास्त्र के अध्यापक स्व० प्रो० चन्द्रशेखर जी पाण्डेय (भू० पू० अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर) से मिली थी तथा उनके दिवगत होने के बाद गुरुवर प्रो० मोहनवल्लभ जी पंत (अध्यक्ष, संस्कृत-हिंदी विभाग, उदयपुर कॉलेज) ने मुझे इस ओर प्रोत्साहित किया तथा समय समय पर जटिल साहित्यिक समस्याओं को सुलझा कर मेरा उत्साह बढ़ाया। प्रो० पंत के चरणों में ही बैठ कर मैंने इस प्रबंध को प्रस्तुत किया है। यदि मुझे प्रो० पंत का वरद हस्त न मिलता, तो सम्भव है जितनी शीघ्रता से मैं यह द्रुत्तर कार्य कर सका, वह असंभव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य था।

पी-एच० डी० के लिये मैंने “ध्वनि सम्प्रदाय और उसके सिद्धांत” नामक विषय को चुना। किंतु जब मैं गवेषणा कार्य में संलग्न हुआ और अध्ययन के पश्चात् विषय की गंभीरता का अभ्यास होने लगा, तो मैंने समझा कि ध्वनि सम्प्रदाय के समस्त सिद्धांतों का एक ही ग्रंथ में संकेत करना उसके साथ न्याय न होगा। यही कारण है कि समस्त विषय को दो भागों में बाँटा गया। प्रथम भाग में ध्वनि सम्प्रदाय के केवल शब्दशक्ति संबंधी विचारों का अध्ययन करने की योजना बनाई गई, द्वितीय भाग में ध्वनि सम्प्रदाय के अन्य आलंकारिक सिद्धांतों के अध्ययन की। इसी योजना के अनुसार मेरे निरीक्षक गुरुवर प्रो० पंत ने यह सम्मति दी कि मैं केवल प्रथम भाग ही को पी-एच० डी० के लिये प्रस्तुत कर दूँ। एतदर्थ विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र भेजा गया और विश्वविद्यालय ने केवल ‘शब्दशक्ति विवेचन’ को ही पी-एच० डी० के लिए पर्याप्त समझ कर, इसकी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार प्रबंध का शार्पक नहीं बना रहा, पर उसके साथ प्रथम भाग तथा ‘शब्दशक्ति विवेचन’ जोड़ देना पड़ा।

प्रस्तुत गवेषणा में भारतीय दर्शनिकों, धैयाकरणों यथा आलंकारिकों के शब्द की उद्भूति, शब्दायंशबध, शब्दशक्ति आदि विषयों से सबद्ध मतों का विशद विवेचन करते हुए इस विषय में ध्वनिवादी आलंकारिकों के मत की महत्ता प्रतिष्ठापित की गई है। इसी सत्रध में विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों के मतों का भी तुलनात्मक सकेत करना आवश्यक समझा गया है। ध्वनिवादियों की नवीन उद्भूति 'व्यजना' पर विशद रूप से विचार करना इस प्रबंध का प्रधान लक्ष्य है। जिस रूप में यह प्रबंध प्रस्तुत किया था, उस रूप में इसमें दो परिच्छेद और थे, "व्यजनावान और पाश्चात्य साहित्यशास्त्र का प्रतीकवाद" तथा "व्यजनावान के मत से काव्य में चमत्कार"। इन दो परिच्छेदों को इसलिए निकाल दिया है कि इनका उपयुक्त स्थान इस प्रबंध का द्वितीय भाग है। "ध्वनिसप्रदाय और उसके सिद्धांत" के द्वितीय भाग का कार्य हो रहा है, आशा है मैं उसे शीघ्र ही पाठकों के समक्ष रख सकूँगा। भारतीय साहित्यशास्त्र पर एक अन्य ग्रन्थ भी बड़ी जल्दी पाठकों के समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ—“भारतीय साहित्यशास्त्र और काव्यालंकार”— जिसमें अलंकारों के ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय विकास का क्रमिक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस प्रबंध के लिखने में मुझे प्रधान पथप्रदर्शन गुप्तर प्रो० मोहनवल्लभ जी पन्त से मिला है। लन्दन विश्वविद्यालय में संस्कृत तथा गुजराती के प्राध्यापक डॉ० टी० एन० दवे ने भी मुझे आवश्यक परामर्श देकर विशेष कृपा की है। लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ रियन्टल स्टडीज में भाषाशास्त्र के अध्यापक डॉ० डब्ल्यू० एस० एलन का मैं विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने समय समय पर पुस्तकों तथा परामर्श के द्वारा मेरी सहायता की। भाषाशास्त्र सबधी विचारों के लिए मैं उनका ऋणी हूँ। उन्होंने अपने अप्रकाशित थीसिस का उपयोग करने की इजाजत दे दी, जिसका उपयोग मैंने प्रबंध के प्रथम परिच्छेद के लिखने में किया है, अतः मैं इस आभार का प्रकाशन आवश्यक समझता हूँ। भारतीय दर्शनिकों के मत को समझने के लिये अपने ज्येष्ठ पितृव्य प० कन्हैयालाल जी शास्त्री का प्रसाद प्राप्त हुआ है। गुप्तर आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इस प्रबंध की भूमिका लिखकर जो कृपा प्रदर्शित की है, उसका आभार प्रकट करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ।

नागरीप्रचारिणी समा के प्रधानमंत्री डॉ० राजबली जी पाण्डेय की

असीम कृपा का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिनकी कृपा के बिना प्रबंध का प्रकाशन दुःसाध्य था । पुस्तक के प्रकाशन में सभा के साहित्य-मन्त्री डॉ० श्रीकृष्णलाल जी, सभा के साहित्यिक-विभाग के सहायक संपादक श्री भुवनेश्वर प्रसाद गौड़ जी तथा सभा प्रेस के व्यवस्थापक श्री महतात्र राय जी का पर्याप्त सहयोग रहा है, अतः वे घन्यवाद के पात्र हैं ।

काशी
वैशाखी पूर्णिमा
२०१३

}

भोलाशंकर व्यास

ध्वनि-संप्रदाय और उसके सिद्धांत

भाग १.

(शब्दशक्ति विवेचन)

विषय-सूची

आमुख

साहित्य के लिए देशकालमुक्त कसौटी आवश्यक—काव्य कला या विद्या—रस के आधार पर काव्य की वेद तथा पुराण से महत्ता—रसमय काव्य के साधन, शब्दार्थ—शब्दार्थसंबंध का विवेचन—शब्दार्थसंबंध पर सक्षिप्त प्राच्य मत—पाश्चात्यों का शब्दार्थविज्ञान और उसकी तीन सरणियाँ—शब्दार्थसंबंध के विषय में शिल्लर, स्ट्रॉग व पार्सन्स का मत—जे० एस० मूर का तात्त्विक (मेटाफिजिकल) मत—प्रो० अयार का तार्किक (लॉजिकल) मत—ऑडिंगन तथा रिचर्ड्स का मनःशास्त्रीय (साइकोलॉजिकल) मत, सक्षेप में—प्रो० फर्थ का भाषाशास्त्रीय (लिग्विस्टिक) मत—शब्दार्थसंबंध में मनःशास्त्र का महत्त्व—शब्द अर्थ-प्रत्यायन वाक्य में प्रयुक्त होकर ही कराता है, इस विषय में पाश्चात्य मत—रूसी विद्वान् मेश्चानिनोफ के भिन्न मत का उल्लेख—शब्द तथा अर्थ में अद्वैत संबंध या द्वैत संबंध—शब्द की अनोखी अर्थवत्ता—रिचर्ड्स के मत में अर्थ के प्रकार—(१) तात्पर्य—(२) भावना—(३) काकु या स्वर—(४) इच्छा अथवा प्रयोजन—तात्पर्यादि का परस्पर संबंध तथा उसके प्रकार—प्रथम वर्ग—द्वितीय वर्ग—तृतीय वर्ग—तीन शब्दशक्ति—शब्दार्थ संबंध के अध्ययन की दो प्रणालियाँ—देर्मैस्तेते (Dermesteter) का शब्दार्थविवेचन—ध्वनिवादी की व्यञ्जना की कल्पना का सकेत साख्य, वेदान्त तथा शैव दर्शन एवं व्याकरण शास्त्र में—आनन्द शक्ति और व्यञ्जना शक्ति—व्यञ्जना तथा ध्वनि की काव्यालोचन पद्धति का आधार मनो-विज्ञान—पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भारतीय काव्यशास्त्र की महत्ता—उपसंहार ।

प्रथम परिच्छेद शब्द और अर्थ

मानव-जीवन में वाणी का महत्त्व—भाषा और शब्द तथा अर्थ के संबन्ध के विषय में आदिम विचार—यही वैयक्तिक नामों को गुप्त रखने की भावना का आधार—इसी धारण के कारण सफेद जादू (white magic) तथा काले जादू (black Magic) की उत्पत्ति—ताबू (Tabu) तथा शब्द, फ्रॉयड का शब्दोत्पत्तिसंबंधी मत—शब्द की उत्पत्ति के विषय में अति-प्राचीन भारतीय विचार—वाणी की आध्यात्मिक महत्ता—वाणी की नैतिक (ethical) महत्ता—वाणी की बौद्धिक महत्ता—काव्य में वाणी का महत्त्व वाणी तथा मन का संबंध—शब्द व अर्थ दोनों एक ही वस्तु के दो अर्थ—शब्दार्थसंबन्ध के विषय में तीन वाद—(क) उत्पत्तिवाद—(ख) व्यक्तिवाद—(ग) शक्तिवाद—शब्द तथा अर्थ में प्रतीकात्मक (symbolic) संबन्ध—शब्द की प्रतीकात्मकता के विषय में ऑड्गन तथा रिचर्ड्स का मत, रेखाचित्र के द्वारा स्पष्टीकरण—शब्द समस्त भावों का बोध कराने में असमर्थ—अभाववाचीशब्द और अर्थप्रतिरक्ति, वैशेषिक दार्शनिकों का तथा अरस्तू का मत—शब्द का सकेतग्रह जाति में या व्यक्ति में—शब्दसमूह के रूप, वाक्य एवं महावाक्य—शब्द का भौतिक स्वरूप—शब्द के विषय में नित्यवाद, अनित्यवाद तथा नित्यानित्यवाद—सार्थक शब्द के तीन प्रकार प्रकृति, प्रत्यय तथा निपात—उपसहार ।

द्वितीय परिच्छेद

अभिधा शक्ति और वाच्यार्थ

शब्द की विभिन्न शक्तियाँ—अभिधा एवं वाच्यार्थ—सकेत—सकेत का ईम्बरेन्डा वाला मत—अनीश्वरवादी मत, सकेत का आधार सामाजिक चेतना, कार्लमार्क्स (Karl Marx) तथा कॉडवेल (Caudwell) के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मत—सकेतग्रह—व्यक्तिशक्तिवादी का मत—ज्ञान-शक्तिवादी का मत—कुब्जा शक्ति—बौद्ध दार्शनिकों का मत—अपोह—नेयायिकों का मत, जातिविशिष्टव्यक्ति में सकेत—मीमांसकों का मत—जाति में सकेत, व्यक्ति का आक्षेप से ग्रहण—(क) भाट्ट मीमांसकों का मत, पार्थ

सारथि मिश्र—(ख) श्रीकर का मत, उपादान से व्यक्ति का ग्रहण—(ग) मण्डन मिश्र का मत, लक्षणा से व्यक्ति का ग्रहण—इस मत का मम्मट के द्वारा खण्डन—(घ) प्रभाकर का मत, जाति के ज्ञान के साथ ही व्यक्ति का स्मरण—वैयाकरणों का मत, उपाधि में सकेत—उपाधि के भेदोपभेद—जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा—नव्य आलंकारिकों को अभिमत मत—संकेत के प्रकार आज्ञानिक, आधुनिक—पाश्चात्य विद्वान् तथा शाब्दबोध—अरस्तू, पेथागोरस, तथा प्रिन्सिपल का मत—पोर्ट-रॉयल (Port-Royal) सम्प्रदाय के तर्कशास्त्रियों का मत—स्केलिगर का मत—जॉन लॉक का मत, जॉन लॉक तथा कॉन्डिलेक के मत से केवल 'जाति' (species; genera) में सकेत—जॉन स्टुअर्ट मिल का मत—व्यक्तिगत नाम, सामान्य अभिधान (कोनोटेटिव) तथा विशेषण (एट्रिब्यूट) में संकेत—अभिधा की परिभाषा—बालक को वाच्यार्थ का ग्रहण कैसे होता है—ब्लूमफील्ड का मत—प्राच्य विद्वानों के मत से शक्तिग्रह के आठ साधन—व्याकरण, उपमान, कोश, आतवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति (विवरण), सिद्धपदसाम्निध्य—अभिधा के तीन भेद—रूढि—योग—योगरूढि—अनेकार्थवाची शब्दों के १५ मुख्यार्थनियामक, भर्तृहरि का मत—रेओ (Regnaud) के द्वारा इस का खण्डन उल्लिखित—रेओ के मन का खण्डन—सयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्यशब्दसाम्निध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, चेष्टा—उपसहार ।

तृतीय परिच्छेद

लक्षणा एवं लक्ष्यार्थ

लक्षणा एव लक्ष्यार्थ—लक्षणा की परिभाषा—लक्षणा के हेतुत्रय—निरूढा तथा प्रयोजनवती लक्षणा—रूढा को लक्षणा मानना उचित या नहीं, पं० रामकरण आसोपा के मत का खण्डन—उपादान लक्षणा एव लक्षणलक्षणा—मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ के कई संबन्ध—गौणी लक्षणा तथा शुद्ध लक्षणा—उपचार—सादृश्यमूलक लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ प्रतीति कैसे होती है—इस विषय में तीन मत—गौणी के उदाहरण तथा स्पष्टीकरण—सारोपा तथा साध्यवसाना गौणी—लक्षणा के १३ भेदों का सक्षिप्त विवरण—जहदजहल्लक्षणा जैसे भेद की कल्पना—विश्वनाथ के मत में लक्षणा के भेद—गूढ व्यंग्या तथा अगूढ व्यंग्या—

प्रथम परिच्छेद शब्द और अर्थ

मानव-जीवन में वाणी का महत्त्व—भाषा और शब्द तथा अर्थ के सन्ध के विषय में आदिम विचार—यही वैयक्तिक नामों को गुप्त रखने की भावना का आधार—इसी धारण के कारण सफेद जादू (white magic) तथा काले जादू (black Magic) की उत्पत्ति—ताबू (Tabu) तथा शब्द; फ्रॉयड का शब्दोत्पत्तिसंबंधी मत—शब्द की उत्पत्ति के विषय में अति-प्राचीन भारतीय विचार—वाणो की आध्यात्मिक महत्ता—वाणी की नैतिक (ethical) महत्ता—वाणी की बौद्धिक महत्ता—काव्य में वाणी का महत्त्व वाणी तथा मन का संबन्ध—शब्द व अर्थ दोनों एक ही वस्तु के दो अंश—शब्दार्थसंबन्ध के विषय में तीन वाद—(क) उत्पत्तिवाद—(ख) व्यक्तिवाद—(ग) ज्ञप्तिवाद—शब्द तथा अर्थ में प्रतीकात्मक (symbolic) संबन्ध—शब्द की प्रतीकात्मकता के विषय में ऑड्गन तथा रिचर्ड्स का मत, रेखाचित्र के द्वारा स्पष्टीकरण—शब्द समस्त भावों का बोध कराने में असमर्थ—अभाववाचीशब्द और अर्थप्रतिरक्ति, वैशेषिक दार्शनिकों का तथा अरस्तू का मत—शब्द का सकेतग्रह जाति में या व्यक्ति में—शब्दसमूह के रूप, वाक्य एवं महावाक्य—शब्द का भौतिक स्वरूप—शब्द के विषय में नित्यवाद, अनित्यवाद तथा नित्यानित्यवाद—सार्थक शब्द के तीन प्रकार प्रकृति, प्रत्यय तथा निपात—उपसहार ।

द्वितीय परिच्छेद

अभिधा शक्ति और वाच्यार्थ

शब्द की विभिन्न शक्तियाँ—अभिधा एवं वाच्यार्थ—सकेत—सकेत का इन्वरेन्ट वाला मत—अनीश्वरवादी मत, सकेत का आधार सामाजिक चेतना, कार्लमार्क्स (Karl Marx) तथा कॉडवेल (Caudwell) के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मत—सकेतग्रह—व्यक्तिशक्तिवादी का मत—ज्ञान-शक्तिवादी का मत—कुब्जा शक्ति—बौद्ध दार्शनिकों का मत—अपोह—नेयायिकों का मत, जातिविशिष्टव्यक्ति में सकेत—मीमांसकों का मत—जाति में सकेत, व्यक्ति का आक्षेप से ग्रहण—(क) भाट्ट मीमांसकों का मत, पार्थ

सारथि मिश्र—(ख) श्रीकर का मत, उपादान से व्यक्ति का ग्रहण—(ग) मण्डन मिश्र का मत, लक्षणा से व्यक्ति का ग्रहण—इस मत का मम्मट के द्वारा खण्डन—(घ) प्रभाकर का मत, जाति के ज्ञान के साथ ही व्यक्ति का स्मरण—वैयाकरणों का मत, उपाधि में सकेत—उपाधि के मेदोपमेद—जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा—नभ्य आलंकारिकों को अभिमत मत—सकेत के प्रकार आज्ञानिक, आधुनिक—पाश्चात्य विद्वान् तथा शाब्दबोध—अरस्तू, पेयागोरस, तथा प्रिन्सिपल का मत—पोर्ट-रॉयल (Port-Royal) सम्प्रदाय के तर्कशास्त्रियों का मत—स्केलिंगर का मत—जॉन लॉक का मत, जॉन लॉक तथा कॉन्डिलेक के मत से केवल 'जाति' (species; genera) में सकेत—जॉन स्टुअर्ट मिल का मत—व्यक्तिगत नाम, सामान्य अभिधान (कोनोटेटिव) तथा विशेषण (एट्रिब्यूट) में संकेत—अभिधा की परिभाषा—बालक को वाच्यार्थ का ग्रहण कैसे होता है—ब्लूमफील्ड का मत—प्राच्य विद्वानों के मत से शक्तिग्रह के आठ साधन—व्याकरण, उपमान, कोश, आसवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति (विवरण), सिद्धपदसान्निध्य—अभिधा के तीन भेद—रूढि—योग—योगरूढि—अनेकार्थवाची शब्दों के १५ मुख्यार्थनियामक, भट्टहरि का मत—रेजो (Regnaud) के द्वारा इस का खण्डन उल्लिखित—रेजो के मन का खण्डन—सयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्यशब्दसान्निध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, चेष्टा—उपसंहार ।

तृतीय परिच्छेद

लक्षणा एवं लक्ष्यार्थ

लक्षणा एवं लक्ष्यार्थ—लक्षणा की परिभाषा—लक्षणा के हेतुत्रय—निरूढा तथा प्रयोजनवती लक्षणा—रूढा को लक्षणा मानना उचित या नहीं, पं० रामकरण आलोपा के मत का खण्डन—उपादान लक्षणा एवं लक्षणलक्षणा—मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ के कई संबन्ध—गौणी लक्षणा तथा शुद्धा लक्षणा—उपचार—सादृश्यमूलक लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ प्रतीति कैसे होती है—इस विषय में तीन मत—गौणी के उदाहरण तथा स्वर्गीकरण—सारोपा तथा साध्यवसाना गौणी—लक्षणा के १३ भेदों का सक्षित विवरण—बहदजहल्लक्षणा जैसे भेद की कल्पना—विश्वनाथ के मत में लक्षणा के भेद—गूढ व्यंग्या तथा अगूढ व्यंग्या—

पाश्चात्य विद्वान् और शब्दशक्ति—पाश्चात्य विद्वान् और मुख्यार्थ—
 अरस्तू के मत में शब्दों के प्रकार—पाश्चात्यों के मत से लाक्षणिक प्रयोग की
 विशिष्टता—पाश्चात्यों के मतानुसार लाक्षणिकता के तत्त्व—अरस्तू के ४
 प्रकार के लक्षणा भेद—इससे बाद के विद्वानों के द्वारा सम्मत भेद—जाति से
 व्यक्ति—व्यक्ति से जाति वाली लाक्षणिकता—व्यक्ति से व्यक्तिगत—साधर्म्यगत
 —अरस्तू के द्वारा निदिष्ट लाक्षणिक प्रयोग के ५ परमावश्यक गुण—समस्त
 लाक्षणिक प्रयोगों में साधर्म्यगत की उत्कृष्टता,—साधर्म्यगत लाक्षणिकता के दो
 तरह के प्रयोग—यही पाश्चात्य साहित्यशास्त्र के समस्त साधर्म्यमूलक अल-
 कारों का आधार है—मेटेफर के विषय में सिसरो, क्विन्तीलियन, तथा दुमार्से
 का मत—मेटेफर के सन्नघ ऑड्गन तथा रिचर्ड्स का मत—उपसहार ।

चतुर्थ परिच्छेद

तात्पर्यवृत्ति और वाक्यार्थ

तात्पर्य वृत्ति—वाक्य परिभाषा तथा वाक्यार्थ—वाक्यार्थ का निमित्त—
 प्रथममत, अखण्ड वाक्य अर्थप्रत्यापक है—दूसरा मत, पूर्वपद—पदार्थ—संस्कार
 युक्त वर्ण का ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का निमित्त है—तृतीय मत, स्मृतिदर्पणारूढा
 वर्णमाला वाक्यार्थप्रतीति का निमित्त है—चतुर्थमत, अन्विताभिधानवाद—
 पंचम मत, अभिहितान्वयवाद—तात्पर्य वृत्ति का सकेत—आकाशादि हेतुत्रय-
 उपसहार ।

पंचम परिच्छेद

व्यञ्जना वृत्ति, (शाब्दी व्यञ्जना)

काव्य में प्रतीयमान अर्थ—व्यञ्जना जैसी नई शक्ति की कल्पना—
 व्यञ्जना की परिभाषा—व्यञ्जना की अभिधा तथा लक्षणा से भिन्नता—व्यञ्जना
 के द्वारा अर्थप्रतीति कराने में शब्द तथा अर्थ दोनों का साहचर्य—व्यञ्जना
 शक्ति में प्रकरण का महत्त्व—शाब्दी व्यञ्जना—अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना-
 श्लेष से इसका भेद—शब्दशक्तिमूला जैधे भेद के विषय में अप्पय दीक्षित का
 मत—अभिवामूला शाब्दी व्यञ्जना के विषय में महिमभट्ट का मत—महिम
 भट्ट के मत का खण्डन—शाब्दी व्यञ्जना के सन्नघ में अभिनव तथा पंडित
 राज का मत ।

षष्ठ परिच्छेद

व्यंजना वृत्ति (अर्थी व्यंजना)

अर्थी व्यंजना—वाच्यसंभवा — लक्ष्यसंभवा—व्यग्यसंभवा — अर्थ-व्यं-
जकता के साधन—वक्ता, बोद्धव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य-सन्निधि,
प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टा—व्यग्य के तीन प्रकार—वस्तु-व्यंजना—अलकार-
व्यंजना—रसव्यंजना—ध्वनि और व्यंजना का भेद—

पाश्चात्य विद्वान् और व्यंग्यार्थ—स्टाइक दार्शनिकों का तो लेक्टोन
तथा व्यंजना—उपसंहार

सप्तम परिच्छेद

अभिधावादी तथा व्यंजना

व्यंजना और स्फोट—व्यंजना तथा स्फोट का ऐतिहासिक विकास एक
सा—मीमांसक तथा स्फोटसिद्धान्त—स्फोटविरोध में ही मीमांसकों के व्यंजना
विरोध के बीज—ध्वन्यालोक में अभिधावादियों का उल्लेख—वाच्यार्थ से
प्रतीयमान की भिन्नता—अभिहितान्वयवादी तथा व्यंजना—अन्विताभिधान-
वादी तथा व्यंजना—निमित्तवादियों का मत—दीर्घतराभिधाव्यापारवादी भट्ट
लोल्लट का मत—तात्पर्यवादी धनजय तथा धनिक का मत—युक्तियों द्वारा
अभिधावादियों का खण्डन—वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ की भिन्नता के कई
कारण—उपसंहार ।

अष्टम परिच्छेद

लक्षणावादी तथा व्यंजना

लक्षणिक प्रयोग की विशेषता—ध्वनिकार, लोचन तथा काव्यप्रकाश में
उद्धृत भक्तिवादी—कुन्तक और भक्ति—सुकुल भट्ट और अभिधावृत्तिमातृका-
वक्तृनिबन्धना लक्षणा—वाक्यनिबन्धना—वाच्यनिबन्धना—कुन्तक की वक्रता-
उपचारवक्रता—लक्षणावादी का सक्षित मत—प्रयोजनवती का फल व्यंग्यार्थ,
इसकी प्रतीति लक्षणा से नहीं होती—प्रयोजन से युक्त लक्ष्यार्थ को लक्षणा के
द्वारा बोध्य माना जा सकता है, इस विषय में लक्षणावादी का मत—मम्मट के
द्वारा इस मत का खण्डन—लक्षणा में व्यंजना का अन्तर्भाव असंभव—
व्यंग्यार्थ प्रतीति लक्ष्यार्थ के बिना भी संभव—व्यंजना के अन्य विरोधी मत—

अखण्ड बुद्धिवादियों का मत—उनका खण्डन—अर्थापत्ति प्रमाण और व्यञ्जना—सूचनबुद्धि तथा व्यञ्जना—उपसंहार ।

नवम परिच्छेद

अनुमानवादी और व्यंजना

अनुमानवादी महिम भट्ट—व्यक्तिविवेक—व्यक्तिविवेककार का समय—व्यक्तिविवेक का विषय—अनुमान प्रमाण का स्पष्टीकरण—व्याप्तिसंबंध—परार्थानुमान के पचासवयव वाक्य—व्याप्ति के तीन प्रकार—पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष—हेत्वाभास—पाँच प्रकार के हेत्वाभास—महिम भट्ट और प्रतीयमान अर्थ—महिम के द्वारा 'ध्वनि' की परिभाषा का खण्डन—महिम भट्ट के मत से अर्थ के दो प्रकार वाच्य तथा अनुमेय—महिम भट्ट में वदतोव्याघात—काव्यानुमिति—लक्ष्यार्थ तथा तात्पर्यार्थ भी अनुमेय—महिम के द्वारा अनुमान के अतर्गत ध्वनि के उदाहरणों का समावेश, उनमें हेत्वाभाससिद्धि—महिम के मत में प्रतीयमान रसादि के अनुमापक हेतु, इनकी हेत्वाभासता—उपसंहार ।

दशम परिच्छेद

व्यंजना तथा साहित्यशास्त्र से इतर आचार्य

व्यंजना की स्थापना—वैयाकरण और व्यंजना, भर्तृहरि तथा कोण्ड भट्ट—नागेश के मत से व्यंजना की परिभाषा व स्वरूप—व्यंजना की आवश्यकता—नव्य नैयायिकों का परिचय—गदाधर और व्यंजना—जगदीश तर्कालंकार और व्यंजना—उपसंहार ।

एकादश परिच्छेद

काव्य की कसौटी—व्यंजना

काव्य की परिभाषा में व्यंग्य का सकेत—भिन्न भिन्न लोगों के मत में काव्य की भिन्न भिन्न आत्मा (कसौटी)—पाश्चात्त्यों के मतमें काव्य की कसौटी—काव्य कोटि-निर्धारण—मम्मट का मत—विश्वनाथ का मत—अप्ययदीक्षित का मत—जगन्नाथ पंडितराज का मत—उत्तमोत्तम काव्य—उत्तम काव्य—मध्यम काव्य—अधम काव्य—कोटिनिर्धारण का तारतम्य—हमारा वर्गीकरण—प० रामचन्द्र शुक्ल का अभिधावादी मत—उपसंहार ।

सिंहावलोकन

भामह, दण्डी, वामन, उद्भट एवं शब्दशक्ति—ध्वनिकारोत्तर आलंकारिक एवं शब्दशक्ति—भोजदेव का शब्दशक्तिविवेचन—चार केवल शब्दशक्ति—अभिधा, विवक्षा, तात्पर्य—तात्पर्य एवं ध्वनि—प्रविभागशक्ति—चार सापेक्ष शब्दशक्ति—शोभाकर तथा लक्षणा—प्राग्ध्वनिकारीय आचार्य तथा व्यंग्यार्थ—जयदेव का शब्दशक्तिविवेचन—भावक व्यापार, भोजकत्व व्यापार, रसन व्यापार—

हिंदी काव्यशास्त्र और शब्दशक्ति—व्यंग्यार्थकौमुदी, व्यंग्यार्थचन्द्रिका—केशवदास तथा शब्दशक्ति—चिंतामणि, कुलपति—देव का शब्दरसायन—सूरति मिश्र, कुमारमणि भट्ट—श्रीपति—सोमनाथ—मिखारीदास का काव्य-निर्णय—जसरान, रसिकगोविंद, लछिराम—मुरारिदान—अन्य आलंकारिक-आचार्य शुक्ल तथा शब्दशक्ति—उपसंहार ।



परिशिष्ट

- (१) भारतीय साहित्यशास्त्र के आलंकारिक संप्रदाय
- (२) प्रमुख आलंकारिकों का ऐतिहासिक परिचय
 - (क) अनुक्रमणिका,
 - (ख) अनुक्रमणिका.

ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत

(शब्द-शक्ति-विवेचन)

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।
 उतो त्वस्मै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥
 उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।
 अथेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम् ॥

—ऋग्वेद १०. ७१. ४-५

'वाणी को देखते हुए भी कई व्यक्ति नहीं देख पाते, कई लोग इसे सुन कर भी नहीं सुन पाते । किंतु विद्वान् व्यक्ति के समक्ष वाणी अपने कलेवर को ठीक उसी तरह प्रकट कर देती है, जैसे सुंदर वस्त्रवाली कामिनी प्रिय के हाथों अपने आपको सौंप देती है ।'

'विद्वान् व्यक्ति देवताओं का मित्र है, वह किसी भी समय असफल नहीं होता । किंतु जो व्यक्ति पुष्प और फल से रहित अर्थात् निरर्थक वाणी को सुनता है, वह माया (ढोंग) करता है' ।

आमुख

“The intelligent forms of ancient poets,
The fair humanities of old religion.. ...
They live no longer in the faith of reason
But still the heart doth need a language, still
Doth the old instinct bring back the old names ”

—Coleridge:

मानव के भावों का प्रकट रूप, उसके भावजगत् का वहिः-
प्रतिफलन ही साहित्य है। भावजगत् से सम्बद्ध होने के कारण ही
साहित्य का क्षेत्र विज्ञान से सर्वथा भिन्न है।
साहित्य के लिये साहित्य में शब्द का अर्थ से, वहिर्जगत् का
देशकाल-मुक्त कसौटी भाव-जगत् से, मानव का मानवेतर सृष्टि से,
आवश्यक अथच विषयी का विषय से तादात्म्य हो जाता
है, वे दोनों “साहित्य” (सहितस्य भावः) प्राप्त
कर लेते हैं। क्रौञ्च पक्षी को निषाद के वाण से विद्ध देख कर महाकवि
वाल्मीकि का श्लोकरूपःॐ मे परिणत शोक तत्प्रकरणविशिष्ट ही न होकर,
एक सार्वजनीन एवं सार्वदेशिक शोक था। साहित्य की सबसे बड़ी
विशेषता यही है, कि वह देश काल की परिधि से मुक्त हो, मुक्त पवन
की भाँति कोई भी उसका सेवन कर आह्लाद प्राप्त कर सके। सच्चे
साहित्य का गुण यह है, कि वह कभी घासी नहीं होता, नित्य नूतनता,
प्रतिक्षण अभिनव रमणीयता उसमें संक्रांत होती जाती है। “क्षणे क्षणे
यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः” यह उक्ति साहित्य के लिये भी
शत प्रतिशत अंश में चरितार्थ होती है। इसीलिए साहित्य के सौन्दर्या-
सौन्दर्य का विवेचन करते समय हमें एक ऐसी तुला की आवश्यकता

ॐ सा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती. समाः ।

यत्क्रौञ्चमिधुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

— रामायण, बालकाण्ड, सर्ग १.

होगी, जो किसी देश-काल से सम्बद्ध न होकर सार्वदेशिक, सार्वकालिक तथा सार्वजनीन हो। साहित्य हमें क्यों अच्छा लगता है? क्या कारण है, कि हमें अमुक चित्र अन्य चित्र से अच्छा लगता है? इस निर्धारण के लिये हम कोई निश्चित कसौटी मान सकते हैं। कुछ लोगों का मत है, कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न होने से जो चित्र, मुझे अच्छा लगता है संभवतः वह आपको रुचिकर प्रतीत न हो, अतः इस दृष्टि से एक निश्चित कसौटी मानी ही नहीं जा सकती। किन्तु यह मत भ्रान्त ही है।

साहित्य में प्रमुख अंश काव्य का है, इसीलिए कुछ लोग तो काव्य या साहित्य में अभेद-प्रतिपत्ति^१ मानते हैं। यदि साहित्य का संकुचित अर्थ लिया जाय, तो उसके साथ काव्य की काव्य 'कला' या अभेद-प्रतिपत्ति मानने में हमें भी कोई विप्रतिपत्ति 'विद्या' नहीं। यहाँ पर हम अब 'साहित्य' शब्द का प्रयोग न कर, 'काव्य' का ही प्रयोग करेंगे।

पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार काव्य भी एक कला है। इसीलिए अरस्तू ने काव्य का भी प्रयोजन अनुकरणवृत्ति माना है।^२ प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक हीगेल ने कलाओं का विभाजन करते हुए स्थापत्य-कला, मूर्ति-कला, चित्र-कला, संगीत-कला, तथा काव्य-कला इन पाँच कलाओं को ललित कलाएँ माना, तथा इनमें उत्तरोत्तर कला को पूर्व पूर्व से उत्कृष्ट माना।^३ इनके यहाँ 'काव्य' भी कलाओं में सन्निविष्ट होने के कारण मनोरजन की ही वस्तु रहा। भारत में काव्य को कला नहीं माना गया। कलाओं का सन्निवेश भारत में 'उपविद्याओं' के अन्तर्गत हुआ है, किन्तु काव्य 'विद्या' के अन्तर्गत है।^४ अतः भारत में

१ जहाँ दो वस्तुओं में किन्हीं कारणों से एकता तथा अभिन्नता मानी जाय, उसे अभेदप्रतिपत्ति' (identification) कहते हैं।

२. Art is imitation.—Aristotle.

३ Worsfold Judgment in Literature P. 2

४ प्रसाद — 'काव्य और कला' नामक निबन्ध में प्रसाद जी ने यह बताया है कि समस्यापूर्ति आदि कला है, किन्तु काव्य 'कला' नहीं। समस्यापूर्ति को 'जयमगला'-कार भी 'कला' मानता है—“श्लोकस्य च समस्यापूर्ण क्रीडार्यं वादार्थं”—(कामसूत्र टीका)।

काव्य का महत्त्व किसी भी दर्शन या शास्त्र से कम नहीं माना गया है। शास्त्रों में प्रत्येक शास्त्र चतुर्वर्ग में से किसी न किसी एक वर्ग की ही पूर्ति करता है, यथा स्मृत्यादि धर्म की, नीतिशास्त्र अर्थ की, कामशास्त्र काम की, तथा दर्शनशास्त्र मोक्ष की। किंतु काव्यशास्त्र अकेला ही चारों वर्गों की प्राप्ति करा देता है। साथ ही स्मृति, नीति, कामसूत्र, तथा षड् दर्शन को समझने के लिये गहन बुद्धि अपेक्षित है, किंतु काव्य तो सुकुमार बुद्धिवाले लोगों को भी कठिन से कठिन शास्त्रीय विषयों को सुगम रूप में दे देता है।

“काव्य के स्वरूप का विवेचन इसलिये किया जाता है कि केवल काव्य से ही अल्पबुद्धिवाले लोग सुख से चारों वर्गों का फल प्राप्त कर सकते हैं।” —भामह^१

इसी काव्य को आधार बना कर कई दार्शनिकों तथा उपदेशकों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार भी किया है। अश्वघोष ने तभी तो कहा था “पातुं तिक्तमिवौषधं मधुयुतं हृद्यं कथं स्यादिति”—(सौंदरानन्द)। इसका यह तात्पर्य नहीं कि काव्य में उपदेश ही एकमात्र वस्तु है। फिर भी काव्य में हम उपदेश तत्त्व को सर्वथा भुला नहीं सकते। काव्य के संपादक तत्त्वों में इसका भी अपना स्थान है।

किंतु, इससे भी बढ़कर प्रमुख तत्त्व, काव्य में, रस है। रस-प्रवणता के कारण ही काव्य काव्य है। यही वह रस के आधार पर मधुर पदार्थ है, जिसमें लपेट कर दी गई उपदेश काव्य की वेद तथा की कटुकौषधि भी रुचिकर प्रतीत होती है। पुराण से महत्ता इसी रस को प्रधानता देते हुए वेणीदत्त ने अपने अलंकार-चंद्रोदय में कहा है:—

“कवियों की वाणी की सृष्टि-प्रकृति के नियमों से बंधी नहीं है वह स्वतन्त्र है, आनंदपूर्ण है। नवों रसों की प्रवणता के कारण वह रमणीय हो जाती है, तथा विपत्ति का निवारण एवं संपत्ति का विधान

१. चतुर्वर्गफलप्राप्ति. सुखादल्पधियामपि ।

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते ॥—(भामह-काव्यालंकार,)

करनेवाली है। कवियों की ऐसी रचना की विधात्री देवी भारती सब देवताओं से उत्कृष्ट है।”^१

वेद पुराणादि शास्त्रों से काव्य का महत्त्व बताते हुए कहा गया है कि शब्द-प्रधान वेदों में प्रभुसम्मित उपदेश पाया जाता है, अतः वह उपदेश सर्वथा कटु एवं रूक्ष रूप में गृहीत होता है। पुराणों का उपदेश सुहृत्सम्मित है, उसमें वेदों की भाँति स्वामी की आज्ञा नहीं होती, अपितु मित्र के द्वारा हितविधायकता होती है। वेदों का उपदेश एक अनुल्लङ्घनीय सैनिक आदेश (मिलिट्री कमांड) है, जिसको उसी रूप में ग्रहण करना होता है, जिस रूप में वह कहा गया है। वहाँ अमुक कार्य क्यों किया जाय, इस प्रश्न की न तो अपेक्षा ही होती है, न समाधान ही। पुराणादि में ऐसा सैनिक आदेश नहीं है। वहाँ अमुक कार्य करने से यह लाभ होगा, न करने से यह हानि होगी, इस बात को भी उपदेश के साथ ही बतल दिया जाता है। यह उसी प्रकार का उपदेश है, जैसा कोई मित्र किसी कार्य के दोनों पक्षों को स्पष्ट करता हुआ देता है। काव्य का उपदेश इन दोनों उपदेश-प्रकारों से भिन्न है। इस उपदेश को ‘कांता-सम्मित’ माना गया है। जैसे किसी कार्य में प्रवृत्त करने के लिये प्रिया इस ढंग से फुसलाती है, कि वह उपदेश होते हुए भी उपदेश नहीं जान पड़ता, और प्रिय उस कार्य में बिना किसी ‘ननु न च’ के प्रवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार काव्यमय उपदेश भी इस ढंग से दिया जाता है कि वह स्वतः ही गृहीत हो जाता है। बिहारी के प्रसिद्ध दोहे ने जयसिंह को जो उपदेश दिया, वह ‘कांतासम्मित’ ही था, तभी तो जयसिंह रूष्ट होने के स्थान पर बिहारी से अत्यधिक प्रसन्न

१ नियतिनियमहीनानन्दपूर्णा स्वतन्त्रा,

नवरसरुचिरागी निर्मिति या तनोति ।

दुरितदलनदक्षा सर्वसम्पत्तिदात्रीं,

जयति कविविाणा देवता भारती सा ॥

(अलंकारचन्द्रोदय—इडिया आफिस (लखन) पुस्तकालय,

—हरतलिखित ग्रंथ)

२ नहीं पराग नहीं मथुर मथु नहीं विकास इहि काल ।

अलो कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल ॥—(बिहारी सतसई)

हुए । काव्यमय उपदेश की यही विशेषता है । तभी तो विद्यानाथ ने कहा है:—

“जिस कांतासम्मित काव्य सौन्दर्य ने, शब्द प्रधान प्रभुसम्मित वेद, तथा अर्थ प्रधान सुहृत्सम्मित पुराण से भी अधिक उत्कृष्ट सरसता उत्पन्न कर विद्वान् को विशेष कौतूहल दिया, उस काव्यसौंदर्य की हम इच्छा किया करते हैं ।”^१ काव्य के अनुशीलन से न केवल रसास्वाद ही होता है अपितु लौकिक व्यवहार आदि का भी ज्ञान होता है । अतः जो लोग काव्य को बैठे-ठाते लोगों का विषय समझते हैं, वे भूल करते हैं । काव्य का वस्तुतः उतना ही महत्त्व है, जितना किसी अन्य शास्त्र का, यह ऊपर कहा जा चुका है । एक प्राकृत कवि ने इसीलिए कहा है कि काव्यालाप से विज्ञान बढ़ता है, यश प्राप्त होता है, गुण फैलते हैं, सत्पुरुषों के चरित्र सुनने को मिलते हैं, वह कौनसी वस्तु है, जो काव्यालाप से प्राप्त नहीं होती ।^२

काव्य को रसमय बनाने के प्रधान साधन हैं—शब्द, अर्थ । शब्दार्थ ही तो कविता-कामिनी का शरीर है, अतः उसमें जहाँ तक उनके वाह्य रूप का प्रश्न है, ठीक वही महत्त्व है जो वेदों या पुराणों में शास्त्र, दर्शन तथा विज्ञान में । अतः शब्द तथा अर्थ के विभिन्न रूपों एवं संबंधों का ज्ञान काव्यानुशीलनकर्ता के लिये ठीक उतना ही आवश्यक हो जाता है, जितना कि भाषाशास्त्र, कोश तथा व्याकरण के विद्वान् के लिये । अपितु उसका कार्य इस दिशा से इन वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों से भी गुरुतर है । ये लोग इसके वाह्य रूप तक ही सीमित रह जाते हैं, किंतु वह इसके आभ्यंतर रूप का भी

१. यद्वेदात्प्रभुसम्मितादधिगत शब्दप्रधानाच्चिर

यच्चायं प्रवणात्पुराणवचनादिष्टं सुहृत्सम्मितात् ।

कान्तासम्मितया यथा सरसतामापाद्य काव्यश्रिया

कर्त्तव्ये कुतुकी बधो विरचितस्तस्यैस्पृहा कुर्महे ॥

—(प्रतापरुद्रीय १, ८,)

२. परिवड्ढह विष्णाण संभाविज्जह जसो विसप्पंति गुणा ।

सुव्वह सुपुरिसचरिय किं तज्जेण ण हरंति कव्वालावा ॥

निरीक्षण करता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक या दार्शनिक जहाँ शब्दों के साकेतिक अर्थों तक ही सीमित रहता है, वहाँ काव्यालोचक उनकी भावात्मक महत्ता का भी अध्ययन करता है। इस दृष्टि से वह उतना ही अव्ययन नहीं करता, जितना कोरे दार्शनिक, अपितु वह एक सीढ़ी और आगे बढ़ जाता है अतः इस दिशा में उसका क्षेत्र विशाल है, विस्तृत है। दार्शनिकों तथा साहित्यालोचकों की इस अर्थ-विज्ञान संबंधी सरणि का विवेचन हम विस्तार से भूमिका के आगामी पृष्ठों में करेंगे।

शब्द, अर्थ तथा उनके संबंध पर सभ्यता के उषःकाल से ही पूर्व तथा पश्चिम दोनों देशों में दार्शनिक एवं साहित्यिक दृष्टियों से गंभीर विचार होते रहे हैं। जैसे कुछ बातों में इन शब्दार्थ संबंध का, दोनों के मत आपाततः भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु विवेचन विचार करने पर दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते पाए जाते हैं, यदि कोई भेद है तो मात्रा का। शब्दों तथा अर्थों के परस्पर संबंध का विवेचन हमें यास्क के निरुक्त से ही मिलता है। सूत्रकारों के सूत्रों में भी इस पर प्रकाश डाला गया है, जिसका विस्तार भाष्यकारों के भाष्यों में पाया जाता है। मीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर स्वामी तथा महाभाष्यकार भगवान् पतञ्जलि के ग्रंथ इस दार्शनिक विवेचना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इसके बाद तो मीमांसकों तथा नैयायिकों के दार्शनिक ग्रंथ, वैयाकरणों के प्रवच तथा टीकाएँ, एवं साहित्यिकों के अलंकार ग्रंथ इस विवेचना से भरे पडे हैं। पश्चिम में भी अरस्तू, सिसरो, क्विन्टीलियन, मिल, लॉक, दुमार्स, दर्मेस्तेते, आग्डन एवं रिचर्ड्स, आदि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है। इन लोगों के विवेचनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् रेव्नो (Regnaud) के साथ यही कहेंगे: — “ला सिविलिजाशिओं द लॉद ए सेल द लोकसीदों ओँ ई ल मेम प्वाँ द देपार”¹ (भारत तथा पश्चिम की सभ्यता का स्रोत एक ही है)।

1. “La civilisation de l’Inde et celle de l’occident ont eu le meme point de depart”.—Regnaud.

शब्द की उत्पत्ति, शब्द के तथा अर्थ के परस्पर संबंध पर, मीमांसकों तथा वैयाकरणों ने विशेष विचार किया है। नैयायिकों ने भी इस विषय में कुछ प्रकाश अवश्य डाला है। शब्दार्थ संबंध पर नैयायिक शब्द तथा अर्थ के परस्पर संबंध को सक्षिप्त प्राच्य-मत ईश्वर-जनित मानते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह मत त्रुटिपूर्ण ही माना जायगा। मीमांसकों का मत कुछ-कुछ आधुनिक शब्दार्थ-विज्ञान (सिमेंटिक्स) से मिलता है। शब्द तथा अर्थ के परस्पर संबंध के विषय में मीमांसक यही मानते हैं, कि शब्द में स्वतः ही अर्थ समवेत है।^१ इनके संबंध को धतानेवाला या निश्चित करनेवाला कोई नहीं है (शबर भाष्य)। हमारे पूर्वज शब्दों का तत्तत् अर्थों में प्रयोग करते आ रहे हैं। उन लोगों ने अपने वचन में दूसरे वृद्धों से उनके प्रयोग व संबंध सीखे ही होंगे। इस प्रकार शब्दों व अर्थों का संबंध अनादि है। इसी संबंध में वे आगे जाकर बताते हैं, कि कोई भी शब्द अपने सामान्य अर्थ को ही द्योतित करता है। शबर इस 'सामान्य का भाव बोध कराने के लिए 'जाति' एवं 'आकृति' दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं।^२ कुमारिल ने भी श्लोकवार्तिक में बताया है, कि 'जाति', 'सामान्य' तथा 'आकृति' तीनों एक ही हैं। 'आकृति' का जो तात्पर्य नैयायिक लेते हैं, वह मीमांसकों से सर्वथा भिन्न है। उनके मतानुसार 'आकृति' वस्तु विशेष का रूप है। दूसरे शब्दों में 'आकृति' नैयायिकों के मत में 'जात्यवच्छिन्नव्यक्ति'^३ है। शब्द का संकेत 'जाति' में होता है, या 'व्यक्ति' में इस विषय पर विचार करते हुए प्रवच के द्वितीय परिच्छेद में हमने इन विभिन्न मत-सरणियों पर प्रकाश डाला है। व्याहृति तथा वाजप्यायन जैसे अति-

१. औत्पत्तिकस्तु शब्दद्वयार्थेन सवधः तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेक-
श्वार्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमाण वादरायणस्यानपेक्षत्वात् ॥

—जैमिनिसूत्र १, १, ५ व भाष्य

२. द्रव्यगुणकर्मणा सामान्यनात्रमाकृति —

—जैमिनिसूत्र १, ३, ३३ पर भाष्य

३. 'भवच्छिन्न' नव्य नैयायिकों की पारिभाषिक शब्द प्रणाली है, जिसका अर्थ 'विशिष्ट' होता है। किसी विशेष पदार्थ में, उसकी 'जाति' सदा निहित रहती है, अतः दूसरे शब्दों में वह 'जातिविशिष्ट' या 'जात्यवच्छिन्न' है।

प्राचीन वैयाकरणों ने भी शाब्दबोध के विषय में प्रकाश डाला है। इनके मतों का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। व्याडि के मतानुसार समस्त शब्दों का अर्थ 'द्रव्य' (व्यक्ति) ही है, इसका उल्लेख वार्तिककार ने किया है। वार्तिककार ने वाजप्यायन का भी उल्लेख करते हुए बताया है, कि वह मीमांसकों की भाँति 'आकृति' (जाति) में ही शाब्दबोध मानता है।

शब्द तथा अर्थ के विषय में तथा उनके संबंध के विषय में १६ वीं शताब्दी से ही यूरोप में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। शब्दार्थ विज्ञान (सिमेटिक्स या सेस्मोलोजी) के नाम से तुल-पाश्चात्यों का शब्दार्थ विज्ञान और उसकी तीन सरणियाँ नात्मक भाषाशास्त्र के अंतर्गत एक नवीन शाखा की उद्भूति हुई, जिसमें शब्द तथा उसके अर्थ के संबन्ध पर विचार किया गया। प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् ब्रेआल (Breal) ने 'सिमेटिक्स' नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसमें शब्द व अर्थ के सांकेतिक संबंध को प्रकट करते हुए अर्थ के विस्तार, संकोच, विपर्यय आदि पर प्रकाश डाला। यदि संस्कृत की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाय, तो ब्रेआल का यह ग्रंथ अभिधा तथा रूढा लक्षणा का ही विवेचन करता है। कुछ स्थिति में यह प्रयोजनवती लक्षणा का भी समावेश करता है। किंतु इसका यह विवेचन भाषा शास्त्रीय है। यद्यपि इस विवेचन में ब्रेआल का आधार मनःशास्त्र तथा कुछ सीमा तक समाज-शास्त्र रहा है, तथापि वह क्षेत्र इतना विशाल नहीं, कि साहित्यिक की दृष्टि में पूर्ण कटा जा सके। जहाँ तक शब्दार्थ-विज्ञान की सरणियों का प्रश्न है, ये तीन प्रकार की मानी गई हैं—१. तार्किक, २. समाजशास्त्रीय, ३. मनःशास्त्रीय। आधुनिकतम भाषाशास्त्रियों के मतानुसार शब्दार्थ-विज्ञान में समाजवैज्ञानिक शैली का समाश्रय ही ठीक है। लंदन विश्व-विद्यालय के भाषाशास्त्र के प्राध्यापक गुरुवर प्रो० फर्थ ने अपने एक लेख में बताया है कि "सिमेटिक्स" के अध्ययन में समाज-शास्त्र का महत्त्वपूर्ण हाथ है। वे बताते हैं कि प्रकरण (Context) ही शब्द तथा उसके अर्थ एवं उनके संबंध को व्यक्त करता है। इसके लिए शब्द का सामाजिक रूप में व्यवहार आवश्यक है।" प्रो० फर्थ के इस

मत का विशद उल्लेख हम श्रॉग्डन तथा रिचर्ड्स के मनोवैज्ञानिक मत के प्रतिवाद रूप में आगे करेंगे। ब्रेञ्जाल की शब्दार्थ मीमांसा के विषय में प्रो० फॅर्थ का निजी मत यही है, कि उसका आधार सामाजिक भित्ति न होकर कारा मनोविज्ञान ही है।

शब्द तथा अर्थ के संबंध के विषय में दार्शनिकों की विचार-सरणि को समझने के पूर्व यह ज्ञान लेना आवश्यक होगा, कि पाश्चात्य दार्शनिकों के मतानुसार अर्थ क्या वस्तु है। डॉ०

शब्दार्थ-संबंध के
विषय में शिलर
स्ट्रोंग व पार्सनस
का मत

शिलर के मतानुसार “अर्थ अनिवार्यतः वैयक्तिक है..... किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर है, जिसे वह वस्तु अभिप्रेत है।”^१ प्रसिद्ध अंगरेज दार्शनिक रसेल ने अर्थ की परिभाषा को और अधिक पूर्ण तथा ठीक बनाने के लिए

“स्मार्त कार्यकारणवाद” (Mnemic Causation) की कल्पना की है। उसके मतानुसार अर्थ “संबंध विशेष” जान पड़ता है। “संबंध विशेष” में अर्थ समाहित हो जाता है, तथा शब्द में केवल अर्थ ही नहीं होता, अपितु वह “अपने अर्थ” से संबद्ध रहता है।^२ इस संबंध विशेष का ‘स्मृति’ से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। इसी से यह स्मार्त-कारणवाद कहलाता है। एलफ्रेड सिजविक के मत में, “परिणाम अर्थ के आधार है, तथा अर्थ सत्य का।”^३ डॉ० स्ट्रोंग ने इस संबंध में

Semantics”. PP. 42-43. (Published in Transactions of Philological Society of England and Ireland.— 1935.)

१. “Meaning is essentially personal. . . . what anything means depends on who means it.”—Dr. Schiller quoted in “Meaning of Meaning ” P. 161.

२. . . . for Mr. Russell meaning appeared as ‘a relation’, that a relation ‘constitutes’ meaning, and that a word not only has ‘meaning’, but is related to its meaning’.—Ibid P. 161.

३. “Meaning depends on consequences, and

अपना विशेष ध्यान उस दशा पर दिया है, जिसमें कोई विषय “किसी विशेष बात को अभिहित” करता कहा जाता है। इस दशा में डॉ० स्ट्रॉंग भी डॉ० शिल्लर की भाँति वैयक्तिक अर्थ पर जोर देते जान पड़ते हैं। डॉ० जे० हर्वर्ट पार्सन्स ने इस विषय में एक नवीन वैज्ञानिक विवेचना की है। उनके मत में ‘अर्थ’ के आदिम बीज धन-रूप (प्लस) अथवा ऋण-रूप (माइनस) प्रभावोत्पादक स्वर में मानना होगा। साथ ही प्राणिशास्त्र की दृष्टि से इस प्रकार की धन-रूप तथा ऋण-रूप स्वर-लहरी का निषेध करना मूर्खता होगी।^१ यहाँ डॉ० पार्सन्स की प्रणाली को थोड़ा विस्तार में समझना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष दृष्टि से हम एक ऐसी स्थिति मान सकते हैं, जिसमें हमारी चेतनता की आधार-भित्ति (Psychoplasm) विशेष प्रभावोत्पादक एव ज्ञापक तत्त्वों में विभक्त हो जाती है। ये तत्त्व पुनः संगठित एव संश्लिष्ट होकर किसी अनुभव के ‘अर्थ’ का रूप धारण करते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर अर्थ प्रौढ़ बन जाता है। इसी परिवर्तित अर्थ का अवचेतन में सचय किया जाता है, और यही अर्थ पुनः प्रकट किया जा सकता है, यद्यपि यह चेतनमन के नीचे दबा पड़ा रहता है। चेतना की आधार भित्ति जितनी ही अधिक परिवर्तनशील होगी, उसका संगठन तथा संश्लेषण उतने ही उच्च तथा जटिल अर्थ के रूप में परिणत होगा। धीरे-धीरे सामाजिक वातावरण के कारण अर्थ की अनुभूति होने लगती है, तथा सामाजिक संबंध में हम प्राचीन एवं नवीन अर्थों की प्रक्रिया देखते हैं। इस प्रक्रिया के कारण और अधिक नवीन, पूर्ण तथा परिष्कृत अर्थ उत्पन्न होते हैं। इस स्थिति में आकर अर्थ की उत्पादक क्रियाएँ उच्चतर सीमा तक पहुँच जाती हैं। भाषा का उपकाल हम वाल्यावस्था को मान सकते हैं। “बालक की

truth depends on Meaning” — Alfred Sidzwich quoted, *ibid* P 162

१ “It would be unwise to deny the presence of a plus or minus affective tone—and this is the primitive germ of Meaning”.—Dr. Parsons quoted *ibid* P 163

चेष्टाएँ उसकी मनःप्रक्रियाओं के गौण-चिह्न मात्र नहीं हैं, किंतु उसकी भावनाओं तथा इच्छाओं के सक्रिय प्रतीक हैं।”^१

अर्थ के विषय में और महत्त्वपूर्ण विवेचन हमें जे एस. मूर की ‘द फाउंडेशन्स ऑफ् साइकोलोजी’ में मिलता है। इस ग्रन्थ में अर्थ के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण शंका उठा कर जे एस मूर का उसका समाधान किया गया है। पूर्वपक्षी का मत प्रश्न है कि मानसिक प्रक्रिया का सार ही अर्थ है, यह मानना सत्य है या नहीं। वह इसका उत्तर यही देते हैं कि मानसिक प्रक्रियाएँ अर्थ से समवेत नहीं हैं। पूर्वपक्षी पुनः प्रश्न करता है कि “क्या हमारे समस्त अनुभव स्वभावतः किसी अर्थ को प्रत्यायित नहीं करते? क्या हमें कभी अनर्थक उत्तेजना का भी अनुभव होता है?” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मूर यही मानते हैं कि “मन अनर्थक उत्तेजना से आरंभ होकर सार्थक प्रत्यक्षों की ओर बढ़ता है। नहीं तो, इसके विपरीत हमें यह कल्पना करनी ही पड़ेगी, कि मन आरंभ से ही अर्थयुक्त था।”^२ इस विषय में एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, कि “मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अर्थ क्या है?” इसका उत्तर यही है कि “मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अर्थ (वस्तुतः) प्रकरण ही है।” अर्थात् प्रत्येक अनुभव में अथवा उत्तेजन (Stimulus) एवं कल्पनाओं के समूह में, संबद्ध प्रतिरूप एक प्रकरण का सा रूप धारण कर लेते हैं। वहीं प्रकरण समस्त उत्तेजनों तथा कल्पनाओं को सश्लिष्ट बनाकर एक निश्चित अर्थ को उत्पन्न करता है। यही अर्थ-प्रक-

१. “The child’s “gestures are no longer merely passive signs of his mind’s activities, but active indications of his feelings and desires.”—Dr. Parson quoted *ibid* P. 163.

२. “(The mind) began with meaningless sensations, and progressed to meaningful perceptions. On the contrary we must suppose that the mind was meaningful from the very outset.”—Moor quoted *ibid* P. 174.

रण उत्तेजनों को, केवल उत्तेजनों को नहीं, अपितु भौतिक विषय के प्रतीकों को उत्पन्न करता है।^१ उदाहरण के लिये जब हम नारंगी देखते हैं, तो उसके गंध तथा स्वाद की प्राकरणिक कल्पना के कारण हम उसे पहचान पाते हैं। मूर के इस मत को, हम इन शब्दों में और अधिक सूक्ष्म रूप में प्रकट कर सकते हैं:—

“इन समस्त दशाओं में, अनुभव या भाव का अर्थ प्राकरणिक मूर्तियों (कल्पनाओं) तथा उत्तेजनों के द्वारा ही प्रकट होता है, और प्रकरण के ही कारण प्रत्येक अनुभूति को अर्थवत्ता प्राप्त होती है। किंतु फिर भी यह कहना अपूर्ण ही होगा, कि एक उत्तेजन अथवा प्रतीकात्मक मूर्ति (कल्पना) का अर्थ पूर्णतः उससे संबद्ध कल्पनाएँ तथा उत्तेजन ही हैं, अन्य कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा कहना, इस सिद्धांत का प्रतिवाद करना होगा कि मनोविज्ञान का अर्थों से कोई सवध नहीं। इसमें वस्तुतः जो बात है, वह यही है, कि हमारे अनुभवों के अर्थ मनः प्रक्रियाओं के क्षेत्र में उन संबद्ध प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्त होते हैं, जो उत्तेजनों तथा कल्पनाओं के केंद्रीय वर्ग के आसपास एकत्रित हो जाती हैं। जहाँ तक मनोवैज्ञानिकता का प्रश्न है, अर्थ प्रकरण ही है, किंतु तात्त्विक तथा तार्किक रूप में अर्थ-प्रकरण की अपेक्षा कुछ और भी है। दूसरे रूप में हम यों कह सकते हैं, कि अर्थ कुछ भी हो, मनोविज्ञान का उससे वहाँ तक संबंध है, जहाँ तक वह प्राकरणिक मूर्ति (कल्पना) की शैली में व्यक्त किया जा सकता है।^२”

१ “(It is this) fringe of meaning That makes the sensations, not ‘mere’ sensations but symbols of a physical object” *ibid* P. 174.

२ “In all cases, the meaning of the perception or idea is ‘carried’ by the contextual images or sensations, and it is context which gives meaning to every experience, and yet it would be inaccurate to say that the meaning of a sensation or symbolic image is thorough and thorough nothing but

इसी संबंध में हम अरर की भाषा संबंधी तार्किक प्रणाली पर भी थोड़ा ध्यान दे लें। अपने प्रसिद्ध निबंध "लेंग्वेज, ट्रूथ, एंड लॉजिक" में अरर ने बताया है कि सत्य से वास्तविक संबंध तार्किक शब्दावली का ही है।

प्र० अरर का तार्किक मत दूसरे शब्दों में उनके मतानुसार तर्कसम्मत शब्दावली तथा अभिप्रेत अर्थ में ही साक्षात् संबंध मानना होगा। इस तार्किकता के विषय में अरर इतने पक्के हैं कि वे तथाकथित तत्त्वज्ञान (मेटाफिजिक्स) को भी तर्कपूर्ण मानने के पक्ष में नहीं। उनके मतानुसार तत्त्वज्ञानियों की शब्दावली का सत्य से ठीक वैसा ही संबंध है, जैसा कवि की भाषा का सत्य से। अरर तो यहाँ तक उद्घोषणा करते हैं कि तत्त्वज्ञानी वस्तुतः मार्गभ्रष्ट कवि ही हैं। इस संबंध में वे यह भी कहते हैं कि इसका यह तात्पर्य नहीं कि कवियों की भाषा में सत्य का सर्वथा अभाव रहता है। वे बताते हैं कि वहाँ सत्य का तार्किक रूप में भी सन्निवेश हो सकता है, किंतु वह भी भावादि के उद्बोधन को ही लक्ष्य बना कर किया जाता

its associated images or sensations, for this would be a violation of the principle that psychology is not concerned with meanings. All that is implied is that the meanings of our experiences are represented in the realm of mental processes by 'the fringe of related processes that gathers about the central group of sensations or images.' Psychologically Meaning is context, but logically and metaphysically Meaning is much more than psychological context, or to put in the other way round, whatever Meaning may be, psychology is concerned with it only so far as it can be represented in terms of contextual imagery."

—J. S. Moore · 'The Foundations of Psychology' (1920). P. 103.

है।^१ अयर के इस मत का यहाँ उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि इस दिशा में अयर, प्रो० मूर से भी एक पग आगे बढ़ जाते हैं। प्रो० मूर जहाँ अर्थ के तार्किक तथा तात्त्विक महत्त्व की ओर जोर देते हैं, वहाँ अयर तार्किक महत्त्व को एकमात्र सत्य मानते हैं। कुछ भी हो, साहित्य के विद्यार्थी के लिए प्रो० मूर तथा प्रो० अयर दोनों के ही मत अनुपादेय हैं, उसे तो आगूडन और रिचर्ड्स के मतानुसार मनो-वैज्ञानिक तत्त्व को महत्त्व देना ही होगा।

आगूडन तथा रिचर्ड्स के मत का विशद उल्लेख हमने प्रबंध के प्रथम परिच्छेद में किया है, किंतु यहाँ उनके मत का सक्षिप्त रूप दे देना आवश्यक होगा। आगूडन तथा रिचर्ड्स, आगूडन तथा रिचर्ड्स शब्द एवं अर्थ के संबंध को मनःशास्त्रीय महत्त्व का मत, संक्षेप में की दृष्टि से देखते हैं। उनके मतानुसार शब्द (प्रतीक सिबल) तथा अभिप्रेत विषय (रेफ्रेंट) में कोई साक्षात् संबंध नहीं है। प्रतीकों का साक्षात् संबंध भावों से ही है। ये भाव विषय तथा प्रतीक दोनों के मध्यबिंदु बन कर दोनों को संबद्ध करते हैं। अधिक स्पष्ट रूप में, हम कह सकते हैं कि आगूडन तथा रिचर्ड्स के मतानुसार अर्थ वह मानसिक तत्त्व है, जो एक ओर घटनाओं तथा विषयों के एवं दूसरी ओर उनके लिए प्रयोग में लाये जाने वाले प्रतीकों तथा शब्दों के बीच का संबंध है। आगूडन तथा रिचर्ड्स के इस मत को एक सुंदर दृष्टांत से स्पष्ट किया जा सकता है।^२ मान लीजिये, भारत के विभिन्न हिंदी समाचारपत्रों में एक ही घटना को कई रूपों से शीर्षपंक्तियों में व्यक्त किया गया है। यह घटना श्री 'क' के कारावास-दण्ड के विषय में है।

हिंदुस्तान—क्रांतिकारी को दंड।

अभिनव भारत—श्री क दंडित।

हिंदू—श्री क को एक वर्ष का कारावास।

अजेय भारत—श्री क को वारह महीने की जेल।

१. Ayar Language, Truth and Logic. P. 31. Ch II.

२. हेनरिग स्लॉमैन के "न्यूजपेपर हेडलाइंस" के आधार पर।

स्वतंत्र—श्री क के दंडित होने से नगर में महाशोक ।

ऑर्गडन तथा रिचर्ड्स के मतानुसार इस विषय में केवल एक ही प्रतिपाद्य विषय (रेफ्रेन्ट) है। यह प्रतिपाद्य विषय श्री क का कारावास है। किंतु हम देखते हैं कि उसके लिए विभिन्न शीर्षपंक्तियों में विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, शीर्षपंक्तियों तथा घटना के परस्पर संबंधों में विभिन्न प्रतिपादन पाया जाता है। यह सब तत्तत् समाचारपत्र के संपादक-मंडल के 'भावों' के कारण ही है। श्री 'क' के कारावास के कारण किस-किस के मन में क्या-क्या प्रतिक्रिया हुई, वही इस शीर्षपंक्ति के रूप में प्रतीक बन कर आई है। जैसे, श्री 'क' के प्रति 'हिंदुस्तान' की घृणा तथा क्रोध की भावना पाई जाती है। संभव है इसका कारण दोनों की राजनीतिक विचार-धाराओं का पारस्परिक विरोध हो। 'अभिनव भारत' श्री 'क' के प्रति उदासीन है, ठीक ऐसी ही भावना 'हिन्दू' की है, फिर भी वह 'एक वर्ष' के काल को विशेष महत्त्व देता जान पड़ता है। 'अजेय भारत' श्री 'क' की विचार धारा का न होते हुए भी उनके साथ विशेष सहानुभूति-पूर्ण जान पड़ता है। श्री 'क' को कारावास-दंड, वह भी वारह महीने का, उसे बुरा लगता है, और यही भावनात्मक प्रतिक्रिया 'वारह महीने' तथा 'जेल' शब्दों के द्वारा व्यक्त हुई है। 'स्वतंत्र' श्री 'क' की ही विचारधारा का पोषक है। श्री 'क' के दंडित होने से वह जनता के प्रति अत्याचार तथा जनता पर घोर आपत्ति समझता है, तभी तो वह 'नगर में महाशोक' इन शब्दों का प्रयोग करता है। इस प्रकार ऑर्गडन तथा रिचर्ड्स के मत से घटना तथा प्रतीक का संबंध मानसिक प्रक्रिया है।

प्रो० फर्थ ऑर्गडन तथा रिचर्ड्स के इस मनःशास्त्रीय सिद्धांत से सहमत नहीं। इनका मत है, "हम मन के विषय में बहुत कम जानते हैं, तथा हमारा अध्ययन अनिवार्यतः सामाजिक प्रो० फर्थ का भाषा-शास्त्रीय मत है। अतः मैं मन तथा शरीर की, एवं विचार तथा शब्द की भिन्नता (द्वैतता) का निषेध ही कहूँगा, तथा अखंड मानव से ही संतुष्ट रहूँगा, जो अपने साथियों के संपर्क में विचार एवं कार्य सदा पूर्ण रूप में

करता है।^१ ऑग्डन और रिचर्ड्स अर्थ को अव्यक्त मनः-प्रक्रिया में स्थित संबंध मानते हैं अतः प्रो० फ़र्थ उनके मत के पक्ष में नहीं हैं। प्रो० फ़र्थ के मत से “अर्थ” प्राकरणिक व्यवहार-शैली है। जब हम किन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उन ध्वनियों के कारण वायु तथा श्रोता की कर्णशष्कुलियाँ विकृत होती हैं। ये ही ध्वनियाँ तत्तत् सामाजिक प्रकरण में तत्तत् अर्थ की प्रतीति कराती हैं, जो वस्तुतः प्रकरण के अन्य तत्त्वों से संबद्ध व्यवहार-शैली मात्र है। भाषाशास्त्री प्रो० फ़र्थ के द्वारा रिचर्ड्स के मत का खंडन करना, जहाँ तक शब्दार्थ-संबंध के “लिंग्विस्टिक” दृष्टिकोण के विवेचन का प्रश्न है, उचित ही है। फिर भी जैसा हम पहले बता आये हैं, साहित्यिक दृष्टिकोण से हमें ऑग्डन तथा रिचर्ड्स का ही मत अधिक समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि प्रो० फ़र्थ चाहे मन तथा शरीर की द्वैतता स्वीकार न करे,^२ साहित्यिक के लिए तो इसे स्वीकार किये बिना काम नहीं चलेगा। जहाँ तक कला तथा साहित्य के मनः-शास्त्रीय तत्त्वों का प्रश्न है, मन की स्वतंत्र सत्ता माननी ही पड़ेगी।

१ “As we know little about mind as our study is essentially social, I shall cease to respect the duality of mind and body, thought and word, and be satisfied with the whole man, thinking and acting as a whole, in association with his followers.”

—J. R. Firth ‘The Technique of Semantics
P. 53.

(Trans Philo. Soci G. B. 1935).

२. आपस की बातचीत में एक बार प्रो० फ़र्थ ने मुझे बताया था कि जब वे अर्थ प्रतीति में मानसिक अर्थ की स्वतंत्र सत्ता का विरोध करते हैं, तो उनका तात्पर्य काव्यभाषा से न हाकर “भाषा-सामान्य” (Language as such) से है, जिसका काव्य से विशेष संबंध नहीं। काव्य में तो मानसिक तत्त्वों की महत्ता को वे भी स्वीकार करते हैं।

अब तक हमने देखा कि शब्द तथा अर्थ के संबंध में विद्वानों में एकमत्य नहीं है। वस्तुतः यह हो भी नहीं सकता। शब्द तथा अर्थ का संबंध भौतिक या रासायनिक तत्त्वों के शब्दार्थ-संबंध में पारस्परिक संबंध की भाँति नहीं है, जिससे मनः-शास्त्र का महत्त्व ऐक्यमत्य हो सके। उदाहरण के लिए प्रत्येक रासायनिक के मत से जल में हाइड्रोजन के दो अणु तथा ऑक्सीजन का एक अणु विद्यमान है, इस अनुपात में जल की रासायनिक उत्पत्ति मानी गई है। इस आधार पर बनाया गया सूत्र H_2O सभी को मान्य है। किंतु, शब्द और अर्थ के विषय में ऐसा सूत्र नहीं बनाया जा सकता, जो सर्वसंमत हो सके। इस बात से स्पष्ट होता है कि शब्द तथा अर्थ के संबंध में कुछ अर्ध-व्यक्त-तत्त्वों का हाथ है, जिन्हें भौतिक या रासायनिक तत्त्वों की भाँति पूर्णतः विश्लिष्ट नहीं किया जा सकता। यही अर्ध-व्यक्तता हमें बाध्य होकर भौतिक क्षेत्र से आगे ले जाकर मानस तथा अवचेतन के क्षेत्र का संकेत करती है। तब हमें इन मनोवैज्ञानिक तत्त्वों की महत्ता माननी ही पड़ती है। मनः-शास्त्र की सत्यता तथा प्रामाणिकता के प्रति लोगों को इसलिए संदेह हो जाता है कि भौतिक या रासायनिक पद्धतियों की भाँति इसका प्रयोगात्मक परीक्षण स्पष्ट रूप में नहीं हो सकता। आज भी मनः-शास्त्र को कई विद्वान् विज्ञान न समझ कर "मेटाफिजिक्स" की भाँति काल्पनिकता से समवेत समझते हैं। किंतु यह मत ठीक नहीं। मनः-शास्त्र की महत्ता, सत्यता एवं प्रामाणिकता माने बिना हमारी कई पहेलियाँ नहीं सुलभ सकतीं, और उनमें से एक पहेली शब्द व अर्थ का संबंध भी है।

इस विषय में एक महत्त्वपूर्ण विषय पर और विचार कर लिया जाय, यह तो स्पष्ट है कि अर्थ-प्रतीति के साधन प्रतीक (शब्द) हैं, किंतु वे इसका प्रत्यायन अन्वित रूप में कराते हैं, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अर्थ-प्रतीति कराता है। इस विषय में पाश्चात्य मत शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अर्थ-प्रतीति कराता है। इस विषय में भारत व पश्चिम दोनों ही देशों में विशेष विचार हुआ है। भारत के प्राचीन मनीषी अधिकतर इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि अर्थ-

प्रत्यायक वाक्य ही है, शब्द नहीं पश्चिम के विद्वान् भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि हमें अर्थ-ज्ञान वाक्यरूप में ही होता है, शब्द-रूप में नहीं। हमारे यहाँ तो प्रभाकर भट्ट जैसे मीमांसकों ने इस मत का प्रतिपादन किया ही था। अन्विताभिधानवादियों^१ के इस मत का विशद विवेचन हमने प्रबंध के कलेवर में किया है। यहाँ हम इस सवध में पाश्चात्य मत जानना चाहेंगे। पश्चिम के भाषाशास्त्री, तार्किक तथा दार्शनिक सभी विद्वानों ने वाक्य को ही अर्थ का बोधक माना है। व्यस्त शब्द कोशकारों के काम का हो सकता है, किंतु वह अर्थ-बोधक नहीं। यदि मैं “घट” कहूँ, तो जब तक इसका प्रयोग “घट है” “घट ले आओ” “घट दे दो” आदि के रूप में न करूँगा, तब तक यह किसी भी भाव या अर्थ का बोधन कराने में समर्थ नहीं होगा। वस्तुतः कोरे ‘घट’ शब्द का स्वतः कोई अर्थ नहीं है, अतः इसका अभिधेयाथे वाक्य से ही प्रतीत होगा। शब्द की स्वयं की कोई सत्ता नहीं, वाक्य ही सब कुछ है, हम सदा वाक्य का ही प्रयोग भाव-विनिमय के लिये करते हैं,—इस सिद्धांत ने पश्चिम में कई नवीन वैज्ञानिक उद्भावनाओं को जन्म दिया है। भाषाशास्त्र को इसी सिद्धांत ने एक नवीन वैज्ञानिक प्रणाली दी है, जिसमें भाषा का अध्ययन अखंड वाक्यरूप में किया जाता है। भाषाविज्ञान के प्रमुख अंग ध्वनि-विज्ञान का अध्ययन अब इसी आधार पर होने लगा है। परंपरागत ध्वनिविज्ञान (Phonetics) से, जिसमें ध्वनियों का अध्ययन शब्दों के व्यस्त रूप में किया जाता रहा है, इस नवीन प्रणाली की भिन्नता घटाने के लिये “Phonology” नाम दिया है, जहाँ ध्वनियों का अध्ययन वाक्य के अखंड तथा संध्यात्मक (Prosodie) रूप में किया जाता है।^२ पाश्चात्य विद्वानों के इस मत के विवेचन में अधिक न

१ अन्विताभिधानवादियों तथा अभिहितान्वयवादियों के विषय में चतुर्थ परिच्छेद में “तात्पर्य वृत्ति” का प्रसंग देखिए।

२. जब हम किसी वाक्य का उच्चारण करते हैं, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से दो तत्त्व पाए जाते हैं। एक शुद्ध ध्वन्यात्मक, दूसरे ‘प्रोजोडिक’। प्रोजोडिक या सध्यात्मक तत्त्व वस्तुतः वे ध्वनियों में होनेवाले विकार हैं, जो अखंड वाक्य-प्रवाह में सधि, समास, व्याकरणरमक सगठन, स्वर आदि के कारण पाए जाते हैं। यद्यपि ‘प्रोजोडी’ शब्द का साधारण अर्थ “छन्दः-

जाकर आस्ट्रियन दार्शनिक वितगेनस्तीन के इस विषय में प्रकाशित

शास्त्र" लिया जाता है, तथापि यहाँ यह शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। एक ग्रीक विद्वान् हेरोदिपुस तेकिनकुस ने अपने ग्रन्थ 'केथोलिके प्रोसोदिआ' (Ketholike Prosodia) (जो अब अनुपलभ्य है) में 'प्रोसोदिआ' शब्द का प्रयोग स्वर के आरोहाचरोह आदि के लिए किया है। इसी के आधार पर इस नवीन पद्धति के सस्थापक नव्य आंग्ल भाषाशास्त्री प्रो० फर्थ ने, 'प्रोजोडा' तथा 'प्रोजोडिक' शब्दों का प्रयोग क्रमशः भाषा के शुद्ध ध्वन्यात्मक तत्त्वों से इतर तत्त्वों तथा उनके विकारों के अर्थ में किया है। मैंने इन शब्दों का अनुवाद "संध्यात्मकता" (Prosody) तथा "सध्यात्मक" (Prosodic) के द्वारा किया है। भाषा के इन अध्वन्यात्मक तत्त्वों को एक वाक्य से स्पष्ट करना ठीक होगा। वाक्य है, 'उन्नदति दिग्गजः'। यहाँ पर १५ ध्वनियाँ हैं (विसर्ग को अलग से ध्वनि न मान कर 'ध' ध्वनि का ही सध्यात्मक रूप माना है)। यहाँ दूसरी ध्वनि 'त्' तथा ग्यारहवीं ध्वनि 'क्' हैं। ध्वन्यात्मक तत्त्वों की दृष्टि से इन्हें, 'न्' या 'ग्' नहीं माना जायगा। 'त्' ध्वनि 'नदति' के 'न्' के सम्पर्क में आकर अनुनासिक हो गई है, तथा "क्" ध्वनि "गजः" के "ग्" के सम्पर्क में आकर सघोष हो गई है। इस प्रकार एक में अनुनासिकीकरण, दूसरी में 'सघोषीभाव' पाया जाता है, जो ध्वन्यात्मक तत्त्व न होते हुए भी वाक्य के अखण्ड प्रवाह में स्वतः ही पाए जायेंगे। यदि कोई उत् तथा नदति एव दिक् तथा गजः के बीच में बिना रुके पूरे वाक्य का उच्चारण एक श्वास में करेगा, तो 'न्' या 'ग्' रूप ही उच्चरित होंगे, चाहे वह इन्हें वचाने की कितनी ही कोशिश करे। इस तरह के कई तत्त्व, जो ध्वनियाँ नहीं हैं, 'प्रोजोडिक' तत्त्व कहलाते हैं। वाक्य, पद तथा अक्षर (Syllable) में होने के कारण इन सध्यात्मकताओं को तीन प्रकार का माना है। ऊपर के दोनों उदाहरण 'पदगत' के हैं। इनमें मुख्य सध्यात्मकताएँ ये हैं.—स्वर (Intonation), प्राणता (Aspiration), प्रतिवेष्टितता या मूर्धन्यीभाव (Retroflexion), सघोषीभाव (Voice), अनुनासिकता (Nasalization), तालव्यीभाव (Yotization), कोमलतालव्यीभाव या कव्यीकरण (Velarization) विशेष स्पष्टीकरण के लिये प्रो० फर्थ का लेख "Sounds and Prosodies" (Trans. Philo. Society 1948) देखिए।

मत को उद्धृत करना पर्याप्त होगा, जिससे इस विषय में पाश्चात्य मत-सरणि का पता चल जायगा ।

“उक्ति ही भाव से अन्वित है, केवल उक्ति के प्रकरण में ही अर्थ का अभिधान होता है । भाव वहन करने वाले उक्ति के प्रत्येक अंश को मैं अभिव्यक्ति (प्रतीक) कहूँगा । (उक्ति स्वयं ही अभिव्यक्ति है) ।”^१

इस विषय में यह कहना अनुचित न होगा कि साहित्यिक को भी वाक्य में ही अर्थ-प्रत्यायकता माननी चाहिए । अभिनवगुप्त, मम्मट आदि, कुमारिल भट्ट के अभिहितान्वयवाद तथा तात्पर्य वृत्ति के क्यों कायल थे, इसका कारण नहीं जान पड़ता । कुमारिल भट्ट का मत इस दृष्टि से वैज्ञानिक समीचीनता से उतना पूर्ण नहीं कहा जा सकता, जितना गुरु (प्रभाकर भट्ट) का अन्विताभिधानवाद । शाब्दबोध वाक्य से ही होता है केवल शब्द से नहीं, इस बात का उल्लेख प्रायः अन्य भारतीय विद्वानों ने भी किया है । शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने बताया है:—

“वाक्य-भाव में गृहीत सार्थक शब्द के ज्ञान से ही शाब्दबोध उत्पन्न होता है, केवल शब्द के जानने मात्र से नहीं ।”^२ कहना न

१. Nur der satz hat sinn, nur in Zusammenhange des satzes hat ein Name Bedeutung (3. 3). Jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn Charakterisiert, nemme ich einen Ausdruck (ein Symbol).

(Der Satz selbst ist ein Ausdruck). (3. 3I)

—Wittgenstein : Logische-Philosophische Abhandlung P. 50.

मैंने Satz शब्द का अनुवाद ‘वाक्य’ न करके ‘उक्ति’ किया है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक उक्ति में कई छोटे-छोटे वाक्य होते हैं । तभी वितगेन्स्तीन का उक्ति के प्रत्येक अंश Jeden Teil des Satzes को भी भाव वहन करने की दशा में अभिव्यक्ति कहना सगत हो सकेगा ।

२ वाक्यभावमवाप्तस्य सार्थकस्यावधोधतः ।

मम्पद्यते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधतः ॥

—शब्दशक्तिप्रकाशिका का० १२.

होगा कि यहाँ “शब्द-बोध” से प्रसिद्ध नैयायिक जगदीश का तात्पर्य अर्थ प्रतीति ही है। एक दूसरे प्रकरण में ठीक ऐसी ही बात भर्तृहरि ने कही है। वे भी पद तथा वाक्य के खंडित रूप को नहीं मानते।

‘जिस प्रकार वर्णों में अवयव नहीं, उसी प्रकार पद में भी वर्ण नहीं। वाक्य से पदों का भी कोई अधिक भेद नहीं है।’^१

किंतु विद्वानों का दूसरा दल भी है, जो भारतीय अभिहितान्वयवादी मीमांसकों की भाँति व्यस्त शब्द में अर्थ-प्रतीति मानता हैं। उनके मतानुसार प्रत्येक शब्द अपना अर्थ रखता है तथा कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। इस संबंध में रूसी विद्वान् मेदचानिनोव का मत रूसी भाषाशास्त्रियों का मत जान लेना आवश्यक है। मार्स (Mars) नामक प्रसिद्ध रूसी भाषाशास्त्री ने परंपरागत बुर्बा भाषाशास्त्रीय पद्धति का—जिसका प्रचार अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे देशों में हो रहा है—खंडन करते हुए हमें एक नई प्रणाली दी है। मार्स की यह भाषाशास्त्रीय प्रणाली कार्ल मार्क्स तथा एंगेल्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा द्वुद्वात्मक भौतिकवाद को आधार बनाकर चली है। मार्स के प्रमुख शिष्य रूसी भाषाशास्त्री मेश्चानिनोव ने बताया है कि “प्रत्येक शब्द अपना अर्थ रखता है तथा कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता।”^२

इसी संबंध में एक बात और भी जान लेना आवश्यक है कि वाणी तथा भाव, अथवा शब्द तथा अर्थ में अद्वैत संबंध है या द्वैत संबंध। यहाँ अद्वैत तथा द्वैत शब्दों का प्रयोग हम वेदांत शब्द और अर्थ में अद्वैत आदि दर्शन के पारिभाषिक रूप में न कर साधा-सवध या द्वैत सवध रण अर्थ में ही कर रहे हैं। भाषा के दर्शन तथा मनोविज्ञान के अंतर्गत वाणी तथा भाव की इस समस्या को प्रायः दो प्रकार से मीमांसित किया गया है। कुछ विद्वानों

१. पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा इव ।

वाक्यात् पदानामत्यन्त प्रविवेको न कश्चन ॥

—वाक्यपदीय १. ७७.

2. “Each word has its own meaning, and there is no word without meaning.”—Mescannov quote

के मतानुसार वाणी तथा भाव में अभिन्न संबंध है, दोनों एक ही हैं। दूसरे विद्वानों के मतानुसार वाणी भाव (विचार) नहीं, एक अभिव्यक्ति अर्थात् विचारों, भावों तथा इच्छाओं का बहिःप्रदर्शन है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री स्तीन्थाल वाणी तथा विचारों की अद्वैतता को मानते हैं। उनके मतानुसार, “वाणी स्वयं विचार है, शब्द स्वयं भाव है, वाक्य स्वयं ही निर्धारण है। केवल एक ही समय में इनमें भाषाशास्त्रीय तथा ध्वन्यात्मक एकता स्पष्ट प्रतीत होती है।”^१ अपने प्रसिद्ध काव्य ‘रघुवंश’ के मंगलाचरण में महाकवि कालिदास भी वाणी तथा अर्थ को परस्पर संश्लिष्ट एवं अद्वैत मानते जान पड़ते हैं। शिव-पार्वती की वंदना करते हुए वे कहते हैं—

“मैं वाणी के अर्थ की प्रतीति के लिए संसार के माता-पिता, पार्वती तथा शिव की बंदना करता हूँ, जो एक दूसरे से उतने ही संश्लिष्ट हैं, जितने वाणी और अर्थ।”^२ यहाँ शिव-पार्वती के अर्धनारीश्वर वाले अद्वैत रूप की स्तुति की गई है, तथा उसके लिए वाणी एवं अर्थ की अद्वैतता की उपमा दी गई है। इसी को महाकवि तुलसीदास ने भी यों व्यक्त किया है—

गिरा अरथ, जल-बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न ।

वन्दहुँ सीता-राम-पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥

(बालकांड, दो० १८)

by W. K. Mathews in his article “Soviet Contribution to Linguistic Thought”

(Archivum Linguisticum. Vol II -2. P. 98)

1 “Sprach ist Gedanke selbst, Wort ist Begriffe selbst, Satz ist urteil selbst, nur Zugleich sprachleich ausgedruckt lautlich wahrnehmbar, verleiht.”

—H Steinthal, “Ein leitung in die Psychologie.

(1881) P. 46.

२ वागर्थोविच सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगत पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ (रघुवंश ११)

इसके प्रतिकूल लीवमान जैसे विद्वान् वाणी तथा विचारों की अद्वैतता का निषेध करते हुए कहते हैं, "शब्द विचार (भाव) नहीं है, विचार (भाव) कल्पना के आधार पर निर्मित नहीं, विचारात्मक मनन न तो आभ्यन्तर वाणी ही है, न कल्पना ही । किंतु दोनों में से एक वस्तुतः मानसिक शक्तियों से दूर है ।" १

वाणी का अध्ययन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शब्द के कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं । साहित्य के अध्ययन में तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है । "विलियर्ड का शब्द का अनोखी अर्थवत्ता कोई खिलाड़ी गेंद को उछालकर 'क्यू' को अपनी नाक में सतुलित कर अपने क्रीड़ा-कौशल से दर्शकों को चकित करने की चेष्टा करता है । इसी

प्रकार चाहे हम जानें या न जाने, चाहे या न चाहें, वाणी का प्रयोग करते हुए हम सत्र ऐन्द्रजालिक हैं ।" २ वाणी सामान्य रूप में, तथा साहित्य में तो विशेष रूप में, एक साथ एक ही नहीं कई कार्य करती है, और यदि हम इस महत्त्वपूर्ण बात का ध्यान न रखेंगे तथा इन विभिन्न प्रक्रियाओं को न समझेंगे, तो साहित्य के क्षेत्र में भ्रांत मार्ग का आश्रय लेंगे । अतः साहित्यिक के लिए प्रधान रूप से इन विशिष्ट अर्थ-प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तथा, (यदि इस चौथी वृत्ति को भी माना जाय) तात्पर्य वृत्ति का विशद ज्ञान हमारे लिए आवश्यक हो ही जाता है ।

१. "Wörter sind keine Begriffe, Begriffe keine Phantasiebilder, begriffliches Denken ist weder innerliches Sprachen noch Phantasieren, Sondern eine von beiden spezifisch verschiedene Geistesfunktion "

—O. Liebmann. "Zur Analyse der Wirklichkeit" P. 487. (1880)

२. "Whether we know it or not, we are all jugglers when we converse, keeping the billiard-balls in the air while we balance the cue on our nose."—I. A. Richards : Practical Criticism, P. 180

पश्चिम के आधुनिक विद्वानों ने भी शब्दों को विशिष्ट अर्थ प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया है। डॉ० आइ० ए० रिचर्ड्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "प्राैक्टिकल क्रिटिसिज्म" (व्यावरिचर्ड्स के मत में अर्थ हारिक आलोचन) में शब्दों की विभिन्न प्रक्रियाओं का विश्लेषण व विवेचन किया है। उसने अर्थ-प्रक्रिया के चार प्रकार माने हैं। इन्हीं चार अवस्थाओं के आधार पर वह अर्थ को भी चार प्रकार का मानता है।^१ इन चार प्रकारों को तात्पर्य (वाच्यार्थ) Sense) भावना, (Feeling), काकु (tone), तथा इच्छा (Intention) कहा गया है। हम यहाँ इन चारों प्रकारों के विषय में रिचर्ड्स के विचार स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे।

हम वाणी का प्रयोग किसी बात को कहने के लिए करते हैं। इसी प्रकार जब हम कोई बात सुनते हैं तो यह आशा करते हैं कि कुछ बात कही जायगी। शब्दों का प्रयोग भी श्रोताओं के (१) तात्पर्य ध्यान को किसी परिस्थिति की ओर आकृष्ट (वाच्यार्थ) करने तथा उनके विचारों को किसी विषय के संबंध में उद्भावित करने के लिये किया जाता है। प्रत्येक उक्ति किसी न किसी तात्पर्य को लेकर चलती है। यही 'तात्पर्य' अर्थ का प्रथम तत्त्व है। इसके अन्तर्गत भारतीय आलंकारिकों के वाच्य, लक्ष्य तथा व्यग्य तीनों अर्थों का समावेश हो जाता है। यहाँ पर इन अर्थ-प्रकारों को समझने के लिए एक उदाहरण देकर प्रत्येक के साथ उसका स्पष्टीकरण करना ठीक होगा—

विरह-जरी लखि जीगननि कहाँ न केती वार।

अरी आउ भजि भीतरै वरसत आजु अंगार ॥

(विहारी)

१. "For our purpose here a division into four types of function, four kinds of meaning, will suffice"

इस दोहे में सखीगण के प्रति नायिका का जो तात्पर्य है वह स्पष्ट है। सहृदय के प्रति इसमें कवि का यह तात्पर्य है कि नायक के विरह में नायिका की चेतना नष्ट-सी हो चुकी है, तभी तो वह 'जुग-नुश्रों' को 'अंगारे' समझ लेती है।

जब हम किसी वस्तु या परिस्थिति की चर्चा करते हैं, तो हमारे मानस में उसके प्रति कोई न कोई भावना भो होती है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि सदा भावना उद्भूत होती ही

(२) भावना है। कुछ दशाओं में भावना की सर्वथा उद्भावना नहीं होती, किंतु सामान्य स्थिति में भावना अवश्य पाई जाती है। उपर्युद्ध उदाहरण में नायक के विदेश जाने पर, वर्षा काल में नायिका को खिन्न-मनस्क देखकर कवि के हृदय में उसके प्रति जो भावना उठी है, इस काव्य की अर्थ-प्रतीति में उसका भी एक विशेष स्थान है।

यह भी देखा जाता है कि वक्ता की श्रोता के प्रति विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। विशिष्ट श्रोता के प्रति, तथा विशिष्ट अवसर के लिए वक्ता विशिष्ट प्रकार की शब्दावली तथा

(३) काकु या स्वर शब्द संवयन का प्रयोग करता है। इस संबंध में श्रोत-भेद तथा प्रकरण-भेद से स्वर में भी भेद पाया जाता है। उक्त उदाहरण में कवि, दोहे का पाठ करते समय 'केती वार' 'आजु' एवं 'अंगार' इन पदों के स्वर में विशेष उदात्तता का प्रयोग करेगा। क्योंकि इनके उदात्त स्वर के कारण 'नायिका विसंझ-सी होने के कारण वार-वार चिन्ना रही है', 'और दिन तो अग्निवर्षा कभी नहीं देखी', 'ये सचमुच अंगारे ही हैं, क्योंकि मुझे जला रहे हैं' इन भावों की प्रतीति होती है।

तात्पर्य, भावना, तथा स्वर के अतिरिक्त चौथा तत्त्व इच्छा (प्रयोजन) है। किसी भी उक्ति में वक्ता का स्पष्ट या अस्पष्ट प्रयोजन अवश्य होता है। उक्ति का प्रयोग प्रायः प्रयोजन

(४) इच्छा अथवा के लिए ही होता है। यही प्रयोजन अर्थ-प्रतीति प्रयोजन में प्रमुख कार्य करता है। जब तक श्रोता को वक्ता के प्रयोजन का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब तक वह ठीक तौर पर अर्थ-प्रतीति नहीं कर पाता। उक्त उदाहरण में

“शब्दों के ग्रहण अथवा नैरुक्तिक प्रवृत्ति का अध्ययन कोश एवं व्याकरण के इतिहास को प्रकट करता है, (किंतु) हमें भावों के प्रकाशन के दृश्य-विंदु के विषय में कोई लेखा नहीं मिलता ।”^१

शब्द तथा अर्थ के स्वरूप एवं संबंध पर फ्रेंच विद्वान् दर्मैस्तेते ने अपने छोटे, किंतु महत्त्वपूर्ण ग्रंथ “शब्दों का जीवन” (ल वी द मो—

Le vie de mots) में अच्छा प्रकाश डाला

दर्मैस्तेते का शब्दार्थ है । दर्मैस्तेते ने शब्दों के अर्थ - परिवर्तन की विवेचन परिस्थितियों को दो प्रकार की माना है—तार्किक

तथा मनोवैज्ञानिक । प्रथम प्रकार की परिस्थितियों

का विवेचन द्वितीय परिच्छेद में “कौंदिशिअों लोजीके द शॉजेमॉ द सों” (Conditions Logiques des Changements de Sens) के अंतर्गत किया गया है । वह शब्दों को भावों का प्रतीक मानता है । भाव ही शब्द का लक्ष्य है । शब्द के बिना कोई भी व्यक्ति भाव की प्रतीति नहीं करा सकता । शब्द के अभाव में भाव केवल मन में ही स्थित रहता है, तथा वह वाणी का कोई कार्य नहीं करता ।^२ इसी परिच्छेद के अंतर्गत ‘लाक्षणिक प्रयोग’ का विवेचन करते हुए वह कहता है कि ‘मेटेफर’^३ में एक विषय का नाम दूसरे विषय के लिए

१. “L’etude de ces emprunts ou de ces procedes de derivation releve de l’histoire du lexique ou de la grammaire, nous n’avons a tenir compte qu’au point de vie de la representation des idees.”

—Dremesteter ‘Le vie de Mots’. P. 31. ch. I.

२. ‘Le mot est la serviteur de l’idee, sans idee point de mot, on n’a qu’un vain assemblage de sons Mais l’idee peut exister sans mot, seulement elle reste dans l’esprit, a l’etat subjectif, et ne fait point partie du langage’

—ibid. P. 37 ch. II

३. अंगरेजी में ‘लक्षणा’ या ‘लाक्षणिकता’ के लिए ‘मेटेफर’ (Metaphor) शब्द का प्रयोग होता है, जो ग्रीक शब्द ‘मेटाफोराइ’ (metaphorai) का ही रूप है ।

प्रयुक्त किया जाता है। इसका कारण यह है कि उन दोनों में कोई समानता पाई जाती है। 'मेटेफर' की प्रणाली में दो क्षण लगते हैं। प्रथम क्षण में 'मेटेफर' व्यक्त होता है, उसके द्वारा द्वितीय विषय को सुसज्जित करने के लिए प्रथम विषय की काल्पनिक मूर्ति सामने आ जाती है। दूसरे क्षण में प्रथम विषय की काल्पनिक मूर्ति के द्वारा द्वितीय विषय के नाम तथा गुण पूर्णतः व्यक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम भारतीय आलंकारिकों के प्रसिद्ध वाक्य "गौरागच्छति" (वैल आ रहा है) को ले सकते हैं। यहाँ किसी 'पंजावी' (वाहीक) को आता देखकर यह प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रथम क्षण में यह "गौः"—मेटेफर व्यक्त होकर प्रथम विषय (वैल) की काल्पनिक मूर्ति, तथा उसके गुणों को सामने ले आता है। इसी के द्वारा दूसरे क्षण में उस 'लाक्षणिक प्रयोग' से द्वितीय विषय (वाहीक) के नाम तथा गुण की प्रतीति हो जाती है।

तृतीय परिच्छेद में वह शब्दों के मनोवैज्ञानिक महत्त्व का विवेचन करता है। 'आक्शिऑन् सीकोलोजिके' (Actions Psychologiques) के अंतर्गत वह शब्दों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों, ऐतिहासिक परिवर्तनों (शॉजेमॉ इस्तोरीके—Changements historiques) तथा मनोवैज्ञानिक सुधारों (मोदिफिकाशिऑन् सीकोलोजिके—modifications psychologiques) का विचार करता है। यहाँ शब्दों के अर्थ-परिवर्तन के विभिन्न मनःशास्त्रीय तत्त्वों पर जो प्रकाश डाला गया है, वह शुद्ध साहित्यिक दृष्टि का नहीं कहा जा सकता। काव्य के अर्थ की भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक महत्ता का जो संकेत हमें भारतीय आलंकारियों के व्यंजना संबंधी विचारों में मिलता

१. Le processus de la comprend deux moments : l'un ou la metaphore est encore visible, et ou le nom, en designant le second objet, eveille encore l'image du premier, l'autre ou par oubli de la premier image, de nom ne designe plus que la second objet et lui devient adequat."

—ibid P. 63.

है, वह यहाँ भी नहीं मिलता। पश्चिम के विद्वान् काव्य के अर्थ की भावात्मक महत्ता तो स्वीकार करते हैं, किंतु उसका पूर्ण विवेचन वहाँ नहीं हुआ है। अधिकतर विद्वान् उसे 'मेटेफर' के अंतर्गत ही मानते हैं, परंतु वह 'मेटेफर' से कुछ अधिक है। भारत के ध्वनिवादी आलकारिकों ने इसको व्यंजना के अंतर्गत मानकर इसका स्वतंत्र रूप से विवेचन किया है।

आगामी परिच्छेदों में हम देखेंगे कि साहित्य की दृष्टि से ध्वनि-संप्रदाय के संस्थापकों ने 'व्यंजना' नाम की नई शक्ति की कल्पना की।

इस शक्ति का सकेत उन्हें कहाँ मिला इस पर

'व्यंजना' की कल्पना भी थोड़ा विचार कर लिया जाय। व्यंजना का सकेत साख्य शक्ति वस्तुतः किसी नये अर्थ की उत्पत्ति न कर वेदात् तथा शैव उसी अर्थ को व्यक्त करती है, जो पहले से दर्शन में अप्रकटित दशा में विद्यमान है। ठीक ऐसी ही सिद्धांतसरणि सांख्यों को सत्कार्यवाद सरणि

में मिलती है। सांख्यों के मतानुसार कार्य कोई नई वस्तु न होकर अपने उपादन कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए घट पहले से ही अपने उपादान कारण मृत्तिका में अव्यक्त रूप में विद्यमान है। निमित्त कारण की सहायता से वह अव्यक्त काय व्यक्त हो जाता है। अतः कार्य की अव्यक्त दशा ही कारण है।^१ ठीक ऐसी ही विचारधारा वेदातियों के मोक्ष सिद्धांत में पाई जाती है। मोक्ष उनके मतानुसार कोई नई वस्तु न होकर वह दशा है, जो आच्छादक आवरण (माया-अविद्या) के हट जाने पर व्यक्त हो जाती है।^२ व्यंजना के आधार पर काव्य की आत्मा 'ध्वनि' का नामकरण तथा विश्लेषण व्याकरण-शास्त्र के 'स्फोट' से भी प्रभावित हुआ है, यह हम प्रबंध में यथावसर देखेंगे। किंतु व्यंजना का विशेष संबंध शैव दर्शन के सिद्धांतों से है। अतः व्यंजना की प्रकृति समझने के लिए पहले हम उसकी ओर दृष्टिपात कर ले।

१. शक्तस्य शक्यकरणात् (११७), कारणभावाच्च । (११८)

—साख्यसूत्र १. ११७-११८.

२. नग्पथाविर्भाव. स्वेन शब्दात् ।

—वेदात्सूत्र ४. ४. १.

शैव दर्शन के मतानुसार शक्ति, अखण्ड अव्यक्त शिव का एक अभिन्न अंग है। शिव का वास्तविक स्वरूप 'आनंद' है। शैवों के मतानुसार इस संसार में हमें जो दुःख दिखाई देता है, वह वास्तविक नहीं है। अविद्या के पर्दे के कारण हम अपने स्वरूप को भूलते हुए हैं, अतः हमें दुःख प्रतीत होता है। शिव की शक्ति के दो स्वरूप हैं। उसका एक रूप 'अविद्या' है, जिसका कार्य मोह उत्पन्न करना है। शिव की शक्ति का दूसरा रूप 'विद्या' है, इस विद्या के द्वारा मोह का पर्दा हटा कर साधक को वास्तविक आनंद की प्रत्यभिज्ञा कराई जाती है। इसके बाद साधक को ज्ञात होता है कि उसकी स्वयं की आत्मा ही शिवरूप है। "आत्मा ही (तुम) शिव है, बुद्धि पार्वती है, प्राण सहचर हैं, तथा शरीर घर है। विषयों का उपभोग ही शिव की पूजा है, निद्रा ही समाधि दशा है, पद-संचरण ही प्रदक्षिणा है, तथा समस्त वाणी ही स्तोत्र हैं। मैं जो भी काम करता हूँ, वह सब शिव की ही आराधना है।"^१ - इस भाव की प्रतीति हो जाती है। अविद्या के अंग, ज्ञान इच्छा तथा क्रिया शक्ति से यह विद्या-शक्ति सर्वथा भिन्न मानी गई है और इसको आनंद शक्ति नाम दिया गया है। आत्मा के शिवस्वरूप का प्रत्यभिज्ञान करा कर यह शक्ति वास्तविक आनंद दशा (तुरीय अवस्था) को व्यक्त करती है, इसलिये इसे तुरीया शक्ति भी कहते हैं।

यदि कोई शैव दर्शन की इन चार शक्तियों का संबंध, साहित्य की चार शब्द-शक्तियों से लगाना चाहे, तो लगा सकता है। अभिधा शक्ति में प्रमुख तत्त्व ज्ञान है, क्योंकि अर्थ के साक्षात् संबंध का ज्ञान इसी के द्वारा होता है। लक्षणा में इच्छा^२ का प्रमुख हाथ है, जिस रूढिमती

१. आत्मा ख गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृहं
पूजा ते त्रिपयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।
सचारः पदयो. प्रदक्षिणत्रिधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिल शम्भो तवाराधनम् ॥

२. यह इच्छा मनोधर्मरूप इच्छा है। यह शिव की स्वतन्त्रा इच्छा से सर्वथा भिन्न है। भास्करी के रचयिता भास्कर कण्ठ ने वैयक्तिक मनोधर्मरूप इच्छा को जगत् की आधारभूत "इच्छा" से भिन्न ही माना है।

या प्रयोजनवती इच्छा के कारण वक्ता उसका प्रयोग करता है, उस (इच्छा) का इसमें प्रमुख हाथ रहता है। तात्पर्य वृत्ति में क्रिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यस्त पद का अर्थ ज्ञान होने पर इसी के द्वारा समस्त वाक्य में अन्वय घटित होकर, वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। रही व्यंजना, उसका संबंध आनन्द-शक्ति से लगाया जा सकता है। जिस प्रकार आनन्द-शक्ति के द्वारा "अनुत्तर" परम शिव तत्त्व का प्रत्यभिज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार व्यंजना शक्ति काव्य के आत्मस्वरूप, ध्वनि को (जो स्वयं शब्द ब्रह्म (स्फोट) है) अभिव्यक्त कर, साधक (सहृदय) को उस 'रसोऽहम्' (आनन्दोऽहम्) की स्थिति का प्रत्यभिज्ञान कराती है। अभिनवगुप्त का व्यंजना की स्तुति करना तथा उसकी महत्ता बताना इस बात की ओर संकेत करता है कि वे इसे आनन्द-शक्ति का साहित्य शास्त्रीय रूप मानते हैं :—

"तुरीया शक्ति अर्थवैचित्र्य को प्रगट कर उसे फैलाती है, तथा प्रत्यक्ष अर्थों का निर्देश करती है। मैं उस तुरीया शक्ति (व्यंजना-शक्ति, आनन्द-शक्ति) की वंदना करता हूँ।"^१

भारत के साहित्यशास्त्र तथा आलोचनशास्त्र में व्यंजना एवं इसकी मिति पर स्थापित ध्वनि का बड़ा महत्त्व है। इसने हमें काव्य की वास्तविक चारुता तथा मनोवैज्ञानिक तात्त्विक व्यंजना तथा ध्वनि की कला का परिचय दिया है। हम पहले भी बताना काव्यालोचन पद्धति का आये हैं, साहित्य के आलोचन की तार्किक आधार मनोविज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक दो प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं।

भारतीय अलंकारशास्त्र के अधिकतर ग्रंथ तार्किक शैली का ही आधार लेकर चले हैं। इनकी इस प्रवृत्ति को देखकर कभी कभी तो यह संदेह हो जाता है कि क्या ये न्याय के भी ग्रंथ तो नहीं। वाद के नव्य लेखकों में यह प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। उदाहरण के लिये विश्वेश्वर का 'अलंकारकौस्तुभ' नव्य न्याय की 'अवच्छेदक' एवं 'अवच्छिन्न' वाली शैली में लिखा गया है। किंतु भारतीय अलंकार-

१ स्फुटीकृतार्थवैचित्र्यवह्निःप्रसरदायिनीम् ।

तुर्यां शक्तिमहं वन्दे प्रत्यक्षार्थनिर्दिशिनीम् ॥

शास्त्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की कमी नहीं है। जहाँ तक भौतिक तथा भाषाशास्त्रीय तत्त्वों से आलोचना के संबंध का प्रश्न है, उसकी मीमांसा मनोवैज्ञानिक विवेचन के अन्तर्गत हुई है, क्योंकि इन दोनों का परस्पर ठीक वही संबंध है, जो शरीर तथा मन का। किंतु केवल इन्हीं का ज्ञान हमें काव्य-शक्ति का परिचय देने में समर्थ नहीं होगा। एक अंगरेज समालोचक ने कहा था—“निरुक्त, छन्दःशास्त्र, तथा वाक्यज्ञान आदरणीय विज्ञान हैं, तथा मानव-ज्ञान के विशाल क्षेत्र में उनका भी समुचित स्थान है। वे काव्य के शरीर-विज्ञान हैं। किंतु वे हमें काव्य-शक्ति के रहस्यों को समझने की सहायता वितरित नहीं करते, क्योंकि काव्य-शक्ति आकस्मिक तथा बाह्य साम्य से सर्वथा निराश्रित है।” कहना न होगा ध्वनि तथा व्यंजना की मनोवैज्ञानिक काव्या-लोचन-सरणि इन रहस्यों को खोलकर, उन्हें समझाती है।

यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं, कि भारत का काव्य-शास्त्र जितना प्रौढ़ तथा परिपक्व रहा है, उतना अन्य किसी देश का नहीं। प्राचीन भारत का आलोचनशास्त्र एक वैज्ञानिक रूप-पाश्चात्य काव्य-शास्त्र से भारतीय काव्य-शास्त्र की महत्ता धारण कर चुका था, क्योंकि उसमें निर्धारित नियम एक प्रकार से सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक हैं। इन नियमों के आधार पर न केवल हम भारत के प्राचीन साहित्य की ही आलोचना कर सकते हैं, अपितु किसी भी देश के, किसी भी काल के साहित्य की मीमांसा कर सकते हैं। साहित्य या काव्य ही नहीं, ये नियम अन्य

(१) “Etymology, versification, syntax are respectable sciences and have their proper place in the wide field of human knowledge. They are the anatomy and physiology of poetry. But they do not help us to understand the secrets of poetic power for the simple reason that poetic power is independent of accidental and external resemblances.”

—Spangern : Creative Criticism P. 11.

ललित-कलाओं की मीमांसा में भी व्यवहृत किये जा सकते हैं। ग्रीस में 'रेटोरिक्स' (ह्येतोरिके Rhetorike) केवल लक्ष्य तक पहुँचने का साधन मात्र माना जाता था। यह व्याख्याताओं तथा राजनीतिज्ञों के हाथ में एक महत्त्वपूर्ण यंत्र था। इस दृष्टि से कला के बाह्य या भौतिक अंग की ओर ही विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसे भारतीय आलंकारिक रीति या अंगसंस्था कहेंगे। मध्ययुग में यूरोप में आलोचन-कला ने निश्चित रूप-रंग का आश्रय तो लिया, पर यहाँ भी कला की आत्मा छिपी रही, वे केवल छाया के पीछे भ्रांत रहे। आधुनिक यूरोप में हम साहित्यिक मीमांसा के कई संप्रदायों के विषय में सुनते हैं, किंतु यह कहना पर्याप्त होगा, कि साहित्य-मीमांसा की दृष्टि से कोई निश्चित प्रौढ नीतिनिर्धारण नहीं पाया जाता, जो कला को एक सुदृढ़ स्थिति प्रदान कर सके। भारतीय साहित्यशास्त्र में इस प्रकार के दोष तथा न्यूनता का अभाव है। यूरोपीय आलोचकों की भाँति भारत का साहित्यालोचन वैयक्तिक नहीं रहा है। भरत से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक हमारा साहित्यशास्त्र एक ही मनोवैज्ञानिक रस-सिद्धांत को स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से आधार बना कर चलता रहा है।

इस प्रकार भारत की शुद्ध साहित्यमीमांसा स्वर्णिम इतिहास से युक्त है। यदि भारत का काव्य कल्पना की उच्चतम स्फूर्ति है, तो भारत का आलोचनशास्त्र भी तर्क तथा तथ्य दोनों के उपसहार उपर टिका है, केवल वैयक्तिक सनक नहीं। यदि काव्य हमें उच्चतम स्वर्ग तथा नन्दन-कानन का उपभोग कराता है, तो आलोचनशास्त्र उस स्वर्ग के उ्वलत अर्गा को व्यक्त करता है। आलोचन-शास्त्र मानव बुद्धि के प्रमुख उत्पादित उपकरणों में है, क्योंकि इसका मानसिक तथा नैतिक विज्ञान, एवं जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आलोचक का कर्तव्य जीवन को शुद्ध रूप में अभिव्यक्त करना है तथा भारतीय आलंकारिक ने इस कर्तव्य को महत्ता और सुंदरता के साथ निभाया है। इसी कारण भारत का साहित्यालोचन निर्वैयक्तिक रहा है। किसी कवि की रचना को अपूर्ण रूप में मीमांसित करना एव उसके संप्रदाय की ओर ध्यान देना भारतीय आलंकारिक जानता ही नहीं। साहित्यालोचन भी वस्तुतः दर्शन है, तथा भारत का दर्शन, आत्म-दर्शन रहा है। अलंकार-शास्त्र के

आधारभूत रस की मनोवैज्ञानिक भित्ति का आदर आत्मा की उन्नति के ही लिये किया गया है। आलोचक का कर्तव्य, इसीलिए रस का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर सहृदय को आत्मोन्नति में सहायता वितरित करना है। व्यंजनावादी तथा ध्वनिवादी आलोचक के इस कर्तव्य को आनन्दवर्धन ने एक स्थान पर यों बताया है:—

“काव्य के रसों का आस्वाद करने के लिये जिस नवीन दृष्टि की तथा वर्णित विषयों का विवेचन करने के लिये जिस बुद्धि (बौद्धिक दृष्टि) की आवश्यकता है, उन दोनों का आश्रय लेकर समस्त जगत् का वर्णन करते करते हम थक गये। किंतु हे समुद्र मे शयन करनेवाले विष्णु भगवान्, तुम्हारी भक्ति के समान सुख उसमें नहीं मिला।”



१ या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित् कवीना नवा
दृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेपा च वैपश्चिती ।
ते द्वे चाप्यवलम्ब्य विश्वमनिश निर्वर्णयन्तो वय
श्रान्ता, नैव च लब्ध मन्त्रिशयन त्वद्भक्तितुल्य सुखम् ॥

—ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत ।

प्रथम परिच्छेद

शब्द और अर्थ

“एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सम्यक् संप्रयुक्तः,
स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति” ॥—(पतंजलि)

‘ For one word a man is often deemed to be wise and for one word he is deemed to be foolish. We ought to be careful in what we say.’

—Confucius.

इदमन्धंतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् ।
यदि शब्दाह्वयं व्योतिरासंसारान्न दीप्यते ॥—(दंडी)

वाणी अथवा और अधिक स्थूल शब्द का प्रयोग किया जाय तो भाषा, उन प्रमुख भेदक तत्त्वों में से एक है, जो मानव को विश्व की इतर सृष्टि से अलग करती है। विश्व के नियंता मानव-जीवन में परमेश्वर अथवा प्रकृति के विकासशील संघर्ष ने, वाणी का महत्त्व मानव को वाणी या भाषा के रूप में एक अनोखी शक्ति प्रदान की है. जिसके कारण उसका समस्त विश्व की सृष्टि में उच्चतम स्थान है। वाणी के ही कारण वह एक सामाजिक संगठन बनाए हुए है। सामाजिक प्राणी होने के नाते एक मानव अपने विचारों एवं भावों को दूसरे मानव के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता है, साथ ही उसके भावों तथा विचारों का भी परिचय प्राप्त करता है। इस विषय में वाणी ही उसका माहाय्य संपादित करती है। समस्त मानव समाज में प्रेम या स्नेह की एकसूत्रता स्थापित करने में वाणी का प्रमुख हाथ है। यही कारण है कि मानव का क्षेत्र पशुओं की भाँति स्वनिष्ठ न होकर विस्तृत हो गया है। मानव जब योग-क्षेम की कामना करता है, तो वह कामना केवल स्वसंप्रुक्त न

रह कर परसंपृक्त हो जाती है। इस विषय में वाणी का विशेष महत्त्व है। मानव का मानव से ही नहीं, अपितु मानव का विश्व की इतर सृष्टि से संबंध स्थापित करने में वाणी एक प्रमुख हाथ बँटाती है। यही कारण है, कि वाणी आरंभ से ही दार्शनिकों तथा विचारकों के अध्ययन का विषय रही है। वाणी का उद्गम कैसे हुआ ? भावों या विचारों तथा उनके वाहक शब्दों में परस्पर क्या संबंध है ? आदि आदि—इन्हीं प्रश्नों को लेकर वैयाकरण, निरुक्तकार, मनःशास्त्री, साहित्यिक तथा भाषाशास्त्री, सभ्यता के उषःकाल से लेकर आज तक इनके हल में लगे हुए हैं। इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए डॉ० पोस्टगेट ने एक स्थान पर कहा है। ‘मानव-जाति के समस्त इतिहास में, शब्द तथा अर्थ के संबंध विषयक प्रश्नों के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहा है, जिसने अधिक गवेषणात्मक व्यस्तता तथा आकर्षण उत्पन्न किया हो। . . . अब, यह गवेषणा शब्द तथा अर्थ के संबंध की प्रकृति के विषय में है, जो शब्दार्थ-विज्ञान की वास्तविक तथा उच्चतम समस्या है, यहाँ शब्द और अर्थ का प्रयोग दोनों के विस्तृत अर्थ में किया गया है।’ इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० पोस्टगेट का यह अभिप्राय स्पष्ट था कि शब्द तथा अर्थ में वस्तुतः कोई दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक संबंध है। इस संबंध को लेकर चलने वाली सिद्धांतसरणि की अत्यधिक आवश्यकता है, और उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

“Throughout the whole history of human race, there have been no questions which have caused more heart-searchings, tumults, and devastations than questions of the correspondence of words to facts × × × Now, it is the investigation of the nature of correspondence between words and facts, to use these terms in the widest sense, which is the proper and highest problem of the science of meaning”—Dr. Postgate quoted by Ogden and Richards in “The Meaning of Meaning.” P 17.

(8th Ed. 1949).

शब्द तथा अर्थ के संबंध के विषय में आरंभ से अब तक विद्वानों की क्या क्या धारणाएँ रही हैं, इस विषय में न जाकर सर्व प्रथम हमें शब्द क्या है, यह समझ लेना होगा। यद्यपि भाषा और शब्द शब्द भाषा का अंग है, तथापि उसे उसका अविच्छेद्य अंग ही मानना ठीक होगा। इसीलिये शब्द तथा भाषा में अभेदप्रतिपत्ति की भावना उत्पन्न हो जाना सहज है। भाषाशास्त्री के मत से भाषा, (अथवा शब्द भी), ध्वनि-यंत्रों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि-समूह है, जो किसी भाव या विचार की बोधक है। अतः सर्वप्रथम तो यह समझ लेना होगा कि “शब्द” से हमारा तात्पर्य उस ध्वनिसमूह से है, जिसमें भावबोधन अथवा अर्थ-वहन करने की क्षमता है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बताया है कि ‘दश दाडिमाः, षड्रूपाः, कुडमजाजिनम्, पल्लपिंडः’ आदि कोई निश्चित अर्थ का वहन नहीं करते, अतः उन शब्दों का भाषा की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं। भाषा का आरंभ कैसे हुआ ? भाषा पौरुषेय है या अपौरुषेय ? इस विषय में भाषा शास्त्रियों के अनेक मत प्रचलित हैं। अपौरुषेयवादी प्राचीनों का खंडन करनेवाले एवं डार्विन के विकासवाद में विश्वास रखने वाले विद्वानों के मतानुसार भाषा का भी क्रमशः विकास हुआ है। भाषा का विकास सर्वप्रथम ‘होमो सेपियन’ (Homeo Sapien) में हुआ है, जिसका कारण उसके विकासशील ध्वनियंत्रों तथा उसकी सामाजिक चेतना की परिपक्वता है। इसके पूर्व होनेवाले ‘रोडेसियन मैन’ (Rhodesian Man) अथवा ‘नेंडरथालेर मैन’ (Neanderthaler Man) में भाषा का सर्वथा अभाव था। किंतु, ‘होमो सेपियन’ में भी भाषा का विकास बड़े वाद की चीज मानी जाती है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में “अनुकरणवाद”, ‘मनोरागाभिब्यंजकतावाद’, ‘प्रतीकवाद’ आदि कई मत प्रचलित हैं, जो हमारे विषय से संबद्ध नहीं। हमें तो यहाँ शब्द तथा अर्थ के पारस्परिक संबंध के विषय में प्राचीन काल में क्या मत प्रचलित रहे हैं, इसका अनुशीलन करना है।

डॉ० पोस्टगेट कहते हैं कि प्राचीन काल में, शब्द (नाम) किसी पदार्थ का लक्षक या वाचक रहा है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शब्द के विद्यमान रहने पर हम वस्तु की स्थिति के विषय में विवाद कर सकते हैं । यह धारणा शब्द तथा अर्थ के संबन्ध के विषय में बर्बर जातियों की साधारण कल्पना है ।^१ आदिम विचार प्राचीन काल में लोगों की यह धारणा थी कि प्रत्येक शब्द या नाम उस पदार्थ की समस्त उपाधियों से युक्त रहता है । नाम व उसके द्वारा अभिप्रेत या वाच्य पदार्थ में ठीक उतना ही संबन्ध है जितना उसकी छाया, प्रतिकृति या मूर्ति में । यह धारणा प्रायः सारी प्राचीन सभ्यताओं में पाई जाती है । यूनान, रोम, तथा भारत के प्राचीन दार्शनिकों की शब्द तथा अर्थ संबंधी धारणाओं का अनुशीलन करते समय ज्ञात होगा कि वहाँ कुछ इसी प्रकार के विचार साधारण लोगों में अवश्य प्रचलित रहे होंगे, जिनका उल्लेख कई गभीर दार्शनिक भी करते देखे जाते हैं - भले ही इन विचारों का उल्लेख वे लोग खंडन के ही लिये करते हों । ऐसे ही प्राचीनों का खंडन करते हुए एक स्थान पर स्टाइक दार्शनिक क्रिसिपस ने कहा था “आप लोग शब्द तथा उससे अभिप्रेत वस्तु में इतना घनिष्ठ संबंध मानते हैं, कि आप के मत से शब्द स्वयं ही वह पदार्थ है । यदि ऐसा ही है, तो जब कभी आप किसी वस्तु के शब्द का उच्चारण करते हो, तो आपके मुख से वह वस्तु भी निकलती है । उदाहरण के लिए यदि आप कहें “गाड़ी”, तो गाड़ी (पदार्थ) आपके मुँह से निकल जाती है ।”^२ प्रसिद्ध दार्शनिक गोतम भी शब्द तथा अर्थ का स्वाभा-

१ “The primitive conception is undoubtedly that the name is indicative, or descriptive of the thing. From which it would follow at once that from the presence of the name, you could argue to the existence of the thing This is the simple conception of the savage” Dr. Postgate quoted, *The Meaning of Meaning* ” P. 2.

२ “If you say anything, it passes through your mouth : you say cart, therefore a cart passes through your mouth ”—Chrysippus.

विक संबंध नहीं मानते। उन्होंने इस संबंध का खंडन करते हुए बताया है कि "शब्द या अर्थ में कोई संबंध नहीं, क्योंकि पूरण, दाह, तथा पाटन की उपपत्ति नहीं होती।"^१ अर्थात् जो लोग शब्द में अर्थ की स्थिति मानते हैं, उनका मत भ्रान्त है, क्योंकि उनमें कोई संबंध नहीं। यदि इस संबंध को माना जाता है, तो उस उस वस्तु की स्थिति मुख में उस उस शब्द के उच्चरित करते समय होनी ही चाहिए। फिर तो कोई "लड्डू" कहे और भट से उसका मुँह लड्डू से भर जायगा। इसी तरह "आग" कहते ही मुँह में "आग" भर जाय और कहनेवाला मारे जलन के चिल्लाने लगे, उसका मुख जल उठे। इसी प्रकार "फर्श" जैसी विछाने की वस्तु का नाम ले और उसके मुँह में एकदम 'फर्श' विछ जाय या 'तलवार' कहने पर जीभ कट जाय। ऐसा होता हो, तो शब्द व अर्थ में स्वाभाविक तथा अभेद संबंध मान भी जा सकता है।

यह धारणा यूनान व भारत में ही नहीं रोम, चीन तथा मिस्र में भी प्रचलित थी। इसी से संबद्ध वह अंधविश्वास था जिसके द्वारा वैयक्तिक नामों को गुप्त रखा जाता था। भारत वैयक्तिक नामों के गुप्त में भी प्राचीन काल में अपना, गुरु का, पत्नी रखने की भावना का का, ज्येष्ठ पुत्र का नाम किसी के आगे नहीं आधार यही धारणा है लिया जाता था, तथा उसे गुह्य रखा जाता था।^२ इस विषय में शास्त्रों में भी उल्लेख पाया जाता है। पुत्र-जन्म के छठे दिन पिता उसका गुप्त नाम रखता था, जो षडे दिनों तक स्वयं पुत्र से भी छिपा कर रखा जाता था। अन्य देशों में भी ऐसी प्रथा प्रचलित थी तथा प्रमुख व्यक्तियों के नाम इसलिये गुप्त रखे जाते थे कि कोई उन व्यक्तियों को हानि न पहुँचा

१ पूरण दाह-पाटनानुपपत्तेश्च सम्बन्धाभावः ।

—न्यायसूत्र २ २. ५२

(साय ही) अन्नाग्न्यसिशब्दोच्चारणे पूरणप्रदाहपाटनानि गृह्येन्, न च प्रगृह्यन्ते । अग्रहृत्तानुमेय प्रासिलक्षणः संबन्धः अर्थान्तिके शब्द इति ।

(वात्स्यायनभाष्य — ३० ५६) .

२ आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च ।

श्रेयस्कामो न गृह्णीयाज्ज्येष्ठापत्यक्लत्रयोः ॥

दे।^१ यह धारणा न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, एबीसीनिया आदि देशों के आदिम निवासियों तक में पाई जाती है। इसके साथ ही यह भी प्रथा प्रचलित है कि रात के समय कई अपशकुन-सूचक पशु-पक्षियों का नाम नहीं लिया जाता। राजस्थान में रात के समय “विल्ली”, “सर्प”, “उल्लू”, “झाड़ू” आदि वस्तुओं का नाम नहीं लिया जाता। इसी धारणा से सबद्ध वह धारणा है, जिसके अनुसार इस विश्व के उत्पादक ईश्वर के पवित्र नाम को भी गुह्य बताया गया है—“जिसके द्वारा समस्त संसार उत्पन्न किया गया है, तथा किया जायगा, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, उसका नाम अत्यधिक गुह्य है।”^२ इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में सोमस्तुति में बताया गया है कि सोम देवताओं के गुप्त नामों को प्रकट करता है।^३ शतपथ ब्राह्मण में इंद्र का गुप्त नाम अर्जुन कहा गया है—“अर्जुन इंद्र का नाम है, यह इसका गुह्य नाम है।”^४ देवताओं के नाम ही नहीं, धार्मिक क्रियाकलापों से संबद्ध शब्द भी गुप्त रखे जाते थे। उनको अपरिवर्तित रूप में ग्रहण करने की धारणा चली आती थी। यह स्पष्ट घोषित किया जाता था कि उन्हे शुद्ध रूप में ग्रहण करने पर ही योग-क्षेम हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने भी एक स्थान पर महाभाष्य में लिखा है—‘(शुद्ध) शब्द से पदार्थ का अभिधान हो सकता है, अशब्द (अशुद्ध शब्द) से नहीं,—ऐसा करने पर ही शब्द अभ्युदयकारी हो सकता है।’^५ वेदों में अथर्ववेद की भाषा अन्य संहिताओं से उन स्थलों में सर्वथा भिन्न है, जहाँ जाड़ू टोने आदि का प्रयोग पाया जाता है। इन मंत्रों के अपरिवर्तित रूप का ग्रहण स्पष्ट करता है कि शब्दों में वस्तु की प्रतिकृति मानी जाती थी।

१ देखो “Meaning of Meaning” P. 27

२ महत् तन्नाम गुह्य पुष्पुक्त्वेन भूत जनायो येन भाव्यम् ।”

(ऋ० १० ५५. २)

३ देवो देवाना गुह्यानि नामा विष्कृगोति । (ऋ० ९ ९५ २.)

४ “अर्जुनो ह वै नामेन्द्रा यदस्य गुह्यनाम ॥” (शत० ब्रा० २, १, २, ११)

५ शब्देनैवाऽर्थोऽभिधेयो नापशब्देनेत्येव क्रियमाणमभ्युदयकारी भवतीति”
—(महाभाष्य १, १, १,)

इसी धारणा के आधार पर तंत्रशास्त्र तथा मंत्रशास्त्र में वर, शाप, मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि साधन चल पड़े। तंत्रादिक का प्रचार प्रायः समस्त देशों में पाया जाता है। इसी धारणा के कारण भारत में प्राचीन काल से यह धारणा चली “सफेद जादू (white आती है कि किसी का उच्चाटन या मारण करने magic) तथा” काले के लिये या तो उस व्यक्ति का नाम लिखकर उस जादू (black magic) पर कुछ तांत्रिक क्रिया की जाय या उसकी की उत्पत्ति मोम की प्रतिकृति बना कर उसे होम दिया जाय।^१ आसुरी-कल्प में एक स्थान पर ऐसा ही वर्णन मिलता है—“तांत्रिक उस आकृति को शस्त्र से काट कर, उससे मिले हुए घी को, आक के इंधन की अग्नि में, होम दे।”^२ भारत में आज भी तांत्रिकों तथा मंत्र-शास्त्रियों में किसी व्यक्ति के नाम से उस व्यक्ति की मूर्ति का अविच्छिन्न संबंध मानने की धारणा प्रचलित है। इसी से संबद्ध एक धारणा वह भी है, जिसके अनुसार व्यक्ति के नामकरण में उसके भविष्य की तथा गुणों की आशा की जाती है। नवजात शिशु का नाम अच्छा इस लिये रखा जाता है कि उसमें उस नाम के अनुकूल गुणों का प्रादुर्भाव हो, उसका भविष्य उज्ज्वल हो।

मंत्र-तंत्र से इस प्रकार शब्द का घनिष्ठ संबंध होने के कारण कई प्राणिशास्त्री तथा पुरातत्त्वविद् शब्दों का उद्गम “जादू” (Magic) में ढूँढते हैं। “जादू” की भावना से ही “तावू” “तावू” तथा शब्द (Taboo) की भावना संबद्ध रही है। यह भावना आज भी रूढ़ इंडियन तथा पोलिनेशिया के आदिम निवासियों में पाई जाती है। इसके कुछ अवशेष भारत में

१ उच्चाटन, मारण आदि के मंत्रों में विशेष महत्त्व शब्दों का ही होता है, इन मंत्रों का एक दटाहरण यह दिया जा सकता है—“अमुकं हन हन दह दह पच पच मन्य मन्य तावद् दह तावत् पच यावन्मे वशमानय, स्वाहा” (आसुरीकल्प)

२ आसुरीश्लक्ष्णपिष्टाज्यं जुहुयादाकृति बुधः ।

अकैधसाग्नि प्रज्वाल्य छिस्वास्त्रेणाकृतिं तु ताम् ॥ (आसुरीकल्प)

भी पाये जाते हैं। प्रसिद्ध आंग्ल वैज्ञानिक जे० बी० एस० हेल्डेन ने अपने लेख "द ऑरिजिन आव् लैंग्वेज" में "तावू" को ही भाषा का आदि रूप माना है। जादू के प्रयोग में आने वाली ध्वनियाँ ही आगे जाकर भाषा तथा शब्दों के रूप में विकसित हुई हैं। फ्रॉयड जैसे मनोवैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं। एक स्थान पर फ्रॉयड कहता है:—

"आरम्भ में शब्द तथा जादू एक ही वस्तु थे, और आज भी शब्द अपनी जादूगरी शक्ति को कायम रखे हुए हैं। शब्द के द्वारा हम किसी को अत्यधिक सुख पहुँचा सकते हैं, तथा शब्द के ही द्वारा महान् विश्कोभ उत्पन्न कर सकते हैं। शब्द के द्वारा ही गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। शब्द के द्वारा ही व्याख्याता श्रोतृगण को वशीभूत कर उनके निर्णय को निश्चित करता है। शब्द भावनाओं को जागृत करते हैं तथा इनके द्वारा हम अपने साथियों को प्रभावित कर पाते हैं।"

इस सारे विवेचन का यह तात्पर्य है कि शब्द तथा अर्थ की शक्ति के संबंध में एक मत ऐसा भी पाया जाता था, जो दोनों में अभेदप्रतिपत्ति मानता था। यद्यपि इस संबंध में शब्द के विषय में विशेष न कह कर हमने व्यक्तियों तथा वस्तुओं के नामकरण पर प्रकाश डाला है, तथापि इससे स्पष्ट है कि शब्द तथा अर्थ की शक्ति के संबंध में किस प्रकार की अतिशय धारणा पाई जाती रही है।

१ "Word and magic were in the begining one and the same thing, and even today words retain much of their magical power. By words one of us can give to another the greatest happiness or bring out utter despair, by words the teacher imparts his knowledge to the student, by words the orator sweeps in the audience with him and determines its judgments and decisions. Words call forth emotions and are universally the means by which we influence our fellow-creatures."

—Freud "Introductory lectures on Psycho-Analysis lectere I P. 13.

शब्द तथा अर्थ की शक्ति और उनके पारस्परिक संबंध को लेने से पहले शब्द की उत्पत्ति तथा महत्ता पर कुछ भारतीय शास्त्रियों का अनुशीलन कर लें। भारतीय शास्त्रियों का अनु-
 शब्द की उत्पत्ति के शब्द की उत्पत्ति सृष्टि के भी पूर्व हुआनुसार
 विषय में अति-प्राचीन प्रकार की धारणा का क्या कारण रहा है।
 भारतीय मत यह प्रश्न उठाना संभव है। कदाचित् वेदों को
 अपौरुषेय तथा अपरिवर्तनीय मानने के साथ ही
 यह धारणा चल पड़ी हो। भारतीय शास्त्रों में यही अपौरुषेय मत प्रति-
 पादित हुआ है। शास्त्रों के द्वारा सम्मत मत पर जोर देते हुए मनु ने एक
 स्थान पर यहाँ तक लिखा है कि—“जो ब्राह्मण तर्कशास्त्र का आश्रय
 लेकर इन श्रुति-स्मृति की निन्दा करे, वह जाति से बाहर कर दिया
 जाना चाहिए। वह नास्तिक है, वेदनिन्दक है।”^१ समस्त वैदिक
 साहित्य में शब्द या वाणी के विषय में अपौरुषेय मत पाया जाता है।
 शतपथ में कहा गया है—वाणी ही ब्रह्म है।^२ बृहदारण्यक उपनिषद्
 के अनुसार समस्त भूत प्राणि-मात्र वाणी से जाने जाते हैं, वाणी ही
 परम ब्रह्म है।^३ एक स्थान पर तो यहाँ तक कहा गया है कि “जो
 वाणी को ब्रह्म समझकर, उपासना करता है, वह वाणी के द्वारा जितने
 अर्थ द्योतित किये जाते हैं, उन सभी पर स्वेच्छापूर्वक अधिकार प्राप्त
 कर लेता है।”^४ ऋग्वेद के एक सूक्त में वाक् स्वयं अपना वर्णन
 करती है:—

“आर्यों के शत्रु शरु को मारने के लिये मैं ही रुद्र के धनुष को
 तैयार करती हूँ। मैं ही ‘जन’ की रक्षा के लिए युद्ध करती हूँ। मैं
 आकाश तथा पृथ्वी में प्रविष्ट हूँ। मैं संसार के ‘पिता’ को उत्पन्न

१. योवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राध्याद् द्विज ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दक ॥ (मनुस्मृति २, ११)

२. वाग् वै ब्रह्म ।—शत० ब्रा० २, १, ४, १० ।

३. “सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राड्ज्ञायन्ते, वाग् वै सत्राद् परम
 ब्रह्म ।” (वृ० उ० ४। १, २)

४. स यो वाचं ब्रह्मेति उपास्ते यावद् वाचोगतं तत्रास्य यथा कामचरो
 भवति ।’ —(छान्दोग्य उ० ७, २, २)

करती हूँ। मेरी योनि सारे भुवनों में व्याप्त हूँ, तथा इस आकाश को अन्दर है। बहती हूँ। मैं समस्त भुवनों का आरम्भ करती हुई हवा अपने त्वरित वेग से बहती हूँ। मैं इस पृथिवी से तथा इस आकाश से भी रहती हूँ। मेरी महिमा ऐसी है।^१

श्रुति स्मृतियों में स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्म ने वाणी का उच्चारण करके ससार की सृष्टि की। उसने 'भूः' इस शब्द का उच्चारण किया तथा पृथ्वी की सृष्टि की।^२ ठीक यही बात बाइबिल में भी बताई गई है कि ईश्वर ने शब्द का उच्चारण करके ही तत्तत् पदार्थ की सृष्टि की। 'ईश्वर ने कहा "प्रकाश", और प्रकाश हो गया।'^३ ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य ने स्पष्ट बताया है कि वाणी की उत्पत्ति सृष्टि के पूर्व थी। "यह कैसे जाना कि जगत् की उत्पत्ति शब्द से हुई है, तथा वह सृष्टि के पूर्व विद्यमान था?" पूर्वपक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं, इसकी प्रामिति हमें प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण के द्वारा होती है। प्रत्यक्ष से तात्पर्य वेद से है, क्योंकि वेद को अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अनुमान से तात्पर्य स्मृति से है, क्योंकि वह वेद पर निर्भर है। ये दोनों बताते हैं कि सृष्टि के पहले शब्द विद्यमान था।^४

१. अह रुद्राय धनु रातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ।
 अह जनाय समदं कृणोमि अहं द्यावापृथिवी आविवेश ॥
 अह सुवे पितरमस्य मूर्धन् ममयोनि रप्स्वन्तः समुद्रे ।
 ततो वि तिष्ठे भुवना नु विश्वोतामू द्या वर्ध्मणोपा स्पृशामि ॥
 अहमेव वात इव प्र वामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा ।
 परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिमा सबभूव ॥

— (ऋग्वेद १०, १२५, ६-८)

२. स भूरिति व्याहरत्, स भूमिमसृजत् (सौ० आ० २, २, ४, २)
 ३. "God said light, and there was light"—Bible.
 ४. कथ पुनरवगम्यते शब्दात् प्रभवति जगदिति, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।
 प्रत्यक्षं हि श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृति
 प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात् । ते हि शब्दपूर्वा सृष्टि दर्शयतः ॥

— (शारीरिकभाष्य सू० १, ३, २८, पृ० २८९)

इसी से संबद्ध स्फोट ब्रह्म की कल्पना है। शंकराचार्य ने अपने वेदान्त भाष्य में सृष्टि के उत्पादक शब्द के स्वरूप के विषय में पूर्वपक्ष रूप में जिज्ञासा उठाकर यही उत्तर दिया है कि वह “स्फोट” है।^१ शब्द तथा वाणी को महत्ता देते हुए ऐतरेय आरण्यक में यह भी कहा है कि शब्द परब्रह्म का वह साधन है, जिसके द्वारा उसने सारे संसार को सी रखा है—“उस (ब्रह्म) की वाणी सुई है, तथा शब्द (नाम) डोरे हैं। वाणी तथा शब्द के द्वारा उसने सारे संसार को सी रखा है।”^२

हम वाणी की आध्यात्मिक महत्ता प्रतिपादित कर चुके हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त आचार की दृष्टि से भी उसका कम महत्त्व नहीं। छान्दोग्य उपनिषद् में एक स्थान पर वाणी की नैतिक महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि, यदि वाणी न होती तो धर्म या अधर्म, सत्य या असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता था।^३ ठीक इसी बात को एक आधुनिक विद्वान् ने भी कहा है—“जो व्यक्ति वाणी के सामान्य उपकरणों को समझ कर उनका प्रयोग कर सकता है, वह क्रिया, साधन तथा साध्य संबंधी नियमों का अनुमान लगा सकता है, और इसीलिए महान् नियम का भी अनुमान लगा सकता है। वह ज्ञानशील होने के कारण आचारमय व्यक्ति है।”^४

१. तस्य वाक् तन्तिर्नामानि दामानि, तस्येद वाचा तन्या नामभिर्दांभिः सर्वं सितम्” —(ऐ० भा० २, १, ६)

२. किमात्मक पुन. शब्दमभिप्रेत्य इदं शब्दप्रभवत्वमुच्यते, स्फोट मित्याह” —शारीरिक-भाष्य, पृ० २११

यही बात भर्तृहरि ने भी कही है—

(ख) शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः ।

छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्तत ॥ (१, २०)

३. यद्वै वाद् नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतम् ।

(छा० उ० ७, २, १,)

४ A being who can understand and apply the general terms of which language consists, can appre-

वाणी का बौद्धिक दृष्टि से भी कम महत्त्व नहीं है। इस दृष्टि से समस्त विचार एवं ज्ञान वाणी के अधीन हैं। महाभारत में एक स्थान पर कहा गया है कि शब्दों की उत्पत्ति पहले वाणी की बौद्धिक महत्ता हुई है मन उनके पीछे दौड़ता है। इसका स्पष्ट आशय यही है कि मन से उत्पन्न होने वाले विचार, भाव तथा ज्ञान सब शब्द पर ही निर्भर हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में बताया है कि शब्दों के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता। उनसे सबद्ध रूप में ही समस्त ज्ञान प्रतिभासित होता है।^१ यूनानी स्टाइक दार्शनिकों का मत था कि “जिस तरह आँख के द्वारा समस्त वस्तुएँ देखी जाती हैं, उसी प्रकार समस्त पदार्थों का पर्यवेक्षण शब्द के द्वारा ही होता है।”^२ वाणी तथा शब्द का ज्ञान के क्षेत्र में इतना महत्त्व है कि उसके बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वाणी ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान् जे० एस० मिल ने वाणी के इसी महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है—“जब हम किसी तर्कप्रणाली का आश्रय लेते हैं, तो तर्कशास्त्र में किसी सामान्य सिद्धांत (प्रोपोजीशन) को मान कर चलते हैं। किन्हीं सामान्य सिद्धांतों की सहायता के बिना तर्क होना असंभव है। इसी प्रकार तर्क के क्षेत्र में वाणी का ठीक इतना ही महत्त्व है जितना सामान्य नियमों का

hend rules of Action, Means and Ends, and hence the Supreme Rule. He is a rational, and consequently a moral being.

—Whewell. “Elements of Morality” B. II.
Ch. XXIV Para 430.

१ न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य. शब्दानुगमाद्वे ।
अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भासते ॥

—(वाक्यपदीय १, १२४)

२ All things are seen through the vision of words

वाणी अथवा उसकी सम-कक्ष किसी अन्य वस्तु के बिना, अनुभव से तर्क करना असंभव है।”^१

काव्य में वाणी का महत्त्व काव्यशास्त्र के विद्वानों से छिपा नहीं। स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगीतकला में वाणी की आवश्यकता नहीं होती। संगीत कला में ध्वनिविशेष का उपादान होता है, पर वहाँ सार्थक शब्दों का अभाव भी हो सकता है। गले के आरोहावरोह से ही वहाँ कलात्मकता लाई जा सकती है। किंतु काव्य में एक मात्र साधन वाणी तथा शब्द है, जो कलाकार या कवि की कला का परिचय दे सकते हैं। अतः शब्द की उत्पत्ति, उसकी महत्ता, शब्द तथा अर्थ का संबंध—ये सब विषय काव्य-शास्त्र के विद्यार्थी के लिए उतने ही आकर्षक, गवेषणा-पूर्ण तथा महत्त्वशाली हैं, जितने एक वैयाकरण, दार्शनिक या भाषाशास्त्री के लिए।

शब्द तथा अर्थ के संबंध पर विचार करते हुए हमें उसके मनः-शास्त्रीय पहलू पर सर्व प्रथम दृष्टिपात करना होगा। इस दृष्टि से शब्द (वाणी)^२ तथा मन का परस्पर क्या संबंध है वाणी तथा मन का यह समझना आवश्यक हो जाता है। वाणी संबंध वस्तुतः मन की भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं को अभिव्यक्त करती है। इस अभिव्यक्ति का वास्तविक आधार मन की वह स्थिति है, जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का

१ “Without language, or something equivalent to it, there could only be as much of reason from experience, as can take place without the aid of general propositions.”

—J. S. Mill. “A System of Logic”

B. IV. ch. III. Para 3.

२ इस परिच्छेद में यहाँ और अन्य कई स्थलों पर भी वाणी तथा मन का प्रयोग हमने व्यावहारिक अर्थ के अतिरिक्त ‘शब्द’ व ‘अर्थ’ के लिये भी किया है। वाणी का प्रयोग शब्द के लिये तो घटित हो ही जाता है तथा यास्क भी

विश्लेषण करना चाहते हैं। हम देख चुके हैं कि भारतीय दार्शनिकों में से कुछ ऐसे भी हैं, जो वाणी की उत्पत्ति मन से पूर्व मानते हैं। किंतु कई स्थानों पर मन का वाणी की अपेक्षा विशेष महत्त्व माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर बताया गया है कि एक बार मन तथा वाणी में विवाद हुआ कि उन दोनों में बड़ा कौन है। दोनों कहते थे, 'मैं बड़ा हूँ।' मन ने कहा, "सचमुच मैं तुम से बड़ा हूँ, क्योंकि तुम कोई भी ऐसी बात नहीं कहती, जो मुझे मालूम न हो, साथ ही तुम मेरी नकल करती हो। मैं तुम से बड़ा हूँ।" वाणी ने कहा, "मैं तुम से इसलिए बड़ी हूँ, कि जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं सब को जनाती हूँ, सब तक पहुँचाती हूँ।" इसके बाद वे प्रजापति के पास गये। प्रजापति ने मन के पक्ष में निर्णय दिया।^१ छान्दोग्य उपनिषद् में भी एक स्थान पर यही कहा गया है कि मन वस्तुतः वाणी से बड़ा है।^२ कौशातकी ब्राह्मण के अनुसार वाणी मन के अधीन है। जैसा कहा है, 'मेरा मन तो और जगह था, मैंने उस वस्तु को नहीं जाना', इस प्रकार ज्ञान से रहित वाणी किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं करा पाती।^३ किंतु, बृहदारण्यक में यह भी बताया है कि मन वाणी से उद्भूत है। मन, वाणी तथा प्राण (वायु) के पारस्परिक संबंध को रूपक के द्वारा व्यक्त करते हुए वहाँ कहा गया है—“उस वाणी (गौ) का प्राण वैल है तथा मन बछड़ा है।”^४ इन सब स्थलों को देखने से यद्यपि मन तथा वाणी के महत्त्व के विषय में दो मत मिलते हैं, तथापि मन (अर्थ) और वाणी (शब्द) के विषय में दोनों मतों का यही निष्कर्ष है कि इनमें परस्पर गहरा संबंध है। यास्क के

निरुक्त (१-११) में इन्हे पर्याय मानता है। 'मन' का प्रयोग जब 'अर्थ' के भाव का द्योतक है, तो वह 'शून्य अर्थ' का बोधक न होकर, 'सूक्ष्म अर्थ' या 'मानसिक प्रतिकृति' (Mental image) का बोधक है।

१ शतपथ ब्रा० १, ४, ५, ८,

२. मनो वाव वाचो भूय. — (छा० उ० ७, ३, १)

३. न हि प्रज्ञापेता वाट् नाम किंचन प्रज्ञापयेद् अन्यत्र मे मनोऽभू-
दित्याह नाह प्तान्नाम प्राज्ञासिष्यामि ।—(कौ० ब्रा० उ० ३, ७)

४. तरयाः प्राण ऋपभो मनो वत्स ।—(बृ० उ० ५, ८, १)

टीकाकार दुर्गाचार्य ने यास्क के द्वारा वाणी के लिए प्रयुक्त 'व्याप्ति-मत्त्व' की व्याख्या करते हुए कहा है कि मन में उत्पन्न ज्ञान को व्यक्त करने की इच्छा से ध्वनियंत्रों से वायु निकलता है, इस दशा में उच्चरित शब्द श्रोता के ज्ञान को व्याप्त करता है तथा अर्थ को प्रतिपत्ति होती है।^१

शब्द तथा अर्थ के संबंध में, प्राचीन दार्शनिक दोनों को एक ही वस्तु के दो अंग मानते हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में बताया है कि शब्द तथा अर्थ में कोई विशेष भेद न होकर शब्द व अर्थ दोनों स्वरूप-भेद है। इसी बात को वे यों कहते हैं—
एक ही वस्तु के दो अंग "एक ही आत्मा के भेद, शब्द और अर्थ अपृथक् होकर स्थित हैं।"^२ आधुनिक यूरोपीय विद्वान् भी शब्द तथा अर्थ को एक ही वस्तु के दो पहलू मानते हैं। इसी को मानते हुए जर्मन भाषाशास्त्री हुम्बोल्ट ने 'आभ्यंतरिक शब्द' की कल्पना की है, जो वस्तुतः अर्थ की मानसिक स्थिति है।^३

१ शरीरे ह्यभिधानाभिधेयरूपा बुद्धिर्हृदयान्तर्गताकाशप्रतिष्ठिता । तयो रभिधानाभिधेयरूपयोर्बुद्धयोर्मध्येभिधानरूपतया शास्त्राभिमतविजिज्ञापयि-
त्रया पुरुषेण तदभिव्यक्तिसमर्थेन स्वगुणभूतेन प्रयत्नेनोदीर्यमाणः शब्दः उरः-
कण्ठादिवर्गस्थानेषु निष्पद्यमानतया पुरुषार्थाभिधानसमर्थवर्णादिभावमापद्य-
मानः पुरुषप्रयत्नेन बहिर्विनिक्षिप्तोविनाशिनि व्यक्तिभावमापन्नः श्रोत्रद्वारेणानु-
प्रविश्य प्रस्थाप्यस्य बुद्धिं सर्वार्थरूपा सर्वाभिधानरूपां व्याप्नोतीत्येव व्याप्ति-
माशब्दः । (दुर्गाचार्य टीका — पृ० ४७)

२. एकस्यैवात्मनो भेदां शब्दार्थापृथक् स्थितां (वाक्य २, ३१)

३. Der Ursprung der Sprache. (P. 35)

जिस तरह हुम्बोल्ट ने शब्द के "आभ्यंतर" तथा "बाह्य" दो भेद माने हैं, वैसे ही भर्तृहरि भी शब्द के व्यंग्य तथा व्यञ्जक दो भेद मानते हैं।

द्वानुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदो विदुः ।

एको निमित्तं शब्दानामपरोऽर्थं प्रयुज्यते ॥ (१, ४४)

इसी संबंध में एक प्रश्न यह भी उठता है कि शब्द तथा अर्थ के संबंध को किस प्रकार के पारिभाषिक शब्दों में व्यक्त किया जाय।

मन (अर्थ), वाणी (शब्द) का उत्पादक है, या शब्द अर्थ का व्यंजक या ज्ञापक है। इस प्रकार शब्द तथा अर्थ के संबंध में हम तीन वादों की कल्पना कर सकते हैं—“उत्पत्तिवाद”, “व्यक्तिवाद” तथा “ज्ञप्तिवाद”। शब्द तथा अर्थ के संबंध में तीनों ही मत प्रचलित रहे हैं।

कुछ लोगों के मतानुसार शब्द अर्थ से उत्पन्न होता है, दूसरों के मतानुसार वह अर्थ की व्यंजना करता है, तीसरों के मतानुसार वह अर्थ का ज्ञान करा देता है। शब्द की उत्पाद्यता के विषय में हमें ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है, जहाँ बताया गया है कि “विद्वानों ने मन के द्वारा वाणी को बनाया।”^१ इसके प्रतिकूल दूसरा मत हमें महाभाष्य में मिलता है जिसके अनुसार शब्द अर्थ का व्यंजक माना जा सकता है। यद्यपि महाभाष्य में स्पष्टरूप से शब्द को अर्थ का व्यंजक नहीं माना गया है, तथापि वहाँ बताया गया है कि “शब्द वह है, जो कान से सुना जाता है, जिसका ग्रहण बुद्धि करती है, जिसका स्थान आकाश है तथा जो प्रयोग से अभिव्वलित होता है।”^२ यहाँ शब्द को ही अभिव्वलित (व्यक्त) माना गया है, अतः यह शंका हो सकती है कि शब्द व्यंग्य होगा, व्यंजक नहीं। जब हम महाभाष्यकार के वचनों की ओर देखते हैं, तो वहाँ हमें शब्द के विशेषण रूप में “बुद्धिनिग्राह्यः” पद मिलता है। ध्यान दिया जाय तो शब्द ‘श्रोत्रोपलब्धि’ तो हो सकता है, “बुद्धिनिग्राह्य” नहीं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा शब्द के अर्थ वाले अश का ही ग्रहण हो सकता है। वस्तुतः भाष्यकार

१ यहाँ हम “अर्थ” शब्द का प्रयोग मन या मानसिक धारणा के अर्थ में कर रहे हैं, स्थूल अर्थ के लिए नहीं, इसे हम सूक्ष्म अर्थ भी कह सकते हैं।

२ यत्र धीरा मनसा वाचमकृत (ऋ० १०, ७१, २)

३ श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिग्राह्यः प्रयोगेनाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द ।

(महाभाष्य १, १, २)

का भाव यह है कि जब ताली पीट कर ध्वनि करते हैं तब वह कान से तो सुनी जाती है, किंतु बुद्धि से उसका कोई भाव ग्रहण नहीं होता, अतः वह शब्द नहीं है। भाष्यकार यहाँ अर्थ को ही 'व्यक्त' (अभिञ्जलित) मानते जान पड़ते हैं। इन दो मतों के अतिरिक्त तीसरा वह मत है, जिसके अनुसार वाणी अर्थ की ज्ञप्ति कराती है। शंकराचार्य ने एक स्थान पर बताया है कि वाणी मन का चरण है। जैसे गाय आदि अपने पैर को काम में लाते हैं, वैसे ही अर्थ ज्ञप्ति कराने के लिए मन शब्द का प्रयोग करता है। इसी से संवद्ध महाभाष्यकार की यह प्रसिद्ध पंक्ति मानी जा सकती है। "शब्द का प्रयोग अर्थ को व्यक्त करने के लिए होता है।"^१ 'पद' शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कई विद्वानों का यही ज्ञप्ति संबंधी मत पाया जाता है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य के टीकाकार उवट ने 'पद' की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है— "इससे अर्थ का गमन या ज्ञान होता है, अतः यह पद है।"^२ कहना न होगा कि जिस अर्थ में हम यहाँ 'शब्द' का प्रयोग कर रहे हैं, उस अर्थ में संस्कृत में 'पद' शब्द का प्रयोग होता है। पद तथा शब्द का साधारण भेद यह है कि शब्द केवल रूपमात्र का परिचायक है, तथा पद विभक्तियुक्त होता है।^३ अतः अर्थ प्रतीति में पद का विशेष महत्त्व है।

भारत की भाँति पश्चिम में भी शब्द तथा अर्थ के विषय में ऐसी ही विभिन्न धारणाएँ पाई जाती रहीं हैं। सातो के मतानुसार "वाणी वह स्रोत है, जो मन से मुख के द्वारा निःसृत होती है।" सातो के इस मत में उत्पत्तिवाद की झलक मिलती है। दायनोसियस के मत में 'व्यक्तिवाद' के चिह्न मिलते हैं। 'वाक्य गद्यात्मक वाणी का बन्ध है, जिससे पूर्ण विचार व्यक्त होता है।' अरस्तू भी संभव है इसी 'व्यक्तिवाद' को मानता है। वह बताता है कि शब्द आत्मा के अनुभवों के

१. अर्थगत्यर्थ. शब्दप्रयोग.—(महाभाष्य)

२. पद्यने गम्यते ज्ञायते अनेनार्थ इति पदम्

—(वाजसनेयी प्रातिशाख्य-टीका)

३. सुप्-तिङन्तं पदम् ।

प्रतीक हैं।^१ शब्दों के ज्ञापक होने के विषय में भी यूरोपीय दार्शनिकों के मत पाये जाते हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं, जो किसी न किसी भाव का बोध न कराता हो। डॉ० बॉअस ने एक स्थान पर इसी बात को कहा है—“समस्त वाणी भावों का वहन करने के लिए होती है।”

शब्द तथा अर्थ के संबंध पर विचार करते समय एक प्रश्न यह भी उठता है कि शब्द तथा अर्थ में कोई वास्तविक संबंध है, अथवा केवल प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक संबंध से हमारा शब्द तथा अर्थ में तात्पर्य यह है कि शब्द उस अर्थ का प्रतीक मात्र प्रतीकात्मक सबंध है, और उसमें उस भाव का बोधन कराने की पूर्ण क्षमता नहीं है,^२ जो किसी वस्तु विशेष के प्रति मन में उत्पन्न होती है। केवल लौकिक व्यवहार की दृष्टि से किसी न किसी प्रकार उस वस्तु का बोधन कराने के लिए शब्दों को प्रतीक रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय उदाहरण को लेकर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ‘घट’ शब्द में यद्यपि अपने आप में ‘कम्बु-ग्रीवादिमन्त्र’ (शंख जैसे गले वाला पात्र होना) जैसे मन में उत्पन्न होने वाले भाव को द्योतित करने की क्षमता नहीं है, तथापि लौकिक व्यवहार के लिए इस शब्द को उस वस्तु का प्रतीक मान लिया गया है। शब्द की प्रतीकात्मकता का विवेचन करते हुए हम पहले यह समझ ले कि ऐसे संबंध में शब्द, भाव तथा वस्तु (अर्थ) ये तीन बातें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हम ‘पुस्तक’ को लेते हैं। इनमें एक तो ‘पुस्तक’ वस्तु है, जो कागज से बनी हुई पढ़ने की चीज है, और जब जब हम ‘पुस्तक’ शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उसका अर्थ लेते हैं। दूसरा ‘पुस्तक’ शब्द स्वयं एक सत्ता रखता है। तीसरे, पुस्तक शब्द का प्रयोग करते समय वक्ता के मन में, तथा सुनते समय श्रोता के मन में

१ All speech is intended to serve for the communication of ideas.

२ “Words, as every one knows, ‘mean’ nothing by themselves, although the belief that they did... was equally universal”

—“The Meaning of Meaning” Ch I. P. 9-10

जो भाव उठते हैं, वे भी इस विषय में अलग अस्तित्व रखते हैं। भर्तृहरि ने भी कहा है कि— 'जब शब्दों का उच्चारण होता है, तो उनका संबंध तीन रूपों में पाया जाता है, एक तो ज्ञान (भाव), दूसरा वक्ता के द्वारा अभिप्रेत बाह्य पदार्थ (वस्तु), तीसरा शब्द का स्वरूप। इन्हीं तीन रूपों में हमें प्रतीति होती है।'^१

भाव तथा वस्तु (अर्थ) में परस्पर क्या भेद है ? भाव ही वह वस्तु है, जिसकी प्रतीति कराई जाती है, तथा जिसका उल्लेख किया जाता है। किंतु फिर भी हम यह कहते हैं कि प्रतीक

शब्द की प्रतीका- (शब्द) अर्थों का वहन करते हैं। इसी-घात
त्मकता के विषय में को एक सुंदर दृष्टांत से स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध
ऑग्डन तथा रिचर्ड्स आंग्ल लेखकद्वय ऑग्डन तथा रिचर्ड्स ने लिखा
का मत है—“मान लीजिये एक वाक्य है, “माली दूब

काट रहा है”। जब हम वास्तविक अर्थ (घटना या स्थिति) से इसका मेल मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि दूब काटने का काम माली नहीं कर रहा है, अपितु दूब को काटने का काम 'दूब काटने का यंत्र' (लॉन-मोथर) करता है। इस बात को जानते हुए भी हम कहते यही हैं कि 'माली दूब काट रहा है।' (इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग का कारण हमारे भाव हैं, जिनका उद्गम मन में हो रहा है। हमारे मन में इस वाक्य के कहते समय ये भाव उठ रहे हैं, कि माली साधन होने पर भी जब यंत्र का संचालक होने के कारण विशेष महत्त्व रखता है)। ठीक इसी तरह यह जानते हुए भी कि शब्दों का साक्षात् संबंध भावों से है, हम यही कहते हैं कि प्रतीक (शब्द) घटनाओं का उल्लेख करते हैं, तथा तथ्यों का वहन करते हैं।'^२

१. ज्ञानं प्रयोक्तुमाहोस्यं: स्वरूप च प्रतीयते ।

शब्देरुच्चरितैरतेषा सबध समवस्थितः ॥ (वाक्यपदीय ३, ३, १)

२. “But just as we say that the gardener mows the lawn when we know that it is the lawnmower which actually does the cutting, so though we know that the direct relation of symbols is with thought, we also say that symbols record events and communicate facts.”

—“The Meaning of Meaning.” Ch. I P. 9.

इस प्रकार शब्द, भाव तथा वस्तु में दो संबंधों की कल्पना की गई है। एक संबंध शब्द तथा भाव में, दूसरा भाव तथा वस्तु में। भाव तथा शब्द का संबंध एक आकस्मिक संबंध (Casual relation) है, क्योंकि जिस प्रतीक (शब्द) का हम प्रयोग करते हैं, उसका आधार अंशतः वह प्रतिपाद्य (भाव) है, तथा अंशतः सामाजिक एवं मनो-वैज्ञानिक तत्त्व हैं। भाव तथा वस्तु में भी परस्पर संबंध है। यह संबंध कभी मुख्य होता है, कभी गौण। उदाहरण के लिए भाव तथा वस्तु का संबंध अभिधा में मुख्य होता है, किन्तु लाक्षणिक प्रयोगों में गौण। प्रतीक (शब्द) का वस्तु (अर्थ) से कोई वास्तविक मुख्य संबंध नहीं, किन्तु गौण संबंध है, जिसके अनुसार उसका प्रयोग अर्थ-बोधन के लिए होता है। इसी बात को एक रोचक दृष्टांत में उन्हीं लेखकों ने यों व्यक्त किया है:—

“इस पर विशेष महत्त्व देना अनावश्यक होगा कि ‘कुक्कुर’ शब्द तथा गलियों में घूमते हुए पशुविशेष में कोई मुख्य संबंध नहीं है। इनमें संबंध है, तो केवल यही, कि जब हम उस पशुविशेष का बोधन कराना चाहते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं।”^१


किन्तु, इसका यह तात्पर्य नहीं, कि किसी भी भाव का बोधन कराने के लिए चाहे किसी प्रतीक का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई ‘कुक्कुर’ के लिए “गौः” प्रतीक का प्रयोग करना चाहे, तो ठीक न होगा। इसीलिए प्रतीकों को दो प्रकार का माना जा सकता है, सच्चे प्रतीक (योग्य प्रतीक) तथा भूठे प्रतीक (अयोग्य प्रतीक)। शब्द वह प्रतीक है, जो योग्य हो। अतः पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति कराने की क्षमता योग्य प्रतीक में ही है। नैयायिकों के द्वारा शब्द तथा वाक्य के जो तीन संबंध (आकाक्षादि) माने गये हैं, उनमें एक संबंध

१. It may appear unnecessary to insist that there is no direct connection between say ‘dog,’ the word, and certain common objects in our streets, and that the only connection which holds is that which consists in our using the word when we refer to the animal

‘योग्यता’ भी है।^१ इसलिए “आग से सौंचता है” (अग्निना सिंचति) इस वाक्य में सच्ची प्रतीकात्मकता नहीं। सच्चे प्रतीक (शब्द), भाव तथा उसके द्वारा अभिप्रेत वस्तु के पारस्परिक संबंध को ऑग्डन एवं रिचर्ड्स ने निम्न रेखाचित्र के द्वारा व्यक्त किया है:—

भाव अथवा अभिप्रतिपादक

क



इस चित्र में ‘क’, त्रिकोण क ख ग का शीर्ष (Vertex) है, यह ‘भाव’ का सूचक है जिसका शब्द, भाव तथा वस्तु के परस्पर संबंध में उतना ही महत्त्व है, जितना त्रिकोण में शीर्ष का। ‘क’ का ‘ख’ (प्रतीक शब्द) से साक्षात् संबंध है, जो क ख रेखा के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार ‘क’ का ‘ग’ (प्रतिपाद्य अर्थ) से भी साक्षात् संबंध है, जो क ग रेखा के द्वारा व्यक्त किया गया है। ‘ख’ (शब्द) तथा ग’ (अर्थ) में संबंध तो है, किंतु वह साक्षात् संबंध नहीं है, यही कारण है कि इस संबंध को ख ग इस त्रुटित रेखा के द्वारा व्यक्त किया गया है।

१. “भाकाक्षायोग्यता-सन्निधिवशाद् वक्ष्यमाणप्रयोगाणां

(काव्यप्रकाश ४० २)

(साथ ही) ‘ योग्यतार्थगताकाक्षा शब्दनिष्ठानुभाविका’

(शब्दशक्तिप्रकाशिका पृ० ११)

इसी प्रतीकात्मकता के सिद्धांत से उस मत का संबन्ध है, जिसके अनुसार शब्द-समुदाय में समस्त भावों का बोधन कराने की क्षमता नहीं है। शब्दों के द्वारा कतिपय भावों का ही शब्द समस्त भावों को बोध कराया जा सकता है। यही कारण है कि का बोध कराने में कभी-कभी शब्द के साथ साथ हमें चेष्टादि असमर्थ का भी प्रयोग करना पड़ता है। यूरोपीय विद्वान् लॉक ने इसी बात को यों बताया है:—

‘यदि प्रत्येक भावविशेष का बोध कराने के लिए अलग से शब्द होता, तो शब्द असंख्य होने चाहिए।’^१

यास्क ने भी सारे भावों का बोध कराने की शब्दों की अक्षमता को पूरा समझा था। उन्होंने निरुक्त में इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा है:—“(यदि) जितने भावों का प्रयोग किया जाता है, उतने ही नाम होते तो “स्थूणी” (स्थूणा) को “दरशया” (खड़े में रहने वाली) तथा “संजनी” (कड़ी को रोकनेवाली) भी कहना चाहिए।”^२ इसी बात को स्पष्ट करते हुए टीकाकार दुर्गाचार्य ने दूसरा दृष्टांत यह दिया है कि “किसी व्यक्ति का अभिधान, उसके प्रमुख कार्य के आधार पर ही होता है, चाहे वह अन्य कार्य भी करता हो। एक बढ़ई अन्य कार्य भी करता है, किंतु उसका अभिधान उन अन्य कार्यों के आधार पर नहीं होता।”^३ शब्द की इसी अपूर्णता पर प्रकाश डालते

१ “If every particular idea that we take in should have a distinct name, names must be endless”

—Locke

“An Essay on the Human Understanding”

Book III. Ch. I P. 321

२ यावद्भिर्भावैः सम्प्रयुज्येत तावद्भ्यो नामधेयप्रतिलम्भः स्यात्, तत्रैव स्थूणा दरशया वा मञ्जनी च स्यात्”—निरुक्त १ १२

३ पश्यामोनेकक्रियायुक्तानामप्येकक्रियाकारितोनामधेयप्रतिलम्भस्तद्यथा तक्षा परिवाजक दृष्येतान्पेवोदाहरणानि। तक्षा हि अन्यान्यपि कर्माणि करोति। न पुनस्तस्य तत्कृतो नामधेयप्रतिलभोस्ति।

—दुर्गाचार्यकृत टीका पृ० ११०-१११.

हुए विश्वनाथ ने भी अपने “साहित्यदर्पण” में एक स्थान पर बताया है कि यदि “गौः” शब्द से “गच्छतीति गौः” (जो जाता है वह गो है) इस व्युत्पत्ति वाले अर्थ में ही मुख्यार्थ प्रतिपत्ति मानी जायगी तो “गौः शेते” (गौ सोती है) आदि स्थलों पर लक्षणा शक्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि लेटे हुए सास्नादिमान् पशुविशेष के लिए “गौः” (चलता हुआ) का प्रयोग साक्षात्प्रतिपादक शब्द न होगा ।^१

ऐसे भी शब्द देखे जाते हैं, जो किन्हीं अभावात्मक वस्तुओं का बोध कराते हैं, ‘शशविपाण’, ‘वन्ध्यापुत्र’, ‘खपुष्प’, आदि । इन प्रयोगों में भाव तथा अभिप्रेत वस्तु में बड़ा भेद है ।

अभाववार्त्ता शब्द और अर्थप्रतीति ऐसे स्थलों में अभिप्रेत वस्तु की स्थिति ही नहीं है । अस्तू ने एक एक स्थान पर इसी तथ्य का संकेत करते हुए कहा था—“जो वस्तु है ही नहीं, उसके विषय में कोई भी कुछ नहीं जानता किंतु उस शब्द से जो अर्थ ज्ञात होता है, उस अर्थमात्र का ही बोध होता है । उदाहरण के लिए जब मैं ‘गोटस्टेग’ के बारे में कहता हूँ, तो यह जानना असंभव है कि ‘गोटस्टेग’ क्या वस्तु है ।”^२ इतना होते हुए भी अभावात्मक अर्थ को अर्थ-कोटि में माना गया है । न्याय तथा वैशेषिक दार्शनिकों ने अभाव को अलग से पदार्थ मान कर इससे अर्थ प्रतीति भी मानी है ।^३ ‘घटाभाव’, ‘पटाभाव’ आदि शब्दों की वहाँ स्वतंत्र शब्दों के रूप में सत्ता है । इसी कारण वहाँ घट से भिन्न वस्तु ‘घटाभाव’

१ “व्युत्पत्तिलभ्यार्थस्य मुख्यार्थत्वे ‘गौः शेते’ इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्”

—सा० द० परि० २.

२. “As for that which is non-existent, no one knows what it is, but only what the word or formula means—as for example, when I speak of a Goatstag, but what a Goatstag is, it is impossible to know.”—Aristotle.

३ “द्रव्य-गुण-कर्म-जाति-समवाय-विशेष-अभावाः सप्त पदार्थाः ।” — तर्कसंग्रह (साथ ही) घटप्रतियोगी घटाभावः (वही, दीपिका टीका)

मानी गई है, यद्यपि वह घट का प्रतियोगी है।^१ शब्द तथा अर्थ में वैशेषिकों के मत से अविच्छिन्न संबंध नहीं है, क्योंकि किसी के अभाव में 'वह नहीं है' ऐसा भी प्रयोग पाया जाता है।^२ न्याय में अभाव को महत्ता देते हुए कहा गया है कि किन्हीं लक्षित पदार्थों में ऐसी भी बातें पाई जाती हैं, जो लक्षण से भिन्न हैं। इसलिए इससे वे वस्तुएँ भी सिद्ध हो ही जाती हैं, जो लक्षण के अतर्गत नहीं आतीं, और वे वस्तुएँ भी सम्यग्ज्ञान के विषय बन सकती हैं।^३ इसी से कुछ मिलता जुलता बौद्धों का 'अपोह' सिद्धांत है। जब वे किसी पदार्थ को किसी शब्द से प्रतिपन्न कराते हैं, तो अन्य वस्तुओं का निराकरण कर उस वस्तु को रहने देते हैं। उनके मतानुसार शब्द केवल 'अभाव' (अपोह) का ही बोधन कराते हैं। जैसे 'गौः' शब्द से बौद्ध 'गौ से भिन्न समस्त पदार्थों का निराकरण' (अतद्व्यावृत्तित्वम्) अर्थ लेंगे।

शब्द सर्वप्रथम वस्तुसामान्य (जाति) की प्रतीति कराता है या वस्तु विशेष (व्यक्ति) की इस विषय पर भी दार्शनिकों ने बड़ा विचार किया है। इस संबंध में हमारे यहाँ कई भिन्न शब्द में सकेत ग्रह, भिन्न मत प्रचलित रहे हैं। मीमांसकों के मतानुसार शब्द से केवल 'जाति' की प्रतीति होती है, व्यक्ति का बोध 'आक्षेप' (अनुमान या अर्थापत्ति प्रमाण) के द्वारा कर लिया जाता है। नैयायिक 'जाति विशिष्ट व्यक्ति' में शब्दबोध मानते हैं। एक के मत में 'गाय' का अर्थ 'गाय-पन' है, दूसरे के मत में 'गाय-पन वाली गाय'। वैयाकरणों ने 'उपाधि' में अर्थात् जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य (व्यक्ति) इन चारों के सम्मिलित रूप में संकेत माना है। इस विषय का विशद विवेचन हम अगले परिच्छेद में करेंगे।

१ 'प्रतियोगी' शब्द के न्याय में दो अर्थ होते हैं—(१) विरोधी (२) सदृश, प्रथम का उदाहरण 'घटप्रतियोगी घटाभावः', दूसरे का 'मुखप्रतियोगी चन्द्रः'।

२ असति नास्तीति च प्रयोगात्।

(वंशे० सू० ७, २, १७)

३ "लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वात् अलक्षिताना तत्प्रमेयसिद्धिः"

(न्याय सू० २, ७६)

शब्द समूह के रूप में, अर्थात् वाक्य बनकर, अर्थबोध कराता है, अतः वाक्य के विषय में भी कुछ समझ लेना ठीक होगा। महाभाष्यकार के मतानुसार वाक्य शब्दों का वह समूह है, जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता हो। शब्द-समूह के रूप वाक्य एव महावाक्य भर्तृहरि के मत से वाक्य वह है, जो एक ही क्रिया के द्वारा अभिहित अर्थ की प्रतीति कराता हो।^१ इस दृष्टि से भर्तृहरि के मत से वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है। अरस्तू के मतानुसार वाक्य में क्रिया आवश्यक नहीं। वह कहता है कि बिना क्रिया का भी वाक्य हो सकता है।^२ साहित्यदर्पणकार ने बताया है कि वाक्य वह शब्द-समूह है, जिसमें योग्यता, आकांक्षा तथा सन्निधि हो।^३ योग्यता, आकांक्षा तथा सन्निधि का विशद विवेचन तात्पर्य वृत्ति के संबंध में चतुर्थ परिच्छेद ने किया जायगा। वाक्य के अतिरिक्त महावाक्य भी माना जा सकता है। यह वाक्यों का वह समूह है, जो एक ही उद्देश्य का बोध कराता है। रामायण, रघुवंश, महाभारत आदि इसके उदाहरण हैं। साहित्यदर्पण के आंग्ल टीकाकार चलेन्टाइन ने महावाक्य के विषय में विचार करते समय इसी से मिलता जुलता अरस्तू का मत भी हमें दिया है। अरस्तू के मत में भी वाक्य दो प्रकार के हैं। एक का उदाहरण 'मनुष्य की परिभाषा'

१ वाक्य तदपि मन्यन्ते यत्पदं चरितक्रियम्...तदप्येकं समाप्तार्थं वाक्यमित्यभिधीयते ॥

(वा० का० २. ३२६-२७)

२. "And a sentence is a composite significant sound, of which certain parts of themselves signify something, for not every sentence is composed from nouns and verbs, but there may be a Sentence without verbs."—Aristotle : Poetics Ch. XX P. 450

३ वाक्यं स्यात् योग्यताकाक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः ॥

—सा० द० २ परिच्छेद

(मनुष्य ज्ञानशील प्राणी है) वाला वाक्य है, दूसरे का उदाहरण 'इलियड' (होमर का महाकाव्य) ।^१

इस विषय को समाप्त करने के पूर्व शब्द के भौतिक स्वरूप पर कुछ कह देना आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बिना विषय अधूरा रह

जायगा । भारतीय दार्शनिकों ने शब्द को गुण

शब्द का भौतिक
स्वरूप

माना है, तथा यह आकाश नामक तत्त्व का गुण है । जब कोई व्यक्ति शब्द का उच्चारण करता है, तो आकाश में 'उसकी लहरें फैलती हैं । ये

लहरें केवल एक ही दिशा में न जाकर चारों ओर फैलती हैं । इसी को स्पष्ट करने के लिए भारतीय दार्शनिकों ने 'कदम्बमुकुलन्याय' तथा 'वीचीतरंगन्याय' का आश्रय लिया है ।^२ जिस प्रकार कदम्ब का मुकुल चारों ओर से विकसित होता है, तथा जिस प्रकार जल में तरंगें उत्पन्न होकर चक्राकार घूमती हुई सभी ओर जाती है उसी प्रकार आकाश का शब्द नामक गुण भी चारों ओर व्याप्त हो जाता है । 'वीचीतरंगन्याय' एक और बात की ओर भी संकेत करता है । जिस प्रकार जल में एक लहर से दूसरी लहर निकलती है तथा अंतिम जाकर तट से टकराती है, उसी प्रकार शब्द के उच्चरित होने पर, उससे दूसरा, तीसरा, चौथा ... इस प्रकार शब्दों की उद्भूति होती जाती है । इसीलिए श्रोता जब किसी शब्द को सुनता है, तो वह ठीक वही शब्द नहीं है, जो कि वक्ता के ध्वनियंत्रों से उद्भूत हुआ था । शब्द के इसी गुण तथा इसी प्रकृति के आधार पर आधुनिक भौतिक-विज्ञान ने वही उन्नति की है । शब्दों को दूर-दूर फकने वाले ध्वनिप्रेषक यंत्र (ट्रांसमिटर) तथा शब्दों का

१. But a sentence is one in a twofold respects, for it is either that which signifies one thing, or that which becomes one from many by conjunction. Thus the Iliad, indeed is one by conjunction, but the definition of man is one because it signifies one thing "

—Ibid P. 450.

२. सर्व. शब्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते ॥

वीचीतरंगन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता ।

कदम्बगोलकन्यायादुत्पत्ति कस्यचिन्मते ॥ (कारिकावली १६५-६६)

ग्रहण करनेवाले ध्वनिग्राहक यंत्र (रिसीवर) इसी सिद्धांत पर बने हैं। रेडियो यंत्र भी इसी सिद्धांत के अनुसार बना है। यदि हम रेडियो के रिसीवर की सुई को उसी तरंग पर कर दें, जिस पर कोई ध्वनि या शब्द विशेष यात्रा कर रहा है, तो हम उस शब्द को पकड़ लेते हैं। शब्द की गति बड़ी तेज है। विश्व में शब्द से अधिक द्रुतगतिवाला केवल मन ही है। शब्द की द्रुतगति के विषय में आधुनिक विज्ञान का मत है कि शब्द को उत्पन्न करनेवाला उसे सब के वाद सुनता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं 'घट' शब्द का उच्चारण करता हूँ, तो यह शब्द सब से पहले समस्त विश्व में फैल जायगा, उसके बाद मेरी कर्ण-शङ्कुली के द्वारा गृहीत होकर सुनने में आयगा। शब्द के विषय में आधुनिक वैज्ञानिकों का एक मत वह भी है, जो मीमांसकों के "नित्य-वाद" से मिलता है। उनके अनुसार शब्द 'नित्य' है, तथा उच्चरित होने के बाद वह शब्द कभी विनष्ट नहीं होता, अपितु वह आकाश (ईश्वर) में घूमा करता है। इस मत को यहाँ तक विस्तृत किया गया है कि अतीत काल में जितनी ध्वनियाँ, जितने शब्द उच्चरित हुए हैं, वे सब अभी भी आकाश में विद्यमान हैं। वैज्ञानिक इस गवेषणा में व्यस्त हैं कि किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जाय, जिससे इन ध्वनियों का ग्रहण हो सके।

शब्द नित्य है या अनित्य, इस विषय को लेकर भारतीय दर्शन में बड़ा वाद-विवाद चला है। मीमांसकों के मतानुसार शब्द नित्य है,

उसकी उत्पत्ति या नाश नहीं होता। वेदों को शब्द के विषय में, मानव-जनित न मानने के कारण शब्दों को नित्यवाद, अनित्यवाद नित्य मानना आवश्यक था। नैयायिकों ने तथा नित्यानिव्यवाद मीमांसकों के 'नित्यवाद' का खंडन किया है।

उनके अनुसार शब्द नित्य नहीं, अपितु अनित्य है। शब्द मुख आदि के द्वारा उत्पन्न होता है, अतः कार्य होने के कारण, और कार्यों की भाँति वह भी अनित्य है, क्योंकि विश्व में प्रत्येक कार्य (जैसे मिट्टी से बना घड़ा) अनित्य होता है।^१ वैयाकरणों ने मीमांसकों तथा नैयायिकों दोनों का खंडन करते हुए एक तीसरे ही मत की स्थापना की है। वैयाकरणों के इस मत को हम

‘नित्यानित्यवाद’ कह सकते हैं। इन्होंने शब्दों को दो कोटियों में विभक्त किया है। एक शब्द नित्य है, दूसरा अनित्य है। इन्हीं शब्दों को ध्वन्यात्मक शब्द तथा वर्णात्मक शब्द कहा जाता है।^१ वैयाकरणों के मतानुसार ध्वन्यात्मक शब्द (स्फोट) नित्य है, तथा वर्णात्मक शब्द अनित्य है। वर्णात्मक शब्द का ही वस्तुतः उच्चारण होता है, इसी का लिखने-पढ़ने में लौकिक व्यवहार होता है। ध्वन्यात्मक शब्द तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप है। वैयाकरणों ने इसी वाणी की परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी चार अवस्थायें मानी हैं। पीछे के समस्त विद्वान् ये चार अवस्थायें मानते हैं, पर भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में पश्यती, मध्यमा तथा वैखरी इन तीन भेदों को ही माना है, वे लिखते हैं:—

“यह आश्चर्ययुक्त व्याकरणशास्त्र वैखरी, मध्यमा तथा पश्यती के अनेक भेदों में विभक्त वाणी का ही परम पद है।”^२ ऋग्वेद में वाणी की चार अवस्थायें स्पष्टरूप में मानी गई हैं:—“ज्ञानी विद्वान् वाणी के चार परिमित पदों (परा, पश्यती, मध्यमा, और वैखरी) को जानते हैं। इनमें से तीन तो गुहा में स्थित होने के कारण कोई भाव इगित नहीं करतीं, मनुष्य चौथी (वैखरी) का उच्चारण करते हैं।”^३ मनुष्य के मूलाधार से, भाव का बोधन कराते समय व्यान वायु उठता है। यही वायु भिन्न-भिन्न स्थितियों तथा अवस्थाओं में होते हुए नाद को व्यक्त करता है। पहले-पहल नाद की स्थिति मूलाधार में (परा), फिर नाभि में (पश्यती), फिर हृदय में (मध्यमा) होती है, और सब के

१. वस्तुतः वैयाकरणसिद्धांत में ‘स्फोट’ अखंड तथा नित्य है, अतएव शब्दार्थ सबध की नित्यता के विचार में ‘श्रौद्धार्थ’ को लेकर ही शब्द-अर्थ का सबध नित्य माना है। किंतु अखंड स्फोट से कार्यनिर्वाह न होने से पद-पदार्थ-प्रकृति-प्रत्यय-विभाग की कल्पनामूलक ही अनित्यता है। इस प्रकार वर्णात्मक शब्द अनित्य हो जाता है।

२. वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यत्याश्चैतदद्भुतम् ।

अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः पर पदम् ॥ (वाक्यपदीय १, १४४)

३. चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नैगयति तुरीयां वाच मनुष्या वदन्ति ॥

—(ऋग्वेद १, १६४, ४५)

अंत में वह (नाद) गले से (वैखरी) उच्चरित होता है । वाणी की इसी अंतिम अवस्था की हमें स्पष्ट प्रतीति होती है । योगी को मध्यमा तथा पश्यंती का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, किंतु परा तो स्वयं नाद ब्रह्म है । यही परा ध्वन्यात्मक वर्ण या स्फोट है । स्फोट का विशेष विवेचन हम ध्वनि तथा स्फोट का संबंध बताते हुए आगे करेंगे ।

यह सार्थक शब्द कतिपय भारतीय विद्वानों के मतानुसार चार प्रकार का होता है—प्रकृति, प्रत्यय, निपात, और उपसर्ग । यास्क ने भी नाम, आख्यात, निपात तथा उपसर्ग ये चार ही सार्थक शब्द के तीन प्रकार माने हैं । ऋग्वेद के भी एक प्रकरण के^१ प्रकार—प्रकृति, उद्धरण में महाभाष्यकार पतंजलि ने सारे मंत्र प्रत्यय एवं निपात को व्याकरणशास्त्र पर घटाते हुए 'चत्वारो शृंगा.' (इस वैल के चार सींग हैं) इसका अर्थ 'नाम, आख्यात, निपात तथा उपसर्ग ही किया है ।^२ नैयायिकों ने शब्द को तीन ही प्रकार का माना है—प्रकृति, प्रत्यय, तथा निपात ।^३ प्रकृति वह शब्द है जो किसी अर्थ की प्रतीति कराने में हेतु हो तथा अपने द्वारा अभिप्रतिपाद्य अर्थ का बोधन कराने में निश्चित हो ।^४ उदाहरण के लिए "घट", "पट" शब्दों में यदि कोई प्रत्यय भी लगा दिया जाय तो वे पहले अपने प्रतिपाद्य पदार्थ को बोधित कर फिर अन्वय के द्वारा कर्तृत्व या कर्मत्व का बांध कराते हैं । प्रत्यय वह शब्द है, जो स्वयं

१. चत्वारो शृंगा ग्रयो अस्य पादा द्वे मूर्धा सप्त हस्तासो अस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥

— ऋग्वेद

२. चत्वारि शृंगाणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताः ।

— (महाभाष्य १, १, १)

३. प्रकृतिः प्रत्ययश्चेति निपातश्चेति स त्रिधा ।

— (शब्द-शक्ति प्र० कारिका ६, पृ० २९)

४. स्वोपस्थाप्यपदार्थस्य बोधने यस्य निश्चयः ।

तत्त्वेन हेतुरथवा प्रकृतिः सा तदर्थिका ॥

— (वही का० ८, पृ० ४१)

अपने आप में किसी अर्थ का बोधन कराने में असमर्थ है। वह तभी किसी अर्थ का बोध कराता है, जब किसी दूसरे अर्थ (प्रकृत्यर्थ) से युक्त होता है। अतः प्रत्यय का अर्थ तभी प्रतीत होता है, जब वह किसी अन्य शब्द से संबद्ध होकर वाक्यादि में प्रयुक्त हो। यह प्रत्यय सुप् (कारक), तिङ्, कृदन्त, तद्धित चार प्रकार का माना गया है। प्रकृति तथा प्रत्यय का परस्पर भेद बताने के लिए हम यह उदाहरण ले सकते हैं:—‘ राम की पुस्तक’, यहाँ ‘राम की’ इसमें दो शब्द हैं, एक प्रकृति तथा दूसरा प्रत्यय। “राम” प्रकृति है तथा अपने आप में अर्थ व्यक्त करने में समर्थ है, “का” सुप् (कारक) प्रत्यय है, तथा यह तभी अर्थ व्यक्त कर सकता है, जब किसी प्रकृति के अर्थ से संबद्ध हो। भर्तृहरि ने भी वाक्यपदीय में इस बात को बताते हुए कहा है “एक शब्द के अर्थ का दूसरे शब्द के अर्थ से अन्वयबोध कराते समय, जिन शब्दों की आवश्यकता होती है, उनमें प्रथम प्रकृति तथा द्वितीय प्रत्यय होता है।”^२ यहाँ दिये गये उदाहरण में राम’ तथा ‘पुस्तक’ में परस्पर अन्वयबोध कराने के लिये ‘राम’ तथा ‘की’ इन दो शब्दों की आवश्यकता हुई है, इनमें प्रथम (राम) प्रकृति है, द्वितीय (की) प्रत्यय।

नैयायिकों द्वारा सम्मत तीसरा शब्द निपात है। “जो शब्द किसी भी अन्य अर्थ के साथ तादात्म्य करके, (जैसे ऊपर के उदाहरण में ‘राम’ और ‘की’ में तादात्म्य पाया जाता है) अपना अन्वयबोध कराने में समर्थ नहीं, वह निपात है।”^३ समुच्चयादि बोधक अव्ययादि तथा अन्य प्रकार के सबधबोधक अव्ययादि का ग्रहण निपात के ही अंतर्गत होता है। ये तीनों ही प्रकार के शब्द अर्थ-प्रतीति तभी करा पायेंगे, जब वाक्य में प्रयुक्त हों, इनमें अपने आप में शाब्दबोध

१. इतरार्थानवच्छिन्ने स्वार्थे यो बोधनाक्षमः ।

तिङ्शब्दस्य निभाधन्य स वा प्रत्यय उच्यते ॥

—(वही का० १०, पृ० ५१)

२. य स्वेतरस्य यस्वार्थे स्वार्थस्यान्वयबोधने ।

यदपेक्ष स्तयोरेकः प्रकृतिः प्रत्यय पर ॥ —वाक्यपदीय

३. “स्वार्थे शब्दान्तरार्थस्य तादात्म्येनान्वयाक्षमः”

—(शब्द श० प्र० का० ११ पृ० ५३)

कराने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नैयायिकों का मत है। इसी बात को जगदीश ने कहा है:—

“वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के ज्ञान से ही शाब्दबोध होता है कोरे शब्द के ही जान लेने से नहीं।”^१

एक शब्द से एक ही निश्चित भाव का बोध न होकर कई भावों का बोध होता है। हम देखेंगे, कि इसीलिए शब्द की एक से अधिक शक्तियाँ मानी जाती हैं, जिनके द्वारा वह शब्द विभिन्न अर्थों का बोध कराता है। एक “वैल” (गौः) शब्द ही “सास्नादिमान् पशुविशेष” (वाच्यार्थ), “पुरुषविशेष” (लक्ष्यार्थ) तथा “मूर्खत्व” (व्यग्यार्थ) का बोधन करा सकता है, और प्रत्येक दशा में उसकी एक विशेष शक्ति होगी। एक दशा में वह सीधा अर्थ सूचित करता है, दूसरे तथा तीसरे में टेढ़ा। इन्हीं संबंधों को क्रमशः अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना व्यापार माना गया है। इनका विशद विवेचन हम अगले परिच्छेदों में करेंगे। इन शक्तियों में से कुछ विद्वान् केवल दो ही शब्दशक्तियाँ मानते हैं। मीमांसकों के मतानुसार अभिधा व लक्षणा दो ही शब्दशक्तियाँ हैं। यही नैयायिकों को भी सम्मत है। भाट्ट मीमांसक तथा नैयायिक तात्पर्य वृत्ति नाम की एक शक्ति जरूर मानते हैं, जो वस्तुतः शब्द की शक्ति न होकर वाक्य की शक्ति है। प्राचीन वैयाकरण स्पष्ट रूप से दो ही शब्दशक्तियाँ मानते हैं, नव्य वैयाकरण अवश्य व्यंजना को अलग से शब्दशक्ति मानने के पक्ष में हैं। भरत, भामह,^२ दंडी,

१. वाक्यभावमवाप्तस्य सार्थकस्यावबोधतः ।

सपद्यते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधतः ॥

—(वही, कारिका १२)

२ भामह तो अपने ‘काव्यालंकार’ में व्यग्यव्यंजक - संबध को लेकर चलने वाले, वैयाकरणों के स्फोट सिद्धांत का स्पष्ट रूप से खंडन करते ही हैं, जिसको व्यंजना शक्ति आधार बना कर चली है। अतः भामह को ‘व्यंजना’ जैसी शक्ति अभिमत हो ही कैसे सकती थी। वे ‘स्फोट’ के विषय में कहते हैं:—

शपथैरपि चादेयं वचो न स्फोटवादिनाम् ।

नभःकुसुममस्तीति श्रद्दह्यात् कः सचेतनः ॥

—(काव्यालंकार ६, १२)

वामन आदि प्राचीन आलंकारिकों ने यद्यपि शब्दशक्ति पर कोई प्रकाश नहीं डाला है, तथापि यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि वे भी अभिधा व लक्षणा इन दो शब्दशक्तियों को ही मानने के पक्ष में थे ।

द्वितीय परिच्छेद

अभिधाशक्ति और वाच्यार्थ

हम देख आये हैं कि शब्द समुदाय में प्रत्येक भाव का बोध कराने की क्षमता न होने से, किसी भी भाव का बोध कराने के लिए हमें उन्हीं शब्दों को ग्रहण करना पड़ता है, जो व्यवहार में चल पड़ते हैं। शब्द जब अपने साक्षात्संकेतित अर्थ का बोध कराता है, तो उस अर्थ की प्रतीति अभिधा व्यापार के द्वारा होती है, तथा अर्थ अभिधेय या वाच्य कहलाता है।^१ यदि कोई शब्द अपने मुख्यार्थ का बोध न कराकर उससे संबद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, तो वहाँ लक्षणा व्यापार होता है, तथा उससे प्रतीत अर्थ लक्ष्य (लाक्षणिक अर्थ) कहलाता है। काव्य की दृष्टि से तीसरे प्रकार का वह व्यापार माना जाता है, जहाँ प्रकरणवश शब्द वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ की प्रतीति मुख्य रूप से न कराकर सर्वथा नवीन अर्थ को विशेष महत्त्व देता जान पड़ता है। यह व्यापार व्यंजना शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, तथा इसका अर्थ व्यङ्ग्य या प्रतीयमान कहलाता है। तात्पर्य नामक चौथी शक्ति (वृत्ति), वस्तुतः शब्द की शक्ति न होकर वाक्य की शक्ति है, अतः उसका समावेश शब्दशक्तियों में उपचार रूप से ही किया जाता है। इस परिच्छेद में हम अभिधा पर, तथा आगामी परिच्छेदों में लक्षणा एवं तात्पर्य वृत्ति पर भारतीय दार्शनिकों एवं आलंकारिकों के मतों का पर्यालोचन करते हुए इस विषय में पाश्चात्य विद्वानों के मतों का भी उल्लेख

१ शब्द वचन ते अर्थ कदि चदे मामुई चित्त ।

ते दोड वाचक वाच्य हैं, अभिधा वृत्ति निमित्त ॥

करेंगे। व्यंजना शक्ति साहित्य-शास्त्र से प्रमुखतः संबद्ध होने के कारण हमारे प्रबंध का वास्तविक विषय है, अतः उसका विशद विवेचन इस ग्रंथ के शेष परिच्छेदों में किया जायगा।

जिस शक्ति के द्वारा शब्द के साक्षात्संकेतित अर्थ की प्रतीति हो, वह शक्ति अभिधा कहलाती है और उससे युक्त शब्द वाचक।^१ उदाहरण के लिए “गौः” (गाय) शब्द ‘सास्ना-अभिधा एव वाच्यार्थं दिमान् पशुविशेष’ (वह पशु जिसके गल सकेत कम्बल है) का बोधक है। अतः यहाँ “गौः” शब्द में अभिधा व्यापार है, तथा यह शब्द “सास्नादिमान् पशुविशेष” इस वाच्यार्थ का वाचक है। वाचक शब्द सदा अपने वाच्यार्थ की ही प्रतीति कराता है। यही नहीं, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने के पूर्व भी शब्द से सर्वप्रथम मुख्यार्थ की प्रतीति होती है, किंतु उसके पूर्णतः संगत न होने पर अर्थात् उसका वाध होने पर फिर दूसरे अर्थ का द्योतन होता है। अतः अभिधा शक्ति में “सकेत” का प्रमुख हाथ है। अब प्रश्न यह उठता है, कि इस संकेत को बनानेवाला कौन है? अमुक शब्द का अमुक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए इस बात का निर्णय सर्वप्रथम किसने किया है। भारतीय दार्शनिकों ने इस संकेत का आधार ईश्वरेच्छा माना है। उनके मतानुसार ईश्वर ने ही सृष्टि करते समय शब्दों तथा उनके साक्षात्संकेतित अर्थों एवं उनके मुख्य सवध की स्थापना कर दी है। पारिभाषिक शब्दों के संकेत ग्रहण के विषय में उनका मत यह है कि उनका संकेत-ग्रहण ईश्वर की इच्छा पर निर्भर न होकर शास्त्रकारों की इच्छा पर है। शक्ति (अभिधा व्यापार) का विवेचन करते हुए प्रसिद्ध नव्य नैयायिक गदाधर भट्टाचार्य ने अपने “शक्तिवाद” में इसी बात पर जोर देते हुए कहा है।

१ साक्षात्संकेतित योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः (का० ७, पृ० ३१)

(साथ ही) स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥

(का० ८, पृ० ३९)

“किसी शब्द की शक्ति या वृत्ति से हमारा तात्पर्य उस इच्छा से है, जिसके कारण उस शब्द से किसी अर्थ विशेष का संकेत लिया जाता है। इस संकेत का आधार यह इच्छा है, संकेत का आधार कि अमुक पद से अमुक अर्थ की प्रतीति हो, ईश्वरेच्छा वाला मत इस पद से यह अर्थ समझा जाय। इस प्रकार की संकेत-विधायक इच्छा से ही सर्वप्रथम अर्थ-प्रतीति आरंभ होती है। यह संकेत परंपरागत तथा आधुनिक दो तरह का होता है। परंपरागत शब्द संकेत अनादि है। किंतु आधुनिक संकेत का उदाहरण कोई भी पारिभाषिक शब्द दिया जा सकता है। पारिभाषिक शब्दों को शास्त्रकार अपने लिए विशेष अर्थ में गढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए हम ‘नदी’ और ‘वृद्धि’ वैयाकरणों के दो पारिभाषिक शब्द ले सकते हैं। ‘नदी’ का पारिभाषिक अर्थ इकारान्त तथा उकारान्त स्त्रीलिंग शब्द हैं^१, जिनके लिए इस संज्ञा का प्रयोग हुआ है, जैसे बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा होगी। ‘वृद्धि’ का पारिभाषिक अर्थ वह ध्वनि परिवर्तन है, जहाँ इ, उ, ऋ, क्रमशः ऐ, औ, आर् हो जाते हैं^२ इन शब्दों के इन विशिष्ट पारिभाषिक अर्थों में ‘आधुनिक संकेत’ पाया जाता है। वह शक्ति जिसका प्रयोग परंपरागत संकेत वाले अर्थ में होता है, ईश्वरनिर्मित है, उदाहरण के लिए इसी ‘नदी’ शब्द का साधारण अर्थ (सरिता)। सर्वप्रथम ईश्वर ने ही इस पद से यह अर्थ लेना चाहिए ऐसा निर्णय कर दिया है, जो अनादि काल से चला आ रहा है। इस शक्ति के द्वारा जो पद अर्थप्रतीति कराता है, वह वाचक कहलाता है। जैसे “गोः” पद “गोत्व जाति से विशिष्ट” (गाय-पन वाले) गो-विशेष (गो-व्यक्ति) का बोध कराता है, और इससे जिस ‘गाय’ अर्थ की प्रतीति होती है, वह इसका मुख्यार्थ है।”^३

१ यू स्याःख्यां नदी ॥

२ वृद्धिरादेच् ॥

३ “दृढ पदममुमर्थं बोधयतिविति, अस्मात्पटाटयमर्थो बोद्धव्य इति चेच्छा संकेतरूपा वृत्तिः। तत्राधुनिकसंकेतः परिभाषा, तथा चार्थबोधक पदं पारिभाषिक यथा शास्त्रकारादिनकेतितनदीवृद्ध्यादिपटम्, ईश्वरसंकेतः शक्तिस्तथा चार्थबोधक पद वाचक यथा गोत्वादि विशिष्टबोधकं गवादिपद तद्बोधो-
ऽर्थो गवादिर्वाच्य स एव मुख्यार्थ इत्युच्यते।”

—गदाधरः शक्तिवाद पृ० ५-६ (चौ० सं० सी०)

डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को माननेवाले इस ईश्वरेच्छा-त्मक संकेत का प्रतिवाद करेंगे, तथा संकेत का निर्धारण समाज की इच्छा पर मानेंगे। द्वन्द्व्वात्मक भौतिकवादी, जो अनीश्वरवादी मत, डार्विन के विकासवाद को किसी सीमा तक सकेत का आधार स्वीकार करते हैं, शब्द अर्थ, उनके संबंध तथा सामाजिक चेतना का उनकी आधारभूत मानवचेतना का विकास समाज के आर्थिक विकास के साथ साथ मानते हैं। मानव की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसकी आर्थिक स्थिति, दूसरे शब्दों में उसके उत्पादन के साधन तथा प्रणालियों के द्वारा, होता है। यह सामाजिक स्थिति ही मानव की चेतना को विकसित करती है। इन सब में श्रम-विभाजन (division of labour) का एक विशेष हाथ है।^१ इसी घात को स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर स्वर्गीय आग्ल विद्वान् कॉडवेल ने कहा है—“हम देखते हैं कि मानव तथा प्रकृति का संघर्ष आर्थिक उत्पादनों के रूप में विकसित होकर मानव के उत्पादनों को समृद्ध बनाता है। आर्थिक उत्पादन में ‘संपर्क’ (association) की आवश्यकता होती है, यही संपर्क आगे चलकर शब्द की अपेक्षा करता है। अतः शब्द के द्वारा आर्थिक उत्पादन के समय में होनेवाला जनसंपर्क अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक जगत् में भी परिवर्तन उत्पन्न करता रहता है, और इस प्रकार दोनों को समृद्ध बनाता है।”^२ द्वन्द्व्वात्मक सिद्धांत को लेकर चलने

१. Karl Marx and Frederick Engels · Literature and Art PP. 1, 3.

२ We saw that man's interaction with Nature was continuously enriched by economic production. Economic production requires association which in turns demands the words ..Hence, by means of words, man's association in economic production continually generates changes in their perceptual private worlds and the common world, enriching both.”

—Caudwell Illusion and Reality ch. VIII PP 144 45.

वाले भौतिकवादी विद्वान् शब्दार्थ तथा मानव-जीवन दोनों में परस्पर प्रतिक्रिया मानते हैं। जिस प्रकार एक ओर मानव, आर्थिक विकास के कारण शब्दार्थ को विकास तथा परिवर्तन देता है, ठीक उसी प्रकार शब्दार्थ भी मानव के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य जीवन को विकास तथा परिवर्तन देते हैं।

अब हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब हम किसी खड़ी हुई गाय का बोध कराने के लिए "गाय खड़ी है" इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो 'गाय' शब्द किस अर्थ की प्रतीति कराता है? क्या वह पहले पहल ही उस खड़ी हुई गाय का बोध कराता है, जिससे हमारा तात्पर्य है, अथवा प्रथम गाय मात्र (गो-जाति) का बोध करा कर फिर उस गाय का बोध 'आक्षेप' (उपमान या अर्थापत्ति) आदि किसी अन्य संबंध के द्वारा कराता है? अर्थात् शब्द सर्व प्रथम केवल सामान्य (abstract) अर्थ की प्रतीति कराता है, या विशिष्ट (concrete) अर्थ की। भारतीय दार्शनिकों में इसी प्रश्न को लेकर कई मतसरणियाँ प्रचलित हैं। एक ओर मीमांसकों का वह मत है, जिसके अनुसार शब्द सर्वप्रथम 'जाति' की प्रतीति कराता है। दूसरा मत नैयायिकों का है, जो जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत मानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो केवल ज्ञान मात्र में पदों की शक्ति मानते हैं। बौद्धों के मतानुसार संकेत 'अपोह' में होता है। वैयाकरण तथा नव्य आलंकारिक शब्द का संकेत उपाधि (जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य) में मानते हैं।

(१) व्यक्तिशक्तिवादी का मत:—जब हम कहते हैं 'घड़ा ले आओ' या 'घड़ा ले जाओ', तो हम देखते हैं कि जिससे हमने घड़ा लाने या ले जाने को कहा है, वह किसी एक निश्चित घड़े (घटविशेष) को ही लाता या ले जाता है। अर्थात् व्यवहार में घटविशेष (घट-व्यक्ति) का ही प्रयोग पाया जाता है। अतः शब्द से सदा 'व्यक्ति' का ही अर्थ निकलता है, उसी में संकेत मानना उचित है। व्यक्तिशक्तिवादियों के इस मत को स्पष्टरूप में किसी आचार्य के नाम से उद्धृत न कर, खंडन के प्रकरण में क्या मीमांसकों, क्या

व्यक्तिशक्तिवादी
का मत

वैयाकरणों,^१ क्या नैयायिकों सभी ने इसका संकेत किया है। व्यक्ति-शक्तिवादियों के द्वारा संकेतग्रह के विषय में की गई शंकाओं और तत्तत् दार्शनिकों के द्वारा अपने मतानुसार किये गये समाधानों को हम अनुपद में देखेंगे।

(२) ज्ञानशक्तिवादियों का मतः—संकेतग्रहण के विषय में एक मत ज्ञानशक्तिवादियों का है। इस मत को उद्धृत करते हुए भी किसी आचार्य का नाम नहीं लिया गया है, पर ज्ञानशक्तिवादियों का 'शक्तिवाद' के रचयिता गदाधर ने इस मत का मत—कुञ्जाशक्ति उल्लेख किया है। इन लोगों के मतानुसार शब्द का संकेत, जाति, केवल व्यक्ति, या जाति-विशिष्ट व्यक्ति में न होकर 'ज्ञान' में होता है।^२ ज्ञानशक्ति को मानने वाले आचार्यों के मतानुसार व्यवहार की दृष्टि से पद में व्यक्ति का संकेत मानने में कोई विरोध नहीं। यदि किसी विषय में ये 'व्यक्ति-शक्तिवादियों' का विरोध करते हैं, तो शक्तिज्ञान के कारण के संबंध में। उदाहरण के लिए 'घड़ा' (घट) शब्द कहने पर सर्वप्रथम शक्ति 'घट' शब्द के शक्तिज्ञान मात्र में है, उसके स्थूल विषय में नहीं, जो व्यवहार में आता है। स्थूल विषय की प्रतीति तो बाद में अभिधा के द्वारा होती है। पर यह ज्ञान मात्र कराने वाली शक्ति अपना पूरा काम नहीं कर पाती, अर्थात् साथ ही साथ व्यवहार में आने वाले घट-व्यक्ति का बोध नहीं करा पाती, इसलिए "कुञ्जा" (कुवड़ी) शक्ति कहलाती है। ज्ञानशक्तिवादियों के मत से शब्द या पद का वाच्य (अर्थ) तथा व्यवहार में आने वाला स्थूल विषय दो अलग अलग वस्तुएँ हैं। शब्द या पद का वाच्य 'ज्ञान' है, "घटव्यक्ति" नहीं। कोई भी वस्तु इसीलिए वाच्य नहीं बन जाती, कि शब्द सुनने के बाद वह हमारी बुद्धि का विषय

१ व्यक्तिवादिनस्तु भाहु — शब्दस्य व्यक्ति रेव वाच्या।

—कैयट —महाभाष्य-प्रदीप पृ० ५३

२ " ज्ञाने पदाना शक्तिरित्येतन्मते..."

—शक्तिवाद, परिशिष्ट काण्ड, पृ० २०१

हो जाती है। क्योंकि अन्वय के बिना कभी भी कोई वस्तु बुद्धि का विषय नहीं बन सकती।^१

अतः ज्ञान का बोध पहले पहल कुञ्जा शक्ति कराती है। पर यह कुञ्जा शक्ति है क्या ? यह वह शक्ति है जो वाच्य के एक अंश का ही बोध करा पाती है, संपूर्ण वाच्य का बोध कराने में असमर्थ है। यही कारण है कि वाच्य के व्यवहार में इसका ठीक वही व्यापार नहीं होता, जो अभिधा का। इसी बात को शक्तिवाद के टीकाकार आचार्य-प्रवर दामोदर गोस्वामी ने बताया है कि “कुञ्जा से हमारा तात्पर्य यह है कि वह शक्ति वाच्यत्व के व्यवहार में (घटविशेष के सामाजिक तथा सांसारिक प्रयोग में) प्रयोजक नहीं होती।”^२ इस पर ‘व्यक्ति-शक्तिवादी’ यह शंका करते हैं कि व्यवहार में तो घटविशेष से ही काम चलता है, अतः व्यक्ति वाले वाच्यंश में भी किसी न किसी शक्तिज्ञान की आवश्यकता होगी, इसी शक्तिज्ञान से उसकी भी प्रतीति हो जायगी। तब शक्ति “कुञ्जा” कैसे रहेगी, क्योंकि इस दशा में तो शक्ति उसका भी बोध करायेगी ही।^३ इस शंका का समाधान यों किया गया है, कि जब शब्द (कारण) से ज्ञान (कार्य) उत्पन्न होता है, तो उस ज्ञान में व्यक्ति का अंतर्भाव नहीं रहता। अर्थात् जब “गौः” पद (कारण) का प्रयोग करते हैं, तो इससे जिस कार्य की उत्पत्ति होती है, वह केवल “गौः” का ज्ञान मात्र है, गो-व्यक्ति नहीं। अतः गो-व्यक्ति की प्रतीति में वह शक्ति कुञ्जा मानी ही जायगी।

१. अतएव न व्यक्तेर्वाच्यता, न हि शक्तिर्विषयतामात्रेणैव वाच्यता, तादृशविषयताया अन्वयसाधारण्यात् ।

—वही पृ० २८१

२. कुञ्जेति-वाच्यत्वव्यवहाराप्रयोजिका ।

—विनोदिनी (शक्तिवादटीका) पृ० २०२

३. न चैवं व्यक्त्यशे शक्तिज्ञानस्यापेक्षिततया तदंशे शक्तेः कुञ्जत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम् ।

—शक्तिवाद पृ० २०४

(३) अपोहवादियों का मतः—बौद्धों के 'अपोहवाद'^१ का संकेत हम पहले कर आये हैं । इनके मतानुसार शब्द का संकेत 'अपोह या अतद्व्यावृत्ति' में माना जाता है । इस अपोह वाँचों का को यों स्पष्ट किया जा सकता है । जब कोई मत—अपोह व्यक्ति कहता है 'गाय', तो हम "गाय" के अतिरिक्त ससार के समस्त पदार्थों का निराकरण (व्यावृत्ति) कर देते हैं । इस प्रकार हमें केवल उस बचे हुए पदार्थ में ही शब्द का अर्थबोध हो जाता है । इसी को 'अतद्व्यावृत्ति' अर्थात् उस पदार्थ का निराकरण न करते हुए बाकी समस्त पदार्थों का निराकरण करना कहा जाता है । बौद्ध लोग 'सामान्य' या 'जाति' जैसी वस्तु में विश्वास नहीं करते, क्योंकि जाति मानने पर एक स्थिर पदार्थ की सत्ता माननी पड़ती है, जो उनके क्षणिकवादी सिद्धांत के विरुद्ध पडता है, (बौद्ध तो आत्मा तक को क्षणिक तथा परिवर्तनशील मानते हैं) । अतः वे 'जाति' में शाब्दबोध मान नहीं सकते । इसके साथ ही उनके मतानुसार व्यक्ति क्षणभंगुर अर्थात् परिवर्तनशील है, अतः उसमें भी शाब्दबोध नहीं माना जा सकता, क्योंकि दस बजे वाला घट ठीक वही नहीं है, जो आठ बजे वाला । इसीलिए वे "अपोह" रूप अर्थ में ही शब्द का संकेत मानते हैं । अन्य पदार्थों का निराकरण करने पर वे ही पदार्थ बचे रहते हैं, जिनमें क्षणिकता तथा परिवर्तन विद्यमान होने पर भी 'दीपकलिका' या 'नदीप्रवाह' की भाँति अखंडता होने के कारण 'स्थिरता' (अपरिवर्तनशीलता) की भाँति हो जाती है ।^२

१ "अपोहो वा शब्दार्थः कैश्चिदुक्त इति"

—काव्यप्रकाश पृ० ३७ द्वितीय उल्लास

(साथ ही) गोशब्दश्रवणात्सर्वासा गोव्यक्तीनामुपस्थितेरतस्मात् अश्वा-
दितो व्यावृत्तिदर्शनाच्च अतद्व्यावृत्तिरूपोऽपोहो वाच्य इति बौद्धमतम् ॥

—बालबोधिनी पृ० ३८

२. "व्यक्तावानन्त्यादिदोषाद् भावस्य च देशकालानुगमाभावात् तदनु-
गताया अतद्व्यावृत्तौ संकेत इति सौगताः"

—(गोविन्द ठक्कुरः प्रदीप, द्वितीय उल्लास)

(४) नैयायिकों का मत:—नैयायिकों के मत में संकेतग्रहण न केवल जाति में तथा न केवल व्यक्ति में ही होता है, अपितु 'जाति-विशिष्ट-व्यक्ति' में। अपने न्यायसूत्र में इसी मत नैयायिकों का मत, जातिविशिष्ट-व्यक्ति में सकेत का उल्लेख करते हुए महर्षि गोतम ने कहा है—
 "किसी पद का अर्थ वस्तुतः किसी वस्तु की व्यक्ति, आकृति तथा जाति सभी (के सम्मिलित तत्त्व) में है ।"^१ नैयायिकों के मत में 'व्यक्ति' तथा 'आकृति' में कोई विशेष भेद नहीं है। यहाँ महर्षि गोतम द्वारा 'पदार्थः' इस प्रकार एकवचन का प्रयोग करना इसी बात को द्योतित करता है कि वे व्यक्ति तथा जाति के सम्मिलित तत्त्व (जातियुक्तव्यक्ति) में संकेत मानते हैं। जगदीश तर्कालंकार ने अपनी 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' में कहा है—“पद का प्रयोग जाति से युक्त (अवच्छिन्न) संकेत वाले व्यक्ति के लिए होता है और वह सकेत वाली संज्ञा नैमित्तिकी कहलाती है। यदि केवल जाति में ही संकेत माना जायगा, तो व्यक्ति का भान प्राप्त करना कठिन होगा ।”^२ इसी कारिका को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि जाति-विशिष्ट व्यक्ति में सकेत वाले नाम या शब्द को ही हम नैमित्तिकी संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय के लिए “गौः” शब्द का प्रयोग तथा किसी लड़के के लिए “चैत्र” का प्रयोग। जब कभी यह नैमित्तिकी संज्ञा उन उन पदार्थों का बोध करायेगी, तो वह बोध जाति-विशिष्ट रूप का ही होगा। जैसे इन्हीं दो उदाहरणों में “गौः” शब्द 'गो-त्व' (गो-जाति) से विशिष्ट गो-विशेष (गो व्यक्ति) का बोध करायेगा तथा “चैत्र” शब्द “चैत्रत्व” (चैत्र-जाति) से विशिष्ट 'चैत्र-व्यक्ति'

(साथ ही) जातेरदृष्टत्वेन विचारासहस्रात् व्यक्तेश्च क्षणिकत्वाद्बुभयत्रापि सकेतस्य कर्तुमशक्यत्वात् गवादिशब्दानामगवादिव्यावृत्तिरूपोऽयं हृति धैनाशिकमतमित्यन्यत्रापि व्याख्यातम् ।

—(झलकीकरः बालबोधिनी पृ० ३८)

१. व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः । —न्यायसूत्र,

२ जास्यवच्छिन्नसकेतवती नैमित्तिकी मता ।

जातिमात्रे हि सकेताद् व्यक्तेर्भानं सुदुष्करम् ॥

से व्यक्ति का ग्रहण मानेंगे, तो यह वास्तविकता के विरुद्ध है। व्यवहार में शब्द से व्यक्ति का संकेत साथ-साथ ही हो जाता है।^१

नैयायिकों का जातिविशिष्ट व्यक्ति-संबंधी मत सक्षेप में यों है— किसी भी शब्द से अर्थ का संकेत होते समय पहले पहल 'व्यक्ति-अवगाहित्व'^२ अर्थात् जाति के साथ ही व्यक्ति का भी ग्रहण मानना होगा। क्योंकि किसी भी पद के सुनने के बाद जो बुद्धि होती है, उसका साक्षात् संबंध उस व्यक्ति से है, जिसमें जाति भी विद्यमान रहती है। इस प्रकार के संबंध का 'शब्दबोध' में ठीक वही महत्त्व है, जो अनुमान में परामर्श का। धुएँ को देखकर 'आग' का अनुमान करने में धुएँ तथा आग के साहचर्य संबंध का स्मरण (परामर्श)—'जहाँ जहाँ धुआँ है वहाँ वहाँ आग है'—एक विशेष महत्त्व रखता है, इसके बिना अनुमान हो ही नहीं सकता। जब हम 'गाय' कहते हैं, तो यह पद स्वयं ही सारे (जातिविशिष्ट व्यक्ति वाले अर्थ को व्यक्त करता है इसके जाति वाले अर्थ को अभिहित करनेवाली अलग से अभिधा नामक शक्ति है, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं।

(५) मीमांसकों का मत—मीमांसकों में दो संप्रदाय हैं—एक कुमारिल भट्ट का, दूसरा प्रभाकर का। दोनों ही मीमांसक अभिधा के द्वारा 'जाति' में संकेतग्रहण मानते हैं। अतः मीमांसकों का मत— हम प्रारंभ में मीमांसकों का साधारण मत देकर जाति में संकेत, उनके संप्रदायगत तथा वैयक्तिक मतों पर धाद में व्यक्ति का 'आक्षेप' प्रकाश डालेंगे। मीमांसकों के मतानुसार 'पदों से जाति का ही संकेत होता है, व्यक्ति का नहीं'^३। जब हम 'घड़ा' कहते हैं, तो उससे हम सारे घड़ों में पाई जाने वाली जाति, घटसामान्य का ही अर्थ लेंगे; घटविशेष, अर्थात् लाल या काले घड़े का नहीं।

१ तन्मन्दम्, विनाप्याक्षेप गामानयेत्यादितो गवादिर्कर्मताकत्वेनानयनदे-
न्वयबोधस्याऽऽनुभाविप्रत्वात्, गौर्गच्छतीत्यादौ शुद्धे गोस्वे गतिमत्त्वाद्यन्वय-
स्यानुभवेनास्पर्शात् गोत्वस्वाद्यनुपस्थित्या च गोस्व गच्छतीत्याद्यनुभवस्यासंभवात्
स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन गतिमत्त्वादिहेतुना गवादौ साक्षात्संबन्धेन गतिमत्त्वाद्या-
क्षेपस्य व्यभिचारदोषेण दुःशक्यत्वाच्च।—शब्दशक्तिप्रकाशिका पृ० ८५

२ गवादिव्यक्तिनिष्ठविशेष्यतानिरूपितविषयस्वमित्यर्थः

३ मीमांसकास्तु गवादिपदानां जातिरेव वाच्या, न तु व्यक्तिः।

—शक्तिवाद, परिशिष्टकाण्ड, पृ० १९५.

(शङ्का) इस विषय में व्यक्तिवादी यह शङ्का करता है कि यदि 'घड़ा' शब्द से घट-जाति का अर्थ लेंगे, तो घट-विशेष का बोध कैसे होगा ? लौकिक व्यवहार में तो सूक्ष्म जाति का बोध न लेकर स्थूल व्यक्ति का ही बोध मानना पड़ेगा । साथ ही यह भी शंका होती है कि यदि 'घड़ा' का अर्थ 'घड़ापन' (घटत्व) लेंगे, तो उसके भी भाव (घड़ापनपन, घटत्वत्व) की कल्पना करनी पड़ेगी । इस शंका का उल्लेख हम नैयायिकों की मतसरणि में भी कर आये हैं, जो मीमांसकों के खण्डन में उठाई गई है ।

(समाधान) मीमांसक इसका उत्तर यों देते हैं । व्यक्तिवादियों के मत में एक दोष पाया जाता है । व्यक्ति का स्वरूपतः ग्रहण नहीं होता, अतः वहाँ भी स्वरूप की पहचान कराने वाली जाति मानने की जरूरत होती है । 'घड़ा ले आओ' कहने पर कोई व्यक्ति 'कपड़ा' न लाकर घड़ा ही लाता है, अतः घड़े में कोई सूक्ष्म भाव (जाति) अवश्य है, जो उसके स्वरूप का ज्ञापक है । साथ ही एक से स्वरूप वाले कई पदार्थों में उसी एक नाम, 'घड़े', का प्रयोग होता है, अतः उनमें कोई ऐसी वस्तु अवश्य है, जो समानता की भावना को द्योतित करती है । इसलिये 'व्यक्ति' में संकेत न मानकर 'जाति' में ही संकेत मानना उचित है । जहाँ तक व्यवहार में व्यक्ति के ज्ञान का प्रश्न है, यह 'आक्षेप' के द्वारा गृहीत होता है । आक्षेप से तात्पर्य "अनुमान या अर्थापत्ति" प्रमाण से है । जैसे धुँएँ को देखकर उसके साहचर्य-संबंध के कारण आग का अनुमान हो जाता है, वैसे ही "जहाँ जहाँ घड़ापन (जाति) है, वहाँ वहाँ घड़ा (व्यक्ति) है, क्योंकि जहाँ जहाँ घड़ा नहीं पाया जाता, वहाँ घड़ापन भी नहीं है, जैसे कपड़े में"^१, इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा व्यक्ति का भी ज्ञान हो जायगा । अथवा, जैसे "मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता"^२ इस वाक्य से "रात में खाता है" यह प्रतीति अर्थापत्ति प्रमाण से होती है, वैसे ही "गायपन जाता है" का अर्थ "गाय जाती है"^३ हो जायगा ।

१ "यत्र यत्र घटत्वं, तत्र तत्र घट, यत्र घटोन, तत्र घटत्व अपि न, यथा पटे"

२ पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, अर्थात् रात्रौ भुङ्क्ते ।

३ गोख गच्छति, अर्थात् गौर्गच्छति ।

(क) भाट्ट मीमांसकों का मन—भाट्ट मीमांसकों के मतानुसार पत्रों से व्यक्ति का स्मरण या अनुभव नहीं होता (जैसा प्रभाकर मानते हैं) अपितु व्यक्ति का ज्ञान 'आक्षेप' से होता है । यह भाट्ट मीमांसकों का आक्षेप जाति के द्वारा होता है । आक्षेप का अर्थ है मत-पार्थ सारथि मिश्र अनुमान या अर्थापत्ति प्रमाण ।^१ प्रसिद्ध भाट्ट मीमांसक पार्थ सारथि मिश्र ने "न्यायरत्नमाला" में बताया है—“हमारे मत से शब्द से सर्व प्रथम जाति की ही प्रतीति होती है, उसके बाद वह किसी व्यक्ति विशेष का आरोप कर लेती है ।”^२ इसी को स्पष्ट करते हुए वे बताते हैं कि शब्द वस्तुतः जाति का ही वाचक है, तथा उसी का बोध कराता है, व्यक्ति का बोध कराने में वह असमर्थ है । यदि कोई (व्यक्तिशक्तिवादी) व्यक्ति में शक्ति माने, तो वह अभिधेय होनी चाहिए । यदि इसका उत्तर पूर्वपक्षी यह ठे कि शब्द के जाति वाले अर्थ में स्वाभाविकी शक्ति है, तथा व्यक्ति वाले अर्थ में नैमित्तिकी (हम देख चुके हैं, नैयायिक व्यक्ति में नैमित्तिकी संज्ञा मानते हैं), तो इस विषय में क्या प्रमाण है कि शब्द की स्वाभाविकी तथा नैमित्तिकी दो शक्तियाँ होती हैं । अतः शब्द जाति का ही वाचक है, तथा उसी का बोध कराता है । बाद में जाति ही व्यक्ति का भी बोध करा देती है ।^३

१ अथ भाट्टाः—पदान्न व्यक्तेः स्मरणमनुभवो वा किं त्वाक्षेपादेव व्यक्तिधीः, आक्षेपिका च जातिरेव । आक्षेपश्चानुमानमर्थापत्तिर्वा ।

—शक्तिवाद, ५० का० पृ० २०७

२ व्यक्तिप्रतीतिरस्माकं जातिरेव तु शब्दतः ।

प्रथमावगता पश्चाद् व्यक्तिं यां कांचिदाक्षिपेत् ॥

—न्यायरत्नमाला, वाक्यनिर्णय का० ५, ३८ पृ० ९९

३. तस्माज्जात्यभिधायित्वाच्छब्दस्तामेव बोधयेत् ।

सा तु शब्देन विज्ञाता पश्चाद् व्यक्तिं प्रबोधयेत् ॥

(वही, ५-४१, पृ० १००)

(ख) श्रीकर का मत:—भाट्ट मत से ही मिलता जुलता श्रीकर का मत है। वे भी शाब्दबोध जाति में ही मानते हैं। श्रीकर का मत है

श्रीकर का मत—
उपादान से व्यक्ति
का ग्रहण

कि जाति वाचक 'गवादि' पद का संकेत तो जाति (गो-जाति) में ही होता है, किंतु उपादान से व्यक्तिबोध हो जाता है। अतः वे व्यक्तिबोध 'श्रौपादानिक' (उपादान-जनित) मानते हैं।^१ जहाँ कोई वस्तु किसी पूरे अर्थ का बोध न

कराये, किंतु उसके अंश मात्र का ही बोध कराये, तथापि अंश के आधार पर अंशी का भी भान हो जाय, उसे 'उपादान' (ग्रहण) कहा जाता है। उदाहरण के लिए 'लाल पगड़ी' शब्द से 'लाल पगड़ी वाले सिपाही' का अर्थ ग्रहण किया जाय, तो यह 'उपादान' ही है, जो यहाँ उपादानलक्षणा (अजहल्लक्षणा) का बीज है। इसी प्रकार 'गोत्व जाता है' इस वाक्य से "गोत्व वाला (व्यक्ति) जाता है" यह भान हो जायगा। श्रीकर का मत वस्तुतः भाट्ट मत का ही दूसरा रूप है, क्योंकि उपादान भी अर्थापत्ति का ही प्रकार विशेष है।

(ग) मंडन मिश्र का मत:—मीमांसकों में तीसरा मत मंडन मिश्र का है। वे शब्द-संकेत सर्वप्रथम जाति में मानकर, फिर (उपादान-)

मंडन मिश्र का
मत—लक्षणा शक्ति
से व्यक्ति का ग्रहण

लक्षणा से व्यक्ति का ग्रहण करते हैं। उनका कहना है—“गाय पैदा होती है, गाय मरती है”, इस प्रकार सभी स्थानों पर “गाय” पद सर्वप्रथम “गोत्वादि” जाति का बोध कराता है। इसीलिए वह पद जाति का अर्थ बोध कराने में 'शक्त' है।

इसके बाद लक्षणा के द्वारा यही शब्द गो-जाति वाले गो-विशेष का बोध करा देता है। व्यक्तियों तो एक न होकर कई हैं, अतः किस 'व्यक्ति' में संकेत माना जाय? इससे व्यक्ति में संकेत मानने में दोष है। साथ ही कोरे जाति वाले अर्थ से तात्पर्य ठीक नहीं बैठता, अतः

१ “जातिवाचकपदाज्जातिबोध. शाब्दो व्यक्तिबोधस्त्वौपादानिक एवेति श्रीकरमतम् .”
(शक्तिवाद, प० का० पृ० २११)

लक्षणा के द्वारा ही व्यक्ति का बोध मानना होगा ।”^१ इसी बात को मंडन मिश्र ने अपनी प्रसिद्ध कारिका में कहा है:—

“वक्ता जत्र ‘गौः’ के अस्तित्व या नास्तित्व (गाय है—गौरस्ति, गाय नहीं है—गौर्नास्ति) का प्रयोग करता है, तो उसका अभिप्राय वहाँ जाति की सत्ता या अभाव से नहीं है । वस्तुतः जाति तो नित्य है, अतः उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । ये अस्तित्व या नास्तित्व व्यक्ति के ही विशेषण हैं, जो उस जातिगत संकेत के द्वारा लक्षित होती है ।”^२

मंडन मिश्र के मत का मम्मट के द्वारा खंडन:—काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य ने भी एक स्थान पर मंडन मिश्र के मत का उल्लेख कर खंडन किया है । मंडन मिश्र का कहना है कि इम मत का मम्मट के द्वारा खंडन कई वेदवाक्य ऐसे हैं, कि उस प्रकरण में जाति वाला अर्थ लेने से, अर्थ संगत नहीं बैठता । जैसे “गाय का वलिदान करो” (गौरनुवन्व्यः) यह एक वाक्य है । यहाँ पर वेदवाक्य होने के कारण यह प्रभुसम्मित आदेश है, अतः इस वाक्य के विषय में शंका तो की नहीं जा सकती । अत्र यदि ‘गाय’ का अर्थ ‘गो-जाति’ लिया जाय, तो उस जाति जैसे सूक्ष्म भाव का बोध कैसे हो सकता है । चूँकि वेद का यह आदेश (विधि वाक्य) भूटा नहीं हो सकता, अतः यहाँ जाति से व्यक्ति का (लक्षणा के द्वारा) आक्षेप हो जायगा, वैसे शब्द के द्वारा व्यक्ति का अभिधान कभी नहीं हुआ है । “अभिधा शक्ति सदा विशेषण (जाति) का बोध कराती है । उसका बोध कराने पर वह क्षीण हो जाती है । क्योंकि शब्द, बुद्धि और कर्म का व्यापार केवल एक ही क्षण तक रहता है । अतः एक क्षण में जाति का बोध करा कर क्षीण हो जाने पर वह

१. गौर्नास्ति गौर्नास्ति इत्यादौ सर्वत्र गोत्वादिजातिशक्तेनैव गवादि-पदेन लक्षणया गोत्वादिविशिष्टा व्यक्तिबोध्यते, व्यक्तीना बहुर्वेदान्यलभ्यत्वेन च तत्र शक्तेरल्पनात् तात्पर्यानुपपत्तेरपि लक्षणायां धीजत्वात् ॥

—शब्दशक्तिप्रकाशिका पृ० ८७

२. जातेरस्तित्वनारितं वे न हि कश्चिद् विवक्षति ।

नित्यत्वाह्लक्षणीयाया व्यक्तेस्ते हि विशेषणे ॥ —मंडन मिश्र

अभिधाशक्ति विशेष्य (व्यक्ति) का बोध नहीं करा पाती," यह बात मानी हुई है। इसलिए व्यक्तिबोध के लिए कोई दूसरी शक्ति माननी पड़ेगी। अतः "गाय का वध करो" वाक्य का अभिधा से "गायपन (गोत्व) का वध करो", तथा दूसरे क्षण में उपादान-लक्षणा से "गोत्व विशिष्ट-गो-व्यक्ति का वध करो" यह अर्थ लेना होगा।^१

(खंडन) इस तर्क को देकर मंडन मिश्र यहाँ ('गाय का वध करो' में) लक्षणा मानते हैं। यह ठीक नहीं। यह उदाहरण उपादानलक्षणा का है ही नहीं। लक्षणा सदा रूढि या प्रयोजन को लेकर चलती है। "गोः" से 'गोव्यक्ति' अर्थ लेने में यहाँ न रूढि है, न कोई प्रयोजन ही। जाति तथा व्यक्ति में ठीक वैसा ही अविनाभाव संबंध है, जैसा क्रिया के साथ कर्ता या कर्म का पाया जाता है। जैसे "इस काम को करो" (क्रिया) से 'तुम' कर्ता का आक्षेप हो जाता है, अथवा 'करो' क्रिया से 'इस काम को' कर्म का बोध (आक्षेप से) हो जाता है, ठीक इसी तरह 'गोः' से ही 'गो व्यक्ति' का बोध हो जाता है। अतः इस व्यक्त्यंशवाले अर्थ में लक्षणा जैसी दूसरी शक्ति का व्यापार मानना उचित नहीं।^२

(घ) प्रभाकर का मत:—प्रभाकर के मत से भी शक्तिज्ञान जाति का ही होता है, किंतु व्यक्तिविषयक शाब्दबोध के विषय में वे अन्य मीमांसकों की भाँति आक्षेप, उपादान या लक्षणा प्रभाकर का मत— नहीं मानते। उनके मतानुसार जाति से व्यक्ति जाति के ज्ञान के का स्मरण हो जाने पर अर्थप्रतीति होती है। साथ ही व्यक्ति का प्रभाकर का कहना है, जब कोई व्यक्ति, "गाय स्मरण जाती है", यह कहता है, तो श्रोता को कोरी निर्विकल्पक जाति का ज्ञान नहीं होता। निर्विकल्पक ज्ञान वह ज्ञान कहलाता है, जहाँ ज्ञातव्य पदार्थ की कोई आकृति,

१ "गौरनुवध्य" इत्यादौ श्रुतिमन्त्रोदितमनुबधनं कथं मे स्यादिति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते न तु शब्देनोच्यते "विदेप्य नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्ति-विशेषणे" इति न्यायात् (इति उपादानलक्षणा...)

२. "...इति उपादानलक्षणा तु नोदाहर्तव्या। न ह्यत्र प्रयोजनमस्ति न वा रूढिरियम्। ध्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्याध्यक्तिराक्षिप्यते। यथा क्रियनामत्र कर्ता, कुर्वित्यत्र कर्म, प्रविश पिण्डीमित्यादौ गृह भक्षयेत्यादि च ॥

रूप, रंग, नाम का पता त्रिलकुल नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं किसी लेख के लिखने में व्यस्त हूँ। मेरे पीछे से कोई व्यक्ति मेरे पास होकर निकलता है। लेख लिखने में तन्मय होने के कारण मुझे वह व्यक्ति कौन था, इसका भान नहीं, केवल इतना ही पता है कि कोई मेरे पीछे से निकला है। ऐसा ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। कोरी सूक्ष्म जाति का ज्ञान ऐसा ही निर्विकल्पक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान शाब्द-बोध के संबंध में संगत नहीं बैठता; इसलिए यह मानना पड़ेगा कि व्यक्ति के संबंध-ज्ञान का स्मरण भी जाति के साथ ही साथ ठीक उसी क्षण हो जाता है, जब पद श्रवणगोचर होता है।' इस विषय में प्राभाकरों ने एक शंका उठा कर उसका समाधान किया है।

(शंका) जिस समय शब्द सुनने पर जाति का बोध होता है, उस समय तो श्रोता को जाति तथा व्यक्ति के परस्पर संबंध का ज्ञान नहीं होता। अतः इस संबंध के ज्ञानोदय के बिना व्यक्ति का स्मरण भी नहीं हो सकता।

(समाधान) जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो जिस ज्ञान से जाति का बोध होता है, उसी से व्यक्ति का भी भान हो जाता है। दोनों में भिन्न भिन्न ज्ञान की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए यदि कोई 'हस्तिपक' (हाथी का रखवाला, महाव्रत) शब्द का प्रयोग करे, तो 'हाथी के रखवाले' का 'हाथी' की जाति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन 'हाथी के रखवाले' का जब ज्ञान होता है, तो उसके वल से हमें उससे संबद्ध 'हाथी' का भी स्मरण हो आता है, और उसके साथ ही साथ हाथीपन' (हस्ति-जाति, हस्तित्व) का भी भान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार चाहे हमें व्यक्ति और जाति के संबंध का ज्ञान न हो, जाति के स्मरण के साथ इसलिए व्यक्ति का बोध हो जाता है, कि वह जाति का विशेष्य है।

१. प्राभाकरास्तु—जातिज्ञानादेव जातिप्रकारेण व्यक्तेः स्मरण शब्द बोधश्च, न तु निर्विकल्पकरूप जातिस्मरण, निर्विकल्पकानभ्युपगमान् ।

(दूसरी शंका) स्मरण के लिए पहले के ज्ञान का संस्कार होना आवश्यक है । अतः व्यक्ति का स्मरण तभी हा सकता है, जब कि एक बार व्यक्ति का भान हो गया हो ।^१

(समाधान) व्यक्तिज्ञान के स्मरण के लिए किसी अन्य व्यक्ति विषयक ज्ञान की आवश्यकता अवश्य होती है, इसे हम भी मानते हैं, और उसी ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से व्यक्ति का स्मरण होता है ।^२

प्रभाकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'बृहती' (शत्रुभाष्य की टीका) में इस विषय पर विचार किया है । प्रथम अध्याय के प्रथमपाद के तेतीसवे सूत्र के भाष्य की टीका में बताया गया है कि शब्द से जाति का ही बोध होता है । वेदवाक्यों में प्रयोजनसिद्धि इसके ही द्वारा होती है । उदाहरण के लिए, श्येन-याग के प्रकरण में, "श्येन के समान वेदी बनाई जाय" इस विधिवाक्य में यदि 'श्येन' का अर्थ 'श्येन-व्यक्ति' लिया जायगा, तो वेदी का श्येनविशेष के समान बनाया जाना असंभव है । अतः 'श्येन' शब्द से हम 'श्येन-जाति' का ही बोध करेंगे । इस पर पूर्व-पक्षी यह शंका करते हैं कि उपर्युद्धृत वाक्य में तो 'जातिबोध' मानना ठीक है पर ऐसे भी उदाहरण दिये जा सकते हैं, जहाँ जाति का बोध मानना ठीक नहीं, जैसे 'श्येन उड़ रहा है', इस वाक्य में । ऐसी स्थिति में शाब्दबोध का प्रश्न समस्या बना रहता है, तथा निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक बोध जाति का होता है या व्यक्ति का । प्रभाकर इसका समाधान यों करते हैं । वेद के प्रत्येक विधि वाक्य में सबसे पहले जाति का सामान्य भावग्रहण माने बिना उद्दिष्ट विधि नहीं हो सकती, क्योंकि वेद में समस्त प्रयोजन जाति से ही संबंध रखता है, व्यक्ति से नहीं । जहाँ भी कहीं व्यक्ति के भाव का ग्रहण करना पड़ता है, जाति

१. जातिशक्तिज्ञाने नियमतो जातिप्रकारेण द्यवत्यभानात् तज्जन्यसंस्कारा-
देव व्यक्तिस्मरणसम्भवात्, नियमतो व्यक्तिस्मरणासम्भव इति चेत् ?

—वही पृ० २१६

२. का क्षति, व्यक्तिविषयकज्ञानान्तरस्यावश्यकतया तज्जन्यसंस्कारादेव
व्यक्तिस्मरणसम्भवात् ।

—वही पृ० २१६

तथा व्यक्ति के अविनाभाव संबंध के कारण उसका स्मरण गौण रूप से हो ही जाना है ।^१

(६) वैयाकरणों का मत:—वैयाकरणों के मतानुसार शब्द का संकेतग्रह उपाधि में होता है । व्यक्तिवादी का खंडन करते हुए उपाधि-वादी वैयाकरणों का कहना है कि किसी भी वैयाकरणों का मत— शब्द का प्रयोग करने पर प्रवृत्ति या निवृत्ति उपाधि में संकेत—यही व्यक्ति की ही होती है । जैसे हमने 'घड़ा लाओ' मत नव्य आलंकारिकों या 'घड़ा ले जाओ' कहा तो बोद्धव्य-व्यक्ति को अभिमत घटविशेष को ही लाता या ले जाता है, फिर भी व्यक्ति में संकेत न मानने में दो कारण हैं । एक तो व्यक्ति में संकेत मानने में आनन्त्य दोष आता है, क्योंकि व्यक्ति तो अनेक हैं । जब हम 'घड़ा लाओ' कहते हैं, तो विश्व के समस्त घड़ों को तो लाया नहीं जा सकता । इसके साथ दूसरा इसमें 'व्यभिचार' दोष पाया जाता है । क्योंकि जब 'घट' शब्द का प्रयोग उस घटाविशेष के लिए किया गया है, जिसे लाने या लेजाने को हम कह रहे हैं, तो अन्य घड़ों में 'घट' शब्द सगत नहीं होगा, और उनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग शब्द ढूँढने पड़ेंगे । इससे अधिक स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है, कि यदि व्यक्ति में संकेत माना जायगा तो 'घट' शब्द का प्रयोग जो 'रामू के घड़े' के लिए किया जा रहा है, वह 'श्यामू के घड़े' के लिए न होगा, उसके लिए कोई दूसरा शब्द गढ़ना होगा । अतः व्यक्ति में संकेत मानना ठीक नहीं । जब हम किसी भी पदार्थ का बोध कराते हैं तो केवल जाति, या व्यक्ति का ही बोध न करा कर पदार्थ के जाति, गुण, क्रिया तथा द्रव्य (व्यक्ति) चारों का बोध कराते हैं । अतः इन चारों के सम्मिलित तत्त्व (उपाधि) में संकेत मानना उचित है । ध्यान से देखा जाय तो ये चारों वाते एक ही पदार्थ में इतने सश्लिष्ट रूप में पाई जाती हैं, कि इनका एक साथ प्रयोग पाया जाता है, जैसे "गोः शुक्लश्चलो डित्यः" (गाय, सफेद, जाता हुआ, डित्य (नाम वाला) । यदि व्यक्ति में संकेत माना जाय तो इन

१. बृहती (१, १, ३३) का उद्धरण निम्न पुस्तक में,

चारों शब्दों का अर्थ एक ही 'गो-व्यक्ति' होगा, और फिर तत्तत् भाव का बोधन न हो सकेगा। अतः शब्द का संकेत 'उपाधि' में होता है।^१

इस उपाधि के दो भेद माने गये हैं:—एक तो वह जो पदार्थ के धर्म के रूप में पाया जाता है (वस्तुधर्म), दूसरा वह जो बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है, अर्थात् वक्ता उसकी इच्छा के अनुसार नाम रख लेता है (वक्तृयदृच्छासंनिवेशित)। वस्तुधर्म वह है, जो उस पदार्थ में पाया जाता है, जिसका बोध कराना होता है। वस्तुधर्म पुनः दो प्रकार का होता है, सिद्ध तथा साध्य। सिद्ध, पदार्थ में पहले से ही रहता है, जैसे "द्वित्थ नाम वाला सफेद बैल चल रहा है", यहाँ बैल में "वैलपन" और 'सफेदी' पहले से ही विद्यमान (सिद्ध) है। साध्य क्रिया रूप होता है। इसी उदाहरण में 'चलना' क्रिया साध्य है। सिद्ध भी दो तरह का होता है। एक तो उस पदार्थ का प्राणाधायक होता है, अर्थात् वह उस कोटि के समस्त पदार्थों में पाया जाता है (जाति), दूसरा उसको उसी जाति के दूसरे पदार्थों से अलग करने वाला होता है। जैसे 'वैलपन' बैल का प्राणप्रद है, जब कि 'सफेद' उसे वैसे ही दूसरे काले या लाल बैलों से विशिष्ट वताता है। इस प्रकार वक्तृयदृच्छा संनिवेशित, साध्य वस्तुधर्म, विशेषाधानहेतु सिद्ध, तथा प्राणप्रद सिद्ध वस्तुधर्म क्रमशः द्रव्य (द्वित्थ), क्रिया (चलना), गुण (सफेद) तथा जाति (वैलपन) हैं। पदार्थ को प्राण देने वाला धर्म जाति है। इसी बात को भर्तृहरि ने कहा है, कि कोई भी गाय अपने आप गाय नहीं बन जाती, न कोई घोडा आदि जो गाय नहीं है, अपने स्वरूप से ही "अगौः" (गो से भिन्न) है। गाय और गोभिन्न पदार्थ की पहचान कराने वाला 'गोत्व' (गो जाति) है, जिसमें वह पाया जाता है, वह गाय है, जिसमें वह नहीं पाया जाता, वह गाय नहीं। अतः 'गोत्व' से सबद्ध होने के कारण ही "गौः" का व्यवहार पाया जाता है।^२ उसी

१ यद्यप्यर्थक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव तथाप्यानन्याद् व्यभिचाराच्च तत्र संकेत. कर्तुं न युज्यते इति गौः शुक्लश्चलो द्वित्थ इत्यादीनां विषयविभागो न प्राप्नोतीति च तदुपाधावेव संकेत. ॥

—काव्यप्रकाश, द्वितीय उल्लास पृ० ३२-३३

२. "न हि गौः स्वरूपेण गौर्नाप्यगौर्गोत्वाभिसवधात्तु गौः"

—भर्तृहरि

जाति के दूसरे पदार्थों से किसी अन्य पदार्थ की विशेषता बताने वाला गुण है, जैसे शुद्ध गुण। साध्य का अर्थ क्रिया है। क्रिया में पदार्थ के अंगों (अवयवों) में हलचल पाई जाती है। भर्तृहरि कहते हैं—
 “जितने भी व्यापार हैं, वे चाहे अतीत काल के (सिद्ध) हों, या भविष्यत् काल के (अस्िद्ध) हों साध्य ही कहलायेगे। सभी व्यापारों में एक क्रम पाया जाता है। इसी क्रम के कारण समस्त व्यापार क्रिया कहलाते हैं। उसे ‘साध्य’ की पारिभाषिक संज्ञा भी दी गई है।”^१
 यह च्छासनिवेशित वह प्रयोग है, जिसमें वक्ता अपनी इच्छा के अनुकूल किसी का बोध कराने के लिए नाम रख लेता है, जैसे किसी घच्चे का, या कुत्ते का छुन्नू, मुन्नू कुछ भी नाम रख लिया जाय। महाभाष्यकार इन्हीं चारों में शब्दों की प्रवृत्ति, शब्दों का संकेत मानते हैं। वे कहते हैं:—“गाय, सफेद, चलता हुआ, डित्थ इत्यादि में शब्दों की चार प्रकार की प्रवृत्ति होती है।”^२

जातिशक्तिवादी गुण, क्रिया तथा यह च्छा शब्दों को जाति में ही सम्मिलित कर लेते हैं। उनके अनुसार वहाँ भी शुक्त्व, चलत्व, डित्थत्व जाति मानना ठीक होगा। बर्फ, दूध तथा शंख में अलग-अलग प्रकार का ‘शुद्ध’ गुण पाया जाता है, इसी तरह गुड़, चावल, आदि को अलग अलग तरह से पकाया जाता है। डित्थ शब्द का उच्चारण जब बालक, बुड्डे या तोता-मैना करते हैं, तो अलग-अलग तरह का पाया जाता है। इसलिए इनमें शुक्त्व, पाकत्व तथा डित्थत्व जाति की स्थिति माननी चाहिए। वैयाकरण गुण, क्रिया, यह च्छा में जाति नहीं मानते। वस्तुतः गुण, क्रिया तथा यह च्छा में अनेकता नहीं पाई जाती, वे एक ही हैं। बर्फ की सफेदी तथा शंख की सफेदी अलग-अलग न होकर एक ही है, केवल अलग-अलग मालूम पड़ती है, अतः यहाँ ‘सफेदीपन’ (शुक्त्व) जैसी कोई चीज नहीं मानी जा सकती। जाति की कल्पना तो वहाँ हो सकती है, जहाँ अनेक पदार्थों में एक सामान्य पाया जाता हो, इसीलिए

१. यावत्पिञ्जमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते ।

आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते ॥

—भर्तृहरि

२. गौ शुद्धश्चलो दित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः ।

—(महाभाष्य १, १, १)

आकाश जैसे एक पदार्थ की जाति (आकाशत्व) नहीं मानी जाती । इसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जैसे एक ही मुख का प्रतिबिम्ब खड्ग में लंबा, दर्पण में थोड़ा बड़ा तथा उलटा, एव तैल में चिकना और हिलता हुआ प्रतीत होता है ठीक इसी प्रकार गुड़ की तथा चावल की पाक क्रिया, दूध की सफेदी और शंख की सफेदी एक ही है, जो आश्रय के भिन्न होने से भिन्न प्रतीत होती है ।^१ अतः गुण, क्रिया तथा यदृच्छा शब्दों में जाति की कल्पना कर कोरी जाति में सकेतग्रह मानना ठीक नहीं ।

नव्य आलंकारिकों को भी वैयाकरणों का ही मत स्वीकार है । मम्मटाचार्य ने इसी मत को प्रधानता दी है और हेमचंद्र, विद्यानाथ, विद्याधर तथा विश्वनाथ ने मम्मट के ही मार्ग का आश्रय लिया है । मम्मटाचार्य ने वैसे तो सभी मतों का उल्लेख काव्यप्रकाश में किया है, (कुछ लोगों के मत से) “संकेतित जाति आदि चार प्रकार का है, अथवा (कुछ के मत में) जाति ही है”^२ के द्वारा वे वैयाकरणों तथा मीमांसकों के मतों पर विशेष प्रकाश डालते हैं । वृत्ति में वे विशद रूप से वैयाकरणों के मत का विश्लेषण करते हैं, अतः ऐसा जान पड़ता है कि मम्मट को महाभाष्यकार का मत अभिप्रेत है । टीकाकारों ने स्पष्ट लिखा है कि काव्यप्रकाशकार को ‘उपाधि वाला’ मत ही सम्मत है ।^३

नैयायिकों के अनुसार सकेत पारिभाषिक, नैमित्तिक तथा औपाधिक तीन प्रकार का माना गया है । किसी को पुकारने के लिए हम कुछ भी नाम रख लें, या शास्त्र की दृष्टि से किसी वस्तु सकेत के प्रकार का कोई भी पारिभाषिक नाम रख लें, तो वह पारिभाषिक संकेत कहलाता है । जैसे कोई पिता अपने पुत्र का नाम “चैत्र” रख लेता है, अथवा शास्त्रकार किसी

१. गुणक्रियायदृच्छाना वस्तुत एव रूपाणामप्याश्रयभेदः द्भेद इव लक्ष्यते यथैकस्य मुखस्य खड्गमुकुरतैलाध्यालवनभेदात् ।

—काव्यप्रकाश, द्वितीय उल्लास पृ० ३७

२ “संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा”

— का० प्र० का० ७ (उल्लास २)

३. वस्तुतस्तु महाभाष्यकारोक्तपक्ष एव प्रथकृदभिमतः ।

—वालबोधिनी पृ० ३९

शास्त्रीय सिद्धांत के लिए कोई नाम रख लेते हैं, जैसे अलंकारशास्त्र में ही रीति, रस, गुण, दोष आदि का पारिभाषिक प्रयोग पाया जाता है। जाति वाली शक्ति नैमित्तिक शक्ति है, जैसे बैल, घोड़ा, मनुष्य आदि में। जहाँ कोई संकेत उपाधि में हो, वह औपाधिक है। (नैयायिकों के 'उपाधि' का तात्पर्य वह है, जहाँ कई जातियाँ एक शब्द में सन्निविष्ट होकर बोध्य हों) जैसे पशु में गाय, घोड़ा आदि सभी जाति के चतुष्पदों का संकेत होता है। भर्तृहरि ने संकेत दो ही प्रकार का माना है—आजानिक तथा आधुनिक। आजानिक से भर्तृहरि का ठीक वही तात्पर्य है, जो नैयायिकों का नैमित्तिक से। भर्तृहरि बताते हैं आजानिक नित्य होता है, अर्थात् उस शब्द का प्रयोग वैसे पदार्थ में सदा पाया जाता है, इसमें जाति का समावेश होता है। आधुनिक संकेत का प्रयोग 'यदा-कदा' (कादाचित्क) होता है, तथा इसका प्रयोग शास्त्रकार परिभाषा आदि में करते हैं।^१

पाश्चात्य विद्वान् और शब्दबोधः—शब्द के संकेतग्रह के विषय में भारत की भाँति पश्चिम में भी विचार हुआ है, किंतु इन दोनों मतों के मूल उद्भव में एक भेद अवश्य है।
पाश्चात्य विद्वान् और शब्दबोध अरस्तू तथा प्रीस्क्रियन भारत में संकेतग्रह के विषय पर विशद विचार व्याकरण, दर्शन तथा तर्क तीनों में हुआ है, किंतु पश्चिम में इस विषय में विशेष विचार तर्कशास्त्र की दृष्टि से ही किया गया है। अरस्तू ने शब्द के संकेत पर तर्कशास्त्र की दृष्टि से विचार किया है।

१ यत्रार्थं यन्नामाधुनिकसंकेतवत्तदेव पारिभाषिकम्, यथा पित्रादिभिः पुत्रादौ संकेतित, चंद्रादि, यथा वा शास्त्रकृद्भिः सिध्यभावाद्यौ पक्षतादि । जातिवाच्यताशक्तिमन्नाम नैमित्तिकम्, यथा गो-गवयादि, यदुपाध्यवच्छिन्न-शक्तिमन्नाम तदौपाधिकम्—यथाकाशपश्वादि ।”

—शब्दशक्तिप्रकाशिका

२. आजानिकस्वाधुनिकः संकेतो द्विविधो मतः ।

नित्य आजानिकस्वन्न या शक्तिरिति गीयते ।

कादाचित्कस्वाधुनिकः शास्त्रकारादिभिः कृतः ॥

—(भर्तृहरि)

इसी संबंध में अरस्तू ने शब्द के जातिगत तथा अर्थगत संकेत पर प्रकाश डाला है। अरस्तू के अतिरिक्त, पेटागोरस ने शब्दों की एक ऐसी कोटि मानी है, जिसका ज्ञान की सामान्य परिस्थितियों से संबंध है। प्रीन्सिपल के अनुसार संज्ञा (नाम) का लक्ष्य द्रव्य तथा गुण दोनों हैं इस प्रकार वह जाति तथा व्यक्ति दोनों में संकेत मानता है।^१ प्रीन्सिपल का यह मत नैयायिकों के “जातिविशिष्टवाले” मत से मिलता जुलता है।

आधुनिक पाश्चात्य तर्कशास्त्रियों में से पोर्ट रॉयल संप्रदाय के तर्कशास्त्रियों ने पदार्थ तथा भावों के संबंध पर विचार किया है। इसी संबंध में उन्होंने संकेतग्रह की विभिन्न सरणियों पोर्ट रॉयल तर्कशास्त्रीय तथा वाणी के प्रकारों की विवेचना की है। तथा कितु ये लोग भी उतनी सूक्ष्मता तथा वास्तविकता तक नहीं पहुँच पाए हैं, जितनी तक स्केलिगर का मत भारतीय वैयाकरण पहुँचे हैं। फिर भी इनका विवेचन कुछ अंश तक महत्त्वपूर्ण अवश्य है। पोर्ट-रॉयल संप्रदाय के तर्कशास्त्री वाक्य में क्रिया को बड़ा महत्त्व देते हैं। उनके मतानुसार क्रिया के ही कारण दो भिन्न वस्तुओं का भेद दृष्टि-गोचर होता है। जे० सी० स्केलिगर ने इसी आधार पर संज्ञा तथा क्रिया का भेद बताया है कि संज्ञा नित्य (स्थायी) वस्तुओं का बोध कराती है, कितु क्रिया अनित्य (अस्थायी) का।^२ इस दृष्टि से स्केलिगर का मत प्राचीन भारतीय दार्शनिकों से मिलता जुलता है, जो संज्ञा को सिद्ध तथा क्रिया को साध्य मानते हैं।

१ “Priscien en temoigne quand il dit que le nom (substantif et adjectif) design la substance et la qualite, considerees d une maniere generale ou particulere ” —Regnaud, P 8

२. “ . par J C. Scaliger, qui distingue le nom du verbe, en ce que le premier designe les choses permanentes, et la second celles qui passent.”

—ibid P. 9.

व्याकरणात्मक तर्क की दृष्टि से क्रिया ही “मैं खाता हूँ”, “मैं खा रहा हूँ”, “मैं खाता था” आदि के भेद का विश्लेषण करती है। क्रिया के ही कारण पुरुष, काल तथा लकार का ज्ञान होता है। स्केलिगर के मतानुसार शब्द में स्पन्दनशीलता या क्रिया का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से स्केलिगर का मत ठीक जान पड़ता है। उसने क्रिया की परिभाषा यों मानी है:—“वह शब्द जो कर्ता से कर्म का संबंध स्थापित कर दोनों में विद्यमान रहता है, क्रिया है।”^१

प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक जॉन लॉक ने अपने ग्रंथ “मानवबोध पर निबन्ध” (एसे आँ द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग) की तृतीय पुस्तक में शब्द तथा उसके भावों का विशद विवेचन किया है। लॉक के मतानुसार व्यक्तिगत नामों को छोड़ कर प्रायः समस्त नाम (शब्द), सामान्य तथा सूक्ष्म भाव (जाति) का बोध कराते हैं।^२ व्यक्तिगत नामों का विवेचन करते हुए वह बताता है, कि मनुष्य तथा देश के

१. “...de definir la verbe, “un mot ayant pour fonction d’attribuer a un sujet une action exercee ou subie par lui. —ibid P. 10.

२ Since all (except proper) names are general, and so stand not particularly for this or that single thing, but for sorts and ranks of things, it will be necessary to consider, in the next place, what sort and kinds, or, if you rather like the latin names, what the ‘species’ and ‘genera’ of things are, wherein they consist, and how they come to be made.”

—Essay on Human Understanding. III. 1. 6, (Page 322).

अतिरिक्त नगरों, पर्वतों, नदियों आदि के व्यक्तिगत (भारतीय मत में यदृच्छाजनित) नाम होते हैं । घोड़े, कुत्ते आदि पशुओं के भी यदृच्छा नाम देखे जाते हैं ।^१ शब्दों की जातिबोधकता पर विचार करते हुए उसने बताया है कि शब्द सामान्य भावों के बोधक होने के कारण 'सामान्य' हो जाते हैं । जब मात्र देश काल का परित्याग कर देते हैं, तो वे 'सामान्य' बन जाते हैं और इस प्रकार किसी विशेष सत्ता वाले भाव से भिन्न हो जाते हैं । वे एक व्यक्ति से अधिक को प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं ।^२ इसी तरह शब्द भी 'सामान्य' (जाति) का बोध कराते हैं । इसी संबंध में लॉक ने प्राकृत सामान्यों को उन सामान्यों से भिन्न किया है जो ज्ञेय वस्तुओं के उपमान के आधार पर स्थापित हैं । दूसरे प्रकार के सामान्य वे हैं, जिन्हें लॉक कृत्रिम सामान्य मानता है । इनका सत्रध केवल ज्ञान (हम इसे निर्विकल्पक ज्ञान कह सकते हैं) के उत्पादन से है, उदाहरण के लिए 'सत्य', 'पुण्य' 'पाप' आदि शब्द । लॉक की भाँति कॉडिलेक भी जाति को ही विशेष महत्त्व देता है—'समस्त भाव उतने ही हैं, जितने कि सूक्ष्म भाव ।'^३

१. वही, III 3 5. Page 327.

२. Words become general by being made signs of general ideas, and ideas become general by separating from them the circumstance of time, and place, and any other ideas that may determine them to this or that particular existence. By this way of abstraction they are made capable of representing more individuals than one "

—ibid III 3 6. Page 328

३. Condillac, de son cote, affirme que "toutes les idees generales sont outent d'idees abstraites "

—Regnaud P 12.

पाश्चात्य तर्कशास्त्री जे० एम० मिल ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'ए सिस्टम आव् लॉजिक' में इस विषय पर विचार प्रतिपादित किये हैं। उसने बताया है कि शब्द तथा उनके जेम्स स्टुअर्ट मिल का संकेत का विचार करते समय उसके अतस्तल मत; व्यक्तिगत नाम, में जाने पर पता चलता है, कि संकेत में तीन सामान्य अभिधान तथा वस्तुओं का ग्रहण होता है, एक तो व्यक्ति का विशेषण में संकेत व्यक्तिगत नाम, (प्रॉपर नेम) दूसरा सामान्य अभिधान अथवा जाति (स्पीसी) तीसरा उसका विशेषण (एट्रिब्यूट)^१। वैयक्तिक नामों के विषय में मिल का कहना है कि वे किसी वस्तु का तत्त्वतः बोध नहीं कराते। वस्तुतः इन शब्दों से कोई भाव की प्रतीति नहीं होती।^२ वैयक्तिक नाम बिना किसी अर्थ वाले चिह्न हैं, जो किसी एक पदार्थ के लिए रख लिये जाते हैं। असल में, हम किसी एक पदार्थ के भाव के लिए अपने मन में कोई चिह्न गढ़ कर उसका उस पदार्थ से संबंध स्थापित कर लेते हैं। जब जब वह चिह्न हमारी आँखों के सामने आता है या बुद्धिगम्य होता है, तो हम उस पदार्थ के बारे में सोच सकें, इस सुविधा के लिये ही यह संबंध स्थापित किया जाता है।^३

जातिवाचक सामान्य शब्द अनेक का बोध कराते हैं। इन सामान्य शब्दों को मिलने 'संकेतरू' (कोनोटेटिव) की पारिभाषिक संज्ञा दी

१. J. S. Mill A system of Logic. Book I Ch. II

२ "The only names of objects which connote proper thing are proper names, and these have, strictly speaking no significance."

—ibid, I. II. 5 Page 21

३ "A proper name is but an unmeaning mark which we connect in our minds with the idea of the object, in order that whenever the mark meets our eyes or occurs to our thoughts, we may think of that individual object."

—ibid I. II. 5. Page 22

है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम वह शब्दों के दो भेद करता है, 'संकेतक' (कोनोटेटिव) तथा 'अ-संकेतक' (नॉन-कोनोटेटिव)।^१ प्रथम कोटि में 'सामान्य नामों' (जनरल नेम्ज़—जाति) का ग्रहण होगा। दूसरे में व्यक्तिगत नामों (प्रॉपर नेम—द्रव्य) तथा विशेषणों (एट्रिब्यूट्स) का ग्रहण होगा। व्यक्तिगत नाम तथा विशेषण किसी पदार्थ के 'संकेतक' नहीं। अ-संकेतक शब्द या तो केवल पदार्थ का ही बोध करा पाता है, या केवल गुण का ही। किंतु मिल का यह 'एट्रिब्यूट' ठीक वही गुण नहीं है, जो भारतीय दार्शनिकों का, यह हम आगे देखेंगे। विशेषण (एट्रिब्यूट) के प्रकार के विषय में मिल का मन जानने से पहले हम 'सामान्य नामों' (जाति) के विषय में उसके मन को समझ लें। जिन नामों के प्रयोग से हमें अनेक व्यक्तियों का बोध हो, वह जाति हैं, जैसे 'मनुष्य' शब्द।^२ 'मनुष्य' शब्द के द्वारा राम, श्याम, पीटर, जेन, जॉन, आदि समस्त मनुष्य व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है। इसी संबंध में मिल ने एक ऐसी बात भी कही है, जो भारतीय मत से कुछ विरुद्ध पड़ती है। सफेद, लम्बा, काला जैसे शब्दों को मिल 'संकेतक' मानता है, एट्रिब्यूट नहीं। उसके मतानुसार सफेद-पन, लम्बाई, कालापन, जैसे शब्द 'अ-संकेतक' हैं, और वे 'एट्रिब्यूट' हैं।^३ भारतीय मीमांसक 'सफेद-पन' (शुक्लत्व), तथा कालापन (कृष्णत्व) जैसी जाति (सामान्य भाव) मानते हैं। इस तरह तो ये इनके मत में 'संकेतक' भी सिद्ध होंगे। हम इसी परिच्छेद

१ This leads to the consideration of a third great division of names, into 'connotative' and 'non-connotative', the latter sometimes, but improperly, called 'absolute.'

—ibid Page 19.

२ The word 'man', for example, denotes Peter, John, Jane, and an indefinite number of other individuals, of whom, taken as a class, it is the name."

—ibid Page 19.

३ "Whiteness, length, virtue, signify an attribute only."

—ibid P. 19.

है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम वह शब्दों के दो भेद करता है, 'संकेतक' (कोनोटेटिव) तथा 'अ-संकेतक' (नॉन-कोनोटेटिव)।^१ प्रथम कोटि में 'सामान्य नामों' (जनरल नेम्ज—जाति) का ग्रहण होगा। दूसरे में व्यक्तिगत नामों (प्रॉपर नेम—द्रव्य) तथा विशेषणों (एट्रिब्यूट्स) का ग्रहण होगा। व्यक्तिगत नाम तथा विशेषण किसी पदार्थ के 'संकेतक' नहीं। अ-संकेतक शब्द या तो केवल पदार्थ का ही बोध करा पाता है, या केवल गुण का ही। किंतु मिल का यह 'एट्रिब्यूट' ठीक वही गुण नहीं है, जो भारतीय दार्शनिकों का, यह हम आगे देखेंगे। विशेषण (एट्रिब्यूट) के प्रकार के विषय में मिल का मन जानने से पहले हम 'सामान्य नामों' (जाति) के विषय में उसके मन को समझ लें। जिन नामों के प्रयोग से हमें अनेक व्यक्तियों का बोध हो, वह जाति हैं, जैसे 'मनुष्य' शब्द।^२ 'मनुष्य' शब्द के द्वारा राम, श्याम, पीटर, जेन, जॉन, आदि समस्त मनुष्य व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है। इसी संबंध में मिल ने एक ऐसी बात भी कही है, जो भारतीय मत से कुछ विरुद्ध पड़ती है। सफेद, लम्बा, काला जैसे शब्दों को मिल 'संकेतक' मानता है, एट्रिब्यूट नहीं। उसके मतानुसार सफेद-पन, लम्बाई, कालापन, जैसे शब्द 'अ-संकेतक' हैं, और वे 'एट्रिब्यूट' हैं।^३ भारतीय मीमांसक 'सफेद-पन' (शुक्लत्व), तथा कालापन (कृष्णत्व) जैसी जाति (सामान्य भाव) मानते हैं। इस तरह तो ये इनके मत में 'संकेतक' भी सिद्ध होंगे। हम इसी परिच्छेद

१ This leads to the consideration of a third great division of names, into 'connotative' and 'non-connotative', the latter sometimes, but improperly, called 'absolute.'

—ibid Page 19.

२ The word 'man', for example, denotes Peter, John, Jane, and an indefinite number of other individuals, of whom, taken as a class, it is the name."

—ibid Page 19.

३ "Whiteness, length, virtue, signify an attribute only."

—ibid P. 19.

पं० आसोपा के इस मत से हम सहमत नहीं। हम इतना तो मान सकते हैं कि इन उदाहरणों में कोई व्यंग्यप्रतीति होती है, किंतु वक्ता को वह प्रतीति प्रधानतया अभीष्ट नहीं होती। सामाजिक विकास की दृष्टि से देखा जाय, तो आरम्भिक दशा में ऐसे प्रयोग किसी प्रयोजन को आधार बना कर अवश्य चले होंगे, किंतु धीरे-धीरे वे लौकिक व्यवहार में इस ढंग से प्रयुक्त होने लग गये, कि उस प्रयोजन की ओर वक्ता और श्रोता का ध्यान ही नहीं जाता। इस तरह ये लाक्षणिक प्रयोग तत्तत् अर्थ में रूढ हो गये हैं। इस स्थिति में इन्हें वास्तविक प्रयोजनवती प्रणाली से भिन्न न मानना अवैज्ञानिक होगा। प्रयोजनवती लक्षणा हम वहाँ मानते हैं, जहाँ वक्ता का कोई विशेष अभिप्राय छिपा रहना है। साथ ही फल रूप व्यंग्य (प्रयोजन) की प्रतीति केवल 'सहृदयों' को ही होती है। जब कि रूढा वाले अर्थ को साधारण लोग (असहृदय) भी समझ लेते हैं। मम्मट तथा विश्वनाथ ने लक्षणा का यह श्रेणी-विभाजन 'काव्य' के लिए किया है। अतः यह उचित, तर्कसम्मत तथा युक्तिसंगत है। 'सफेद दौड़ता है' में पं० आसोपा 'वेगातिशय' को प्रयोजन मान लेंगे, किंतु "सफेद खड़ा है" (धोला खड़ा है) - अर्थ बैल खड़ा है, तथा 'नीला तुम्हें बलिहारी है' (ए नीले घोड़े, तुम्हें बलिहारी है) इन उदाहरणों में 'वेगातिशय' प्रयोजन नहीं हो सकेगा। ऐसे स्थलों पर तो रूढा ही माननी होगी। अतः रूढा का विरोध युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता।

लक्षणा में सदा मुख्यार्थ का तिरस्कार होता है। अतः मुख्यार्थ का तिरस्कार उसमें कहाँ तक पाया जाता है इस दृष्टि से लक्षणा के दूसरे ढंग के भेद किये जाते हैं। एक भेद वह है, जिसमें मुख्यार्थ का पूरा तिरस्कार नहीं होता। यहाँ मुख्यार्थ के साथ ऊपर से कुछ और भी जोड़ दिया जाता है। यहाँ शब्द अपने खास अर्थ को नहीं छोड़ता (अजहत्), तथा दूसरे अर्थ का ग्रहण (उपादान) करता है। अतः इसे अजहल्लक्षणा, या उपादानलक्षणा कहते हैं। जिस लक्षणा में

उपादानलक्षणा

(अजहल्लक्षणा) एव

लक्षणलक्षणा

(जहल्लक्षणा)

न लक्ष्यन्ते। केवलश्वेतरखाया एव नयनगोचरत्वात् । X X X ततश्च प्रयोजनवती अप्रयोजनवतीति लक्षणाप्रकारकथन सुतरां वक्तुमशक्यम् । — वही ।

मुख्यार्थ का पूरी तरह तिरस्कार कर दिया जाता है, वह जहल्लक्षणा या लक्षणलक्षणा कहलाती है। यहाँ शब्द अपने खास अर्थ को छोड़ देता है (जहत्), तथा केवल दूसरे लक्ष्य अर्थ की ही प्रतीति कराता (लक्षण) है। मम्मट ने इसी भेद को बताते हुए कहा है:—“कहीं पर तो शब्द अपने मुख्यार्थ को संगत बनाने के लिए दूसरे अर्थ (लक्ष्य) का आक्षेप (उपादान) कर लेता है, और कहीं लक्ष्यार्थ के घोष के लिए अपने अर्थ का समर्पण (जहन्) कर देता है। इस प्रकार शुद्ध लक्षणा के उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा ये दो भेद होते हैं।”^१ जैसे, “भाले प्रवेश करते हैं” (कुंता: प्रविशन्ति) इस उदाहरण में “भाले” से “भाले वाले लोग” अर्थ लिया जायगा, क्योंकि अचेतन भाले प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश करना चेतन का धर्म है। इस उदाहरण में ‘भाले’ शब्द स्वयं का अर्थ न छोड़ कर कुछ और जोड़ लेता है। यहाँ उपादानलक्षणा है।

लक्षणलक्षणा का उदाहरण हम ‘गंगा में घोष है’ (गंगायां घोषः) ले सकते हैं। यहाँ ‘गंगा’ का मुख्यार्थ ‘गंगाप्रवाह’ ‘गंगातट’ के अर्थ में अपने वाच्य अर्थ का त्याग कर देता है। उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा के क्रमशः निम्न उदाहरण दिये जा सकते हैं।

(१) नीला बलिहारी थई, हल टापों खल रुण्ड ।

पहली पडियौ टूक है, खडै धणी रै रुण्ड ॥^२

(उपादानलक्षणा)

(२) व्यक्त नील में चल प्रकाश का कम्पन सुख बन घजता था ।

एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था ॥

(कामा०, आशा)

(उपादानलक्षणा)

१. स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थे स्वमसर्पणम् ।

उपादान लक्षण चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा ॥

—काव्यप्रकाश टह्लाम २, का० १०, पृ० ४३

२. ए घोड़े तुझे धन्य है। तूने शशुममूह का टापों से नाश किया। अपने स्वामी के रुण्ड के पहले ही तू टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। (इमसे क्षत्रिय-युवा की अतिशय शूरता तथा घोड़े की स्वामि-भक्ति की व्यंजना होती है।)

(३) मेरे सपनों में कलरव का संसार आँख जब खोल रहा ।
अनुराग समीरो पर तिरता था इतराता-सा डोल रहा ॥

(कामायनी, लज्जा)

(लक्षणलक्षणा)

प्रथम पद्य में 'नीला' का प्रयोग 'नीले अश्व' के लिए हुआ है । दूसरे पद्य में "नील" का प्रयोग "नील आकाश" के लिए तथा "चल प्रकाश" का प्रयोग 'प्रकाशमय चल चन्द्रमा" के लिए हुआ है । अतः यहाँ उपादान लक्षणा है । इन शब्दों ने अपने मुख्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार नहीं किया है । अपितु, ऊपर से अश्व, आकाश तथा चन्द्रमा का क्रमशः आक्षेप कर लिया है । तीसरे पद्य में "कलरव के संसार का आँख खोलना" तथा "अनुराग का इतराता सा डोलना" भी लाक्षणिक प्रयोग ही हैं । यहाँ "आँख खोल रहा" का अर्थ "उद्वुद्ध होना" तथा "डोलने" का अर्थ "स्पन्दित होना" है । यहाँ लक्षणलक्षणा है ।

लक्षणा के तीन हेतु में से एक 'तद्व्योग' है । अर्थात् लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबद्ध होता है । इन दोनों का यह संबंध कई तरह का हो सकता है —सामीप्य संबंध, अंगगिभाव संबंध, मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ तात्कर्म्य संबंध, सादृश्य संबंध, स्वाभिभूत्य-के कई संबंध, तादर्थ्य संबंध आदि । इन संबंधों के आधार पर लक्षणा को दो कोटियों में विभक्त किया गया है । एक, सादृश्य संबंध को लेकर चली है, दूसरी, अन्य संबंधों को लेकर । साधर्म्य संबंध या सादृश्य संबंध को लेकर चलने वाली लक्षणा समान गुण को आधार बनाकर चलती है, जो मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों में पाया जाता है । इसी समान गुण के आधार पर निर्मित होने के कारण वह "गौणी" कहलाती है । दूसरी लक्षणा, अन्य संबंधों पर आश्रित रहने के कारण 'शुद्धा' कहलाती है । इस लक्षणा में 'गुण' का मिश्रण नहीं पाया जाता, अतः साधर्म्य के न होने से यह शुद्ध है । इसीलिए इसे 'शुद्धा' कहते हैं । प्रभाकर मीमांसकों के मतानुसार गौणी शक्ति लक्षणा शक्ति से भिन्न है । प्रतापरुद्रीय के रचयिता विद्यानाथ ने प्रभाकर मीमांसकों के इस मत का उल्लेख करते हुए

खण्डन किया है ।^१ विद्यानाथ ने बताया है कि गौणी कोई अलग शक्ति न होकर लक्षणा का ही भेद है । दोनों में मुख्यार्थ का बाध पाया जाता है, तथा दोनों ही मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ के परस्पर संबंध पर आश्रित हैं । गौणी को अलग से शक्ति मानने पर तो प्रत्येक संबंध के लिए अलग अलग शक्ति माननी पड़ेगी । नैयायिक भी गौणी को अलग से मानने के पक्ष में नहीं हैं ।^२ वस्तुतः गौणी को लक्षणा के अन्तर्गत मानना ही उचित है । मुरारिदान के यशवन्तयशोभूषण के दोनों संस्कृत अनुवादक—पं० रामकरण आसोपा, और सुब्रह्मण्य शास्त्री गौणी तथा शुद्धा वाले भेद को नहीं मानते । वे यह दलील देते हैं, कि साधर्म्य संबंध के आधार पर अलग भेद मानने पर, अलग अलग संबंध के लिए अलग अलग भेद मानना पड़ेगा ।^३ हम इस मत से सहमत नहीं । यह ता मानना ही पड़ेगा कि साधर्म्यगत लक्षणा (गौणी) का लक्षणा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्त्व है । जितना चमत्कार इस प्रकारविशेष में पाया जाता है, उतना दूसरों में नहीं । साथ ही यह लक्षणा समस्त साधर्म्यमूलक अलंकारों का बीज है । साधर्म्य संबंध वाले 'एनेलोगस मेटेफर' को यवनाचार्य अरस्तू ने सर्वोत्कृष्ट माना है, यह हम इसी परिच्छेद में आगे देखेंगे । साधर्म्यमूला गौणी का लक्षणा में विशाल क्षेत्र होने के कारण,

१. "गौणवृत्तिर्लक्षणातो भिन्नेति प्राभाकराः । तदयुक्तम् । तस्या लक्षणायामन्तर्भावात् ।"

—प्रतापरुद्रीय (वं० पी० त्रिवेदी स०) पृ० ४४.

२. "शक्तिलक्षणाभ्यामतिरिक्तं च गौणी वृत्तिरिति मीमांसकाः । सा च तदतिरिक्ता नेति नैयायिका आहुः ।"

—(वही, त्रिवेदी की आरल टिप्पणी में न्या० मि० म० में उद्धृत)

३. "एनादशप्रकारागीकारोऽर्वाचीनानां प्रमादः सवधभेदाद्देवागीकारे संबंध सवध प्रति भेदागीकारापत्तेः अन्यच्च अत्य भेदयुगलस्यागीकारे युक्तिविरहात् ।"

(पं० आसोपा)

(साथ ही) "मम मते तत्र समीचीनम् । एव सवधभेदेन लक्षणा भेदागीकारे सवधानामनेकत्वात्लक्षणाया अप्यानन्य प्रसज्येत ।"

(सुब्रह्मण्य शास्त्री)

तथा अतिशयचमत्कारकारी होने के कारण, इसे अलग स्थान देना उचित है। तात्कर्म्य, तादर्थ्य, सामीप्य, अगांगिभाव आदि संबंधों में से न तो प्रत्येक लक्षणा का इतना विशाल क्षेत्र है, न उतना उत्कृष्ट चमत्कार ही वहाँ पाया जाता है।

गौणी तथा शुद्धा लक्षणा का भेद 'उपचार' के आधार पर किया जाता है। गौणी में 'उपचार' (साधर्म्य) पाया जाता है, शुद्धा में वह नहीं होता। 'उपचार' (साधर्म्य) के आधार

गौणी लक्षणा तथा पर, "यह बालक शेर है" ऐसे उदाहरणों में, शुद्धा लक्षणा—'उपचार' गौणी लक्षणा के द्वारा "शेर" शब्द से बालक के आधार पर यह भेद का लक्ष्यार्थ ले लिया जाता है। उपचार का तात्पर्य दो वस्तुओं में विद्यमान भिन्नता को छिपा देना या हटा देना है। यह अभेद उन दोनों भिन्न वस्तुओं में पाये जाने वाले अतिशय सादृश्य (समानता) के कारण होता है।^१ जैसे, "यह बालक शेर है" इस उदाहरण में बालक में वीरता पाई जाती है, शेर में भी वीरता पाई जाती है। इस बालक तथा शेर दोनों को कोई नहीं दबा सकता है, ये दोनों 'दुष्प्रघर्ष' हैं। इस समानता के कारण दो भिन्न वस्तुओं—बालक तथा शेर, में भिन्नता छिपा दी गई है। कुछ लोगों के मतानुसार गौणी तथा शुद्धा का भेद उपचार के आधार पर मानना ठीक नहीं। मुकुल भट्ट का यह मत है, कि गौणी लक्षणा में तो वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ में सादृश्य संबंध के कारण अभेद प्रतीति होती है, किंतु शुद्धा में वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ में भेद बना रहता है। अतः इन दोनों विभेदों का आधार वस्तुतः यह है, कि एक में अभिन्नता की प्रतीति कराई जाती है, दूसरे में भेद ही बना रहता है। मम्मट ने इस मत का खंडन किया है। वे कहते हैं, शुद्धा में भी वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ में भिन्नता नहीं रहती। इस प्रकार विशेष में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में भेद मान कर, उन्हें तटस्थ समझना ठीक नहीं। जब 'गंगातट' के लिए, 'गंगा पर आभीरों की बस्ती' में 'गंगा' शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वक्ता का अभिप्राय वहाँ 'गंगा' की

१. उपचारो हि नाम अत्यन्त विशकलितयो. सादृश्यातिशयमहिम्ना भेद-प्रतीतिस्थगनमात्रम्।

प्रतिपत्ति कराने का भी है। अर्थात् वह गंगा तथा गंगातट में अभेद की प्रतिपत्ति कराना चाहता है। ऐसा करने पर ही तो "शैत्यपावनत्वादि" (शीतलता, पवित्रता) की प्रतीति होगी। यदि ऐसा न होता, और 'गंगा' से केवल 'गंगातट' की ही प्रतीति कराना अभीष्ट होता, तो सीधा साधा 'गंगातट' न कह कर 'गंगा' के टेढ़े प्रयोग में वक्ता का क्या अभिप्राय है? अतः, शुद्धा तथा गौणी, दोनों ही लक्षणाओं में अभेद-प्रतिपत्ति अवश्य होती है। भेद है तो केवल यही, कि एक (गौणी) में वह अभिन्नता 'उपचार' के कारण प्रतीत होती है, दूसरी (शुद्धा) में किसी अन्य संबंध के कारण। शुद्धा के उदाहरण हम दे चुके हैं। 'द्विरेफ', 'व्योम चूमना', 'नीला', 'चल प्रकाश' 'आँख खोल रहा' आदि ऊपर के सभी उदाहरण शुद्धा लक्षणा के हैं। गौणी का प्रसिद्ध उदाहरण "यह पंजाबी बैल है" (गौर्वाहीकः) अथवा "वह गधा है" लिये जा सकते हैं। यहाँ पहले तथा दूसरे दोनों वाक्यों में 'अतिशय मूर्खता' को व्यंजित करने के लिए लाक्षणिक प्रयोग पाया जाता है। पंजाबी में उतनी ही मूर्खता है, जितनी बैल (पशु) में। इसी तरह वह इतना ही मूर्ख तथा बुद्धिहीन है, जितना गधा। दोनों स्थानों पर वाच्यार्थ (बैल, तथा गधा) तथा लक्ष्यार्थ (पंजाबी, तथा वह) में समान गुण पाये जाते हैं। इन्हीं समान गुणों (सादृश्य) के कारण 'बैल' तथा 'गधा' का प्रयोग लाक्षणिक है।

इस विषय में एक प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि "गौर्वाहीकः" में "बैल" (गोः) शब्द वाहीक की प्रतीति कैसे कराता है? इस विषय में तीन मत प्रचलित हैं।

(१) प्रथम मतः—'गौर्वाहीकः' इस उदाहरण में सर्व प्रथम अभिधा से "गोः" शब्द "बैल" अर्थ की प्रतीति सादृश्यमूलक लाक्षणिक कराना है। फिर इसी वाच्यार्थ से संबद्ध उसके शब्द से लक्ष्यार्थ सहवारी गुण जडता, मूर्खता आदि जो बैल में प्रतीति कैसे होती है — पाये जाते हैं, 'गो' शब्द से लक्षित होते हैं। ये इस विषयमें तीन मत जडता मूर्खता आदि गुण वाहीक में भी पाये जाते हैं। अतः वाहीक के अर्थ को द्योतित करने में यह शब्द अभिधा का प्रयोग करता है। अर्थात् पहले अभिधा,

फिर लक्षणा, फिर अभिधा इस प्रकार तीन व्यापारों से 'वाहीक' रूप लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है ।^१ इसमें दो दोष है । पहले तो इस मत को मानने वाले 'गौ' शब्द से वाहीक अर्थ की प्रतीति में तीसरे क्षण में एक और अभिधा मानते हैं, जिसकी कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि वाहीक में 'गो' का सकेत नहीं है । दूसरे जब एक वार 'गो' शब्द से जड़ता, मूर्खता आदि गुण लक्षणा से लक्षित हो गये, तो फिर अभिधा के द्वारा प्रासंगिक अर्थ का ग्रहण कैसे होगा ? किसी शब्द का व्यापार एक ही वार होता है (शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापाराभावः) ।^२ इन्हीं दो दोषों के कारण नव्य आलंकारिकों को यह मत सम्मत नहीं ।

(२) द्वितीय मत—दूसरे विद्वानों के अनुसार 'गौ' तथा वाहीक दोनों में एक से ही गुण, जड़ता, मूर्खता आदि, पाये जाते हैं । इन दोनों कोटि के गुणों में कोई भेद नहीं है । गौ में होनेवाली जड़ता, मूर्खता ठीक वही है, जो वाहीक में पाई जाती है । अतः 'गौः' शब्द के मुख्य अर्थ 'वैल' में पाये जानेवाले जाड्यादिगुण अभेद के कारण लक्षणा शक्तिसे वाहीक में होनेवाली जड़ता, मूर्खता आदि को लक्षित करते हैं । 'यह वाहीक वैल है' इस प्रयोग में अभिधा शक्ति के द्वारा वाहीक वाला अर्थ कभी भी प्रकट नहीं होता ।^३ यह मत भी नव्य आलंकारिकों को स्वीकार्य नहीं ।

दिशब्दे प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपादयिपितप्रयोजनसंप्रत्यय गगा-
सवधमात्रप्रतीतौ तु गगातट घोष इति मुख्यशब्दाभिधानाल्लक्षणाया. को भेद' ।

—काव्यप्रकाश, उल्लास २, पृ० ४६

१ 'अथ हि स्वार्थसहचारिणो गुणा जाड्यामान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि
गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्तिनिमित्तत्वमुपयान्ति इति केचित् ।'

—का० प्र० उल्लास २, पृ० ४६

२ 'केचिदित्यस्वरसोद्भावनम् । तद्वीज तु गोपदस्य वाहीके सकेता-
भावरूपम् । जाड्यादिगुणाना लक्ष्यत्वात् अशक्यतया प्रवृत्तिनिमित्तत्वा-
सम्भवश्च ।

—बालबोधिनी, पृ० ४६

५ अन्ये च पुन — गोशब्देन वाहीकार्थो नाभिधीयते, किन्तु स्वार्थ-
सहचारिगुणसजात्येन वाहीकार्थंगता गुणा एव लक्ष्यन्ते ।'

सा० दर्पण, द्वितीय परि० पृ० ६५

हमने देखा कि 'गोः' शब्द अपने स्वयं के मुख्यार्थ (वैल) में स्थित गुणों को लक्षित करता है। वही शब्द 'वाहीक' के भी वैसे ही गुणों को लक्षित कर देता है, क्योंकि दोनों में पाये जाने वाले गुण एक ही हैं। ध्यान से देखा जाय, तो दोनों 'धर्म' (गुण) --जड़ता, मूर्खता आदि, अलग अलग धर्मों (गुणों) वाहीक तथा वैल में पाये जाते हैं, अतः एक गुणी (वैल) के मुख्यार्थवाची शब्द से दूसरे (वाहीक) में पाये जानेवाले गुणों का लक्षित होना असंभव है, क्योंकि यह तभी हो सकता है जब धर्मों (गुणों) भी एक ही हो। इस तरह तो एक ही वाक्य में समान रूप में प्रयुक्त 'गोः' तथा वाहीक में सामानाधिकरण नहीं हो सकेगा।^१

(३) तृतीय मत—नव्य आलंकारिकों के मत में 'गो' शब्द का अन्वय जब मुख्या वृत्ति से वाहीक के साथ संगत नहीं बैठना, तो लक्षणा का आश्रय लिया जाता है। दोनों में एक से ही गुण अज्ञता, जड़ता आदि पाये जाते हैं। इस तरह उनमें समानता है। वे एक दूसरे से साधर्म्य या सादृश्य संबंध द्वारा संबद्ध हैं। इस संबंधके कारण 'गो' में वाहीक के अर्थ लेने में, लक्षणा घटित हो जाती है। 'गो' का वाहीक अर्थ में मुख्यार्थवाध है ही, दोनों में सादृश्य संबध के कारण 'तद्योग' हो गया, तथा दोनों में समान मूर्खता है, यह लक्षणा का प्रयोजन है। समान जड़ता तथा मूर्खता के कारण 'गो' के मुख्यार्थ वैल और वाहीक में सादृश्य संबंध स्थापित होने पर, 'गो' शब्द ही लक्षणा व्यापार से वाहीक को लक्षित कर देता है।^२ अतः यहाँ प्रथम या द्वितीय मत की भाँति कोई दूरारूढ़ कल्पना नहीं करनी पड़ती।

१. अन्ये इत्यस्मिन्नपि पक्षे, अस्वरमोद्भावनम्, तद्बीजं तु एकधर्मि-
बोधकत्वाभावात् गोर्वाहीक इति नामानाधिकरणानुपपत्तिः ।

वालवो० पृ० ४६

२. नाव रणगुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे ।^१

का० प्र० उ० २, पृ० ४९

(साथ ही) 'तस्मादत्र गोशब्दो मुन्यया वृत्त्या वाहीकशब्देन सहान्वय
मलभमानोऽज्ञत्वादिमाधर्ममन्वन्वाद् वाहीकार्थं लक्षयति ।'^२

ना० द० परि० २, पृ० ६७

गौणी लक्षणा वस्तुतः वहीं होती है, जहाँ लक्षित होते हुए गुणों के संबंध के द्वारा लक्ष्यार्थ प्रतीति हो। ठीक यही बात कुमारिल भट्ट ने तन्त्र-वार्तिक में कही है.—

“लक्षणा में मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ में अविनाभाव की प्रतीति होती है। जिस लक्षणा में लक्षित होते हुए गुणों का योग होता है, वहाँ गौणी वृत्ति होती है।”^१

गौणी के उदाहरण गौणी लक्षणा के उदाहरण हम यों ले सकते हैं—

(१) रजत कुसुम के नव, पराग-सी उड़ा न दे तू इतनी धूल।

इस ज्योत्स्ना की अरी बावली। तू इसमें जावेगी भूल ॥

(कामायनी, आशा)

(२) इस अनंत काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास।

आँसू औ तम घोल लिख रही तू सहसा करती मृदु हास ॥

(कामायनी, आशा)

इन उदाहरणों में “धूल”, “आँसू” तथा “तम” में गौणी लक्षणा है। ज्योत्स्ना के साथ धूल का संबंध अभिधा से ठीक न बैठने से हमें लक्षणा से ‘धूल’ का अर्थ ‘प्रसार’ लेना होगा। ‘धूल’ तथा ‘ज्योत्स्ना प्रसार’ दोनों में किसी वस्तु को व्याप्त करने का तथा छिटकने का समान गुण पाया जाता है। इसी साधर्म्य को लेकर यहाँ गौणी लक्षणा है। ‘आँसू’ तथा ‘तम’ का भी ‘लिख रही’ क्रिया के साथ ठीक तौर पर अन्वय नहीं बैठता। अतः इस प्रकरण में ‘आँसू’ का अर्थ ‘जल’ (दूसरा अर्थ आँस की बूँदें) ‘तम’ का अर्थ ‘मसी’ (स्याही) लेना होगा, जिनमें क्रमशः ‘द्रवत्व’ तथा ‘कृष्णत्व’ जैसे समान गुण पाये जाते हैं। प्रथम में, ज्योत्स्ना (आरोपविषय, उपमेय) तथा ‘धूल’ (विषयी, उपमान) दोनों का एक साथ प्रयोग होने से “सारोपा गौणी लक्षणा” है। दूसरे में ‘आँसू’ तथा ‘तम’ रूप विषयी ने ‘जल’ तथा ‘मसी’ रूप विषय का निगरण कर लिया है, अतः यहाँ ‘साध्यवसाना गौणी’ है। इसी ‘आरोप’ (विषय तथा विषयी दोनों का प्रयोग करते हुए विषयी को विषय पर थोप देना), तथा ‘अध्यवसाय’ (विषय

१. अभिधेयाविनाभावप्रतीतिलक्षणोच्यते ।

लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥

(तन्त्रवार्तिक)

की सर्वथा अवहेलना कर वाक्य में विषयी विषय को निगल जाय अर्थात् कोरे विषयी का प्रयोग हो) के आधार पर आचार्यों ने गौणी के सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो भेद किये हैं ।

इस प्रकार गौणी लक्षणा के सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो भेद होते हैं । जहाँ लक्ष्यार्थ तथा मुख्यार्थ दूसरे शब्दों में विषय तथा विषयी दोनों का सामानाधिकरण्य^१ करते हुए एक साथ सारोपा तथा साध्य निर्देश हो, वहाँ सारोपा होती है ।^२ जैसे वसाना गौणी “भरत शेर है” में भरत के लिए “शेर” का प्रयोग करते हुए, दोनों का एक साथ उपादान किया गया है । रूपक अलंकार का मूल यही सारोपा गौणी होती है । ‘मुख-कमल’, ‘पाद-पद्म’, ‘केश-व्याल’, आदि में यही सारोपा है । साध्यवसाना में विषयी (उपमान), विषय (उपमेय) का निगरण कर जाता है ।^३ अर्थात् यहाँ केवल लक्ष्यार्थ वाची शब्द का ही प्रयोग होता है । जैसे भरत के लिए केवल इतना ही कहा जाय “शेर है”, तो साध्यवसाना होगी । यहाँ शेर (विषयी), भरत (विषय) को निगल गया है । अतिशयोक्ति अलंकार में यही साध्यवसाना बीज रूप में विद्यमान रहती है । इसका चरम उत्कर्ष ‘भेद में अभेद वाली’ (भेदे अभेदरूपा) अतिशयोक्ति में पाया जाता है । अतिशयोक्ति के इस भेद को हिन्दी के आलंकारिक ‘रूपकातिशयोक्ति’ कहते हैं । साध्यवसाना गौणी, जैसे,

कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेष्टमीन्दुखण्डम् ।
कुवलययुगलं ततो विलोल तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात् ॥

१. जहाँ दो वस्तुओं में समानता या अभेद स्थापित करने के लिए उनका एक ही वाक्य में विशेषण-विशेष्यरूप में प्रयोग हो वहाँ सामानाधिकरण्य होता है । इसे अँगरेजी में ‘Case in apposition’ कहते हैं ।

२. सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयी स्तथा ।

३. विषयन्तः कृतेऽन्यस्मिन् सा स्यात्साध्यवसानिका ॥

“सत्रसे ऊपर मयूर का कलाप (केशपाश) सुशोभित हो रहा है उसके नीचे अप्रमी के चन्द्रमा का टुकड़ा (ललाट) है । उसके बाएँ दो चंचल कमल नेत्र) हैं । तत्र तिलकुसुम (नासिका) है, और उसकी नीचे प्रवाल (ओठ) सुशोभित है ।” १

इसमें ‘कलापिकलाप’, ‘अप्रमीन्दुरण्ड’, ‘कुवलययुगल’, ‘तिलकुसुम तथा ‘प्रवाल’ के साध्यवसाना गौणी लक्षणा से क्रमशः केशपाश ललाटतट, नेत्रयुगल, नासिका तथा अधर रूप लक्ष्यार्थ गृहीत होते हैं अथवा जैसे,

पगली हॉं सम्हाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल ।

देख विखरती है मणिराजी अरी उठा वेसुध चंचल ॥

(कामायनी, आशा)

इस उदाहरण में ‘अंचल’ तथा ‘मणिराजी’ से क्रमश ‘आकाश’ तथा ‘तारकसमूह’ लक्ष्यार्थ लेना होगा ।

सारोपा तथा साध्यवसाना ये दोनों भेद केवल गौणी के ही न होकर शुद्धा के भी होते हैं । यहाँ आरोप या अध्यवसान का आधार सादृश्य से भिन्न कोई दूसरा संबंध होता है ।

लक्षणा के १३ भेदोप- जैसे, हम लोग घी को बलवर्धक समझते हैं । घी भेदों का सक्षिप्त विवरण की आयु तथा बल बढ़ाने की शक्ति के कारण हम कभी-कभी कह देते हैं “घी आयु है”

(आयुर्धृतम्) । यहाँ सारोपा है । घी और आयु का यह संबंध कारण और कार्य का है । इसी तरह घी को देख कर हम कहें “आयु है”, तो साध्यवसाना हो जायगी, जहाँ आयु (विषयी), घी (विषय) को निगल जाता है । इस तरह लक्षणा के शुद्धा, गौणी, उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा, सारोपा तथा साध्यवसाना ये ६ भेद हुए । इनमें शुद्धा के पहले रूढिगत तथा प्रयोजनवती ये दो भेद होते हैं । रूढिगत का कोई भेद नहीं होता । प्रयोजनवती शुद्धा के पहले उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा फिर प्रत्येक के सारोपा तथा साध्यवसाना ये भेद होते हैं । गौणी के सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो ही भेद हुए । कुछ लोगों के मत में गौणी के भी उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा वाले भेद मानना उचित है । यहाँ हम मम्मट का ही भेदोपभेद मान रहे हैं । इस तरह

रूढा १, गौणी २, तथा शुद्धा प्रयोजनवती ४ हुई। अत्र समस्त प्रयो-
जनवती में प्रयोजन दो तरह का पाया जाता है। कभी तो यह गूढ़
होता है, कभी प्रकट। इस लिए इनके गूढव्यंग्या तथा अगूढव्यंग्या ये
दो दो भेद फिर हुए। इस तरह रूढा १, गौणी ४ और शुद्धा प्रयोजनवती
८, कुल मिला कर तेरह तरह की लक्षणा होती है।

वृत्तिवार्तिककार ने प्रयोजनवती लक्षणा के सात भेद माने हैं—
जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा, सारोपा, साध्यवसाना,
शुद्धा एवं गौणी।^१ वृत्तिवार्तिककार का यह
जहदजहल्लक्षणा जैसे भेदीकरण स्थूल कोटि का है। हम देखते हैं कि
भेद की कल्पना अप्पय दीक्षित ने जहदजहल्लक्षणा नामक नये
भेद को माना है। यह कल्पना अप्पयदीक्षित
की स्वयं की न होकर, पुराने अद्वैत वेदान्तियों की है। अद्वैत वेदान्ती
'तत्त्वमसि', एतद्वै तत्' जैसे वाक्यों में इस देश में रहने वाले, 'त्वं'
या 'एतत्' (आत्मा) तथा उस देश में रहने वाले 'तत्' (ब्रह्म) की
अभेदप्रतिपत्ति के लिए लक्षणा मानते हैं। यहाँ न तो "लाल दौड़ता है"
(शोणो धावति—लाल घोड़ा दौड़ता है) जैसी स्थिति है, न 'गगा में
घोप' (गगान्या घोपः) जैसी ही स्थिति है। पहले उदाहरण में अपने
अर्थ को रखते हुए दूसरे अर्थ का आक्षेप (उपादान) होता है, दूसरे में
पहले अर्थ का सर्वथा तिरस्कार हो जाता है। 'तत्त्वमसि' (तू वही है)
में 'तू' का अर्थ इस देश वाली आत्मा (एतद्देशविशिष्ट आत्मा) है,
तथा 'वह' का अर्थ उस देश वाली आत्मा (तद्देशविशिष्ट आत्मा, ब्रह्म)
है। इस वाक्य में, अभिधा शक्ति से दो भिन्न देशों में स्थित आत्माओं
में 'सामानाधिकरण्य' नहीं हो पाता। अतः यहाँ एक नये ढंग की लक्षणा
माननी पड़ेगी। यह लक्षणा उपादान तथा लक्षण दोनों की खिचड़ी है।
इसमें आधा अर्थ तो रख लिया जाता है, और आधा छोड़ दिया जाता
है। इसके मुख्यार्थ में से "एतद्देशविशिष्ट" तथा "तद्देशविशिष्ट" इस
अंश को छोड़ने पर, दोनों में "आत्मा" वाला अंश बचा रहता है।
इस संबंध से उनमें सामानाधिकरण्य हो जाता है। कुछ अंश छोड़ने

१. जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा। सारोपा साध्यवसाना च।
शुद्धा च गौणी च। इत्येव सप्तविधा फललक्षणा। —वृत्तिवा० पृ० १६

और बाकी अश रखने के कारण इसे 'जहत् अजहत्-लक्षणा' कहते हैं। 'यह वही देवदत्त है' (सोऽयं देवदत्तः) इस वाक्य में भी यही लक्षणा है। बाद के आलंकारिकों ने वेदान्तियों के इस लक्षणाभेद को भी मान लिया है। एकावलीकार ने लक्षणा के इस भेद का उल्लेख किया है।

विश्वनाथ ने लक्षणा के ८० भेद माने हैं।^१ उन्होंने गौणी के उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा ये भेद माने हैं। उनके मतानुसार शुद्धा, गौणी, उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा, विश्वनाथ के मत में तथा सारोपा एवं साध्यवसाना इनके आधार लक्षणा के भेद पर ८ रूढि के तथा ८ प्रयोजनवती के भेद होते हैं। प्रयोजनवती के फिर गूढव्यंग्या तथा अगूढ-व्यंग्या यों १६ भेद होते हैं। यह प्रयोजन कभी तो धर्म में होता है, कभी धर्मी में। अतः ३२ तरह की प्रयोजनवती हुई। इसमें ८ तरह की रूढिगत लक्षणा मिलाने पर ४० लक्षणाभेद होते हैं। फिर लक्षणा के वाक्यगत तथा पदगत होने के कारण ८० तरह के कुल भेद होते हैं। प्राचीन विद्वान् वाक्यगत या पदगत ये दो लक्षणा नहीं मानते। वाक्य में न तो अभिधा ही होती है न लक्षणा ही (वाक्ये न वा शक्तिर्न वा लक्षणा)। विश्वनाथ का इतना भेदोपभेद कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। मम्मट का वर्गीकरण इससे विशेष अच्छा है।

प्रसंगवश हम प्रयोजनवती के गूढव्यंग्या तथा अगूढव्यंग्या इन दो भेदों का वर्णन कर आये हैं। हम बता चुके हैं कि प्रयोजनवती में लक्ष्यार्थ के द्योतन कराने के लिए लक्षक पद गूढव्यंग्या तथा का प्रयोग करने में वक्ता का कोई न कोई अगूढव्यंग्या प्रयोजन अवश्य होता है। यह प्रयोजन सदैव उस शब्द का व्यंग्यार्थ होता है। इस विषय का विशेष विवेचन व्यंजना के अंतर्गत किया जायगा। यह व्यंग्यार्थ कभी तो स्पष्ट होता है, और कभी अस्पष्ट (गूढ)। विशेष चमत्कार

१. वेदान्तसार, पृ० १० ।

२ एवमशीतिप्रकारा लक्षणा । —सा० द० पृ० ७४ (लक्ष्मी मस्करण)

गूढ व्यंग्यार्थ में ही होता है। इसी आधार पर इसके गूढव्यंग्य तथा अगूढव्यंग्य ये दो भेद किये जाते हैं। गूढव्यंग्य का उदाहरण हम यह दे सकते हैं।

मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षितं,
समुच्छलितविभ्रमा गतिरपास्तसस्था मतिः ।
उरो मुकुलितस्तनं जघनमंसवन्धोद्गुरं
वतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते ॥

यौवन से युक्त किसी नायिका को देख कर, उसके यौवन के नूतन प्रादुर्भाव की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है। इस चंद्रमुखी नायिका के शरीर में यौवन का उद्गम प्रसन्न हो रहा है। यौवन सचमुच अहोभाग्य है कि वह इस चंद्रमुखी के शरीर में प्रविष्ट हुआ है, इसीलिये यौवन फूला नहीं समाता। यौवन के प्रादुर्भाव के समस्त चिह्न इस नायिका में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके मुख में मुसकराहट विकसित हो रही है। जिस तरह फूल के विकसित होने पर सुगंध फूट पड़ती है वैसे ही इसके मुख में सुगंध भरी पड़ी है। इसकी चितवन ने चाँकेपन को भी वश में कर लिया है। इसकी टेढ़ी चितवन सबको वश में करती है। जब यह चलती है, तो ऐसा जान पड़ता है कि विलास और लीला छलक रहे हैं। इसमें विलास तथा लीला का प्राचुर्य है। अतः इसका प्रत्येक अवयव मनोहर है। इसकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रहती। यौवन के आगमन के कारण इसका मन अत्यधिक अधीर तथा चंचल है। पहले तो भोलेपन के कारण बड़े लोगों के सामने प्रियतम को देख कर इसकी बुद्धि मर्यादित रहती थी, किंतु अब वैसी नहीं रहती। गुरुजनों के सामने अब भी वैसे तो मर्यादापूर्ण रहती है, किंतु प्रियतम को देख कर मन से अधीर हो उठती है। इसके वक्षःस्थल में स्तन मुकुलित हो गये हैं। कली की तरह ये स्तन भी कठिन तथा आलिंगनयोग्य हैं। इसके जघनस्थल के अवयव उभर आये हैं। इसका जघन अत्यधिक रमणीय हो गया है। इन सब बातों को देख कर यह जान पड़ता है कि इस नायिका ने यौवन में पदार्पण कर लिया है। यह बड़े हर्ष की बात है।

यहाँ यौवन के साथ 'प्रसन्न होना' (मोदते), मुख के साथ 'विकसित', चितवन के साथ 'वशित', गति के साथ 'छलकना'

(समुच्छलित) मति के साथ 'स्थिरता छोड़ देना' (अपास्तसंस्था), उर के साथ 'मुकुलित' तथा जघन के साथ 'उद्धुर' का प्रयोग लाक्षणिक रूप में ही हुआ है। प्रसन्न कोई चेतन व्यक्ति होता है, यौवन जैसा अचेतन नहीं। कली विकसित होती है, मुख का स्मित नहीं। किसी को वश में चेतन व्यक्ति ही करता है, चितवन नहीं। छलकता कोई अधिक भरा पात्र ही है, गति नहीं। किसी वस्तु को कोई व्यक्ति ही छोड़ता है। 'मुकुलित' सदा कोई वृद्ध ही होता है, क्योंकि उसी में कलियाँ आती हैं। किसी बोझ को सहने वाला ही 'उद्धुर' होता है। इस प्रकार मुख्या वृत्ति से अर्थ ठोक नहीं बैठता। अतः यहाँ लक्षणा माननी पड़ेगी। इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोगों से जिस-जिस व्यंग्य की प्रतीति हो रही है, वह अस्पष्ट (गूढ़) है। इन व्यंग्यों का विशदीकरण हम ऊपर, पद्य की व्याख्या में कर आये हैं।

अगूढ़व्यंग्या में व्यंग्यार्थ प्रतीति तो होनी है, पर वह व्यंग्यार्थ स्पष्ट होता है। जैसे, कोई व्यक्ति किसी के साथ बुराई कर दे और वह उससे कहे 'तुमने हमारे साथ बड़ा उपकार किया है', तो यहाँ उस व्यक्ति द्वारा की गई बुराई व्यंग्य है। इसकी प्रतीति के लिए लक्षणा का प्रयोग होता है।

उपकृत बहु तत्र किमुच्यते

सुजनता प्रथिता भवता परम् ।

विदधदीदृशमेव सदा सखे

सुखितमास्व ततः शरदा शतम् ॥

“आपने हमारे साथ बड़ी भलाई की। उसका वर्णन कहाँ तक करे। आपने सज्जनता की पराकाष्ठा प्रदर्शित की है। मित्रवर, ऐसी सज्जनता हमेशा करते रहे। आप सैकड़ों वर्ष तक सुखी रहे।”

इस पद्य में विपरीत लक्षणा है। पद्य के तत्तात् पद से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। उपकृत, सुजनता, सखे, सुखित, इन पदों से क्रमशः विपरीत लक्षणा से आपने बड़ा अपकार किया है, आप दुर्जनता से भरे हैं, आप मित्र नहीं, हमारे शत्रु हैं, तथा आप दुखी रहे—इन लक्ष्यार्थों की प्रतीति होती है। इस पद्य की उक्ति किसी अपकारी के प्रति कही जा रही है, अतः उपकारादि वाले

वाच्यार्थ की संगति नहीं बैठ पाती, उसका बाध (मुरयार्थबाध) हो जाता है। इस लक्ष्यार्थ का प्रयोजनरूप व्यंग्यार्थ उस व्यक्ति का अपकारातिशय है। हमारे मत से प्रत्येक पद में व्यंग्यार्थ (प्रयोजन) अलग अलग मानना होगा। 'उपकृत' का वाच्यार्थ उपकार, लक्ष्यार्थ अपकार तथा व्यंग्यार्थ अपकारातिशय है। सुजनता का वाच्यार्थ सज्जनता, लक्ष्यार्थ दुर्जनता तथा व्यंग्यार्थ दुर्जनतातिशय है। सखे का वाच्यार्थ मित्र, लक्ष्यार्थ शत्रु, तथा व्यंग्यार्थ अत्यधिक शत्रु है। सुखित का वाच्यार्थ सुखी रहना, लक्ष्यार्थ दुखी रहना, तथा व्यंग्यार्थ अतिशय दुखी रहना है। इसी का संकेत मम्मट ने शब्दव्यापार-विचार में दिया है।^१

इसी संबंध में एक प्रश्न उठता है। मम्मट के मत से यहाँ लक्षणा पदों में है। यही मत प्रदीपकार का है, जो कहते हैं कि इस पद्य में अपकारी मनुष्य के साथ अन्वयायोग्य (जिनका अन्वय ठीक नहीं बैठ पाता) उपकृतादि पदों के द्वारा अपने वाच्यार्थ क्या वाक्यगत लक्षणा से विपरीत लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। भी हाँती है? प्रदीपकार के मतानुसार व्यंग्यार्थ (प्रयोजन) यह है 'कि तेरे अपकार करने पर भी मैं प्रिय ही कह रहा हूँ' और इस प्रकार वक्ता अपनी साधुता (सज्जनता) व्यक्त करना चाहता है।^२

इस पद्य के संबंध में विश्वनाथ का मत कुछ भिन्न प्रतीत होता है। विश्वनाथ इसे पदगत लक्षणा नहीं मानते। मम्मट तथा प्रदीपकार दोनों यहाँ लक्षणा पद में ही मानते हैं, और हमने किस किस पद में लक्षणा है, इसे ऊपर स्पष्ट कर दिया है। पर विश्वनाथ यहाँ वाक्यगत लक्षणा मानते हैं। लक्षणा के समस्त भेदों का विवेचन कर चुकने पर विश्वनाथ कहते हैं: - "ये सब फिर से पदगत तथा वाक्यगत होने के कारण

१ मूर्खे बृहस्पतिशब्देन मूर्खैस्वमिष वक्तृमहिम्ना अपकारिदुर्जनत्वादि भय लक्ष्यते ।"
— शब्दव्यापारविचार

२ भद्रापकारिण्यन्वयायोग्यैरपकारादिपदे स्वार्थविपरीत लक्ष्यते ।...
त्वयैवमपकरोऽपि क्रियमाणे मया, प्रियमेवोच्यत इति स्वमाशुचं व्यङ्ग्यम् ॥
— प्रदीप पृ० ९६. (पूना संस्करण)

दो-दो तरह की हो जाती हैं।” और इसके बाद वाक्यगत के उदाहरण रूप में विश्वनाथ “उपकृत” वाला उदाहरण देते हैं। हमें विश्वनाथ का मत नहीं जँचता। वस्तुतः लक्षणा केवल पदगत होती है। वाक्यगत जैसा भेद मानना समीचीन नहीं। विश्वनाथ का यह उदाहरण भी पदगत लक्षणा का ही है। अतः लक्षणा में ये दो भेद मानना ठीक नहीं। टीकाकारों ने विश्वनाथ के दोष को बचाने के लिए कुछ दलीले दी हैं। वे कहते हैं—“जहाँ बहुत से पदों में लक्षणा हो, वहाँ उसे उपचार से वाक्यगत मान लेते हैं।” पर टीकाकारों की यह दलील हमें ठीक नहीं जँचती। इसका संकेत हम पहले भी दे चुके हैं:— “वाक्ये न वा शक्तिर्न वा लक्षणा।”

लक्षणा पद में तो होती है, किन्तु वाक्य में दो तरह के पद होते हैं। कुछ पद विधेय होते हैं, कुछ उद्देश्य। तो लक्षक पद विधेयांश होता है, या उद्देश्यांश भी हो सकता है? यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। विधेयांश वाक्य का वह अंश है, जो हमारा अभीष्ट है। उद्देश्यांश उस अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। वाक्य में क्रिया प्रायः विधेय मानी गई है, किन्तु कभी कभी वह उद्देश्य भी हो सकती है। उद्देश्य या विधेय का निर्णय प्रकरणगत होगा। प्राचीन आचार्यों ने इस विषय पर कोई संकेत नहीं किया है कि लक्षणा प्रायः विधेयांश वाले पद में ही होती है। हमें कुछ ऐसा ही जँचता है कि लक्षणा वाक्य के विधेयांश में ही होती है।^१ इसके लिए कुछ उदाहरण लेकर उन्हें देखना होगा।

१ पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा।

वाक्यगतत्वेन यथा “उपकृत बहु तत्र” इति

—सा० द० पृ० ७४. (लक्ष्मीसंस्करण)

२. पाश्चात्य विद्वान् भी मेटेफर वाले अंश को विधेयांश ही मानते हैं। उर्बान (Urban) ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ Language and Reality में बताया है कि “वाक्यों में उद्देश्यांश या विधेयांश की गड़बड़ी के कारण ही, वे आपाततः निरर्थक प्रतीत होते हैं।.. जहाँ तक लाक्षणिक या प्रतीकात्मक वाक्यों का प्रश्न है, इनमें यह गड़बड़ी विधेयांश के ही साथ होती है। यह गड़बड़ी प्रतीकात्मक (लाक्षणिक) वाक्य की विशेष प्रकृति—विधेयांश की

(१) ' गंगायां घोषः' (गंगा में आभीरों की वस्ती) में 'गंगा' पद में लक्षणा है, यह हम देख चुके हैं । यहाँ आभीरों की वस्ती के बारे में तो हम जानते ही हैं । यह वस्ती कहाँ है, यह अभीष्ट है । यही इस उक्ति का विधेयांश है । अतः यहाँ लक्षण विधेयांश में ही है ।

(२) "उपकृतं बहु तत्र" वाले उदाहरण में भी उपकृतं आदि विधेयांश ही है । इसी पद्य के "सखे" में भी हमें विधेयांश ही जँचता है, तभी तो उससे "शत्रो" (हे शत्रु) वाला लक्ष्यार्थ ठीक बैठेगा ।

(३) उपादान लक्षणा के बारे में कुछ लोग इस सिद्धान्त को ठीक बैठता हुआ न माने । पर हमें वहाँ भी कोई अड़चन नजर नहीं आती । उपादानलक्षणा का पहला उदाहरण हम लेते हैं:—"श्वेतो धावति" (सफेद दौड़ रहा है; सफेद घोड़ा दौड़ रहा है), यहाँ विधेयांश "धावति" को मानना ठीक नहीं जान पड़ता । वस्तुतः यह तो हम पहले से ही जानते हैं कि कोई चीज जरूर दौड़ रही है । पर क्या दौड़ रहा है ? यह जानना हमें अभीष्ट है । अतः 'श्वेतः' में विधेयांश ठीक बैठ जाता है । यहाँ 'श्वेत' में उपादानलक्षणा से 'श्वेत घोड़ा' अर्थ लेना होता है ।

(४) उपादान लक्षणा का एक और उदाहरण ले लें:—"मंचाः क्रोशन्ति" (खाट चिह्ला रही हैं) इसका लक्ष्यार्थ है "खाट पर सोये वालक चिह्ला रहे हैं ।" यहाँ चिह्लाना तो हम पहले ही सुन रहे हैं, अतः वह तो विधेय होगा नहीं । मान लीजिये, हमने चिह्लाना सुना, फिर पूछा:—कौन चिह्लाता है (कः क्रोशति) और उत्तर मिला "खाट चिह्ला रही हैं" (मंचाः क्रोशन्ति), तो यहाँ विधेयांश 'मंचाः' ही हुआ इस तरह यहाँ लक्षणा विधेयांशरूप 'मंचाः' पद में है ।

अस्पष्टता के कारण होती है । ऐसे स्थलों पर विधेयांश सदा दुहरा सवध रखता है ।"

("The difficulty in this case is with the predicate... This difficulty arises, it is clear, from that which is precisely the unique character or the symbol sentence, namely the ambiguity of predicate." p. 439)

भट्ट मुकुल, महिम भट्ट तथा कुन्तक अभिधा शक्ति को ही शब्द-व्यापार मानते हैं, वे लक्षणा को शब्दव्यापार नहीं मानते। भट्ट मुकुल की अभिधावृत्तिमात्रिका में अत की कारिका में यह संकेत मिलता है कि वे लक्षणा को अभिधा का ही अंग मानते हैं:—“हमने इस प्रकार अभिधा के दस प्रकारों का विवेचन कर दिया है।”^१ अभिधा के इन्हीं दस प्रकारों में वे लक्षणा के भेदों का समावेश करते हैं। ग्रंथ में लक्षणा के विशद वर्णन का कारण भी वे यों बताते हैं।—“ध्वनिवादी तथा सहृदय जिस व्यंजना (ध्वनि) को नई चीज मानते हैं, वह लक्षणा में ही अंतर्भावित हो जाती है, इसलिए यह स्पष्ट करने को यह सब कहा गया है।^२ मुकुल भट्ट के इस मत का विशद विवेचन “लक्षणावादी और व्यंजना” नामक परिच्छेद में किया जायगा। यद्यपि मुकुल भट्ट अभिधावादी ही हैं, तथापि वहाँ उन्हें हमने इसलिए लिया है कि वे ध्वनि तथा व्यंजना व्यापार का समावेश ‘लक्षणा वाले’ अंग में मानते हैं। इसे हम आगे देखेंगे।

दूसरे अभिधावादी महिम भट्ट हैं। ये शब्द की शक्ति केवल अभिधा ही मानते हैं:—‘शब्द में केवल एक ही शक्ति होती है’, वह है अभिधा। इसी तरह अर्थ में केवल लिंगता (हेतुता) होती है।^३ जैसा कि हम आगे (“अनुमानवादी तथा व्यंजना” नामक परिच्छेद में) देखेंगे महिम भट्ट लक्ष्यार्थ को वाच्यार्थ रूप हेतु से अनुमित मानते हैं। वे कहते हैं:—“गंगायां घोषः” में जब हम “गंगातट पर आभीरों की वस्ती” अर्थ लेते हैं, तो यह अर्थ अनुमितिगम्य है।’ इसी तरह “गौर्वाहीकः” जैसी गौणी लक्षणा में भी वे लक्षणाव्यापार न मान कर लक्ष्यार्थ को अनुमित मानते हुए कहते हैं:—“वाहीक में गोत्व का आरोप करने से उन दोनों की समानता की अनुमिति होती है। यदि

१. इत्येतदभिधावृत्त दशधात्र विवेचितम् ।

—अभिधावृत्तिमात्रिका, का० १२

२. लक्षणामार्गावगाहिरव तु ध्वने सहृदयैर्नूतनतयोपवर्णितस्य विद्यत इति दिशसुन्मूलमितुमिदमत्रोक्तम् ।

—वही, पृ० २१

३. शब्दस्यैकाभिधाशक्तिरर्थस्यैव लिंगता ।

—व्यक्तिविवेक १, २६ पृ० १०५

ऐसा न हो, तो कौन विद्वान् उससे भिन्न असमान वस्तु में उसी का व्यवहार करेगा ।”^१ आगे जाकर वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि कोई भी शब्द अभिधावृत्ति को कभी नहीं छोड़ता ।^२

तीसरे अभिधावादी कुंतक हैं । कुतक स्पष्ट रूप से कहीं भी लक्षणा का निषेध नहीं करते । किंतु उनके अभिधावादी मत का संकेत वहाँ हूँटा जा सकता है, जहाँ वे वक्रोक्ति को “विचित्रा अभिधा” ही मानते हैं ।^३ मुकुल भट्ट के साथ ही कुंतक का भी समावेश हमने “लक्षणावादी और व्यंजना” नामक परिच्छेद में किया है । इसका भी एक कारण है । कुंतक ने कुछ ध्वनि भेदों का समावेश “उपचारवक्रता” में किया है, जो ‘लक्षणा’ है । इससे कई विद्वान् यह समझते हैं कि कुंतक व्यंजना को “उपचारवक्रता” (भक्ति या लक्षणा) में अन्तर्भावित करते हैं ।^४ इसलिए कुंतक को हमने वहाँ लिया है ।

अभिधावादियों को यह दर्लाल है कि शब्द (गौः) सुनने पर पहले तो ‘गाय या वैल’ वाला अर्थ प्रतीत हुआ । शब्द तो क्षणिक है, अतः आशुविनाशी होने के कारण नष्ट हो गया । तत्र द्वितीय क्षण में प्रतीत लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ से ही प्रतीत हो सकेगा, शब्द से नहीं । फिर वह शब्द व्यापार कैसे होगा । इस शंका का समाधान हम यों कर सकते हैं कि वाच्यार्थ प्रतीति शब्दज्ञान से विशिष्ट होकर होती है:—गौः का अर्थ वस्तुतः ‘गोशब्दविशिष्टसास्नादिमान् व्यक्ति लेना होगा । फिर शब्द विद्यमान रहता ही है ।

ध्वनिवादी आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ तथा पंडितराज को उपर्युक्त अभिधावादियों का मत संमत नहीं । वे लक्षणा ही नहीं, तात्पर्य तथा व्यंजना को भी शब्द का ही व्यापार

१. गोत्वारीपेण वाहाके तत्प्राग्यननुमांयते ।

को ह्यतस्मिन्नतत्तुत्ये तच्च व्यपदिशेद्बुधः ॥

—वही १, ४६ पृ० ११६ (चौ० ६०)

२. सुष्यवृत्तिपरित्यागो न शब्दस्योपपद्यते । —वही, प्रथम विमर्श

३ वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा ।

—वक्रोक्तिजीवित, पृ० २१ (ढ द्वारा संपादित १९२५)

४ देखिये—स्यक. अलंकारमर्वस्व पृ० ३-४

मानते हैं। मीमांसक तथा नैयायिक भी लक्षणा को शब्दशक्ति के रूप में ही स्वीकार करते हैं।

पाश्चात्य विद्वान् और शब्दशक्ति

भारतीय विद्वानों ने शब्द तथा अर्थ के विभिन्न संबंधों का विवेचन करते समय जैसे सूक्ष्म तथा तर्कपूर्ण तथ्यों की खोज की है, वैसा सूक्ष्म विवेचन पाश्चात्य विद्वानों में नहीं मिलता। फिर भी पाश्चात्यों ने इस विषय में कुछ गवेषणा अवश्य की है, तथा वे उसी निष्कर्ष पर पहुँचते प्रतीत होते हैं, जिस पर भारतीय विद्वान् पहुँचे हैं। यूनानियों, लैतिनों (रोमनों) तथा आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने शब्द के विभिन्न अर्थों को साक्षात् अर्थ (प्रॉपर सेन्स) तथा आलंकारिक अथवा लाक्षणिक अर्थ (फीगरेटिव और मेटेफोरिक सेन्स) इन दो कोटियों में विभक्त किया है।

अरस्तू के मतानुसार साक्षात् शब्द वह है, जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं, तथा उससे संबद्ध अर्थ साक्षात् अर्थ है।^१ सिसरो तथा क्विन्तीलियन 'वाचक' शब्द की जो परिभाषा देते हैं, वह भारतीय परिभाषा से मिलती-जुलती है। उनके मतानुसार 'वाचक' शब्द, पदार्थों का साक्षात् बोधक है, उसका उन पदार्थों से नियत संबंध होता है। 'वाच्य' अर्थ उस शब्द का नियत अर्थ है। क्विन्तीलियन के ही आधार पर दुमार्से ने कहा है, "वाच्य अर्थ, शब्द का प्राथमिक संकेत है। साक्षात् अर्थ में प्रयुक्त शब्द इस बात को द्योतित करता है कि उसी अर्थ को प्राथमिकता क्यों दी गई है।"^२

१ अरस्तू काव्यशास्त्र परि० २१

२. "Le sens propre d'un mot, dit-il, c'est la première signification du mot. Un mot est pris dans le sens propre lorsqu'il signifie ce pourquoi il a été premièrement établi."—Dumarsais quoted by Regnaud, P. 47.

दूसरे शब्दों में दुमार्से के मत में वाच्यार्थ वह है, जिसके ज्ञान में विशेष परिश्रम नहीं होता। यह वह अर्थ है, जिसको शब्द सर्वप्रथम द्योतित करते हैं।

अरस्तू ने आलंकारिक अथवा लाक्षणिक अर्थ के विषय में विशेष विचार किया है। किंतु उसका यह भेद उतना सूक्ष्म तथा विस्तृत नहीं हो सका है, जितना भारतीयों की लक्षणा का।

अरस्तू के मत में साक्षात् वाचक शब्द तथा लाक्षणिक शब्दों के शब्दों के प्रकार भेद का संकेत अरस्तू ने "अलंकारशास्त्र" (रेटोरिक्स) की तृतीय पुस्तक के द्वितीय परिच्छेद में पद्यात्मक तथा गद्यात्मक शैली पर प्रकाश डालते समय किया है। वह कहता है: — "साधारण प्रयोग के शब्द, साक्षात् अर्थ में प्रयुक्त शब्द तथा लाक्षणिक प्रयोग (शब्द) केवल गद्यात्मक शैली में ही पाये जाते हैं। इसका प्रमाण यह है कि केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग सब लोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा घातचीत करता है, मुख्यार्थ में शब्दों का प्रयोग करता है, एवं साधारण प्रयोग के शब्दों का व्यवहार करता है।"^१ अरस्तू के इन्हीं शब्दों को हम क्रमशः भारतीयों के रूढ शब्द, वाचक शब्द, तथा लाक्षणिक शब्द कह सकते हैं। इसी संबंध में अरस्तू के आंग्ल अनुवादक थ्योडोर वफले ने पादटिप्पणी में बताया है कि शब्दों को चार प्रकार का माना जा सकता है। वे कहते हैं 'कुरिया' (Kuria) वे शब्द हैं, जिनका प्रयोग साधारण रूप में पाया जाता है। दूसरी कोटि के शब्द

१ Words however of ordinary use and in their original acceptations and Metaphors, are alone available in the style of prose, a proof that these are the only words which all persons employ, for every body carries on conversation by means of metaphors, and words in their primary sense, and those of ordinary sense." —Aristotle. Rhetoric : B. III. ch II. Para 6. P. 209.

दो अर्थ (भाव) — लक्ष्यार्थ (गगातट) तथा 'प्रयोजनरूप व्यंग्यार्थ' (शीतलता, पवित्रता आदि) ही हैं। अतः बॉज़वेल दूसरे शब्दों में हमें व्यंग्यार्थ जैसी वस्तु का भी संकेत देता जान पड़ता है।

“लाक्षणिकता का प्रयोग भाषा के दारिद्र्य के कारण होता है। जब लोग प्रत्येक अवसर पर अपने भावों को वहन करने वाले शब्दों को नहीं पाते, तब वे औपमानिक शब्दों का पाश्चात्त्यों के मतानुसार लाक्षणिकता के दो तत्त्व को नहीं पाते, तब वे औपमानिक शब्दों का आश्रय लेते हैं, उन शब्दों को उनके मुख्यार्थ से हटाकर अभिप्रेत अर्थ की ओर ले जाते हैं।”^१

इस प्रकार लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार दो तत्त्वों की अपेक्षा होती है:—(१) शब्द का मुख्यार्थ से हट कर दूसरे अर्थ की ओर जाना, तथा (२) उपमान का आधार। ये दोनों हमारे मुख्यार्थबाध तथा तद्योग से ठीक ठीक मिलते हैं। रूढि का तो इनकी लक्षणा में कोई स्थान ही नहीं, यह हम बता चुके हैं, अतः रूढि अथवा प्रयोजन जैसे तीसरे तत्त्व को मानने की वहाँ आवश्यकता नहीं है।

लाक्षणिकता को अरस्तू ने चार प्रकार का माना है—(१) जाति से व्यक्तिगत, (२) व्यक्ति से जातिगत, (३) व्यक्ति से व्यक्तिगत, तथा (४) साधर्म्यगत।^२

अरस्तू के ४ प्रकार के लक्षणा के भेद अरस्तू का यह भेद बाद के यूरोपीय विद्वानों से

१ Metaphor took its rise from the poverty of language. Men not finding upon every occasion words ready made for their ideas, were compelled to have recourse to words analogous, and transfer them from their original meaning, to the meaning of the required ”

—Philolo Inq. P. II. C. 10.

२. But a metaphor is the transposition of a noun, from its proper signification, either from the genus to the species, or from the species to the genus, or from the species to species, or according to the analogous.

—Aristotle : Poetics P. 452.

भिन्न है। वाद के यूरोपीय विद्वान् केवल तीसरे व चौथे प्रकार में ही लाक्षणिकता मानते हैं।^१ अरस्तू के इस भेद को संक्षेप में समझ लेना आवश्यक होगा।

(१) जाति से व्यक्तिगतः—लाक्षणिकता के प्रथम भेद में लाक्षणिक शब्द किसी 'जाति' के वाच्य का बोध कराता है, किंतु प्रसंग में ठीक न बैठने से उससे व्यक्ति का बोध जाति से व्यक्ति (लक्ष्यार्थ) लिया जाता है। भारतीय विद्वानों की परिभाषा में हम इस प्रकार के शब्द के मुख्यार्थ को सामान्य अर्थ तथा लक्ष्यार्थ को विशिष्ट अर्थ कह सकते हैं। इसका निम्न उदाहरण दिया जा सकता है।

“उस बन्दरगाह में मेरा जहाज सुरक्षित खड़ा है”

(Secure in yonder port my vessel stands.)

इस उदाहरण में 'खड़ा होना' सामान्य क्रिया है। इसके द्वारा 'बन्दरगाह में जहाज के बोधे जाने' रूप विशिष्ट क्रिया का बोध होता है। हिंदी से इसका उदाहरण यों दिया जा सकता है:—

निकल रही थी मर्मवेदना कहुणा-विकल कहानी-सी।

वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हैंसती-सी पहचानी-सी ॥

(कामायनी-चिता)

यहाँ भी मर्मवेदना के लिए 'निकलने' क्रिया का प्रयोग 'अंतस्तल से प्रकट होने' के विशिष्ट अर्थ में हुआ है। जिस प्रकार 'जहाज का बन्दरगाह में बँधा होना' "खड़े होने" में समाहित हो सकता है, उसी प्रकार 'अंतस्तल से प्रकट होना' (अवचेतन मन से व्यक्त होना) 'निकलने' में समाहित हो सकता है। एक सामान्य का बोध कराता है,

१. Aristotle understands metaphor in more extended sense than we do, for we only consider the third and fourth of the kinds enumerated by him, as metaphors.

—footnote 7, Poetics. Ch. XXI P. 452.

(Tr. Theodore Buckley)

दूसरा विशिष्ट का। इसी उदाहरण में 'करुणाविकल कहानी-सी', 'हँसती-सी' तथा 'पहचानी-सी' में साधर्म्यगत लाक्षणिकता (analogous metaphor) भी पाई जाती है।

जहाँ विशिष्ट से सामान्य का बोध हो, वहाँ अरस्तू दूसरे प्रकार की लाक्षणिकता मानता है। जैसे,

(२) व्यक्ति से जाति वाली लाक्षणिकता यूलिसीज ने पराक्रम के दस सहस्र कार्य किये।
(Ten thousand valient deeds, Ulysses have achieved.)

यहाँ 'दस सहस्र' इस विशिष्ट अर्थ का 'अनेक, असंख्य' इस सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसी का यह भी उदाहरण दिया जा सकता है—“उर में उठते शत शत विचार” (पत) जिसमें “शत शत” का प्रयोग “असंख्य” अर्थ में हुआ है। यहाँ कवि को क्रमशः यूलिसीज की अतिशय वीरता, तथा अनेक विचारों से हृदय की भाराकातता की व्यंजना कराना अभीष्ट है।

जहाँ एक विशिष्ट अर्थ के लिए दूसरे विशिष्ट अर्थ के वाचक का प्रयोग किया गया हो, वहाँ तीसरी लाक्षणिकता होती है। जैसे “उसके जीवन को कांसे के खड्ग ने खँच लिया” (The brazen falchion drew away his life)
(३) व्यक्ति से व्यक्तिगत तथा “क्रूर खड्ग से काटा हुआ” (Cut by ruthless sword) इन उदाहरणों में। प्रथम में 'काटने' के लिए 'खँच लेने' तथा दूसरे में 'खँच लेने' के लिए 'काटने' का प्रयोग हुआ है। 'काटना' तथा 'खँच लेना' दोनों किसी वस्तु को एक से पृथक् कर दूसरी ओर ले जाने के भाव को द्योतित करते हैं। इस सामान्य भाव के ये दोनों विशेष भाव हैं। इसी का यह भी उदाहरण दिया जा सकता है:—

नव कोमल आलोक बिखरता हिमसंसृति पर भर अनुराग ।


सित सरोज पर क्रीडा करता जैसे मधुमय पिंग पराग ॥

(कामायनी-आशा)

यहाँ 'बिखरने' का प्रयोग 'फेलने' के अर्थ में हुआ है, वैसे दोनों विशेष भाव किसी वस्तु को 'आवेष्टित कर लेने' के सामान्य भाव के

अत्रांतर रूप हैं। साथ ही पिंग पराग के लिए 'क्रीड़ा करता' का प्रयोग 'चायु के झोंके से इधर उधर उड़ने' के अर्थ में हुआ है, ये दोनों 'चंचलता' रूप सामान्य भाव के विशिष्ट रूप हैं। अतः इन दोनों में एक विशेष (व्यक्ति) से दूसरे विशेष (व्यक्ति) का द्योतन कराने वाली लाक्षणिकता है। आलोक का विखरना, पटवास के विखरने का स्मरण कराता है, तथा पिंग पराग का क्रीड़ा करना, बालक को क्रीड़ा का स्मरण कराता है। इस प्रकार ये दोनों लाक्षणिक प्रयोग आह्लाद के व्यञ्जक बन कर आशा के उदय से प्रफुल्लित मनु की मनःस्थिति तथा प्रातः काल के उद्दास की व्यञ्जना करते हैं।

अत्र अरस्तू का अंतिम किंतु महत्त्वपूर्ण भेद रहा है। यह भेद साधर्म्य के आधार पर है। इसको हम भारतीयों की गौणी लक्षणा से अभिन्न मान सकते हैं। किंतु गौणी लक्षणा जहाँ (४) साधर्म्यगत रूपक, तथा अतिशयोक्ति को ही अपने क्षेत्र में लेती है, अरस्तू का 'एनेलॉगस मेटेफर' उपमा, मूर्तीकरण आदि सभी साधर्म्यमूलक अलंकारों का बीज है। अरस्तू के मतानुसार साधर्म्यगत लाक्षणिकता वहाँ होती है, "जहाँ प्रथम वाचक का द्वितीय वाचक से ठीक वही संबंध होता है, जो तृतीय का चतुर्थ से, ऐसी दशा में द्वितीय का प्रयोग चतुर्थ के लिए, अथवा चतुर्थ का द्वितीय के लिए किया जाता है।" इसे हम यों समझा सकते हैं:—



इम रेखाचित्र में 'क' का 'ख' से ठीक वही संबंध है, जो 'प' का 'फ'

१. But I call it analogous, when the relation of the second term to the first is similar to that of the fourth to the third, for then the fourth is used instead of the second, or the second instead of the fourth.

से। इसी आधार पर 'ख' को द्योतित करने के लिए हम 'क' के साथ 'फ' का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह 'फ' को द्योतित करने के लिए 'प' के साथ 'ख' का प्रयोग कर सकते हैं। 'नायिका' से 'केशपाश' का वही संबंध है, जो मयूर का कलाप से, अतः 'नायिका के केशपाश' को हम 'नायिका का कलाप' तथा 'मोर की पूँछ' को 'मयूर का केशपाश' कह सकते हैं। अरस्तू का प्रसिद्ध उदाहरण यह है। मार्स से ढाल का वही संबंध है, जो बेकस से कटोरे का। अतः ढाल को मार्स का कटोरा तथा कटोरे को बेकस की ढाल कह सकते हैं।^१ अथवा संध्या के साथ दिन का वही संबंध है, जो बुढ़ापे का जीवन से। अतः हम संध्या को दिन का बुढ़ापा, तथा बुढ़ापे को जीवन की संध्या कह सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण हम यों ले सकते हैं:—

“अस्त हुआ रवि तेरा अब रे चला गया मधुमय वसंत”

(Thy sun is set, thy spring is gone).

“जीवन की रजनी मेरी, फिर भी रखती कुछ स्मृतियाँ”

(Yet hath my night of life some memory).

यहाँ “रवि के अस्त होने” तथा “वसन्त के चले जाने” से ‘सुख के अन्त होने’ का तात्पर्य है। रवि का दिवस से वही संबंध है, जो कवि से सुख का, इसी प्रकार वसन्त का संवत्सर से वही संबंध है, जो कवि के जीवन से सुख का। अतः ‘तेरा रवि’, ‘तेरा वसन्त’ यह प्रयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण में भी दिवस का रजनी से वही संबंध है, जो जीवन का वृद्धावस्था से, अतः कहा है “जीवन की रजनी”। हिन्दी से हम इसका उदाहरण यों दे सकते हैं।

जब कामना सिंधुतट आई ले सन्ध्या का तारा दीप।

फाड़ सुनहली साड़ी उसकी तू क्यों हँसती अरी प्रतीप ॥

(कामायनी, आशा)

इस उदाहरण में, ‘सन्ध्या का तारा-दीप’ तथा ‘सुनहली साड़ी उसकी’ में साधर्म्यगत लाक्षणिकता है। प्रथम में सन्ध्या के साथ तारे का वही संबंध है, जो प्रिय की कुशलकामना के लिए सागरतट पर

१ मार्स तथा बेकस यूनान के पौराणिक देवता हैं। मार्स वीरता के देवता है, बेकस शराब के देवता।

पूजादीप को वहाने आती हुई नायिका से दीपक का । साथ ही उसी नायिका से सुनहली साड़ी का ठीक वही संबंध है, जो सन्ध्या से उसकी अरुणिमा का । अतः 'सान्ध्यतारक' के लिए 'सन्ध्या का तारा-दीप' का प्रयोग 'मार्स का ढाल-कटोरा' के समान है । यहाँ प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ तीन शब्दों (क, ख, फ) का प्रयोग एक साथ हुआ है । 'उसकी सुनहली साड़ी' का प्रयोग सान्ध्य अरुणिमा के अर्थ में है । इसमें ध्यान से देखने पता चलेगा कि क-ख के संबंध को बताने के लिये यहाँ प-फ का प्रयोग है । अरस्तू ने इस ढंग का भेद नहीं माना है, वह क-फ, या प-ख का प्रयोग ही मानता है । अतः यह निगरण-मूलक लाक्षणिकता ठीक इसी रूप में अरस्तू में नहीं पाई जाती । भारतीयों के मत में पहले में 'सारोपा गौर्णा' (रूपक अलंकार) तथा दूसरे में, 'साध्यवसाना गौर्णा' (अतिशयोक्ति) अलंकार होगा । दोनों का आधार साधर्म्य ही है ।

लाक्षणिक प्रयोग के विषय में अरस्तू का मत भारतीय मत से मिलता जुलता है । लाक्षणिक प्रयोगों के लिए पाँच परमावश्यक गुण माने गए हैं:—(१) लाक्षणिक प्रयोग विलकुल अरस्तू के द्वारा निर्दिष्ट ठीक हो, अर्थात् उनमें लक्ष्यार्थ का बोध कराने लाक्षणिक प्रयोग के ५ की क्षमता हो । किसी भी लाक्षणिक प्रयोग परमावश्यक तत्त्व या गुण में लक्ष्यार्थ का बोध कराने की शक्ति तभी हो सकती है, जब कि उनमें कोई संबंध अवश्य हो । यह संबंध उपर्युक्त चार संबंधों में से किसी एक तरह का होना ही चाहिए । जैसे नायिका का मुख, तब के पेंदे जैसा है । यहाँ लाक्षणिक प्रयोग ठीक नहीं है । (२) यदि किसी का उत्कर्ष द्योतित करना हो, तो उसका ग्रहण उन्नत मूल से किया गया हो, और यदि अपकर्ष द्योतित करना हो, तो निम्न मूल से । जैसे किसी की वीरता का उत्कर्ष बताने के लिए शेर का प्रयोग करना, तथा मूर्खता बताने के लिए "गधे" का प्रयोग । (३) लाक्षणिक प्रयोगों में ध्वनि-माधुर्य का भी ध्यान रखा जाय । जैसे "ले सन्ध्या का तारा-दीप" में तारा दीप की कोमल, अल्पप्राण ध्वनियाँ ही इस लाक्षणिकता की सुंदरता बढ़ा रही हैं । (४) लाक्षणिक प्रयोग दूरारूढ न हों । भारतीय आलंकारिकों ने भी दूरारूढ लाक्षणिक प्रयोगों में दोष माना

है। इस दोष को 'नेयार्थ' कहा जाता है।^१ 'वक्राओं ने कमललोहित्या से शरीर को भूषित किया (उद्यत्कमललोहित्यै वक्राभिभूषिता तनुः) इस वाक्य से अभीष्ट लक्ष्यार्थ, "कामिनियों ने पद्मराग मणियों से शरीर को भूषित किया", दूररूढ है। यहाँ "कमललोहित्य" का 'पद्मराग' तथा 'वक्रा' का 'कामिनी' (वामा), रूप अर्थ मानने में न कोई रुढ़ि है, न प्रयोजन ही। (५) उनका ग्रहण सुंदर पदार्थों से किया जाय। इस दृष्टि से लाक्षणिक प्रयोगों में अरस्तू ने सौंदर्य-प्रसाधन पर विशेष महत्त्व दिया है। एक स्थान पर उसने कहा है कि "गुलाब के समान अंगुलियों वाली अरोरा (rosy fingered Aurora) के प्रयोग में रक्तांगुलि (The purple-fingered) अथवा 'लोहितांगुलि' (The crimson-fingered) वाले प्रयोगों की अपेक्षा महान् अंतर है।^२

लाक्षणिक प्रयोगों के उपर्युद्धृत चारों प्रकारों में अरस्तू ने साधर्म्य-गत को सबसे सुंदर तथा चमत्कारजनक बताया है। उपमानोपमेय भाव को लेकर चलने के कारण इस प्रकार समस्त लाक्षणिक प्रयोगों के प्रयोगों में एक विशेष चमत्कार पाया जाता है। अरस्तू कहता है—“किंतु चार प्रकार के वत्कृष्टता लाक्षणिक प्रयोगों में वह प्रकार-भेद उच्चतम कोटि का है जिसका आधार समान अनुपात (साधर्म्य) है। जैसे पेरिक्लीज ने कहा था, 'जिस प्रकार सबत्सर से वसंत छीन लिया गया हो, उसी प्रकार युद्ध में मारे हुए नवयुवक

१ "नेयार्थत्व रूढिप्रयोजनाभावादशक्तिकृत लक्ष्यार्थप्रकाशनम्"

—सा० द० परि० ७ पृ० ५९१,

२ The four essentials of metaphor :—(1) Must be appropriate, (2) From a better class if to embellish, from a lower if to debase, (3) The emphasis must be attended to, (3) Must not be far-fetched, (5) They must be borrowed from beautiful objects, —Rhetoric. Book III. ch. II

नगर से अंतर्हित हो गये।^१ अरस्तू के मत से निम्न लाक्षणिक प्रयोग उच्चतम कोटि का होगा।

उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी-सी उदित हुई।
उधर पराजित कालरात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई॥
वह विचरण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हँसने फिर से।
वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नये सिर से॥

(कामायनी, आशा)

जिस प्रकार कोई राजा अपने वैरी को पराजित कर देता है, तथा उस विजयी राजा की जयलक्ष्मी वाणों की वृष्टि करती हुई पराजित राजा को ध्वस्त कर देती है, वैसे ही प्रलय निशाको ध्वस्त करती हुई उषा अपनी स्वर्णिम किरणों बरसाती हुई प्रकट हुई। पराजित राजा अपनी रक्षा के लिए कहीं जाकर छिप जाता है, उसी तरह काल-रात्रि भी समुद्र के जल में छिप गई। जब दुष्ट राजा की पराजय हो जाती है, तथा सन्नृप विजयी होता है, तो वह प्रकृति (मंत्री, प्रजा आदि) जो दुष्ट राजा के अत्याचार से म्लानमुख थी, फिर प्रसन्न हो जाती है, ठीक इसी प्रकार प्रलयनिशा में ध्वस्त प्रकृति अब उल्लासमय हो गई। शोक का अन्त हुआ तथा उल्लास का संचार हो गया। सप्तर में वर्षा का अंत हो गया, नये ढंग से शरद ऋतु आई। यहाँ 'वर्षा' शोक तथा मलिनता की द्योतक है, 'शरद विकास' उल्लास तथा निर्मलता का। इस उदाहरण में 'प्रकृति' शब्द के श्लिष्ट प्रयोग ने एक विशेष चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। यहाँ विजयी राजा से पराजित राजा, वाण तथा मंत्रियों का ठीक वही संबंध है, जो उषा से रात्रि, किरणों तथा प्रकृति

१. But of metaphor, which is fourfold, that species is in the highest degree approved which is constructed on similar ratios, just as Pericles said, "that the youth which had perished in the war, had so vanished from the city, as if one were to take the spring from the year

—Aristotle : Rhetoric. Bk. III. ch. X. P. 236.

का। इसी प्रकार उषा से रात्रि का वही संबंध है, जो शरत् से वर्षा का। ये समस्त प्रयोग मनु के मन से चिंता के मालिन्य के नष्ट होने तथा वहाँ आशा के उल्लास का उदय होने की व्यंजना करते हैं।

जिस प्रकार साधर्म्यगत गौणी लक्षणा को भारतीयों ने सारोपा तथा साध्यवसाना इन दो भेदों में विभाजित किया है, उसी प्रकार अरस्तू भी साधर्म्यगत लाक्षणिकता दो प्रकार की साधर्म्यगत लाक्षणिकता मानता है। सारोपा में आरोपक तथा आरोप्य-के दो तरह के प्रयोग माण दोनों का एक साथ प्रयोग पाया जाता है, जैसे “यह बालक शेर है” में। किंतु साध्यवसाना में आरोपक आरोप्यमाण का निगरण कर जाता है, जैसे बालक के लिए “शेर है” इस प्रयोग में। अरस्तू के मतानुसार भी लाक्षणिक प्रयोगों में कभी कभी वाचक का प्रयोग, लाक्षणिक के साथ साथ ठीक उसी तरह किया जाता है, जैसे बालक और शेर का साथ साथ प्रयोग। इस प्रकार के प्रयोग का कारण उसी अर्थ को बतलाने के लिए किया जाता है, जिससे लाक्षणिक प्रयोग से अप्रासंगिक अर्थ न ले लिया जाय।

यूरोपीय साहित्यशास्त्र के प्रायः सभी (साधर्म्यगत) अलंकार—इसी लाक्षणिक प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। उपमा, रूपक, अति-यही प्रकार शयोक्ति आदि सभी अलंकार जो साधर्म्य को पाश्चात्य साहित्यशास्त्र लेकर चलते हैं, इसी कोटि में अंतर्भूत होते हैं। के समस्त साधर्म्यमूलक उपमा (Simile) के विषय में अरस्तू का अलंकारों का आधार है कहना है, कि उपमा लाक्षणिक प्रयोग ही है। क्योंकि उपमा में रूपक की भाँति दो प्रकार के

१. In the Poetics he says that, in the case of the analogical metaphor, “sometimes the proper term is also introduced, besides its relative term,” and this, with a view to guard the metaphor from any incidental harshness or obscurity, with such an adjunct the metaphor ceases to be ‘aplaus’;

वाचक पाये जाते हैं।^१ अतिशयोक्ति (Hyperbole) भी इसी साधर्म्यगत लाक्षणिकता की कोटि में आती है।^२ यही नहीं, मूर्तीकरण या मानवीकरण (Personification) में भी इसी साधर्म्यगतत्व का विशेष हाथ होता है। अरस्तू ने कहा है कि “अचेतन में चेतन का आरोप इसी कोटि के अंतर्गत है। होमर ने कई स्थानों पर लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा अचेतन वस्तुओं को चेतन के रूप में चित्रित किया है।”

सिसरो के मतानुसार समस्त लाक्षणिक प्रयोग साधर्म्यमूलक ही होते हैं। यह साधर्म्य किसी शब्द के वाच्य (साक्षात् अर्थ) तथा लक्ष्य (लाक्षणिक अर्थ) इन दो पदार्थों में पाया मेटेफर के विषय में जाता है। किन्तीलियन की लाक्षणिकता की सिसरो, किन्तीलियन परिभाषा भारतीयों की परिभाषा से मिलती तथा दुमार्से का मत जुलनी है। उसके मतानुसार लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त शब्द, उस अर्थ से भिन्न अर्थ द्योतित करता है, जो उसके साधारण प्रयोग पर आश्रित है। यह प्रयोग निःसंदेह अन्य संबद्ध शब्दों तथा प्राकरणिक अर्थों का निर्धारक होता है। फ्रेच विद्वान् दुमार्से (Dumarsais) के मतानुसार लक्ष्यार्थ

e. g. 'phiale Areos'—thus expressed, the metaphor is 'Oux aplous', but if stated simply 'phiale', it is 'aplous'.

—Footnote 16, Rhetoric. Bk. III. ch. XI P. 244.

१. Similes, also, are in some way approved metaphors, for they always are expressed in two terms, like the ana'ogical metaphor.

—Ibid, Bk. III. ch. XI. Para II.

२ Again, hyperboles, which are recognised as metaphors, as that about a person with a black eye, “you wou'd have thought him a basket of mulberries.”

—Ibid Para 15, P. 245.

वह अर्थ है, जो मुख्यार्थ से सर्वथा विपरीत है। इस प्रकार यह विपरीत लक्षणा में ही लाक्षणिकता मानना जान पड़ता है।

ऑग्डन तथा रिचर्ड्स ने लाक्षणिकता वहीं मानी है, जहाँ एक संबद्ध पदार्थ का प्रयोग, दूसरे संबद्ध पदार्थ के लिए किया जाता है। यह प्रयोग इसलिए किया जाता है कि दूसरे वर्ग की

मेटेफर के संबन्ध में वस्तुओं से सादृश्यसंबन्ध स्पष्ट हो जाता है।
ऑग्डन तथा रिचर्ड्स 'साहित्यालोचन के सिद्धांत' (Principles of
का मत Literary Criticism) नामक पुस्तक में

'मेटेफर' के विषय में रिचर्ड्स का कहना है कि,
"लाक्षणिकता एक अर्धगूढ़ प्रणाली है, जिसके द्वारा बहुत से तत्त्व अनुभव के क्षेत्र में आ जाते हैं।"^२ लाक्षणिकता को अर्धगूढ़ प्रणाली मानकर क्या रिचर्ड्स भारतीयों के (अर्धगूढ़) व्यंग्य का तो सकेत नहीं देते, जो लाक्षणिकता में सर्वदा निहित रहता है।

पाश्चात्य विद्वान् व्यंजना जैसी अलग से कोई शब्दशक्ति नहीं मानते, किंतु प्रतीयमान (व्यंग्य) अर्थ की
उपसंहार सहता को वे भी मानते जान पड़ते हैं। प्रतीय
मान अर्थ के विषय में उनके मत का उल्लेख
हम व्यंजना शक्ति का धिवेचन करते समय आगे करेंगे।

१. Metaphor, in the most general sense, is the use of one reference to a group of things between which a given relation holds, for the purpose of facilitating the discrimination of an analogous relation in another group."

—Meaning of Meaning ch. X P. 213.

२ Metaphor is a semi-surreptitious method by which a greater variety of elements can be wrought into the fabric of experience.

—Principles of Literary Criticism ch. XXII

चतुर्थ परिच्छेद

तात्पर्य वृत्ति और वाक्यार्थ

अभिधा और लक्षणा शब्द की शक्ति हैं, जो व्यस्त पद की अर्थ प्रतीति कराती हैं। लक्षणा के संबंध में हम बता चुके हैं कि कुछ विद्वानों ने वाक्य लक्षणा जैसा भेद माना है, पर तात्पर्य वृत्ति वह ठीक नहीं जान पड़ता। ध्वनिवादी के मत से अभिधा तथा लक्षणा केवल व्यस्त शब्द की ही अर्थप्रतीति करा पाती हैं, समस्त वाक्य की नहीं। यही कारण है, समस्त वाक्य का अर्थ लेने के लिए उन्हें अन्य शक्ति (वृत्ति) की शरण लेनी पड़ती है, जो अभिधा के द्वारा प्रतिपादित अर्थों को अन्वित कर एक अभिनव (विशेषवपु) अर्थ की प्रतीति कराती है, और यह अर्थ वाक्यार्थों का योग-मात्र न होकर कुछ विलक्षण 'वाक्यार्थ' (अपदार्थोऽपि वाक्यार्थः) होता है। इसी वृत्ति को ध्वनिवादी तात्पर्य वृत्ति कहता है। ध्वनिवादी के इस मत पर कुमारिल भट्ट के अभिहितान्वयवादी सिद्धांत का प्रभाव है। अतः तात्पर्य वृत्ति की प्रकृति समझने के लिये हमें कुमारिल भट्ट के ही मत को नहीं, किंतु उनके पूर्वपक्षी मतों को भी जानना जरूरी हो जाता है। साथ ही यहाँ यह भी संकेत कर दिया जाय कि ध्वनिवादियों ने कुमारिल के मत में कुछ मौलिक उद्भावना भी की है, और यद्यपि कुमारिल वाक्यार्थ के लिए (अभिधा से) अन्य शक्ति मानते हैं, तथापि कुमारिल के बहुत बाद तक भी अभिहितान्वयवादी भाट्ट मीमांसकों के ग्रंथों में तात्पर्य वृत्ति का नाम तक नहीं मिलता। मीमांसा के ग्रंथों में तात्पर्य वृत्ति का संकेत खण्डदेव के 'मीमांसाकौस्तुभ' तक में नहीं मिलता, जो १३वीं या १४वीं शती की रचना है। इससे पूर्व के भाट्ट मीमांसकों के ग्रंथों में भी वाक्यार्थ-प्रतीति का साधन लक्षणा को माना गया है, जैसा कि हम आगे

देखेंगे। तो तात्पर्य वृत्ति की कल्पना ध्वनिवादियों को कहाँ से मिली ? यह प्रश्न अभी समस्या ही बना हुआ है, इस समस्या को सुलभाने का संकेत हम करेंगे, किंतु मीमांसा के किसी ऐसे ग्रंथ के अभाव में, जो ध्वनिवाद से पुराना होते हुए भी तात्पर्य वृत्ति का संकेत करता हो, हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। संभवतः मीमांसकों के एक दल की यह मान्यता हो, पर उनके ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं।

वाक्यार्थ की मीमांसा करने के पूर्व हम वाक्य की परिभाषा समझ लें। पतंजलि ने महाभाष्य में वाक्य की परिभाषा निबद्ध करते समय कुछ लक्षणों का संकेत किया है। उनके वाक्य-परिभाषा तथा मतानुसार अव्यय, कारक और विशेषण में वाक्यार्थ किसी एक या सभी से युक्त क्रिया वाक्य की निष्पत्ति करती है।^१ इस लक्षण में क्रिया-विशेषण को भी संमिलित किया जा सकता है।^२ विशेषण युक्त केवल क्रिया भी वाक्य हो सकती है।^३ और कभी-कभी वाक्य केवल क्रिया (तिङ्) रूप भी हो सकता है।^४ वैसे वैयाकरणों के मतानुसार वाक्य के पद पदांश का प्रकृति-प्रत्यादि विभाग केवल व्यावहारिक है, और वे वाक्य को अखंड तत्त्व मानकर वाक्यस्फोट की कल्पना करते हैं।^५ नैयायिक साकांक्ष पदों के समूह को वाक्य मानते हैं।^६ विश्वनाथ के वाक्य संबंधी मत का उल्लेख हम प्रथम परिच्छेद में कर आये हैं, जो योग्यता, आकांक्षा तथा आसत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं।

१. आख्यात साव्ययकारकविशेषण वाक्यम् ।—महाभाष्य २. १. १.

२. सक्रिया विशेषण च ।—वही २ १. १.

३. आख्यात सविशेषणम् ।—वही २. १ १.

४. एकतिङ् ।—वही २ १. १.

५. तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसस्यानि एकमभिन्नस्वभावकं वाक्यम् । तदबुधबोधनाय पदविभागः कल्पित इति ।—वाक्यपदीय टीका (पुण्यराज) २ ५८.

६. मिथ साकांक्षशब्दस्य व्यूहो वाक्य चतुर्विधम् ॥

इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि वाक्यार्थ का स्वरूप क्या है। विद्वानों ने इस संबंध में निम्न मतों का संकेत किया है।

(१) वाक्य का अर्थ ज्ञान है।

(२) वाक्य में क्रिया मुख्य होने के कारण, क्रिया ही वाक्य का अर्थ है।

(३) वाक्य का अर्थ फल है, क्योंकि किसी भी फल-प्राप्ति के लिए क्रिया की जाती है।

(४) वाक्य का अर्थ पुरुष (ईश्वर) है, क्योंकि क्रिया का फल उसी के लिए होता है।

(५) वाक्य का अर्थ भावना, अर्थात् किसी इष्ट स्वर्गादि के प्रति कर्ता का व्यापार है।

(६) वाक्य का अर्थ शब्द-भावना या विधि है।

(७) वाक्य का अर्थ नियोग या प्रेरणा है।

(८) वाक्य का अर्थ उद्योग है।

(९) वाक्य का अर्थ प्रतिभा है।

इन मतों में नैयायिक वाक्य का अर्थ फल को मानते हैं, वैयाकरण प्रतिभा को।^१ ध्वनिवादी का वाक्यार्थ स्वरूप संबंधी मत कहीं नहीं मिलता, किंतु ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वे भी प्रतिभा को ही वाक्यार्थ मानते हैं। वैयाकरणों का प्रतिभा संबंधी मत संक्षेप में यों है। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, या उसका ग्रहण करते हैं, तो उसमें प्रतिभा ही कारण होती है। अतः प्रतिभा को ही वाक्यार्थ माना जा सकता है। प्रतिभा के अभाव में वाक्यार्थ प्रतीति हो ही न सकेगी। किसी भी शब्द को सुनकर जिस व्यक्ति के हृदय में जैसी प्रतिभा उद्बुद्ध होगी, वह उस शब्द (या वाक्य) का वैसा ही अर्थ लेगा। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा एक-सी नहीं है, अतः सब व्यक्तियों को शब्द का ज्ञान एक सा नहीं होगा। इस दृष्टि से शब्दादि के द्वारा अभिप्रेत तथ्य के निश्चित स्वरूप का निर्णय करना सरल नहीं। वाक्यार्थ

१. डॉ० कपिलदेव द्विवेदी—अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन में उद्धृत जयन्त भट्ट का वाक्यार्थ संबंधी विवेचन”

अखंड होता है, तथा श्रोता की प्रतिभा पर निर्भर है।^१ कहना न होगा यह मत ध्वनिवादियों को मान्य है। वैयाकरणों के मतानुसार यह प्रतिभा अभ्यासादि से उद्बुद्ध होती है। यह अभ्यास इस जन्म का भी हो सकता है, पूर्व जन्म का भी। काव्यादि के प्रणयन में साहित्य-शास्त्रियों ने प्रतिभा को प्रमुख हेतु माना है।^२ किंतु काव्य रचना के लिए ही नहीं, काव्यास्वाद के लिए भी प्रतिभा अपेक्षित है। जैसा कि हम आगे बतायेंगे, व्यंजना वृत्तिगम्य अर्थ की प्रतीति प्रतिभा के बिना नहीं हो पाती, और साहित्यिक इस बात को भी मानता है कि प्रतिभा के भेद के ही कारण एक ही वाक्य को सुनकर विभिन्न श्रोता भिन्न-भिन्न अर्थ की प्रतीति करते हैं। व्यंजना के प्रसंग में दिये गये उदाहरणों से यह बात और अधिक पुष्ट हो जायगी। व्यंजना के संबंध में “कस्य न वा भवति रोषः” इत्यादि गाथा की व्याख्या में इस अर्थभेद का संकेत व्यंजना वृत्ति वाले परिच्छेद में देखा जा सकता है।

वाक्य से वाक्यार्थ प्रतीति कराने में साधन क्या है, किस निमित्त के कारण किसी वाक्य को सुनकर वाक्यार्थ प्रतीति होती है, इस विषय में विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं।

वाक्यार्थ का निमित्त प्रसिद्ध मीमांसक वाचस्पति मिश्र ने “तत्त्व-विदु” में इन सब मतों का उल्लेख करते हुए अत में भाट्ट मीमांसकों के वाक्यार्थ निमित्त-सबधी मत की प्रतिष्ठापना की है। तत्त्वविदु के आधार पर ही हम यहाँ उन पूर्वपक्षों को रखते हुए भाट्ट मीमांसकों के मत का संकेत कर रहे हैं। वाचस्पति मिश्र ने इस सबध में पाँच मतों का संकेत किया है।

(१) स्फोटवादी वैयाकरणों के मतानुसार वाक्यार्थ का निमित्त अखंड वाक्य है, और वाक्य का पदवर्ण विभाग केवल अविद्या-जनित है।^३

१. शक्तिः कवित्वबीजरूपः सस्कारविशेषः कश्चित् । या विना काव्य प्रसृत न स्यात् प्रसृत वा उपहसनीय स्यात् ।

—काव्यप्रकाश प्रथम उल्लास पृ० ८.

२. वाक्यपदीय २ ११६-१२० तथा २. १४५-१५४

३. अनवयवमेव वाक्यमनाद्यविद्योपदर्शितालीकवर्णपदविभागमस्या-
निमित्तमिति केचित् ।

--तत्त्वविदु पृ० ६ (भजामलाइ विश्वविद्यालय प्रकाशन)

(२) प्राचीन मीमांसकों तथा प्राचीन नैयायिकों के मतानुसार वाक्यार्थ का निमित्त उस अंतिम वर्ण का ज्ञान है, जो पारमार्थिक (वास्तविक) पूर्व पूर्व पदों के अर्थानुभव के संस्कार से युक्त होता है।^१

(३) कुछ प्राचीन मीमांसक वाक्यार्थ का कारण उस वर्णमाला को मानते हैं, जो हमारी स्मृति के दर्पण पर तत्तत् पद-पदार्थ के अनुभव की भावना के साथ प्रतिबिंबित रहती है।^२

(४) आकांक्षा, योग्यता, तथा संनिधि के कारण अन्य पदों से अन्वित पदों का अभिधेयार्थ ही वाक्यार्थ है। अन्वित पद ही वाक्यार्थ के अभिधायक हैं।^३ यह मत अन्विताभिधानवादी प्राभाकर मीमांसकों का है।

(५) आकांक्षा, योग्यता तथा संनिधि आदि से युक्त पदार्थ; जिनकी प्रतीति प्रयुक्त पदों से होती है, वाक्यार्थ वृद्धि को उत्पन्न करते हैं।^४ अर्थात् पहले पद पदार्थों की प्रतीति कराते हैं, फिर आकांक्षादि से युक्त पदार्थ वाक्यार्थ को प्रत्यायित करते हैं। यह मत भाट्ट मीमांसकों का अभिहितान्वयवाद है। वाचस्पति मिश्र को यही मत स्वीकृत है। तभी वे अन्य मतों का पूर्वपक्ष के रूप में उल्लेख कर, इस मत के वाद “इत्याचार्याः” कह कर कुमारिल का संकेत करते हैं। इसी मत का पल्लवन कर लोगों ने तात्पर्य वृत्ति की कल्पना की है।

इन पाँचों मतों को ही हम यहाँ कुछ विस्तार से स्पष्ट करेंगे।

प्रथम मत—वाक्यार्थ संबंधी प्रथम मत स्फोटवादी वैयाकरणों

१. पारमार्थिकपूर्वपूर्वपदपदार्थानुभवजनितसंस्कारसहितमन्त्यवर्णविज्ञान मित्येके । (पृ० ६)

२. प्रत्येकवर्णपदपदार्थानुभवभावितभावनानिचयलब्धजनमस्मृतिदर्पणारूढा वर्णमालेत्यन्ये ॥ (वही पृ० ७)

३. पदान्येवाकाक्षितयोग्यसन्निहितपदार्थान्तरान्वितन्वार्थाभिधाचीनीत्यपरं ॥ (वही पृ० ७)

४. पदरेव समभिव्याहारवद्भिर्भविता. न्वार्था आकांक्षा योग्यताऽऽ-
नन्ति नभ्रीचीना वाक्यार्थर्थाहेतव इत्याचार्या. ॥ (वही पृ० ८)

का है। वैयाकरणों के स्फोटवाद को स्फोटायन नामक ऋषि (वैयाकरण) से संबद्ध माना जाता है, जिनका प्रथम मत—अखंड उल्लेख पाणिनि के सूत्रों में मिलता है।^१ वाक्य अर्थ प्रत्याय है स्फोटवादी मत मीमांसा भाष्यकार शबर स्वामी से भी पुराना है, यद्यपि इसको प्रौढा दार्शनिक भित्ति देने में भर्तृहरि (सातवीं शती का पूर्वार्द्ध) का हाथ है। शबर स्वामी ने वैयाकरणों के स्फोटवाद का संकेत किया है।^२ कुमारिल ने श्लोकवार्तिक में 'स्फोटवाद' का खंडन किया है, जिसका विवेचन हमने आठवे परिच्छेद (अभिधावादी तथा व्यंजना) में किया है, वहीं द्रष्टव्य है। स्फोट के संबंध में वैयाकरणों की कल्पना का विशेष पल्लवन भी वहीं किया गया है।^३ अखंड वाक्यस्फोट को माननेवाले वैयाकरण वाक्य में पद-पदांश-वर्णादि-विभाग नहीं मानते। उनके मतानुसार वक्ता अखंड वाक्य का प्रयोग करता है, और श्रोता की प्रतिभा भी अखंड रूप में ही उसका अर्थप्रत्यायन करती है। किसी वाक्य में पद-पदांशादि का कोई पारमार्थिक आस्तित्व नहीं होता।^४

वाचस्पति मिश्र ने स्फोटवादी वैयाकरणों तथा वर्णवादी प्राच्य मीमांसकों के वाद-विवाद के द्वारा स्फोटवाद का खंडन किया है। यहाँ हम पहले स्फोटवादियों की दलीलें दे देते हैं:—

वाक्यार्थ का निमित्त कारण अखंड स्फोट है। जब स्फोट को हम 'अखंड शब्द' मानते हैं, तो व्यावहारिक पद-वाक्यादि विभाग को 'अखंड शब्द' नहीं मान सकते। वर्णवादी वाक्यार्थ का निमित्त वर्णों को मानते हैं। पर उनसे यह पूछा जा सकता है कि वर्ण 'व्यस्त रूप में वाक्यार्थ-प्रतीति कराते हैं, या समस्त रूप में। यदि वर्णवादी व्यस्त

१. अवड् स्फोटायनस्य ॥

२. स्फोटवादिनो वैयाकरणाः ।

—शबर भाष्य १. १. ५.

३. वैयाकरणों के स्फोट तथा आलंकारिकों के ध्वनि की अत्यधिक विस्तृत तुलना हम इस प्रबंध के द्वितीय भाग में करेंगे, जो अभी प्रकाशित होना बाकी है।

४. पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा इव ।

वाक्यास्पदानामत्यन्त प्रविवेको न कश्चन ॥ —वाक्यपदीय १. ७७

वर्णों को वाक्यार्थ प्रत्यायक मानते हैं, तो अन्य वर्ण निरर्थक माने जायेंगे।' यदि वे समस्त वर्णों को वाक्यार्थप्रत्यायक मानते हैं, तो इसमें फिर दो विकल्प उपस्थित होते हैं। वे इन वर्णों का समूह वास्तविक मानते हैं, या औपाधिक। भाव यह है, क्या वर्ण एक दूसरे से स्वभावतः (वस्तुतः) संबद्ध रहते हैं, या वे संबद्ध तो नहीं होते, किंतु हमें उनके संबद्ध होने का अनुभव होता है, और इस प्रकार श्रोता के अनुभव की उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण वे संबद्ध हो जाते हैं। चूंकि वर्ण नित्य तथा विभु हैं, इसलिए वे एक दूसरे से संबद्ध हो ही नहीं सकते, तथा प्रत्येक वर्ण का अनुभव हमें भिन्न भिन्न समय पर होता है, इसलिए उनका अनुभव भी संबद्ध नहीं माना जा सकता।^२

आगे चलकर वह वर्णवादियों के इस मत का भी खंडन करता है कि पहले वर्णों के संस्कार से युक्त अंतिम वर्ण वाक्यार्थ प्रतीति कराता है। स्फोटवादी इस 'संस्कार' शब्द को पकड़ता है, और यह जानना चाहता है कि वर्णवादियों के 'संस्कार' शब्द का क्या भाव है? संस्कार के दो अर्थ होते हैं, या तो पुराने अनुभवों के अवशिष्ट 'स्मृतिबीज', या फिर प्रोक्षणादि के द्वारा यज्ञ में किया गया त्रीह्यादि संस्कार (यज्ञादि में आनीत सामग्री को जलादि से प्रोक्षण कर शुद्ध करना संस्कार कहलाता है)। यहाँ दूसरे ढंग का संस्कार तो नहीं माना जा सकता। यदि आप स्मृतिबीज को संस्कार मानते हैं, तो स्मृति स्वतः कोई वस्तु न होकर वासना है, जो कुछ नहीं, आत्मा की शक्ति है, फिर तो वाक्यार्थ प्रतीति की शक्ति संस्कार की न हुई, आत्मा की हुई।^३ स्फोट-

१ न तावत्प्रत्येकम्, अनुपलंभविरोधात्, वर्णान्तरोच्चारणानर्थक्यप्रसगात् ।

—तत्त्वविदुः पृ० २५,

२ नापि मिलिता., तथाभावाभावात् । तथाहि—वास्तवो वा समूह पृतेषामाश्रयते ? अनुभवोपाधिको वा ? तत्र सर्वेषामेव वर्णानां नित्यतया विभुतया च वास्तवी सगतिरिति प्रसगिर्ना केषांचिदेव पदवाक्यभाव नोपपादयितुमर्हति । अनुभूयमाना नवनवानुभवानुसारिणी तत्पर्यायेण पर्यायवती न समूहभागभवति । न खल्वेकदेशकालानवच्छिन्नाः समूहचतो भवन्ति भावा, अतिप्रसंगात् ।

—वही पृ० २५.

३ कोऽनु खल्वेव संस्कारोऽभिमत आयुष्मतः— किं स्मृतिबीज, अन्योवा प्रोक्षणादिभ्य इव प्राज्ञादेः ।

—वही पृ० २५

वादी आगे यह भी दलील देता है कि नदी, 'दीन' 'सर' 'रस' जैसे प्रयोगों में वर्ण एक-से हैं, किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अतः ये प्रयोग अखंड रूप में ही अर्थप्रतीति कराते हैं। वर्णवादी अपनी जिद छोड़कर अखंड पद-वाक्य को ही अर्थप्रत्यायक स्वीकार कर लेना चाहिए, तथा यह समझना चाहिए कि श्रोता की (वक्ता की भी) बुद्धि अखंड पद-वाक्य को ही अपना विषय बनाती है। आगे चलकर स्फोटवादी 'गौः' शब्द के उदाहरण को लेकर अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठापना करने लगता है। वह कहता है, 'गौ' शब्द का अनुभव हमें यह बताता है, कि इस शब्द में एकता और अखंडता है, यदि हम केवल वर्णों को ही अनुभव का विषय मानेंगे, तो यह अनुभव विरुद्ध होगा।^१ यदि आप यह कहे कि जैसे अनेक सिपाही मिलकर 'सेना' बनती है। और अनेक पेड़ मिलकर 'वन' बनता है, वैसे ही अनेक वर्ण मिलकर 'पद' बन जाते हैं, और इस तरह पद को औपाधिक माने, तो यह प्रश्न खड़ा होगा कि आप इसे कौन सी उपाधि मानते हैं। उपाधि दो तरह की होती है—(१) 'एकज्ञान-विषयता',—एक ही अनुभव का विषय होना, (२) 'एकाभिधेयप्रत्ययहेतुता'—एक ही भाव की प्रतीति के अनुभव में कारण होना। पहली उपाधि मानने पर इसके पहले कि विषय का उपाधि के द्वारा ज्ञान हो, उपाधि का ज्ञान होना जरूरी है। इस तरह तो वर्ण के पहले पद का ज्ञान मानना पड़ेगा, जो आपके ही मत के प्रतिकूल जाता है। दूसरी तरह की उपाधि में 'इतरेतराश्रय' दोष पाया जाता है। क्योंकि एक पद से दूसरे पद की भिन्नता का आधार अर्थभिन्नता मानना पड़ेगा, जो असंगत है। वर्णों को वाक्यप्रत्यायक मानने में इतनी अडचनें हैं, अतः पद का वाचकत्व अखंड स्फोट से ही संबद्ध माना जाना चाहिए।

वर्णवादियों के द्वारा स्फोटवादी का खंडनः—वर्णवादी को उपर्युक्त दलीलें पसंद नहीं। वह स्फोट को अर्थप्रत्यायक मानने का विरोध

१. तस्मात् स्वसिद्धान्तध्यामोहमपहायाभ्युपेयतामनुसहारबुद्धेरेकपद-वाक्यगोचरता।

—वही पृ० ३५

२. गौ रित्येकमिदं पदमित्येकपदावभासिनी धीरस्ति लौकिकपरीक्षकाणान्।

—वही पृ० ४९

करता है। वर्णवादी का पहला प्रश्न यह है कि स्फोटवादी के द्वारा (१) अखण्ड वाक्य स्फोट को वाक्यार्थप्रत्यायक मानने में लौकिक अनुभव आधार है, या (२) वाक्य एवं पद के भावों का वह वैषम्य जिसे अन्य प्रकार से नहीं सुलझाया जा सकता।^१ यदि आपको पहला मत अभिप्रेत है, तो फिर दो विकल्प उपस्थित होते हैं, (१) आप वाक्य को अनेक पदवर्ण-रूप अंगों (अवयवों) से युक्त सम्पूर्ण अंगी (अवयवी) मानते हैं, या (२) उसमें ऐसे अवयवों का सर्वथा अभाव मानते हैं। पहला विकल्प तो इसलिए नहीं माना जा सकता कि पद 'विभु' हैं (इस मत को आप भी मानते हैं), और जब वे 'विभु' (परममहान्) हैं, तो उनसे बड़ा 'अवयवी' (वाक्य) कैसे हो सकता है।^२ साथ ही शब्द को नैयायिक (न्याय दर्शन) आकाश का गुण मानते हैं, गुण तो अविभाज्य होता है, तथा किसी वस्तु का समवायि-कारण नहीं हो सकता, क्योंकि समवायि-कारण सदा 'द्रव्य' होता है। इस तरह आपके पद अखण्ड वाक्य के 'अंग' नहीं माने जा सकते।^३ दूसरा विकल्प लेने पर कि वाक्य में कोई अवयव नहीं होते, यह अर्थ निकलता है कि अर्थ प्रतीति वाक्य ही कराता है, पद या वर्ण नहीं, साथ ही भाषा में पद-वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं। अकेले वाक्य का ही भाषा में अस्तित्व है, वह नित्य है। यह अखण्ड स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यंजित होता है। पर यह तो वास्तविकता को छोड़कर मणि, कृपाण या दर्पण में देखे गये मुख के अवास्तविक रूप-सा है। साथ ही हम यह भी पूछ सकते हैं, कि पहली ध्वनि ही स्फोट को व्यक्त कर देती है, तो बाद की ध्वनियों की क्या जरूरत है? साथ ही आपकी अंतिम ध्वनि भी स्वतः स्फोट की पूर्णता व्यंजित नहीं कर पाती। अतः स्फोट और अखण्ड वाक्य की कल्पना में ही सारी त्रुटि की जड़ है। पिछली

१ स खल्वयमेको वाक्यात्मा वाक्यार्थधीहेतुरनुभवाद्वा ध्वन्यस्याप्यते, अर्थधीभेदाद्वा अन्यथाऽनुपपद्यमानात् ॥ —वही पृ० ९.

२. न तावत्पूर्वं कल्पः । अवयविन्यूनपरिमाणत्वाद्यवयवानाम् । परममहतां च वर्णाना तदनुपपत्तेः । —वही पृ० ९.

३. गगनगुणत्वे चाऽद्रव्यतया समवायिकारणत्वाभावेनावयवभावाभावात् । —वही पृ० १०.

ध्वनि सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ तभी प्रत्यायित करा सकती है, जब वह पहली ध्वनियों का संस्कार लेकर आये। इसलिये वाक्य की भावी या पूर्ववर्ती ध्वनियों को व्यर्थ नहीं माना जा सकता। जिस तरह कोई जौहरी रत्नों को बार बार देखकर एक ऐसा संस्कार प्राप्त कर लेता है कि किसी भी रत्न पर निर्णय दे पाता है, ठीक वैसे ही एक वाक्य की पुरानी ध्वनियों के संस्कार से संपन्न श्रोता अंतिम ध्वनि को सुनकर वाक्यार्थ का निर्णय कर पाता है। यही कारण है, हम (वर्णवादी) पूर्व पूर्व वर्ण के संस्कार से युक्त अंतिम वर्ण को वाक्यार्थ-प्रतीति का कारण मानते हैं।^१

वर्णवादी स्फोट की कल्पना का खण्डन इसलिए करता है कि वाक्यार्थ प्रतीति में इस कल्पना की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती। पदादि में प्रयुक्त वर्ण स्वयं ही अनुभव के द्वारा अर्थप्रतीति करा देते हैं। जब वे एक क्रम (सरः) में होते हैं, तो एक अर्थ की प्रतीति कराते हैं, दूसरे क्रम (रसः) में होते हैं, तो दूसरे अर्थ की प्रतीति कराते हैं। अतः क्रम, न्यूनातिरिक्तत्व, स्वर, वाक्य, श्रुति, स्मृति के आधार पर एक पद दूसरे पद से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराता है। अगर वर्णों या पदों का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्ति करें, मैं 'स' कहूँ, और आप 'रः' कहें, तो अर्थ (तालाव) की प्रतीति न होगी। इसलिए यह भी जरूरी है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय उनका उच्चारण करे। 'एकवक्तृत्व' अर्थानुभव में आवश्यक तत्त्व है, तथा उसका ज्ञापक हेतु है। अतः वाक्य या पद का अर्थज्ञान वर्णसमूह के कारण होता है, अनवयव वाक्य जैसे कल्पित तत्त्व के कारण नहीं।^२

१. पूर्वपूर्वाभिव्यक्तिसंस्कारसचिवोत्तरोत्तराभिव्यक्तिक्रमेण स्वन्यो ध्वनिः स्फुटतर विशिष्टस्फोटविज्ञानमाधत्ते इति न धयर्थ्यं द्वितीयादिध्वनीनाम् । नापि पूर्वपा, तदभावे तदभिव्यक्तिजनितसंस्काराभावेनान्यस्य ध्वनेरसहायतया व्यक्त्यवभासवाक्यधीहेतुभावाभावात् ।

—वही पृ० २०.

२. तस्मिद्धमेतदर्यापत्तेरनुमानस्य वा निवृत्तिस्तदेकगोचरपदवाक्यावसाधनीति स्थित नानवयवमेक वाक्य वाक्यार्थस्य बोधकमिति ।

(२) दूसरा मत:—यह मत पहले मत से इस दृष्टि से अच्छा माना गया है कि इसमें स्फोट जैसी किसी अन्य वस्तु की कल्पना नहीं की गई है, तथा अर्थप्रतीति का निमित्त वर्णों पूर्वपद-पदार्थ-संस्कार- और पदों को माना गया है। यह मत प्राच्य युक्त अंतिम वर्ण का मीमासकों तथा प्राच्य नैयायिकों का है। ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान वात्स्यायन के न्यायभाष्य में भी इस मत का का निमित्त है संकेत मिलता है। वात्स्यायन के मत से 'वाक्य में स्थित वर्णों का उच्चारण करने पर श्रोता के द्वारा उनका श्रवण किया जाता है। एक या अनेक श्रुत वर्ण पद के रूप में संबद्ध नहीं होते, अतः श्रोता उन्हें संबद्ध करके पद व्यापार के द्वारा तथा स्मृति के द्वारा अन्य पदों के अर्थों का संबंध लगा लेता है। तब पदों का परस्पर संबंध करने पर वाक्य प्रतीति होता है और संबद्ध पदार्थों को ग्रहण कर वाक्यार्थ प्रतीति की जाती है।^१ इस मत के अनुसार हम किसी भी वाक्य को पूरा का पूरा एक साथ नहीं सुन पाते। वक्ता एक एक वर्ण का उच्चारण करता है। वर्ण के आशुविनाशी एव क्षणिक होने के कारण आगामी वर्ण के उच्चारण के समय पहला वर्ण लुप्त हो जाता है, ऐसी दशा में वाक्य के समाप्त होते समय श्रोता को केवल अंतिम ध्वनि ही सुनाई देती है। इसलिये यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पूर्व पूर्व पद तो लुप्त हो जाते हैं, फिर श्रोता अंतिम वर्ण को सुनकर सारे वाक्य का अर्थ कैसे लगा लेता है? इसका समाधान यह है कि पूर्व वर्ण, पद या पदार्थ तो लुप्त हो जाते हैं, पर उनके ज्ञान की वासना श्रोता की चित्तवृत्ति में स्थित रहती है। अंतिम वर्ण श्रवण के साथ ही वासना स्मृति रूप में उद्बुद्ध होकर वाक्यार्थ की प्रतीति (वाक्यार्थवी) को उत्पन्न करती है।^२

१. वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु चरत्सु तावच्छ्रवणं भवति श्रुत वर्णमैकमनेक वा पदभावेन न प्रतिमन्वत्ते प्रतिमन्धाय पद व्यवस्यति पदव्यवसानेन स्मृत्या पदार्थ प्रतिपद्यते पदमसूहप्रतिमन्धानाच्च वाक्य व्यवस्यति मन्वद्वाइच्च पदार्थान्गृहीत्वा वाक्यार्थ प्रतिपद्यते ॥ —न्यायसूत्र-वात्स्यायन भाष्य ३-० ६०.

२. स खल्वयमस्यो वर्णं पूर्वपूर्ववर्णपदपदार्थविज्ञानजनितवामनानिचय सच्चिवश्रवणेन्द्रियमभिगतजन्मग्रहणस्मरणरूपमट्मट्प्रातिभासप्रत्ययविपरिवर्तो पदवाक्यार्थार्थाहेतुरूपेयते ॥

सिद्धान्तपक्षी अभिहितान्वयवादी इसका खंडन यों करता है:—
 “क्या वाक्य का अंतिम वर्ण, अपने तथा वाक्य के अर्थ का संबद्ध-स्मरण कराने के बाद वाक्यार्थप्रतीति कराता है ? यदि आपको यह मत स्वीकृत है, तो जब मानसिक वासना अपने निश्चित प्रभाव—अर्थात् पदार्थों का स्मरण, पदों का प्रत्यक्ष—को स्पष्ट करती है, उस समय वासना का निमित्त विद्यमान नहीं होता, साथ ही वाक्य या पद के अंतिमवर्ण के ज्ञान की स्थिति को उस समय कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता, जब वह पद एव पदार्थ के परस्पर संबंध का स्मरण करता है। अतः पूर्व-वदादि के स्मरण से युक्त अन्त्यवर्ण-श्रवण वाक्यार्थ बोधक नहीं है।”^१

(३) तृतीय मत:—तीसरा मत किन्हीं प्राच्य मीमांसकों का है। तत्त्वविंदु के टीकाकार के मतानुसार यह मत किसी विशिष्ट आचार्य का नहीं है, और दूसरे तथा तीसरे दोनों मतों स्मृतिदर्पणारूढा वर्ण-माहा वाक्यार्थप्रतीति का निमित्त है। को वाचस्पति मिश्र ने केवल संभावना के आधार पर उपन्यस्त किया है।^२ कुछ विद्वानों के मतानुसार यह प्राचीन मीमांसक उपवर्ष का मत है। उपवर्ष शबर से भी प्राचीन हैं, तथा उनके मत का उल्लेख मीमांसा भाष्य में शबर ने भी किया है।^३ उपवर्ष के इस मत का संकेत योगसूत्र के भाष्य में व्यास ने भी दिया है। वे बताते हैं कि “गौः” में भगवान् उपवर्ष के मत से गकार, औकार, और विसर्ग ही मिलकर शब्द हैं।^४

वर्णवादियों का कहना है कि बड़े बूढ़े लोग जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी से हमें पद-पदार्थ या वाक्य-वाक्यार्थ

१. नान्त्यवर्णश्रुति स्मृत्या नीता वाक्यार्थबोधिनी ॥ —वही पृ० ७६.

२. प्तत्तु मतद्वयं सभावनामात्रेणोपन्यस्तमिति केचित् ।

—तत्त्वविंदु टीका तत्त्वविभावना पृ० ७.

३. वर्णा एव तु शब्दा इति भगवानुपवर्षः ।—मीमांसाभाष्य १, १, ५.

४. अत्र गौरित्यत्र कः शब्द ? गकारौकारविसर्जनीया इति भगवानुपवर्षः ॥

का ज्ञान होता है। बड़े बूढ़े लोग किसी भी लौकिक व्यवहार के लिए कोरे पद का प्रयोग न कर सदा वाक्य का प्रयोग करते हैं। यह वाक्य अखण्ड (अनवयव) तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्फोटवादी वैयाकरणों के मत का हम खडन कर चुके हैं। ऐसी दशा में वाक्य केवल स्मृति में स्थित वर्णों^१ का समूह (वर्णमाला) ही बचा रहता है। यह वर्णमाला ही वाक्यार्थबोध का कारण है, जो वाक्यार्थबोध रूप कार्य को उत्पन्न करती है। पदपदार्थ ज्ञान तो केवल निमित्त मात्र है, वाक्यार्थ-प्रतीति का वास्तविक हेतु तो वर्णमाला (a group of phonemes, or a group of syllables) है।^२

भाट्ट मीमांसकों को यह मत स्वीकार नहीं। उनके मतानुसार इस मत में दो खास दोष हैं, जिनके कारण स्मृति-समारूढ अक्षरावलि (वर्णमाला) को वाक्यार्थ का हेतु नहीं माना जा सकता है। ये दो दोष हैं:—(१) गौरव, और (२) विषयाभाव।^३ मान लीजिये, हम आठ वाक्य कहते हैं:—अर्भक गाय लाश्रो, अर्भक गाय वाँधो, शिशो गाय लाश्रो, शिशो गाय वाँधो, बाल गाय लाश्रो, बाल गाय वाँधो, डिभ गाय लाश्रा, डिभ गाय वाँधो। यहाँ आठ वाक्य हैं, किंतु सभ

१. यहाँ यह कह दिया जाय कि 'वर्ण' शब्द का अर्थ यहाँ लिखित अक्षरप्रतीकों (Letters) से न होकर 'ध्वनि' (Phoneme) या 'अक्षर' (Syllable) से है। प्राचीन भाषार्यों ने 'वर्ण' शब्द का पारिभाषिक प्रयोग इन दोनों अन्तिम अर्थों में किया है।

२. वृत्तप्रयोगाधीनावधारणो हि शब्दार्थसंबन्धः। न च पदमात्र व्यवहारानां प्रयुञ्जते वृत्ताः, किंतु वाक्यमेव, तच्चानवयवं न्यपेधीति स्मृतिसमारूढा वर्णमाला परिशिष्यते। सा च नेमित्तिक वाक्यार्थबोधमाधत्ते। पारभाषिकस्तु पदतदर्थबोधो निमित्तमात्रेणावतिष्ठते वर्णमालैव वाक्यार्थबोधहेतुरिति ॥

— तत्त्वचिंतु पृ० ८३-४

३. गौरवाद्धिषयाभावात्तत्तुद्धेरेव भावतः।

वाक्यार्थधियम'धत्ते स्मृतिस्था नक्षरावलिः ॥

—वर्हा पृ० ८४

वाक्यों को देखने पर पता चलेगा कि पद केवल सात हैं। अब वर्ण-वादी के मतानुसार प्रत्येक वाक्य की अलग-अलग शक्ति माननी पड़ेगी, इस तरह आठ वाक्यों की अर्थ प्रतीति के लिए आठ शक्तियाँ माननी पड़ेंगी। यदि पदवादी का मत स्वीकार किया जाय तो वहाँ हर पद की एक एक शक्ति माने जाने के कारण केवल सात ही शक्तियाँ होंगी। यदि हम गाय के साथ 'सफेद' (शुद्धां) विशेषण जोड़ दे, तो पता चलेगा कि वर्णवादी के मत से सोलह वाक्य बनेंगे, और इस तरह उसे सोलह शक्तियाँ माननी पड़ेगी, जब कि पदवादी के मत से केवल आठ ही रहेंगी। इस तरह वर्णवादी के मत को मानने पर शक्ति की कल्पना अधिक करनी पड़ेगी, जो व्यर्थ है। यह कल्पनागौरव वर्णवादी के मत का पहला दोष है। दूसरा दोष विषयाभाव है। वाक्य की वर्णमाला वाक्यार्थ (पदार्थसंसर्ग) की प्रतीति तभी करा सकती है, जब पहले पदार्थों की प्रतीति हो। वाक्यार्थज्ञान में पदार्थसंसर्ग हैं, अतः संसर्ग के पहले उनका ज्ञान होना आवश्यक है। पदार्थ अन्वित होकर वाक्यार्थ प्रतीति कराते हैं, इसलिए अन्वय (संसर्ग) के पहले पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो वाक्यार्थ-ज्ञान हेतु पदार्थ-ज्ञान होगा, वर्णमाला कैसे? साथ ही जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं, तो उसके पाँच छः पदों के वर्णों या अक्षरों को ही याद नहीं रख पाते, तो लंबे वाक्य में प्रयुक्त अनेक पदों वाली सारी वर्णमाला एक ही अनुसंहार बुद्धि का विषय नहीं बन पाती।^१ इन सब बातों को देखते हुए वर्णमाला को वाक्यार्थज्ञान का निमित्त नहीं माना जा सकता।

१. "....इत्यष्टाना वाक्याना अष्टौ शक्तयः कल्पनीयास्तवेत्ति कल्पनागौरवम् । पदवादिनस्तु सप्ताना सप्तैव शक्तय इति कल्पनालाघवम् । शुक्लामिति पदप्रणेषेण पनः पदवादिनोऽष्टाना पदानामष्टौ शक्तय इति । तत्र तु षोडशापरा शक्तय इति महद् गौरवमापन्नम् ।

—वही पृ० ८४-५

२. अपि च त्रिचतुरपञ्चपदवाक्यवर्तिनी पदार्थप्रत्ययव्यवहितापि क्लेशेन वर्णमाला स्मर्येतापि, तदभ्यधिकपदवति तु वाक्ये सातिदुष्करा ।

चतुर्थ मतः—वाचस्पति मिश्रने पूर्व पक्षके रूपमे एक और मत रखा है, जो प्रभाकर का अन्विताभिधानवाद है। अन्विताभिधान-वादि्यों के मतानुसार वाक्य मे प्रयुक्त पद आकाक्षादियुक्त अन्वित परस्पर आकाक्षित, आसन्न (समीपस्थ), पद ही वाक्यार्थ प्रतीति तथा योग्य होने के कारण सर्वप्रथम अन्वित कराते हैंः—अन्विता- होते हैं, तदनन्तर वाक्यार्थ की प्रतीति (अभिधा- भिधानवाद शक्ति के द्वारा) कराते हैं।^१ इस प्रकार पदार्थ ही वाक्यार्थ है, तथा वाक्यार्थज्ञान के लिए स्फोटशब्द, अंतिम वर्ण, या वर्णमाला को कारण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(शका) प्रभाकर के इस मत के संबंध में अभिहितान्वयवादी ने कुछ शंकाएँ उठाई हैं। पहले वे यह जानना चाहते हैं कि जब प्रभाकर इस बात को मानते हैं कि पद की अभिधाशक्ति पद के स्वार्थ तथा अन्वय दोनों को साथ साथ ही प्रतीति कराती है, तो वाक्य में वाक्यार्थ उनके अर्थ से प्रतीति होता है या नहीं ? यदि वे यह मानते हैं कि पद वाक्यार्थ की प्रतीति नहीं कराते, तो इसका यह अर्थ है कि अकेला प्रथम पद ही वाक्य के भावों की प्रतीति करता है। इस तरह तो अन्य पदों का प्रयोग व्यर्थ माना जायगा, क्योंकि वक्ता की विवक्षा एक ही पद से पूरी हो जायगी।^२ यदि दूसरा विकल्प लेकर यह कहा जाय कि अन्य पद भी वाक्यार्थप्रतीति कराते हैं, तो एक वाक्य ले लिया जाय। मान लीजिये वाक्य हैः—“वह हाँडी में चावल पकाता है”^३, यहाँ

१. पदान्या हाक्षितासन्नयोग्याथान्तरसगतान् ।

स्वार्थानभिद्धन्तीह वाक्य वाक्यार्थगोचरम् ॥

—वही पृ० ९०

२. तत्रानभिहितस्वार्थान्तरान्वितस्वार्थाभिधाने पदादेःस्मादेवोच्चारिता-
द्विवक्षाप्रतीतेः धैयर्ध्यामितरेपाम् ॥

—वही पृ० ९३

३. वाचस्पति मिश्र का उदाहरण “उन्वाया पचेत्” है, जहाँ उनके मन से ‘पचेन्’ को अर्थप्रतीति के पूर्व उन्वाधिकरण पाकक्रिया, और उन्वा को पाकक्रिया से अन्वित होना आवश्यक है।

चार पद हैं। यहाँ जब तक “पकाता है” क्रिया वह कर्ता, चावल कर्म तथा ‘हाँडी में’ अधिकरण से संबद्ध (अन्वित) न होगी, तब तक अर्थ-प्रतीति न हो सकेगी। इसी तरह वह, चावल, हाँडी भी अन्य पदत्रय से अन्वित हुए बिना अर्थप्रतीति नहीं करा पाते। इस प्रकार वाक्य का प्रत्येक पद एक दूसरे पर आश्रित रहेगा, आपके मत में यह ‘इतरेतराश्रय’ या ‘परस्पराश्रय’ दोष पाया जाता है।

प्रभाकर इस बात का उत्तर यों देते हैं कि ऐसा न मानने पर हमें दो शक्तियों—दो अभिधाशक्तियों—माननी पड़ेंगी, एक पदों का अपना अर्थ प्रतीत करायगी, फिर दूसरी उन्हें अन्वित कर वाक्यार्थ-प्रतीति करायगी। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि हमारे मत में कोई दोष नहीं। यद्यपि प्रत्येक शब्द अभिधा से अन्वितपदार्थों की प्रतीति कराता है, तथापि अन्य सभी पदों की प्रतीति केवल प्रथम (एक) पद से नहीं हो पाती, क्योंकि अभ्यास की आवश्यकता बनी रहती है। इसलिये केवल इतना ही मानना चाहिए कि पद अभिधा से केवल अपने अर्थ तथा अन्वय की ही प्रतीति कराते हैं अन्य पदार्थों की नहीं। इस बात को और पुष्ट करने के लिए प्रभाकर के मतानुयायी अभिहितान्वयवादियों से एक प्रश्न पूछते हैं:—पदों से जिस ज्ञान की प्रतीति होती है, वह कौन सा ज्ञान है? शास्त्र में केवल चार ही तरह के ज्ञान माने गए हैं—प्रमाण, सशय, विपर्यय तथा स्मृत। अर्थप्रतीति को प्रमाण तो नहीं मान सकते, क्योंकि प्रमाण में तो पहले से ही विद्यमान वस्तु का ज्ञान होता है। पदार्थ पदश्रवण के पहले विद्यमान होता, तो ऐसा माना जा सकता है। पदार्थज्ञान सदेह या विपर्यय (मिथ्याज्ञान) भी नहीं माना जा सकता। अब कोई पाँचवा तरह का ज्ञान तो है नहीं, इसलिए पदार्थ ज्ञान को स्मृति ही मानना होगा। पद केवल सस्कारोद्बोध पर निर्भर हैं तथा उसके द्वारा पदार्थज्ञानरूप स्मृति का प्रत्यायन कराते हैं।^१

१. विधान्तरानवगमात् स्मृतिलक्षणयोगतः ।

अभ्यासातिशयाद्रूपस्मृतेर्नान्योन्यसश्रयः ॥ (पृ० १००)

(साथ ही) न च पचमी विधा समस्तीति स्मृति परिशिष्यते ॥

अन्विताभिधानवादियों के मत का संकेत मम्मट के काव्यप्रकाश में भी मिलता है। द्वितीय उल्लास में तो केवल थोड़ा ही निर्देश किया गया है, पर पंचम उल्लास में व्यञ्जना-स्थापन के प्रकरण में मम्मट ने प्रभाकर मिश्र के मत को अधिक स्पष्ट किया है। प्रभाकर मिश्र के मत का अधिक स्पष्टीकरण (मम्मट के अनुसार) सप्तम परिच्छेद में किया जायगा। अतः यहाँ संक्षेप में दे देना आवश्यक होगा। प्रभाकर के मत से 'वाच्य अर्थ हो वाक्यार्थ है'।^१ इस मत को यों स्पष्ट किया जा सकता है। वाक्य में प्रयुक्त पद पहले सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं, फिर विशिष्ट अर्थ का। ये दोनों वस्तुतः एक ही वाक्य के दो अंश हैं। जैसे 'राम गाय को लाता है'। इस वाक्य में 'राम', 'गाय' और 'लाना', पहले कोरे कर्तृत्व, कर्मत्व तथा क्रियात्व का बोध करायेंगे, फिर राम का। गाय को लानेवाला, गाय का राम के द्वारा लाया जाता हुआ पदार्थ, तथा लाना क्रिया का 'राम कर्तृक' तथा 'गो-कर्मक' रूप विशिष्ट अर्थ प्रतीत होता है। यह विशिष्ट अर्थ कुछ नहीं, पदों का वाक्यार्थ ही है। प्रभाकर भट्ट के इस मत का उल्लेख, उन्हीं की कारिका को उद्धृत करते हुए पार्थ सारथि मिश्र ने किया है।

'वाक्यार्थ तो अनेक होते हैं। जैसे एक ही प्रकार के वही पद अनेक वाक्यों में पाये जाते हैं, फिर भी उनका भिन्न-भिन्न वाक्यों में उपादान होता है। अतः सबसे पहले श्रोता पदों का सामान्य अर्थ लेता है, तब किसी खास वाक्य के प्रकरण में वह उस सामान्य अर्थ का दूसरे प्रकरणों से व्यवच्छेद (निराकरण) कर लेता है। इस तरह वह किसी एक विशिष्ट अर्थ में बुद्धि को स्थिर कर लेता है।'^२

१. वाच्यार्थ एव वाक्यार्थ इत्यन्विताभिधानवादिनः ॥

— काव्य प्रकाश पृ० २७०

२. तत्रानकान्तिहानेकवाक्यार्थोपत्तवे मति ।

अन्योन्यात्मव्यवच्छेदादेकत्र स्थाप्यते मति ॥ — प्रभाकर मिश्र

(पार्थसारथि मिश्र के द्वारा न्यायरत्नमाला में उद्धृत)

(५) पंचममतः—पाँचवा मत अभिहितान्वयवादियों का है। यह अभिहितान्वयवाद इसलिये कहलाता है कि इसके मतानुसार व्यस्त शब्द पहले अपने पद अपने पदार्थ की प्रतीति कराते हैं, पदार्थ वाच्यार्थ को अभिहित करते हैं, तदनन्तर अन्वित अन्वित होकर वाक्यार्थ होकर वाक्यार्थ की प्रतीति कराते हैं। कुमारिल को लक्षित करते हैं— भट्ट के अनुयायी (भट्ट) मीमांसक इसी मत को मानते हैं। प्रभाकर मिश्र इस मत का खंडन करते हैं तथा उनके मत से वालक को शाब्दबोध सदा वाक्य में प्रयुक्त शब्द से ही होता है, अतः उनके यहाँ व्यस्त शब्द पहले अन्वित हाते हैं, फिर भी वाक्य रूप में समस्त पद वाक्यार्थ को अभिहित करते हैं। इसलिए प्रभाकर का मत अन्विताभिधानवाद कहलाता है।

तत्त्वविंदु में वाचस्पति मिश्र ने अन्विताभिधानवादी तथा अभिहितान्वयवादी की तर्क सरणि के द्वारा अभिहितान्वयवाद रूप सिद्धांत पक्ष की स्थापना की है। अभिहितान्वयवादी का कहना है कि कोई भी कार्य देखनेपर हम उसके समीपस्थ पूर्ववर्ती पदार्थ को तब तक कारण मान लेते हैं, जब तक कोई बलवान् बाधक उस मान्यता को खंडित न कर दे।^१ जब कभी हमें किसी वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान होता है, तो उससे पूर्व हमें पदार्थ की स्मृति होती है, अतः पदार्थ-स्मृति ही वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है। साथ ही पदार्थ स्मरण मात्र से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो पाता, अपितु उसके लिए पदों के अन्वय से घटित पदार्थ का स्मरण भी आवश्यक है। अतः हम आकाक्षा, योग्यता, आसत्ति से युक्त मानसी पदार्थों के स्मरण को ही वाक्यार्थ ज्ञान का कारण मानते हैं।^२ इस मान्यता पर अन्विताभिधानवादियों को

१. एव तावदौत्सर्गिको न्यायो यदमति बलवद्बाधोपनिपाते सहकारिणि कार्ये च प्रत्यासन्नं हि कारणम् । सति तद्भावभाविता तथा चार्थ-स्मृतिः पदात् ॥
—वही पृ० १११.

२. तदमूपामेव (मानसीना) स्वार्थस्मृतीनामाकाक्षायोग्यतामसि सहकारिणीना कारणत्वं वाक्यार्थप्रत्ययं प्रत्यध्वस्याम् ॥
—पृ० ११२,

यह आपत्ति है कि पद अपने व्यस्त अर्थ की प्रतीति कभी नहीं कराते, वे सदा अन्वित होकर ही अर्थ प्रतीति कराते हैं। यह तथ्य ही आपकी इस कल्पना में प्रधान बाधक तत्व है कि पदार्थ वाक्यार्थज्ञान के निमित्त हैं। मान लीजिये, कोई व्यक्ति केवल किसी 'प्रासाद' का स्मरण कर रहा है, ऐसी दशामे उसे पाटलिपुत्र या माहिष्मती ने सवद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि वह केवल 'प्रासाद' शब्द से ही पाटलिपुत्र या माहिष्मती का प्रासाद समझ ले। अभिहितान्वयवादी इस शंका का यह उत्तर देता है कि मनोवासना स्वतः पूर्वज्ञात या पूर्व अज्ञात अनुभवों के विषयों की स्मृति को उपस्थित नहीं कर देती, वह तो केवल आकांक्षादि से अन्वित पद समूह के पदार्थों का ही स्मरण करा पाती है। पदार्थस्मृति आकांक्षादि के द्वारा सहकृत होती है, तथा आकांक्षादित्रय सहकृत होकर ही वाक्यार्थ ज्ञान का निमित्त बनती है।

अन्विताभिधानवादी फिर दलील करते हुए कहता है कि यदि पदार्थज्ञान पदों से भिन्न किसी स्मृत्यादि निमित्त से उत्पन्न होता है, तो उसमें वाक्यज्ञान को उत्पन्न करने की कोई महिमा (शक्ति) न होगी। यदि ऐसी महिमा (शक्ति) की सत्ता मानी ही जाती है, तो इस शक्ति को सीमांसादर्शन में मान्य प्रत्यक्षादि छः प्रमाणों से भिन्न सप्तम प्रमाण मानना पड़ेगा। अथवा यह भी हो सकता है कि शाब्द प्रमाण (आगम प्रमाण) इसी नवीन प्रमाण (पदार्थ) में अन्तर्भावित हो जायगा। यदि वास्तविकता ऐसी ही है, तो भाष्यकार शबर तथा अन्य आचार्यों को इसका संकेत करना चाहिए था। पर उन्होंने तो पदार्थ को अलग से प्रमाण नहीं माना, साथ ही इसे अलग प्रमाण मानने पर उसके भेदरूप, आगम प्रमाण का अलग से निर्देश करने को कोई आवश्यकता नहीं जो भाष्यकार ने किया है।^१ यदि आगम प्रमाण पदार्थ का भेद है, तो

१. ननुक्तं न मानान्तरानुभूतानामर्थरूपाणां वाक्यार्थधीप्रमत्त्वमार्थ्य-
मुपलब्धम्, उपलब्धे वा सप्तमप्रमाणप्रसंगः, आगमन्य वा तत्रैवान्तर्भावः।
तदेव प्रत्यक्षादिभिः सह नुक्त्यद्वयतयोपन्यमनायम्, न त्वागमस्तद्भेदः।

सामान्य प्रमाणों के साथ पदार्थ को न रखकर उसका भेद रखना ठीक न था। लोग 'ब्राह्मण्युधिष्ठिर' जैसा प्रयोग नहीं करते, वे 'ब्राह्मण-राजन्य' या 'वशिष्ठ्युधिष्ठिर' का प्रयोग करते हैं।^१ भाव यह है, सामान्यों का या विशेषों का ही प्रयोग एक साथ देखा जाता है। अतः स्पष्ट है आगम स्वतः प्रमाण है, पदार्थ का भेद नहीं माना जा सकता। फिर तो पदार्थ को सातवाँ प्रमाण मानना ही पड़ेगा। शायद पूर्वपक्षी यह कहे कि भाष्यकार ने छोटे प्रमाणों का संकेत करना उचित न समझा तो ऐसा कहना भगवान् भाष्यकार की विद्वत्ता और सर्वज्ञता पर संदेह करना होगा। यदि अभिहितान्वयवादियों के मत को मानकर पदार्थ-ज्ञान को वाक्यार्थज्ञान का निमित्त माना जायगा, तो या तो तीन शक्तियाँ माननी पड़ेंगी या दो। पहली शक्ति से व्यस्त पद अपने अर्थ की प्रतीति करायेगी, दूसरी शक्ति उनकी स्मृति करायेगी, तीसरी उनके द्वारा अन्वित वाक्य की अर्थप्रतीति करायेगी। अथवा एक शक्ति पदों की और एक शक्ति वाक्यार्थज्ञान की, कम से कम दो शक्तियाँ तो माननी ही पड़ेंगी। हमारे (अन्विताभिधानवादी) मत में केवल एक ही शक्ति सारा काम कर देती है। हमारे मत में आप जैसा कोई कल्पना-गौरव नहीं, अतः यह मत विशेष वैज्ञानिक है।^२

अभिहितान्वयवादी विरोधी की अकेली शक्ति की जाँच पड़ताल करने लगता है। उसके मत से प्राभाकरों की अकेली शक्ति अन्वय से संबद्ध नहीं हो सकती। यदि ऐसा माना जायगा, तो अन्वय तो एक ही होता है, तथा सभी पदों में एक-सा होता है, फिर तो पदों को एक दूसरे

१ न हि ब्राह्मण्युधिष्ठिराविति प्रयुञ्जते, प्रयुञ्जते ब्राह्मणराजन्याविति, वशिष्ठ्युधिष्ठिराविति वा लौकिकाः।

—वही पृ० १२१.

२. तथा च तिस्र शक्तय. द्वे वा। पदाना हि तावदर्थरूपाभिधानरूपा शक्ति, तदर्थरूपाणामन्योन्यान्यशक्ति, तदाधानशक्तिश्चापरा पदानामेवेति। स्मारयश्चपक्षे तूक्त शक्तिद्वयम्। अन्विताभिधानपक्षे तु पदानामेकैव शक्ति. तत् कल्पनालाघवात् एतदेव न्यायमिति।

—वही पृ० १३३

का पर्याय मान लेने का दोष आचरता ।^१ अभिहितान्वयवादी प्राभाकरों से एक प्रश्न पूछता है:—क्या हम यह मानते हैं कि पद अपनी शक्ति के द्वारा केवल पदार्थ-स्वरूप (meaning as such) को ही प्रत्या-चित करते हैं, उनके संबंध को नहीं, जो वाक्यार्थ को उत्पन्न करता है, अथवा वे अपनी शक्ति से पदार्थ-स्वरूप तथा उनका परस्पर संबंध (अन्वय) दोनों को व्यक्त करते हैं, जिनके बिना वाक्यार्थ का उदय ही न हो सकेगा ? किसी एक पदार्थ से अन्य पदार्थ के संबंध का ज्ञान उस पद से भिन्न किसी अन्य स्पष्ट या अस्पष्ट पदादि के कारण होता है, अतः संबंधज्ञान का हेतु पदों को नहीं माना जा सकता । वेदत्रयी में निष्णात विद्वान् भी ऐसा ही मानते हैं, उनके मत से क्रिया स्वतः अभिधा से कर्ता की प्रतीति नहीं करा पाती ।^२ अभिहितान्वयवादी वाक्यार्थज्ञान में इसीलिए अभिधा से भिन्न अलग शक्ति—लक्षणा शक्ति—मानते हैं । उनके मत से क्या लौकिक और क्या वैदिक दोनों तरह के वाक्यों में वाक्यार्थ रूप विशिष्ट अर्थ की प्रतीति लक्षणा के द्वारा होती है । वाक्यश्रवण से लेकर वाक्यार्थज्ञान तक श्रोता को किस किस पद्धति का आश्रय लेना पड़ता है, इसे वाचस्पति मिश्र ने यों स्पष्ट किया है:—

“व्यक्ति वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त वाक्य को सुनकर उससे प्रवृत्ति-निवृत्ति, हर्ष-शोक, भय आदि की प्रतीति करता है, और इसलिए उस वाक्य को इनका कारण मान लेता है । व्यो-ज्यो वृद्ध वाक्य में एक एक पद का प्रयोग करता जाना है, व्यो-ज्यो नवीन (अनुपजात) अर्थ (पदार्थ) की प्रतीति होती है, और अन्य पूर्व पदों के होते हुए भी अनुपजात अर्थ किमी विशेष पद को सुनने के बाद ही उत्पन्न होता है, अतः व्युत्पिसु बालक उसे उसका हेतु मान

१ तन्मात्रविषये तस्याविशेषान् सर्वशब्दानां पर्यायताप्रसंगः ।

—वही पृ० १२३

२ ‘अनन्यलभ्यः शब्दार्थ इति हि त्रिविधवृद्धाः । अतएव आख्यातायां कर्त्राभिधायितां नाद्रियन्ते ।

—वही पृ० १२१

लेता है। यह ज्ञान केवल पदार्थ-मात्र का ही है, अतः यह प्रवृत्ति-निवृत्ति, हर्ष, शोक आदि की कल्पना या प्रतीति नहीं करा पाता, अतः समस्त वाक्य के विशिष्टार्थ की प्रतीति होती है। वाक्य प्रयोक्ता वृद्ध का प्रयोग (व्यवहार) इस विशिष्टार्थ में जाकर अवसित होती है। भाव यह है कि वृद्धव्यवहार में प्रयुक्त पदों का लक्ष्य विशिष्टार्थ का द्योतन ही होता है, पर अभिधा से वे केवल पदार्थ मात्र का ही बोध करा पाते हैं। . . . इसलिए लौकिक वाक्यों की तरह वैदिक वाक्यों में भी विशिष्टार्थ प्रतीति के लिए प्रयुक्त पदसमूह सामान्य अर्थ के ही अभिधायक होने के कारण विशिष्ट अर्थ की प्रतीति लक्षणा से कराते हैं।^१”

इस प्रकार यह स्पष्टतः है कि वाक्यार्थज्ञान में भाट्ट मीमांसक लक्षणा शक्ति मानते हैं। कुमारिल भट्ट ने स्वयं वार्तिक में वाक्यार्थ को लक्ष्यमाण माना है.—‘वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सर्वत्रैवेति नः स्थितिः’। पार्थसारथि मिश्र ने भी न्यायरत्नमाला में अन्विताभिधानवादियों का खंडन करते हुए इसी मतकी प्रतिष्ठापना की है कि यद्यपि एक ही वाक्य में अनेक पद पाये जाते हैं, तथापि संनिधि, अपेक्षा (आकांक्षा) तथा योग्यता के द्वारा हम वाक्य के पदों में संबंध ग्रहण कर लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का अन्वय आकांक्षा, योग्यता तथा संनिधि के कारण होता है।^२ उस संबंध के होनेके बाद वाक्यार्थज्ञान होता है।

१ तथा हि—वृद्धप्रयुक्तवाक्यश्रवणसमनन्तरं प्रवृत्तिनिवृत्तिहर्षशोकभय-सम्प्रतिपत्तेः व्युत्पन्नस्य व्युत्पित्सुस्तद्धेतुप्रत्ययमनुमीयते। तस्य सस्वप्यने-केष्वनुपजातस्य पदजातश्रवणसमनन्तरं संभवतः तद्धेतुभावमवधारयति। न चैष प्रत्ययः पदार्थमात्रगोचरः प्रवृत्त्यादिभ्यः कल्प्यत इति विशिष्टार्थगोचरोऽ-भ्युपेयते, तद्विशिष्टार्थपरता अवसिता वृद्धव्यवहारे पदानाम्। . . . तस्मा-ल्लोकानुसारेण वैदिकस्यापि पदसन्दर्भस्य विशिष्टार्थप्रत्ययप्रयुक्तस्याविशिष्टार्था-भिधानमात्रेण लक्षणया विशिष्टार्थगमकत्वम् ॥

—वही पृ० १५३

२. सन्निध्यपेक्षायोग्यत्वेरूपलक्षणलाभतः।

आनन्त्येप्यन्विताना स्यात् सवधग्रहण मम।

—न्यायरत्नमाला, वाक्यार्थप्रकरण पृ० ७८.

वाक्य या पद दोनों ही अकेले, साक्षात् संबन्ध के द्वारा वाक्यार्थवृद्धि उत्पन्न नहीं करते। सबसे पहले पद के स्वरूप के द्वारा पदार्थ अभिहित (अभिधा शक्ति से प्रतीत) होते हैं, तब वे वाक्यार्थ को लक्षित (लक्षणा से प्रस्थापित) करते हैं।^१ एक वाक्य में अनेक छोटे बड़े सभी तरह के पद होते हैं, किन्तु वाक्यार्थ प्रतीति में सभी पदार्थ एक-साथ उसी तरह अन्वित हो जाते हैं, जैसे वृद्धे, जवान, और बच्चे सभी तरह के कवृत्तर दाना चुगने के लिए एक साथ कूद पड़ते हैं।^२

तो, स्पष्ट है कि भाट्ट मीमांसक वाक्यार्थ ज्ञान की शक्ति को लक्षणा कहते हैं। वाचस्पति मिश्र ने बताया है कि पदार्थों को अन्वित करनेवाली शक्ति अभिधादि से भिन्न है। हम उसे लक्षणा तात्पर्य वृत्ति का सकेत ही कहते हैं, किन्तु वह शुद्धा लक्षणा से भिन्न है। यदि इसे अलग से शक्ति माना जायगा, तो चार शक्तियाँ माननी होंगी—अभिधा, लक्षणा, गौणी (मीमांसक गौणी को अलग शक्ति मानते हैं) और पदार्थान्वय-शक्ति। इस गौरव से बचने के ही लिए इसे लक्षणा माना गया है।^३ संभवतः भाट्ट मीमांसकों की इस दलील से ही कुछ मीमांसकों को इस शक्ति को नया नाम देने की कल्पना मिली हो। लक्षणा से भिन्न सिद्ध करने के लिए भाट्ट मीमांसकों के ही एक दल ने इस शक्ति को तात्पर्यवृत्ति या तात्पर्यशक्ति का नाम इसलिए दे दिया कि यह शक्ति वाक्यार्थरूप तात्पर्य की प्रतीति का निमित्त है। काठमार के मीमांसकों की यही धारणा रही होगी और अभिनवगुप्त तथा मम्मट को यही तात्पर्यवृत्ति वाली परम्परा मिली। यही कारण है, अभिनवगुप्त तथा मम्मट ने

१. तन्मान्न वाक्यं न पदानि साक्षात् वाक्यार्थवृद्धिं जनयन्ति किन्तु ।

पदस्वरूपाभिहितैः पदार्थैः सत्पद्यते साविति निश्चमेतत् ॥

यहाँ पृ० ७९.

२. वृद्धा युवान् शिशवः कपोता लले यथाऽमी युगपत्पतन्ति ।

तथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति ॥

३. एव च न चेदियं पदप्रवृत्तिर्लक्षणा लक्षणमन्वेति, भवतु तर्हि चतुर्थी,

दृष्टत्वात् । अस्तु वा लक्षणैव ।

—तत्त्वचिदृ पृ० १५७.

वाक्यार्थवाली शक्ति को लक्षणा न मानकर तात्पर्य वृत्ति कहा। साथ ही अभिनवगुप्त और मम्मट ने मीमांसकों की गौणी को लक्षणा का ही एक अंग माना। इस तरह उनके लिए तात्पर्यशक्ति चौथी शक्ति न होकर तीसरी ही शक्ति थी, तभी तो व्यञ्जना को तुरीया वृत्ति कहना सगत बैठता है।

मम्मट ने काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में तात्पर्य वृत्ति की विशेषताओं का विश्लेषण यों किया है:—

“अभिहितान्वयवादियों के मत से वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थों को अन्वित करने में आकांक्षा, योग्यता, तथा संनिधि इन तीन तत्त्वों की आवश्यकता होती है, आकांक्षा से यह अर्थ है कि एक पद को दूसरे पद की आवश्यकता हो। जैसे ‘वह ..’ कहने पर भावप्रतीति के लिए किसी दूसरे पद की आवश्यकता होती है। श्रोता की यह आकांक्षा बनी रहती है कि “वह क्या करता है ?” इसलिए वे पद, जिनमें एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, वाक्य का निर्माण करने में असमर्थ होंगे। यदि कहा जाय “गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी” (गौरश्वः, पुरुषो, हस्ती), तो यह कोई वाक्य नहीं है। दूसरा तत्त्व योग्यता है, अर्थात् एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ से अन्वित होने की क्षमता हो। जैसे, यदि कहा जाय कि “वह आग से सींचता है” (अग्निना सिंचति), तो इस वाक्य से कोई तात्पर्यप्रतीति नहीं होती। पानी से तो सेक-क्रिया हो सकती है, आग से नहीं। अतः यहाँ पदार्थों के अन्वय में योग्यता का अभाव है। तीसरा तत्त्व संनिधि है। पदों का उच्चारण साथ साथ ही किया गया हो। यदि “राम” का उच्चारण अभी कर घंटे भर बाद “गाँव” और फिर घंटे भर बाद “जा रहा है” कहा जाय, तो कोई तात्पर्य नहीं होगा। संनिधि के ही साथ दूसरा अंग इसमें एक-वक्तृत्व भी माना जा सकता है, सभी पदों का प्रयोग एक ही वक्ता करे। इन तीनों तत्त्वों का होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हमें पदों को सुनकर अभिधा से उनके व्यस्त पदार्थ की प्रतीति होती है, तब वे आकांक्षादि हेतुत्रय के कारण अन्वित होते हैं, तदनंतर वाक्यार्थ (तात्पर्य) प्रतीति होती है। पहले अभिहित होने (अभिधान-क्रिया के होने), फिर अन्वित होने (अन्वय घटित होने) के कारण ही यह मत ‘अभिहितान्वयवाद’ (अभिहित + अन्वय) कहलाता है, जो प्राभाकर मीमांसकों के

‘अन्विताभिधानवाद’ (अन्वित + अभिधान) से प्रक्रिया में उलटा है। यही कारण है भाट्ट मीमांसकों को अन्वय के लिए अलग शक्ति माननी पडती है। प्रश्न हो सकता है, तात्पर्य शक्ति के द्वारा प्रत्याचित अर्थ तथा पदार्थों के अर्थ में क्या भेद है? क्या वह समस्त पदार्थों का योग (Sum total of all the individual meanings of individual words) है, अथवा वह कोई नई चीज है? भाट्ट मीमांसकोंके मतानुसार वह पदार्थों का योग मात्र नहीं है, इससे भी कुछ अपूर्व वस्तु है। मान लीजिए, किसी वाक्य में चार पद हैं:— n , n_1 , n_2 , n_3 । इन प्रत्येक का अर्थ अ अ अ अ n , n_1 , n_2 , n_3 होगा। अब इसका अर्थ क्या होगा। मम्मट ने स्पष्ट लिखा है कि यह निम्न रूप का नहीं हो सकता।

$$\text{वाक्यार्थ} = n + n_1 + n_2 + n_3$$

वस्तुतः इसका स्वरूप निम्नकोटि का होगा:—

$$\text{वाक्यार्थ} = n + n_1 + n_2 + n_3 \dots \dots + \text{क्ष}$$

इस बीजगणितात्मक पद्धति में हमने ‘क्ष’ उस तत्व को माना है, जो इस वाक्यार्थ में पदार्थ के योग से अधिक तत्व है तथा निश्चित न होने के कारण प्रत्येक वाक्य में तदनुकूल परिवर्तित स्वरूप में मिलता है। यही कारण है, हमने इसके लिए ‘क्ष’ (x) प्रतीक का प्रयोग किया है।

मम्मट ने इस वाक्य का संकेत ‘विशेषवपुः’ पद के द्वारा किया है। वाक्यार्थ पदार्थों के योग से प्रतीत होने पर भी पदार्थ नहीं (अपदार्थः) है, तथापि अपदार्थ होते हुए भी किसी विशिष्टरूप वाला है।^१ इसे एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया जाय—वह गाँव जाता है’ (स ग्रामं गच्छति) इस वाक्य में ‘वह’ का अर्थ ‘अन्यपुरुष बोधक व्यक्ति’,

१ आकाशायोग्यतामनिधिवशाद् चक्ष्यमाणस्वरूपाणा पदार्थाना समन्वये तात्पर्यांश्चो विज्ञेयप्रपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थ समुत्पत्तमतीत्यभिहिता-
न्वयवादिना मतम् ।
वाक्यप्रकाश द्वितीय उत्तरांश, पृ० २६

‘गाँव’ का अर्थ ‘देहात की बस्ती’ तथा ‘जाता है’ का अर्थ ‘वर्तमान-कालिक गमन व्यापार’ है। पर पूरे वाक्य में प्रयुक्त होने पर ‘वह’ का कर्तृत्व तथा ‘गाँव’ का कर्मत्व प्रतीत होता है, जो व्यस्त पद में नहीं है। इस प्रकार शब्दबोध में ‘उस कर्ता के द्वारा गाँव कर्म के प्रति वर्तमान कालिक गमन व्यापार’ अथवा ‘ग्राम कर्मक—गमनानुकूल व्यापारवाला वह’ (तत्कर्तृक-ग्रामकर्मक गमनानुकूलव्यापारः, अथवा ग्रामकर्मकगमनानुकूलव्यापारवान् सः) की प्रतीति होती है। इस अर्थ में अन्वयवाला अंश अधिक प्रतीत होता है।^१

आचार्य अभिनवगुप्त और मम्मट आदि ध्वनिवादियोंको भाट्ट मीमांसकों का अभिहितान्वयवादी मत ही अभीष्ट है। टीकाकारों ने इस बात का संकेत किया है।^२ पर आगे जाकर कुछ ध्वनिवादियों ने तात्पर्य वृत्ति का निषेध भी किया, तथा प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ ने तात्पर्य वृत्ति का व्यंजना में ही अन्तर्भाव कर, तात्पर्यार्थ (वाक्यार्थ) को व्यंग्यार्थ से अभिन्न घोषित किया।^३

तात्पर्यवृत्ति के प्रसंग को समाप्त कर देने के पूर्व आकांक्षादि हेतुत्रय पर दो शब्द कह दिए जायँ। आकांक्षा वस्तुतः पदों की न होकर पदार्थों की होती है, तथा पदार्थ ही एक आकांक्षादि हेतुत्रय दूसरे की विषयेच्छा से युक्त रहते हैं। अपेक्षा के विषय में पतञ्जलि ने यही बताया है कि ‘अपेक्षा शब्दों की न होकर अर्थों की होती है। यदि हम कहें ‘राजा का पुरुष’, तो ‘राजा’ किसी अन्य शब्द की अपेक्षा करता है, इसी तरह ‘पुरुष’ भी राजा की अपेक्षा करता है, अथवा ‘यह मेरा (है)’ में मैं इस वस्तु की अपेक्षा करता हूँ, मैं इस

१ ‘इत्यन्तग्रथेनोपपादितस्याभिनवगुप्ताचार्यसमतपक्षस्य बहुवचनं श्री-मम्मटाचार्यपादै स्वसमतत्वमुक्तमिति टीकाकारैः सर्वैरुक्तमितिदिक्।’

बालबोधिनी पृ० २७

२ तात्पर्यार्थो व्यंग्यार्थ एव न पृथग्भूतः । —प्रतापरुद्रीय पृ० ४३

३. परस्परव्यपेक्षा सामर्थ्यमेके । का पुनः शब्दयोर्व्यपेक्षा ? न ब्रूमः शब्दयो रिति, किं तर्हि ? अर्थयो । इह ‘राज्ञः’ पुरुषः ‘इत्युक्ते’ राजा पुरुष मपेक्षते ‘ममायम्’ इति पुरुषो (अपि) राजानमपेक्षते ‘अहमस्य’ इति ।

—महाभाष्य. २ १. १.

वस्तु से संबद्ध है।^३ इस प्रकार एक पदार्थ के लिए दूसरे पदार्थ की जिज्ञासा का कारण यह ज्ञान है कि अपर पदार्थ के बिना पूर्व प्रयुक्त पदार्थ के अन्वय का ज्ञान न हो सकेगा। इसीलिए उम अन्वयबोध के उत्पन्न न होने को भी आकाक्षा कहते हैं।^४ किन्ती एक महावाक्य में कई गण्डवाक्य होते हैं, जब तक इस महावाक्य रूप अर्थ की विषयेच्छा पूर्ण नहीं होती, तब तक आकाक्षा बनी रहती है। पर महावाक्य की विषयेच्छा पूर्ण होने पर आकाक्षा नहीं रहती। इस स्थिति में पुनः उसी से संबद्ध पदादि का प्रयोग दोष माना जाता है। वाक्य में कारक-क्रियादि का निर्वाह इस ढंग से होना चाहिए कि वाक्य या महावाक्य के अंत तक आकाक्षा बनी रहे, और प्रत्येक आगामी पद आकांक्षित प्रतीत हो। ऐसा न होने पर काव्य में दोष आ जाता है। कभी कभी कारक-क्रियादि के निर्वाह की दृष्टि से वाक्य पूर्ण हो जाता है तथा श्रोता को सम्पूर्ण भाव की प्रतीति हो जाती है उसे कोई आकाक्षा नहीं बनी रहती, पर फिर भी वक्ता उसी संबध में फिर कुछ कह देता है, तो उसी जंजीर से अलग पड़ी टूटी कड़ी सी दिखाई देती है। काव्य में इसे समाप्तपुनरात्ता दोष माना गया है। जहाँ कवि समस्त भाव को व्यक्त कर, वाक्य को पूर्ण (समाप्त) कर देता है, पर फिर से उसका ग्रहण करना चाहता है, वहाँ यह दोष पाया जाता है। ऐसे स्थलों पर कवि निराकांक्षित प्रयोग करता है। जैसे निम्न पद्य में—

केट्टारः स्मरकार्मुकस्य सुरतक्रीडापिकीना रवां,

भंकारो रतिमंजरीमधुलिहा लीलाचकोरध्वनिः ।

तन्व्याः कचुलिकापसारणभुजाक्षेपस्खलत्करण—

क्वाणः प्रेम तनोतु वो नववयोलास्याय वेणुस्वनः ॥

‘कामदेव के धनुष की टकार, सुरत केलिरुपा-कोकिलाओं की

१. इंद्राजिज्ञासोत्थापकं चैकपदार्थेऽपरपदार्थस्यतिरेकप्रयुक्तन्यान्वय-
धाधजनकत्वस्य ज्ञानमिति तद्विषये तादृशान्वयबोधजनकत्वेऽपि ‘आकाक्षा’
इति व्यवहारः । —वैयाकरणमिदान्तमजूपा पृ० ४१५.

२. समाप्तं सत्पुनरात्तम् । वाक्ये समाम्ने पुनस्तदन्वयिदशब्दोपादानं
यत्रेत्यर्थः । —प्रदीप पृ० ३०१.

सरस काकली, प्रेम की मंजरी पर मँडराते भौरों का गुंजार, लीला रूपी चकोर की ध्वनि रूप, सुंदरी के हाथों से खिसकते हुए कंकणों की झंकार,—जब वह कचुकी को उतारने के लिए अपने हाथों को फैला रही है, आप लोगों के प्रेम को पल्लवित करे,—जो नवीन यौवन के लास्य नृत्य के लिए वेगु की तान है ।

यहाँ “...प्रेम को पल्लवित करे” (‘...प्रेम तनोतु व’) तक महावाक्य समाप्त हो गया, तन्वी के कंकणक्वाण के लिए फिर से किसी नये उपमान के प्रयोग की आकांक्षा न थी, किन्तु वाक्य तथा वाक्यार्थ के समाप्त हो जाने पर भी मालारूपक में एक फूल और गूँथने की चेष्टा, ‘नववमोलास्याय वेगुस्वनः’ का प्रयोग अनाकांक्षित है । फलतः यह दोष है । यही कारण है कि क्लृप्त कवि काव्य के अंत तक आकांक्षा बनाये रखते हैं, उसे क्षुण्ण नहीं होने देते, वे कारकक्रियादि को इतनी चुस्ती और गठन के साथ सजाते हैं कि वे एक दूसरे से सटे दिखाई देते हैं, जैसे कालिदास के निम्न पद्य में जहाँ आकांक्षापूरक ‘घटोत्क्षेपणात्’ श्वासः प्रमाणाधिकः’ धर्मात्मसांजालक’ पर्याकुला मूर्धजाः’ का बाद में प्रयोग आकांक्षा बनाये रखता है ।

स्रतासावतिमात्रलोहिततलौ बाहू घटोत्क्षेपणा-

दद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः ।

बद्धं कर्णाशिरीषरोधि वदने धर्मात्मसां जालकं

बन्धे स्र सिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः ॥

(शाकु० १ २६)

‘घड़े को उठाने के कारण इसके दोनों हाथों के कंधे झुक गये हैं और हथेली अधिक लाल हो गई है, बोझे को उठाने के कारण तेजी से चलता हुआ श्वास इसके स्तनों में अभी भी कम्प उत्पन्न कर रहा है, कान में अवतसित शिरीष पुष्प का स्पर्श करती हुई पसीने की बूँदें इसके मुख पर झलक पड़ी है और वालों के जूड़े के ढीले होने के कारण इसने एक हाथ से अस्तव्यस्त वालों को समेट लिया है ।’

दूसरा तत्त्व योग्यता है । वाक्य में प्रयुक्त पदों के पदार्थों में परस्पर अन्वित होने की क्षमता, (योग्यता) होनी चाहिए । कुछ विद्वान् पदार्थों के परस्पर अन्वय में बाधनिश्चय का न होना योग्यता मानते हैं ।

काव्यादि में कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कवि ऐसे पदार्थों को उपन्यस्त करता है, जो बाहर से अयोग्य प्रतीत होते हैं, यथा शश-विपाण, खपुष्प आदि, किंतु फिर भी प्रकरण में वे किसी अर्थ (तात्पर्य) को बोध कराते देखे जाते हैं । जैसे निम्न पद्य में कवि ने इसी तरह के तात्पर्य का निर्देश किया है:—

अस्य क्षोण्णपतेः परार्द्धपरया लक्ष्मीकृताः संख्याया
प्रह्लाचक्षुरवेक्ष्यमाणतिमिरप्रख्याः किलार्कतिर्ययः ।
गीयते स्वरमष्टमं कलयता जातेन वन्ध्योदरा-
न्मूकाना प्रकरेण कूर्मरमणीदुग्धोदधे रोधसि ॥

यह राजा बड़ा अर्कीतिशाली है । इसकी काली अर्कीति की संख्या कहाँ तक गिनाई जाय, वह परार्द्ध की संख्या से भी अधिक है । इसकी अर्कीति उस अंधकार के समान काली है, जिसे प्रह्लाचक्षुश्रो (अंधो) ने देखा है । वन्ध्या के गूंगे पुत्रों का झुंड कूर्मरमणी के दूध के समुद्र के तीर पर अष्टम स्वर में इस राजा की अर्कीति का गान किया करते हैं । भाव यह है, इस राजा में अर्कीति का नाम निशान भी नहीं है । यहाँ निन्दा के व्याज से राजा की स्तुति की गई है ।

पूर्णतः योग्यता हीन वाक्य उपहासास्पद होता है, तथा उन्मत्त-प्रलपित माना जाता है । योग्यता के साथ ही आसक्ति भी अपेक्षित है । पदों के समीप होने पर कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी शाब्दबोध कर पाता है । आसक्ति के अभाव में पदों में अन्वय घटित नहीं हो सकेगा ।

कुछ विद्वान् तात्पर्य वृत्ति को शब्दशक्ति मानने के पक्ष में नहीं हैं । विज्ञानार्थ ने इसे व्यञ्जना का ही एक अंग माना है, तो भट्ट लोहट का 'सौष्ठ्य मिपोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्या-
उपसहार पारः' वाला मत तात्पर्य वृत्ति को अभिधा का अंग मानता है । महिमभट्ट तात्पर्यार्थ को अनुमान प्रमाण द्वारा गृहीत मानते हैं । 'विषं भक्ष्य मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः' (जहर रगालो पर इसके घर न खाना) ऐसे वाक्यों के

निषेध रूप तात्पर्य में महिम भट्ट तात्पर्य शक्ति को नहीं मानते।^१ उनके मत से यह शाब्दबोध का क्षेत्र न होकर वाच्यार्थ रूप हेतु के द्वारा अनुमित अर्थ है। अतः यहाँ शाब्दी प्रक्रिया न होकर आर्थी प्रक्रिया पाई जाती है।^२ वस्तुतः विद्वान् लोग तात्पर्य शक्ति को उपचारत शब्दशक्तियों के अतर्गत स्वीकार करते जान पड़ते हैं।



१ इस वाक्य के तात्पर्य विश्लेषण के लिए सातवाँ परिच्छेद देखिये।

२ विषभक्षणादपि परा मेतद् गृहभोजनस्य दारुणताम्।

वाच्यादतोऽनुमिमते प्रकरणवक्तृस्वरूपज्ञा।

विषभक्षणमनुमनुते न हि कश्चिदकारण एव सुदृदि सुधीः।

तेनात्रार्थान्तरगतिरार्थी तात्पर्यशक्तिजा न पुनः ॥

पंचम परिच्छेद

व्यंजना वृत्ति (शाब्दी व्यंजना)

प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

चक्षुत्प्रसिद्धावमवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवागनासु ॥

—ध्वनिकार

(महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान जैसी अलग ही वस्तु पाई जाती है । जिस प्रकार कामिनियों के अंगों में लावण्य जैसी सर्वथा विलक्षण वस्तु होती है, ठीक वैसे ही काव्य में यह प्रतीयमान अर्थ काव्य के अन्य अंगों से सर्वथा भिन्न तथा अतिशय चमत्कारकारी होता है ।)

प्रसिद्ध पाश्चात्य आलोचक आइ. ए. रिचर्ड्स ने एक स्थान पर काव्य तथा विज्ञान का भेद बताते हुए भाषा के दो प्रकार के प्रयोग माने हैं । इन्हीं दो प्रयोगों को उसने वैज्ञानिक काव्य में प्रतीयमान अर्थ तथा भावात्मक इन कोटियों में विभक्त किया है । इसी संबंध में वह बताता है कि भाषा का वैज्ञानिक प्रयोग किसी सत्य अथवा असत्य संबंध का बोधन कराने के लिए किया जाता है, जिसे वह उत्पन्न करना है । मनोवैज्ञानिक या भावात्मक प्रयोग, उस संबंध से किन्हीं मानसिक भावों की उद्भावना करने के लिए होता है । “कई शब्दों का विधान, संबंध की आवश्यकता के बिना ही स्फूर्ति उत्पन्न करता है । ये शब्द संगीतात्मक शब्दसमूहों की भाँति कार्य करते हैं । किन्तु प्रायः ये संबंध, किसी विशेष प्रवृत्ति के विकास में परिस्थितियों तथा अवस्थाओं का कार्य करते हैं, फिर भी वह विशेष प्रवृत्ति ही (उस प्रयोग में) महत्त्वपूर्ण है, ये संबंध नहीं । इस विषय में संबंध सत्य हैं, या मिथ्या इन और विशेष ध्यान नहीं दिया जाना । इसका एक मात्र कार्य इन प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना तथा उनका साहाय्य संपादित करना ही है । ये

ही उसके (शब्द के) अंतिम प्रतिपाद्य हैं ।”^१ यहाँ आइ. ए. रिचर्ड्स ने भाषा के भावात्मक प्रयोग से प्रतिपादित अर्थ के संबंध में उसके मुख्य संबंधों (शब्द तथा अर्थ) को गौण माना है तथा भावात्मक प्रवृत्ति को मुख्यता दी है । उसके मतानुसार काव्य में शब्द तथा अर्थ का इतना महत्त्व नहीं, जितना शब्द तथा अर्थ के द्वारा व्यंजित प्रवृत्ति (भावात्मक व्यंजना) का । इस प्रकार आइ. ए रिचर्ड्स ने काव्य में ‘प्रतीयमान’ अर्थ की महत्ता का संकेत किया है ।

यह प्रतीयमान अर्थ न तो शब्दों की मुख्या वृत्ति से ही गृहीत होता है, न लक्षणा से ही । इसीलिए साहित्यशास्त्रियों ने इस अर्थ की प्रतीति के लिए एक ऐसी शक्ति मानी है, व्यंजना जैसी नई शक्ति जिसमें शब्द व अर्थ दोनों के गौण होने पर, उस अर्थ की प्रतीति होती है । इसी शक्ति को व्यंजना माना गया है । जिस प्रकार कोई वस्तु पहले से ही विद्यमान किंतु गूढ़ वस्तु को प्रकट कर देती है, उसी प्रकार यह शक्ति मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के भीने पर्दे में छिपे हुए व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कर देती है । यह वह शक्ति है, बाह्य सौंदर्य के रेशमी पर्दे को हटाकर काव्य के वास्तविक लावण्य को व्यक्त करती है । इसीलिए इसे “व्यंजना” माना गया है, क्योंकि यह “एक विशेष प्रकार का अजन है, अर्थात् अभिधा तथा लक्षणा द्वारा-

१ Many arrangements of words evoke attitudes without any reference required en route They operate like musical phrases. But usually references are involved as conditions for, or stages in, the ensuing development of attitudes, yet it is still the attitudes, not the references which are important. It matters not at all in such cases whether the references are true or false Their sole function is to bring about and support the attitudes which are the further response

Principles of literary criticism, Ch XXXIV.

P. 267-8

अप्रकाशित अर्थ को प्रकाशित कर देती है। आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने व्यंजना की परिभाषा निबद्ध करते हुए कहा है—“अभिधा शक्ति के द्वारा प्रतीत अर्थ सहृदय श्रोता की प्रतिभा की सहायता से एक नवीन अर्थ को द्योतित करता है। उम नवीन अर्थ को द्योतित करनेवाली शक्ति व्यंजना है।” इस प्रकार वान्य व्यंग्यार्थ प्रतीति का आधार तो है, किन्तु वह कथन का वास्तविक लक्ष्य नहीं होता, केवल साधन मात्र है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में बैठा हुआ कोई अफसर अपने क्लर्क से कहे “मैं जा रहा हूँ”, तो इसका मुख्यार्थ इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जितना इसका यह व्यंग्यार्थ कि अब ऑफिस का काम तुम सम्हालो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यहाँ “मैं जा रहा हूँ” इस वाक्य में काव्यत्व है। यद्यपि यहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीति होती है, तथापि यह व्यंग्यार्थ रमणीय तथा चमत्कारशाली नहीं है। वस्तुतः वही व्यंग्यार्थ युक्त कथन काव्य हो सकता है, जिसमें रमणीय व्यंग्य हो। तभी तो पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादित करने वाले शब्द को काव्य माना है। कुछ लोगों के मतानुसार व्यंग्य सर्वदा रमणीय ही होता है किन्तु हम इस मत से सहमत नहीं। व्यंग्यार्थ हमारे मत से अरमणीय भी हो सकता है। जिसका उदाहरण हम अभी दे चुके हैं।

हम देखते हैं कि काव्य में मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से इतर एक प्रमुख अर्थ की सत्ता माननी ही पड़ेगी। इसी अर्थ को प्रकट करने वाला व्यापार व्यञ्जना शक्ति है। मम्मट ने व्यञ्जना की कोई एक निश्चिन परिभाषा निबद्ध नहीं की है। वे व्यञ्जना के अभिधामूला तथा लक्षणामूला इन दो भेदों को अलग अलग लेकर उनका स्वरूप निबद्ध करते हैं। अभिधामूला के विषय में मम्मट कहते हैं:—“जहाँ संयोगादि अर्थ नियामकों के द्वारा शब्द की अभिधा शक्ति एक स्थल में नियन्त्रित हो जाती है, पर फिर भी किसी अनुव्यार्थ की प्रतीति

हो ही जाती है, वहाँ अभिधामूला व्यंजना होती है।”^१ लक्षणा के प्रयोजन के विषय में बताते हुए वे कहते हैं कि इस प्रयोजन की प्रतीति कराने में व्यञ्जना व्यापार ही साधन होता है। इसी के आगे वे बताते हैं कि जिस प्रयोजन या फल की प्रतीति के लिए प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ व्यञ्जना से भिन्न और कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि फल (प्रयोजन) की प्रतीति लक्ष्यार्थ के लिए प्रयुक्त शब्द से ही होती है।^२ इन दोनों प्रसंगों को देखने से व्यंजना का एक निश्चित स्वरूप तो समझ में आ जाता है, किंतु फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से इसे हम व्यंजना की परिभाषा नहीं मान सकते। साथ ही व्यंजना की हम ऐसी परिभाषा चाहते हैं, जिसमें लक्षणामूला तथा अभिधामूला दोनों का समावेश हो जाय। विश्वनाथ के द्वारा दी गई व्यंजना की परिभाषा इस दृष्टि से अधिक समीचीन कही जा सकती है। उनके मतानुसार जिस स्थान पर अभिधा तथा लक्षणा के कार्य करके शान्त हो जाने पर किसी न किसी व्यापार के कारण दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ व्यंजना शक्ति ही होती है।^३ लाला भगवानदीन ने ‘व्यंग्यार्थ-मञ्जूषा’ में व्यंजना की निम्न परिभाषा दी है, जो दास के ‘काव्य-निर्णय’ से ली गई है।

सूधो अर्थ जु वचन को, तेहि तजि औरै वैन ।

समुक्ति परे ते कहत है, शक्ति व्यंजना ऐन ॥

वाचक लक्षक शब्द ए राजत भाजन रूप ।

व्यंग्यारथहिं सुनीर कहि, धरनत सु कवि अनूप ॥

१ ‘... तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मक ।

यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ।

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥

—का० प्र० उ० २ पृ० ५८

२ ‘अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

सयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद् व्यापृत्तिरञ्जनम् ॥

—वही पृ० ६३.

३ चिरतास्वभिधाद्यास्तु ययार्थो योध्यते पर.

सा वृत्ति व्यञ्जना नाम . . . ॥

—सा० द० परि० २ पृ० ७३.

कोई व्यक्ति 'गंगा में घोप है' इस वाक्य का प्रयोग करता है । यहाँ वह व्यक्ति घोप की शीतलता तथा पवित्रता की प्रतीति कराना चाहता है । पहले पहल "गंगा प्रवाह में स्थित अभिधा तथा लक्षणा में आभीरों की घस्ती" इस मुख्यार्थ के वाच्य का व्यजना की भिन्नता ज्ञान होता है, फिर सामान्य संबंध से "गंगा-तीर पर घोप" इस लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है । तीसरे क्षण में "गंगा तट पर तथा घोप के पास शीतलता तथा पवित्रता का होना" व्यक्त होता है । कोई भी शक्ति एक से अधिक अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकती । अतः तीसरे अर्थ के लिए अलग में शक्ति माननी ही पड़ेगी । अप्य दीक्षित ने इसी बात को अपने वृत्ति-वार्तिक में कहा है । वक्ता किसी कारण से "गंगा में घोप" इस वाक्य में गंगा पद का प्रयोग करता है । उसका प्रयोजन पहले तो काव्य की शोभा बढ़ाकर गंगा प्रवाह के साथ गंगा-तट का तादात्म्य स्थापित करना है, फिर गंगा वाली अतिशय पवित्रता तथा शीतलता का द्योतन कराना है ।^१ एक दूसरे आलंकारिक रत्नाकर ने भी कहा है—"गंगा के प्रवाह तथा तीर को एक ही शब्द से घोषित कराने से उनमें अभेदप्रतीति होती है इसके बाद प्रवाह के शैत्य पावनत्वादि गुणों की प्रतीति तीर में होने लगती है, यही लक्षणा के प्रयोग का प्रयोजन है ।"^२ व्यंग्यार्थप्रतीति सदा लक्षणा के ही बाद होती हो, ऐसा नहीं है । वाच्यार्थ से सीधी भी व्यंग्यार्थप्रतीति होती है । इस दशा में अभिधा तथा व्यजना दो ही व्यापार वाक्य में पाये जाते हैं । व्यंजना शक्ति को न मान कर कुछ लोग प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा से ही कराना चाहते हैं । कुछ तात्पर्यवृत्ति, लक्षणा या अनुमान प्रमाण से इसकी प्रतीति मानते हैं । वस्तुतः व्यजना का

१ लक्षणाया काव्यशाभातिशयाघायकनयाप्यधिक मनोनुकानस्य प्रवाह-नाशास्यप्रतिपत्त्या तद्वनानिशयितपावनवद्योतनाय तस्मिन् गंगापट प्रयुट्के ।

—वृ० वा० पृ० २०.

२ स्रोतस्तीरयो रेकशब्दयोऽपरत्र तादात्म्यप्रतीतिः. स्रोतोधर्मा. शैत्यपाव-नवाद्यङ्गानरे प्रतीयन्त इति प्रयोजनमिति. ।

— वृ० वा० में टकून 'गंगाकर' पृ० २०

समावेश इनमें से किसी में भी नहीं हो सकता, इसे हम आगामी तीन परिच्छेदों में विस्तार से बतायेंगे। अभिनवगुप्त ने इसी बात को लोचन में बताया है:—“अभिधा, लक्षणा, तथा तात्पर्य से भिन्न चौथा व्यापार मानना ही पड़ेगा। इस व्यापार को ध्वनन, द्योतन, प्रत्यायन, अवगमन आदि शब्दों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं।”^१

व्यंजना के विषय में हम देख चुके हैं कि व्यंग्यार्थ का बोधन कराने के लिए कभी तो कोई शब्द विशेष प्रमुख साधन होता है, कभी कभी कोई अर्थ विशेष। इसी आधार पर व्यंजना के द्वारा अर्थ के शाब्दी तथा आर्थी ये दो भेद किये जाते हैं। प्रतीति काने में शब्द इस संबंध में एक प्रश्न अवश्य उपस्थित होता तथा अर्थ दोनों है कि व्यंजना को शब्दशक्ति मान लेने पर फिर का साहचर्य आर्थी व्यंजना जैसा भेद मानना क्या 'वदतो व्याघात'^२ नहीं होगा? क्योंकि व्यंजना शब्द की शक्ति है, अर्थ की नहीं। यदि आप आर्थी व्यंजना मानते हैं, तो उसे शब्दशक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि यह तो शब्द व अर्थ दोनों की शक्ति हो जाती है। इसी का उत्तर देते हुए मम्मट कहते हैं कि वैसे तो व्यंजना शब्दशक्ति ही है, फिर भी जिस काव्य में शब्द प्रमाण से सवेद्य कोई अर्थ पुनः किसी अर्थ को व्यजित करता है, वहाँ अर्थ व्यंजक है शब्द केवल सहायक मात्र है।^३ इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि वही अर्थ व्यंजक होगा, जो शब्द से प्रतीत हो (न हि प्रमाणान्तर संवेद्योऽर्थो व्यजकः) दूसरे शब्दों में जहाँ अर्थ व्यजक हो,

१ तस्मात् अभिधातात्पर्यलक्षणान्यतिरिक्त. चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वनन-द्योतनव्यजनप्रत्यायनावगमनादिषोडशव्यपदेशनिरूपितोऽभ्युपगन्तव्यः।

—लोचन पृ० ११५ (मद्रास सं०)

२. किसी सिद्धान्त को लेकर चलने पर उसी के विरुद्ध कोई बात कह देना 'वदतो व्याघात' कहा जाता है। अंगरेजी में इसे contradictory statement कहते हैं।

३. शब्दप्रमाणवेद्योर्थो व्यनक्त्यर्थान्तर यत् ।

अर्थस्य व्यजकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता ॥

शब्द केवल सहकारी हो, वहाँ आर्थी तथा जहाँ शब्द में ही व्यंजकत्व हो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। यदि कोई सिनेमा का शौकीन कहे— “सूर्य अस्त हो गया” और इस वाक्य से “सिनेमा देखने चलो” इस अर्थ की अभिव्यक्ति हो तो, यहाँ आर्थी व्यंजना ही होगी। यहाँ पहले पहल ‘सूर्य अस्त हो गया’ इस वाक्य से मुख्यार्थ की प्रतीति होती है, फिर यह मुख्यार्थ ही सिनेमा वाले अर्थ को व्यंजित करता है। इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति मुख्यार्थ के जान लेने पर ही होगी, पहले नहीं। शाब्दी व्यंजना में शब्द ही मुख्यार्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ की भी प्रतीति कराता है। अभिधामूला शाब्दी व्यंजना में शब्द सदा ही द्वयर्थक होगा। जैसे “चिरजीवी जारी जुरे” आदि इसी परिच्छेद में आगे उद्धृत दोहे में ‘वृषभानुजा’ तथा ‘हलधर के वीर’ ये शब्द अमुख्यार्थ की भी व्यक्ति कराते हैं। लक्षणा मूला शाब्दी में वह द्वयर्थक नहीं होता।

व्यंग्यार्थ की प्रतीति प्रकरणवश होती है। कौन कहने वाला है, किससे कहा जा रहा है, कहाँ, कब, किस ढंग से कहा जा रहा है, आदि विभिन्न प्रकरणों के जानने पर जब व्यंजना शक्ति में प्रकरण का महत्त्व प्रतिभाशाली सहृदय उन प्रकरणों से मुख्यार्थ की संगति बिटाता है, तभी व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। इसीलिए व्यंग्यार्थ प्रतीति में वक्तृबोद्ध-व्यादित्रैशिष्ट्य का बड़ा महत्त्व है। प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक ब्लूमफील्ड ने तो साधारण अर्थ की प्रतीति में भी वक्तृबोद्धव्यवैशिष्ट्य को एक महत्त्वपूर्ण अंग माना है। तभी तो उसने कहा है—“यदि हम प्रत्येक वक्ता की स्थिति तथा प्रत्येक श्रोता की प्रतिपत्ति का पूर्ण ज्ञान हो, तो केवल इन्हीं दो वस्तुओं को हम किसी शब्द के अर्थ के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। केवल इन्हीं के आधार पर हम अपने अभ्ययन के विषय को समस्त ज्ञान के अन्य क्षेत्रों से अच्छी तरह अलग कर सकते हैं।”^२

१. हम दोहे को आगे हमी परिच्छेद में अभिधामूला व्यंजना के संघर्ष में देखिये।

२. If we had an accurate knowledge of every speaker's situation and of every hearer's response,—

प्रकरण क्या है ? इस विषय में कुछ समझ लेना होगा । कुछ लोगों के अनुसार किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में तदनुकूल मानसिक प्रक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं, इन्हीं मानसिक प्रक्रिया या उनके सघात को ही प्रकरण कहते हैं । ये मानसिक प्रक्रियाएँ अपनी परिस्थितियों के द्वारा वास्तविक भावों को बोधित कराती हैं ।' ऑग्डन तथा रिचर्ड्स भी प्रकरण को मनोवैज्ञानिक रूप में ही विश्लेषित करते हैं । "(अर्थ का) प्रतिपादन इन प्रकरणों के कारण ही संभव है, इस बात को सभी मानते हैं । किंतु यदि इसकी परीक्षा की जाय तो यह उससे कहीं अधिक मौलिक मिलेगा, जितना कि लोग समझते हैं । कोई वस्तु किसी भाव को प्रतिपादित करती है, इसका अभिप्राय यह है कि वह किसी विशेष प्रकार के मनो-वैज्ञानिक प्रकरणों में से एक है ।"^२ इस प्रकार

we could simply register these two facts as the meaning of any given speech-utterance and neatly separate our study from all other domains of knowledge.' —Language P. 75.

१. I understand by context simply the mental process or complex of processes which accrues to the original idea through the situation in which organism finds itself '

—Prof. Titchner

quoted by Ogden and Richard
(footnote P. 58)

२ "Interpretation, however, is only possible thanks to these recurrent contexts a statement which is very generally admitted but which if examined will be found to be far more fundamental than has been supposed. To say, indeed, that anything is an interpretation is to say that it is a number of a psychological context of a certain kind."

—'Meaning of Meaning.' P. 55—6.

व्यञ्जना के इन प्रकरणों को हम भावात्मक मान सकते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि ये वक्तृवैशिष्ट्यादि प्रकरण केवल आर्थी व्यञ्जना में ही काम देते हैं, या शाब्दी में भी। मम्मट इनका उल्लेख आर्थी व्यञ्जना के प्रसंग में करते हैं। विश्वनाथ भी मम्मट के ही पदचिह्नों पर चलते हुए वक्तृवैशिष्ट्यादिवैशिष्ट्य का वर्णन आर्थी व्यञ्जना के प्रकरण में ही करते हैं। तो, क्या शाब्दी व्यञ्जना में व्यंग्यार्थ प्रतीति के लिए प्रकरण ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती? काव्यप्रकाश की प्रसिद्ध टीका प्रदीप के रचयिता गोविन्दठक्कुर के सम्मुख भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। वे इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि आर्थी व्यञ्जना में तो वक्तृवैशिष्ट्य ज्ञान की सर्वथा अपेक्षा है ही, किंतु शाब्दी में भी कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई साला जैसा संबंधी "आप सुरभिमांस खाते हैं।" (सुरभिमांस भवान् भुङ्क्ते) इस वाक्य को कहे तो इससे द्वितीय घृणित अर्थ की प्रतीति अवश्य होगी। इस वाक्य का वाच्यार्थ 'आप सुगंधित मांस खाते हैं, यह है। किंतु साले जैसे वक्ता के प्रकरण के कारण, "आप गोमांस खाते हैं" इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति भी होती है। यदि इसी वाक्य का प्रयोग गुरु या बड़ा व्यक्ति करे, तो इस द्वितीय अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। किंतु कहीं कहीं वक्तृवैशिष्ट्य के ज्ञान के बिना भी शाब्दी व्यञ्जना हो सकती है।' इस तरह गोविंद ठक्कुर कुछ शाब्दी व्यञ्जना में प्रकरण की महत्ता मानते हैं, पर प्रत्येक शाब्दी व्यञ्जना में नहीं। हमारे मतानुसार किसी भी प्रकार की व्यंग्यार्थ प्रतीति में प्रकरण की महत्ता माननी ही पड़ेगी। व्यंग्यार्थ प्रतीति सहृदय की प्रतिभा के कारण होती है। इस प्रतिभा को उद्बुद्ध करने वाले प्रकरण ही हैं। अतः प्रकरण ज्ञान के बाद ही व्यंग्यार्थ प्रतीति हो सकती है।

१. अर्थव्यञ्जकतायां वक्तृवैशिष्ट्यादीनामावश्यकत्वमात्रम् । न तु शब्द-व्यञ्जनायां सर्वथानुपयोगः । अत एव शालकादिप्रयुक्तात् 'सुरभिमान भवान् भुङ्क्ते' इत्यादितो द्वितीयाश्लीलार्थप्रतीतिः । न तु गुर्वादिप्रयुक्तात् । अस्ति शब्दव्यञ्जना कश्चित् तस्माहास्येन विनापीत्यन्यदेतत् ।

शाब्दी व्यंजना—शाब्दी व्यंजना को दो प्रकार का माना जा सकता है:—एक वाचक शब्द के आधार पर, दूसरी लक्षक शब्द के आधार पर। इस प्रकार अभिधामूला तथा शाब्दी व्यंजना के लक्षणामूला ये दो भेद होंगे। अभिधामूला दो भेद व्यंजना में सदा द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। संयोग, विप्रयोग, साहचर्य आदि अभिधानियामकों के द्वारा अभिधा एक ही अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है और वही अर्थ वाच्यार्थ होता है। फिर भी शब्द के श्लिष्ट प्रयोग के कारण अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति भी सहृदय को हो जाती है। यहाँ अभिधामूला शाब्दी व्यंजना होती है।^१ लक्षणामूला व्यंजना वहाँ होती है, जहाँ किसी प्रयोजन की प्रतीति के लिए लाक्षणिक पद का प्रयोग किया गया हो। यह गूढ़ व्यंग्या अगूढव्यंग्या दो तरह की होती है। प्रयोजनवती लक्षणा के संबंध में हम इसका विवेचन कर चुके हैं। यद्यपि व्यंजना भी शब्दशक्ति है, पर व्यंजनामूला व्यंजना जैसा भेद नहीं होता।

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व एक प्रश्न उठता है कि क्या मम्मट शाब्दी व्यंजना में प्रकरणादि की आवश्यकता नहीं मानते?, इस प्रश्न का समाधान कर लिया जाय। हमें ऐसा जान पड़ता है मम्मट शाब्दी व्यंजना में भी प्रकरणादि की आवश्यकता जरूर मानते हैं। पहले यह ध्यान में रख लिया जाय कि मम्मट सूत्र शैली तथा समास शैली का आश्रय लेते हैं। वे हर घात को इस तरह स्पष्ट नहीं करते मानों मोटी बुद्धि वाले को समझा रहे हों। अभिधामूला शाब्दी व्यंजना में जो हरिकारिका उद्धृत की गई है, उसमें 'अर्थप्रकरणं लिंग' का प्रयोग है।^२ अतः हरिकारिका के उद्धरण पर अभिधा का नियंत्रण

१. अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

एकग्रार्थेऽन्यधीहेतुर्व्यंजना साभिधाश्रया ॥

—सा० द० परि० २, पृ० ७५.

२ 'सयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थ. प्रकरण लिंग शब्दस्यान्यस्य सनिधिः ॥

—का० प्र० (पूना संस्करण, प्रदीप सहित) पृ० ६३.

प्रकरणादि के कारण वाच्यार्थ में हो ही जाता है, अतः प्रकरणादि व्यंजना की प्रतीति में भी सहायक हो जाते हैं। इससे अभिधामूला शाब्दी में भी प्रकरणादि का महत्त्व मम्मट को इष्ट है, यह स्पष्ट है। इस व्यंजना में और आर्थी व्यंजना में अंतर यह है कि इसमें प्रकरणादि प्रत्यक्ष रूप से अभिधा का नियंत्रण करने में अथवा तात्पर्य निर्णय कराने में सहायक होते हैं। यह हो जाने पर अपरार्थ स्वयं व्यंग्य हो जाता है। आर्थी व्यंजना में प्रकरणादि को व्यंग्यार्थ का उपस्थापन करने में प्रत्यक्षकारणना है। यही कारण है कि मम्मट ने आर्थी में प्रकरणादि को कारण माना है और शाब्दी में नहीं। कार्यकारणभाव अत्यन्त समीपवर्ती पदार्थ के साथ ही होता है, दूर के पदार्थ के साथ नहीं। यहाँ प्रदीपकार के मत पर भी विचार कर ले। प्रदीपकार का मत भ्रम के कारण है। वे मम्मट के उपरिलिखित रहस्य को नहीं समझ पाये हैं। प्रदीपकार के 'सुरभिमासं भवान् भुंक्ते' में वक्ता श्यालक हैं, इसलिए अपरार्थ (गोमांस वाले अर्थ) की प्रतीति होती है, यदि वक्ता गुरु होता तो न होती—यह कहना व्यर्थ है। जिन शब्दों का जिन अर्थों में संकेतग्रह है, उन सब अर्थों की प्रतीति होगी ही, वक्ता चाहे जो हो। अभिधा का नियंत्रण होने पर एक अर्थ वान्य होगा, अपर अर्थ व्यंग्यार्थ, क्योंकि प्रकरण का अर्थ है 'वक्तृ-बुद्धिस्थता।' इस प्रकरण के देखने पर, यह प्रतीत होता है कि वक्ता श्यालक को वहनोई से मज्जारू करना अभीष्ट है, वक्ता की बुद्धि वहाँ है। अतः उसकी बुद्धि में गोपक्षवाला ही अर्थ मुख्यार्थ है। श्यालक वाले पक्ष में अभिधा का नियंत्रण उसी अर्थ में होगा, वही वाच्यार्थ होगा। अपरार्थ (सुगंधित मांस वाला) अर्थ व्यंग्य होगा।

अब हमारे सामने लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना बची रहती है। क्या उसमें भी प्रकरण ज्ञान आवश्यक है? हमारे मत में वहाँ भी प्रकरण आवश्यक है। यहाँ लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना का एक उदाहरण लेकर उस पर विचार कर लिया जाय। हम उसी उदाहरण को लेंगे जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

'उपकृतं घटु तत्र किमुच्यते मुज्जना प्रथिता भवता परम्।
विदधतीदृशनेव सदा सखे सुगन्धितमास्त्व ततः शरदां शतम्॥

यहाँ विपरीत लक्षणा से जिस अपकाररूप अर्थ की प्रतीति होती है, उसका व्यंग्य है 'तुम्हारे अपकार करने पर भी मेरा वर्ताव तुम्हारे साथ सज्जनतापूर्ण ही है।' इस व्यंग्यार्थ प्रतीति के लिए प्रकरण (वक्त्रबुद्धिस्थता) का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ बोद्धव्य व्यक्ति ने वक्ता का घोर अपराध किया है, वक्ता उससे नाराज है और उसके इस प्रकार के व्यवहार को शत्रुता समझता है—इस प्रकार का ज्ञान व्यंग्यार्थ-प्रतीति का हेतु है। जो व्यक्ति प्रकरण-ज्ञान-सम्पन्न होगा, वही इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति कर पायगा।

जहाँ भी व्यंजना होगी, वहाँ मूल में अभिधा या लक्षणा अवश्य रहती है, अतः व्यंजना सदा अभिधा या लक्षणा से मिश्रित होगी। व्यंजनामूला व्यंजना जैसे भेद के न होने का कारण यह है कि अभिधामूला व्यंजना में शब्द से दो अर्थ निकलते हैं और उनमें से एक वाच्य होता है, दूसरा व्यंग्य। यहाँ शब्द का महत्त्व है। अतएव इसे शाब्दी माना गया है। लक्षणामूला में प्रयोजनरूप व्यंग्य शब्द से ही निकलता है। यहाँ भी शब्द का महत्त्व है, अतः यह भी शाब्दी कही गई है। व्यंजनामूला मानने पर व्यंग्यार्थ से अपर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होगी। यहाँ अर्थ का महत्त्व होगा। अतः उसे शाब्दी में न मानकर केवल आर्थी में स्थान दिया गया है। आर्थी में व्यंग्य को भी अवश्य स्थान दिया गया है तथा वहाँ वाच्यार्थमूलक, लक्ष्यार्थमूलक तथा व्यंग्यार्थमूलक आर्थी व्यंजना मानी जाती है, इसे हम अगले परिच्छेद में देखेंगे।

अभिधामूला शाब्दी व्यंजनाः—अभिधामूला शाब्दी व्यंजना में तीन आवश्यक तत्त्व हैं—(१) शब्द अनेकार्थ हो, (२) उस शब्द की अभिधाशक्ति किसी एक प्रकरण में नियंत्रित अभिधामूला शाब्दी हो जाय, (३) उसके एक प्रकरण में नियंत्रित व्यंजना का श्लेष से भेद होने पर भी प्रतिभा के बल से सहृदय को अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती हो। अतः जहाँ दोनों ही अर्थ प्राकरणिक होंगे, वहाँ अभिधामूला शाब्दी व्यंजना नहीं मानी जायगी। वहाँ श्लेष से युक्त कोई न कोई साम्यमूलक अलंकार ही होगा और वह भी वाच्यरूप में। श्लेष तथा शाब्दी अभिधामूला व्यंजना के भेद पर हम आगामी पंक्तियों में विचार करेंगे।

यह ध्यान में रखने की बात है कि जहाँ एक ही अर्थ प्राकरणिक होगा, वहाँ इस व्यंजना का क्षेत्र होगा। जैसे,

भद्रात्मना दुरधिरोहतनोर्विशाल-

वंशोन्नतेः कृन्शिर्लामुखसंग्रहस्य ।

यस्यानुपप्लुतगतैः परवारणस्य

दानावुमेकसुभगः सततं करोऽभूत् ॥

(राजा के पक्ष में) वह सुन्दर आत्मा वाला था। उसको कोई भी शत्रु नहीं जीत सकता था। उसके जन्म के कारण उसका महान् वंश भी उन्नति को प्राप्त हुआ। वह सदा वारणों का अभ्यास करता था, और धनुर्विद्या में बड़ा दक्ष था। उसकी गति को कोई भी शत्रु नहीं रोक सकता था, किन्तु वह समस्त शत्रुओं को हराने में समर्थ था। उस वीर राजा का हाथ सदा दान-जल के सेक से सुशोभित रहता था।

(हाथी के पक्ष में) उस हाथी की सूँड सदा मद-जल के सेक से सुशोभित रहती थी। वह भद्र जाति का हाथी था। उसकी ऊँचाई घाँस के घरावर थी, जिस पर कोई भी आसानी से नहीं बैठ सकता था। भौर उसके चारों ओर भँडराया करते थे। वह उत्कृष्ट हाथी धीर गति से मन्द मन्द चलता था।

इस उदाहरण में 'भद्रात्मा' आदि त्रिलिपि शब्दों की अभिधाशक्ति का नियन्त्रण राजा के अर्थ में हो गया है। वही पद्य का प्राकरणिक अर्थ है। फिर भी हाथी वाले अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति भी हो रही है। यहाँ व्यंजना व्यापार है। दोनों अर्थ प्राकरणिक न होने के कारण, श्लेष नहीं माना जा सकता। अथवा जैसे,

“कर दिये विपाटित वे भूभृन्

भारत के जिसने जैसे मृत,

उच्चता पहुँचती नभसंसत

जिनकी गरिमा का गान महत्

गार्ता त्रिलोक नागध-परिपन् ॥”

(प्रताप, रण्ड-काव्य से)

इसमें अक्षर ने भारत के हिन्दु राजाओं को ध्वस्त कर दिया, इस प्राकरणिक अर्थ में 'भूभृन्' तथा 'मृत' (मृत्) शब्द की अभिधा

नियन्त्रित हो गई है। फिर भी इन शब्दों के कारण उसने (उसकी सेना ने) पर्वतों को मिट्टी बना दिया, इस अप्राकरणिक अर्थ की भी प्रतीति हो रही है। यहाँ व्यंजना व्यापार ही है।

(१) चिरजीवौ जोरी जुरै क्यों न सनेह गँभीर।

को घटि ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ॥ (विहारी)

(२) भयो अपत कै कोपयुत कै वीरो यहि काल।

मालिनि आज कहै न क्यों, वा रसाल को हाल ॥ (दास)

इन उदाहरणों में वृषभानुजा, हलधर, अपत, कोप, वीरो रसाल आदि शब्दों का दुहरे अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहले दोहे में कृष्ण व राधा वाला अर्थ प्राकरणिक है, बैल और गाय वाला अर्थ अप्राकरणिक तथा व्यंग्य। इसी तरह दूसरे दोहे में आम वाला अर्थ प्राकरणिक है, कृष्ण (नायक) वाला अर्थ व्यंग्य। इन दोनों उदाहरणों में अभिधामूला शाब्दी व्यंजना ही है, श्लेष नहीं।

अप्यय दीक्षित तथा महिम भट्ट के मतानुसार व्यंजना शक्ति का अभिधामूलक भेद मानना ठीक नहीं। कुछ विद्वान् तो शाब्दी व्यंजना को ही मानने के पक्ष में नहीं हैं।^१ उनके मत से ऐसे शब्दशक्तिमूला जैसे स्थानों पर श्लेष अलंकार मानना ही ठीक होगा। भेद के विषय में कुछ विद्वान् ऐसे भी हैं, जो शब्दशक्तिमूला अप्यय दीक्षित का मत व्यंजना को मानते भी हैं, नहीं भी मानते। अर्थात् कुछ स्थलों पर ये लोग इसे मानने को सहमत है, कुछ स्थलों पर नहीं। वृत्तिवार्तिककार अप्यय दीक्षित का मत कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। वृत्तिवार्तिक में अभिधा के प्रसंग पर विचार करते हुए अप्यय दीक्षित अभिधामूला शाब्दी व्यंजना को भी लेकर उसकी जाँच पड़ताल करने लगते हैं। प्राचीन ध्वनिवादियों का उल्लेख करते हुए वे बताते हैं कि ध्वनिवादी किसी श्लेष शब्द की अभिधाशक्ति के एक प्रकरण में नियन्त्रित होने पर, दूसरे प्रकरण में व्यंजना मानते हैं। ऐसे शब्द प्रकरण के एक ही अर्थ में स्थिर हो जाते हैं, अतः अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति में अभिधा नहीं होती। ऐसे

१. इस मत का विवेचन हम इसी प्रसंग में कुछ पृष्ठों बाद करेंगे।

स्थलों पर व्यंजना व्यापार ही मानना पड़ेगा । जैसे चन्द्रमा के प्राकर-
णिक वर्णन में 'असावुदयमारूढ' इस पद्य में राजा से संबद्ध अप्राकर-
णिक अर्थ की भी प्रतीति हो रही है। वहाँ अभिधा चन्द्रमावाले प्रकरण
में नियंत्रित हो गई है । लक्षणा के मुख्यार्थबाध आदि कई हेतु वहाँ हैं
नहीं । अतः वहाँ शब्दशक्तिमूलक व्यंजना व्यापार ही है ।^१ अप्पय
दीक्षित इस मत का खंडन करते हुए बताते हैं कि इस पद्य में प्राकरणिक
(चन्द्रमा वाला अर्थ) तथा अप्राकरणिक (राजा वाला अर्थ) दोनों
की प्रतीति अभिधा व्यापार से ही होती है । जिस तरह उल्लेख शब्द
प्राकरणिक अर्थ के नियामक हैं वैसे ही वे अप्राकरणिक अर्थ के भी
नियामक हैं । अतः जिस तरह दोनों अर्थों के प्राकरणिक होने पर
दोनों जगह अभिधा व्यापार होता है, वैसे ही एक अर्थ के प्राकरणिक
तथा दूसरे के अप्राकरणिक होने पर भी अभिधा ही होती है ।^२ प्राचीन
आलंकारिक वहाँ व्यजना क्यों मानते हैं ? इस बात को अप्पय दीक्षित
ने दूसरे ढंग से समझाया है । वस्तुतः प्राचीन आलंकारिक इस बात
पर जोर देना चाहते हैं कि जहाँ अनंकार्य शब्दों के प्रयोग से एक
प्राकरणिक तथा दूसरे अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ

१. असावुदयमारूढ. कान्तिमान् रक्तमण्डल. ।

राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुभि. करं. ॥

(१) उदयाचल पर स्थित लाल लाल रंग वाला सुन्दर चन्द्रमा को नल
किरणों से लोगों के हृदय को भाकपित करता ७, (२) उन्नतिशाल सुन्दर
राजा, जिमने देश को अनुरक्त कर रखा है, थोड़ा धर प्रहण करने के कारण,
प्रजा के हृदय को साकृष्ट करता ६ ।

२ अथ प्राज्ञ — तत्र शब्दशक्तिमूला व्यजनाव्यापार एव शरणम्,
मर्यान्तराभावात् । (वृ० घा० पृ० ९)

३. अथ तु घूम — 'असावुदयमारूढ' इत्यादा प्राकरणिकेऽर्थे प्राकरणि-
कपदप्राकरणिकेऽपि राजमर्यान्तराभावात् परमभान्वयोग्यनृपनिर्दिष्टाप्र-
धनदेशादिवाचकानां समभिध्याहाररूपसमिधानियामरूपस्वीर्यार्थह्यन्यापि
प्राकरणिवाच्य इव प्राकरणिकाप्राकरणिकरूपरेऽप्युभयमाभिधेय व्यापारः,
यद्योक्तमभिध्याहारस्यापि शब्दान्तरमनिधिरूपरेण प्रकृतपदभिधानियाम-
करणात् ।

उपमा आदि साम्यमूलक अर्थालंकार प्रतीयमान रूप में अवश्य विद्यमान होते हैं। इसीलिए वहाँ व्यंजना मानी जाती है।^१

इतना होते हुए भी अप्पय दीक्षित शब्दशक्तिमूलक ध्वनि को अवश्य मानते हैं, जो वस्तुतः शब्दशक्तिमूला व्यंजना पर ही आश्रित है। अप्पय दीक्षित जब शब्दशक्तिमूला व्यंजना का निषेध करते हैं, तो उनसे एक प्रश्न पूछ बैठना सहज है। आपके मत में उसी वस्तु तथा अलंकार में व्यंजना होगी जहाँ वह वस्तु या अलंकार शब्द के प्राकरणािक अर्थ के पर्यालोचन से गृहीत होते हैं, ऐसे स्थानों पर तो सदा ही अर्थशक्तिमूला व्यंजना होगी। तो फिर अर्थशक्तिमूलक ध्वनि जैसा ही ध्वनि का भेद मानना संगत है, शब्दशक्तिमूलक ध्वनि मानना अनुचित है। अप्पय दीक्षित इस प्रश्न का उत्तर यों देते हैं। हम शब्दशक्तिमूला व्यंजना को नहीं मानते। फिर भी ध्वनि में कुछ ऐसे स्थल तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, जो प्राकरणािक तथा अप्राकरणािक दोनों में समान रूप से संगत बैठते हैं। ऐसे स्थलों पर हम उन शब्दों के स्थान पर दूसरे पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा करने से चमत्कार नष्ट हो जायगा। अतः ऐसे स्थलों में शब्द में चमत्कार होने के कारण शब्दशक्तिमूलक ध्वनि को अर्थशक्तिमूलक से भिन्न मानना होगा।^२ वृत्तिवार्तिककार का इस प्रकार एक स्थान पर शाब्दी अभिधामूला व्यंजना न मानते हुए भी तन्मूलक ध्वनि का शब्दशक्तिमूलक ध्वनि मानना दो परस्पर विरोधी बातें हैं। शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की स्वीकृति २।७.१ अभिधामूला व्यंजना की भी सिद्धि करा देती है—क्योंकि ध्वनि का कारण व्यंजना शक्ति ही है, अभिधा नहीं।

१. “... इत्यादिरूपेण प्रतीयमाने उपमाद्यर्थालंकारे तदवश्यभावदृढीकरणभिप्रायेण । न तु तत्रापि वस्तुतो व्यञ्जनाव्यापारास्तस्वाभिप्रायेण ।

—वही पृ० १३

२ ननु एव प्रस्तुतार्थपर्यालोचनालभ्ययारेव वस्त्वलंकारय व्यंक्युपगमे तत्रार्थशक्तिमूलैव व्यक्तिर्भवेदित पृथगर्थशक्तिमूलध्वने शब्दशक्तिमूला न स्यात्—इति चेत् भवम् । तथात्वेपि प्रस्तुताप्रस्तुतोभयसाधारणशब्दमापेक्षतया प्रस्तुतमात्रापरपर्यायशब्दान्त(२) परिवृत्त्यः हिष्णुत्वेन ततस्तस्य पृथग्यवस्थिते ।

—वृत्तिवा० पृ० १५

कविराज मुरारिदान के अलंकार ग्रन्थ 'यशवन्मयशोभूपण' के संस्कृत अनुवादक रामकरण आसोपा भी शब्दशक्तिमूला व्यंजना को मानने के पक्ष में नहीं हैं।^१ प्रसिद्ध टीकाकार महिनाथ ऐसे स्थलों पर उल्लेख के स्थान पर शब्दशक्तिमूलक ध्वनि घोषित किया है।^२

अप्यय व्रीक्षित के मत से ऐसा जान पड़ता है कि वे इस प्रकार के द्वयर्थक पद्यों में दोनों (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) अर्थ की प्रतीति तो मानते हैं, किंतु शब्दशक्तिमूलक जैसे अभिधानूला शाब्दी व्यंजना भेद का विरोध करते हैं। कुछ विद्वान् व्यंजना के विषय में ऐसे भी हैं, जो ऐसे स्थलों में दूसरे अप्राकरणिक महिम भट्ट का मत अर्थ की प्रतीति होती है, इसे स्वीकार करने के पक्ष में भी नहीं हैं। महिम भट्ट का मत ऐसा ही है। विश्वनाथ न साहित्यदर्पण में एक स्थान पर इस मत का उल्लेख किया है। महिमभट्ट "दुर्गालङ्घितविग्रहो"^३ आदि पद्य में शिव वाले

१. पुंश्रवाभिप्रायाभिज्ञानाहकाव्यप्रकाशकाराद्योऽर्वाचीना क्षरिन्न् विषये आन्ताः शब्दशक्तिमूलार्थशक्तिमूलेति व्यञ्जनायाः प्रसारद्वयं मन्वन्ते । स च प्रमादः ध्रुनेरलम्बनानोऽर्धो व्यस्य द्युक्त शब्देनोक्तस्य कथं वा व्यस्यसम् ।
..... न च शाब्दो व्यञ्जना वास्तवव्यञ्जनेव समकारावहा ॥

—प० सू० पृ० ९०

२. देविये—शिशुपालवध के चतुर्थ सर्ग के २० पद्य की टीका—
“...तस्मान् प्राकरणिकार्थमाश्रयं वसिताभिधाद्यापारेणापि शब्देनाधोन्तरर्था-
श्रुत्स्वान् रित्याहुः ।” (पृ० ९६)

३. दुर्गालङ्घितविग्रहो मनमिजं मनीष्येन्तेजपा
प्रोषट्ठाजकृष्टो गृहीतगरिना विप्यरवृतां सागिभिः ।
नक्षत्रेणकृतेक्षणां गिरिगुरां गाढा रधि धामयन्
गानाश्रय विभूतिभूपिततन् राजदुमावहभः ॥

(१) महारानो रामदेवों का पति, यह राजा मुनोमित हो रहा है। हमके पास नञ्चूत बिले हैं, जिससे यह युद्ध में अलक्षणीय है, यह करने तेज से कामदेव को भी ध्वस्त कर रहा है तथा राजाओं को शोभा से युक्त है। यह गरिना से युक्त है तथा विलासी पुत्रों के द्वारा संघिन है राजाओं के द्वारा

दूसरे अप्राकरणिक अर्थ की व्यंजना नहीं मानते। इस मत का खंडन करते हुए विश्वनाथ का कहना है कि इस अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति सभी सहृदयों को होती है, इस विषय में उनका अनुभव ही प्रमाण है। ऐसे अर्थ को अस्वीकार करना महिम भट्ट की “गजनिमीलिका”^१ ही है।^२ व्यक्तिविवेककार ने व्यक्तिविवेक के तृतीय विमर्श में शब्दशक्ति-मूलक व्यंजना का विरोध किया है। महिम भट्ट समस्त व्यंजना या ध्वनि को अनुमान में ही अंतर्भावित करते हैं, इसे हम आठवें परिच्छेद में देखेंगे। इसी संबंध में वे शब्दशक्तिमूलक व्यंजना में अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति का निषेध करते हैं। ध्वनिकार के द्वारा शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के रूप में उदाहृत “दत्तानन्दाः प्रजानां”^३ आदि उदाहरण की

सेवित है तथा शिव के प्रति इसका प्रगाढ भक्ति है। ऐश्वर्य से भूषित शरीर वाला यह राजा पृथ्वी का पालन करता हुआ सुशोभित हो रहा है।

(२) दूसरा अर्थ शिव पक्ष में है। शिव के अर्धांग में दुर्गा है, वे तेज से कामदेव को भस्म करने वाले हैं, चन्द्रमा की कला से युक्त हैं, सर्पों से सुशोभित हैं, तथा चन्द्रमा के नेत्र वाले हैं। हिमालय के प्रति उनका प्रगाढ प्रेम है, तथा शरीर को भस्म से भूषित बनाते हैं एवं बैल पर चढ़ते हैं।

१. हाथी की आंखे अधखुली होने पर भी वह कभी-कभी अपने पास की चीज को नहीं देखता। इस प्रकार किसी चीज को देखते हुए भी न देखना “गजनिमीलिका” कहलाता है।

२. “दुर्गालघित—हत्यादौ च द्वितीयार्थो नास्त्येव” इति यदुक्त महिम-भट्टेन, तदनुभवसिद्धमपलपतो गजनिमीलिकैव।

—सा० द० परि० ५ पृ० ३९१

३. दत्तानन्दाः प्रजाना समुचितसमयाकृष्टसृष्टेः पयोभिः

पूर्वाह्ने चिप्रकाणां दिशि दिशि विरमस्यद्भि सहारभाजः।

दीप्ताशोर्दीर्घटु.खप्रभवभवभयोदग्रदुत्तारनावो

गावो व पावनानां परमपरिमिता प्रान्तिमुत्पादयन्तु ॥ (मयूरशतक)

(१) सूर्य की किरणें उचित समय पर पानी को समेट कर पुन पानी देकर प्रजा को आनंद देती है। प्रातः काल के समय ये किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और शाम को सिमट जाती हैं। समार के अत्यधिक दु.खों के भय को पार करने में नाव के सदृश ये किरणें पवित्र व्यक्तियों (आपकी) की

महिम भट्ट पर्यालोचना करते हैं। महिम भट्ट यहाँ 'गो' शब्द ने 'गाय' वाले अर्थ की प्रतीति नहीं मानते। वे कहते हैं "यहाँ गो शब्द के अनेकार्थवार्त्ता होने से, इस पद्य में धेनुपक्ष वाले अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति में कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता।" महिमभट्ट ने तो एक स्थान पर माघ कवि के एक पद्य को देते हुए बताया है कि अप्राकरणिक अर्थ की व्यञ्जना के लिए श्लिष्ट शब्द का प्रयोग काव्य का दोष है। माघ के उक्त पद्य में वे दूसरे अर्थ को विलकुल नहीं मानते, अपितु वहाँ दोष मानते हैं। व्यक्तिविवेक के दूसरे विमर्श में दोषों का विवेचन करते हुए वे 'वाचस्य श्रवचनं' नामक दोष का उल्लेख करते हैं। इसके उदाहरण में वे माघ के पद्य को उद्धृत करते हैं। वे कहते हैं कि किसी निबन्धन (प्रासंगिक तथ्य) के लिए श्लिष्ट शब्द का प्रयोग तो गुण है, किंतु बिना किसी निबन्धन के ऐसा प्रयोग दोष है। "शब्दश्लेष का प्रयोग वहाँ होना चाहिए, जहाँ अर्थाभिव्यक्ति दोनों स्थानों पर होती हो, अन्यथा कवि के द्वारा प्रयुक्त श्लेष व्यर्थ है। जहाँ कहीं दूसरे अर्थ की प्रतीति कराने में कोई कारण विशेष न हो, वहाँ श्लेष का प्रयोग काव्य के क्लेश के ही लिए है।"^२ माघ के

अपरिमित प्रांति उत्पन्न करें। (२) उचित समय में दूध देकर गायें प्रजा की आनन्द देती हैं। वे सुषुप्त चरने के लिए जगत् में दिशा दिशा में घूमर जाती हैं आर नाम को घूर लौट आती हैं। समार के अत्यधिक दुःखा के भय का पार करने में ये नाचों के सदृश हैं। ये गायें आपकी प्रांति उत्पन्न करें।

१. इत्यत्र तु गोशब्दस्यानेकार्थत्वेऽप्राकरणिकाधान्तरप्रतिभोत्पत्तौ न किञ्चिन्नियन्धनमवधारयाम् ।

— व्यक्तिविवेक, नृत्तीय विमर्श पृ० १०० (शिबेंद्रन स०)

२. उभयप्राप्यभिव्यस्ये घान्य किञ्चिन्नियन्धनम् ।

अन्वधा व्यर्थं पद्य स्याच्छ्लेषवन्धोपमं कवेः ॥ ९४ ॥

तस्मादर्थान्तरव्यक्तिहेतौ कस्मिन्ना नामति

च. श्लेषवन्धनियन्ध. क्लेशार्थेयं कवेरर्था ॥ ९९ ॥

(व्यक्तिविवेक २, ९४, ९९)

प्रसिद्ध पद्य “आच्छादितायत”^१ आदि में ध्वनिवादी शब्दशक्तिमूलक ध्वनि तथा शाब्दी व्यंजना मानता है, पर महिम भट्ट यहाँ दोष मानते हैं।^२ ठीक इसी तरह “दत्तानन्दाः प्रजानां” आदि पद्य में भी वे “वाच्यस्य अवचनं” दोष मानते हैं। ‘वाच्यस्य अवचनं’ दोष वहाँ माना जाता है, जहाँ किसी कहने योग्य बात को न कहा जाय। श्लिष्ट प्रयोग में उस प्रकार के प्रयोग का निवन्धन आवश्यक है। निवन्धन के निर्देशाभाव में यहाँ यह दोष माना जायगा।

ऐसे स्थानों पर दूसरे अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति ही नहीं होती, ऐसा कहना ठीक नहीं। वस्तुतः ऐसे स्थलों में प्रतीति होती ही है। साथ ही महिम भट्ट की भाँति ऐसे स्थानों पर महिम भट्ट के मत श्लिष्टप्रयोग का कोई कारण न मानना भी का खण्डन अनुचित है। वस्तुतः इन श्लिष्ट शब्दों के प्रयोगों का कारण उपमा आदि साम्यमूलक अलंकार की व्यंजना कराना होता। प्रतीयमान अलंकार की महत्ता को तो स्वयं महिम भट्ट भी मानते हैं। यह दूसरी बात है कि वे व्यंजना शक्ति को

१. आच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकैर्गा

माक्रम्य संस्थितमुद्ग्रविशालशृङ्गम् ।

मूर्ध्नि स्वनत्तुहिनदीधितिकोटिमेन

सुद्वीक्ष्य को भुवि न विस्मयते नगेशम् ॥

(माघ, ४ सर्ग)

(१) यह रैवतक पर्वत पृथ्वी से आकाश तक दिशाओं में व्याप्त हो रहा है। इसकी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। यह हृत्तमा ऊँचा है कि चन्द्रमा इसके मस्तक पर सुशोभित प्रतीत होता है। इस पर्वत को देख कर पृथ्वी पर कौन विस्मित नहीं होता ?

(२) दिगम्बर शिव, बड़े बड़े सींगों वाले ऊँचे ढ़ैल पर बैठते हैं। उनके मिर पर चन्द्रमा सुशोभित रहता है। पर्वत के स्वामी शिव को देखकर कौन व्यक्ति विस्मित नहीं होता ?

२. अत्र ह्यावृत्तिनिवन्धन न किंचिदुक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन दोष ।

—व्य० त्रि० द्वितीयविमर्श पृ० ९९

(त्रिवे० स०)

स्वीकार नहीं करते । अलंकारों का विवेचन करते समय एक स्थान पर महिम भट्ट कहते हैं कि वाच्य अर्थ उतना चमत्कारक नहीं होता जितना प्रतीयमान अर्थ ।^१ यहाँ प्रतीयमान से महिम भट्ट का तात्पर्य अनुमेय से है । वैसे है यह व्यजनावादियों का व्यंग्यार्थ ही, केवल नाम का भेद है । 'साहित्यिकों को प्रतीयमान अर्थ में वाच्य की अपेक्षा विशेष आम्वाद्य प्राप्त होता है । अतः साम्यमूलक अलंकारों में रूपकादि विशेष अच्छे हैं, उपमा इतनी अच्छी नहीं ।'^२ किंतु उपर्युक्त पद्यों में प्रतीत उपमा तो वाच्य है ही नहीं, व्यंग्य है, अतः इस प्रतीयमान उपमा की महत्ता, पता नहीं, महिम भट्ट क्यों स्वीकार नहीं करते ? सम्भव है, ऐसे प्रकरणों में उनका अनुमान प्रमाण काम न कर सका हो, तथा डमीलिए ऐसे स्थलों में दोष बताकर छूटना उन्होंने सरल समझा हो । श्लिष्ट प्रयोगों के आधार पर, इन्हे हेतु मानकर दूसरे अप्राकरणीक अर्थ (प्रतीयमान अर्थ) को अनुमेय सिद्ध करने में एक दोष दिखाई पड़ता था । ये हेतु स्पष्ट रूप से 'अनैकान्तिक' हैं । अतः महिम भट्ट के पास ऐसे स्थलों में प्रतीयमान अर्थ को अस्वीकार करने के अलावा कोई चारा न था ।

महिम भट्ट भी भौति इन पद्यों में दूसरे अर्थ प्रतीति का निषेध करने वाले लोगों का आइ० ए० रिचर्ड्स के शब्दों में हम यहाँ उत्तर दे सकते हैं:—

"कवि अपने वर्णनों में तोड़ मरोड़ कर सकता है । वह ऐसे वर्णन कर सकता है, जो तार्किक दृष्टि ने वर्ण्य विषय ने कोई संबंध न रखते हों । वह लाक्षणिकता तथा अन्य प्रणाली के द्वारा भावों के लिए ऐसे विषयों को प्रकाशित कर सकता है, जो तार्किक दृष्टि से सर्वथा असंगत हों । वह तार्किक असंगति का समावेश कर सकता है, चाहे वह तार्किक दृष्टि से इतनी अधिक साधारण तथा मूर्च्छतापूर्ण हो, जितनी कि हों

१. वाच्यो ह्यर्थो न तथा स्वयमेव, यथा स एव प्रतीयमान ।

—पद्यं पृ० ०३

२. वाच्यान् प्रतीयमानोऽध्वंमहिदा स्वयमेवऽधिकम् ।

रूपरादितः भेषानल्लक्षानेषु, गोपना ॥ (२, ३९)

—पद्यं, पृ० ७:

सकती है। इनका प्रयोग वह अपनी वाणी को अन्य प्रक्रियाओं के लिए, भाव बोध को व्यक्त करने के लिए, अथवा स्वर (काकु) की मगति बिटाने के लिए, या अपनी अन्य अभिव्यंजना को अप्रसर करने के लिए कर सकता है। यदि इन लक्ष्यों में उसकी सफलता प्रमाणरूप में विद्यमान है, तो फिर कोई भी पाठक उसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता।”^१

शाब्दी अभिधामूला व्यंजना तथा इस पर आधृत शब्दशक्तिमूलक ध्वनि पर कई वाद विवाद हुए हैं। हम देख चुके हैं महिमभट्ट, अप्पय दीक्षित आदि इसके पक्ष में नहीं हैं।^२ इसलिए यह आवश्यक है कि

१ “A poet may distort his statement, he may make statements which have logically nothing to do with the subject under treatment; he may by metaphor and otherwise, present objects for thought which are logically quite irrelevant, he may perpetrate logical nonsense, be as trivial and as silly, logically, as it is possible to be, all in the interests of the other functions of his language—to express feeling or adjust tone or further his other intention. If his success in these other aims justify him, no reader can validly say anything against him.”

—Practical Criticism PP. 187-88

२. प्रो० कान्तानाथ शास्त्री तैलंग ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ५३ अंक १-२ में प्रकाशित लेख “व्यंजना अर्थ का व्यापार है, शब्द का नहीं” में शाब्दी अभिधामूला व्यंजना का निषेध किया है। वे प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक दोनों ही अर्थों की उपस्थिति अभिधा से ही मानते हैं। उनके मतानुसार अप्राकरणिक अर्थ प्रतीति अभिधा से होने के बाद, प्राकरणिक अप्राकरणिक के जिस उपमानोपमेय भाव की प्रतीति होती है, उस अलंकाराशमात्र में ही व्यंजना है, वस्तु में नहीं।

हम ध्वनिकार से लेकर पण्डितराज तक शाब्दी अभिधामूला व्यंजना के पक्ष में, जो मन रहे हैं, उनका पर्यालोचन कर ले ।

शाब्दी अभिधामूला व्यंजना तथा उस पर आधृत शब्दशक्तिमूलक ध्वनि पर ध्वनिकार ने कारिका में यह बताया है, कि जहाँ शब्द की शक्ति के द्वारा वस्तु के साथ ही अलंकार भी शाब्दी अभिधामूला व्यंजना और ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन प्रतीत हो रहा हो तथा वह अलंकार शब्द के द्वारा वाच्यरूप में प्रतीत न हो, वहाँ शब्द-शक्तिमूलक ध्वनि होती है । इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि ध्वनिकार उन स्थलों पर जहाँ प्राकरणिक वाच्य अर्थ के प्रतीत हो जाने पर भा श्लिष्ट शब्द की महिमा के कारण अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति अलंकार रूप में हो, शब्द-शक्तिमूलक ध्वनि मानते हैं । यहाँ ध्वनिकार एवं वृत्तिकार आनन्दवर्धन इस बात पर जोर देते दिखाई देते हैं कि जहाँ अलंकार व्यंजित होगा, उन्हीं श्लिष्ट प्रयोगों में शब्दशक्तिमूलक ध्वनि हो सकेगी । यदि प्राकरणिक वाच्यार्थ के बाद प्रतीत अप्राकरणिक अर्थ वस्तुमात्र है, अलंकार नहीं, तो वहाँ व्यंजना तथा ध्वनि न होकर, कोरा श्लेष ही माना जायगा । ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन ने इन्हीं संबंध में दो तीन पद्य देकर उनमें श्लेष सिद्ध किया है तथा वहाँ व्यंजना का निषेध किया है । शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि का उदाहरण, जो आनन्दवर्धन ने दिया है, वह यह है—

अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजृम्भन ग्रीष्माभिधानः फुल्लम-
मल्लिका धवलाट्टहासा महाकालः ।

यह वाक्य के हर्षचरित में ग्रीष्मवर्णन के अवसर पर कहा गया वाक्य है । यहाँ श्लिष्ट शब्दों की महिमा के कारण ग्रीष्म के प्राकरणिक अर्थ के बाद भगवान् महाकाल के अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति हो

१. आश्लिष्य पञ्चालद्वारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।

यस्मिन्नुक्त शब्देन शब्दशक्त्युद्भवत्वात् हि मः ॥ (२, २१)

यन्नाटलद्वारो न वस्तुमात्रं यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते स शब्द-
शक्त्युद्भवो ध्वनिरिच्छन्नाकं विवक्षितम् । यन्मुद्रये च शब्दशक्त्या प्रकाशमाने
श्लेषः ।

—ध्वन्यालोचः पृ० २३७ (चौ० सं० मी०)

रही है, तथा उन दोनों के उपमानोपमेय भाव मान लेने पर रूपक या उपमा अलंकार भी व्यंजित हो रहा है। इस वाक्य का अर्थ हम यों कर सकते हैं:—

(प्राकरणािक वाच्यार्थ)—इसी बीच में वसंतऋतु को समाप्त करते हुए फुलमल्लिका रूपी धवल अट्टहास वाला भयानक समय—ग्रीष्मऋतु आरंभ होने लगा (जँभाई लेने लगा)।

(अप्राकरणािक अर्थ)—फुलमल्लिका के सदृश धवल अट्टहास वाला महाकाल जँभाई लेने लगा।

(व्यंग्य अलंकार)—ग्रीष्मऋतु रूपी महाकाल जँभाई लेने लगा।

इसीका दूसरा प्राकरणािक अर्थ यह भी हो सकता है:—“इसी बीच में वसंतऋतु के दोनों महीनों को समाप्त करते हुए, फुलमल्लिका के कारण श्वेत एवं मनोहर बाजारों के विकास वाला, ग्रीष्म नाम का महा समय आरंभ हुआ”। यहाँ व्यंग्य अलंकार रूप में “महाकाल (देवता विशेष) के समान महाकाल (ग्रीष्म का भयकर समय)” यह प्रतीति भी हो सकती है। इस प्रकार पहले ढंग से रूपक अलंकार (ग्रीष्म एव महाकालः) व्यंजित होता है, तथा दूसरे में उपमा (महाकाल इव महाकालः)।

इस वाक्य के तत्तत् श्लिष्ट पदों की अपनी-अपनी अभिधाशक्ति ग्रीष्मऋतु वाले प्राकरणािक अर्थ में नियंत्रित हो जाती है। तदनंतर प्रतीति महाकाल (देवता) विषयक अप्राकरणािक अर्थ तथा अलंकार की प्रतीति व्यजना या ध्वननव्यापार से ही होती है, यही ध्वनिसिद्धांतियों का आकृत है।

इसी प्रसंग में अभिवनगुप्त ने ‘लोचन’ में शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के हर्षचरित वाले उपर्युद्धृत उदाहरण में दूसरे अर्थ को व्यजना-वृत्ति गम्य ही माना है। वे कहते हैं, “इस वाक्य में

शब्दशक्तिमूलक ध्वनि अभिधाशक्ति ऋतुवर्णन में ही नियंत्रित हो के विषय में अभिनवगुप्त जाती है। क्योंकि वही प्राकरणािक अर्थ है, का मत इसलिए यहाँ “रूढि याग से बलवती होती है”

(रूढिर्योगाद् बलीयसी) यह नियम ठीक नहीं बैठ पाता। यद्यपि महाकाल का रूढ्यर्थ देवताविषयक है, ऋतु-विषयक अर्थ यौगिक है, तथापि ऋतु वर्णन के प्रसंग में हमें यौगिक

अर्थ ही लेना पड़ता है । इस तरह इस उदाहरण में रूढि का अपलाप हो जाता है । अभिधाशक्ति तो प्राम्भवणन तक ही सीमित रह जाती है । उसके बाद देवताविषयक अर्थ की प्रतीति शब्दशक्तिमूलक ध्वनन-व्यापार या शाब्दी व्यजना से ही होती है ।^१

यहाँ अभिनवगुप्त के मत में एक नई कल्पना दिव्याई देती है । ध्वनिकार तथा श्रान्तवर्धन व्यंग्य अलंकार को शाब्दी व्यंजना का विषय मानते हैं । अभिनवगुप्त अप्रकारणिक अर्थ तथा अलंकार दोनों की प्रतीति व्यजना से मानते हैं । श्रान्तवर्धन तथा अभिनवगुप्त के बीच के समय में इस विषय पर काफी विचार हुआ होगा । अभिनवगुप्त ने अपने पूर्व प्रचलित चार मतों का उल्लेख किया है, जो विभिन्न सरणि का आश्रय लेकर इन श्रिष्ट काव्यों में व्यंजना मानते थे । इन चारों मतों का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक होगा:—

(१) प्रथम मत — श्रिष्ट शब्दों के दो या अधिक अर्थ होते ही हैं । यद्यपि किसी प्रस्तुत पद्य में उनका प्रयोग किसी एक ही प्राकरणिक अर्थ के लिए हुआ है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उन शब्दों का प्रयोग पहले अन्य अर्थ में भी देखा या सुना है, अन्य अर्थ की भी प्रतीति अवश्य होगी । पर अभिधाशक्ति तो प्राकरणिक अर्थ तक ही रह जाती है । अतः द्वितीय (अप्राकरणिक) अर्थ वाच्य नहीं होकर व्यंग्य होगा ।^२ पर इस मत में एक दोष है कि व्यंग्यार्थ प्रतीति उसी व्यक्ति को होती है, जिसने दूसरे अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग देखा है । वस्तुतः व्यंग्यार्थ की प्रतीति का साधन तो 'सहृदयत्व' है ।

१ अथ अनुवर्णनप्रस्तावनियन्त्रिताभिधानाक्तयः, अतएव 'अयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिर्वायमा' इति न्यायमपाकुर्वन्तो महाकाव्यप्रवृत्तयः शब्दा एनमेवार्थमभिधाय कृतकृत्या एव । तदनन्तरमर्थायगतिर्ध्वननव्यापारादिव शब्दशक्तिमूलत्वं ।

—लोचन, पृ० २४१

२. अथ केचिन्मन्यन्ते—यत एतेषां शब्दानां पूर्वमर्थान्तरेऽभिधान्तरे दृष्ट तमन्वधाविषेऽर्थान्तरे दृष्टमन्वभिधानाकारेण प्रसिद्धानुनियन्त्रिताभिधानाकि-
रेभ्य एतेभ्यः प्रतिवर्तिष्वनन-व्यापारादयेति शब्दशक्तिमूलत्वं व्यङ्ग्यार्थं
योग्यविरहम् इति ।

—ग्रहो पृ० २४२

(२) द्वितीय मतः—शब्द के श्लिष्ट प्रयोग के कारण अप्रासंगिक या अप्राकरणिक (महाकाल देवता विषयक) अर्थ की प्रतीति भी होती तो अभिधा से ही है, किंतु फिर भी किसी कारण से उसे अभिधा न कह कर (उपचार से) व्यजना कहा जाता है । हम देखते हैं कि ऐसे स्थलों में प्रायः कोई न कोई अलंकार व्यंजित होता है । उपर्युद्धृत उदाहरण में ग्रीष्मऋतु तथा महाकाल का सादृश्य प्रतीत होता है । द्वितीयार्थ की उपस्थापक दूसरी अभिधा इस अलंकार रूप व्यंग्य का सहकारी कारण है, उसके बिना (ऐसे स्थलों में) व्यंग्य की प्रतीति न हो सकेगी, अतः उसे भी व्यजना या ध्वननव्यापाररूप मान लिया जाता है ।^१ इस मत के उपस्थापक अभिधा को ही (उपचार से) व्यंजना मान लेते हैं ।

(३) तृतीय मतः—हम देखते हैं कि शब्द श्लेष में शब्द का प्रयोग काव्य में एक ही बार होता है, किंतु शब्द के भेद के कारण दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है । ठीक इसी तरह अर्थ श्लेष में भी दूसरा अर्थ देखकर शक्ति भेद के आधार पर दूसरा शब्द मानना पड़ता है । यह कल्पना कदाचित् अभिधा व्यापार के ही कारण होती है । उदाहरण के लिए कोई पूछे “कौनसा घोड़ा दौड़ रहा है—सफेद या काला” और उत्तरदाता कहे कि “सफेद दौड़ रहा है” (श्वेतो धावति), तो यहाँ प्रश्न तो दो हैं, किंतु इसी उत्तर से “काला नहीं दौड़ रहा है” यह अपने आप समझ में आ जाता है । यहाँ यह अर्थ उपात्त शब्द के बिना ही प्रतीत हो रहा है, किंतु यह व्यंग्यार्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चमत्कार नहीं है । वस्तुतः यहाँ वाच्यार्थ ही है तथा अभिधाशक्ति के बल पर ही दूसरे शब्द की कल्पना की जाती है । ठीक इसी तरह शब्दशक्तिमूलक ध्वनि (अभिधामूला शाब्दी व्यजना) में भी द्वितीयार्थ के कारण दूसरे शब्द की कल्पना की जाती है । ऐसी दशा में इस कल्पित शब्द से अप्राकरणिक अर्थ की वाच्यार्थ रूप में ही प्रतीति होती है । तदनन्तर प्रतीयमान अलंकार के व्यंग्यत्व के कारण होने से उसे भी

१. अन्ये तु—साभिधैव द्वितीया अर्थसामर्थ्यं ग्रीष्मस्य भीषणदेवता-विशेषसादृश्यात्मक सहकारित्वेन यत्।ऽवलम्बते तत्ता ध्वननव्यापाररूपाच्यते ।

व्यंग्यार्थ मानना ठीक होगा ।^१ इन मन में द्वितीय अर्थ की उपस्थापक हैं तो अभिधा ही, किंतु उस अर्थ को (उपचार से) व्यंग्यार्थ मानकर उस वृत्ति को भी व्यञ्जना मान लेते हैं ।

(४) चतुर्थ मतः—द्वितीय मत की व्याख्या में बताया गया है कि व्याख्यात अर्थ के सामर्थ्य में द्वितीय अभिधा उत्पन्न होती है । उसमें प्रतीत द्वितीय अर्थ व्यंग्य कभी नहीं हो सकता । द्वितीय अर्थ की प्रतीति के बाद प्रथम प्राकरणिक अर्थ के साथ उसकी रूपणा की जाती है । यह रूपणा किसी अन्य शब्द से अभिहित तो होती नहीं । अतः इस रूपणा में व्यंग्यत्व माना जायगा । इस अलंकारांश में अभिधाशक्ति की आशंका ही नहीं हो सकती । इस व्यंग्यार्थ प्रतीति का कारण द्वितीय शब्दशक्ति (अभिधा) ही है । उसके बिना रूपणा पैदा ही न हो सकेगी । इसलिए इन्हीं शब्दशक्तिमूलक अलंकार ध्वनि कहना ठीक होगा ।^२ यह मत दूसरे अर्थ की प्रतीति अभिधा में ही मानता है, वह व्यञ्जना को केवल अलंकारांश का साधन मानता है ।

अभिनवगुप्त को ये चारों मत पसंद नहीं । वे द्वितीय अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति भी व्यञ्जना से मानते हैं । अलंकारांश में तो व्यञ्जना है ही, इसे सभी मानते हैं ।

१. एके तु—शब्दरूपे तावद्भेदे मति शब्दस्य, अर्थरूपेऽपि शक्तिभेदा-
च्छब्दभेद इति दर्शने द्वितीयः शब्दस्तत्रानायते । स च कदाचिदभिधा-
ग्यापारात् यथाभयोरत्तरदानाय श्वेतो धावति इति प्रश्नोत्तरार्थं वा तत्र
षाष्कारंकारता । यद्य तु ध्वननग्यापारादय शब्द भागीतः, तत्र शब्दान्तर-
पलादपि तदर्थान्तरं प्रतिपन्नं प्रतीयमानमूलकारप्रतीयमानमेव युक्तम् इति ।

—वही पृ० २४२-३

२. इतरे तु—द्वितीयपदव्याख्याने यदर्थमानर्थं तेन द्वितीयाभिधेय
प्रतिप्रसूयते, तदेष द्वितीयोऽर्थोऽभिधीयते एव न ध्वनयते, तदनन्तर तु तस्य
द्वितीयोऽर्थस्य प्रतिपन्नस्य प्रथमार्थेन प्राकरणिकेन नात्र वा व्यञ्जना वा तावद्भा-
र्येण, न ध्वनयते शब्दादिति वा ध्वननग्यापारात् । तत्राभिधानार्थः कस्या-
द्विषयव्यञ्जनादर्थावधारणं तस्या च द्वितीया शब्दशक्तिर्मुक्तम् । नत्रा ध्वनि
रूपणाया अनुपपत्ता । अतश्चाहंकारध्वनिये मिति युक्तम् ।

—वही पृ० २४३

अभिनवगुप्त का मत पूर्णतः स्पष्ट न होते हुए भी इस बात का संकेत करता है कि वे वस्तुरूप द्वितीय अप्राकरणिक अर्थ में भी व्यंजना व्यापार मानते हैं। संभवतः अभिनवगुप्त का इस विषय में मम्मट यह मत शिष्यपरंपरा से मौखिक रूप में चलता का मत रहा, और इसका प्रकट रूप मम्मट में जाकर दिखाई पड़ता है। ध्वनिकार तथा आनंदवर्धन ने शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का कोई वर्गीकरण नहीं किया है, न अभिनवगुप्त ने ही। पर मम्मट इसके स्पष्टतः दो भेद मानते हैं:—(१) अलंकाररूप, (२) वस्तुरूप। अब तक के मतों में हमने देखा कि वे लोग अलंकाराश की व्यंजना होने पर ही ध्वनि मानते हैं, अन्यथा वहाँ श्लेष मानते जान पड़ते हैं। किंतु मम्मट उस वस्तु को भी ध्वनि का क्षेत्र मानते हैं, जहाँ श्लेष प्रयोग से अप्राकरणिक वस्तुरूप अर्थ की व्यंजना हो।^१ अलंकाररूप शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के हम मूलग्रथ तथा पादटिप्पणी में दो तीन उदाहरण दे चुके हैं। यहाँ मम्मट के वस्तुरूप शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का उदाहरण ले ले।

पन्थिअ ण एत्थ सत्थर मत्थि मणं पत्थरत्थले गामे ।

ऊणअ पञ्चोहरं पेक्खिऊण जइ वससि ता वससु ॥^२

यह एक स्वयंदूती की उक्ति है। कोई राहगीर गांव के पास से निकला है। स्वयंदूती उसे अपनी ओर आकृष्ट करती हुई उपभोग के लिए निमंत्रित कर रही है। 'अरे बटोही, यह हमारा गाँव पत्थरों से भरा हुआ है, यहाँ की जमीन पथरीली है। इस गाँव में तुम्हें बिछाने के लिए कोई आस्तरण (स्रस्तर) तो मिलेगा नहीं। पर फिर भी आकाश में घिरे बादलों को देखकर (तथा मेरे उन्नत वक्षस्थल को देखकर) अगर यहाँ रात काटना चाहो तो मजे से काट सकते हो।'

१. अलंकारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद्यत्रावभासते ।

प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विधा ॥ (५-३९)

वस्त्वेवेत्यनलंकारं वस्तुमात्रम् । —काव्यप्रकाश पृ० १३४ ३५

२. पथिक नास्ति स्रस्तर मत्र मनावप्रस्तरस्थले ग्रामे ।

उन्नतपयोधर दृष्ट्वा यदि वससि तदा वस ॥

इसी का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है। अरे इस गॉव में तो सब पत्थर (मूर्त्त लोग) ही रहते हैं। चहाँ कोई शान्त्रमर्थादा भी नहीं है। इन सब घातों को ध्यान में रखकर तुम रहना चाहो तो रहो। तुम्हारा स्वागत है।

यहाँ 'पयोधर' शब्द में शाब्दी अभिधामूला व्यञ्जना है। यह द्वितीयार्थ—वक्षःस्थलरूप अर्थ, जो वस्तु रूप है, व्यञ्जना से ही प्रतीत होता है।

जो लोग शाब्दी अभिधामूला व्यञ्जना केवल अलंकारांग में मानते हैं, वे मम्मट के इस मत का विरोध करेंगे तथा यहाँ उल्लेख मानेंगे। किंतु यहाँ व्यञ्जना मानना ही ठीक होगा। क्योंकि इस द्वितीय अर्थ की उपस्थिति सब को न होकर केवल सद्गद्य को होगी।

विश्वनाथ का मत मम्मट से ही प्रभावित है। वे भी मम्मट की भाँति शब्दशक्तिमूलक ध्वनि दो तरह की मानते हैं।^१ अलंकाररूप व्यंग्यार्थ में वे अप्राकरणािक अर्थ की प्रतीति विश्वनाथ का व्यञ्जना से मानते हैं।^२ वस्तुरूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति में विश्वनाथ मम्मट की ही भाँति व्यञ्जना व्यापार मानते हैं। मम्मट के द्वारा उद्धृत उपर्युक्त उदाहरण को लेकर वे वहाँ शब्दशक्तिमूलक ध्वनि मानते हैं। विश्वनाथ के मत में उनकी कोई नई सूझ नहीं है, न कोई वैधानिक विचार ही पाया जाता है। वस्तुतः विश्वनाथ के पास कवि का हृदय था, दार्शनिक पंडित का नहीं।

१. वरप्रलंकाररूपवाच्यशब्दशक्तिमूलक द्विधा ॥

—मा० ६० पद्य परि० पृ० ३२८

२. "दुर्गात्तुनविप्रहो" भाट्टि पद्य में वे गौरीवदन (महादेव) रूप अप्राकरणािक अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना से मानने हुए कहते हैं.—"व्यञ्जनार्थं गौरीगणभक्त्योऽर्थो चोच्यते ।" एम पद्य का मूट तथा अनुमाट पृ० १६७ की पाद टिप्पणी में देखिये ।

मम्मट की भाँति ही पंडितराज भी शब्दशक्तिमूलक ध्वनि दो तरह का मानते हैं, एक अलंकाररूप, दूसरा वस्तुरूप ।^१ अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना के विषय में पंडितराज ने जो दार्शनिक पंडितराज जगन्नाथ विवेचना की है, वह मम्मटाचार्य या विश्वनाथ का मत में नहीं मिलती । पंडितराज जगन्नाथ की शैली की एक विशेषता है । उनकी शैली व्यास प्रणाली का आश्रय लेती है । परिभाषा आदि निबद्ध करते समय वे उसमें अधिकता, न्यूनता, या संग्रिधता नहीं रहने देते । परिभाषा में ही नहीं, किसी मत को स्पष्ट करते समय भी पंडितराज प्रत्येक ग्रंथि को सुलझा कर रख देते हैं । पंडितराज की शैली नव्यन्याय का आश्रय लेने के कारण आपाततः क्लिष्ट प्रतीत हो, किंतु ध्वन्यालोक तथा काव्य-प्रकाश की भाँति जटिल तथा श्लिष्ट नहीं है । मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश में स्थान-स्थान पर सूत्रशैली (समास-शैली) का प्रयोग किया है । अतः काव्यप्रकाश के कई स्थलों में अध्येता को संदेह बना रहता है । मम्मटाचार्य अपने मत का संकेत भर देकर अध्येता को संदेह के आलवाल में फँसा कर आगे बढ़ जाते हैं । इसका यह तात्पर्य नहीं कि मम्मटाचार्य में अपने मत का प्रतिपादन नहीं मिलता । बात यह है कि वाग्देवता-वतार मम्मट जैसी शैली में बातें करते हैं, वह दार्शनिकों के लिए ही लिखी होती है । पंडितराज का युग संस्कृत साहित्य का वाद-युग था । जब किसी मत की घाल की खाल तक निकाल कर विरोधी पक्ष दोष का उद्घाटन किया करता था । ऐसे काल में शास्त्र विवेचना में स्पष्टता अपेक्षित थी । पंडितराज ने इसी प्रकार की स्पष्ट शैली का आश्रय लिया है । विश्वनाथ की पंडितराज के साथ तुलना भी करना सूर्य को दीपक दिखाना है । पंडितराज दार्शनिक पंडित तथा कवि दोनों हैं, विश्वनाथ केवल कवि । बल्कि कविता में भी वे पंडितराज की धरावरी नहीं कर सकते । विश्वनाथ ने तो केवल साहित्य शास्त्र में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए 'दर्पण' दिखा दिया है । उनमें न तो काव्यप्रकाश जैसी गहनता व गंभीरता ही है, न पंडितराज जैसी दार्शनिक उद्भावना ही । फलतः शास्त्रीय दृष्टि से रसगंगाधर का एक महत्त्व है, जिसे कोई भी साहित्य शास्त्र का ग्रंथ आच्छादित नहीं कर पाता ।

रत्नगंगाधर के द्वितीय आनन के आरंभ में ही पंडितराज के समक्ष शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का प्राकरणात्मक अप्राकरणात्मक अर्थ वाला शब्द उपस्थित होता है। हम देख चुके हैं अब तक सभी ध्वनिवादी अप्राकरणात्मक अर्थ की प्रतीति व्यञ्जनाव्यापार में मानते हैं। पर व्यञ्जनाव्यापार तक पहुंचने के पहले उन्हें किन किन प्रक्रिया का आशय लेना पड़ना है, इस विषय में व्यञ्जनाव्यापारियों में भी मतवैभिन्न्य देखा जाता है। अभिनवगुप्त के द्वारा उद्धृत व्यञ्जनाव्यापारियों के चार मत हमने देखे। पंडितराज के समय भी व्यञ्जनाव्यापारियों में यह मतवैभिन्न्य था। पंडितराज इस अप्राकरणात्मक अर्थ की प्रतीति के विषय में हमारे सामने तीन मत रखते हैं। अंतिम (तीसरा) मत पंडितराज को मान्य है। व्यञ्जनाव्यापारियों के पहले दो मतों को पंडितराज ने पूर्वपक्ष के रूप में उपन्यस्त किया है, तथा तृतीय मत में इन दोनों का युक्तिपूर्वक संकटन मिलना है। पहले हम दोनों पूर्वपक्षी मतों का वर्णन कर तीसरे मत के अंतर्गत पंडितराज की प्रतिष्ठापना का विश्लेषण करेंगे।

(१) प्रथम मतः—जब हम किसी नानार्थक शब्द वाले वाक्य को सुनते हैं, तो वाक्य सुनते ही, तत् तत् शब्द के अनेकार्थक होने के कारण हम इस संदेह में पड़ जाते हैं कि वक्ता का तात्पर्य यहाँ किस अर्थ-विशेष में है। नानार्थक शब्द में तो सभी अर्थों में समान रूप से संकेत-ग्रह है। ('हरि' कहने पर इस शब्द का विष्णु, इन्द्र, चंद्र, घोड़ा सभी में एक-सा संकेतग्रह है, सभी में सुन्यावृत्ति दिखाई पड़ती है।) उस लिए अनेकार्थक शब्द के सुनते ही सारे ही संकेतित अर्थों की (मानसिक) उपस्थिति श्रोता को हो जानी है। यही कारण है कि वह प्रथम क्षण में, यह निश्चय नहीं कर पाता कि वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है। श्रोता जब प्रकरणादि का पर्यालोचन करता है, तो उसे एक तात्पर्य का निश्चय हो जाता है। इस तात्पर्य निश्चय के बाद उसी अर्थ को विषय बनाकर वाक्य के पदों की अर्थ प्रतीति होती है; तदनंतर अन्वित रूप में अर्थ—प्राकरणात्मक अर्थ—की प्रतीति होती है। इस प्रकार अप्राकरणात्मक (दूसरे) अर्थ की प्रतीति, उससे संकेतग्रह होने पर भी, इसलिए नहीं हो

१. जैसे माना जाने वाला शब्दों में "संशय ले भावो" तो श्रोता का प्रकरण के कारण सैमा नमक वाले तात्पर्य का निश्चय हो जाना।

पाती कि प्रकरणादि ज्ञान तथा उस पर आधृत तात्पर्य निर्णय इस दूसरे अर्थ को उसी क्षण में प्रतीत होने से रोक देते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थ की प्रतीति में प्रकरणादि ज्ञान तथा तदधीन तात्पर्य निर्णय ये दोनों प्रतिबंधक बन जाते हैं। अगर प्रतिबंधक को कल्पना न मानी जायगी, तो अनेकार्थ शब्दों में अनेक विषयों की एक साथ प्रतीति का दोष उपस्थित होगा, जो अनुभव से विरुद्ध पड़ता है। प्रत्येक वाक्य से एक ही शाब्दबोध होना चाहिए, अनेक नहीं।^१

‘तात्पर्य के विषय में संदेह होना’ वह पहली शर्त है, जिसका उल्लेख भर्तृहरि की पूर्वोदाहृत कारिका में किया गया है। पहले मत वाला पूर्व-पक्षी अपने मत की पुष्टि में बताता है कि भर्तृहरि की कारिका में “अनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः” इस बात पर जोर देता है कि तात्पर्य के विषय में संदेह होने पर (अनवच्छेदे) एक अर्थ विशेष की स्मृति होगी, अर्थात् प्रकरणादि के कारण एक मात्र अर्थ की (मानसिक) प्रतीति होगी, और ये प्रकरणादि उस विशेष स्मृति के कारण हैं (विशेषस्मृतिहेतवः)। इसप्रकार जब कोई व्यक्ति सुगंधित मांस खाने वाले व्यक्ति से कहे “सुरभिमांसं भक्षयति” (आप सुगंधित मांस खाते हैं, आप गोमांस खाते हैं), तो प्रकरणादि ज्ञान के कारण विशेष स्मृति सुगंधित मांस वाले अर्थ में ही होगी। गाय वाले अर्थ की उपस्थिति मुख्या वृत्ति (अभिधा) से नहीं हो पाती। पर वह अर्थ प्रतीत अवश्य होता है। अतः उस अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति में व्यञ्जनाव्यापार मानना आवश्यक होगा।^२

१. तत्र केचिदाहुः । नानार्थस्य शब्दस्य सर्वेषु सकेतग्रहस्य तुल्यत्वाच्-
श्रुतमात्र एव तस्मिन् सकलानामर्थानामुपस्थितौ शब्दस्यास्य कस्मिन्नर्थे
सात्पर्यमिति संदेहे च सति प्रकरणादिक तात्पर्यनिर्णायकं पर्यालोचयत. पुरुषस्य
सति तन्निर्णये तदात्मकपदज्ञानताजाताया एकार्थमात्रविषयाया पुरः पदार्थो-
पस्थिते रनन्तर मन्वयबोध इति नये द्वितीयाया. पदार्थोपस्थितेः प्राथमिक्या
इव न कुतो नानार्थगोचरतेति प्रकरणादिज्ञानस्य तदधीनतात्पर्यनिर्णये वा
पदार्थोपस्थितौ प्रतिबन्धकत्व वाच्यम् । अन्यथा शाब्दबुद्धेरपि नानार्थं
विषयत्वापत्तिः ।

—रसगंगाधर पृ० १३५-३६

२. अतएवोक्त “अनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः” इति । अनवच्छेदे तात्पर्य-
संदेहे विशेषस्मृति रेकार्थमात्र विषयास्मृतिः । इत्थं च सुरभिमांस भक्षयती-

संभवतः इम विषय में अभिधावादी एक बात कहें । प्रथम प्राकर-
णिकरूप अर्थ की प्रतीति पहली अभिधाशक्ति से हो जाती है । तदनन्तर
दूसरे अप्राकरणिक अर्थ (गोमांन वाले अर्थ) की प्रतीति दूसरी
अभिधाशक्ति से हो जायगी । पर उनका यह दलील देना ठीक नहीं ।
यह दूसरी अभिधाशक्ति तभी तो काम कर सकती है, जब प्रकरणादि-
ज्ञान तथा तदधीनतात्पर्य निर्णय वाला प्रतिबंधक समाप्त हो । अगर
प्रतिबंधक न रहे तो प्राकरणिक अर्थ की तरह अप्राकरणिक अर्थ भी
अनेकार्थ शब्द के प्रयोग का विषय बन जायगा । अगर अभिधावादी
फिर यह दलील पेश करे कि प्रतिबंधक होने पर तो व्यंजना से भी
अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति न हो सकेगी, तो यह दलील गलत है ।
वस्तुतः जिस प्रमाण से व्यंजना का उल्लास होता है, उसी प्रमाण से
यह भी पता चल जाता है कि प्रकरणादिज्ञान व्यंजना से भिन्न शक्ति
(अभिधाशक्ति) से उत्पन्न अर्थोपस्थिति का ही प्रतिबंधक है । व्यंजना
से प्रतीत अर्थोपस्थिति का वह प्रतिबंधक नहीं है । अप्राकरणिक अर्थ
की सिद्धि के ही लिए तो व्यंजना व्यापार की अवतारणा की गई है ।

इम मत की ये विशेषतायें हैं:—

१ अनेकार्थक शब्द से अनेक अर्थ की प्रतीति होने पर तात्पर्य-
निर्णय में सदेह ।

२ प्रकरणादिज्ञान तथा तदधीन तात्पर्यनिर्णय के कारण अभिधा-
शक्ति के द्वारा प्राकरणिक अर्थ में विशेषस्मृति ।

३ तदनन्तर व्यजनाव्यापार के द्वारा अप्राकरणिक अर्थ का
उल्लास ।

त्यादेशोपपादजायमाना द्वितीया प्रतीतिर्भावसम्बन्धेनभावार्थस्य स्यादिति
तदुपस्थित्यर्थं स्वज्ञानव्यापारोऽन्युपेयः ।

—पृष्ठा १३६

१. अर्थव्यापारव्यापार प्राकरणादिज्ञानान्तर द्वितीया प्रतीति
द्वितीया प्रतीतिर्भावसम्बन्धेनभावार्थस्य स्यादिति चेत्, न स्यादेव, प्रकरणादिज्ञानस्य
प्रतिषेधकस्यानुपपत्त्या । अन्यथा प्राकरणादिज्ञानान्तर द्वितीया प्रतीतिर्भावसम्बन्धेन-
भावार्थस्य विषयस्य स्यात् । न च प्रकरणादिज्ञानस्य नास्ति तदधीनतात्पर्यनिर्णय-
सामान्य एव प्रतिषेधकस्यानुपपत्त्यापि तदधीनतात्पर्यनिर्णयस्य स्यात् ।

(२) द्वितीयमतः—जब हम कोई नानार्थक शब्द सुनते हैं, तो शाब्दबोध के लिए तात्पर्यज्ञान आवश्यक होता है। पर फिर भी प्रथम क्षण में ही अनेकार्थक शब्द से केवल एक ही अर्थ की प्रतीति होती है, यह कल्पना करना ठीक नहीं होगा। ऐसे शब्दों के श्रवण करने पर उसके सभी संकेतित अर्थों की उपस्थिति होती है। प्रथम क्षण में अनेकार्थप्रतीति होती ही है। तदनंतर तात्पर्यनिर्णय के कारणभूत प्रकरणादि के कारण वक्ता का जिस अर्थ में तात्पर्य होता है, उसी अर्थ में वाक्य से अन्वयबोध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले तो श्रोता को प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक दोनों अर्थों की प्रतीति होती है, तदनंतर प्रकरण के कारण अन्वयबोध प्राकरणिक अर्थ का ही हो पाता है, दूसरे अर्थ का नहीं। इस सरणि का आश्रय लेने पर सुगमता होती है। जो लोग एक ही अर्थ का स्मृति आवश्यक समझते हैं, तथा अप्राकरणिक अर्थ को रोकने के प्रतिबंधक की कल्पना करते हैं, उन लोगों की तरह इस मत में कोई लंबा मार्ग नहीं है। हम देख चुके हैं कि यह कल्पना प्रथम मत की है। द्वितीय मत के विद्वान् इस प्रकार की कल्पना का खण्डन करते हैं।^१

प्राकरणिक अर्थ की प्रतीति के बाद जिस अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ व्यंजना व्यापार ही माना जायगा। नानार्थक शब्दों के स्थल में प्रकरणादि के कारण तात्पर्यनिर्णय हो जाता है और शाब्दबोध प्राकरणिक अर्थ में ही होता है। फिर भी अतात्पर्यरूप अप्राकरणिक अर्थ की भी प्रतीति उसी शब्द से होती है। इस द्वितीयार्थ प्रतीति में व्यंजना के अतिरिक्त और व्यापार हो ही कैसे सकता है ?

धर्मिग्राहकमानेनाप्राकरणिकोपस्थापकतयैव तादृशव्यक्तेरुल्लासात्तदजन्योपस्थितिं प्रत्येव प्रकरणादिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनात् । व्यक्तिज्ञानस्योत्तेजकत्वकल्पनाद्वा ।

—रसगगाधर, पृ० १३६-३७

१. अपरे श्वाहुः—नानार्थशब्दजशाब्दबुद्धौ तात्पर्यनिर्णयहेतुतायाः अवश्यकल्प्यत्वात्प्रथम नानार्थशब्दादनेकार्थोपस्थानेऽपि प्रकरणादिभिस्तात्पर्यनिर्णयहेतुभिरुत्पादिते तस्मिन्यत्र तात्पर्यनिर्णयस्तस्यवार्थस्यान्वयबुद्धिर्जायते, नान्यस्येति सरणावाश्रीयमाणायां नैरुसात्रगोचरस्मृत्यपेक्षा, नाप्यपरार्थोपस्थानप्रतिबन्धकत्वकल्पनम् ।

—वही पृ० १३७

अभिधा तो यहाँ मानी ही नहीं जा सकती । क्योंकि अभिधा ने शाब्द-
बोध होने में तात्पर्यज्ञान कारण होता है, जब कि व्यंजना से प्रतीत
शाब्दबोध के लिए तात्पर्यज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती ।^१

पहले मत वाला यहाँ एक प्रश्न पूछ बैठना है । “इस प्रकार की
सरणि का आशय लेने पर प्राचीनों का “विशेषस्मृतिहेतवः” कैसे संगत
बैठ सकेगा ? क्योंकि तुम्हारी सरणि में तो शाब्दबुद्धि के लिए एकमात्र
अर्थ की स्मृति आवश्यक नहीं है । साथ ही भर्तृहरि की कारिका में
यह भी घटाया गया है कि संयोगादि के कारण अनेकार्थक शब्द की
अभिधा एक अर्थ में नियंत्रित हो जाती है । यह नियंत्रण तभी हो
सकता है, जब प्रकरणादिज्ञान प्रतिबंधक के रूप में मौजूद हो । तुम तो
प्रतिबंधक की कल्पना भी नहीं करते ता प्राचीनों के मत से तुम्हारे
मत की संगति कैसे बैठेगी ?” द्वितीय मत वाले इसका उत्तर यों देने
हैं—“विशेषस्मृतिहेतवः” का अर्थ हम यह लेते हैं कि उस वाक्य का
तात्पर्यनिर्णय विशेषविषयक होता है । ‘संयोगादि के द्वारा वाचकता के
नियंत्रण’ का अर्थ है ‘एकार्थमात्र विषयक तात्पर्य निर्णय के द्वारा
प्राकरणािक अर्थ के शाब्दबोध के अनुकूल स्थिति उत्पन्न करना ।’
इस प्रकार अवाच्यार्थ अतात्पर्यार्थ होगा । प्राचीनों के ग्रन्थ का यह
अर्थ करने से संगति बैठ जाती है ।

इसी संघ में एक और प्रश्न उठना है कि व्यंजनावार्दी श्लेष
शब्दों से अप्राकरणािक अर्थ की प्रतीति मानना है, पर प्राकरणािक अर्थ
बोध कराकर पदज्ञान तो शांत हो जाता है, फिर इस दूसरे अर्थ की
प्रतीति किस सरणि से होती है ? द्वितीय मत वाले इस प्रश्न का उत्तर
तीन तरह से देने हैं:—

(१) जिन अभिधा व्यापार ने प्रथम अर्थ की प्रतीति होती है,
वह उपस्थित ही रहता है । उसके संबंध में एक प्रकार से पदज्ञान भी

१ एव च प्रागुपदर्शितानानार्थस्यै प्रकरणादिज्ञानाधोनात्तात्पर्यनिर्णय
प्राकरणािकार्थोपचरतुर्वा तातावामनात्पर्यार्थविषयादि शाब्दबुद्धिजन्यनाशेव
पञ्चाज्जायमाना कस्य व्यापारस्य माप्यता माप्यवनाम्, इति व्यञ्जनात् ।
न च शक्तिमाप्या मेति यावदम् । तदधीनघोषं प्रति तात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वात् ।
व्यक्त्यधीनघोषस्य तात्पर्यतात्पर्यज्ञानमपेक्षते । —पहली, पृ० १३७

रहता ही है। उसी के सहारे व्यंजना अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति करा देगी।

(२) मुख्यार्थ प्रतीति के बाद चाहे पदज्ञान न रहता हो, पर पदों से प्राप्त शक्यार्थ (वाच्यार्थ) तो रहता ही है। उस मुख्यार्थ के साथ पदज्ञान भी विशेषण के रूप में बना रहता है। व्यंजना इसी से द्वितीय अर्थ का उपस्थापन कर देती है।

(३) आवृत्ति के कारण वे पद फिर से उपस्थित हो सकते हैं। तदनंतर आवृत्त पदों से व्यंजना अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति करा सकेगी।^१

(३) तृतीय मतः—तृतीय मत का प्रतिपादन करते समय पंडित-राज ने सर्वप्रथम उपर्युद्धत दोनों पूर्वपक्षों का खंडन किया है, तदनंतर अपने विचार प्रकट किये हैंः—

(अ) प्रथम मत का खंडनः—हम देखते हैं कि प्रथम मत वाले केवल प्राकरणिक अर्थ की ही स्मृति की कल्पना करते हैं, तथा प्रकरण-ज्ञानादि को अपरार्थ प्रतीति में प्रतिबंधक मानते हैं। पंडितराज इस मत को ठीक नहीं समझते। वे कहते हैं कि वाक्यार्थज्ञान के लिए एकार्थ-मात्रविषया पदार्थोपस्थिति को कारण मानना निःसार है। हमारे विपक्षी के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि नानार्थक शब्द से अनेक अर्थों की उपस्थिति होने पर भी प्रकरणादिज्ञान तथा तदधीन-तात्पर्य निर्णय के कारण केवल एक ही (प्राकरणिक) अर्थ का शाब्दबोध होता है। जब दूसरे अर्थ की उपस्थापक सामग्री (शब्द का अनेकार्थकत्व) मौजूद है, तो उस पदज्ञान से अपर अर्थ प्रतीति होना उचित ही जान पड़ता है। अतः हमें तो दोनों ही अर्थों की प्रतीति होती दिखाई पड़ती है। हाँ, इतना माना जा सकता है कि अनेक अर्थों की उपस्थिति के बाद प्रकरणादिज्ञान से प्राकरणिक अर्थ में पहले शाब्द-

१ अथ प्राकरणिकार्थबोधानन्तर तादृशपदज्ञानस्योपरमात् कथं व्यक्ति-वादिनाप्यर्थान्तरधी. लूपपादेति चेत् । मैवम् । प्रथमार्थप्रतीतेर्व्यापारस्य सत्त्वा ददोष इत्येके । अर्थप्रतीतौ शक्यतावच्छेदकस्येव पदस्यापि विशेषणतया भानात् प्राथमिकशक्यार्थबोधस्यैव पदज्ञानत्वादित्यपरे । आवृत्त्या पदज्ञान सुलभमिति कश्चित् ।

घोष होता है। पूर्वपक्षी प्रकरणादिज्ञान तथा तदधीनतात्पर्यनिर्णय को अपरार्थप्रतीति में विव्ण मानते हैं। पर यह मानना ठीक नहीं। किसी शब्द तथा अर्थ के प्रयोग को बार बार सुनने में हमारे हृदय में संस्कार घना रहता है। अनेकार्थक शब्द का प्रयोग हम कई अर्थों में सुन चुके होते हैं। इन सब संस्कारों की स्थिति हमारे हृदय में होती ही है। जब हृदय में कोई संस्कार है तथा उसका उद्घोषक शब्द भी मौजूद है, तो उस शब्द में संसृद्ध सभी संस्कारों की स्मृति अवश्य होगी। हम तो व्यावहारिकरूप में कभी भी ऐसी स्मृति का प्रतिबंधक नहीं पाते। पूर्वपक्षी यह दलील देगा कि अन्य संस्कार तथा उसको उद्बुद्ध करने-वाली सामग्री के होने पर स्मृति होती है; किंतु शब्द तथा अर्थ के संस्कार एवं स्मृति के बारे में यह बात लागू नहीं होती। शब्दार्थ के संस्कार से विकसित स्मृति में तो प्रतिबंधक माना ही जायगा। पर यह दलील ठीक नहीं है प्रतिबंधक की कल्पना करना निष्फल है, साथ ही यह अनुभवविरुद्ध भी है।^१

हम एक उदाहरण ले लें। “पय रमणीय है” (पयो रमणीयम्) इस वाक्य में नानार्थशक्ति विषयक संस्कार वाले व्यक्तियों, को “पय” के दूध तथा जल दोनों अर्थों की प्रतीति होती है। यह द्व्यर्थप्रतीति उन लोगों को भी प्रथम क्षण में होगी ही, जो प्रकरणादि के ज्ञान से संपन्न हैं। मान लीजिये, दूध पीते हुए व्यक्ति ने यह वाक्य कथा, और भोता जानता है कि यहाँ प्राकरणिक ‘दूध’ ही है, फिर भी प्रथम क्षण में तो ‘जल’ वाले अर्थ की भी प्रतीति होगी। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकरण

१. यत्तच्चतुक्तमैकार्थविषया पदार्थोपनिधि स्तदन्वयोपेक्षेत्पेक्षत इति तद-
माहम् । नानार्थाऽर्थद्वयोपस्थितावपि प्रकरणादिज्ञानार्थाननात्पर्यमद्विर्भाव
विषयित्वात्तान्शब्दोपोपपत्तं, एकार्थनाप्रोपस्थित्यपेक्षाया नानाभावात् । अर-
थार्थोपस्थापकमन्वयाः पदज्ञानस्य सायेन तदुपस्थिते स्वर्थाधिषया च । न च
प्रकरणादिज्ञान तदधीनतात्पर्यज्ञान वा परार्थोपस्थाने प्रतिपत्त्यस्मिन्नि नान्यं
पत्तुम् । संस्कारतद्बुद्धोपेक्षयोः साये स्मृतौ प्रतिपत्त्यस्य कशाददृष्टत्वात् ।
अर्थव स्मृतावप्य प्रतिपत्त्यप्रतिपत्त्यस्य कल्पने, न स्मृत्यस्यैव द्वायथादृष्ट-
यमन् । तादृशस्यभावा निष्कलात्वात्, अनुभवविरुद्धत्वात् च ।

ज्ञान से रहित है, तो प्रकरणज्ञानशाली उसे बता देगा कि यहाँ वक्ता का तात्पर्य दूध से है, जल से नहीं। अगर पूर्वपक्ष की सरणि मान ली जाय तो प्रकरणज्ञान वाले व्यक्ति को केवल प्राकरणिक अर्थ की ही प्रतीति होती है। तत्र तो वह 'जल' वाले अर्थ की प्रतीति के अभाव में उस अर्थ का निषेध भी नहीं कर सकेगा। पर हम बता चुके हैं प्रकरणज्ञान वाला व्यक्ति प्रकरणज्ञान से रहित व्यक्ति से यह कहता देखा जाता है यहाँ वक्ता का दूध वाले अर्थ में तात्पर्य है, जल वाले में नहीं। अतः अनुभव से यह सिद्ध होता है कि प्रकरणज्ञानशाली व्यक्ति को भी 'जल' वाले अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति अवश्य होती है, प्रकरणादिज्ञान के कारण वह उसका निषेध कर देता है। इस युक्ति से यह स्पष्ट है कि अपरार्थोपस्थिति को न होने देने का कारण—प्रतिबंधक—प्रकरणज्ञान को मानना ठीक नहीं।^१

(आ) द्वितीय मत का खंडनः—द्वितीय मत वाले यह मानते हैं कि अनेकार्थ शब्द से पहले तो सभी संकेतित अर्थों की एक साथ प्रतीति होती है। तदनंतर प्रकरणादिज्ञान से प्राकरणिक अर्थ में तात्पर्य विषमता निर्णीत होने पर पहले उसी प्राकरणिक अर्थ का शाब्दबोध होता है। इसके बाद व्यञ्जनाव्यापार द्वारा अतात्पर्य विषयीभूत अप्राकरणिक अर्थ का बोध होता है। पंडितराज जगन्नाथ इस पूर्वपक्षी से प्रश्न पूछते समय दो विकल्प रखते हैं। आप समस्त नानार्थ स्थलों में व्यञ्जना का उल्लास मानते हैं, या कुछ ही स्थलों में ?^२ यदि प्रथम कल्प से सहमत हैं, तो हमें यह मान्य नहीं। नानार्थ स्थल में सर्वत्र व्यञ्जनाव्यापार होता है, यह मानना अनुचित है। हम देखते हैं प्राकरणिक अर्थ के शाब्दबोध के लिए आप ही तात्पर्यज्ञान को कारणात्ता देते हैं। जब दोनों—प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक—अर्थ की प्रतीति सर्वत्र होती है

१ आदि च प्रकरणादिज्ञानं नानार्थशब्दाज्जायमानामप्राकरणिकार्थोपस्थितिं प्रतिवध्नीयात्तत्कथमेते तदानीमुपस्थितजला. प्रकरणज्ञा जलतात्पर्यं निषेधेयु रिति अहृदयगम एवायमप्राकरणिकार्थोपस्थापनप्रतिवधकभाव. प्रकरणादि ज्ञानस्य ।

वही, पृ० १३९

२. तत्र किमय नानास्थले सर्वत्रैव व्यञ्जनोल्लासः, आहोस्वित्क्वचिद्वेति संमतम् ।

वही पृ० १४०

तो तात्पर्यज्ञान की कारणता की कल्पना निरर्थक होगी । यदि पूर्वपक्षी यह कहना चाहे कि तात्पर्यज्ञान की कारणता की कल्पना तो अभिधा-शक्ति वाले शब्दबोध (शक्तिबोध) के लिए की जाती है । व्यञ्जना वाला अर्थबोध (व्यक्तियोध) तो उसके बिना भी हो सकता है । इस लिए शक्तिबोध के लिए उसका उपयोग किया गया है । पर इसका उत्तर पंडितराज यों देते हैं । जब नानार्थस्थलों में सर्वत्र द्वितीयार्थ की उपस्थिति होती ही है, तो उसे भी वाच्यार्थ क्यों नहीं मान लिया जाय ? यदि यह कहा जाय कि अनेकार्थ शब्द ने दोनों अर्थों की उपस्थिति हो जाने पर भी बाद में प्राकरणादि के कारण जिस अर्थ में तात्पर्य निर्णय होता है, उसी अर्थ की उपस्थिति पहले हो पानी है, अप्राकरणादि अर्थ की नहीं । दूसरा अर्थ व्यञ्जना ने ही प्रत्यायित होता है और उसी के लिए प्राकरणादि अर्थ के शाब्दबोध में तात्पर्य निर्णय माना जाता है । यह उसका कारण है । अगर ऐसा न माना जायगा तो अप्राकरणादि अर्थ का शाब्दबोध भी पहले ही हो जायगा । तात्पर्य विषयक प्राकरणादि अर्थ का शाब्दबोध होने के बाद ही अप्राकरणादि अर्थ का शाब्दबोध होता है । इन दोनों में भेद करने के लिए ही हम एक को वाच्यार्थ कहते हैं, दूसरे को व्यंग्यार्थ ।

पंडितराज पूर्वपक्षी के इस तर्क का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नानार्थक शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के स्थलों में भी श्लेषकाव्य की तरह दोनों अर्थों की एक साथ प्रतीति होने में कोई बाधक नहीं होता । वस्तुतः श्लेष में जिस तरह दोनों अर्थ एक साथ प्रतीत होते हैं, वैसे ही शब्दशक्तिमूलक ध्वनि में भी । श्लेष में दोनों में तात्पर्यज्ञान होता है, व्यञ्जना वाले स्थल में केवल प्राकरणादि अर्थ में ही, यह दलील भी निःसार है । पंडितराज का मन यह है कि शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के स्थलों में दोनों ही अर्थ वाच्यार्थ ही होते हैं, दोनों अर्थों की प्रतीति शक्ति (अभिधा)

१. अथ नानार्थशब्दादर्थद्वयोपस्थितौ मत्वा प्रहरणादिना मप्येवमित्यर्थे तात्पर्यनिर्णये तस्यैवार्थस्य प्रथमे शाब्दबुद्धिर्ज्ञाते, न परमार्थस्येति निवन्-
रक्षदाप नापि शब्दादंशाब्दबुद्धौ तदर्थतात्पर्यज्ञानं हेतुतिष्ठते । अन्वया तात्पर्य
विषयतया निर्गतमप्येवमपि तथा भूतस्यापरम्यार्थस्य प्रथमे शब्दार्थान्तरम् ।

से ही होती है। इस लिए द्वितीय अर्थ की उपस्थिति के लिए व्यञ्जना को स्वीकार करना अनुचित ही है।^१

पंडितराज अब वादी के दूसरे कल्प को लेते हैं कि व्यञ्जना का उल्लास किन्हीं किन्हीं अनेकार्थ स्थलों में होता है, अर्थात् वहीं व्यञ्जना होती है, जहाँ व्यंग्यार्थ में कवि का तात्पर्य प्रतीत होता है। पर यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वपक्षी ही तात्पर्यज्ञान को व्यंग्यार्थप्रतीति का कारण नहीं मानता। हम देखते हैं कि कई स्थलों पर काव्य में अश्लीलता दोष माना जाता है,^२ इन स्थलों में अश्लीलार्थ में तो कवि का तात्पर्य है ही नहीं पर उसकी प्रतीति होती ही है। अगर विपक्षी कवि का तात्पर्य न मानकर, द्वितीयार्थ में श्रोता के शक्तिग्रह को ही व्यञ्जना के उल्लास का कारण माने, तो भी ठीक नहीं। वस्तुतः श्रोता का शक्तिग्रह तो नियंत्रित अभिधा को ही उद्बुद्ध करने का कारण जान पड़ता है। अपरार्थ की प्रतीति तो उसे ही होती है, जिसने दोनों अर्थों में शब्द का संकेत देखा है।

कुछ पूर्वपक्षी यह भी कहें कि जहाँ दोनों अर्थों की प्रतीति बाधित नहीं हो, वहाँ तो दोनों अर्थ शक्ति (अभिधा) से ही प्रतीत हो सकते हैं। लेकिन अप्राकरणिक अर्थ के बाधित होने पर तो वह वाच्यार्थ न हो सकेगा, वहाँ तो वह व्यंग्यार्थ ही होगा। जैसे “जैमिनीयमलं धत्ते रसनायामयं द्विजः” इस वाक्य को ले लें। यहाँ प्राकरणिक अर्थ है— “यह ब्राह्मण जैमिनि मुनि के मीमांसाशास्त्र को जिह्वापर रखता है।” यहीं इस जुगुप्सित अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति भी हो रही है:— “यह ब्राह्मण जैमिनि के मल को जीभ पर धारण करता है।” यहाँ यह जुगुप्सित (द्वितीय) अर्थ “आग से सौंचता है” (वह्निना सिंचति)

१. इत्थ च नानार्थस्थलेऽपि तात्पर्याधियः कारणतायां शिथिलीभवन्त्याम-
तात्पर्यायं विषयशब्दबुद्धिसपादनाय व्यक्तिस्वीकारोऽनुचित एव, शक्यैव
बोधद्वयोपपत्तेः ।

वही पृ० १४१

२. जैसे, ‘रुचिं कुरु’ में कवि का तात्पर्य अश्लीलता में नहीं है, पर ‘चिंकु’ पद अश्लीलता की प्रतीति कराता ही है। ‘चिंकु’ का अर्थ काश्मीरी भाषा में ‘योनि’ होता है।

की तरह बाधित होने के कारण—इसमें योग्यताभाव होने के कारण—वाच्यार्थ नहीं हो सकता । अतः इस वाक्य का अपरार्थ तो व्यंजना-व्यापारगम्य ही होगा । क्योंकि व्यंजना तो बाधित अर्थ का भी बोध करा देती है ।^१

पंडितराज इस तर्क का उत्तर यों देते हैं । ऐसे कई स्थल हैं, जहाँ वाच्यार्थ बाधित होता है जैसे “सचमुच पतंजलि के रूप में सरस्वती ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गई है” (नामवतीर्णा सत्यं सरस्वतीयं पतंजलिव्याजात्) में सरस्वती का पृथ्वी पर उतर आना बाधित अर्थ है । पर यहाँ शाब्दबोध वाच्यार्थरूप ही है । इसी तरह ऊपर के पूर्वपक्षी के वाच्य में भी द्वितीयार्थ वाच्यार्थ ही है । नानार्थस्थल में अप्राकरणिक अर्थ प्रतीति में व्यंजना मानने का प्राचीनों का सिद्धांत शिथिल है ।^२

यहाँ तक हमने पंडितराज के मत के उस अंश को देखा, जहाँ वे प्राचीन ध्वनिवादियों के शब्दशक्तिमूलक ध्वनि संघर्ष विचारों से सहमत नहीं । पर काव्य में कुछ ऐसे भी स्थल पंडितराज ने माने हैं, जहाँ वे प्राच्य ध्वनिवादी के मत से संतुष्ट हैं । पंडितराज ने अनेकार्थ स्थलों में रूढ अथवा यौगिक शब्दों के प्रयोग होने पर अप्राकरणिक अर्थ को भी वाच्यार्थ माना है । किंतु योगरूढ अथवा यौगिकरूढ शब्दों का नानार्थस्थल में प्रयोग होने पर पंडितराज अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति में व्यंजनाव्यापार ही मानते हैं ।^३ इस मत को स्पष्ट करने के लिए वे निम्न उदाहरण देते हैं:—

अप्रलाना भिचं हृत्वा वारिवाहै. सहानिशम ।
तिष्ठन्ति चपला चत्र स कालः समुपस्थितः ॥

१ अध्यात्मवप्राकरणिकोऽप्यर्थः शक्तिरेव पृथग्व्यवर्थागोचरः, परंतु यत्र न बाधितः स्यात् ।प्यक्तेऽस्तु बाधितार्थबोधस्य धर्मिप्राहरणान-
मिदं इति व्यक्त्यादिनामदोष इति । —पृष्ठी १० १४३

२. तस्मात्तानार्थान्याप्राकरणिकेऽर्थे व्यञ्जनेति प्राचां मिथ्यान्तः निधिल
प्य । —पृष्ठी १० १४४

३. एतन्पि योगरूढिभ्यो रूढिज्ञानेन योगापहरणस्य सत्त्वगन्धस्पर्श-
रूपरसस्पर्शान्य योगार्थात्किमित्यार्थान्तरस्य स्वप्नि विना प्रतीतिर्दुर्गरवादा ।
—पृष्ठी १० १४५

(१)—(प्राकरणािक अर्थ) यह वह वर्षाकाल आ गया है, जब स्त्रियों के समान शोभा वाली विजलियाँ रात-दिन बादलों के साथ रहा करती हैं ।

(२)—(अप्राकरणािक अर्थ) . . . जब पुंश्र्वली स्त्रियाँ कमजोरों के धन का अपहरण कर रात-दिन पानी ढोने वाले (निम्न) व्यक्तियों के साथ मौज उड़ाती हैं :

यहाँ प्रथम अर्थ,—विजली-मेघरूप अर्थ,—की प्रतीति मे रूढ शब्द हैं । किंतु पुंश्र्वली-वारिवाह रूप द्वितीय अर्थ में न तो रूढि ही है न योग ही । विजली वाले अर्थ में समस्त शब्द की समुदायशक्ति (रूढि) ही काम करती है । दूसरे अर्थ में हम अ + बल, वारि + वाह, इस तरह शब्दों का अवयवज्ञान भी प्राप्त करते हैं, साथ ही कुछ में रूढिज्ञान भी । इस दूसरे अर्थ में कोरा अवयवत्वभ्य अर्थ ही नहीं, जैसा यौगिक शब्दों में होता है । वस्तुतः यहाँ दोनों का सांकर्य है । योग तथा रूढि के सकीर्ण स्थलों में पंडितराज अपरार्थ की प्रतीति व्यंजना से मानते हैं । इसके लिए वे एक सग्रह श्लोक का मत प्रमाण रूप में उपन्यस्त करते हैं:—“योगरूढ शब्दों की योगशक्ति जहाँ (रूढियोंगादूबलीयसी, इस न्याय से) रूढिशक्ति के द्वारा नियंत्रित हो जाय, वहाँ योग वाले अर्थ की बुद्धि को व्यंजना ही उत्पन्न करती है ।”^१

१. योगरूढस्य शब्दस्य योगे रूढया नियन्त्रिते ।

धिय योगस्पृशोऽर्थस्य या सूते व्यञ्जनैव सा ॥

षष्ठ परिच्छेद

व्यञ्जनावृत्ति (आर्थी व्यञ्जना)

पिछले परिच्छेद में इस बात का संकेत किया जा चुका है कि कई विद्वान् शास्त्री व्यञ्जना जैसे भेद को मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनके मतानुसार व्यञ्जना मदा आर्थी ही होती है। यही कारण है कि उनमें से कुछ विद्वान् इसी आधार पर व्यञ्जना के शब्दव्यापारत्व का भी निषेध करते हैं, तथा व्यञ्जना जैसी शब्दशक्ति की कल्पना की आवश्यकता नहीं मानते। साथ ही जब व्यञ्जना केवल अर्थ का ही व्यापार सिद्ध होना है, तो उसे शब्द व्यापार मानना वैज्ञानिक कहीं तक माना जा सकता है? ध्वनिवादी इस मत में सहमत नहीं। उनके मन से आर्थी व्यञ्जना में भी शब्द की सहकारिता अवश्य रहती है। मन्मथ ने बताया है कि आर्थी व्यञ्जना में व्यंग्यरूप अंतर अर्थ की प्रतीति किन्ना विशेष शब्द के कारण ही होती है। इस अन्यार्थ प्रतीति में सहृदय का प्रमाण वह शब्द ही है। इस लिए आर्थी व्यञ्जना में अर्थ का व्यञ्जकत्व होने पर भी शब्द की 'सहकारिता' रहती है। व्यञ्जना में आर्थी व्यञ्जना का क्षेत्र विशाल है, यही कारण है कि कुछ विद्वानों को शास्त्री व्यञ्जना के अनस्तित्व की, तथा शब्द की 'असहकारिता' की भ्रान्ति हो जाती है। ध्वनिवादी के द्वारा पठ, पठंश, वाक्यादि में व्यञ्जकत्व मानकर ध्वनि के भेदोपभेद का पालन करना शब्द की महत्ता स्पष्ट कर देता है। व्यञ्जना का शब्दव्यापार न मानना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता।

१. शब्दप्रमाणेषोऽर्थी शब्दव्यापारान्तर एतत् ।

अर्थी शब्दव्यापारेषु शब्दस्य सहकारिता ॥

आर्थी व्यञ्जनाः—जिस शब्द या अर्थ में व्यञ्जना पाई जाती है, वह व्यञ्जक कहलाता है। अभिधा तथा लक्षणा से अर्थ बोधित कराने की शक्ति केवल शब्द में ही होती है, अर्थ में नहीं। किंतु व्यंग्यार्थ को बोधित कराने की शक्ति शब्द तथा अर्थ दोनों में होती है। तभी तो ध्वनिकार के मतानुसार ध्वनि वहाँ होती है, जहाँ या तो अर्थ अपने आपको गौण बना लेता है, या शब्द अपने आपको या अपने अर्थ को गौण बना लेते हैं।^१ इसके बाद जिस अभिनव अर्थ की प्रतीति इस शब्द के अर्थ के द्वारा होती है वह व्यंग्यार्थ है। इस प्रकार के अर्थ वाला काव्य ही ध्वनि है। इसमें ध्वनिकार अर्थ को भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति का साधन मानते हैं। मम्मट ने वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य तीनों प्रकार के अर्थों में व्यञ्जना व्यापार मानते हुए कहा है—“प्रायः सारे अर्थों में व्यञ्जकत्व भी पाया जाता है^२।” आर्थी व्यञ्जना में शब्द की सर्वथा अवहेलना नहीं होती। वह भी वहाँ सहकारी रूप में पाया ही जाता है। व्यञ्जना का शाब्दी या आर्थी भेद प्राधान्य की दृष्टि से किया जाता है। अतः आर्थी व्यञ्जना में शब्द की अपेक्षा अर्थ की प्रधानता रहती है। तभी तो विश्वनाथ ने कहा—“व्यञ्जना मे शब्द व अर्थ में से एक के व्यञ्जक होने पर दूसरा भी सहकारी व्यञ्जक अवश्य होता है। शाब्दी में दूसरे अर्थ का आश्रय लेकर ही शब्द व्यंग्यार्थ प्रतीति कराता है, आर्थी में व्यंग्यार्थ प्रतीति करानेवाला व्यञ्जक अर्थ भी किसी शब्द से ही प्रतीत होता है। इस तरह दोनों दशाओं में दोनों ही एक दूसरे की सहायता करते हैं।”^३ किसी शब्द के वाच्य, लक्ष्य-तथा व्यंग्य तीन तरह के अर्थ होते हैं, अतः जहाँ अर्थ से व्यंग्यार्थ-प्रतीति होगी वहाँ तीन तरह के भेद आर्थी व्यञ्जना के पाये जायेंगे।

१. “यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो” —(ध्वनिकारिका १)

२. “सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते”

—का० प्र० उ० २, पृ० २८

३. शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थं शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः ।

एकस्य व्यञ्जकत्वे स्यादन्यस्य सहकारिता ॥

(१) वाच्य से व्यंग्यार्थ प्रतीति (वाच्यसंभवा), (२) लक्ष्य से व्यंग्यार्थ प्रतीति (लक्ष्यसंभवा), (३) व्यंग्य से व्यंग्यार्थ प्रतीति (व्यंग्यसंभवा) ।

(१) वाच्य से व्यंग्य प्रतीति

जिन काव्य में सर्वप्रथम शब्दों का सुग्रा वृत्ति से सामान्य अर्थ प्रतीत होता है, किन्तु सुग्रायर्थप्रतीति के बाद प्रकरणादि का पर्यालोचन करने पर उस सुग्रायर्थ से जहाँ अन्य अर्थ की वाच्यसंभवा अर्था प्रतीति हो, वहाँ वाच्यमूला अर्था व्यंजना होगी, जैसे—

माण घरोवअरखं अज हु रात्थित्ति साइअं तुमण ।
ता भण कि करणिज्जं, एमेअ ण वासरो टाउ ॥
(अंदे फिरि मोटि कहेंगी, कियो न तू गृहकाज ।
कहै सो करि आऊँ अने सुँदी चहत्त दिनराज ॥)

इस गाथा से सर्वप्रथम साधारण रूप सुग्रायर्थ की प्रतीति होती है । किन्तु जब प्रकरण से पता चलता है कि यकत्री सज्जिवा नहीं है, तो फिर 'वह स्वीर विहार करना चाहती है', इस व्यंग्य वस्तु की प्रतीति व्यंग्यार्थ रूप में हो जाती है । वहाँ यह व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के प्रतीति होने के बाद ही प्राप्त होता है ।

कमल तनु-भों टीन अरु, कटिन चटग की धार ।
अति मृधो, टेठो घहुरि, प्रेम-पंथ अनियाग ॥

—(रसग्यानि)

इस श्लोक के वाच्यार्थ में प्रेम के निषेध से परस्पर विरोधी बातें प्रतीति होती हैं । इसके द्वारा ही "शुद्ध प्रेम अलौकिक वस्तु है, तथा इस मार्ग में साधारण लौकिक वृत्ति नहीं जा सकता" इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है ।

(२) लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ प्रतीति — जहाँ सर्वप्रथम सुग्रावृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ की प्रतीति होती है, किन्तु सुग्रायर्थवाच्य के कारण यह अर्थ संगत नहीं बैठता, फिर लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, ऐसे स्थलों में प्रयोजनप्रतीति लक्षण से कोई न कोई प्रयोजन भी होना ही है । अतः इस लक्ष्यार्थ के प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ के साथ ही अरु व्यंग्यार्थ की भी

प्रतीति वहाँ पाई जाती है। इस प्रकार लक्ष्यसंभवा में क्रमशः तीन अर्थों की प्रतीति होती है। प्रथम क्षण में वाच्यार्थ, फिर मुख्यार्थबाध के कारण लक्ष्यार्थ, तथा फिर प्रकरणादि के ज्ञान के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। जैसे—

साहेन्ती सहि सुहअं खणे खणे दूणिआसि मज्झकए ।

सम्भावणेहकरणिज्जरिसअं दाव विरहअं तुमए ॥

(मुख्यार्थ) हे सखि, प्रिय को मनाती हुई, तू मेरे लिए क्षण क्षण दुखी हो रही है। तूने सचमुच सद्भाव तथा स्नेह के उपयुक्त कार्य किया है।

(लक्ष्यार्थ) सखि, प्रिय को अपने पक्ष में सिद्ध करके तू प्रसन्न हो रही है। तूने मेरे स्नेह तथा मैत्री के उपयुक्त आचरण नहीं किया है। फलतः तूने शत्रुता की है। (प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ) तूने बहुत ज्यादा शत्रुता की है। (अपर व्यंग्यार्थ) तूने तथा उस नायक ने मेरा अपराध किया है तथा वह प्रकट हो गया है।

इस उदाहरण में दूती का प्रकरण ज्ञात होने पर मुख्यार्थ बाध होने से यहाँ विपरीत लक्षणा से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। तूने मुझसे शत्रुता की है, इस लक्ष्यार्थ की प्रतीति होने पर तुम दोनों का अपराध प्रकट हो गया है, इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। यहाँ लक्ष्यार्थ का व्यंग्य, तृतीय अर्थ (व्यंग्यार्थ) से भिन्न रूप में 'शत्रुत्वातिशय' माना जा सकता है।

लक्ष्यसंभवा अर्थों तथा पूर्वोक्त लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना में क्या भेद है, इसे समझ लेना आवश्यक होगा। मोटे तौर पर तो हम देखते हैं, कि शाब्दी में व्यंग्यार्थ प्रतीति शब्द के ही कारण होती है, जब कि लक्ष्यसंभवा में उसकी प्रतीति अर्थ के कारण होती है। एक के उदाहरण के रूप में हम "गंगायां घोषः" ले लें। यहाँ "गंगायां" हटाकर हम "गंगातटे" कर दें, तो शैत्यपावनत्वादि (प्रयोजनरूप) व्यंग्य की प्रतीति न होगी। अतः शैत्यपावनत्वादि गंगा से ही सम्बद्ध होने के कारण उसी शब्द से व्यञ्जित होते हैं। यह लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना है। लक्ष्यार्थमूला में यह व्यंग्यार्थ द्वितीय अर्थ रूप लक्ष्यार्थ से प्रतीत होता है, शब्द से नहीं। इन दोनों के भेद को हम इन दो रेखाचित्रों से व्यक्त कर सकते हैं :—

(१) लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना—

शब्द— { —अभिधा—(१) वाच्यार्थ
—लक्षणा—(२) लक्ष्यार्थ
—शाब्दी व्यञ्जना—(३) प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ

(२) लक्ष्यसंभवा आर्थी व्यञ्जना—

शब्द— { —अभिधा—(१) वाच्यार्थ
—लक्षणा—(२) लक्ष्यार्थ—आर्थी व्यञ्जना—(४) व्यंग्यार्थ
—शाब्दी व्यञ्जना—(३) प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ

इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है। लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना में प्रयोजनरूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। यह प्रतीति उनी शब्द से होती है, जिससे मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। मम्मट ने इसे स्पष्ट कह दिया है कि 'गंगायां घोषः' में "गंगा" शब्द प्रयोजनरूप व्यंग्य शैत्यपावनत्वादि की प्रतीति करा देने में "श्वल-द्वगति" (अशक्त) नहीं है। इस व्यंग्य की प्रतीति वही शब्द करा सकता है। अतः स्पष्ट है कि यह व्यंग्यार्थ शाब्दी व्यञ्जना में ही प्रतीति होता है, जो लक्षणा पर आश्रित है। रेखाचित्र (१) में हम देखते हैं, शब्द का संबंध वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ तीनों में है। जब कि अर्थों में परस्पर कोई संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध माना जा सकता है, तो शब्द के ही द्वारा। लक्ष्यार्थमूला (लक्ष्यसंभवा) आर्थी व्यञ्जना में व्यंग्यार्थ की प्रतीति शब्द से न हाकर लक्ष्यार्थ से होती है। इस पर एक प्रश्न उठता है, क्या यह लक्ष्यसंभवा वाला व्यंग्यार्थ प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ में भिन्न होता है? क्योंकि यदि यह वही व्यंग्यार्थ होगा, तो फिर यहाँ भी लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना ही हो जायगी। हमारे मत से लक्ष्यसंभवा में दो व्यंग्यार्थों की प्रतीति आवश्यक है। इनमें एक प्रयोजनरूप व्यंग्यार्थ शब्द से प्रतीति होती है, दूसरा व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ से। ऊपर के रेखाचित्र (२) में हमने दो व्यंग्यार्थ बताये हैं। एक का साक्षरानु संबंध शब्द के साथ बनाया गया है, दूसरे का लक्ष्यार्थ के साथ। ऊपर के लक्ष्यसंभवा के उदाहरण में अर्थ करते समय हमने दो ही व्यंग्यार्थ माने हैं। वहाँ प्रयोजनरूप व्यंग्यार्थ है—'शुद्धत्वादिप्राय', तथा लक्ष्यार्थ के द्वारा व्यञ्जित व्यंग्यार्थ है "तूने और उस नायक ने मेरा अपराध किया है, तथा यह प्रकट हो गया है।

कुछ लोग शायद लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना न मानना चाहें, पर हम बता आये हैं कि प्रयोजनरूप व्यंग्य में शाब्दी व्यंजना ही होती है, ऐसा ध्वनिवादियों का मत है ।^१

(३) व्यंग्य से व्यंग्यार्थप्रतीति — कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वप्रथम मुख्यार्थ प्रतीति होने पर प्रकरणादि से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है । इसके बाद इस व्यंग्यार्थ से फिर व्यङ्ग्यसंभवा आर्थी व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है । इस जगह व्यंग्य-संभवा आर्थी व्यंजना होगी । इस व्यंजना में भी तीन अर्थ प्रतीत होते हैं । कभी कभी प्रथम व्यंग्यार्थ लक्ष्यसंभव भी हो सकता है । इस दशा में द्वितीय व्यंग्यार्थ की प्रतीति चतुर्थ क्षण में होगी । व्यंग्यसंभवा जैसे,

उअ णिच्चल णिप्पन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ ।

णिम्मलमरगअभाअणपरिद्धिआ सखसुत्ति व्व ॥

(निश्चल विसनी पत्र पर, उत बलाक यहि भॉति ।

मकरत भाजन पर मनो, अमल संख सुभ काँति ॥)

(मुख्यार्थ) देखो, कमल के पत्तों पर निश्चल बकपंक्ति इसी तरह सुशोभित है, जैसे निर्मल मरकत मणि के पात्र में रखी हुई शंख की शुक्ति ।

(प्रथम व्यंग्यार्थ) देखो तो ये वगुले कितने निर्भय एवं विश्वस्त हैं । [निश्चल (निष्पन्द) से इस प्रथम व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है ।]

(द्वितीय व्यंग्यार्थ) (१) ये वगुले इसलिए निर्भय हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आता । अतः निर्जन स्थल होने के कारण यह स्थल सहेट (संकेतस्थान) है । (२) तुम भूठ कहते हो, तुम यहाँ पहले कभी नहीं आये । यदि तुम पहले आये होते, तो ये वगुले भयरहित न होते ।

१. लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम् ।

यथा प्रत्याप्यते सा स्याद् व्यञ्जना लक्षणाश्रया ॥

इस उदाहरण में 'निष्पन्न' (निद्रित) शब्द वाच्यार्थ के शब्द 'निर्मयता' को व्यक्त करना है। यह 'निर्मयता' रूप स्वंग्यार्थ 'नदी तीर पर की निर्जन्ता' को घनाता है। इसके शब्द निर्जन होने के कारण यह नदी तीर नकेन स्थल है, इन शब्द को नायिका नायक से कहना चाहती है। इस स्वंग्यार्थ की प्रतीति प्रकरण-ज्ञान के शब्द ही होती है। इसी नाया का किमी दूर प्रकरण के कारण यह भी अर्थ लिया जाता है कि नायक नदी तीर पर जा चुकने का घटना घनाता है। यह कहता है 'मैं यहाँ पहले जा चुका हूँ, तुम नहीं आई थी।' इसका उत्तर इस वक्ति ने देकर नायिका यह व्यंजित करना चाहती है कि वह भूठ घान रहा है, अस्तित्व में वह पहले नहीं आया था। यदि वह पहले आया होता, तो पहले उनमें शान्त भाव से कमल के पत्तों पर न बैठे रहते।

मन नृन्म्यो, धीत्यो प्रयो, उन्मो लई उन्मरि ।

अग्नी हरी, अरहरि अजो धर धरहरि हिय नारि ॥ (विहारी)

इसमें 'अरहर का हरा होना' इस वाक्य में 'अरहर की सघनता' व्यंजित होती है। सघनता पुनः मकेनस्थल को व्यंजित करती है। मन को नृन्म्यो हुआ, तथा कपास को चुना हुआ देकर ग्लानमुग्र नायिका से मान्त्वना देती हुई मन्त्री कह रही है। "अभी तरे लिए उपपत्ति ने मिलने का पर्याप्तस्थल है। अतः मोक करने की आवश्यकता नहीं। पहले मन के चेत तथा कपास के चेत महेट थे, अतः तो उनमें भी अधिक सघन अरहर के चेत मौजूद हैं।" यहाँ यह जान लेना आवश्यक होगा कि अन्य पौधों की अपेक्षा अरहर विशेष सघन होता है। वह ऊपर ने गूर फैला होता है, किन्तु नीचे से बहुत कम स्थान घेरता है।

अर्थव्यंजकता के साधनः—जैसा कि हम पहले बता आए हैं, स्वंग्यार्थ की प्रतीति के लिए प्रकरणज्ञान अत्यधिक आवश्यक है। इसी प्रकरण ज्ञान को कई वस्तुओं ने सम्यक् माना अर्थव्यंजकता के साधन गया है। इनमें हम अर्थ व्यंजकता के साधन मान सकते हैं। जला, शोद्धय (जिसमें फटा जा रहा है), फालु, वाक्य, वाक्य अन्यसंनिधि (वना तथा पौद्धव्य वक्ति ने भिन्न व्यक्ति का समझ होना), प्रगाय, देना, फाल, आदि के वैनिष्ठय के कारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों को स्वंग्यार्थ प्रतीति

होती है। यह अर्थ प्रतीति किसी दूसरे अर्थ के द्वारा होती है तथा इसकी प्रतीति में व्यंजना व्यापार पाया जाता है।^१ ऊपर प्रयुक्त 'आदि' शब्द से यह तात्पर्य है कि चेष्टा भी अर्थव्यञ्जक होती है।^२ जैसा कि आर्थी व्यञ्जना के इन साधनों के विषय में ऊपर कहा गया है, व्यंग्यार्थ प्रतीति प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही होती है। वाच्यार्थ की प्रतीति के लिए केवल शब्दार्थज्ञान की ही आवश्यकता होती है। दार्शनिक ग्रन्थों को समझने के लिए पाण्डित्य अपेक्षित होता है, किन्तु काव्य में व्यंग्यार्थ प्रतीति के लिये पाण्डित्य उतना अपेक्षित नहीं जितनी प्रतिभा। यह प्रतिभा क्या है? पुराने जन्म में विश्वास करनेवालों के मतानुसार प्रतिभा पुराने जन्मों का संस्कार है, जिसके कारण काव्य की रचना तथा अनुशीलन हो सकता है। यह प्रतिभा कवि तथा पाठक (सहृदय) दोनों के लिए आवश्यक है। पाण्डित्य के अभाव में भी व्यक्ति प्रतिभाशाली हो सकता है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही "सहृदय" भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों का मनो-मुकुर काव्य के अनुशीलन तथा अभ्यास के कारण स्वच्छ हो जाता है, तथा जिन व्यक्तियों में काव्य के वर्ण्य विषय में तन्मय होने की क्षमता होती है, वे ही लोग 'सहृदय' होते हैं।^३ सहृदयता का कारणभूत काव्याभ्यास इसी जन्म का हो, इस विषय में ध्वनिवादी विशेष जोर नहीं देते। वे तो पुराने जन्म के काव्यानुशीलन के कारण वासना रूप में स्थित प्रतिभा को भी सहृदयता मानते हैं। पुराने जन्म में विश्वास न करने वाले प्रतिभा को इसी जन्म के सामाजिक वातावरण से उद्बुद्ध चेतना का विकास मानेंगे। यह स्पष्ट है कि जिन लोगों में प्रतिभा जैसा संस्कार

१ वक्तृबोद्धव्यकाङ्क्षना वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः ।

प्रस्तावदेशकालादे वैशिष्ट्या प्रतिभाजुषाम् ।

योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥

—का० प्र० ४० ३ का २१-२२, पृ० ७२

२ आदिग्रहणाच्चेष्टादे ।

—का० प्र० वही, पृ० ७६.

३ येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयीभवनयोग्यता ते स्वहृदयसवादभाज सहृदयाः ।

—लाचन पृ० ३८ (चौ० स० सी० स०)

वासनारूप में स्थित हैं, वे ही काव्यालोचन के आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं व्यक्तियों को वक्त्रादिवैशिष्ट्य के कारण व्यंग्यार्थ प्रतीति होती है।

(१) वक्त्रवैशिष्ट्यः—यहाँ मुख्यार्थज्ञान के साथ ही साथ हमें उस वाक्य के वक्ता का ज्ञान होता है। वक्ता के स्वभाव ने गुण्यार्थ का ठीक मेल नहीं मिलना। तब हमें उसके स्वभाव के ज्ञान से एक दूसरे अर्थ (व्यंग्यार्थ) की प्रतीति भी हो जाती है, जैसे,

अडपिठुलं जलकुम्भं घेत्तुण्ण समागदन्दि सदि तुरिप्रम ।
समसेदसलिलणीसासणीसहा धीसनामि च्चण्णम् ॥
(प्रति भारी जलकुम्भ लें आई सदन उताल ।
लग्नि सममलिन उसान अलि कहा दृग्गति ढाल ॥)

इस परा में वक्त्री नायिका के चरित्रादि के विषय में ज्ञान होने पर सहृदय को यह व्यंग्यार्थप्रतीति हो ही जाती है कि यह उपनायक के साथ की गई केलि को छिपाना चाहती है।

फेंकना हूँ मैं तोड़-मरोड़ अरी निष्ठुर बोला के तार ।
उठा चाँदी का उज्ज्वल शय्य फेंकना हूँ भैरव हुँदार ॥
नहीं जीते जी सकता देख विश्व में झुका तुम्हारा भाल ।
वेदना मधु का भी पर पान आज उगलूँगा गरल कराल ॥

(दिनकर)

यहाँ कवि स्वयं ही वक्ता है। वह कान्ति के युद्ध में शय्य फेंक रहा है, तथा कान्ति में कूदने की इच्छा कर रहा है, यह वाच्यार्थ है। इसी वाच्यार्थ में देश तथा समाज की वर्तमान परिस्थिति ने यह अपमन्वुष्ट है तथा इस स्थिति का विध्वंस कर देना चाहता है, यह ध्वंजना हो रही। यह व्यंग्यार्थप्रतीति तभी होगी जब कि एक धार कवि की परिस्थिति तथा उसके स्वभाव का पता लग गया है।

(२) श्लोद्धव्यवैशिष्ट्यः—जहाँ श्लोद्धव्य (जिसने वाक्य कहा जा रहा है) व्यक्ति का स्वभाव जानकर सहृदय व्यंग्यार्थ की प्रतीति कर लेता है, यहाँ श्लोद्धव्यवैशिष्ट्य व्यंग्यार्थप्रतीति का कारण होता है।

जैसे,

ओष्णिहं दोब्बल्लं चिंता अलसत्तणं सणीससिअम् ।

मम मंदभाइणीए केरं सद्धि अहह तुह वि परिहवइ ॥

(चिंता, जृभं, उर्नीदता, विह्वलता, अलसानि ।

लह्यो अभागिनि हौ अली, तैहू गही सोइ षानि ॥)

इस दोहे में बोद्धव्य नायिका की सखी है, जिसने नायिका के विरुद्ध आचरण किया है। सखी के कुलटात्वरूप स्वभाव का पता लगने पर सहृदयों को नायकसंबद्ध सखी की सदोषता व्यंजित हो जाती है।

(३) काकु वैशिष्ट्य — जहाँ गले के स्वरभेद से ही व्यंग्यार्थ-

प्रतीति होती हो, वहाँ काकुवैशिष्ट्य व्यंग्यार्थ

काकुवैशिष्ट्य का कारण है। जैसे,

गुरुपरतन्त्रतया षत दूरतरं देश मुद्यतो गन्तुम् ।

अलिकुलकोकिलललिने नेष्यति सखि सुरभिसमयेऽसौ ॥

(गुरुजन कौ परतन्त्र हूँ दूर देश को जात ।

अलि, अलिकोकिलमधुसमय में पिय क्यों ना आत ॥)

यहाँ “क्यों ना आत” काकु से “अवश्य आयागा” इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है।

काकु वैशिष्ट्य से व्यञ्जित आर्थी व्यञ्जना का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण यह है :—

तथाभूता दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां

वने व्याधै. सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरै ।

विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं

गुरु खेद खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥

यह वेणीसंहार नाटक में सहदेव के प्रति भीमसेन की उक्ति है। जब सहदेव कहता है कि युधिष्ठिर कभी कभी (कौरवों पर) खिन्न होते भी हैं, तो भीमसेन प्रश्न करता है कि गुरु खेद करना भी जानते हैं ? और इसी उक्ति के बाद वह इस पद्य में पूर्वानुभूत दीन दशा का वर्णन करता है, जिसके कारण कौरव ही हैं।

राजाओं की सभा में पाञ्चाल राजतनया द्रौपदी की वैसी दशा देखकर—दुःशासन के द्वारा उसे विवस्त्र किया जाता देखकर, हम

पाण्डुओं को बलकलभारी जगली शिकारियों के साथ बड़े पाल तरु वन में निजाम करते देखकर, तथा अनुचित रूप से छिप-छिपकर बिराट के राक्षसों में टिकना देखकर. पूज्य युधिष्ठिर उन सब धानों से दुग्धी गेरे ही ऊपर खेद करते हैं, वे अब भी कौरवों के प्रति खेद नहीं करते हैं क्या ?

यहाँ 'न' के प्रयोग में काकु है, और इससे वाक्य की प्रश्नरूपता व्यञ्जित हो रही है। यह प्रश्न रूप काकु वाच्यार्थ का पोषक व्यंग्य है। तदनन्तर हमसे "पूज्य युधिष्ठिर का मेरे प्रति क्रोध करना अनुचित है, कौरवों के प्रति ही उचित है, अतः वे विपरीताचरण कर रहे हैं", इस व्यंग्य की प्रतीति होती है।

इस संबंध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। ध्वनिवादी ने गुणीभूत व्यंग्य के भेदों में भी काकु वाला एक भेद माना है— पादवाक्षित।^१ उस भेद से इस ऊपर वाले काकुवैशिष्ट्य में कोई अन्तर है या नहीं? इस प्रश्न के उपस्थित होने पर गम्मत कहते हैं कि "ऐसे स्थलों पर काकु वाच्यार्थ की शोभा प्रदाने वाला (वाच्य-सिद्धय ग) है. अतः गुणीभूतव्यंग्य है, यहाँ ध्वनिकाव्य नहीं है, ऐसी शंका करना व्यर्थ है। काकु (गले की विशेष प्रकार की आवाज) से व्यञ्जित प्रश्न ने ही वाच्यार्थ विधान्त हो जाना है।^२ भाव यह है कि जहाँ वाच्यार्थ पूर्णतः समाप्त हो, वहाँ प्राद में प्रतीत अर्थ वाच्यार्थ की सिद्धि या अंग नहीं माना जा सकता। अतः ऐसे स्थलों में वही समस्काराघायक होगा। यदि वाच्यार्थ विधान्त न हो सके और फिर काकु उसे पूर्ण कर सके, तो वह काकु वाच्यसिद्धि का अंग—वाच्यार्थ शोभाविधायक—होने से गुणीभूत व्यंग्य का कारण होगा।

१ गुणीभूतव्यंग्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक सुंदर नहीं होता, अतः यह वाच्य ही ही शोभा प्रदाने वाला होता है। इसके ४ भेद होते हैं इन्हीं में एक पादवाक्षित है।

२ न न वाच्यविषयस्य काकुवृत्ति गुणीभूतव्यंग्यस्य कारणम् । प्रश्न-मात्रेणापि प्राद विधान्तः ॥

अब हमारे सामने तीन चीज आती हैं:—(१) काकुवैशिष्ट्य अर्थव्यंजकता, (२) वाच्यसिद्धयंग (३) काक्वाक्षिप्त गुणीभूतव्यंग्य । इन तीनों चीजों के परस्पर भेद को देख लेने पर ही हमारी यह समस्या सुलभ सकेगी । पहले हम वाच्यसिद्धयंग ले लें । ध्वनिवादी ने गुणीभूतव्यंग्य के ८ भेदों में से एक भेद वाच्यसिद्धयंग माना है । क्या मम्मट की ऊपर उद्धृत वृत्ति का इसी वाच्यसिद्धयंग से मतलब है ? पर इस वाच्यसिद्धयंग का तो काकु से कोई संबंध नजर नहीं आता । क्योंकि वाच्यसिद्धयङ्ग गुणीभूतव्यंग्य वहाँ होता है, जहाँ व्यंग्यार्थ काव्य के वाच्यार्थ की सिद्धि करे । उदाहरण के लिए निम्न पद्य ले लें ।

अमिमरतिमलसहृदयता प्रलयं मूर्छां तमः शरीरसादम् ।

मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥

षादल रूपी सर्प से उत्पन्न जल रूपी जहर (विषरूपी विष) धलपूर्वक वियोगिनियों में चकर, जी का उचटना, आलस्य, प्रलय, मूर्छा, आँखों के सामने अंधेरा आना, शरीर का सुन्न हो जाना और मरना, इन इन चिन्हों को पैदा करता है ।

यहाँ 'विष' शब्द से जहरवाले व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है । 'विष' वाले जलरूप अर्थ में अभिधा का नियन्त्रण होने से यह व्यञ्जना व्यापारगम्य है । यह विष रूप व्यंग्यार्थ 'जलद रूपी सर्प' वाले वाच्यार्थ का ही पोषक है । क्योंकि 'विष रूपी विष' वाला अर्थ लेने पर ही रूपक ठीक बैठेगा, नहीं तो यहाँ उपमा अलंकार हो जायगा ।^१

१ भाव यह है कि जलद को सर्प बनाने के लिए जल को जहर बनाना जरूरी हो जाता है । इस तरह जलद पर सर्प का आरोप (जलद एव भुजगः) तथा विष पर विष (विषमेव विष) का श्लिष्ट आरोप होने पर सर्प व विष की प्रधानता हो जाती है । यदि 'जलदः भुजग इव' इस तरह उपमित समास मानकर उपमा मानी जायगी तो मूर्छा, प्रलय, शरीर का सुन्न होना आदि क्रियाएँ ठीक न बैठ पायँगी, जो रूक मानने पर ही ठीक बैठेंगी । अतः यहाँ रूपक ही है और और फिर जहर वाला व्यंग्यार्थ रूपक रूप वाच्यार्थ की सिद्धि का भग हो जाता है । अतः अतिशय चमत्कार वाच्य रूप अर्थ में ही रह जाता है ।

यहाँ वचि को रूपक ही अभीष्ट है यह 'कुरने' मित्रा के तत्तन् कर्मों—
घर आना, मूर्छा होना, शरीर मुन्न पड़ना—ने स्पष्ट है ।

इस वाच्यसिद्धयद्ग से काकु वैशिष्ट्य का कोई संबंध नहीं दिखाई
पड़ता । अतः इसका निषेध करना व्यर्थ होगा । तो, मन्मट का अभिप्राय
वृत्ति के "वाच्यसिद्धयंगं" पद से क्या था ? वस्तुतः मन्मट ने इम शब्द
का प्रयोग यहाँ "गुणीभूतव्यंग्य के एक भेदविशेष" के लिए पारि-
भाषिक रूप में न कर, सामान्य अर्थ में ही किया है । मन्मट का
तात्पर्य "वाच्यार्थ की शोभा का निष्पादक" से है । गोविन्द टकुर
ने भी इमकी टीका में—"वाच्यस्वसिद्धिः शोभनत्वनिष्पत्तिः" ही
लिखा है ।

अतः हमें काक्वाक्षिप्त गुणीभूतव्यंग्य तथा काकुवैशिष्ट्यजनित
प्रार्थी व्यञ्जना का अन्तर देयना होगा ।

काक्वाक्षिप्त गुणीभूतव्यंग्य वहाँ होगा, जहाँ उक्ति की वाच्यार्थ
प्रतीति अपूर्णरूप से हुई हो, और काकु ने प्रतीत अर्थ उस वाच्यार्थ
को पूर्ण कर दे । इस तरह वह काकु जनित व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का
उपस्कारक होकर गुणीभूत घन जाता है । यही कारण है कि वह
ध्वनि नहीं हो पाता । क्योंकि ध्वनि वाच्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ
का उपस्कारक नहीं होता, अपितु स्वयं वाच्यार्थ के द्वारा उपस्कृत होता
है । काक्वाक्षिप्त गुणीभूतव्यंग्य का निम्न उदाहरण ले लिया जाय —

मथ्नामि कौम्वशतं समरे न कोषान्,

दुःशासनन्य रुधिरं न पित्रान्पुरस्तः ।

संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु,

सधि करोतु भवता नृपति पण्येन ॥

यह भी वेणीमहार ने भीमसेन की उक्ति है । भीमसेन ने सी
कौरवों को मारने की, दुःशासन का गून पीने की, तथा सुयोधन की
जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा पछले ही कर रखी है । जब युधिष्ठिर पांच
गाँव पर ही कौरवों से सधि करने को तैयार हैं, तो भीम कहना है ।
क्या मैं तुम्हें से दुद्धस्थल में सी कौरवों को न मारूँ ? क्या मैं दुःशामन के
वक्षःस्थल से रुधिर न पिऊँ ? क्या मैं गदा से सुयोधन की जंघों को
न तोड़ूँ ? तुम्हारे राजा (किमी भी) शत्रु पर सधि करते रहें ।

यहाँ “क्या मैं.....न मारूँ” यह वाच्यार्थ पूर्ण नहीं है। वस्तुतः भीम को अभीष्ट यह है कि अपनी प्रतिज्ञा मैं कैसे छोड़ दूँ। यह वाच्यार्थ तभी पूर्ण होता है, जब काकुजनित व्यंग्यार्थ “अर्थात् जरूर मारूँगा” “जरूर पिऊँगा” तथा “जरूर तोड़ूँगा” की प्रतीति होकर वह उस वाच्यार्थ के अपूर्ण अंश को पूर्ण कर देती है। अतः यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक हो जाता है।

काकुवैशिष्ट्यजनित अर्थी व्यञ्जना में यह बात नहीं है। वस्तुतः वहाँ वाच्यार्थ पूर्ण होने पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। यह संकेत कर देना आवश्यक होगा कि इन स्थलों पर दो व्यंग्यार्थों की प्रतीति होगी। काकु से जनित प्रश्न रूप व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का पोषक होगा, तदंश में गुणीभूतव्यंग्यत्व होगा। तदनंतर प्रतीत द्वितीय व्यंग्यार्थ में ध्वनित्व ही होगा। “गुरु खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु” में “न” के काकु के कारण पहले प्रश्न रूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वह वाच्यार्थ का उपस्कारक है, तदनंतर प्रतीत “मेरे प्रति क्रोध करना अनुचित है, कौरवों के प्रति क्रोध करना उचित है”, यह व्यंग्यार्थ ध्वनित्व का ही निष्पादक है।^१ “मध्नामि” आदि पद्य में यह बात नहीं पाई जाती।

(४) वाक्यवैशिष्ट्य — यहाँ प्रयुक्त वाक्य के वैशिष्ट्य से ही वाक्यवैशिष्ट्य व्यंग्यार्थ प्रतीत होती है, जैसे,

तइआ मह गडत्थलणिमिअं दिट्ठि ण ऐसि अणत्तो ।

एणिह सच्चेअ अहं ते अ कवोला ण सा दिट्ठि ॥

(मो कपोल तैं अनत नहिं तब फेरत तुम दीठि ॥

हौं वा ही, सुकपोल वे, पर न तोर वा दीठि ॥)

इस वाक्य से “जब मेरी सखी का प्रतिबिंब मेरे कपोल पर पड़ रहा था, तब तो तुम उसे ध्यान से देख रहे थे, पर अब उसके चले

१ नञ्काक्वैव सहदेवगुरोः सुभगं तदाशयाभिज्ञ आतरं खा पृच्छामि गुरु दीने खिन्ने मयि खेदं भजति विरुद्धकारिषु कुरुषु नेत्येवं वाक्यार्थसिद्धौ तामेव प्रश्नव्यञ्जिका काकु सहकारिणीमासाद्य वाक्यार्थे मयि न योग्य इत्यादिरूपमनौचित्य भीमक्रोधप्रकर्षतया वाच्यादपि चमत्कारि व्यञ्जयतीति तद् हृदयम् ॥
—टिप्पणी पृ० ७५

जाने पर तुम्हारी दृष्टि धौर ही प्रकार को हो गई है", उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। यहाँ नायक का कामुकत्व व्यक्त होना है। प्रथवा जैसे निम्न दोहे में—

रही रावरी भौर लौं हम पर दीटि दयाल ।

अत्र न जानियत सौंफ लौं, कत कौन्हों रंग लाल ॥

इस दोहे में "भौर लौं हम पर दीटि दयाल" उस घातक ने "अत्र तुम्हारी कृपा नहीं है" यह अर्थ प्रतीत होता है। इसमें नायक की अन्यासक्ति व्यंजित होती है।

(५) वान्चवैशिष्ट्य — कहीं कहीं वाच्यवैशिष्ट्य (व्यंग्यार्थ की विशिष्टता) के द्वारा व्यंग्यार्थ प्रतीति होती है।

वाच्यवैशिष्ट्य वाच्यवैशिष्ट्य में व्यंग्यार्थ प्रतीति का प्रमुख साधन वाक्य ही होता है, जब कि वाच्यवैशिष्ट्य में व्यंग्यप्रतीति का मुख्य साधन वाच्यार्थ होता है। जैसे निम्न उदाहरण में,

उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशाची,

कुजात्कपांकुरितरमणीविभ्रमो नर्मदाया ।

कि चैतरिम्न सुरतसुहृदस्तन्त्रि ते वान्ति वाना,

येपामग्रे सरति, कलिताकाण्डकोपां मनोभः ।

हे प्रिये, देवो, इस नर्मदा के तीर पर सरस कदली की पत्तियों सुशोभित हो रही हैं। इस तीर के कुज को देवने ही कामिनियों में विलास अकुरित हो उठना है। यहाँ सुरत क्रीडा में सहायता पहुँचाने वाले (सुरत के मित्र) वायु चला करते हैं। इन वायुओं के आगे आगे, बिना कारण क्रुद्ध कामदेव चला आ रहा है।

इसमें सुरत्यार्थ से ही नायक की केलि की अभिलाषा व्यंजित हो रही है। इस उदाहरण में केवल वान्चवैशिष्ट्य ही न होकर देशवैशिष्ट्य तथा कालवैशिष्ट्य भी हैं। नर्मदा का सरसकदलीशोभित तट तथा मन्द पवन का बहना भी तत्त्ववैशिष्ट्य के द्वारा व्यंग्यार्थ प्रतीति में सहायक हो रहे हैं।

धाम परीक निवारिये फलित ललित अलिपुंज ।

जमुना तीर तमाल तरु मिलत मानती कुंज ॥ (दिवारी)

इसमें वाच्य, देश (यमुनातीर), काल (दुपहरी) के वैशिष्ट्य से नायिका के इस वचन से सहृदयों को उसके 'क्रीडाभिलाष' की व्यंजना हो ही जाती है। शुद्ध वाच्यवैशिष्ट्य का उदाहरण यह ले सकते हैं—

मधुमय वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में ।
कब आये थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में ॥
कब तुम्हें देखकर आते यों मतवाली कोयल बोली थी ।
उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आँखें खोली थी ॥

(कामायनी काम)

इस पद्यांश में पहले मुख्यार्थ की प्रतीति हो रही है। यह वाच्यार्थ "मनु के मन में अज्ञात रूप से काम का उदय हो गया है तथा काम के प्रथमाविर्भाव से उसका मन उल्लासित हो उठा है" इस व्यंग्य की प्रतीति कराता है।

(६) अन्यसन्निधिवैशिष्ट्यः—कभी २ वक्ता तथा बोद्धव्य व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास में अन्यसन्निधि खड़े होने का ज्ञान हो जाने पर ही सहृदय को व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो पाती है। जैसे,

णोल्लेइ अणणमणा अत्ता म घरभरम्मि सअलम्मि ।

खणमेत्तं जइ संभाइ होइ ण वि होइ बीसामो ॥

(घर के सारे काज में प्रेरित करती सास ।

कबहुँ एक न खनसाँभ माँ कबहुँ न पाती साँस ॥)

यहाँ यह वाक्य किसी सखी या पडोसिन से कहा जा रहा है। वैसे वाक्य का लक्ष्य पास में निकलता हुआ उपनायक है। यह जानने पर कि पास से उपनायक निकल रहा है, सहृदय "संध्या समय संकेत काल है" इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति कर लेगा।

घर के सब न्यौते गये अली अँधेरी रात ।

हैं किवार नहिं द्वार में, ताते जिय घबरात ॥

यहाँ भी अन्य सन्निधि का ज्ञान होने पर सहृदय को व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो ही जायगी। नायिका नायक को संकेत करना चाहती है कि दरवाजा खुला ही रहता है, घर में कोई नहीं है, अतः निर्बाध चले आओ।

(७) प्रस्ताववैशिष्ट्यः—कभी कभी व्यंग्यार्थ की प्रतीति वक्ता के प्रस्ताव से भी हो जाती है, जैसे,

कालो मधुः कुपित एव च पुष्पधन्वा
धीरा वहन्ति रतिग्देहराः समीराः ।
केलीवनीचमपि वंजुलकुञ्जलमञ्जु
दूरे पति कथय किं करणीचमम् ॥

हे सन्धि, वसन्त का समय है और यह कामदेव कुपित हो रहा है । रतिग्देह को हटाने वाला पवन मंद मंद चल रहा है । यह वेतस के कुञ्जों की रमणीय क्रीडावाटिका भी है । किन्तु पति दूर पर है । प्रता, आज क्या करे ?

इसमें नायिका सखी के सन्मुख “आज क्या करे” इस प्रस्ताव को रसती है । इससे उपपत्ति-प्रानयनरूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है । इस पत्र में वक्ता, देश, काल, तथा प्रस्ताव इन सभी का वैशिष्ट्य पाया जाता है ।

सजि सिगार सब सँक्त ही, समय रूप लखि नैन ।

चारु चंद्रकर मिस मदन घरसत भोगिन चैन ॥

इस प्रस्ताव से ‘अभिसरण’ रूप व्यंग्य की प्रतीति होती है ।

(८) देशवैशिष्ट्यः—कभी कभी व्यंग्यार्थ की प्रतीति देश के ज्ञान से भी हो जाती है, जैसे,

सागर-तीर लतान की ओट अकेली इतने डगरी डरी प्राली ।

होई इत हाल न जान्यो कछू लछिराम जू धामी करार विसाली ॥

न भजे केरि न आइयो घाट घरीक मैं तैं है प्रकास फनाली ।

भोर ही भुलि भरी भभरी किरै, नागर में परी नागिनि काली ॥

—(लछिराम)

यहाँ सागर के निकट संकेतस्थल ने नायिका सखी को सर्प का टर दिवाकर हटाना चाहती है ।

(९) काल विशेषः—कभी कभी व्यंग्यार्थ प्रतीति काल के ज्ञान से भी होती है, जैसे,

भूमि हरी ये प्रवाह पावो जल मोर नये गिरि तैं नगरारे ।

पचला त्यों धमके लछिराम पड़े पड़े औरन तैं पन पारारे ॥

जान दे वीर विदेस उन्हें कछु बोल न बोलिए पावस प्यारे :
आइहैं अबि घरी में घरै घनघोर सों जीवनमूरि हमारे ॥

—(बछिराम)

इसमें पावस समय के ज्ञान से कामोद्दीपन की व्यजना हो रही है ।

छकि रसाल सौरभ सने मधुरमाधवी गध ।

ठौर ठौर भूमत रूपत भौर-झौर मधु अंध ॥ (बिहारी)

इसमें शृंगार का उद्दीपन व्यंग्य है ।

मधु बरसती विधु किरन हैं काँपती सुकुमार ।

पवन में है पुलक मंथर, चल रहा मधुभार ॥

तुम समीप, अधीर इतने आज क्यों है प्राण ?

छक रहा है किस सुरभि से वृत्त होकर घ्राण ?

(कामायनी: वासना)

इन पंक्तियों से मनु की वासना तथा क्रीडाभिलाष व्यंजित हो रहे हैं

(१०) चेष्टा — व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने वाले तत्त्वों में चेष्टा का भी प्रमुख हाथ है । हम बता चुके हैं कि इन दस तत्त्वों में से किसी एक का भी ज्ञान होने पर सहृदय को व्यंग्यार्थ चेष्टा प्रतीति हो जाती है । कभी कभी एक से अधिक भी व्यञ्जक पाये जा सकते हैं, यह हम देख चुके हैं । जहाँ केवल चेष्टा होगी, वहाँ वह चेष्टा भी निहित भावरूप व्यंग्यार्थ का बोध करायगी । चेष्टा के भावव्यञ्जकत्व के विषय में पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों विद्वानों ने विचार किया है । चेष्टाएँ वस्तुतः अर्थव्यक्ति के प्रतीक (Symbol) ही हैं, जो ध्वन्यात्मक प्रतीकों (शब्दों) से भिन्न हैं । पतञ्जलि ने एक स्थान पर चेष्टाओं को भावों का व्यञ्जक या अर्थ-बोधक माना है । वे कहते हैं:—“कई भाव शब्दों के प्रयोग के विना भी व्यक्त किये जा सकते हैं, जैसे अक्षिन्-कोच या हस्तसंचालन से ।”^१ वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज ने

१. अन्तरेण खल्वपि शब्दप्रयोग भावोऽर्था गम्यन्तेऽक्षिन्कोचैः पाणिवि-
हारैश्च । (महाभाष्य २. १. १.)

चेष्टादि मे अर्थव्यञ्जकता तो मानी है, पर वे चेष्टा तथा अपभ्रंश शब्दों को एक ही कोटि में रखते हैं। उनके मत से इन दोनों के द्वारा साक्षात् रूपसे अर्थ-प्रत्यायन न होकर गौण रूप से ही होता है।^१ गङ्गेश चेष्टादि की तुलना लेखन ने करते है। उनका मत है कि अर्थों का आवश्यक सवध ध्वनियों से ही होता है। शिक्षा ग्रन्थों के देखने से पता चलता है कि चेष्टा का वैदिक भाषा में बड़ा महत्त्व था। इसका प्रयोग स्वर के आरोहावरोह के द्योतन किया जाता था। पाणिनि शिक्षा मे तो एक स्थान पर अशुद्ध चेष्टाओं के प्रयोग को अशुद्ध उच्चारण के समान हानिकारक माना है।^२ इस विवेचन का अभिप्राय यह है कि चेष्टा से अर्थ या भाव की प्रतीति प्राचीन विद्वानों ने भी मानी है। व्यंग्यार्थ की प्रतीति के साधनों में चेष्टा भी एक है, जैसे।

द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तथा सौन्दर्यसारश्रिया
 प्रोह्लास्योरुयुग परस्परसमासक्तं समासादितम् ।
 आनीतं पुरतः शिरोञ्जुकमधः क्षिप्ते चले लोचने
 वाचस्तत्र निवारितं प्रसरण संकोचिते दोर्लते”

‘ज्योंही मैं द्वार के समीप से निकला, उस सौन्दर्यमयी नायिका ने अपनी जाँघों को फैलाकर वापस एक दूसरे से सिकोड लिया, सिर के बग़रों आगे रौंचा, चंचल नेत्रों को नीचे गिरा दिया, घातर्चीत करना बन्द कर दिया, तथा अपने हाथों को एक दूसरे से ममेट लिया।’

इस उदाहरण में जाँघों का सिकोडना, सिर के आंचल का आगे रौंचना, चंचल नेत्रों का नीचे डालना, बाणी का निवारण, तथा हाथों का ममेटना तन् तन् व्यंग्य की प्रतीति कराते हैं। सहृदय को इन चेष्टाओं से “शाम के समय जब कोई शोरगुल न हो, चुपचाप छिपे आ जाना। मैं आलिंगन का परितोषिक दूंगी” इम व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो ही जाती है। यहाँ पर यह घात ध्यान देने की है कि ये

१. क्षिणिकोष्ठादिवद् अपभ्रंश ना अपि साधुप्रनाटिकपार्थं प्रत्यायन्ति ।
 (या. प टीका. १. १५१)

२. हेमिषे—दाशायनप्रातिशाक्य १. १०१-५, ध्यामशिक्षा २३०;
 पाणिनिशिक्षा ५४.

चेष्टाएँ बाहर से ऐसी जान पड़ती हैं मानों वह नायिका पर-पुरुष को देखकर लज्जा कर रही है ।

कन्त चौक सीमन्त में बैठी गाँठ जुराय ।

पेखि परोसी को पिया घूँघट में मुसकाय ॥ (मतिराम)

किसी नायिका का सीमंत संस्कार हो रहा है । वह अपने पति के साथ गठबंधन करके मण्डप में बैठी है । संस्कार को देखने के लिए एक पड़ोसी भी आया है । उसे देखकर वह घूँघट में मुसकुरा देती है । यहाँ उस पड़ोसी को देखकर नायिका का 'मुसकुराना' यह चेष्टा एक गूढ़ व्यंग्य की प्रतीति कराती है । यह प्रकरण ज्ञात होने पर कि नायिका सच्चरित्रा नहीं है, तथा वह पड़ोसी उसका उपपति है, 'मुसकुराने' के व्यंग्यार्थ को जानने में विलंब न होगा ।

व्यञ्जना-शक्ति के द्वारा प्रत्येक प्रतीयमान अर्थ (व्यंग्यार्थ) तीनप्रकार का माना जाता है — वस्तु रूप, अलंकाररूप तथा रस रूप । इन्हीं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल वस्तु-व्यञ्जना, अलंकार-व्यंग्य के तीन प्रकार व्यञ्जना तथा भावव्यञ्जना कहते हैं । जहाँ किसी वस्तुमात्र की व्यंजना हो, वह वस्तुरूप व्यंग्य है । जहाँ अलंकार की व्यंजना हो, वह अलंकाररूप व्यंग्य है । तथा जहाँ रस या भाव की व्यंजना हो, वह रसरूप व्यंग्य है । यह हमेशा याद रखना चाहिए कि व्यंग्यार्थ प्रतीति में सर्व प्रथम सदा वाच्यार्थ-प्रतीति होती है । वाच्य अर्थ की अवहेलना कदापि नहीं होगी । वाच्यार्थ ज्ञान के बाद ही व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है । ऊपर के तीन प्रकार के अर्थों में वस्तु रूप तथा अलंकार रूप अर्थ सदा व्यंग्य ही होते हों, ऐसा नहीं है । ये वाच्यरूप में भी काव्य में उपात्त हो सकते हैं, जैसे स्वभावोक्ति में, तथा उपमा आदि में । किन्तु रस रूप अर्थ सदा व्यंग्य ही होता है, क्योंकि उसकी प्रतीति किसी भी दशा में वाच्य रूप में नहीं होती । रस शब्दों द्वारा अभिहित न होकर, विभावादि के द्वारा व्यञ्जित होता है । यहाँ इन तीनों प्रकार के व्यंग्यों का उदाहरण दे देने से विषय और स्पष्ट हो जायगा ।

(१) वस्तु-व्यञ्जना.—जैसे,

सन्ध्या अरुण जलज केसर ले अब तक मन थी बहलाती ।

सुग्भा कर कव गिरा तामरस, उसको खोज कहाँ पाती ॥

द्विनिजगल का तुंहुम गिटना मलिन कालिमा के कर ने ।
फोभिल की पाकली वृथा ही अत्र कलियों पर मँटगनी ॥

(दामास्नीः स्वप्न सर्ग)

इसमें एक साथ दो दो वस्तुओं की व्यंजना हो रही है—एक अंतर सन्ध्या की लालिमा धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, तथा रात्रि का अन्धकार बढ़ रहा है. इस वस्तु की व्यंजना हो रही है । इस प्रकार 'स्वप्न' सर्ग की प्रष्टभूमि के रूप में प्रकृतिसिद्धि ए यहाँ कवि का प्रथम प्रगीष्ट है । किन्तु उन्हीं पक्तियों में मनु के चले जाने के बाद अज्ञ की विरह-व्याकुल अवस्था की व्यंजना हो रही है । ठीक इसी सर्ग में बाद में बर्णित धृष्टा की विरह-व्यथा की व्यंजना इस पद्य में हो रही है ।

(२) अलक्षर-व्यञ्जनाः—जैसे,

अति मधुर गंधधर प्रष्टा परिमल वूँटों से सिंचित ।
मय्य स्पर्श कमलकंठर का कर आया रज ने रंजित ॥
जैसे अमरत्य सुकुनों का मादन विकाम कर आया ।
उनके अद्भूत अधरो का किनना चुंघन भर लाया ॥

(कामाचर्याः आनंद सर्ग)

यहाँ "जैसे अमरत्य सुकुनों का मादन विरास कर आया" इसमें उत्प्रेक्षा अलक्षर चान्चल्य में कहा गया है । यहाँ उत्प्रेक्षा अलक्षर पवन के ऊपर दार्मी नायक के व्यवहार के प्रांगेष की व्यञ्जना कराता है । अतः यहाँ समासोक्ति अलक्षर व्यंग्य है ।

(३) रसव्यञ्जनाः—जैसे,

नैना भये अनाथ हमारे ।

मदनगोपाल यहाँ से सजनी, सुनिबन दूरि निधारे ॥
ते हरि जल, हम मीन पापुगी, जैसे जिवहि निधारे ।
हम पातक परीर भ्याज-वन, यद्वन सुधा नित्य प्यारे ॥
मधुवन परत आन दरसन की, जोई नैन मन हारे ।
मम न्याम कीनी विर लेगी, सुकहै मैं पुनि मारे ॥

इस पद में गोपिका के विप्रलंभ शृंगार रूप रस की व्यंजना हो रही हैं। अथवा,

सघन कुज छाया सुखद सीतल मंद समीर ।

मन है जात अर्जौ बहै वा जमुना के तीर ॥ (बिहारी)

इस दोहे में 'वा' पद के महत्त्व के कारण वाच्यार्थ से सर्वप्रथम 'स्मृति' रूप संचारिभाव की व्यंजना होती है। उसके बाद यह संचारिभाव कृष्ण के प्रति गोपी के रतिभाव को व्यंजित करता हुआ विप्रलंभ की प्रतीति कराता है।

इसी संबंध में व्यञ्जना, व्यंग्य तथा ध्वनि के परस्पर भेद को समझ लेना आवश्यक है। व्यञ्जना तथा व्यंग्य का तो परस्पर कार्य-कारण संबंध है, इसे हम जानते ही हैं। किन्तु ध्वनि और व्यंजना का भेद यह ध्वनि क्या है? वैयाकरणों के मतानुसार ध्वनि वह अखण्ड तथा नित्य शब्द है, जो स्फोट (शब्दब्रह्म) को व्यंजित करता है। इसी आधार पर व्यञ्जना व्यापार के द्वारा प्रतीयमान अर्थ को द्योतित कराने वाला काव्य, साहित्यिकों के मतानुसार, ध्वनि कहलाता है। यद्यपि इस दृष्टि से 'ध्वनि' वस्तुतः उस काव्य की पारिभाषिक संज्ञा है, जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ होता है, तथापि प्रतीयमान अर्थ से युक्त समस्त काव्य ध्वनि नहीं कहलाते। केवल वे ही काव्य ध्वनि हैं, जिनमें शब्द तथा वाच्य अर्थ अपने आपको तथा अपने अर्थ को गौण बनाकर प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कराते हैं।^१ दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, कि जहाँ कवि का मुख्य उद्देश्य प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कराना हो, उस काव्य को ध्वनि कहा जायगा। इस दृष्टि से वे काव्य जहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीति वाच्यार्थ से उत्कृष्ट नहीं, तथा जहाँ व्यंग्यार्थ गौण हैं, एवं वे काव्य जहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीति महत्त्व नहीं रखती, ध्वनि के अन्तर्गत नहीं आते। इसीलिए ध्वनिकार के

१. यत्रार्थ. शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

वङ्क्त. काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथित. ॥

सुर्जाभूत व्यंग्य तथा चित्र काव्य को ध्वनि ने अलग माना है।^१ दूसरे स्थान पर उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा भी कहा है—'विद्वानों ने पहले से ही ध्वनि को काव्य की आत्मा मान रखा है।'^२ इस दृष्टि ने जिन काव्यों में ध्वनित्व नहीं है, वे ध्वनिकार के मत में आत्मा से युक्त नहीं हैं, उनमें 'आत्माभास' ही है। अतः वे वस्तुतः काव्य न होकर 'काव्याभास' हैं। यद्यपि ध्वनिकार उनका समावेश भी काव्य के अंतर्गत करते हैं, तथापि यह अनुमान करना असंगत न होगा कि वह इन्हें 'काव्याभास' कोटि में मानते हैं।

इस विषय से हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि व्यंग्य महाविषय है, तथा ध्वनि लघुविषय है। दूसरे शब्दों में व्यंग्य व्यापक है, ध्वनि व्याप्य। जहाँ-जहाँ ध्वनि होगी, वहाँ-वहाँ व्यंग्यत्व व्यंग्य महाविषय तथा प्रवृत्त होगा। किन्तु ऐसे भी स्थल हो सकते हैं, जहाँ व्यंग्य होने पर भी ध्वनि न हो। इतना होने पर भी ध्वनि का प्रयोग औपचारिक दृष्टि से व्यंग्यार्थ के लिए भी किया जाता है। अलंकार शास्त्र में दोनों शब्दों का प्रयोग समान रूप से पाया जाता है। क्योंकि ध्वनि में उत्कृष्ट व्यंग्यार्थ पाया जाता है, अतः ध्वनि को उपचार से व्यंग्य से अभिन्न मान लिया गया है। आगे के परिच्छेदों में व्यंग्य तथा ध्वनि दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ इनके इस भेद को स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा गया है।

पाश्चात्य विद्वान् और व्यंग्यार्थ

यद्यपि पाश्चात्य विद्वान् व्यञ्जना जैसी शब्दशक्ति नहीं मानते, फिर भी व्यंग्यार्थ को अग्रव्य मानते हैं। पाश्चात्यों के 'एन्यूजन' (allusion) तथा 'द्वयर्थ' (double sense) पश्चात् विद्वान् को हम व्यंग्यार्थ के समस्त मान सकते हैं। और व्यंग्यार्थ 'एन्यूजन' लाक्षणिक प्रयोग ने विशेष संश्लेष रूप में प्रयुक्त होता है, तथा इन्हीं में विशिष्ट लाक्षणिक प्रयोग की मनोवृत्ति निर्दिष्ट रहती है। फिर भी 'एन्यू' में

१. देखिए—'काव्य की कमीलें—व्यञ्जना' काव्य परिच्छेद

२. "काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सुख्यं. सत्याभासपूर्वकः"

अथवा एलेंगजेड्रियन साहित्य-शास्त्रियों में इस प्रकार का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। किंतीलियन ने इस पर अवश्य प्रकाश डाला है। किंतीलियन के मतानुसार यह प्रयोग ठीक 'आइरनी' (Irony) की तरह विपरीतार्थक नहीं है। वस्तुतः यह तो उसी वास्तविक अर्थ में निहित होता है, जिसकी प्रतीति कवि कराना चाहता है। दुमार्से में दो अलंकार ऐसे मिलते हैं, जो सामान्य रूप से 'एल्यूजन' से संबद्ध जान पड़ते हैं। इनमें एक तो 'एलेगरी' (allegory) है, दूसरा विशिष्ट प्रकार का एल्यूजन (proper allusion) है। इस विषय में दुमार्से ने लिखा है:—“एलेगरी का मेटेफर से अत्यधिक संबंध होता है। यह केवल वही अर्थ नहीं है, जिसकी प्रतीति मेटेफर से होती है। इस प्रकार की अर्थाभिर्व्याक्त में सर्वप्रथम मुख्यार्थ की प्रतीति होती है। तदनन्तर उन समस्त वस्तुओं की प्रतीति होती है, जिनका प्रयोग कोई व्यक्ति, मनोवृत्ति को व्यक्त करने के लिए करता है। इस प्रकिया में दूसरे अनभिवाञ्छित अर्थ की बुद्धि साथ ही साथ उत्पन्न नहीं होती।”^१ एल्यूजन तथा शाब्दी क्रीडा (ले जू द मो—les jeux de mots) का एलेगरी से घनिष्ठ संबंध है। एलेगरी में स्पष्ट रूप में तो एक ही अर्थ की प्रतीति होती है, किंतु साथ ही किसी दूसरे अर्थ की मनोवृत्ति की भी व्यंजना होती है। यह व्यंजना अधिकतर एल्यूजन या शाब्दी क्रीडा के द्वारा ही होती है। यह व्यंग्यार्थ प्रतीति जो मुख्यतः किसी न किसी भाव (अर्थ) से संबद्ध है, मेटेफर पर आश्रित रहती है। यही 'एल्यूजन' है। इस

१. “L'allegorie a beaucoup de rapport avec la metaphore, l'allegorie n'est meme qu'une metaphore continuee. L'allegorie est un discours qui est d'abord presente sous un sens propre, qui parait tout autre chose que ce qu'on a dessein de faire entendre, et qui cependant ne sert que de comparison pour donner l'intelligence d'un autre sens qu'on n'exprime point ”

—Dumarsais quoted by Regnard P. 51.

प्रकार पाशानों के 'अभिव्यक्ति' में हम लक्षणात्मक तथा अर्थमूलक स्वभाव का समावेश कर सकते हैं। गार्गी कीर्ति ने जहाँ निमित्तार्थ प्रतीति दी है, उसे हम गार्गी अभिव्यक्त्यात्मक स्वभाव के समझकर मान सकते हैं। फिर भी गौर ने देवियों पर प्रकाश होता है कि वाच्यार्थ पर तथा द्वयार्थक मन्त्रों के प्रयोगों पर आधुनिक स्वयंज्ञता ठीक उनी इन पर पाश्चात्य साहित्य में नहीं मिलती। हमारा अनुभव दारुण भाषाश्री की अभिव्यक्ति तथा शब्दमन्त्र का भंग है। मन्त्र भाषा इतनी अधिक सुगठित गन्धायली बाली है तथा पर्यायवाची परं विपर्ययार्थक शब्दों में इतनी समृद्ध है कि इस प्रकार का वाच्यकीर्ति अभिव्यक्ति का यहाँ पर्याप्त साधन है, जो पाश्चात्य भाषाओं में नहीं। ठीक यहाँ धन सम्पन्न तथा हिंदी के विषय में भी लागू होता है। स्वयंज्ञता तथा 'अर्थ' के भेदोपभेदों के उचित उदाहरण जैसे मन्त्रों में मिल सकते हैं, जैसे यहाँ भेदों के लिये हिंदी में मिलना पटिन है।

पाश्चात्य दार्शनिकों में फिर भी एक स्थान पर एक ऐसी शक्ति का संकेत मिलता है, जिसे हम स्वयंज्ञता के समान मान सकते हैं। जैसे, शब्द रूप में तो यह शक्ति नहीं है, किन्तु शब्दों के अन्तर्गत स्थान है, उसी प्रकार उनमें भी शब्दों के अभिव्यक्ति का महत्ता पाई जाती है। यह शक्ति— यदि इसे शक्ति कहना अनुचित न हो तो—स्टाइल दार्शनिकों का 'तो लेक्त्तोन' (to lekton) है। इसका अनुवाद अधिस्तर लान "अर्थ" या 'अभिव्यक्ति' (Meaning or expression) में करते हैं। जेम्स के मत में, 'तो लेक्त्तोन' विचारों का सार है। यहाँ पर हम विचार का प्रत्यक्ष सीमित रूप में कर रहे हैं। हमने विचार वाच्य पदार्थ में, जिसमें उसका संबंध रहता है, मिलता होता है, साथ ही यह अपनी स्वयंज्ञक धर्मि (शब्द) में तथा उसके प्रकट करने वाली मन शक्ति में भी मिलता है।" जेम्स के अनुसार: 'तो लेक्त्तोन' या वाच्यार्थक रूप

१. "...the substance of thought, thought recorded by itself as a distinct something, differing from

देने में समर्थ नहीं हो सका है। स्टाइक दार्शनिकों के इस शब्द का स्वरूप हमें कुछ बाद के लेखकों के उल्लेखों से ज्ञात होता है। अरस्तू के टीकाकार एमोनियस ने बताया है कि “जिस वस्तु को स्टाइक दार्शनिकों ने ‘लेक्टोन’ नाम दिया है, वह मन तथा पदार्थ के मध्य में स्थित है।” एक दूसरे ग्रीक विद्वान् के मतानुसार “स्टाइक दार्शनिक तीन वस्तुओं को परस्पर संबद्ध मानते हैं:—प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, तथा पदार्थ। इनमें प्रतिपादक शब्द (दिआ) है, पदार्थ बाह्य उपकरण है। प्रतिपादक वह वास्तविक वस्तु है, जो शब्द से अभिव्यक्त होती है। इस प्रतिपाद्य विषय की स्थिति मानस में रहती है। यह वह वस्तु है जिसे अनभिप्रेत (दूसरे लोग) व्यक्ति शब्द सुनते समय भी नहीं समझ पाते। इनमें दो वस्तुएँ (शब्द तथा पदार्थ) मूर्त हैं, किंतु एक (लेक्टोन) अमूर्त है।”^२

from the sound by which it is expressed, and from the power of mind which produces it”

—Stoics, Epicureans and Sceptics. P 91.

१, “.. between the mind and object—what was posited by the stoics, under the name of ‘lekton’—De Interpretatione.

२. “The stoics claim that there are three things interconnected—the signified, signifier, and the object. of these, the signifier is the word e. g. Dio, and the signified is the actual thing that is expressed by the word—the thing that we apprehend as existing in dependence on our mental attitude—the thing that foreigners do not understand even when they hear the word, and the object is the external phenomenon. Of these three two they say are corporeal (viz. the word and the object) and one incorporeal (viz. the thing signified or lekton).”

यस्तुतः तो लेक्तोन मन तथा पदार्थ के बीच रहना है, तथा इसका आधार मनः स्थिति है। इन्हे हम ये भाव मान सकते हैं, जिन्हे व्यक्ति चेतन या अर्धचेतन रूप में व्यक्त करना चाहता तो ऐक्योप तथा व्यंजना है। इस तरह तो लेक्तोन व्यंग्य के निकट मिट्ट होना है। पर पूरे तौर पर यह भी व्यंजना सिद्ध नहीं होता। ध्वनिवादियों की व्यंजना तो वह शक्ति है, जिसके द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। यह स्वयं व्यंग्यार्थ ने भिन्न वस्तु है। अस्तु चरपि मानव मन की संवेद स्वभाविक क्रियाओं तथा प्राकृतिक परिस्थितियों ने जनित उनके परिवर्तनों का स्वीकार करता है, फिर भी यह विचार तथा पदार्थ के बीच की स्थिति को नहीं मानता। षष्ठीक्यूरियन दार्शनिक भी लेक्तोन जैसी वस्तु मानने के पक्ष में नहीं है। इसी बात को फ्लूतार्च ने बताया है कि षष्ठीक्यूरियन दार्शनिक शब्द तथा पदार्थ की ही सत्ता स्वीकार करते हैं। प्रतीयमान जैसी वस्तु को वे मानते ही नहीं। इस तरह उन्होंने अभिव्यंजना के प्रकार से छुटकारा पाया है। उन्होंने अभिव्यक्ति के प्रकार—दिक्, काल तथा स्थान को 'सत्' की कोटि में नहीं माना है। यस्तुतः देखा जाय तो इन तत्त्वों में समस्त मृत्यु निहित है। वे ही लोग एक ओर इन्हें 'अमत्' मानते हुए भी इन्हें कुछ न कुछ अदृश्य मानते हैं।' कहना न होगा कि भारतीय साहित्य शास्त्री के व्यंग्यार्थ तथा व्यंजना का आधार भी दिक्, काल जैसी वस्तुएँ ही हैं।*

व्यंग्यार्थ का संबंध केवल शब्द मात्र ने ही नहीं होता। यही

3. They deprive many important things of the title of 'existent', such as Space, Time and Place—in fact the whole category of 'expression' (lekta), in which all truth resides—for these, they say are not existent, though they are something.

—Plutarch

२. देखा—इसी परिच्छेद में, अभिव्यंजना के माधन ।

कारण है कि व्यंग्यार्थ की प्रतीति केवल शब्द तथा उसके अर्थ के जान लेने भर से नहीं होती। कई लोग व्यंग्यार्थ को उपसहार वाच्यार्थ से भिन्न नहीं मानते तथा इसकी प्रतीति अभिधा के ही द्वारा मानते हैं। पर ऐसा मत समीचीन नहीं। व्यंजना जैसी शक्ति हमें माननी ही होगी, क्योंकि व्यंग्यार्थ की प्रतीति अभिधा, लक्षणा या अनुमान के द्वारा कभी नहीं हो सकती।

— — —

सप्तम परिच्छेद

अभिधावादी तथा व्यंजना

Not only the actual words, but the association determines the sense in Poetry.

When this happens, the statements which appear in the poetry are there for the sake of their effects upon feelings, not for their own sake.

—Richards.

ध्वनि सम्प्रदाय के आचार्यों ने प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति के लिए व्यंजना जैसी चौथी शक्ति की स्थापना कर दी थी। व्यंजना का सर्व-प्रथम उल्लेख हमें ध्वनिकार की ही कारिकाओं में देखना ही 'स्फोट' मिलता है। किन्तु यह स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है कि काठमीर के प्राचीन आलंकारिकों में से कुछ व्यंजनावादी ध्वनिकार आनन्दवर्धन के पूर्व अवगत्य रहे होंगे। हमें इन प्राचीन व्यंजनावादियों का उल्लेख तथा इनके मत का पता नहीं चलता। किन्तु यह स्पष्ट है कि इन्हीं लोगों के मत को ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने विशद रूप में रचने की चेष्टा की थी। यह भी अनुमान लगाना अनुचित न होगा कि इन लोगों की व्यंजना व्याकरण-शास्त्र के 'स्फोट' सिद्धान्त में भी अत्यधिक प्रभावित हुई थी। व्याकरण-शास्त्र में 'स्फोट' रूप अग्रण्ट एवं नित्य शब्द (यदि उसे शब्द कहना अनुचित न हो तो) की कल्पना की गई है। वर्य, पद वाक्य आदि इसी 'स्फोट' के व्यंजक हैं, तथा 'स्फोट' रूप अग्रण्ट तत्त्व इनका व्यंग्य है। उदाहरण के लिए जब हम 'घट' शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इस शब्द में षष्ठम पाठ ध्वनियाँ हैं:—घ, अ, ट्, एवं अ। ज्यों ज्यों हम इस ध्वनि का उच्चारण करते जाते हैं, त्यों त्यों पूर्व पूर्व ध्वनि होती जाती है। इस तरह सारी ध्वनियाँ एक साथ नहीं सुनी जा सकती। तब तो पूरे शब्द का अर्थ तथा इसकी अर्थ प्रतिपत्ति अक्षम

है। इस असंगति को मिटाने के लिए मीमांसक 'संस्कार' की कल्पना करते हैं। उनका कहना है कि पहली ध्वनि के नष्ट हो जाने पर भी उसकी स्मृति, उसका संस्कार बना रहता है। यह संस्कार शब्द की अंतिम ध्वनि के साथ मिलकर शब्द ग्रहण तथा अर्थ की प्रतीति कराता है। वैयाकरण इस संस्कार को नहीं मानते। उनके मत से शब्द दो प्रकार के होते हैं—वर्णात्मक तथा ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक शब्द अनित्य तथा ध्वन्यात्मक नित्य है। जब हम पूर्व पूर्व ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वर्णात्मक शब्द नष्ट हो जाता है, किंतु ध्वन्यात्मक शब्द नष्ट नहीं होता। यही ध्वन्यात्मक शब्द (ध्वनि) अखण्ड रूप में पद, वाक्य या महावाक्य की प्रतीति कराता है। यह ध्वनि जिस अखण्ड सत्त्व को व्यञ्जित करता है, वह 'स्फोट' कहलाता है। इसकी व्यञ्जना सत्त्त्, वर्णों, पदों या वाक्यों के द्वारा होती है। साहित्यिकों का प्रतीयमान अर्थ भी पद, पदांश, अर्थ आदि के द्वारा व्यञ्जित होता है। यह इन पदों या वाक्यों का वाच्य या लक्ष्य अर्थ नहीं। अतः उसके लिए व्यञ्जना नाम की अलग से शक्ति मानना ठीक होगा।

व्यञ्जना तथा स्फोट दोनों के विकास का ऐतिहासिक अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनका विकास एक-सी ही दशाओं में हुआ है। स्फोट सिद्धांत के सबसे अधिक विरोधी मीमांसक रहे हैं। मीमांसकों ने वर्णादि के व्यञ्जकत्व तथा 'स्फोट' के व्यंग्यत्व का खण्डन किया है। एतेहासिक विकास तथा 'स्फोट' के व्यंग्यत्व का खण्डन किया एक-सा इन्होंने मीमांसकों ने व्यञ्जना का भी खंडन किया है। किन्तु मीमांसकों के द्वारा अवरुद्ध किये जाने पर भी 'स्फोट' सिद्धांत भर्तृहरि के 'वाक्यपदीय' में पूर्ण प्रौढ़ि को प्राप्त हुआ तथा पूर्णतः प्रतिष्ठित हुआ। ठीक इसी प्रकार व्यञ्जना का सिद्धांत भी मीमांसकों के द्वारा खण्डित किए जाने पर भी आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त तथा मम्मट के प्रबन्धों में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया।

१. व्याकरण शास्त्र के दार्शनिकत्व की दृष्टि-से भर्तृहरि के वाक्यपदीय का संस्कृत साहित्य में प्रमुख स्थान है। भर्तृहरि के इस महत्त्व की प्रशंसा पाश्चात्य विद्वान् भी मुक्तकण्ठ से करते हैं। सन् ५१ के ३ मार्च को केंब्रिज में "फाइलोलोजिकल सोसायटी" की बैठक में 'संस्कृत वैयाकरणों की भाषा सवधी

प्राचीन मीमांसक गज्जर स्वामी ने स्फोटवादी वैयाकरणों का उल्लेख किया है।^१ इस मत का विशेष बंडन कुमारिल के श्लोकवार्तिक में मिलता है। श्लोकवार्तिक के 'स्फोटवाद' नामक भाष्यनामक तथा स्फोट प्रकरण में उन्होंने वैयाकरणों के इस सिद्धांत पर विचार किया है। श्लोकवार्तिक के प्रसिद्ध टीकाकार उभयैक ने पूर्वपक्ष के रूप में वैयाकरणों का मत दिया है। वैयाकरणों का सिद्धांत यह है कि वर्णप्रय (पर्यं, पद तथा वाक्य) अर्थ के वाचक नहीं, क्योंकि ये स्फोट से भिन्न हैं। यह तो स्फोट की प्रतीति वैसे ही प्रगते हैं, जैसे घट की शक्ति दीपक से होती है। घड़ा पहले से ही रहता है, दीपक उसे प्रकाशित कर देता है। उसी तरह स्फोट तो नित्य तथा अच्युत तत्त्व है। वह पहले से ही विद्यमान है। वर्ण, पद या वाक्य उसे केवल व्यक्तित ही करते हैं।^२ ठीक यही बात व्यंजनावादी भी मानते हैं। उनके मत से भी व्यंग्यार्थ, सहृदय की प्रतिभा में, या महत्त्व के मानस में, पहले से ही विद्यमान रहता है। व्यंजना व्यापार युक्त शब्द या अर्थ उसे केवल प्रकाशित या व्यजित कर देते हैं। वैयाकरणों के इस मत का बंडन करते हुए कुमारिल भट्ट कहते हैं:—

“जिम प्रकार दीपक का प्रकाश घट को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह पर्यं या ध्वनियों, पद तथा वाक्य के स्फोट को व्यंजित नहीं करने। अर्थात् उनमें व्यञ्जित्व कदापि नहीं होता।”^३

गणेश' पर भाष्य देने हुए बन्धन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक-
श्री० प्राक ने कहा था—“The Vakyapadiya of Bhartrihari
is the highest watermark of the Philosophy of
Grammar.”

१. अष्टाध्यायिनी संस्करण (गज्जरभाष्य १. १. ५)

२. पण्डित विश्वेश्वरनाथ ने वर्णप्रयमर्थस्य वाचकम्, स्फोटव्यतिरिक्त-
त्वात् घटवदिति । —उभयैकः इतिवार्तिक टीका, स्फोट प्रकरण १३१

३. वर्णों या अक्षरों वापि स्फोटं न पदवाचकयो ।

रामचन्द्रः इति संस्कृत-विज्ञान-संस्थाने तथा टीकाप्रभाष्ये ॥ श्लोक वा, स्फोट, १३१)

स्फोट के व्यंग्यव्यञ्जक सिद्धांत पर मीमांसकों की इस विचार-सरणि का उल्लेख इस परिच्छेद में सर्वप्रथम इसलिये किया गया है कि यही मीमांसकों के व्यञ्जना विरोध की भित्ति स्फोट विरोध में ही है। इसका थोड़ा ज्ञान हो जाने पर हमें मीमांसकों के व्यञ्जना विरोधी सिद्धांत को समझने विरोध के बाँज में कठिनता न होगी। साथ ही इससे यह भी पता चल जाता है कि मीमांसक आलंकारिकों (भट्ट लोल्लट आदि) ने अपने व्यञ्जना खंडन के बीज कहीं से लेकर पल्लवित किये। वैसे तात्पर्यशक्ति में व्यञ्जना का समावेश करने के लिए भी बाद के मीमांसक आलंकारिक कुमारिल जैसे प्रसिद्ध मीमांसकों के ही ऋणी हैं। इस परिच्छेद के शीर्षक में प्रयुक्त “अभिधावादी” शब्द से हमारा तात्पर्य प्रमुखतः मीमांसकों से ही है।

अभिधावादियों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें ध्वन्यालोक की कारिका तथा वृत्ति में मिलता है। प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका से लेकर चारहवीं कारिका तक ध्वनिकार आनन्द वर्धन ने ध्वन्यालोक में इन्हीं अभिधावादियों का खंडन करते हुए अभिधावादियों का प्रतीयमान अर्थ (व्यंग्य) को वाच्य से सर्वथा उल्लेख भिन्न सिद्ध किया है। प्रथम कारिका में ही उन्होंने इन अभिधावादियों का उल्लेख किया है, जो वस्तुतः व्यंग्य अर्थ का सर्वथा अभाव मानते हैं।^१ किंतु यहाँ यह उल्लेख स्पष्ट रूप में व्यञ्जनाविरोधियों का न होकर ध्वनि को न मानने वाले लोगों का है। इन अभाववादियों के तीन मतों का उल्लेख वृत्ति में किया गया है। इन मतों का विवेचन प्रबन्ध के द्वितीय भाग में ध्वनि के स्वरूप के संबंध में किया जायगा। द्वितीय कारिका में व्यंग्य अर्थ को वाच्य से सर्वथा भिन्न माना गया है।^२ सातवीं कारिका में

१. काव्यस्यात्मा ध्वनि रिति दुर्धैर्यः समास्नात्पूर्वः, तस्याभाव जगदु-
रपरे... (१, १)

२. योर्थं सहृदयइलाध्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाद्बुभौ स्मृतौ ॥

कताया गत्या ही हि यान्यार्थ व्यवसाय ने सर्वथा भिन्न है। यान्यार्थ की प्रतीति मात्र तथा कर्म के समर्थ ज्ञान को धराने वाले ज्ञान, मीमांसा, व्याख्यान, काव्य आदि के ज्ञान में ही ही जाती है, किन्तु प्रतीयमान कर्म की प्रतीति को महद्भयो को ही होती है।

यान्य तथा प्रतीयमान के भेद को अथवात्कोरु की मुनि में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। महाभारतियों की धार्मी में प्रतीयमान कर्म यान्य ने सर्वथा भिन्न होता है। यह प्रतीयमान कर्म काव्यार्थ में प्रतीयमान ही यान्य या यान्यविक्र लावण्य है। यही महद्भयों कर्म की भिन्नता को ज्ञान होता है। यह कर्म काव्य के अन्य बात उपकरणों ने सर्वथा भिन्न रूप में प्रकाशित होता है। ग्रियों में लावण्य जैसी पमत्कारी वस्तु शरीर के वायु अथवा ना अलंकारों ने सर्वथा भिन्न रूप में प्रकाशित होती है। यह लावण्य एक अलग से नई वस्तु है। ऐसे ही काव्य में व्यंग्य की प्रतीति होती है। ग्रियों में प्रतीयमान यह लावण्य महद्भयों को प्रमत्त करता है। इसी तरह व्यंग्य भी महद्भयों को प्रमत्त करता है। इसी प्रमत्त में ज्ञाने कताया गत्या है कि यान्यार्थ सदा शब्दों के प्रयोग के अनुसृत होता है, किन्तु प्रतीयमान कर्म यान्यार्थ के समर्थ ही हो, यह आवश्यक नहीं। कभी यान्यार्थ के विधिरूप होने पर भी प्रतीयमान कर्म निषेधरूप हो सकता है (१), कभी यान्यार्थ के प्रतिषेधरूप होने पर भी प्रतीयमान कर्म विधिरूप हो सकता है (२), कभी यान्य के विधिरूप होने पर भी प्रतीयमान विधि तथा निषेध दोनोंही एंटियों में उद्यमान होता है (३), कभी यान्य के निषेधरूप होने पर भी प्रतीयमान उद्यमानरूप हो।

१. महद्भयार्थमावण्यमभिधेयं स धेयते ।

तेषामेव तु क्वचिदावण्यमवर्ततेव वेदमन्त्रे च

—अथवात्कोरु वा. १. ३.

२. प्रतीयमानं तुल्यवद्वेदं वाच्यवद्वेदमभिधेयं गार्गीषु महाभारतप्राम् । यन्त्र महद्भयमभिधेयं प्रतिषेधव्योदण्येषु च सर्वशेषो वाच्यवद्वेदो वदभिधेय- विन प्रत्ययैः भाव्यवद्वेदमभिधेयम् । यथा ह्येतन्महद्भयवद्वेदं विधिरूपमवण्यमभिधेयं विधिरूपमवर्तते । महद्भयवद्वेदमात्रं भाव्यवद्वेदं महद्भयवद्वेदं ।

—अथवात्कोरु, मध्यम टाका, २५ ३६ (श्री ३० मं ३०)

है (४), कभी वाच्य के विषय से व्यंग्य का विषय सर्वथा भिन्न होता है (५) । अतः आवश्यक नहीं कि वाच्य तथा प्रतीयमान समकक्ष ही हों, जैसा कि निम्न काव्यों से स्पष्ट होगा—

(१) वाच्य के विधिरूप होने पर भी निषेधरूप व्यंग्यः—

भम धम्मिअ बीसत्थो सो सुणहो अज्ज मारिओ देण ।

गोलाणइकच्छकुडंगवासिणा दरिअसीहेण ॥

(अत्र घूमहुँ निहंचित हूँ धार्मिक गोदातीर ।

वा कूकर कौ कुंज में मान्यौ सिंह गँभीर ॥)

यहाँ वाच्यार्थ विधिरूप है । “हे धार्मिक, अब तुम मजे से गोदातीर पर घूमो ।” पर व्यंग्यार्थ निषेधरूप है । सहृदय को स्पष्ट प्रतीति हो जाती है कि वक्त्री धार्मिक को भूठे ही शेर का डर दिखाकर गोदातीर पर जाने का निषेध करना चाहती है, क्योंकि वह उसका संकेत स्थल (सहेट) है ।

(२) वाच्य के निषेधरूप होने पर भी विधिरूप व्यंग्य —

अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अहं दिअहए पत्तोएहि ।

मा पहिअ रत्तिअंधअ सेज्जाए मह णिमज्जहिंसि ॥

(सोती ह्यौ हौँ, सास ह्यौँ, पेखि दिवस माँ लेहु ।

सेज रतौंधी बस पथिक हमरी मति पग देहु ॥)

यहाँ वाच्यार्थ निषेधरूप है, पर व्यंग्यार्थ विधिरूप ही है । “मेरी ही शय्या पर आना, अँधेरे में भूल से कहीं सास की शय्या पर मत चले जाना” ।

(३) वाच्य के विधिरूप होने पर भी अनुभयरूप व्यंग्यः—

वच्च मह विवअ एक्केइ होन्तु णीसास रोइअवाइँ ।

मा तुज्ज वि तीअ विना दक्खिणहअस्स जाअन्नु ॥

(रुदन और निःश्वास ये होहुँ अकेले मोर ।

जावहु ता विन होहुँ ना दक्खिन नायक तोर ॥

यहाँ वाच्य विधिरूप है । “जाओ, उसीके पास जाओ ।” लेकिन व्यंग्यार्थ अनुभयरूप हैः—“तुम गलती से अन्य के पास न गये, अपितु गाढानुराग के कारण ही, तभी तो यह गोत्रस्खलितादि हो रहा है । यहाँ पर तो तुम इस लिये आये हो कि अपने आपको दक्षिण नायक

मिद्व करना चाहते हो । यद्युक्त 'तुम गठ हो' इस बोध की व्यञ्जना हो रही है, जिनकी प्रतीति गण्डिता की भाषा वाली उक्ति में हो रही है ।

(२) कभी वाच्य के निषेधरूप हो जाने पर भी अनुभवरूप व्यञ्जः-
 दे या पवित्र नियननु सुदममिजोहायितुवममिपठे ।
 अदिमारिशाणो विन्द परामि अण्णानो वि दक्षाने ॥
 (लौटहु, सुन्दमसि - पन्दिधा-नासि - वन सुकुमारि ।
 अरन की अभिसरन में, मूग्य रिपन न हारि ॥)

यहाँ 'न जायाँ, लौट आयाँ' इस निषेधरूप वाच्यार्थ में अनुभव-
 रूप व्यञ्ज की प्रतीति होती है । पर आँई हुई नायिका नायक के मोत्र-
 मत्रलिनादि अपराध के कारण लौटी जा रही है । नायक उसे मनावा
 हुआ इस बात को कह रहा है । इसमें 'तुम केवल मेरे तथा स्वयं के
 ही मूत्र का विन्दन नहीं कर रही हो, अपितु अन्य अभिमारिशाओं के
 भी मूत्र में विन्दन टाल रही हो, तुम्हें कभी भी किन्दिन्मात्र भी मूत्र नहीं
 मिलेगा, इसमें तुम मूर्ख हो' इसमें पाटुदारमारूप व्यञ्ज की प्रतीति
 होती है ।

(५) कभी व्यञ्जार्थ का विषय वाच्यार्थ के विषय में भिन्न भी
 होता है :—

पम्प गु या हांर रोमो स्टूणु पिआण सचरणं अहरम् ।
 मचममरपदमम्पारणि पारिअवानं महसु परि ॥
 (पेरिअ पिआधर प्रनमदिन काको हांदि न रोम ।
 परजी मूंपर कमल अलि मदिन म्दहु निज रोम ॥)

इसमें वाच्यार्थ तो एकही है, किन्तु व्यञ्जार्थ नायिका, पति, उपरति,
 माहृदय आदि विषयों के लिए भिन्न-भिन्न है । जैसे—

(१) भर्तृविषयक — इसका कोई अपराध नहीं इसलिये इस
 प्रण को सह लो ।

(२) प्रीतिविषयक :— प्रण को देखकर पति नागन हुआ है ।
 इसमें पहोनी उसके परित्र के पारे में जाहा करने लगा है । इस प्रकार
 नायिका के हृदयवय को दिखाकर पदोमियों को उसका मन्वयिजग
 याना व्यञ्ज है ।

(३) मपती विषयक :— पति के नागन होने पर मपती गुन हुई
 है । इस भाषा में 'प्रीति' शब्द के प्रयोग में मपती उन्हें यह यशयना

चाहती है कि यह नायिका तुम (सौतों) से ज्यादा भाग्यशाली है। पति को यह अत्यधिक प्यारी है, तभी तो वह ब्रह्म देखकर नाराज हुआ। तुम इतनी भाग्यशाली नहीं हो।

(४) सखी विषय :—इसने (पति ने) सौतों में मेरी बेइज्जती की, ऐसा सोचकर दुख मत करो, यह तो तुम्हारा मान है, अतः इसे सहन करो। तुम सुशोभित हो रही हो।

(५) उपपत्ति विषयक .—आज तो मैंने इस तरह तेरी प्यारी को बचा लिया। भविष्य में इस तरह प्रकट दन्तक्षत मत करना।

(६) सहृदय विषयक—देखो, किस ढंग से मैंने (सखी ने) सभी बात छिपा डाली है। मैं कितनी चतुर हूँ।

अभिधावादियों के मत का विशेष रूप से प्रतिपादन तथा खण्डन लोचन, काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में किया गया है। अभिधावादियों की व्यंजनाविरोधी विभिन्न मतसरणियों को उल्लिखित कर इन आचार्यों ने पृथक् पृथक् रूप से उनका खण्डन किया है। अभिधावादियों की इन मतसरणियों को हम निम्नरूप से विभक्त कर सकते हैं।

(१) अभिहितान्वयवादियों का मत।

(२) अन्विताभिधानवादियों का मत।

(३) निमित्तवादियों का मत।

(४) दीर्घतराभिधाव्यापारवादी भट्टलोल्लट का मत।

(५) तात्पर्यवादी धनिक तथा धनञ्जय का मत।

व्यंजना विरोध की इन विभिन्न सरणियों को लेकर इनका परीक्षण करते हुए हमें देखना है कि व्यंजना शक्ति का समावेश अभिधा में किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है।

(१) अभिहितान्वयवादी तथा व्यंजनाः—अभिहितान्वयवादी वे भीमासक हैं, जो वाक्यार्थ बोध में कुमारिल भट्ट के मत को मानते हैं।

इन लोगों के मतानुसार वाक्य में प्रयुक्त पद अभिहितान्वयवादी तथा सर्वप्रथम अपने अपने वाच्यार्थ का बोध कराते हैं। उसके बाद आकांक्षादि के द्वारा उनका परस्पर अन्वय होता है और तब वे वाक्य के अर्थ का बोध कराते हैं। यह अर्थ वस्तुतः वाक्य का वाच्यार्थ न होकर तात्पर्यार्थ है। इस तात्पर्यार्थ का द्योतन अभिधा शक्ति नहीं कराती,

तथा अभिधा के द्वारा उसकी प्रतीति कराने का प्रयास सर्वथा दुराग्रह ही है।

(२) अन्विताभिधानवादियों का मतः—प्रभाकर अथवा गुरु के अनुयायी मीमांसक अन्विताभिधानवादी कहलाते हैं। इन मीमांसकों के अनुसार अभिधाशक्ति के द्वारा वाक्य में अन्विताभिधानवादियों अन्वित पदों का ही अर्थ प्रतीत होता है। का मत सर्वप्रथम वाक्य में समस्त पद अन्वित होते हैं, तब फिर वाक्य का वाच्यार्थ अभिधा से बोधित होता है। अतः तात्पर्य जैसी शक्ति मानने की आवश्यकता ही नहीं। गुरु के अनुसार वाच्यार्थज्ञान या सकेतग्रहण वाक्य के ही रूप में होता है, पदों या शब्दों के रूप में नहीं। तभी तो अपने ग्रंथ 'बृहती' में प्रभाकर ने बताया है कि "समस्त व्यवहार वाक्यार्थ से ही होता है।"^२ 'बृहती' के टीकाकार शालिकनाथ मिश्र ने ऋजुविमला (टीका) में बताया है कि "शब्द स्वयं किसी भी अर्थ का बोध नहीं कराता। अर्थबोध वाक्य के ही द्वारा होता है। यह स्पष्ट है कि शब्दों का अर्थ हम वृद्ध व्यक्तियों के प्रयोग से ही जानते हैं और यह प्रयोग सदैव वाक्य रूप में होता है। कोई भी शब्द तभी समझा जाता है, जब कि वह किसी वाक्य में अन्य शब्दों से संसृष्ट रहता है। अतः यह निर्धारित है कि वाक्य ही अर्थप्रत्यायक है, शब्द अपने आप अर्थप्रत्यायक नहीं।"

यहाँ अर्थप्रत्यायन की सरणि को समझ लेना होगा। छोटा बालक किस प्रकार शब्द तथा अर्थ के संबन्ध को समझता है इस विषय पर गुरु ने विशेष प्रकाश डाला है। वे बताते हैं कि बालक लौकिक व्यवहार में कई बातें देखता है और उससे वह इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता

(१) यहाँ यह सकेत कर देना आवश्यक है कि कुमारिल स्वयं वाक्यार्थ-प्रतीति में दूमरी शक्ति मानने पर भी उसे तात्पर्यशक्ति नहीं कहते। वे इसे लक्षणाव्यापार का ही विषय मानते हैं। तात्पर्यवृत्ति का नाम संभवतः भाट्ट मत के अनुयायी काश्मीरी मीमांसकों की कल्पना हो। तत्त्वविन्दु में वाचस्पति मिश्र तक ने इसका कोई सकेत नहीं किया है, जैसा कि हम चतुर्थ परिच्छेद में देख चुके हैं।

जाओ' (गां नय) तथा "घोड़ा ले जाओ" (अश्वं नय) इन वाक्यों में यद्यपि नयनक्रिया एक ही है, तथापि इन दोनों का प्रकार भिन्न भिन्न है। एक में ले जाने की क्रिया गाय के कर्म से युक्त (गोकर्मविशिष्टनयन क्रिया) है, तो दूसरे में ले जाने की क्रिया 'घोड़े' के कर्म से युक्त (अश्वकर्मविशिष्टनयनक्रिया) है। जिस बालक को सबसे पहले गाय वाली नयनक्रिया का बोध हुआ है, उसे उसी नयनक्रिया से घोड़े वाली नयनक्रिया का बोध कैसे हो सकेगा ? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस शंका को हटाने के लिए ही प्रभाकर ने सामान्य तथा विशेष इन तत्त्वों की कल्पना की है। जब हम ठीक उन्हीं पदों का प्रयोग दूसरे वाक्यों में सुनते हैं, जिनका प्रयोग हम पहले वाक्यों में सुन चुके हैं, तो हम प्रत्यभिज्ञा से उन पदों को पहचान लेते हैं। वाक्य में इन दूसरे पदार्थों से अन्वित पदार्थों का ही संकेतग्रहण होता है। इतना होने पर भी ये सब पदार्थ सामान्य से युक्त होकर विशेष रूप में ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि वाक्य में परस्पर अन्वित पदार्थ विशिष्टरूप में ही प्रयुक्त होते हैं। प्रभाकर का तात्पर्य यह है कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने पर तो पद 'तत्तत्' विशिष्ट हो जाता है, किन्तु बालक को जो ज्ञान होता है, वह 'गोकर्मविशिष्टनयनक्रिया' का नहीं होकर, सामान्य रूप में ही होता है। इस सामान्य ज्ञान को हम 'किसी भी दूसरे कर्म वाली नयनक्रिया' (इतरकर्मविशिष्टनयनक्रिया) कह सकते हैं। प्रत्येक पद का अर्थ इस प्रकार 'इतरविशिष्ट' (सामान्य) रूप में गृहीत होता है तथा तत्तत् प्रसंग में तत्तत् विशिष्ट होकर विशेष रूप में प्रतीत होता है। प्रभाकर यद्यपि दो प्रकार के अर्थ खुले रूप में नहीं मानते, तथापि सामान्य तथा विशिष्ट इन दो अर्थों को स्वोकार करते जान पड़ते हैं। अतः देखा जाय तो प्रभाकर के मत से भी सामान्यरूप अर्थ ही वस्तुतः वाच्यार्थ है, विशेष रूप अर्थ नहीं। क्योंकि संकेतग्रहण सामान्य रूप अर्थ में ही होता है।

१. यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययेन तान्येवैतानि पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तरमात्रेणान्वित' पदार्थः संकेतगोचर', तथापि सामान्यावच्छादितो विशेषरूप एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिपत्ताना पदार्थाना तथा भूतत्वादित्यन्विताभिधानवादिनः ।

व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो मग तोमरे शाल में होती है । जब उनके मन में वाक्य का विशेषरूप अर्थ ही व्यंग्यार्थ (अभिधाव्यापार गृहीत) नहीं दृष्टता, तो उनी अभिधा के द्वारा व्यंग्यार्थ प्रतीति देने हो सकती है ।

(३) निमित्तवादियों का मत.—कुछ गीनासक व्यंग्यार्थ प्रतीति के लिए कार्यकारणभाव की स्थापना करते हैं । उनके अनुसार व्यंग्यप्रतीति नैमित्तिकी है । किसी भी वस्तु निमित्तवादियों का मत दो देवकर उसके निमित्त की कल्पना की जाती है । प्रतीयमान अर्थ हा भी कोई न कोई निमित्त होना ही चाहिए । हमकी प्रतीति में शब्द के अनिश्चित अन्य कोई भी निमित्त हमें उपलब्ध नहीं है । अब शब्द ही प्रतीयमान अर्थ का निमित्त है । इसलिये शब्द तथा अर्थ में निमित्त-नैमित्तिक संबंध मानना ही ठीक होगा । इस प्रकार व्यंग्यव्यञ्जकभाव, तथा व्यञ्जनाव्यापार इन दोनों की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । साथ ही शब्द तथा प्रतीयमान अर्थ के इस निमित्त-नैमित्तिकभाव में अभिधा पूर्ति ही है ।

इसका स्पष्टन करने हुए नम्मट ने बताया है कि निमित्त दो प्रकार का होता :—कारक तथा शापक । कारक निमित्त, जैसे मिट्टी घड़े का कारक निमित्त है । शापक निमित्त, जैसे दीपक अधिकार में पड़े हुए घड़े का शापक निमित्त है । शब्द प्रतीयमान अर्थ का प्रनाता नहीं, किंतु व्यक्त करता है । अब यह कारक निमित्त नहीं है । न यह शापक ही

१. तेषामपि नो मात्मान्यविशेषण पक्षार्थं सर्वतद्विषय इत्यपि-
विशेषभूतौ शब्दसामान्यनिर्गतोऽयमविशेषणत्वस्य एव यत्र पक्षार्थः
प्रतिपद्यते नच तूरे अर्थोऽतश्चतस्य विशिष्टोऽप्युपेयपादो विषयोऽप्यर्थः ।

—शं० प्र० पथन ड० पृ० २०३-४

२. चक्षुष्येणे "धीनिपिरानुसरेण निमित्तानि कल्पन्ते" इति ।

—शं० प्र० पथन ड० पृ० २२२

(तथा) वनु चक्षुष्येणनिमित्तनिर्णयः । निमित्तानुसरेणैव शब्द-
एव निमित्तम् । एतच्च बोध्योऽप्यधिकारण निमित्तस्यैव पूर्ति विना न सम्भव-
तीति अर्थः । पूर्तिविधि न मात्स्येवैवैतन्नियमात्तु ।

—शां० चोधिनी पृ० २२४

है। क्योंकि ज्ञापक सदा पूर्वसिद्ध वस्तु को जतलाता है। व्यंग्यार्थ पूर्वसिद्ध भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह तो वाच्यार्थ के ज्ञान के बाद व्यक्त होता है। अतः शब्द व्यंग्यार्थ का निमित्त नहीं हो सकता।

(४) दीर्घतराभिधाव्यापारवादी भट्ट लोल्लट के मतानुसार किसी भी वाक्य से जितने भी अर्थों की प्रतीति होती है, उन सभी में अभिधा-व्यापार ही होता है। भट्टलोल्लट “शब्दबुद्धि-दीर्घतराभिधाव्यापारवादी कर्मणां विरम्य व्यापाराभाव” इस सिद्धान्त भट्टलोल्लट का मत को माननेवाले नहीं हैं। उनके मत से अभिधा-शक्ति एक अर्थ को द्योतित करने के बाद क्षीण नहीं होती, अपितु अन्य अर्थों की भी प्रतीति कराती रहती है। इसी अभिधा की महती अर्थद्योतिका शक्ति के कारण लोल्लट इस व्यापार को दीर्घदीर्घतर मानते हैं^१। अभिधा के इस दीर्घतर व्यापार को स्पष्ट करने के लिए वे बाण का दृष्टान्त देते हैं। जैसे एक ही बाण वेगव्यापार के द्वारा शत्रु के कवच को विद्ध कर, हृदय में घुस कर, प्राणों का अपहरण करता है, ठीक वैसे ही अक्रेला शब्द एक ही व्यापार (अभिधा) के द्वारा, पदार्थ की उपस्थिति, अन्वयबोध, तथा व्यंग्यप्रतीति करा देता है^२। अत व्यञ्जना जैसी अलग से शब्दशक्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती।

भट्ट लोल्लट के इस दीर्घतर अभिधाव्यापार का खण्डन न केवल व्यञ्जनावादियों ने ही किया है, अपितु अनुमानवादी महिम भट्ट भी उसके इस 'इपुवद्' (बाण के समान) व्यापार का खंडन करते हैं। वे कहते हैं, शब्द के विषय में बाण का दृष्टान्त देना ठीक नहीं। जैसे बाण स्वभाव से ही एक ही (वेग) व्यापार के द्वारा छेदन-भेदन आदि कार्य कर देता है, वैसे शब्द नहीं करता। शब्द तो संकेतसापेक्ष होकर

१. “साऽयमिपो रिचदीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः” —

— का० प्र० पृ० २२५

२ “यथा बलवता प्रेरित एक एव इपुरेकेनैव वेगाख्येन व्यापारेण रिपो वर्मच्छेद मर्मभेद प्राणहरण च विधत्ते तथा सुकविप्रयुक्तः एक एक शब्द एकेनैवाभिधाव्यापारेण पदार्थोपस्थिति अन्वयबोध व्यंग्यप्रतीति च विधत्ते जनयति ।”

— बालबोधिनी, पृ० २२५

पुस्तकानयन मात्र से है। दूसरे शब्दों में द्वितीयवाक्य में पुस्तकानयन मात्र ही 'विधेय' है। तीसरे वाक्य (पुस्तक लाल है) में 'पुस्तक' तो तो प्रकरणसिद्ध ही है, अतः केवल उसका 'रक्तत्व' ही विधेय माना जायगा। मीमांसकों का उदाहरण लेते हुए हम कह सकते हैं कि श्येनयाग के प्रकरण में एक घार यह वाक्य आया है—'ऋत्विक् गण अनुष्ठान करें' '(ऋत्विज प्रचरंति)। इसके बाद उसी प्रसंग में 'लाल पगड़ी वाले ऋत्विक् अनुष्ठान करें' (लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरति) इस वाक्य का प्रयोग मिलता है। अब इस द्वितीय वाक्य में विधेय केवल 'लाल पगड़ी वाले' इतना ही माना जायगा। यह दूसरी बात है कि किसी वाक्य में विधेय दो या तीन भी हो सकते हैं। फिर भी विधि उतना ही है, जितना कि प्रकरणसिद्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में 'अदग्ध-दहनन्याय' से ही विधेय का निर्णय किया जायगा। जलती हुई लकड़ी में जितनी जल चुकी है, वह तो फिर से नहीं जल सकेगी, केवल बिना जला भाग ही जलेगा, ठीक उसी प्रकार अप्राप्त विधेय ही विधेय होगा। अतः स्पष्ट है कि प्रयुक्त शब्द में ही विधेय होगा और जहाँ विधेय होगा वहाँ तात्पर्य होगा। अतः प्रतीयमान अर्थ में विधेय नहीं माना जायगा।^१

अपने मत की पुष्टि में भट्टलोल्लट एक वाक्य को लेते हैं। इसके द्वारा भट्टलोल्लट इस घात की पुष्टि करना चाहते हैं कि वाक्य में अनुपात्त शब्द में भी तात्पर्य हो सकता है। वाक्य है:—“जहर खालो। इसके घर में भोजन न करो” (विषं भक्ष्य मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः)। यहाँ पहले वाक्य (जहर खालो) का तात्पर्य दूसरे वाक्य में है, अतः यह कहना कि तात्पर्य प्रयुक्त शब्द में ही होता है, प्रतीयमान में नहीं, ठीक नहीं। पहले वाक्य में वक्ता का अभिप्राय सचमुच यह नहीं है कि श्रोता विषभक्षण कर ही ले। अतः यहाँ तात्पर्य अन्य स्थान पर ही है। मम्मट इस घात को नहीं मानते। वे “जहर खालो” तथा “इसके घर में भोजन न करो” इनको दो वाक्य न मानकर एक ही वाक्य के दो

१. ततश्च तदेव विधेयं तत्रैव तात्पर्यं इत्युपात्तस्यैव शब्दस्यार्थे तात्पर्यं न तु प्रतीतमात्रे एव हि पूर्वो धावति इत्यादावपराद्यर्थेऽपि क्वचित् तात्पर्यं स्यात् ।

कह सकते, किंतु अनुमान होता है कि उनका मत भी अपने अनुज धनिक के समान ही रहा होगा। धनिक ने तो स्पष्ट बताया है कि व्यंग्यार्थ वस्तुतः तात्पर्य ही है। “प्रतीयमान अर्थ तात्पर्य से भिन्न नहीं है। अतः उसे व्यंजना द्वारा प्रतिपाद्य नहीं माना जा सकता। न उसका व्यंजक काव्य ‘ध्वनि’ ही है। तात्पर्य तो वस्तुतः जहाँ तक कार्य होता है, वहाँ तक फैला रहता है। तात्पर्य को तराजू पर तौल कर यह नहीं कहा जा सकता कि तात्पर्य इतना ही है, यहीं तक है, इससे अधिक नहीं।”^१

आगे जाकर धनिक बताते हैं कि जितने भी लौकिक या वैदिक वाक्य हैं, वे सब कार्यपरक होते हैं। क्योंकि यदि कोई कार्य (तात्पर्य) न होगा, तो उन्मत्त प्रल्पित के समान इन वाक्यों का कोई उपयोग नहीं। काव्य में प्रयुक्त शब्दों की प्रवृत्ति निरतिशय सुख के लिये होती है। निरतिशय सुख के अतिरिक्त काव्य का कोई प्रयोजन नहीं। अतः निरतिशय सुखास्वाद ही काव्य-शब्दों का कार्य है। जिसके लिए शब्दों का प्रयोगही वही शब्दों का अर्थ होता है, यह बात प्रसिद्ध ही है।^२ इस प्रकार काव्य में प्रतीत रसानुभूति भी धनिक के मत में उस काव्य का तात्पर्य ही है। हम पहले ही बता चुके हैं कि रस सदा व्यंग्य माना जाता है। धनिक तो व्यंजना जैसी शक्ति तथा व्यंग्य जैसे अर्थ का सर्वथा तिरस्कार करते हैं।

धनिक के मत का खंडन करते हुए विश्वनाथ ने दो विकल्पों को लेकर ‘तत्परत्व’ शब्द की जाँच पड़ताल की है। वे पूछते हैं, धनिक के

१. तात्पर्यव्यतिरिक्तत्वाद् व्यंजकत्वस्य न ध्वनिः ।

यावत् कार्यप्रसारित्वाद् तात्पर्यं न तुलाधृतम् ॥

दशरूपक, अवलोक परि. ४,

२. पौरुषेयमपौरुषेयञ्च वाक्यं सवमेव कार्यपरम्, अतत्परत्वे अनुपादेत्वा-
दुन्मत्तवाक्यवत्, ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रति-
पाद्यप्रतिपादकयोः प्रवृत्त्यौपमिकप्रयोजनान्तरानुपलब्धेर्निरतिशयसुखास्वाद एव
कार्यत्वेनावधार्यते, “यत्पर. शब्द’ स शब्दार्थ” इति न्यायात् ॥

दश. रू. अव. परि. ४.

ज्ञान प्रयुक्त 'नात्वर्थ' का क्या नात्वर्थ है — (१) तदर्थत्व (उक्त शब्द का अर्थ होना), या (२) नात्वर्थ शक्ति के द्वारा उक्त अर्थ को घोषित करने का सामर्थ्य। यदि पहला अर्थ लिया जाता है, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि हमारी ध्वजना शक्ति भी तो उस अर्थ (नात्वर्थ) को घोषित करती ही है। यदि दूसरा अर्थ लिया जाता है, तो एक प्रश्न पड़ा जा सकता है। यह आपकी नात्वर्थ शक्ति भाट्ट मीमांसकों याज्ञिकों की है, या काट्ट दूसरी यदि यही है, तो उसका अर्थन हम पर लुके हैं। यदि दूसरी है, तो आपके और हमारे मन में यहाँ भेद है कि उस शक्ति के नाम भिन्न भिन्न हैं। आप उने मात्वर्थशक्ति कहते हैं, हम उने व्यंजना कहते हैं। इस तरह तो आप भी यीथी शक्ति को अवश्य स्वीकार कर रहे हैं।

मार्ग के द्वारा विभिन्न अभिधायार्थों (जिनमें नात्वर्थवार्थ भी सम्मिलित है) का प्रयोजन करके प्रथमवार्थ तथा यान्यवार्थ को भिन्न भिन्न रूप उनके व्यापारों को विभिन्न शक्तियों के द्वारा भविष्य सिद्ध करने के लिए कुछ शक्तियों का भी आश्रय लिये हैं। ये धनाने हैं कि या य में निम्न तथा अनित्य को तरह के रूप माने जाते हैं। प्रयुक्त-मन्त्रित (व्याकरणविरुद्ध) आदि निम्न शेष हैं। किन्तु श्रुतिविरुद्ध आदि को अनित्य शेष माना गया है, क्योंकि ये शेष श्रुति, आदि स्मृतियों में सुलभ भी हो जाते हैं। यह शेष-व्ययान गनी हो सकता है उस कि शक्तियों में व्यंज्य-व्यञ्जक भाव माना जाय। क्योंकि श्रुतिविरुद्ध में श्रुति का व्यञ्जकत्व मानने पर ही ये सुलभ हो सकते हैं। व्यापक मानने पर या श्रुतिविरुद्ध में भी शेष होने, या श्रुतिविरुद्ध का अर्थ में भी सुलभ हो जायेंगे। इस शक्ति के द्वारा भी प्रथमवार्थ तथा यान्यवार्थों का सिद्ध हो जायेंगे है।

१. उप प्रयुक्तम्—इति च नात्वर्थं नाम—पदार्थं वा, सा व्यंज्यवा तद्व्यञ्जकत्वं वा । अत्र च विनाशः, व्यञ्जितं तदर्थगतत्वत्वात् । द्वितीयं तु केचं नात्वर्थत्वं तुल्यं—अभिहितं तदर्थवत्त्वं तदर्थत्वात् वा, तदर्थत्वात् वा । अत्र व्यञ्जकत्वम् । द्वितीयं तु व्यञ्जकत्वं विनाशः, तदर्थवत्त्वं तु व्यञ्जितत्वम् । वा १०० पृष्ठे २१६ अ० (दृष्टव्यं च।)

साथ ही कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही शब्द के विशिष्ट पर्यायवाची को रखने से काव्य में सौंदर्य बढ़ जाता है, जैसे—

द्वय गतं सम्प्रति शोचनीयतां

समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

कला च सा कातिमती कलावत

त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ (कुमारसंभव)

(सोचनीय दोऊ भये मिलन कपाली हेत ।

कान्तिमयी वह ससिकला अरु तू कातिनिकेत ॥)

इस पद्य में 'कपाली' शब्द के प्रयोग में जो काव्यगुण है, वह इसी के पर्यायवाची शब्द 'पिनाकी' के प्रयोग में नहीं है। "सोचनीय दोऊ भये मिलन पिनाकी हेत" इस पाठान्तर में वह चारुता नहीं है, जो प्रथम पाठ में। यहाँ "कपाली" पद शिव के बीभत्स रूप को व्यंजित करता हुआ देवी पार्वती की शोचनीयतम अवस्था की प्रतीति का पोषक है। "पिनाकी" शब्द के प्रयोग में वह विशेषता नहीं है। वाच्यार्थ तथा अभिधा को ही मानने पर तो "पिनाकी" वाले प्रयोग तथा "कपाली" वाले प्रयोग में कोई भेद नहीं रहेगा^१। किंतु काव्यानुशीलन करनेवाले सहृदयों को दोनों में स्पष्ट भेद प्रतीत होता है, वह प्रथम प्रयोग के प्रतीयमान अर्थ तथा व्यञ्जनाशक्ति के कारण ही है।

वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ में एक ही कारण से नहीं, अपितु अनेक कारणों से परस्पर भेद पाया जाता है। "षोड्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, प्रतीतकाल, आश्रय, विषय आदिके कारण वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ व्यंग्यार्थ व वाच्यार्थ को भिन्न ही मानना की भिन्नता के होगा^१।" इस प्रकार इन भेदों के कारण दोनों कई कारण अर्थों को एक ही मानना ठीक न होगा। मम्मट ने बताया है कि इन भेदों के होते हुए भी वाच्य तथा व्यंग्य अर्थों को एक ही मानना, नीले और पीले को एक ही मानना है।

१. इत्यादां पिनाक्यादिपदवैलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदाना काव्यानुगुणत्वम् ॥

कथमवनिप दर्पो यन्निशातासिधारा—

दलनगलितमूर्धनां विद्विषां स्वीकृता श्रीः ।

ननु तव निहतारैरप्यसौ किं न नीता

त्रिदिवमपगतांगैर्वल्लभा कीर्तिरेभिः ॥

हे राजन्, तुमने शत्रुओं के मस्तकों को तीक्ष्ण खड्ग से छिन्न-भिन्न कर उनकी राजलक्ष्मी स्वीकृत करली, इससे क्यों घमंड करते हो? शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर भी, बिना शरीरवाले तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रिया कीर्ति को स्वर्ग में भगा ले गये।

इस पद्य में वाच्यार्थ निंदारूप है। क्यों घमंड करते हो, तुम्हारी प्रिया कीर्ति को शत्रुनृप स्वर्ग में उड़ा ले गये हैं, अतः तुम्हें लज्जित होना चाहिए। किंतु व्यंग्यार्थ स्तुतिरूप है। तुम बड़े वीर हो, शत्रुओं के मारे जाने से तुम्हारा यश स्वर्ग तक पहुँच गया है, तुम धन्य हो। यहाँ वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ में स्वरूप भेद स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है।

(३) संख्याभेदः—वाच्यार्थ सदा एक ही रूप में प्रतीत होता है, किंतु एक ही वाच्यार्थ से अनेकों व्यंग्यार्थों की प्रतीति होती है। “सूर्य अस्त हो गया” (गतोऽस्तमर्कः) इस अकेले वाक्य से भिन्न-भिन्न प्रकरणों में “दूकान बंद करो” (आपणिक-पक्ष में), “गायें बाड़े में ले चलो” (गोपाल-पक्ष में), “चोरी करने चलो” (चोरपक्ष में), “संध्याबंदन करो” (धार्मिकपक्ष में), “दीपक जलाओ” (गृहिणीपक्ष में), “अभिसार करने का समय है” (अभिसारिका पक्ष में), “सिनेमा कब चलोगे, समय व्यतीत हो रहा है” (सिनेमा देखने जानेवाले के पक्ष में), “उनके आने का समय हो गया, पर वे अभी तक न आये” (पति की प्रतीक्षा करती हुई पत्नी के पक्ष में) आदि कई व्यंग्यार्थों की प्रतीति हो रही है। ठीक यही घात “पेखि प्रियाघर व्रनसहित, काकौ होहि न रोस” आदि पद्य में है। वहाँ पति, सखी, सपत्नी, पड़ोसी, उपपति, सहृदय आदि को भिन्न-भिन्न अर्थों की प्रतीति हो रही है। यहाँ व्यंग्यार्थ की संख्या निश्चित नहीं है।

(४) निमित्त भेदः—वाच्यार्थ प्रतीति तो केवल शब्दोच्चारण से ही होती है। किंतु व्यंग्यार्थ प्रतीति के लिये प्रतिभानैर्मल्य आवश्यक है। अतः दोनों के निमित्त भिन्न-भिन्न होने के कारण ये दोनों भिन्न-भिन्न ही हैं।

(५) कान्तिभेदः—वाच्यार्थ का कान्ति केवल अर्थ प्रतीति है, किन्तु स्वयंवाच्य 'यम वाच' वाच्य कहला है । अतः कान्तिभेद के कारण नीचे दोनों परस्पर भिन्न ही है ।

(६) प्रतीतिभेदः—वाच्यार्थ को केवल अर्थ रूप में ही प्रतीत होगा है, किन्तु स्वयंवाच्य 'यम वाच' रूप में ही प्रतीत होगा है । अतः यहाँ तक इन दोनों की प्रतीति का समान है, ये भिन्न-भिन्न ही है ।

(७) कान्तिभेदः—वाच्यार्थ की प्रतीति प्रथम क्षण में होती है । स्वयंवाच्य की प्रतीति बाद में होती है । अतः पहले एवं बाद में प्रतीति होने के कारण दोनों में कान्तिभेद भी है ।

(८) वाच्यभेदः—वाच्यार्थ का आशय केवल वाच्य ही है । किन्तु स्वयंवाच्य का आशय केवल वाच्य ही नहीं, अतिरिक्त वाच्य, वाच्यार्थ, अर्थ तथा संरचना (रीति) भी ही समझी है । अतः इस दृष्टि में भी ये दोनों भिन्न है ।

(९) विषयभेदः—वाच्यार्थ सभी व्यक्तियों को एक सा ही प्रतीत होता है, किन्तु एक ही वाच्य का स्वयंवाच्य अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग रूप में प्रतीत हो सकता है । विषय के अनुसार यह प्रतीत होगा । जैसे 'पेरिस विवाधर जन सन्धि' इस वाच्य में हम ऐसे पुरुषों के ही एक ही वाच्य का प्रति, समी, समुदायी, पत्नी, स्वामी, सहज्य आदि को भिन्न भिन्न स्वयंवाच्य प्रतीत हो रहा है ।

इन सब भेदों के कारण यही निश्चित कहना होगा कि वाच्यार्थ तथा स्वयंवाच्य भिन्न-भिन्न है ।

अभिधावादिनों की सम्झना की पूर्णता करने हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्वयंवाच्य का समायोजन वाच्यार्थ में क्या ही नहीं हो सकता । उपर्युक्त स्वयंवाच्य का समायोजन स्वयंवाच्य में नहीं होगा, उपर्युक्त अतिरिक्त अर्थ के द्वारा हमेशा प्रतीति ही ही नहीं करेगी । वाच्यार्थ में 'योग्यता' को भिन्न भिन्न रूप देने पर स्वयंवाच्य के अभावक

व्यापार को भी भिन्न मानना ही पड़ेगा । यही व्यंग्यप्रत्यायक व्यापार व्यंजना है । अभिधा ही नहीं, व्यंजना का समावेश अभिधा की अंगभूत लक्षणा नामक शक्ति के अंतर्गत भी नहीं हो सकता, इसे हम अगले परिच्छेद में देखेंगे ।

—

— — —

लक्षणावादियों के मत का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ध्वनिकार की कारिकाओं में ही मिलता है। यद्यपि ध्वनिकार की कारिका तथा वृत्ति से यह ज्ञात नहीं होता कि इस मत के मानने वाले लोगों में कौन थे, तथापि व्यंजना का समावेश लक्षणा के अंतर्गत करने वाले आचार्य रहे अवश्य थे, जिनका खडन ध्वनिकार आनंद-वर्धन ने किया है। ध्वनि का प्रतिपादन करते हुए प्रथम पद्य में वे बताते हैं कि कुछ लोग इस ध्वनि (व्यंग्यार्थ) को 'भाक्त' (भक्ति से गृहीत) मानते हैं।^१ भक्ति से तात्पर्य लक्षणा से ही है। भक्ति से गृहीत अर्थ भाक्त कहलाता है।^२ अभिनवगुप्त भी लोचन में भक्तिवादियों (लक्षणावादियों) का उल्लेख करते हैं, किन्तु किसी आचार्य का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं करते। मम्मट भी काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास में व्यंजना की स्थापना करते हुए लक्षणावादियों का उल्लेख करते हैं, पर वे किसी आचार्यविशेष के नामका निर्देश नहीं करते। सस्कृत अलंकार-शास्त्र के ग्रन्थों का अनुशीलन करने पर दो आचार्य ऐसे मिलते हैं, जिन्होंने व्यंजना का समावेश भक्ति या उपचार के अन्तर्गत किया है। ये दो आचार्य हैं:—भट्ट मुकुल तथा राजानक कुन्तक। भट्ट मुकुल ने अपनी "अभिधावृत्तिमातृका" में लक्षणा के अंतर्गत ही उन समस्त उदाहरणों को विन्यस्त किया है, जिनमें किसी न किसी प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है। इन प्रतीयमान अर्थों की प्रतीति उन्होंने लक्षणा व्यापार के द्वारा ही मानी है, इसे हम आगामी पंक्तियों में देखेंगे। राजानक कुन्तक ने 'वक्रोक्तिजीवित' में वक्रोक्ति के एक भेद उपचारवक्रता में कतिपय प्रतीयमान अर्थों को समाविष्ट किया है। हम लक्षणा के प्रसंग में देख चुके हैं कि उपचार या

१. भाक्तमाहुस्तमन्ये । "ध्वन्यालोक पृ. २८ (मद्रास स. कुप्पूस्वामि द्वारा संपादित)

२ भज्यते सेव्यते पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्प्रेक्ष्यत इति भक्तिधर्मः, अभिधेयेन सामीप्यादि, तत आगतो भाक्तः लाक्षणिकोऽर्थः । × × × × गुण समुदायवृत्तेष्व शब्दस्यार्थभागस्तैक्ष्ण्यादिर्भक्ति तत आगतो गौणोऽर्थो भाक्तः ॥

(लोचन, पृ. ६२, वही सस्करण)

हैं। “अपनी अभिधावृत्तिमातृका” में उन्होंने अभिधा शक्ति का विवेचन किया है। इसी के अंतर्गत वे लक्षणा का भी मुकुल भट्ट और अभिधा विवेचन करते हैं। मुकुल भट्ट लक्षणा को भी वृत्तिमातृका अभिधा का ही अंग मानते हैं, तथा इसके विवेचन से ऐसा ज्ञात होता है कि वे वस्तुतः शब्द की एक ही वृत्ति मानने के पक्ष में हैं^१। इसके अंतर्गत वे लक्षणा का भी समावेश करते हैं। फिर भी वे लक्षणा का विशद विवेचन अवश्य करते हैं तथा इसी के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ का समावेश करते जान पड़ते हैं।

लक्षणा का विचार करते समय मुकुल भट्ट ने लक्षणा के तीन भेदक तत्त्व माने हैं :—वक्ता, वाक्य तथा वाच्य। इन तीनों के कारण शुद्धा तथा उपचारमिश्रा लक्षणा तीन तीन प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार लक्षणा के कुल ६ भेद होते हैं^२। जब तत्र वक्ता, वाक्य तथा वाच्य की सामग्री का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक लक्ष्यार्थ प्रतीति नहीं होती। लाक्षणिक शब्दों में अपने आप लक्ष्यार्थबोधन की क्षमता नहीं है^३।

इस दृष्टि से वक्तृनिबधना, वाक्यनिबधना, तथा वाच्यनिबधना, मोटे तौर पर ये तीन लक्षणाभेद पर माने जा सकते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये तत्त्व हम व्यंजना में भी देख आये हैं, साथ ही मुकुल भट्ट के इन तीनों के उदाहरण भी ठीक वही हैं, जो ध्वनिवादी व्यंजना के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त करते हैं।

वक्तृनिबधना — इस लक्षणा में वक्ता के रूप की पर्यालोचना के द्वारा लक्ष्यार्थ प्रतीति होती है। जैसे,

१ इत्येतदभिधावृत्त दशधात्र विवेचितम् ॥

—अभिधावृ. मा. का. १२.

२. वक्तुर्वाक्यस्य वाच्यस्य रूपभेदावधारणात् ।

लक्षणा त्रिप्रकारैषा विवेक्तव्या मर्नापिभिः ॥

(वही, का ६)

३. न शब्दानामवधारितलाक्षणिकार्थसवधाना लाक्षणिकमर्थं प्रति गमकत्वं, नापि च तत्र साक्षात् सवधग्रहण, किं तर्हि वक्त्रादिसामग्र्यपेक्षया स्वार्थव्यवधानेनेति ॥

—वही, पृ० १०.

इति ते प्रतिवेदिनि अन्वयित्वाप्यभिन्न एते वाच्ये
 प्रत्येकस्य विभोः विभान् विरमाः कीरीष्य वाच्ये ।

एतद्विद्यमि मामि वाच्यमि । मीमाणाश्च ह्येवं
 नीरंभान् अनुभाजिष्यन् । इत्यन्वयान्वाच्येभ्यः ॥

इति पदोक्तिः, जरा इस पर की केंद्र मध्य जाने रहता । इस अङ्क के
 वा वाच्य पूर्व का स्वयं पानी प्रायः नहीं पीता । इसविध में कहेकी ही
 लम्बी लम्बी प्रमाण के पेश में फिर एक करने का वा नहीं है ।
 अन्वयित मयन कहेर नल ही कथिवा मेर मीर की मरीच भाले, वे
 मरीच भाले । इस वाच्य, वे वाच्यी नाशिरा कहेटा है । वाच्यी की
 पर्यालोचना के बाद इससे लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो जाती है । अङ्क अङ्क
 इस प्रकार भाषा समोपन की लक्ष्यार्थ मानने है । अन्वय, पूर्व वाच्य-
 दोक्तिप्राय के पारण यन्तु में यन्तु की अर्थानता हो रही है । भाषा
 समोपन की इस वाच्य का लक्ष्यार्थ न मानकर लक्ष्यार्थ मानना ही
 उचित है । इस विषय में हम इसी परिच्छेद में प्रमाण लक्ष्य
 सुनिश्चिंतने ।

वाच्यनिर्बंधना — इसमें वाच्य के रूप की पर्यालोचना करने पर
 लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है । जैसे,

आत्मीयैष वसन्तः पुनरपि गर्हितं नयमेत विद्वान् ।
 सिद्धास्यस्यैव पूर्वोक्तमन्वयतया नैव संज्ञापयामि ।
 मेषु कर्त्तारिभूयः विनिर्दिष्टं सव्यवसायनाधान्कृतं ।
 स्वयंभावात् विधीयितुं तावद्दयान्तात् । अंतः प्रतीतिः ॥

इति वाच्य, सुखार्थ करने पर समुद्र पोरस कहे विद्वान् प्रतीति देता है ।
 माने पर करने कहेर में एक तरह के इन मध्ये ही वा वाच्य विवेक है,
 लक्ष्य वाच्यिता ही रहा है । इति ही (वाच्य वाच्यी कहेती) मान ही मध्ये,
 विद्वान् की कहेर पर मेरा अर्थान कर रहे रहते । देना सुख देना । इसमें ही
 सुखे पदार्थ ही ही ही ही मानने ही है । इसमें ही वाच्य विद्वान्
 ही लक्ष्य स्वयं ही । अन्वय में ही वाच्यार्थ के साथ यह वाच्य कहे
 विद्वान् समुद्र पोरस ही कहेर ।

यहाँ स्वतः ही काँपते हुए समुद्र के कंपन के ऊपर वाक्यार्थ के द्वारा अध्यवसाय हो गया है। इस प्रकार यहाँ गौण उपचार है।^१ यहाँ राजा पर भगवान् विष्णु का आरोपरूप लक्ष्यार्थ प्रतीति होता है।

ध्वनिवादी यहाँ ध्वनि (अलंकारध्वनि) मानता है। उसके अनुसार इस पद्य में वाच्य रूप से गृहीत उत्प्रेक्षा तथा संदेह अलंकार, रूपक अलंकार की व्यजना कराते हैं। अतः यहाँ रूपकध्वनि है।

वाच्यनिबंधना:—जहाँ वाच्य के पर्यालोचन के बाद लक्ष्यार्थ प्रतीति हो, वहाँ वाच्य निबंधना होगी।

दुर्वारा मदनेषवो दिशि दिशि व्याजृभते माधवो,
हृद्युन्मादकराः शशांकरुचयश्चेतोहरा कोकिलाः।
उत्तुंगस्तनभारदुर्धरमिदं प्रत्यग्रमन्यद्वयः
सोढव्याः सखि सांप्रतं कथममी पंचाग्नयो दुःसहाः ॥

हे सखि, प्रत्येक दिशा में वसंत फैल गया है। कामदेव के बाण, जिन्हे कोई नहीं रोक सकता है, छूट रहे हैं। हृदय में उन्माद करनेवाली चंद्रमा की किरणें छिटक रही हैं और चित्त को हरनेवाली कोकिलाएँ कूक रही हैं। ऊपर से, स्तनों के उठ जाने के कारण जिसको धारण करना कठिन हो गया है, ऐसी यौवनावस्था है। इन पाँच दुःसह अभिरियों को इस समय किस प्रकार सहा जा सकेगा ?

इसमें वसन्त, कामदेव के बाण आदि पर अग्नि का आरोप होने से उनका असह्य होना वाच्य का अर्थ है। इसके पर्यालोचन करने पर विप्रलंभ शृंगार की आक्षेप से प्रतीति होती है। इस प्रकार यहाँ उपादान लक्षणा है।^२

१. आकम्पमानस्यापि समुद्रस्य कम्पनार्थत्वेनाध्यवसितम् तत्राध्यवसान-
गर्भगौणोपचारः ॥

—अभिधावृत्तमातृका पृ० १३.

२. इत्यत्र हि स्मरशरप्रभृतीनां पञ्चानामध्यारोपितद्विभावानामसह्यत्वं
वाक्यार्थोभूतम्। अतः तस्य वाच्यता। तत्पर्यालोचनसामर्थ्याच्च विप्रलंभ-
शृंगारस्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा। —वही, पृ० १४.

कुन्तक के मतानुसार किसी अतिशय भाव का बोध कराने के लिए जहाँ किसी वर्णन में दूसरे पदार्थ के सामान्य धर्म का उपचार किया जाय, वहाँ उपचारवक्रता होती है। इसी के उपचारवक्रता आधार पर रूपकादि अलंकारों का प्रयोग होता है।^१ कुन्तक की यह उपचारवक्रता प्रयोजनवती गौणी लक्षणा ही है, जिसके आधार पर रूपक, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की रचना होती है। कुन्तक ने इस प्रसंग में जितने भी उदाहरण दिये हैं, वे सब लक्षणामूला व्यंजना (अविवक्षितवाच्य ध्वनि) के ही हैं : जैसे,

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घनाः
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेका कलाः ॥
कामं सन्तु दृढ कठोरहृदयो रामाऽस्मि सर्वसहे
वैदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि धीरा भव ॥

घगुलों की पंङ्क्तियों से सुशोभित बादलों ने चिकनी नीली कान्ति से आकाश को लीप रक्खा है। तुषारकणयुक्त शीतल हवाएँ बह रही हैं। बादलों के मित्र मयूर आनन्द से सुंदर केका कर रहे हैं। सचमुच मैं 'राम' बड़ा ही कठोरहृदय वाला हूँ। इसीलिए तो इन सब को सह लेता हूँ। किन्तु हाय, वैदेही की क्या दशा होगी। हे देवि, धैर्य धारण करो।

इसमें कुन्तक के मतानुसार 'स्निग्ध' (चिकने) शब्द में उपचारवक्रता है। किसी मूर्त वस्तु को देखने तथा स्पर्श करने से हमें चिकनाहट (स्नेहन गुण) मालूम होती है, तो वह वस्तु स्निग्ध होती है। किन्तु यहाँ 'स्निग्ध' शब्द 'कान्ति' का विशेषण है। कान्ति अमूर्त वस्तु है।

१ यत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात् सामान्यमुपचर्यते ।
लेशेनापि भवेत् काचिद्वक्तुमुद्रिक्तवृत्तिताम् ॥
यन्मूला सरसोल्लेखा रूपकादिरलङ्कृतिः ।
उपचारप्रधानासौ वक्रता काचिदुच्यते ॥

की प्रतीति में कराने के बाद लक्षणा में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वह तीसरे अर्थ की भी प्रतीति करा दे।^१ काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में प्रयोजनवती लक्षणा के इस फल का विवेचन हुआ है। यहाँ मम्मट ने लक्षणावादियों का खण्डन किया है। वे बताते हैं कि फल वाले अर्थ को प्रतीति के लिए हमें कोई न कोई अलग से शक्ति माननी ही पड़ेगी। “प्रयोजन रूप फल की प्रतीति के लिए लक्षणा का प्रयोग किया जाता है तथा इसकी प्रतीति उसी लाक्षणिक शब्द से होती है। इस अर्थ की प्रतीति में व्यञ्जना से अन्य कोई व्यापार नहीं”^२ इस फल की प्रतीति में अभिधा नहीं मानी जा सकती। प्रयुक्त शब्द तथा फलरूप अर्थ में परस्पर साक्षात्संबंध नहीं है। यदि हम कहें “गंगा पर घर” तो इस लाक्षणिक प्रयोग के प्रयोजन “शीतलता तथा पवित्रता” का “गंगा” शब्द से संकेतग्रहण नहीं होता। यदि संकेतग्रहण होता, तो फिर जहाँ जहाँ ‘गंगा’ शब्द का प्रयोग किया जाय, वहाँ वहाँ शीतलता तथा पवित्रता की प्रतीति होने लगे।^३ साथ ही इसमें लक्षणा भी नहीं है। लक्षणा के लिए मुख्यार्थबाध आदि तीन हेतुओं का होना आवश्यक है। “गंगा” शब्द के लाक्षणिक प्रयोग से प्रतीत व्यंग्यार्थ में मुख्यार्थबाध नहीं है। क्योंकि यदि सचमुच मुख्यार्थबाध मानते हो, तो शीतलता वगैरह की प्रतीति होगी ही नहीं। शीतलता तथा पवित्रता का बोध ‘गंगा’ के मुख्यार्थ के ही कारण हो रहा है। साथ ही प्रयोजन (व्यंग्यार्थ) में कोई तद्योग भी नहीं पाया जाता। इस तरह के प्रयोग में प्रयोजन रूप अर्थ (लक्ष्यार्थ) की प्रतीति के लिए कोई प्रयोजन भी दिखाई नहीं देता।^४ यदि ‘गंगा’ शब्द से ‘शीतलता, पवित्रता’ वाले व्यंग्यार्थ को लक्ष्यार्थ माना जाता है, तो उसकी प्रतीति ‘गंगातट’ वाले अर्थ के बाद होती है। अतः इसे ‘गंगातट’ वाले अर्थ के बोध के बाद ही प्रतीति

१. शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापाराभावः ॥

२. यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ।

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥

—का० प्र० उ० २, कारिका २४, पृ० ५८

३. नाभिधासमयाभावात् ।

—वही पृ० ५९

४. हेत्वभावात्ना लक्षणा ॥

—वही पृ० ५९

की प्रतीति 'गंगायां घोषः' कहने में है। यही इस लक्ष्यार्थ का प्रयोजन है।^१

मम्मट ने इस दलील का उत्तर देने में न्यायशास्त्र तथा मीमांसाशास्त्र की सहायता ली है। वे बताते हैं, जब हम किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष करते हैं, तो वह पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय है। किंतु उस विषय के प्रत्यक्ष से या ज्ञान से जो फल उत्पन्न होता है, वह उस पदार्थ से भिन्न वस्तु है। इसी फल को मीमांसक लोग "प्रकटता" या "ज्ञातता" कहते हैं। तार्किक इसे "संवित्ति" या "अनुव्यवसाय" के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण के लिए, मैं घड़े को देखता हूँ। वह घड़ा मेरे ज्ञान का विषय है। उसका ज्ञान होने पर मैं मन में सोचता हूँ "मैंने घड़े को जान लिया" (ज्ञातो घट)। यह उस घटज्ञान का फल है तथा 'ज्ञातता' कहलाता है।^२ अथवा, घड़े को जान लेने पर, "मैं घड़े को जानता हूँ" (घटमहं जानामि) इस प्रकार का, मैं पर्यालोचन करता हूँ। यह संवित्ति या अनुव्यवसाय है।^३ यह प्रकटरूप या संवित्तिरूप ज्ञान का फल उस विषय (घड़े) से सर्वथा भिन्न है, जिसका मुझे ज्ञान हो रहा है। इसी प्रकार जब लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो लक्ष्यार्थ उसका विषय ही है, फल नहीं। फल तो प्रतीयमान अर्थ ही है।^४ यह प्रकटता या संवित्ति जिस

१ ननु पावनत्वादिधर्मयुक्तमेव तटं लक्ष्यते । 'गंगायास्तटे घोषः' इत्यतोऽधिकस्यार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति विशिष्टे लक्षणा तर्हि व्यञ्जनया ॥

—वही, पृ० ६१

२. घटज्ञानानन्तरं 'ज्ञातो घटः' इति प्रत्ययात् तज्ज्ञानेन तस्मिन् घटे ज्ञाततापरनाम्नी प्रकटता जायते इति अध्वरमीमांसकमीमांसा ।

—बालबोधिनी (का० प्र०) पृ० ६१.

३ सति च घटज्ञाने 'घटमहं जानामि' इति प्रत्ययरूपा अनुव्यवसायापरपर्याया संवित्तिर्घटज्ञानात् जायते इति तार्किकतर्कः ॥ —वही, पृ० ६२.

४ ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम् ॥

—का० प्र० पृ० ६१.

जायगा, तो इस बहादुरी वाले व्यंग्यार्थ की प्रतीति ही न होगी। फिर इस तरह के प्रयोग की क्या जरूरत है। यदि इसकी (व्यंग्य की) प्रतीति उपचार से मानी जाती है, तो उसका कोई प्रयोजन मानना ही पड़ेगा। फिर तो प्रत्येक प्रयोजन का प्रयोजन ढूँढ़ना पड़ेगा। वस्तुतः यहाँ पर शब्द 'स्खलद्गति' है ही नहीं। प्रयोजन व्यंग्यार्थ को लक्ष्यार्थ मानने में मुख्यार्थबाध आदि कोई हेतु उपस्थित नहीं। अतः यहाँ प्रतीयमान की प्रतीति में लक्षणा व्यापार है ही नहीं। यहाँ कोई भी व्यापार नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। साथ ही अभिधा व्यापार भी यहाँ नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यंग्यार्थ में शब्द का संकेत नहीं है। अतः अभिधा, तथा लक्षणा से भिन्न जो कोई भी व्यापार है उसका ही नाम ध्वनन (व्यजन, व्यंजना) है।^१

प्रत्येक प्रतीयमान अर्थ किसी न किसी रूप में लक्षणा संदिलष्ट हो ही, यह आवश्यक नहीं है। व्यंग्यार्थ की प्रतीति सीधी मुख्यार्थ से भी हो सकती है, जैसा अभिधामूला व्यंजना में पाया जाता है। लक्षणावादियों का खंडन करते हुए व्यंग्यार्थ प्रतीति लक्ष्यार्थ के बिना भी मम्मट ने बताया है कि लक्षणा सदा अपने सभब नियतसंबंध का ही द्योतन कराती है। जिस प्रकार अभिधा के द्वारा अनेकार्थ शब्द के नाना प्रकार के अर्थों की प्रतीति होती है, तथा वे सब अर्थ नियत रूप से उस शब्द से सबद्ध होते हैं, उसी प्रकार लक्ष्यार्थ भी किसी न किसी तरह नियत रूप से सबद्ध अवश्य होता है। 'गंगा पर घर' में 'गंगा' पद से हम 'गंगातट' रूप नियत लक्ष्यार्थ ही ले सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे लक्ष्यार्थ की प्रतीति हम इस पद से नहीं करा

१. यदि च 'सिंहो वटु.' इति शौर्यातिशयेऽप्यवगमितव्ये स्खलद्गतित्वं शब्दस्य, तत्तर्हि प्रतीति नैव कुर्यादिति किमर्थं तस्य प्रयोगः। उपचारेण करिष्यतीति चेत्, तत्रापि प्रयोजनान्तरमन्वेष्यम्। तत्राप्युपचारेऽनवस्था। अथ न तत्र स्खलद्गतित्वम्, तर्हि प्रयोजनेऽवगमयितव्ये न लक्षणाख्यो व्यापारः तत्सामग्र्यभावात्। न च नास्ति व्यापारः। न चासावभिधा समयस्य तत्राभावात्। यद्व्यापारान्तरमभिधालक्षणाव्यतिरिक्त स ध्वननव्यापारः।

चले जाना) की प्रतीति हो रही है । किन्तु यह प्रतीति ठीक विपरीत रूप में नहीं हो रही है ।

प्रतीयमान अर्थ को अन्य आचार्यों ने किसी न किसी प्रमाण से यह अन्य किसी रूप से प्रतीतिगम्य मानकर व्यंजना का खंडन किया है ।

इन लोगों के मतों का स्वयं के शब्दों में तो कह
व्यजना के अन्य उल्लेख नहीं मिलता, किंतु मम्मट तथा विश्व
विरोधी मत नाथ ने इनके मतों को पूर्व पक्ष में रखकर इनका

खंडन किया है । ये लोग कौन थे, क्या ये मत प्रचलित भी थे या इन व्यजनावादियों ने ही विभिन्न पूर्वपक्ष सरणियों की कल्पना कर ली थी, इस विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । फिर भी इतना अनुमान अवश्य होता है कि वैयक्तिक रूप से ऐसे व्यंजनाविरोधी मत अवश्य प्रचलित रहे होंगे ? इन मतों का विशेष महत्त्व न होने से हमने इनका उल्लेख भिन्न परिच्छेद में न कर इस परिच्छेद के उपसंहार के रूप में करना उचित समझा है ।

(१) अखंड बुद्धिवादियों का मत:—वेदांतियों के मतानुसार जब ब्रह्मरूप वाच्यार्थ की प्रतीति के लिए 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म' 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' 'नेह नानास्ति किंचन' आदि वेद वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तब वहाँ उस वाच्यार्थ की प्रतीति अखंड बुद्धि से होती है । अखंड बुद्धि से वेदांतियों का तात्पर्य उस बुद्धि से है, जो अनेक शब्द के वाक्य को सुनकर उसके अखंड रूप के ज्ञान की होती है, प्रत्येक शब्द से नहीं होती ।^१ इसी बात का भगवान् बादरायण ने भी अपने सूत्र में बताया है कि "इस अखंड बुद्धि का निमित्त अनवयव (अखंड) वाक्य ही है, जो अविद्या के द्वारा दिखाये गये मिथ्या रूप पद तथा वर्ण के विभाग से युक्त होता है ।"^२ अर्थात् भगवान् वेदव्यास के मतानुसार पद तथा वर्ण का वाक्य

१ अविशिष्टमपर्यायानेकशब्दप्रतिष्ठितम् ।

एकं वेदान्तनिष्णातास्तमखण्ड प्रपेदिरे ॥

—का० प्र० बाल० पृ० २५१

२. अनवयवमेव

वाच्यमनाद्यविधोपदर्शितालीकपदवर्णविभागमस्य

निमित्तम् ॥

—ब्रह्मसूत्र०

(२) अर्थापत्ति और व्यञ्जनाः — विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में एक स्थान पर अर्थापत्ति के अंतर्गत व्यञ्जना का समावेश करने वालों के मत का उल्लेख किया है। संभव है यह मत किन्हीं अर्थापत्ति प्रमाण और व्यञ्जना मीमांसकों का रहा होगा। अर्थापत्ति, मीमांसकों के मत से, ज्ञान का एक प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शाब्द, इन प्रसिद्ध ४ प्रमाणाँ के अतिरिक्त, मीमांसक अर्थापत्ति को भी प्रमाण मानते हैं। जहाँ वाक्य के अर्थ से तत्संबद्ध भिन्नार्थ की प्रतीति हो, वहाँ यह प्रमाण होता है। पारिभाषिक शब्दों में अर्थापत्ति में उपपाद्य ज्ञान से उपपादक की कल्पना की जाती है।^१ इस प्रमाण का प्रसिद्ध उदाहरण यह है— “यह मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता” (पीनो देवदत्तो दिवा न मुहृक्ते) इस वाक्य से अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा “देवदत्त रात में खाता है” (अर्थात् रात्रौ मुहृक्ते) इसकी प्रतीति होती है। नैयायिक अर्थापत्ति को अलग से प्रमाण न मान कर अनुमान के अंतर्गत ही इसका समावेश करते हैं। कुछ लोग प्रतीयमान अर्थ को इसी अर्थापत्ति प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं। यह मत ठीक नहीं। वस्तुतः अर्थापत्ति भिन्न रूप से कोई प्रमाण नहीं, वह अनुमान का ही भेद है। साथ ही अनुमान के द्वारा भी प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। इसका विशद विवेचन आगामी परिच्छेद में किया जायगा। जिस प्रकार अनुमान में किसी न किसी पूर्वसिद्ध हेतु तथा व्याप्ति संबंध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अर्थापत्ति में भी होती है। प्रतीयमान अर्थ में किसी पूर्वसिद्ध वस्तु की आवश्यकता नहीं। विश्वनाथ ने अर्थापत्ति का खडन संक्षेप में यों किया है— “इस तरह हमने अर्थापत्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ प्रतीति मानने वाले लोगों का भी खडन कर दिया है। क्योंकि अर्थापत्ति भी पूर्वसिद्ध व्याप्ति संबंध पर निर्भर रहती है। जैसे यदि कोई कहे, चैत्र जीवित है, तो हम इस अर्थ की प्रतीति कर लेंगे कि वह कहीं जरूर होगा, चाहे वह इस सभा में नहीं बैठा हो। जो कोई जिंदा होता है, वह कहीं न कहीं विद्यमान अवश्य होता है—यह अनुमान प्रणाली का व्याप्तिसंबंध यहाँ काम कर ही रहा है। अतः अर्थापत्ति

इस प्रकार व्यञ्जना का क्षेत्र अभिधा, लक्षणा, अखंडबुद्धि, अर्था-पत्ति, सूचनबुद्धि या स्मृति से सर्वथा भिन्न है। इसका समावेश किसी के भी अंतर्गत नहीं हो सकता। महिमभट्ट जैसे उपसंहार तार्किक इसका समावेश अनुमान में करने की चेष्टा करते हैं, किंतु यह मत भी असमीचीन ही है।



व्यक्तिविवेककार महिम भट्ट का समय ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य-भाग में रक्खा जा सकता है। ग्रन्थ में माघ, ध्वनिकार, अभिनवगुप्त, कवि रत्नाकर, भट्टनायक आदि के उल्लेख तथा व्यक्तिविवेककार का समय उद्धरण मिलते हैं। इनमें अभिनवगुप्त का रचना-काल ईसा की दसवीं शताब्दी का अन्त तथा ग्यारहवीं शताब्दी (९९३ ई०-१०१५ ई०) का आरंभ माना जाता है।^१ महिम भट्ट अभिनवगुप्त के समसामयिक ही रहे होंगे। महिम के व्यक्तिविवेक की अनुमानसरणि का उल्लेख सर्वप्रथम मम्मट के काव्यप्रकाश में मिलता है। अलंकार-सर्वस्वकार रुच्यक तो इस ग्रन्थ के टीकाकार ही हैं। आगे जाकर हेमचन्द्र, विश्वनाथ आदि कई आलंकारिकों ने महिम भट्ट के मत का उल्लेख किया है। महिम भट्ट को मम्मट के पश्चात् कदापि नहीं माना जा सकता। मम्मट का समय ग्यारहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग है। अतः महिम भट्ट अभिनवगुप्त तथा मम्मट के बीच रहे होंगे।^२

महिम भट्ट की व्यंजनाविरोधी सरणि को आरंभ करने के पूर्व हमें 'व्यक्तिविवेक' का विषय संक्षेप में जान लेना होगा। व्यक्तिविवेक तीन विमर्शों में विभक्त ग्रन्थ है। प्रथम विमर्श में व्यक्तिविवेक का विषय व्यक्तिविवेककार ध्वनिकी परीक्षा करते हुए उसके लक्षण का खंडन करना आरंभ करते हैं। ध्वनि के लक्षण में वे लगभग १० दोषों को घटाकर उस लक्षण को अशुद्ध सिद्ध करते हैं। इसी संबंध में वे वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थ का उल्लेख करते हैं, तथा प्रतीयमान अर्थ को अनुमितिग्राह्य या अनुमेय मानते हैं। ध्वनिकार की भाँति इसके वस्तु, अलंकार, रस ये तीन भेद महिम भट्ट ने माने हैं। इसी संबंध में बताते हैं कि ये तीनों भेद व्यंग्य नहीं हैं। इतना होने पर भी रस के विषय में व्यंग्यव्यंजकभाव का औपचारिक प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु वस्तु तथा अलंकार को तो औपचारिक दृष्टि से भी व्यंग्य नहीं माना जा सकता। ध्वनि या

१. देखिये, परिशिष्ट २

२. देखिये—व्यक्तिविवेक की आग्ल भूमिका (त्रिवेदम संस्करण)

है। विशेषरूप से, नैयायिकों ने इस विषय में पर्याप्त गवेषणा की है। प्रत्यक्ष वस्तु के सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् संबंध व्याप्ति सबध पर ही अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान निर्भर है। अतः इसकी शुद्धता पर बहुत विचार किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि प्रत्यक्ष वस्तु जिसके द्वारा अनुमान कराया जाता है 'हेतु' कहलाती है, इसे हम साधारण शब्दों में अनुमापक कह सकते हैं। जिस वस्तु का अनुमान होता है, वह 'साध्य' (अनुमाप्य) है। ऊपर के उदाहरणों में, 'सड़क पर पानी का होना, तथा 'काले बादलों का घुमटना'. "हेतु" हैं तथा "वृष्टि का होना" "साध्य" है। हम बता चुके हैं कि अनुमान प्रणाली में हेतु तथा साध्य के नियत संबध पर बड़ा जोर दिया जाता है। इसी नियत सबध को "व्याप्ति" कहते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को हेतु तथा साध्य का यह नियत संबध ज्ञात न होगा. तब तक उसे अनुमिति नहीं होगी। जब वह बार बार दो वस्तुओं के इस प्रकार के नियत संबध को देख लेगा, तभी वह उस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। फिर किसी भी हेतु को देखकर उससे नियतरूप से संबद्ध साध्य की अनुमिति कर लेगा। किन्तु, इस अनुमिति के पूर्व एक बार वह उस व्याप्तिसंबध को याद करेगा। व्याप्ति संबध के याद करने को पारिभाषिक शब्दों में "परामर्श" कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने देखा कि जहाँ भी धुआँ होता है, वहाँ आग अवश्य होती है। यह मैं बार बार देखता हूँ। इस प्रत्यक्ष ज्ञान से मैं धूम तथा अग्नि के व्याप्तिसंबध का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ। जब मैं बाद में केवल धूम देखता हूँ, तो यह अनुमान कर लेता हूँ कि आग अवश्य है, जिससे धुआँ निकल रहा है। इस अनुमान के पूर्व मैं सोचता हूँ "जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ वहाँ आग भी होती है, यहाँ धुआँ है, अतः आग भी है"। इसी सोचने को "परामर्श" कहते हैं। नैयायिकों के अनुसार अनुमितिग्रहण में इस परामर्श का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जहाँ अनुमान दूसरों को कराया जाता है (परार्थानुमान) वहाँ तो इसका महत्त्व स्पष्ट है ही, किन्तु स्वार्थानुमान में भी परामर्श अवश्य होता है।

नैयायिकों के अनुसार वह ज्ञान जो परामर्श के कारण होता है, अनुमिति है, तथा उस ज्ञान का प्रमाण अनुमान। जैसे यह पर्वत वहि-

व्याप्यधूमवान् है, यह परामर्श है। इस परामर्श में "पर्वत में वृद्धि है" इस प्रकार की अनुमिति होती है। जहाँ परार्थानुमान के पचात्रय वाक्य जहाँ धुआँ है, वहाँ वहाँ आग है, यह साहचर्य नियम व्याप्ति है। व्याप्य (धूम) का पर्वत आदि में रहना पारिभाषिक शब्दों में 'पक्षधर्मता' कहलाता है। यह अनुमान स्वार्थ तथा परार्थ, दो प्रकार का होता है। स्वार्थ में व्यक्ति स्वयं ही अनुमान कर लेता है, किन्तु परार्थ में वह पचात्रय वाक्य का प्रयोग कर दूसरे को अनुमान कराता है, जैसे,

- | | |
|---|--|
| (१) इस पर्वत में आग है, | (पर्वतोऽयं वृद्धिमान्) |
| (२) क्योंकि वहाँ आग है, | (धूमवत्त्वान्) |
| (३) जहाँ जहाँ धुआँ होता है आग भी होती है, जैसे रसोईघर में) | (यो यो धूमवान् स स वृद्धिमान यथा महानमः) |
| (४) यह भी वैसा ही है, | (तथा चायम्) |
| (५) इसलिये यह पर्वत भी वृद्धिमान है। | (तन्मान तथा) |

परार्थानुमान में इस पंचात्रय वाक्य का शब्द महत्त्व है। इसके बिना अनुमान ही ही नहीं सकता। पाश्चात्य दर्शन में भी अनुमान वाक्यों (Syllogism) का शब्द महत्त्व है, किन्तु उनकी प्रणाली ठीक ऐसी ही नहीं है। परन्तु की अनुमान प्रणाली में वाक्य व्यवस्था होता है तथा परामर्श वाक्य सर्वप्रथम उपात्त होता है। न्याय के ये

१. अनुमितिहरणमनुमानम् । परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः । व्याप्ति-
रितिष्टवक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः । यदा वदित्वाप्यधूमवानस्य पर्वत इति ज्ञानं
परामर्शः । तत्रजन्यं पर्वतो वृद्धिमानिति ज्ञानमनुमितिः । यत्र यत्र धूम एवाप्रा-
गितिः साहचर्यमिदमो स्याति । स्यात्स्य पर्वतादित्युक्तिरपक्षधर्मता ॥

—तर्कसंग्रह पृ० ३४

(पाप ही) पक्षमितिष्टवक्षधर्मताज्ञानमनुमितिहरणमनुमितिः । व्याप्ति-
रितिष्टवक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः इति निश्चयः । एतादृशपरामर्शजन्यमपि सति
ज्ञानमनुमितेर्ज्ञानम् ॥ —न्यायबोधिनी टीका (ग० सं०) पृ० ३६

पंचावयव वाक्य क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन कहलाते हैं ।^१

हेतु, तथा साध्य के नियत संबंध की दृष्टि से व्याप्ति के तीन भेद किये जाते हैं — अन्वयव्यतिरेकव्याप्ति, अन्वयव्याप्ति, व्यतिरेकव्याप्ति । जैसे धुएँ के रहने पर आग रहती है (अन्वय-व्याप्ति के तीन प्रकार व्याप्ति) और आग के न रहने पर धुआँ भी नहीं रहता (व्यतिरेकव्याप्ति) । यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि व्यतिरेकव्याप्ति में अन्वय व्याप्ति वाले साध्य (अग्नि) का अभाव हेतु घन जायगा, तथा हेतु (धूम) का अभाव साध्य घन जायगा । इस व्याप्ति का उदाहरण भी ऐसा होगा, जहाँ हेतु तथा साध्य दोनों नहीं पाये जाते । जहाँ दोनों में केवल अन्वय संबंध ही होता है, वहाँ अन्वय व्याप्ति ही होगी । यदि कोई कहे कि घड़े (पदार्थ) का कोई नाम अवश्य होना चाहिए और वह इसके लिए यह हेतु दे कि घड़ा प्रमेय (ज्ञातव्य) पदार्थ है, तो यहाँ अन्वय व्याप्ति होगी । हम कह सकते हैं जो भी पदार्थ प्रमेय है, उसका कोई न कोई नाम जरूर होता है, जैसे कपड़े के विषय में । किंतु यदि हम व्यतिरेक व्याप्ति ले तो यहाँ सगत नहीं होगी । क्योंकि उस दशा में हम कहेंगे जहाँ नाम नहीं (अभिधेयाभाव) है, वहाँ प्रमेय भी नहीं (प्रमेयाभाव) है । इसका हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं । क्योंकि उदाहरण देना तो 'अभिधेय' की सिद्धि करता है । व्यतिरेक व्याप्ति वहाँ होगी जहाँ हेतु तथा साध्य का संबंध व्यतिरेक रूप में पाया जाता है । जैसे कहा जाय, पृथिवी तत्त्व अन्य सभी द्रव्यों से भिन्न है, क्योंकि पृथिवी में गन्ध गुण पाया जाता है । यहाँ हम यही व्याप्ति बना सकते हैं कि जहाँ पृथिवी से भिन्नता है, वहाँ गन्ध नहीं पाया जाता । जैसे पानी में गन्ध नहीं है । क्योंकि अन्वय व्याप्ति लेने पर तो हमें उदाहरण नहीं मिलेगा । जहाँ जहाँ गन्ध पाया जाता है, वहाँ वहाँ पृथिवी है, तो इसका उदाहरण न हम दे सकेंगे क्योंकि सारा पृथिवीत्व ही साध्य बन गया है ।

१. प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमानि पञ्चावयवाः । पर्वतो वह्निमानिति प्रतिज्ञा । धूमवत्त्वादिति हेतुः । यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानस इत्युदाहरणम् । तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्तथेति निगमनम् ।

ज्यामि मरंज के साथ नैराशिकी के पारिभाषिक नाम 'पक्ष', 'मपक्ष' तथा 'द्विपक्ष' को भी समझ लेना है। पक्ष यह स्थान है, जहाँ होव को देखकर हम साध्य का अनुमान करके पक्ष, मपक्ष तथा द्विपक्ष है। जैसे, "मरंज में लाम है, क्योंकि यहाँ विपक्ष भुज्रा है" नैराशिकी के इस पक्षिक उदाहरण में 'पर्वत' 'पत्त' है। 'मपक्ष' यह स्थान है, जहाँ पक्ष के समान ही हेतु तथा साध्य का नियामाह्वर्य प्राप्त जाय है। जैसे इसी उदाहरण में "महात्म" समोद्वेग । समोद्वेग में भी भुज्रा और पक्ष का नियामाह्वर्य देखा जाता है, पक्ष यह मपक्ष है। अप्रत्यक्ष्यामि में यही मपक्ष उदात्त (आह्वर्य) रूप में प्रयुक्त होता है। विपक्ष वह है, जहाँ हेतु तथा साध्य दोनों ही का प्रभाव रहता है। जैसे इसी उदाहरण में पर्वत का विपक्ष जाहान है। व्यतिरेक ज्यामि में यही विपक्ष उदाहरण रूप में प्रामाण्य होता है। नैराशिकी की पारिभाषिक प्राथमिकी में 'पक्ष' 'मपक्ष' तथा 'द्विपक्ष' का इन इन प्रकार नियत कर सकते हैं। 'पक्ष' यह है जहाँ साध्य का स्थिति स्थिति है क्योंकि हमें यही समझी स्थिति करना है। 'मपक्ष' में साध्य की स्थिति निर्दिष्ट है, तथा विपक्ष में साध्य का प्रभाव निर्दिष्ट है।

हम देख सकते हैं कि अनुनासिकी में हेतु का मपक्ष विविध स्थान तथा मपक्ष है। यही यह साधन है, जिसके द्वारा किसी वस्तु की अनुनासिकी हो सकती है। अतः हमें स्पष्ट यह देखा जाना चाहिए कि यह मपक्ष ही, प्रथम हमें किसी अनुनासिकी करने की प्रकृति है। इसी कारण हेतु को मपक्ष तथा मपक्ष हेतु इन दो कोटियों में विभक्त किया गया है। मपक्ष हेतु मपक्ष हेतु नहीं होते, न वे किसी प्रकार अनुनासिकी ही कर सकते हैं, फिर भी साध्य में वे हेतु-में प्रभाव होते हैं। इसी लिए इन हेतुओं को देखा जाना कहा जाता है।^१ अर्थात् मपक्ष के साथ ही

१. संक्षिप्तमाध्यायक पक्ष । यथा भुज्रा में हेतु पक्ष । विविधमपक्ष-साध्य मपक्ष । यथा मपक्ष मपक्ष । विविधमपक्षमपक्षमपक्ष । यथा मपक्ष मपक्ष ।
—पक्षिक २० २३-४.

२. हेतुमपक्षमपक्ष हेतु देखा जाना मपक्षमपक्ष । × × हेतु ही देखा जाने का है अनुनासिकी प्रकृति ही मपक्षमपक्षमपक्ष ही मपक्ष ।
—पक्षिक (मपक्षिकी) २० २४.

जाँच पड़ताल करने में हमें हेत्वाभासों को अच्छी तरह समझ लेना होगा, क्योंकि हमें यही देखना है कि कहीं प्रतीयमानार्थ की अनुमिति कराने वाले महिम भट्ट के हेतु दुष्ट तो नहीं हैं। यदि दुष्ट हैं, तो फिर उस प्रकार की अनुमिति करानेमें सर्वथा असमर्थ हैं, तथा उस प्रकार की अर्थप्रतीति अनुमान प्रमाणवेद्य नहीं मानी जा सकती।

ये दुष्ट हेतु पाँच प्रकार के माने गये हैं:—सव्यभिचार, (अनैकान्तिक), विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध तथा बाधित।^३ सव्यभिचार हेतु का दूसरा नाम अनैकान्तिक भी है। अनैकान्तिक का शब्दार्थ है, वह जो सभी जगह पाया जाय। अर्थात् वह हेतु जो पक्ष, सपक्ष, तथा विपक्ष सभी स्थानों पर विद्यमान रहता हो, अनैकान्तिक है। हेतु में यह आवश्यक है कि वह विपक्ष में विद्यमान न हो। अनैकान्तिक हेतु का उदाहरण हम ले सकते हैं —

पर्वत में आग है, (पर्वतोयं वह्निमान्)
क्योंकि पर्वत ज्ञातव्य पदार्थ (प्रमेय) है (प्रमेयत्वात्)

इस उदाहरण में 'प्रमेयत्व' हेतु दुष्ट है, क्योंकि प्रमेयत्व तो तालाक आदि विपक्ष में भी पाया जाता है। ज्ञातव्य पदार्थ तो तालाक भी है, जहाँ आग नहीं पाई जाती। महिम भट्ट की अनुमानसरणि में हम देखेंगे कि उसके कई हेतु इस अनैकान्तिक कोटि में आते हैं।

दूसरा हेतु विरुद्ध है। जो हेतु साध्य के प्रतियोगी (विरोधी) से व्याप्त हो, वह हेतु विरुद्ध होता है। जैसे कहा जाय कि शब्द नित्य है, क्योंकि शब्द कार्य है (शब्दो नित्यः, कृतकत्वात्), तो यहाँ हेतु विरुद्ध है। जो भी वस्तु कार्य होती है, वह सदा अनित्य होती है। इस तरह 'कृतकत्व' का नियत संबंध 'नित्यत्व' के प्रतियोगी 'अनित्यत्व' से है।

तीसरा हेतु सत्प्रतिपक्ष है। किसी हेतु के द्वारा हम किसी साध्य को सिद्ध करने जा रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इसी साध्य के अभाव को दूसरे हेतु से सिद्ध कर सकता है, तो यहाँ पहला वाला हेतु सत्प्रतिपक्ष है सत्प्रतिपक्ष का शाब्दिक अर्थ है, "जिसकी धरावरी वाला कोई

३. सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः ॥

संज्ञक हो। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कहता है गन्ध निरन्ध है, क्योंकि हम उसे गन्ध पाते हैं (शब्दों नित्यः भावगुत्वान्), इसमें "भावगुत्व" हेतु अभाव है। दूसरा व्यक्ति यह सिद्ध कर सकता है कि गन्ध अनिरन्ध है, क्योंकि वह कार्य है, जैसे "रक्षा" (शब्दों अनित्य, भावगुत्वान् पदधन)।

अमिरन्ध यह हेतु है, अमित्री स्थिति ही न हो। इस स्थिति में या तो उभरा आशय नहीं रहता (आशयान्निद्र), या वह स्वयं ही नहीं होता, (स्वरूपान्निद्र), या हेतु सांघाधिक होता है। जैसे 'आकाश-पुत्र मृतपितृ है, क्योंकि वह पुत्र है' यहाँ आशयान्निद्र (आशय) होता ही नहीं। यह आशयान्निद्र हेतु है। स्वरूपान्निद्र जैसे, "गन्ध गुण है, क्योंकि वह रंगों का सदन है" (शब्दों गुण, भावगुत्वान्)। इसमें हेतुभावन है, क्योंकि शब्द में 'चाक्षुषत्व' स्वरूप में नहीं पाया जाता। गन्ध तो केवल सुना जा सकता है। सांघाधिक हेतु का व्याख्येय सिद्ध कहते हैं। जैसे "पर्वत में धुआँ है, क्योंकि यहाँ आग है" यह हेतु सांघाधिक है। वस्तुतः धूम का व्याप्ति संबंध आग मात्र में न होकर गीली लकड़ीवाली आग में है। अतः गीली लकड़ी यहाँ उपाधि के रूप में विद्यमान है। जहाँ गीली लकड़ी वाली आग होगी, वहाँ धूम होगा।

जहाँ साध्य का अभाव किसी अन्य प्रमाण ने निश्चित हो जाय, वह हेतु प्राधित होता है। जैसे "आग नील है, क्योंकि यह द्रव्य है" (यद्विरनुष्णः, द्रव्यत्वान्) इस उदाहरण में आग का द्रव्यत्व प्रत्यक्ष प्रमाण में ही सिद्ध है। अतः यह हेतु प्राधित है। महिम भट्ट का अनुमानपत्तारत्नी में अनेकान्वित के अनिश्चित पर हेतु अमिरन्ध तथा प्राधित भी हैं।

महिम भट्ट की मान्यरति को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि महिम भट्ट प्रतीयमान अर्थ की सर्वथा अस्वीकार नहीं करते। जहाँ मर प्रतीयमान अर्थ की प्रतीय का पदम है वे महिम नह भी भी इस विषय में धरनिहार में सहमत हैं। यह दूसरी बात है कि कुछ उदाहरणों में वे प्रतीयमान अर्थ की नहीं मानते और कहते हैं कि इन शब्दों में अनुष्णः कोई प्रतीयमान अर्थ नहीं है। महिम भट्ट के इस

मत को हम आगामी पंक्तियों में विवेचित करेंगे। जहाँ तक प्रतीयमान अर्थ की चमत्कारिता का प्रश्न है, महिम भट्ट का मत ध्वनिकार से भिन्न नहीं। वे स्पष्ट कहते हैं कि प्रतीयमान रूप में प्रीति अर्थ वाच्य रूप से अधिक चमत्कृति उत्पन्न करता है।^१ फिर भी सबसे बड़ा भेद जो ध्वनिकार तथा महिम भट्ट में पाया जाता है, वह यह है कि महिम इस प्रतीयमान अर्थ को किसी शब्दशक्तिविशेष के द्वारा संबन्ध न मानकर अनुमान प्रमाण द्वारा अनुमित मानते हैं। ध्वनिकार इसकी प्रतीति के लिए अभिधा, लक्षणा तथा तात्पर्य से व्यतिरिक्त व्यजना नामक चतुर्थ शक्ति की कल्पना करते हैं, यह हम देख चुके हैं। 'व्यक्तिविवेक' नामक ग्रंथ में महिम ध्वनिकार की व्यजना शक्ति का खंडन करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति किस प्रकार अनुमान के अंतर्गत आती है। वे स्वयं अपने ग्रंथ के आरंभ में ही संकेत करते हैं कि व्यंग्यार्थ या ध्वनि वस्तुतः अनुमेयार्थ ही है।

“समस्त ध्वनि (व्यंग्यार्थ, प्रतीयमान अर्थ) का अनुमान के अंदर अंतर्भाव करने के लिए महिम भट्ट परा वाणी को नमस्कार कर व्यक्तिविवेक की रचना करता है^२।”

सर्वप्रथम महिम भट्ट ध्वनिकार की ध्वनि संबंधी परिभाषा^३ को

१. वाच्यो हि अर्थो न तथा स्वदते, यथा स एव प्रतीयमानः ॥

—व्य० वि० द्वितीय विमर्श पृ० ७३ (त्रि० सं०)

वाच्यो हि न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एव विधिनिषेधादिः
काक्वभिधेयतामनुमेयता वावतीर्णं इति स्वभाव एवायमर्थानाम् ॥

—वही, पृ० ५४ (चौ० सं० सी०)

२. अनुमानेऽन्तर्भाव सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम् ।

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम् ॥

—वही, १.१, पृ० १

३. यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥

—(ध्वन्या० का० १)

संज्ञे हुए पदानों में कि यह लक्षण विवेचना करने पर अनुमान में ही
 स्पष्टित होता है। वस्तुतः यह अनुमान ही है,
 महिम के द्वारा 'प्रति नहीं।' महिम भट्ट का मत यह है कि
 'प्रति' की परिभाषा इस प्रकार के काव्य विशेष की 'प्रति न कष्ट कर
 का संज्ञक' "अनुमान" (वाचानुमिति) नाम देना ही ठीक
 है। साथ ही महिम भट्ट प्रतिष्कार की 'प्रति
 की परिभाषा को अशुद्ध तथा टुष्ट' पनाते हैं। जिस काव्य विशेष में अर्थ स्वयं
 पौ, तथा शब्द अपने आपको तथा अपने अर्थ को गौण बना कर किसी
 व्यंग्यायं की प्रतीति कराने हैं, उसे प्रतिष्कार, प्रति नामने हैं। महिम भट्ट
 का कहना है कि इस परिभाषा में 'शब्द' का प्रयोग ठीक नहीं, क्योंकि
 शब्द तो कभी भी गुणीभूत नहीं हो सकता। शब्द का प्रमुख प्रयोजन
 तथा व्यापार स्वार्थप्रत्यायन ही है। साथ ही अर्थ को जो 'उपसर्जनो-
 भूत' (गौण) विशेषण दिया है, यह भी ठीक नहीं। अर्थ (वाच्यार्थ)
 का प्रयोग तो प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कराने के लिए किया ही गया
 है। यह तो उस प्रतीयमान अर्थ का हेतु है। अग्नि की निद्रि करते
 समय उसका हेतु धूम तो अवधान (गौण) है ही। अतः पुनः
 गौणत्व पदानों की आवश्यकता क्या है ?

शब्द तथा अर्थ के संबंध पर प्रकाश टालने हुए महिम भट्ट पनाते
 हैं कि अर्थ दो प्रकार का होता है.—वाच्य तथा अनुमेय। वाच्य अर्थ
 सदा शब्द व्यापार विषयक होता है। इसलिये
 महिम भट्ट के मत में यह 'सुग्य' भी कहलाता है। उस वाच्य अर्थ ने
 अर्थ के दो प्रकार :— या उसके द्वारा अनुमित अन्य (प्रतीयमान) अर्थ
 वाच्य तथा अनुमेय हेतु ने जिसकी अनुमिति हो, वह अनुमेय अर्थ
 है। यह अनुमेय अर्थ वस्तुमात्र, अलंकार तथा
 रसादिकर है। वस्तु तथा अलंकाररूप तो वाच्य भी हो सकता है,

१. एतच्च विद्विषयानां अनुमानार्थस्य संज्ञकत्वे, मानसम् ॥

—पृष्ठ ० २०१

२. न कष्टादितिर्ही धूमादिरसादीपनायोः सुग्यामतिवर्ति ॥

—पृष्ठ ०, २०१०

किंतु रस रूप का अर्थ सदा अनुमेय ही होता है।^१ यहाँ भी महिम भट्ट ध्वनिकार के ही पदचिह्नों पर चल रहे हैं, भेद केवल इतना ही है कि महिम भट्ट को व्यंग्यार्थ तथा व्यंजना जैसी शब्दावली सम्मत नहीं। ध्वनिकार का व्यंग्यार्थ भी वस्तु, अलंकार, तथा रसरूप होता है। उनके मतानुसार वस्तु तथा अलंकार वाच्य भी हो सकते हैं, किंतु रसादिरूप^२ तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं है। महिम का कहना है कि रसादिरूप अनुमेय अर्थ के लिए कुछ लोग व्यंग्यव्यंजक भाव मान लेते हैं, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वस्तुतः वह व्यंजित होता है! रसादि की प्रतीति में भी वस्तुतः धूम तथा अग्नि जैसा गम्यगमकभाव (अनुमाप्यानुमापकभाव) होता अवश्य है, किंतु उसकी गति इतनी तीव्र है कि उस संबंध का पता नहीं लगता। इसीलिए कुछ लोग भ्राति से इसकी प्रतीति में व्यंग्यव्यंजकभाव मान बैठते हैं, तथा उसके आधार पर ध्वनि का भी व्यवहार करने लगते हैं। यह प्रयोग वस्तुतः औपचारिक ही है। उपचार के प्रयोग का प्रयोजन यह है कि रस सहृदयों को आनंद देता है।^३ किंतु वस्तु तथा अलंकाररूप अनुमेयार्थ में तो गम्यगमकभाव स्पष्ट प्रतीत होता है, अतः उनके लिए व्यंग्य शब्द का प्रयोग करने में कोई कारण नहीं दिखाई देता। इसी संबंध में महिमभट्ट यह भी बताते हैं कि ध्वनिवादियों ने वैयाकरणों के स्फोट

१. अर्थोऽपिद्विविधो वाच्योऽनुमेयश्च । तत्र शब्दव्यापारविषयो वाच्यः
 X X X तत एव तदनुमिताद्वा लिङ्गभूताद्यर्थान्तरमनुमीयते सोऽनु-
 मेय । स च त्रिविधः, वस्तुमात्रमलङ्कार रसादयश्चेति । तत्राद्यो वाच्यावपि
 सम्भवतः । अन्यस्वनुमेय एवेति ॥
 —व्यक्तिवि० पृ० ३९

२. आदि शब्द से यहाँ रसाभास, भाव, भावाभास, भावसधि, भावोदय, भावशान्ति तथा भावशबलता का ग्रहण किया जाता है, जो रस की अपक्व-वस्थाएँ हैं।

३. केवल रसादिष्वनुमेयेष्वयमसलक्ष्यक्रमो गम्यगमकभाव इति सह-
 भावभ्रान्तिमात्रकृतस्तत्रान्येषां व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावाभ्युगमः तस्मिन्धनश्च
 ध्वनिव्यपदेश । स तु तत्रौपचारिक एव प्रयुक्तो न मुख्यः तस्य वक्ष्यमाणनयेन
 दाधितत्वात् । उपचारस्य च प्रयोजन सचेतनचमत्कारकारित्व नाम ।

करने की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि भ्रांतिजनित ज्ञान तो 'प्रमा' की कोटि में आयगा ही नहीं। यदि उपचार से व्यङ्ग्य जैसे तीसरे अर्थ की स्थिति मानी जाती है, तो उपचार से ही व्यक्ति तथा व्यंजना जैसे व्यापार को भी मानना पड़ेगा। इस प्रकार तो महिमभट्ट को किसी न किसी तरह व्यंजना जैसा व्यापार मानना ही पड़ेगा, जिसके खंडन पर वे तुल्य हुए हैं।

इस प्रकार प्रतीयमान या व्यङ्ग्यार्थ को अनुमेय मानकर महिम

भट्ट ध्वनि का भी नाम बदल कर उसे 'काव्यानु-
काव्यानुमिति मिति' संज्ञा देते हैं। ध्वनिकार के प्रतीयमानार्थ-
विशिष्ट काव्य के लक्षण में दस दोष बताकर वे
इसका नया लक्षण यों देते हैं—

“वाच्य या उसके द्वारा अनुमित अर्थ जहाँ दूसरे अर्थ को किसी संबंध से प्रकाशित करता है, वह काव्यानुमिति कहलाती है।”^१ आगे जाकर महिमभट्ट यह भी घोषित करते हैं कि शब्द में केवल एक ही शक्ति है, अभिधा, तथा अर्थ में केवल लिंगता (हेतुता) ही पाई जाती है। अतः शब्द तथा अर्थ में से कोई भी व्यंजक नहीं हो सकता। महिमभट्ट के मतानुसार शब्द में केवल अभिधा होने से वह सदा वाचक ही होगा तथा अर्थ में केवल लिंगता होने से वह सदा हेतु ही रहेगा।^२ इस प्रकार महिमभट्ट लक्षणा तथा तात्पर्य जैसी शक्ति का निषेध करते हुए उनका भी समावेश अनुमान में ही करते हैं। जो लोग वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थ में परस्पर व्यंग्यव्यंजकभाव मानते हैं, उनका खण्डन करते हुए महिम भट्ट कहते हैं:—

“वाच्य तथा प्रत्येय अर्थ में परस्पर व्यञ्जकता तथा व्यंग्यता नहीं है, क्योंकि वे दीपक के प्रकाश तथा घड़े को भाँति एक साथ प्रकाशित

१. वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थोऽर्थान्तर प्रकाशयति ।

सम्बन्धत कुतश्चित् सा काव्यानुमितिरित्युक्ता ॥

—व्यक्तिवि० १.२५ पृ० १०५

२. शब्दस्यैकाभिधा शक्तिरर्थस्यैकैव लिंगता ।

न व्यञ्जकत्वमनयो. समस्तीत्युपपादितम् ॥

—वही १.२६, पृ० १०५

नहीं होंगे। हेतु (वाच्य) के पक्ष में रहने के कारण तथा वाच्य एवं प्रत्यय में व्यतिरिक्ति होने के कारण उनमें अनुमाप्यानुमावृत्त भाव ठीक वही तरह है जैसे वृक्षत्व तथा प्राञ्जत्व में अथवा अग्नि तथा भूम में।^१

महिम का आशय यह है कि जैसे प्राञ्जत्व के हेतु के द्वारा वृक्षत्व का अनुमान हो जाता है (अर्थ वृक्ष, प्राञ्जत्वान्), तथैवा जैसे धुएँ के द्वारा आग का अनुमान हो जाता है (पर्वतोऽयं वह्निमान्, भूम-चन्वान्), ठीक वैसे ही वाच्य अर्थ रूप हेतु के द्वारा प्रत्यय अर्थ रूप साध्य की अनुमिति हो जाती है। इस विषय में एक युक्ति महिम ने यह भी दी है कि इंद्रयनुष जैसी वस्तुओं में जो स्वप्न परमार्थ हैं, व्यक्ति (व्यंजना) नहीं मानी जा सकती, यहाँ तो कार्य ही मानना पड़ेगा। जो संबंध सूर्यप्रकाश तथा इंद्रयनुष में है वही वाच्य तथा प्रत्यय अर्थ में है।

वाच्यार्थ के अतिरिक्त जिन जिन अर्थों की प्रतीति होती है, वे सभी महिम भट्ट के मन में अनुमान फोटि के ही अंतर्गत आचेंगे। "गीर्वादीकः" जैसी गीर्वा लक्षणा, तथा "गंगाया घोषः" जैसी प्रयोजनयती सुद्धा में भी महिम लक्षणा नहीं मानते।

"वादीक में गीत्व का आरोप करने से उन दोनों की समानता की अनुमिति होती है। यदि ऐसा न हो तो फीन विद्वान् उन से भिन्न सममान वस्तु में वही वस्तु का व्यवहार करेगा।"^२

'गंगाया घोष' में जब हम गंगानद पर आरोपों की प्रतीति है" यह अर्थ लेते हैं तो यह अर्थ अनुमितिनस्य ही है। महिम भट्ट का कहना है कि गङ्गा कभी भी अरनी सुन्या घृति को नहीं रोता। यदि

१. गङ्गप्रवायेऽसौनाम्नि स्वयन्वृक्षत्वमाशङ्कते ।

मयोः प्रतीतिरप्यत्र साद्विधेनाप्रयोजनात् ॥

पराशरसंस्कृतव्याप्तिसिद्धिप्रदेशम् ।

सूत्रप्रकाशकसंस्कृतविद्वान्प्रभुनवा ॥

—पृष्ठ, १, १४-५ २० १०६

२. गङ्गादीनां वादीके गङ्गाप्रवाहानुमोषो ।

यो व्यवहितः सधुमे सद्य एव तस्मिन् सुधा ॥

—पृष्ठ, १ ४६, २० ११६ (६० ४० ४०)

३. देवदे, पृष्ठ, २० ११३-४

किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो वह सदा मुख्यार्थ रूप हेतु के द्वारा अनुमित ही होती है।^१ केवल लक्षणा ही नहीं तात्पर्यशक्ति का समावेश भी महिम अनुमान के ही अंतर्गत करते हैं। तात्पर्यशक्ति तथा तात्पर्यार्थ के प्रसिद्ध उदाहरण “जहर खालो, (पर) इसके घर पर न खाना” (विष भक्षय, मा चास्य गृहे भुंक्थाः)^२ “में “इसके घर खाने से जहर खाना अच्छा है” यह अर्थ (तात्पर्यार्थ) अनुमित रूप में ही प्रतीत होता है। महिम भट्ट ने बताया है कि इस स्थल में जो तात्पर्यप्रतीति होती है, वह आर्थी ही है तथा वाच्यार्थ रूप लिंग (हेतु) से अनुमित होती है।

“इसके घर पर भोजन करना जहर खा लेने से भी बढ़ कर है” इस प्रकार के अर्थ की अनुमिति वाच्य के द्वारा ही होती है। इसकी अनुमिति प्रकरण तथा वक्ता के स्वरूप को जानने वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति बिना किसी कारण के ही मित्र के प्रति कहे गये वाक्य से ‘विषभक्षण’ का अनुमान नहीं कर लेता। अतः ऐसे स्थलों पर दूसरे अर्थ की प्रतीति अर्थबल से ही प्राप्त होती है, वह तात्पर्यशक्ति जन्य कदापि नहीं।^३

महिम भट्ट ने आगे जाकर ध्वनि के विभिन्न भेदों में से कई का खण्डन किया है, किंतु केवल व्यजना या व्यंग्यार्थ का विवेचन करते समय हम ध्वनि के भेदोपभेदों में नहीं जाना चाहते। महिम भट्ट के ध्वनि के भेदोपभेदों के खण्डन पर विचार ध्वनि का विवेचन करते समय यथावसर (द्वितीय भाग में) किया जायगा।

१. मुख्यवृत्तिपरित्यागो न शब्दस्थोपपद्यते ।

विहितोऽर्थान्तरेह्यर्थः स्वप्नाभ्यमनुमापयेत् ॥

२. इस उदाहरण के विशेष विवेचन के लिए देखिए परि० ७

(भट्ट लोछट का मत)

३. विषभक्षणादपि परामेतद्गृहभोजनस्य दारुणताम् ।

वाच्यादतोऽनुमिमते प्रकरणवक्तृस्वरूपज्ञा ॥

विषभक्षणमनुमनुते नहि कश्चिदकाण्ड एव सुहृदि सुधी. ।

तेनात्रार्थान्तरगतिरार्थी तात्पर्यशक्तिजा न पुन. ॥

अनुमान के अन्तर्गत व्यञ्जना के समावेश करने का जो नैसर्गिक रूप महिम भट्ट ने व्यक्तिविवेक के प्रथम धिमर्श में रक्खा है, उसका व्यावहारिक रूप हमें तीसरे धिमर्श में मिलना चाहिए। महिम भट्ट की अनुमानवादी "धिमर्श" का "प्रेक्टिकल" रूप हमें यहाँ मिलना है, जहाँ महिम भट्ट ने ध्वनिसम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्राचार्य आनन्दवर्धन के द्वारा दिये गये व्यञ्जना संबंधी (ध्वनिसंबंधी) उदाहरणों में से एक एक को लेकर उनकी जोच पडनाल की है। इन सब स्थलों में महिम भट्ट ने प्रतीयमान अर्थ को अनुमेय सिद्ध किया है। इसे सिद्ध करने के लिए वे पॉइंट न कॉर हेतु टूँड लाये हैं। कुत्र ऐसे भी स्थान हैं, जहाँ महिम प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति को ही सर्वथा अस्वीकार करते हैं। हमें देखना है कि क्या कहीं ये महिम के हेतु असहेतुता नहीं? इसके लिए हम चुने हुए चार उदाहरण लेकर उन पर महिम का मत देखेंगे।

(१) भम धम्मिअ धीसन्धो सो मुण्हो अज्ज मारिओ देण ।

गोलागडकूडकुडंगवामिणा दरिअसाहेण ॥

(मृगहृ अत्र निहचिन ह्य धामिक गोदातीर ।

वा वृकर को कुंज में मारयो सिद्ध गोपीर ॥)

यहाँ गोदातीर तीर के मंजिनस्थल पर पुष्पचयन करने के लिए आकर चिन करने वाले धामिक का कोई नाशिक सिद्ध के द्वारा कुत्ते के मारे जाने की घटना को बताती हुई यह रही है।—“धामिक अत्र मुग मजे में गोदातीर पर चूना । तुम्हें काटने वाला कुत्ता मार दिया गया ।” इस तरह प्रसट रूप में यह धामिक ने प्रिय बात यह रही है। शिबुयन्तुत यह धामिक को चेनावती देना चाहती है, “वन्चू. उवर पर न रक्खना, नहीं तो जान नवर में होगी ।” इस प्रकार यहाँ विधि के द्वारा प्रतिपेय विहित है।

महिम भट्ट इस स्थल में प्रतिपेय रूप प्रतीयमान अर्थ को अनुमेय ही मानते हैं। वे पताते हैं, “इस पद में विधि रूप वाच्य तथा निपेय

रूप प्रतीयमान इन दो अर्थों की क्रमशः प्रतीति हो रही है। इन दोनों में ठीक वैसा ही साध्य साधन-भाव है जैसा धूम तथा अग्नि में।^१ जहाँ तक वाच्यार्थ का प्रश्न है, उनकी प्रतीति तो आपातत हो ही जाती है, विधिरूप साध्य का हेतु “कुत्ते का मारा जाना” यहाँ विद्यमान है। प्रतीयमान अर्थ में, जब हम यह सोचते हैं कि कुत्ता वस्तुतः मारा गया है तो हमें कुत्ते को मारनेवाले क्रूर सिंह का ध्यान आ जाता है। यह क्रूर सिंह का अस्तित्व साधन बन कर कुंज में अभ्रमण रूप निषेधार्थ की अनुमिति कराता है। जहाँ भी कहीं कोई भीषण भयजनक वस्तु होगी, वहाँ डरपोक व्यक्ति कभी न जायगा। गोदावरी तीर पर भीषण सिंह है, अतः भीरु धार्मिक वहाँ न जायगा।^२ इस प्रकार निषेध रूप अर्थ अनुमित हो जायगा।

महिम भट्ट का यह हेतु वस्तुतः हेत्वाभास है। अतः इस हेतु से अनुमिति कदापि नहीं हो सकती। इस हेतु में न केवल अनैकतित्व ही है, अपितु विरुद्धत्व एवं असिद्धत्व भी पाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि कई स्थानों में भयजनक हेतु के रहने पर भी भीरु व्यक्ति भी गुरु या स्वामी के आदेश के कारण या प्रियानुराग के कारण भ्रमण करता ही है। अतः ‘दत्तसिंहसद्भाव’ हेतु विपक्ष में भी पाया जाता है। साथ ही कुछ वीर लोग ऐसे भी देखे जाते हैं, जो कुत्ते से डरते हों, किंतु सिंह से न डरते हों। कुत्ते से डरने का कारण भीरुता न होकर कुत्ते की अपवित्रता हो सकती है। अतः यह हेतु विरुद्ध भी है। साथ ही गोदावरी तीर पर वस्तुतः सिंह है ही, यह प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा तो सिद्ध है ही नहीं, यदि कोई प्रमाण है तो नायिका का वचन ही है। किंतु उस कुलटा के वचनों को आप्त वाक्य नहीं माना जा सकता। अतः सिंह की कुंज में स्थिति सिद्ध न होने से यह हेतु असिद्ध भी है। अतः तीन तीन

१ अत्र हि द्वावर्थौ वाच्यप्रतीयमानौ विधिनिषेधात्मकौ क्रमेण प्रतीतिपथ मवतरतः, तयो धूमाग्न्योरिव साध्यसाधनभावेनावस्थानात् ।

—वही, तृतीय विमर्श, पृ० ४०० (चौ० स० सी०)

२. अथ गोदावरीकच्छकुजदेशः, भीरुभ्रमणायोग्यः ।

नेत्यानामों के रहने हुए भी भ्रमण निषेध रूप अर्थ को अनुमितिन्य मानना एथा दृष्ट है ।

(२) एता एतन्निमित्त एतन् इदं विद्वद्दृष्ट पलोएहि ।
 ना पद्विद्वन्निषंधप्र सेजाए मह णिमज्जद्विसि ॥
 (नोनी एाँ हों माम एाँ पेसि दिवस माँ लेहु ।
 नेज रतापो वस पथिक हमरी मति पगु देहु ॥)

इस वाक्य में जैसा कि हम पहले देख आये हैं, निषेध रूप वाक्यार्थ ने विधिरूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है । महिमभट्ट के मतानुसार इसमें कोई भी प्रतीयमान अर्थ नहीं है । उसके मत में "रतीधी" शब्दवा शानों शब्दाओं को हेतु मानने वाले लोग ठीक नहीं हैं । क्योंकि इस प्रकार की उक्तियाँ तो सचरित्र स्त्रियों के मुख से भी सुनी जाती हैं । इसलिये महिमभट्ट के मतानुसार "यहाँ कोई भी हेतु नहीं है ।"

यद्युतः एम स्थान पर महिमभट्ट को ऐसा कोई हेतु नहीं मिला जो उनके मत में विधिरूप प्रतीयमान अर्थ की अनुमिति करा देता । इसीलिये महिमभट्ट ने ऐसे स्थलों पर प्रतीयमान अर्थ का ही सर्वथा निषेध कर देना सरल समझा है ।

(३) लावण्यकांतपरिपूरितद्विदुर्मुनेऽग्निम्,
 स्मरेऽधुना तथ मुखे तरलायताक्षि ।
 शोभं चरेति न मनानपि तेन मन्ये,
 नुन्यक्तमेव जटराशिरयं पयोधिः ॥

हे शंखल नेत्र वाली सुंदरि, समस्त दिशाओं को अपने लावण्य की कानि ने प्रदीप्त करनेवाले, सुदृगवले हुए तुम्हारे मुख को देखकर भी

१. अंगरि गुरोः प्रभोषां निरेदोन प्रियानुगतौग अन्वेन ईषन्नेन हेतुना एतद्वि मयद्वये अमतीरपनीहानिहो हेतु, शुनो विन्दपश्वि विहाप्र यिनेतीति विहाप्रि, गोदापरीतौर सिद्धमद्वन्नाथः प्रापधादनुमानाद्वा न निश्चित, अपि नृ बधनात् न न बधनात् प्रानापमणि २. यैना प्रतिद्वन्नात्प्रियमिद्वेष तावथ देवदियत्पुमेयोः तात्पमिदि ॥ —पा० प्र० ट० पं०, पृ० २५४-५

३. विहाप्र विहापमानो हेतुयैव न लन्वये ॥

—रविवि०, गुरोप विमानं पृ० ४०५

यह समुद्र बिलकुल क्षुब्ध नहीं होता। इस बात को देखकर मैं समझता हूँ कि समुद्र सचमुच ही जडराशि (पानी का समूह, मूर्ख) है।

इस पद्य में किसी नायिका के समस्त गुणों से युक्त मुख को देखकर समुद्र का चंचल होना उचित ही है। किंतु किसी कारण से समुद्र में क्षोभ नहीं होता। इस बात से, नायिका के मुख पर पूर्णचंद्र के आरोप के बिना समुद्र में क्षोभ नहीं हो सकता, अतः मुख तथा चंद्रमा के ताद्रूप्य की कल्पना होती है। यह कल्पना उन दोनों के रूप्यरूपकभाव का अनुमान कराती है, अतः यहाँ रूपकानुमिति है।^१

इस उदाहरण में प्रतीयमान (व्यंग्य) अर्थ अलंकार रूप है। “नायिका का मुख पूर्णचंद्र है” इस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो रही रही है। महिमभट्ट के अनुसार यह प्रतीति अनुमित होती है, तथा उस मुख को देखकर “समुद्र में क्षोभ का होना” यह हेतु उसके ऊपर पूर्णचंद्र के आरोप का अनुमापक है। महिमभट्ट की अनुमानसरणि को हम यों मान सकते हैं।

नायिका-मुख पूर्ण चंद्रमा है (नायिकामुखं पूर्णचंद्रः)

क्योंकि उसे देखकर, समुद्र जडराशि (एतद् दृष्ट्वा जडराशित्वाभावे न होता तो क्षुब्ध अवश्य होता। सति समुद्रस्य क्षुब्धत्वात्)

पहले इस विषय में हेतु सोपाधिक है। इस हेतु में “यदि समुद्र जडराशि न होता तो” (जडराशित्वाभावे सति) यह उपाधि हेतु के साथ लगा हुआ है। यदि केवल ‘क्योंकि समुद्र क्षुब्ध होता है’ इतना भर ही हेतु होता तो “जहाँ-जहाँ समुद्र में चंचलता पाई जाती है, वहाँ-वहाँ पूर्ण चंद्र की स्थिति है” यह व्याप्ति तो ठीक बैठ जाती है। किंतु व्याप्ति से प्रकृत पक्ष में अनुमिति होना असंभव है, क्योंकि यहाँ हेतु सापाधिक है। सोपाधिक हेतु वस्तुतः सद्हेतु की कोटि में नहीं आता, अतः इस

१ “इत्यत्रापि यदेतत् कस्याश्चिद्यथोदितगुणोदितसौन्दर्यसम्पदि वदने सति समुद्रसंक्षोभाविर्भावस्योचितस्यापि कुतश्चित् कारणादभावाभिधान तत्तम्य पूर्णन्दुरूपतारोपमन्तरेणानुपपद्यमानं मुखस्य ताद्रूप्यमुपकल्पयत् पूर्ववत् तयो रूप्यरूपकभावमनुमापयतीति रूपकानुमितिर्व्यपदेशो भवति।”

हेतु में "रूपरु अरुंकार" की अनुमिति मानना ठीक नहीं। वस्तुतः स्पंजनाद्यापार में ही रूपरुध्वनि की व्यक्ति हो रही है।

(५) निःशेषानुचंडनं स्तनतटं निर्दृष्टरागोधरो
नेत्रे दूरमनेजने पुलकिता सन्त्रां तवेयं तनुः।
मिथ्यावादिनि दृति पांचपजनस्याज्ञातर्पाडोद्गमे
वार्पा भ्नातु भिना गतामि न पुन स्तस्याधमस्यानिकम् ॥
(कुच चंदन अंजन गयो, भयो पुलक सद भाय।
दूनि न गश् तु अधम पे आई चापी न्हाय ॥)

इस उदाहरण का समावेश व्यक्तिविवेक के तृतीय विमर्श में तो नहीं मिलता, किन्तु मम्मट ने इस उदाहरण को लेकर महिम भट्ट की मनसखि का उल्लेख करते हुए इसमें अनुमिति का पूर्वपक्ष प्रसार इसका चंडन किया है। इसलिए यहाँ हमने इस उदाहरण का समावेश करना अत्यधिक उपयुक्त समझा है। महिम भट्ट के मत से, इसमें "निषेधरूप" वाच्यार्थ में जिस विधिरूप प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो रही है, वह अनुमित ही होगा। इसके दो हेतु माने जा सकते हैं :—
(१) चंदनच्यवनादि, तथा (२) अधम पद। दूसरे शब्दों में हम जो भी कह सकते हैं कि अधम पद की सहायता में ये चंदनच्यवनादि हेतु विधिरूप प्रतीयमान को अनुमिति कराते हैं।

तू उसों के पाम गट्टे थी। (साध्य)

क्योंकि यह अधम है, तथा तेरे शरीर पर चंदनच्यवनादि हैं। (हेतु)^१ यहाँ ये हेतु सहेतु न होकर हेतुभास ही हैं। प्रथम हेतु "अधम" है। यहाँ नायक वस्तुतः अधम है, वह किसी अन्य प्रमाण से मिला नहीं है।^२ जब तक हेतु किसी प्रत्यक्ष या शब्द प्रमाण के द्वारा मिला नहीं है, तब तक उसके द्वारा किसी साध्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। अतः यह हेतु असिद्ध है। दूसरा हेतु "चंदनच्यवनादि"

१ एवं तद्विशिष्टिपत्तं गता (तप तार्थवान्तिरु गतिनपत्तम्)

तन्म अधमनाशय, तव शरीरे चन्दनच्यवनादिमत्प्रसाद।

२ न चोदाहारात् प्रमाणप्रतिपत्तिरिति कथमनुमानम् ॥

है। यह भी सद्धेतु न होकर अनैकान्तिक हेत्वाभास है। चंदनच्यवनादि सदा क्रीड़ा के ही कारण होते हों ऐसा नहीं है, ये दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं। इसी पद्य में वापी स्नान के कारण इनका होना बताया गया है। वैसे ये बावली में नहाने से भी हो सकते हैं। अतः यह हेतु केवल पक्ष में ही नहीं सभी जगह पाया जाता है^१। अतः यह अनैकान्तिक हेतु है। ये दोनों हेतु “विधिरूप” प्रतीयमान अर्थ की अनुमिति कराने में अशक्त हैं।

जिस प्रकार ध्वनिवादी संघटना (रीति), वर्ण, विशेष वाचक आदि को रत्यादि भाव का व्यंजक मानते हैं, ठीक उसी प्रकार महिम मट्ट के मत में भी ये तत्तत् भाव की अनुमिति कराते हैं। वे कहते हैं:—“संघटना, वर्ण, तथा विशेष वाचक के द्वारा समर्पित अर्थ से क्रोधादि विशिष्ट भावों की अनुमिति ठीक वैसे ही होती है, जैसे धूम से अग्निकी।”^२ यही नहीं, ध्वनिकार की भौति वे भी सुप्, तिङ्, आदि को भी क्रोधोत्साहादि का गमक मानते हैं। तभी तो वे कहते हैं:—

“सुप्, तिङ् आदि संबध क्रोध उत्साह आदि भावों की अनुमिति कराते हैं।”^३

ध्वनि तथा व्यंजना के विषय में सुप्, तिङ्, उपसर्ग आदि व्यंजकों से युक्त प्रसिद्ध निम्न उदाहरण में महिम अनुमिति ही मानते हैं।

न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः
सोप्यत्रैव निहंति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः

३ तथा निःशेषेच्युतेत्यादौ गमकतया यानि च्यन्दनच्यवनादीन्नुपात्तानि तानि कार्यान्तरतोऽपि भवन्ति अतश्चात्रैव स्नानकार्यत्वेनोक्तमिति नोपभोगे एव प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि । — का० प्र० उ० प० पृ० २५६

१. सद् घटनावर्णाहितविशेषवाचकसमर्पितादर्थात् ।

क्रोधादिविशेषगतिधूमविशेषादिव कृशानोः ॥ —वही, पृ० ४४४

२ सुप्तिङ् सम्बन्धाद्या क्रोधोत्साहादिकान् भावान् ।

गमयन्ति —वही, पृ० ४५४

भिरु भिरुः शक्रजितं प्रमोदितवना किं कुम्भकर्णेन वा
स्वर्गप्रामटिकाविलुण्ठनवृथोन्मूर्त्तः किमेभिर्भुजैः ॥

मेरी मजने वरी वेडजनी यही है कि मेरे शत्रु हैं, और ऊपर से शत्रु भी यह तपस्वी (राम) है। वह यहीं मेरे घर में ही आकर गद्गदी की मार रहा है। इतना होने पर भी रावण जी रहा है, यह दो दुःख ही बात है। इंद्र-जीत को घिकार है। कुम्भकर्ण के जगाने से भी फोड़ फायदा न हुआ। स्वर्ग के छोटे गाँवडे को लूट कर व्यर्थ में फूले हुए ये (यीस) हाथ किम काम के हैं।

इस पद्य में "शत्रु" (अरयः) में बहुवचन, "तापसः" में तद्धित प्रत्यय, "मार रहा है" (निहंति) तथा "जी रहा है" (जीवति) में वर्तमान कालिक क्रिया (तिङ्), 'प्रामटिका' में 'क' प्रत्यय, तथा 'प्रमोदित' में 'प्र' उपसर्ग, इन सभी के कारण रावण के क्रोध, शोक तथा श्लानि की व्यंजना हो रही है। महिम भट्ट ने इन सब को हेतु मानकर तत्तत् भाव को अनुमितिगम्य ही माना है। वे घताते हैं :— "इस पद्य में इन सभी का गमकत्व (हेतुत्व) स्पष्ट दिखाई देता है।" "तत्र मे यदरयः में उक्त प्रकार से सुप् संबंध का गमकत्व पाया जाता है, इसी प्रकार आगे भी है।" किंतु महिम भट्ट के ये हेतु भी असत् ही हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ इनका प्रयोग पाया जाता है, वहाँ तत्तत् भाव पाया जाता है, ऐसा व्याप्ति संबंध मानना अनुचित है।

रम, वस्तु या अलंकार रूप प्रतीयमान किसी भी दशा में पद, पदांश, अर्थ, वर्ण आदि के द्वारा अनुमित नहीं हो सकता। इस संबंध में इन सभी हेतुओं की अनैकांतिकता स्पष्ट है। इतना होने पर इनके द्वारा तत्तत् प्रतीयमान की अनुमिति मानना, न केवल साहित्यशास्त्र के अपसहार अपितु न्याय शास्त्र तथा तर्क के भी विरुद्ध पड़ता है। यही कारण है कि धाद के नेयाविकों ने व्यंजना का समावेश अनुमान में नहीं किया है। गदाधर व जगदीश आदि इसे अनुमान प्रमाण में न लेकर मानसबंध मानते हैं, जो शाब्दबोध से भिन्न हैं। इस मत का विवेचन हम अगले परिच्छेद में करेंगे।

दशम परिच्छेद

व्यंजना तथा साहित्यशास्त्र से इतर आचार्य

खानेदरभन, अभिनयगुप्त तथा मन्मथ जैसे ध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्यों ने ध्वनि की स्थापना कर उसकी हेतुभूत शक्ति 'व्यंजना' का पूरी तरह प्रतिपादन कर दिया था। हुनक,

ध्वनि की स्थापना महिमभट्ट साहि भी काव्य में प्रतीयमान अर्थ को स्वीकार कर चुके थे। यह दूसरी बात है कि वे ध्वनिवा या ध्वन्य किन्हीं प्रमाणों के द्वारा प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति मानते थे, तथा ध्वनिमंप्रदाय के द्वारा अभिमत व्यंजना शक्ति की स्वरुता का विरोध करते थे। इस निरंतर विरोध के होते हुए भी भी साहित्य इत्यसंभावित होने के कारण ध्वनिमंप्रदाय अपना जोर परकृता ही गया। १३ वीं शताब्दी तक प्रायः सभी पालतारिकों को ध्वनिमंप्रदाय के सिद्धांत मान्य हो चुके थे। १३ वीं शताब्दी के पश्चात् भी ध्वनिमंप्रदाय ने विद्यनाथ तथा पण्डितराज जगन्नाथ जैसे प्रसिद्ध ज्ञानकारियों को जन्म दिया। जयदेव तथा अप्पय्य कीदित चतुरि अक्षर संप्रदाय के हैं। तथापि इनके ध्वनिमंप्रदायसम्मत ज्ञानकारिक मानना ही ठीक होगा। इस प्रकार ध्वनिमंप्रदाय के पक्षधर होने पर इसकी पृष्ठभूमि 'व्यंजना' भी गायकों में परकृत हो गई। चतुरि 'व्यंजना' की स्वरुता साहित्यिकों की है, तथापि इसका योजन व्याकरणशास्त्र में भी निहित है। व्याकरणों के श्रोत सिद्धांत में ही साहित्यिकों ने ध्वनि तथा व्यंजना की उद्भावना की। व्यंजना की इस उद्भावना के विरुद्ध हम दूसरे भाग में ध्वनि तथा श्रोत का परस्पर संबंध बताने हुए प्रमाण लाये हैं। इस प्रकार एक प्रमुख शास्त्र में ध्वनि तथा व्यंजना का संबंध श्रोत देने में 'व्यंजना' शक्ति द्वारा कर्त्तव्य इतिहासशास्त्रों के विश्व एक समस्य-समो बन गई। ध्वनिशास्त्री भीमसेन ने व्याकरण के व्याकरण में देवदत्त, इनके ज्ञान प्रथम का निर्माण करने की चेष्टा की। व्यंजना की शक्ति में, य होने

अलग से शक्ति मानने के विपक्ष में, मत दिया। अभिधावादियों का यह मत हम देख चुके हैं। लक्षणावादियों तथा अनुमानवादियों ने भी इसे अलग से शब्दशक्ति मानने से मना किया। ध्वनिसंप्रदाय के बद्ध-मूल हो जाने पर भी अन्य शास्त्रों में व्यंजना के विषय में मतभेद चलता ही रहा, जो हम इस परिच्छेद में देखेंगे।

व्यंजना को सर्वप्रथम शक्ति के रूप में माननेवाले दूसरे लोग वैयाकरण हैं। प्राचीन व्याकरण में तो हमें कहीं भी व्यंजना का उल्लेख नहीं मिलता,^१ किंतु नव्य व्याकरण में व्यंजना वैयाकरण और व्यजना-अवश्य एक शक्तिविशेष के रूप में स्वीकार भर्तृहरि, कर ली गई है। व्यंजना को अलग से शब्दशक्ति तथा कोण्डभट्ट प्रतिपादित करने में नव्य वैयाकरणों में नागेश का प्रमुख हाथ है, इसे हम ङागामी पक्तियों में देखेंगे। व्यजना का बीज, जैसा कि हम द्वितीय भाग में बतायेंगे, प्रसिद्ध (प्राचीन) वैयाकरण भर्तृहरि के वाक्यपदीय में स्फोट के रूप में मिलता है। इसी के आधार पर कोण्डभट्ट के 'वैयाकरणभूषणसार' में भी स्फोट का वर्णन हुआ है। वहाँ कोण्डभट्ट ने स्फोट से आलंकारिकों की ध्वनि को संबद्ध माना है। यद्यपि वे स्पष्ट रूप से व्यञ्जना या आलंकारिकों की ध्वनि के विषय में कुछ नहीं कहते, तथापि एक स्थान पर वे मम्मट को उद्धृत करते हैं:—“जैसा कि काव्य प्रकाश में कहा में कहा गया है, कि विद्वान् वैयाकरणों में उस व्यञ्जक शब्द को, जिसका स्फोट रूप व्यङ्ग्य प्रधानता प्राप्त कर लेता है, 'ध्वनि' माना है।”^२ भट्टोजि को नव्य वैयाकरणशैली का जन्मदाता माना जाता है, किंतु भट्टोजि का महत्त्व पाणिनि के सूत्रों को एक नये ढाँचे

१ 'There is no evidence to believe that vyanjana was ever recognised by the ancient grammarians.

—Chakravarti . Philosophy of Sanskrit Grammar (1930) P. 335

२ उक्तं हि काव्यप्रकाशे, “बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानीभूतस्फोटव्यंग्यव्यञ्जकशब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहार कृत इति ।

—वैयाकरणभूषणसार, पृ० २८४.

तथा प्रसिद्ध है, अतः चेष्टा में भी व्यञ्जना मानना आवश्यक है।^१ जो लोग यह मानते हैं कि व्यंजकत्व पदों में ही है, अर्थादि में नहीं, उनका मत ठीक नहीं। जिस व्यंजना में अर्थादि व्यंजक होते हैं, वहाँ व्यंग्यार्थ-बोध वक्तृबोद्धव्यवाच्यादि-वैशिष्ट्यज्ञान के द्वारा ही होता है। इसके साथ ही श्रोता की 'प्रतिभा' भी इस प्रतीति में सहकारी कारण होती है।^२ यदि प्रतिभा नहीं होगी तो व्यंग्यार्थ प्रतीति नहीं हो सकेगी। प्रतिभा का मतलब 'नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि' है। नवनवोन्मेष प्राचीन जन्म के संस्कार के कारण होता है। नागेश के मतानुसार वक्ता कौन है, किससे कहा गया है, आदि प्रकरण के ज्ञान से सहकृत होकर जो बुद्धि व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है, वह प्रतिभा ही है।^३

इसी आधार पर व्यंजना को नागेश प्राठजन्म के संस्कार से भी संबद्ध मानते हैं।^४ इसी संबंध में नागेश ने लक्षणावादियों तथा अनुमानवादियों का भी खंडन किया है। 'गतोऽस्तमर्क' (सूर्य अस्त हो गया) जैसे वाक्य को ले लीजिये। कोई शिष्य अपने गुरु को संध्या-वंदन का समय सूचित करने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करता है। यद्यपि वक्ता (शिष्य) के तात्पर्य की दूसरे किसी अर्थ में उपपत्ति नहीं होती, फिर भी कोई पढ़ोसी नायिकादि 'अभिसरण करना चाहिए' इस व्यंग्यार्थ का ग्रहण कर लेते हैं। इसका बोध, वाच्यार्थ के जान लेने पर ही होता है। यहाँ मुख्यार्थ का तो बाध होता ही नहीं, अतः यह अर्थ लक्षणा से उपपादित न हो सकेगा। अतः

व्यजना की
आवश्यकता

मानवादिओं का भी खंडन किया है। 'गतोऽस्तमर्क' (सूर्य अस्त हो गया) जैसे वाक्य को ले लीजिये। कोई शिष्य अपने गुरु को संध्या-वंदन का समय सूचित करने के लिए इस वाक्य

का प्रयोग करता है। यद्यपि वक्ता (शिष्य) के तात्पर्य की दूसरे किसी अर्थ में उपपत्ति नहीं होती, फिर भी कोई पढ़ोसी नायिकादि 'अभिसरण करना चाहिए' इस व्यंग्यार्थ का ग्रहण कर लेते हैं। इसका बोध, वाच्यार्थ के जान लेने पर ही होता है। यहाँ मुख्यार्थ का तो बाध होता ही नहीं, अतः यह अर्थ लक्षणा से उपपादित न हो सकेगा। अतः

१. 'अनया कटाक्षेणाभिलापो व्यजित' इति सर्वजनप्रसिद्धेस्तस्या चेष्टा-वृत्तित्वस्याप्यावश्यकत्वाच्च । —वही

२. अनया चार्थबोधे जननीये वक्तृबोद्धव्यवाच्यादिवैशिष्ट्यज्ञान प्रतिभा च सहकारि तच्चीजनफज्ञानजनकमेव वा । —वही

३. वक्रादिवैशिष्ट्यसहकारेण तज्जनिका बुद्धिः प्रतिभा इति फलितम् । —वही

४. एवं च शक्तिरेतज्जन्मगृहीतैवार्थबोधिका, व्यञ्जना तु जन्मान्तरगृहीतापि, इत्यपि शक्तेरस्या भेदकम् । —वही

व्युत्पत्ति लक्षणों में अंतर्भावित नहीं हो सकती।^१ पदों की तरह निपात (अणुव्यय), उपसर्ग आदि भी व्यंजक होते हैं। स्कोट को मद्र व्यंग्य ही है, इसका विवेचन वैयाकरणों ने भी किया है। भर्तृहरि ने भी स्कोट को व्यंग्य ही माना है, इस विषय में दूसरे भाग में प्रकाश डाला जायगा। नामेश निपातों को शानक या व्यंजक मानते हैं। अर्थात् वे भी पदशक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ को व्यंजित करते हैं। नामेश ने मंजूषा में बताया है कि व्युत्पत्ति की आवश्यकता केवल आलंकारिकों को ही नहीं है। वैयाकरणों के लिए भी व्यंजना जैसी वृत्ति मानना आवश्यक हो जाता है।^२ उक्तुः वैयाकरण दार्शनिकों के स्कोट रूप शब्द प्रत्यय का सिद्धि भी इसी व्यंजना शक्ति के द्वारा होती है।

व्याकरण के बाद दूसरा सम्मान्य शास्त्र न्याय है। व्याकरण की भाँति इसे भी प्राचीन न्याय तथा नव्य न्याय इन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। व्याकरण के ये दो वर्ग,

नव्य निपातियों का न्याय के इन दो वर्गों के आधार पर ही हुए हैं।
पविषय नव्य व्याकरण वस्तुतः व्याकरण की वह शैली है, जो नव्य न्याय ने अत्यधिक प्रभावित हुई है।

नव्य न्याय का आरंभ गौतम, उपाध्याय की 'तत्त्वचिन्तामणि' में होता है। इस ग्रंथ ने न्यायशास्त्र को जाम्बवती की नई शैली दी। इसी 'तत्त्वचिन्तामणि' पर निर्मित विभिन्न टीका ग्रंथ, उपटीका ग्रंथ, तथा तत्त्वप्रकाश ग्रंथ नव्य न्याय के अंदर गृहीत होने हैं। नामेश के प्रसिद्ध टीकाकार गणेशधर, जगदीश तथा मयुरानाथ इस मर्यादा के प्रमुख लेखक हैं, तथा इनके टीका ग्रंथ गणेशधरी, जगदीशी, तथा माधुरी का अत्यंत महत्त्व के रूप में सम्मान है। वेने गणेशधर, जगदीश आदि पंडितों ने शक्तिवाद, स्फुटचिन्तायुक्त, गणेशधर-प्रकाशित आदि नवग्रंथ ग्रंथों की भी रचना की है, जिनमें उन्होंने न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से

१. उक्तुः पदशक्ति-व्युत्पत्ति-इत्यादि-विषये-न-सम्भव-उक्तुः-तत्त्वचिन्तामणि-५-१-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००-२०१-२०२-२०३-२०४-२०५-२०६-२०७-२०८-२०९-२१०-२११-२१२-२१३-२१४-२१५-२१६-२१७-२१८-२१९-२२०-२२१-२२२-२२३-२२४-२२५-२२६-२२७-२२८-२२९-२३०-२३१-२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७-२३८-२३९-२४०-२४१-२४२-२४३-२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४९-२५०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५-२५६-२५७-२५८-२५९-२६०-२६१-२६२-२६३-२६४-२६५-२६६-२६७-२६८-२६९-२७०-२७१-२७२-२७३-२७४-२७५-२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१-२८२-२८३-२८४-२८५-२८६-२८७-२८८-२८९-२९०-२९१-२९२-२९३-२९४-२९५-२९६-२९७-२९८-२९९-३००-३०१-३०२-३०३-३०४-३०५-३०६-३०७-३०८-३०९-३१०-३११-३१२-३१३-३१४-३१५-३१६-३१७-३१८-३१९-३२०-३२१-३२२-३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३३२-३३३-३३४-३३५-३३६-३३७-३३८-३३९-३४०-३४१-३४२-३४३-३४४-३४५-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५१-३५२-३५३-३५४-३५५-३५६-३५७-३५८-३५९-३६०-३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६८-३६९-३७०-३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६-३७७-३७८-३७९-३८०-३८१-३८२-३८३-३८४-३८५-३८६-३८७-३८८-३८९-३९०-३९१-३९२-३९३-३९४-३९५-३९६-३९७-३९८-३९९-४००-४०१-४०२-४०३-४०४-४०५-४०६-४०७-४०८-४०९-४१०-४११-४१२-४१३-४१४-४१५-४१६-४१७-४१८-४१९-४२०-४२१-४२२-४२३-४२४-४२५-४२६-४२७-४२८-४२९-४३०-४३१-४३२-४३३-४३४-४३५-४३६-४३७-४३८-४३९-४४०-४४१-४४२-४४३-४४४-४४५-४४६-४४७-४४८-४४९-४५०-४५१-४५२-४५३-४५४-४५५-४५६-४५७-४५८-४५९-४६०-४६१-४६२-४६३-४६४-४६५-४६६-४६७-४६८-४६९-४७०-४७१-४७२-४७३-४७४-४७५-४७६-४७७-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८३-४८४-४८५-४८६-४८७-४८८-४८९-४९०-४९१-४९२-४९३-४९४-४९५-४९६-४९७-४९८-४९९-५००-५०१-५०२-५०३-५०४-५०५-५०६-५०७-५०८-५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-५२९-५३०-५३१-५३२-५३३-५३४-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-५८६-५८७-५८८-५८९-५९०-५९१-५९२-५९३-५९४-५९५-५९६-५९७-५९८-५९९-६००-६०१-६०२-६०३-६०४-६०५-६०६-६०७-६०८-६०९-६१०-६११-६१२-६१३-६१४-६१५-६१६-६१७-६१८-६१९-६२०-६२१-६२२-६२३-६२४-६२५-६२६-६२७-६२८-६२९-६३०-६३१-६३२-६३३-६३४-६३५-६३६-६३७-६३८-६३९-६४०-६४१-६४२-६४३-६४४-६४५-६४६-६४७-६४८-६४९-६५०-६५१-६५२-६५३-६५४-६५५-६५६-६५७-६५८-६५९-६६०-६६१-६६२-६६३-६६४-६६५-६६६-६६७-६६८-६६९-६७०-६७१-६७२-६७३-६७४-६७५-६७६-६७७-६७८-६७९-६८०-६८१-६८२-६८३-६८४-६८५-६८६-६८७-६८८-६८९-६९०-६९१-६९२-६९३-६९४-६९५-६९६-६९७-६९८-६९९-७००-७०१-७०२-७०३-७०४-७०५-७०६-७०७-७०८-७०९-७१०-७११-७१२-७१३-७१४-७१५-७१६-७१७-७१८-७१९-७२०-७२१-७२२-७२३-७२४-७२५-७२६-७२७-७२८-७२९-७३०-७३१-७३२-७३३-७३४-७३५-७३६-७३७-७३८-७३९-७४०-७४१-७४२-७४३-७४४-७४५-७४६-७४७-७४८-७४९-७५०-७५१-७५२-७५३-७५४-७५५-७५६-७५७-७५८-७५९-७६०-७६१-७६२-७६३-७६४-७६५-७६६-७६७-७६८-७६९-७७०-७७१-७७२-७७३-७७४-७७५-७७६-७७७-७७८-७७९-७८०-७८१-७८२-७८३-७८४-७८५-७८६-७८७-७८८-७८९-७९०-७९१-७९२-७९३-७९४-७९५-७९६-७९७-७९८-७९९-८००-८०१-८०२-८०३-८०४-८०५-८०६-८०७-८०८-८०९-८१०-८११-८१२-८१३-८१४-८१५-८१६-८१७-८१८-८१९-८२०-८२१-८२२-८२३-८२४-८२५-८२६-८२७-८२८-८२९-८३०-८३१-८३२-८३३-८३४-८३५-८३६-८३७-८३८-८३९-८४०-८४१-८४२-८४३-८४४-८४५-८४६-८४७-८४८-८४९-८५०-८५१-८५२-८५३-८५४-८५५-८५६-८५७-८५८-८५९-८६०-८६१-८६२-८६३-८६४-८६५-८६६-८६७-८६८-८६९-८७०-८७१-८७२-८७३-८७४-८७५-८७६-८७७-८७८-८७९-८८०-८८१-८८२-८८३-८८४-८८५-८८६-८८७-८८८-८८९-८९०-८९१-८९२-८९३-८९४-८९५-८९६-८९७-८९८-८९९-९००-९०१-९०२-९०३-९०४-९०५-९०६-९०७-९०८-९०९-९१०-९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९१६-९१७-९१८-९१९-९२०-९२१-९२२-९२३-९२४-९२५-९२६-९२७-९२८-९२९-९३०-९३१-९३२-९३३-९३४-९३५-९३६-९३७-९३८-९३९-९४०-९४१-९४२-९४३-९४४-९४५-९४६-९४७-९४८-९४९-९५०-९५१-९५२-९५३-९५४-९५५-९५६-९५७-९५८-९५९-९६०-९६१-९६२-९६३-९६४-९६५-९६६-९६७-९६८-९६९-९७०-९७१-९७२-९७३-९७४-९७५-९७६-९७७-९७८-९७९-९८०-९८१-९८२-९८३-९८४-९८५-९८६-९८७-९८८-९८९-९९०-९९१-९९२-९९३-९९४-९९५-९९६-९९७-९९८-९९९-१०००

शब्द, उसके अर्थ तथा उसकी शक्ति का विवेचन किया है। नव्यनैयायिकों के अभिधासंबंधी दृष्टिकोण को हम इसी प्रबंध के दूसरे परिच्छेद में देख चुके हैं। इस परिच्छेद में हम देखेंगे कि व्यंजना के प्रति इन नैयायिकों का क्या दृष्टिकोण है। यहाँ एक शब्द में यह कह देना आवश्यक होगा कि नव्य नैयायिक व्यंजना जैसी शक्ति को नहीं मानते। इस तत्त्व को समझ लेने पर नैयायिकों का व्यंजना विरोधी मत समझना सरल होगा।

गदाधर का शक्ति संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ “शक्तिवाद” है। इस ग्रंथ में गदाधर ने नैयायिकों के मत से, शक्तिग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन किया है। ‘शक्ति’ का अर्थ यहाँ मुख्यावृत्ति अभिधा ही है। इसी मुख्यावृत्ति के सकेत-गदाधर और व्यञ्जना ग्राहकत्व का विशद विवेचन इस ग्रंथ में हुआ है। प्रसंगवश लक्षणा का भी उल्लेख मिलता है, जो एक प्रकार से अभिधा से ही सन्निलष्ट है। ग्रंथ के आरंभ में ही गदाधर संकेत तथा लक्षणा, पद के अर्थ की ये दो ही वृत्तियाँ मानते हैं।^१ इसके अतिरिक्त उनके मत से और कोई तीसरा संबंध पद तथा अर्थ में नहीं है। गदाधर वे यद्यपि स्वयं व्यंजना का नामोल्लेख या खंडन नहीं किया है, तथापि उनके टीकाकारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नैयायिकों का व्यंजना के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है। शक्तिवाद के टीकाकार कृष्णभट्ट ने बताया है कि “गौणी तथा व्यंजना को अलग से वृत्ति मानना ठीक नहीं, क्योंकि इन दोनों का लक्षणा में अंतर्भाव हो सकता है।”^२ शक्तिवाद के दूसरे टीकाकार माधव व्यंजना के विषय को विशद रूप से लेकर उसके खंडन की चेष्टा करते हैं। व्यंजनावಾದियों के मत को पूर्वपक्ष में रखते हुए वे नैयायिकों की सिद्धांतसरणि का उत्तरपक्ष के रूप में प्रतिपादन करते हैं। वे पूर्वपक्ष की शका उठाते हुए कहते हैं—गदाधर भट्टाचार्य का यह शक्तिविभाग समीचीन नहीं।

१. सकेतो लक्षणा चार्थे पदवृत्तिः ।

— शक्तिवाद पृ० १

२ एव च गौणीव्यजनयोः पृथग्वृत्तित्वमयुक्तं तयोर्लक्षणायामन्तर्भाव-सम्भवात् ।

— (शक्तिवादटीकाः मञ्जूषा पृ० १)

एवंजना अन्वय में एक वृत्ति है।^१ ये त्रिभुज नदि सुभ ज्योति ही पाहने हो मो जासो, मुहाना नाम मनुजान हो। त्रिभुज में सुभ ज्य रहे हो, यहाँ मेरा जन्म पावे ?^२ इत इत्येक का अर्थ 'मेरे जाने में मेरी मृत्यु हो जायगी' यह है। इस अर्थीष्ट अर्थकारण की प्रतीति एवंजना शक्ति में ही हो रही है। यदि एवंजना ऐसी शक्ति न मानी जायगी तो यहाँ यह अर्थ कैसे प्रयत्न होगा ?

विद्यापयत्री के मत में यह मत ठीक नहीं। यदि एवंजना अन्वय में वृत्ति मानी जाती है, तो इसका कोई न कोई निश्चित अर्थ होना ही चाहिए। एवंजना का यदि कोई अर्थ है तो यह अर्थ स्पष्ट ही है। जब कभी अर्थकारण का ज्ञान होय है तो वह परों की शक्ति (प्रतिभा) के ज्ञान के ही कारण होय है। मात्र यह है कि एवंजना में भी अन्वय के द्वारा अर्थकारण माने बिना काम नहीं चलता। यान्त्रिकज्ञान ही इसका भी कारण है। इस एवंजना को अन्वय में शक्ति मानने में यह अनिश्चय का कारण है। जब प्रतीयमान अर्थ अन्वय के अन्वय शक्ति में प्रयत्न होता ही नहीं, तो इसे एवंजना का अर्थ मानना ठीक नहीं। इस सारे अर्थ में प्रतिभा व्यापार ही मानना होगा।^३

अन्वयकारणी शक्ति अन्वयमूला अन्वयना जैसा अर्थ में मानने हैं।^४ जैसे "नाम के संग में अन्वय शक्ति की अन्वयना हो जाती है"^५ इस अर्थ में (१) अन्वय शक्ति नाम के संग में अन्वय की अन्वयना हो जाती है, तथा (२) अर्थ (अन्वय) शक्ति के संग में अन्वय की अन्वयना हो जाती है— इन दो अन्वयना की प्रतीति हो रही है। यहाँ अन्वयकारणी अन्वयमूला अन्वयना मानने हैं। त्रिभुज नदिपत्रों के मत में इसके अर्थ की प्रतीति शक्ति (अन्वय) ही करायी है। फिर भी अन्वयकारण अर्थ की

१. अन्वयकारणी अन्वयमूला अन्वयना जैसा अर्थ में मानने हैं।
 — (अन्वयकारणी अन्वयमूला अन्वयना जैसा अर्थ में मानने हैं)
 २. अन्वयकारणी अन्वयमूला अन्वयना जैसा अर्थ में मानने हैं।
 ३. अन्वयकारणी अन्वयमूला अन्वयना जैसा अर्थ में मानने हैं।
 ४. अन्वयकारणी अन्वयमूला अन्वयना जैसा अर्थ में मानने हैं।
 ५. अन्वयकारणी अन्वयमूला अन्वयना जैसा अर्थ में मानने हैं।

प्रतीति में अभिधामूलक व्यञ्जना क्यों मानी गई है। वस्तुतः ऐसे भेद की कल्पना अनुचित है।^१ कुछ लोग व्यञ्जना की स्थापना में यह कहते हैं कि व्यञ्जना के बिना प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति उपपन्न न हो सकेगी। काव्य में प्रतीयमान अर्थ होता ही है इस विषय में सहृदयों का अनुभव प्रमाण है ही। अतः व्यञ्जना को मानना ही पड़ता है।^२ नैयायिकों के मत से इस अनुभवसिद्ध प्रतीयमान अर्थ का बोध किसी वृत्तिविशेष के द्वारा न होकर मन से होता है। अतः इसका कारण कोई शक्तिविशेष न होकर सहृदय की मन कल्पना ही है।^३

जगदीश तर्कालंकार ने भी 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' में इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। २४वीं कारिका की व्याख्या में जहाँ वे गौणी को अलग से वृत्ति न मानते हुए उसका जगदीश तर्कालंकार और व्यञ्जना अतर्भाव लक्षणा में करते हैं, वहीं पूर्वपक्षी की व्यञ्जना संबंधी शंका का भी उल्लेख करते हैं। पूर्वपक्षी (साहित्यिक) के मतानुसार 'मुखं विकसितस्मितं'^४ आदि श्लोक में 'विकसित' आदि पद अपने अर्थ को विस्तृत कर लक्षणा के द्वारा "जिसमें मुसकुराहट प्रकट हो रही है" इसका अनुभव कराते हैं। इसके बाद लक्षणामूला व्यञ्जना से "मुख में पुष्प के समान सौरभ होना" व्यंजित होता है। अतः योग, रूढ आदि की भाँति व्यंजक शब्द भी मानना पड़ेगा। 'विकसित' पद 'कुसुम के समान सुगंधित' इस अर्थ में रूढ नहीं है, क्योंकि इस अर्थ का संकेत ग्रहण कभी भी इसी शब्द से नहीं होता। साथ ही न तो यह यौगिक है, न लक्षक ही। लक्षक तभी माना जा सकता है, जब कि यहाँ कोई

१. तादृशबोधे तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वे शक्यैव तादृशबोधसभवेऽभिधामूल व्यञ्जनास्वीकारानुपपत्तेः ।
—वही पृ० २

२. न च व्यञ्जनावृत्तित्वानुपगमे तत्र तत्र तादृशबोवस्यानुभवसिद्धस्यानुपपत्तिरित्यगत्या वृत्तित्वमंगीकार्यमिति वाच्यम् ।
—वही पृ० २

३. मनसैव तादृशबोधस्वीकारात् ।
—वही पृ० ३

४. पूरा श्लोक तथा अर्थ तृतीय परिच्छेद में गूढव्यग्या लक्षणा के प्रसंग में देखिये ।

मुख्यार्थवाध होता। ऐसे मुख्यार्थवाध की स्थिति यहाँ नहीं है। अतः यहाँ व्यंजना माननी ही पड़ेगी।

जगदीश, इन आलंकारिकों का खंडन यों करते हैं। व्यंजना की कल्पना आप तात्पर्यबुद्धि के कारण के रूप में करते हैं। किंतु तात्पर्य-प्रतीति के लिए कोई कारण विशेष मानना ठीक नहीं। तात्पर्यप्रतीति का यह कारण तर्भा माना जा सकता है, जब कि सर्वप्रथम निस्तात्पर्यक ज्ञान की प्रतीति हो। यदि शब्दप्रमाण से सर्वत्र ज्ञान को पहली दशा में तात्पर्यविरहित मानेंगे, तो हमें उसके प्रतिबंधक (विघ्न) की कल्पना करनी पड़ेगी। वस्तुतः ऐसा कोई प्रतिबंधक नहीं है। हमें शब्दबोध के साथ ही साथ तात्पर्यप्रतीति भी हो जाती है, अतः तात्पर्यप्रतीति का कारण शब्दबोध ही है। तात्पर्यरूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति में अभिधा में भिन्न कोई अन्यशक्ति की कल्पना करना ठीक नहीं। जगदीश का कहना है कि वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों की अन्वय बुद्धि के द्वारा अभिधा से वाच्यार्थ की प्रतीति हो जाती है। इसी तरह फिर से अन्वयबुद्धि के द्वारा तात्पर्यरूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती, तो व्यंजना जैसी भिन्न शक्ति मानी जा सकती थी। वस्तुतः ऐसा नहीं होता। यह सारा कार्य मन की विशिष्ट बुद्धि से ही होता है। शब्दबोध के साथ ही साथ ऐसी स्थिति में मानस धाँव को अलग से कारण मानना तो ठीक है, किंतु व्यंजना जैसी अलग शब्दशक्ति मानने में कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता।

दर्शन तथा साहित्य के क्षेत्र परस्पर भिन्न हैं। नैयायिक व्यंजना को दार्शनिक दृष्टि से कारण नहीं मानते। जैसा कि हम अगले परिच्छेद में बतायेंगे शब्द का अर्थ दो प्रकार का होना है, एक वैज्ञानिक दृष्टि में, दूसरा साहित्यिक दृष्टि में। दार्शनिक दृष्टि में शब्द का साक्षान् अर्थ ही लिया जाता है, क्योंकि दार्शनिक का प्रमुख प्रयोजन 'प्रमा' का निर्णय तथा 'अप्रमा' का निराकरण है। साहित्यिक तो मानव के भावों को व्यक्त करना है, अतः उसे भावों की व्यंजना कराने के लिए प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जो अर्थों में

साक्षात् संबद्ध न होने पर भी भावों को व्यंजित करते हों। वे भावों के प्रतीक बन कर आते हैं। वस्तुतः मन के भाव साक्षात् संवेद्य न होकर व्यंग्य हैं। तात्पर्यरूप प्रतीयमान अर्थ की प्रणाली में मानसबोध का महत्त्व नैयायिक भी मानते हैं, यह हम देख चुके हैं। साथ ही वे शब्दबोध (अभिधाशक्ति के विषय) से मानसबोध को अलग भी मानते ही हैं। यह मानसबोध किन्हीं शब्दों या चेष्टाओं से ही होता है, अतः प्रमुख रूप से मानसबोध के प्रतीक शब्द ही बन कर आते हैं। क्योंकि शब्दों का स्थान मानसबोध के प्रतीकों में प्रमुख है, अतः इसको शब्दशक्ति कहना अनुचित न होगा। साथ ही शब्दबोध की कारण भूत शक्ति से यह मानसबोध वाली शक्ति नैयायिकों की ही सरणि से भिन्न सिद्ध हो जाती है। शब्द आदि के माध्यम से भावों का मानसबोध कराने वाली व्यञ्जना शक्ति साहित्यिक को तो माननी ही पड़ती है। नैयायिकों का काम दर्शन के क्षेत्र में व्यंजना के न मानने पर भी चल सकता है, किंतु साहित्यिक विद्वान् व्यंजना के अभाव में साहित्यिक पर्यालोचन नहीं कर सकता, क्योंकि व्यंजना ही सदसत्-काव्य-निर्धारण की कसौटी है।



एकादश परिच्छेद

काव्य की कसौटी व्यंजना

स्फुटीकृतार्थवैचित्र्यमहि प्रसरदायिनीम् ।

तुर्यां शक्तिमह वन्दे प्रत्यक्षार्थनिदर्शिनीम् ॥

अभिनव (लोचन)

इसने पहले के परिच्छेदों में हमने शब्द की चारों शक्तियों पर विचार किया। साथ ही हमने यह भी देखा कि व्यंजना नाम की चौथी शक्ति की 'प्रावश्यकता, चाहे अन्य शास्त्रों में न काव्य की परिभाषा में हो, तथापि साहित्यशास्त्र में अत्यधिक 'प्रावश्यकता' का महत्त्व है। व्यंजना के विषय में अन्वय व्यतिरेक-सरणि का आश्रय लेते हुए हमने देखा है कि व्यंजना का सन्निवेश अभिधा, लक्षणा या अनुमान के अंतर्गत कदापि नहीं हो सकता, साथ ही व्यंजना जन्य अर्थ में अन्य अर्थों ने विशिष्ट चारुत्व रहता है। इसीलिये शब्दप्रधान वेदादि श्रुतिग्रंथ तथा अर्थ प्रधान पुराणादि से सर्वथा रसप्रधान भिन्न काव्य में शब्द व अर्थ दोनों ही गौण रहते हैं और यदि उसमें किसी वस्तु की प्रधानता है, तो वह व्यंग्यार्थ ही है। ध्वनिमंप्रदायवादियों ने काव्य की परिभाषा सनिप्रद करते हुए व्यंग्यार्थ का स्पष्टरूपेण अथवा अस्पष्टरूपेण उल्लेख अवश्य किया है। ध्वनिकार जब "काव्यम्यात्मा ध्वनि" कहते हैं, तो उनका स्पष्ट संकेत व्यंग्यार्थ की ही ओर है। मम्मटाचार्य यद्यपि स्पष्ट रूप से काव्य की परिभाषा में व्यंग्यार्थ का उल्लेख नहीं करते, तथापि वे व्यंग्य की ओर संकेत अवश्य करते हैं। उनका "सगुणो" विशेषण आधाराद्यसंबंध में 'सरसो' का लक्षण है, तथा रस को

व्यंजनावादी व्यंग्य मानते हैं। प्रकाश के टोकाकार गोविंद ठक्कुर ने “प्रदीप” में इसी को स्पष्ट करते हुए कहा है—‘गुण सदा रसनिष्ठ है, फिर भी यहाँ गुण पद का प्रयोग इसीलिये किया गया है कि वह रस की व्यंजना कराता है।’^१ प्रकाश के अन्य टीकाकारों ने बताया है कि काव्य में रस के अत्यधिक अभिप्रेत एवं उपनिषद्भूत होने से प्रकाशकार ने “रस” को परिभाषा में स्पष्ट न कहकर व्यंग्य ही रखा है।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ भी व्यंग्य को ही प्रधानता देते हुए “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्” इस प्रकार काव्य की परिभाषा देते हैं। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि व्यंग्य के तीन रूपों में विश्वनाथ केवल ‘रस’ को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। पंडितराज जगन्नाथ जब अपनी परिभाषा “रमणीयार्थ.प्रतिपादक. शब्दः काव्यम्” में “अर्थ” के लिए “रमणीय” विशेषण का प्रयोग करते हैं, तब उनका तात्पर्य “व्यंग्यार्थ” से ही है। “रमणीयार्थ” को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, रमणीयता का तात्पर्य उस ज्ञानानुभव से है, जो लोकोत्तर आनंद का उत्पादक है।^२ आगे जाकर ‘लोकोत्तर’ शब्द को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस आह्लाद को अनुभव से ही जाना जा सकता है, (जिसके लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं), तथा जो “चमत्कार” (सौंदर्य) के नाम से भी अभिहित हो सकता है, लोकोत्तर है।^३ साथ ही इस रमणीयार्थ की प्रतीति भावनाप्रधान सहृदयों को ही होती है। कहना न होगा कि आह्लाद, व्यंग्यार्थ प्रतीति जनित चमत्कारानुभव ही है।

१. गुणस्य रसनिष्ठत्वेऽपि तद्व्यञ्जकपर गुणपदम् ॥

—प्रदाप पृ० ९ (निर्णयसागर प्रेस, का० मा०)

२. रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता ।—रसगगाधर पृ० ४

३. लोकोत्तरत्वं चाह्लादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जाति-
विशेषः ।

भिन्न भिन्न संप्रदायवादियों ने काव्य की आत्मा भिन्न-भिन्न मानी हैं । दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य की कसौटी भिन्न-भिन्न है । मामह, दंडी भिन्न-भिन्न आचार्यों के आदि के अनुसार काव्य की कसौटी अलंकार मत में काव्य की है ।^१ इन्हीं के परिष्कृत अनुयायी जयदेव तथा भिन्न भिन्न भामा अप्पय दीक्षित का भी यही मत है और जयदेव (कसौटी) के मत से तो काव्य के शब्दार्थों को अलंकारविरहित मानना व अग्नि को अनुष्ण मानना समान है ।^२ वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं । वक्रोक्ति-संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कुन्तरु के मतानुसार वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है (वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्) । क्षेमेन्द्र औचित्य को काव्य की कसौटी मानते हैं ।^३ एक सम्प्रदाय ऐसा भी है जो काव्य की कसौटी को "चमत्कार" नाम देता है । यह चमत्कार पुनः गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, शय्या, अलंकार इन ७ अंगों में विभाजित किया जाता है ।^४ इस चमत्कार सम्प्रदाय के आचार्य विश्वेश्वर व हरिप्रसाद हैं । काव्यगत सौन्दर्य के लिए 'चमत्कार' शब्द का प्रयोग तो ध्वन्यालोक (पृ० १४४), लोचन (पृ० ३७, ६३, ६५, ६९, ७२, ७९, ११३, १३७, १३८ निर्णय सागर सं०) तथा रसगंगाधर (पृ० ५) में भी हुआ है । रससम्प्रदाय के अनुसार काव्य की कसौटी रस है, किन्तु यह रस सम्प्रदाय वस्तुतः ध्वनिसम्प्रदाय से अभिन्न है ।

१. देविये—परिशिष्ट १ 'अलंकार सम्प्रदाय' ।

२. भाषीकरोति य. काव्यं शब्दार्थावगलंघ्यती ।

अर्थात् न मन्वते कस्मादनुष्णमानलंघ्यती ॥

—ध्वन्यालोक

३. देविये, परिशिष्ट १—'औचित्य सम्प्रदाय'

४. देविये—यद्यो 'चमत्कार सम्प्रदाय' । रविमर्ण-परिणय महाकाव्य के रचयिता दत्ता आदि (चमत्कार) ने रचित कविता को 'अमलवृत्ति' मानने हैं.—

शब्दरमाला-वृत्तिरीतिवृत्तवृत्तोरित्ता गृहपदप्रधारा ।

गुणै च वर्गै चरते लघुयमनमृत्तिदर्शोपरतिभिन्नेव ॥

(१. १४.)

ध्वनिवादियों के मतानुसार काव्य की कसौटी व्यंजना है। व्यञ्जना को ही आधार मानकर ध्वनिवादियों ने काव्यत्व तथा अकाव्यत्व का निर्णय किया है। जिस काव्य में स्फुट या अस्फुट व्यंग्यार्थ विद्यमान है, वही रचना काव्य है। यह दूसरी बात है कि उसका सन्निवेश काव्य की किस कोटिविशेष में किया गया है। जिस पद्य में व्यंग्यार्थ है ही नहीं उसे काव्य मानना ध्वनिवादियों को सम्मत नहीं। जब वे अधम काव्य (चित्रकाव्य) की परिभाषा देते हुए 'अव्यंग्य' का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ उनका तात्पर्य "व्यंग्यरहित" न होकर "ईषद्वयंग्य" या "अस्पष्टव्यंग्य" ही है। इसका पूरा विवेचन हम इसी परिच्छेद में "चित्रकाव्य" का उल्लेखन करते समय करेंगे। अतः स्पष्ट है कि ध्वनिवादियों के मतानुसार व्यंग्यार्थ या व्यञ्जना ही काव्य की कषणपट्टिका है, काव्यगत चारुत्वाचारुत्व का निकषोपल है।

यहाँ पर कुछ शब्द पाश्चात्य काव्य सिद्धान्त पर भी कह देना आवश्यक होगा। हमें यह देखना है कि उनके मतानुसार काव्य की कसौटी क्या है? प्रसिद्ध यवनाचार्य अरस्तू ने पाश्चात्यों के मत में काव्य को भी वास्तु, चित्र, मूर्ति, आदि की काव्य की कसौटी भँति कला ही माना है। उसके मतानुसार, यदि अनुचित नहीं, तो काव्य 'लोकोत्तराह्लाद-गोचर' न होकर "लोकसमानाह्लादगोचर" है। अरस्तू ही नहीं, हेगेल आदि उसके समस्त अनुयायियों का भी यही मत है। कला की पूर्ण निष्पत्ति वे मानव जीवन के पूर्ण अनुकरण में मानते हैं, और उनके मतानुसार "कला है ही (मानव या प्रकृति का) अनुकरण" (आर्ट इज इमिटेशन)। अतः काव्य में, दृश्यकान्य हो या श्रव्यकाव्य, यदि अनुकरणप्रवृत्ति की चरमता होगी तो वह काव्य है, यह हम उनके मत का सार मान सकते हैं। अरस्तू ने यह अनुकरणप्रवृत्ति जिसका चित्रण काव्य में होना चाहिए वाच्य मानी है, या व्यंग्य, यह नहीं कहा जा सकता। एक दूसरे यवन विद्वान् थ्योफ्रेस्टुस ने दार्शनिकों तथा कवियों के अर्थों का परस्पर भेद धताते हुए इस विषय पर कुछ प्रकाश अवश्य डाला है। काव्य तथा दर्शन की विभिन्न विधाओं के विषय पर विवेचन करते हुए थ्योफ्रेस्टुस ने जो मत प्रतिपादित किया है, उसका

उल्लेख अस्तु के प्रसिद्ध टीकाकार प्रमोनिडस ने 'द इन्तरप्रितेशनाल' की टीका में किया है:—

“शब्द की दो स्थितियाँ होती हैं, एक उसके श्रोता की दृष्टि में और दूसरे उस वस्तु की दृष्टि से जिसका बोध वक्ता श्रोता को कराना चाहता है। श्रोता के संबंध की दृष्टि से, जिसके लिए शब्द अपना विशेष अर्थ रखता है; यह शब्द अलङ्कारशास्त्र तथा काव्य के क्षेत्र में संबद्ध है, क्योंकि वे अधिक प्रभावशाली शब्दों को ढूँढा करते हैं, साधारण प्रयोग में आनेवाले शब्दों को नहीं। किन्तु, जहाँ तक शब्द का वस्तुओं से स्वयं से संबंध है, यह प्रमुखतः दार्शनिक के अध्ययन का क्षेत्र है, जिसके द्वारा वह मिथ्याज्ञान का खण्डन करता है तथा सत्य को प्रकट करता है।”

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि यद्यपि थ्योफ्रेस्टुस स्पष्ट रूप से व्यञ्जना या व्यंग्य जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, तथापि जब वह श्रोतृ-सम्बद्ध अर्थ की विशेषता बताते हुए उसको काव्य में स्थान देता है, तब उसका यही अभिप्राय है कि काव्य का वास्तविक चारुत्व उस विशेष प्रकार के अर्थ में ही है। थ्योफ्रेस्टुस का यह विशेष प्रकार का अर्थ कुछ

1 A word has two aspects : one connected with its hearer and the other with the things, about which the speaker sets out to convince his hearers. Now as to the aspect concerned with the hearers (for whom also the word has its particular meaning), this is the realm of poetry and rhetoric. for they are concerned with seeking out the more impressive words, and not those of common or popular usage.But as regards the aspect concerned with the things themselves, this will be pre-eminently the object of the philosopher's study in the refutation of falsehood and the revelation of the truth.”

नहीं, प्रतीयमान ही है। अतः थ्योफ्रेस्टुस के मत में यदि व्यंग्यार्थ या व्यञ्जना को काव्य की कसौटी मान ले तो अनुचित न होगा।

विज्ञान तथा काव्य का पारस्परिक भेद बताते हुए प्रसिद्ध आधुनिक आंग्ल साहित्यालोचक आइ० ए० रिचर्ड्स ने भी अपने प्रबन्ध "सायन्स एण्ड पोयट्री" में इसी बात पर जोर दिया है। अपने दूसरे ग्रन्थ में भी वे एक स्थान पर लिखते हैं:—“(काव्य में) शब्दों से उत्पन्न भावात्मक प्रभाव, चाहे वे शब्द गौण हों या प्रधान हों, उसके प्रयोग से कोई संबंध नहीं रखते।”^१ इस कथन से रिचर्ड्स का यही अभिप्राय है कि काव्य में जिन भावादि की प्रतीति होती है, वे उन शब्दों के मुख्यार्थ नहीं। ऊपर प्रयुक्त “संबंध” शब्द से हम मुख्यार्थ ही अर्थ लेंगे, क्योंकि काव्य से अनुभूत भावादि किसी न किसी दशा में शब्द से व्यक्त होने के कारण संबद्ध तो हैं ही।

हमने देखा कि पाश्चात्य विद्वानों में से भी कुछ लोग प्रतीयमान अर्थ की महत्ता को स्वीकार करते हैं। यही प्रतीयमान या व्यंग्य अर्थ मात्रा भेद से काव्य की कोटि का निर्धारण काव्य-कोटि निर्धारण करता है। भामह, दण्डी, वामन आदि अलंकार व रीति के आचार्यों ने काव्य में उत्तम, मध्य-मादि कोटि निर्धारण नहीं किया है। वस्तुतः उनके पास व्यंग्यार्थ जैसा एक निश्चित मापदण्ड भी नहीं था। वे तो केवल यही कहते रहे कि काव्य का सौन्दर्य अलंकार या गुण में ही है—“गुणालंकाररहिता विधवेव सरस्वती”। ध्वनिसम्प्रदाय से इतर अन्य आचार्यों का भी ऐसा ही हाल रहा तथा वे भी काव्य में कोटिनिर्धारण नहीं कर पाये। काव्य में कोटिनिर्धारण करना ठीक है या नहीं यह दूसरा प्रश्न है, इसे हम इसी परिच्छेद में आगे लेंगे। यहाँ तो हमें केवल यही कहना है कि ध्वन्याचार्यों से पूर्व के आचार्यों ने इस विषय की विवेचना की ही नहीं, अपितु कुछ लोगों ने इस प्रकार के कोटिनिर्धारण का खण्डन भी किया है।

१ In strict symbolic language the emotional effects of the words whether direct or indirect, are irrelevant to their employment.”

—“The Meaning of Meaning” ch. X. P. 235.

काव्य के कोटि निर्धारण का सकेत हमें ध्वनिधार की धारिकाओं में ही मिल जाता है। ध्वनि काव्य का विवेचन करके ध्वनिधार गुणी-भूतव्यंग्य नामक काव्यविशेष की भी विवेचना करते हैं, जिसमें व्यंग्यार्थ वान्यार्थ ने विशिष्ट न होकर तत्समकोटि या तदंग हो जाता है। इनके साथ ही यह चित्रकाव्य की ओर भी संकेत करते हैं, जिसमें व्यंग्यार्थ विश्वमान तो रहना है, पर यह वान्यार्थ के आगे नगण्य होता है। यद्यपि इन तीनों काव्यों के लिए ध्वनिधार तथा अभिन्नवगुप्त स्पष्ट रूप से उत्तम, मध्यम तथा अधम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तथापि इनका स्पष्ट उल्लेख है कि ध्वनि काव्य ही उत्कृष्ट काव्य है, तथा गुणी-भूतव्यंग्य भी सर्वथा हेय नहीं। इर्मा मंकेन को पाकर मम्मट ने सर्व-प्रथम इसका कोटिनिर्धारण करते हुए उत्तम, मध्यम, तथा अधम इन तीन कोटियों की स्थापना की। ध्वनिसम्प्रदाय के एक दूसरे अनुयायी रान्यक ने "अलंकारसर्वस्व" में भी इस तीन प्रकार के काव्यविभाग को माना है। इस ग्रन्थ में उसने तीसरी कोटि के काव्य का वर्णन किया है।^१ मम्मट के बाद इस धोर्णी विभाजन पर विवेचना करने वालों में विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित तथा पण्डितराज हैं। अप्पय दीक्षित ने यद्यपि यह विचार नहीं किया कि काव्य की कितनी कोटियाँ होनी चाहिए, तथापि उनकी "चित्रमामंसा" में स्पष्ट है कि वे भी मम्मट के तीन कोटियों वाले मत में सहमत हैं।

मम्मट ने काव्यप्रकाश में ध्वन्यालोक व लोचन को आधार बनाते हुए तीन काव्यकोटियाँ माना है:—(१) उत्तम काव्य, (२) मध्यम काव्य, (३) अधम काव्य। ये ही तीनों क्रमशः मम्मट का मत ध्वनि, गुणीभूतव्यंग्य तथा चित्रकाव्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मम्मट के मतानुसार उत्तम काव्य में व्यंग्यार्थ वान्यार्थ ने अधिक चमत्कारजनक होता है। यही काव्य ध्वनि के नाम से अभिहित होता है।^२ इसको यह नाम इसलिए

१. ध्वन्यस्यास्तुष्टयेऽलंकारवत्त्वेन विद्यान्वय कालमेदुर्गतादः ।

—अनं० म० १० ११

२. इदमुपनमतिप्रदिति व्यंग्ये काव्यात् ध्वनिर्गुणैः इयितः ॥

दिया गया है कि इसका व्यंग्यार्थ अनुराणरूप स्फोट की भौति श्रोता (सहृदय) के प्रतीतिपथ में अवतरित होता है। मम्मट ने “निःशेष-च्युतचंदन” आदि उदाहरण को स्पष्ट करते हुए बताया है कि किस प्रकार यहाँ “अधम” पद के द्वारा “तू उसी के पास गई थी” इस प्रतीयमान की व्यंजना होती है, जिसमें वाच्य से विशेष चमत्कार है। मम्मट के मत में मध्यम काव्य वहाँ होता है, जहाँ काव्य का व्यंग्यार्थ सुन्दर होने पर भी वाच्यार्थ से उत्कृष्ट नहीं हो पाया हो।^१ वहाँ या तो वाच्यार्थ में कुछ विशेष सौन्दर्य होता है, या दोनों समकक्ष होते हैं। वाच्यार्थ के विशेष सौन्दर्य का तात्पर्य अर्थालंकारगत चारुता से न होकर और प्रकार की चारुता से है, जैसे “वाणीरकुडंगुडूनि” आदि गाथा में मम्मट ने बताया है कि “बहू के अंग शिथिल हो गये” यह वाच्यार्थ अतिशय सुंदर है। तीसरा काव्य अवर या अधम है, जिसके अंतर्गत शब्दचित्र या अर्थ-चित्र प्रधान काव्य आते हैं।^२ इन काव्यों में शब्दों या अर्थों का इन्द्र-जाल रहता है, या तो शाब्दिक आडम्बर या दूरारूढ कल्पनाओं का घटाटोप, जैसे “स्वच्छदोच्छलदच्छ” आदि पद्य तथा “विनिर्गतं मानद” आदि पद्य में।^३

मम्मट के बाद के अधिकांश आचार्यों ने मम्मट के ही श्रेणी विभाजन को माना। काव्यानुशासनकार हेमचन्द्र, प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ तथा एकावलीकार विद्याधर ने मम्मट की विश्वनाथ का मत ही भित्ति पर अपने ग्रंथों की रचना की व मत्तों का प्रतिपादन किया। यह अवश्य है कि इन तीनों काव्यों में प्रत्येक के भेदोपभेदों में इन्होंने कहीं कहीं अपना मत देते हुए मम्मट का खण्डन किया है। उदाहरण के लिए उत्तम काव्य के संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनिमें हेमचन्द्र ने १२ के स्थान पर केवल ४ ही भेद माने तथा मध्यमकाव्य के ८ भेद न मानकर ३ भेद ही माने। मम्मट के श्रेणीविभाजन का सर्वप्रथम खण्डन करने वाले विश्वनाथ हैं, जिन्होंने

१. अतादृशि गुणीभूतव्यंग्य व्यंग्ये तु मध्यमम् ॥ —वही १, ५

२. शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यंग्य त्ववरं स्मृतम् ॥ —वही १, ५

३. इन चारों पद्यों को इसी परिच्छेद में उदाहृत किया जा रहा है। अतः पिष्टपेपण के ढर से यहाँ केवल संकेत भर दे दिया गया है।

“माहित्यदर्पण” में काव्य की केवल दो ही कोटियाँ मानीं। वे इनका उल्लेख भ्रानि एवं गुणाभूतव्यंग्य के नाम से करते हैं, उनमें मध्यम आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उनके मतानुसार उक्त व्यंग्यार्थ-युक्त (रसयुक्त) काव्यध्वनि है। व्यंग्यार्थ के वाच्यार्थ-समकक्ष रहने पर गुणाभूतव्यंग्य काव्य होता है जिसके विडम्बनाथ ने भी उही भेद माने हैं। विडम्बनाथ के मत ने चित्रकाव्य को काव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि “अव्यंग्य” पर तो काव्य नहीं हो सकता। यहाँ पर विडम्बनाथ ने आगे जाकर “वदतो व्याघात” पाया जाता है। एक स्थान पर चित्र काव्य की स्थिति अस्वीकार करते हुए भी वे दृश्य परिच्छेद में शब्दालंकार, प्रहेलिका आदि का वर्णन करते हैं। दूसरा दोष उतमें यह है कि “अव्यंग्य” का वास्तविक अर्थ “ईषद्व्यंग्य” न मानकर “व्यंग्य-रहित” मानते हैं। वस्तुतः चित्रकाव्य जैसा अधम काव्य अवश्य होता है। यदि हम कोटि का न माना जायगा तो कविमन्मट का जिन अलंकार युक्त काव्य का काव्य मानना है, उसे अकाव्य मानना होगा। यदि विडम्बनाथ का ही श्रेणी विभाजन माना जाय, तो क्यों न काव्य एक ही प्रकार का मान लिया जाय। जिसमें व्यंग्यार्थ हो, वह काव्य, तथा जिसमें व्यंग्यार्थ न हो, वह अकाव्य। यह श्रेणीविभाजन सुगम भी होगा और साधगम्य भी। किन्तु, इन श्रेणीविभाजन के स्वीकार करने पर काव्यगत सौंदर्य के तारतम्य का पता न चल सकेगा, जो कि काव्यशास्त्र के अनुशीलनकर्ता के लिए आवश्यक है। अतः चारुत्य के तारतम्य का जानने के लिए सूक्ष्म श्रेणीविभाजन करना ही होगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम मन्मट के श्रेणीविभाजन को ही मान्यता देते हैं। फिर भी मन्मट का श्रेणीविभाजन ही हमारे श्रेणीविभाजन की आधारभूति होगा।

अप्यय दीक्षित तो जैसा हम पहले बता आये हैं, मन्मट के ही

१. यहाँ यह उल्लेख कर देना अनिवार्य न होगा कि डॉ० बी० (JRAS 1910, Review on Sahityadarpana) के मतानुसार चित्रकाव्य की वास्तविकता मन्मट तथा अन्य विद्वानों की विद्वानता से विशेष महत्त्वपूर्ण तथा उचित है।

श्रेणी विभाजन को मानते हैं। चित्रमीमांसा में उन्होंने तीनों प्रकार के काव्यों का वर्णन करते हुए तीसरे काव्य अप्पय दीक्षित का मत (चित्रकाव्य) की विशद विवेचना की है। वे लिखते हैं—‘इन तीन भेदों में से ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य का वर्णन तो हम और जगह कर चुके हैं। शब्दचित्र प्रायः नीरस होता है अतः कवि लोग उसका आदर नहीं करते, साथ ही उसमें विचारणीय कोई बात है भी नहीं। अतः शब्दचित्र को छोड़कर इस ग्रन्थ में अर्थचित्र की मीमांसा की जा रही है।’^१

मम्मट के बाद श्रेणीविभाजन में और अधिक भारीकी बताने वाले पंडितराज जगन्नाथ हैं। पंडितराज ने ‘रसगंगाधर’ में काव्य की तीन कोटियाँ न मानकर चार कोटियाँ मानी हैं। ये जगन्नाथ पण्डितराज का मत क्रमशः उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम हैं। उनके मतानुसार उत्कृष्ट व्यंग्यार्थवाला काव्य, जिसे ‘ध्वनि’ भी कहा जाता है, उत्तमोत्तम काव्य है। गुणीभूतव्यंग्य ‘उत्तम’ कोटि का काव्य है। इस प्रकार मम्मट के उत्तम तथा मध्यम को पंडितराज ने क्रमशः उत्तमोत्तम तथा उत्तम काव्य कहा है। अब मम्मट का अधम काव्य रहा है, जिसमें मम्मट ने शब्दचित्र तथा अर्थचित्र काव्य लिये हैं। पंडितराज ने अर्थचित्र काव्य को मध्यम तथा शब्दचित्र को अधम माना है। मम्मट तथा अप्पय दीक्षित के द्वारा दोनों प्रकार के चित्रकाव्यों का एक ही कोटि में सन्निवेश किये जाने का उन्होंने खरह न किया है। उन्होंने बताया है कि “स्वच्छन्दोच्छलदच्छ” आदि काव्य तथा “विनिर्गत” आदि काव्यों को कौन सहृदय एक ही कोटि में रखेगा।^२

१ तदेव त्रिविधे ध्वनिगुणीभूतव्यंग्ययोरन्यत्रास्माभिः प्रपञ्चः कृतः। शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसत्वान्नात्यन्तं तदाद्रियन्ते कवयः न वा तत्र विचारणीय मतीषोपलभ्यत इति शब्दचित्राशमपहायार्थचित्रमीमांसा प्रसन्नविस्तीर्णा प्रस्तूयते।

—चित्रमीमांसा पृ० ४

२ को ह्येव सहृदयः सन् “विनिर्गत मानदमात्ममन्दिरात्” “सच्छिन्न-मूलः क्षतजेन रेणुः” इत्यादिभिः काव्यैः ‘स्वच्छन्दोच्छलदच्छ’ इत्यादीनां पामर-श्लाघ्यानामविशेषं द्र्यात्।

—रसगंगाधर पृ० २०

अन्तु, पंडितराज जगन्नाथ के मतानुसार अर्थविना तथा शब्दचित्र दोनों प्रकार के काव्यों को एक ही फोटि में रमना ठीक नहीं। हमारे मतानुसार पंडितराज का मन समीचीन है, यद्यपि पंडितराज ने एक घात में हमारा मतभेद है, इन्हे हम इसी परिच्छेद में आगे पचायेंगे। व्यञ्जना का आधार मानकर पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य के चार भेद माने हैं। इसके पहले हम एक बार काव्य शब्द को और समझ लें। उनके मत में काव्य का अर्थ कण्ठी की भाँति केवल 'इष्टार्थव्यञ्जिह्वन्ना पदावली' न होकर "व्यंग्यार्थ के गौतन में नामार्थशाली शब्द" है। उस दृष्टि से प्रहेलिकादि तथा हृयक्षर, एकाक्षर वृत्तों को 'काव्य' सहा नहीं जा सकेगा। जगन्नाथ पंडितराज ने रमगगाधर में एक स्थान पर बताया है कि इस प्रकार के वृत्तों को काव्य मानने पर कुछ लोगों के मतानुसार "अधमाधम" नामक पंचम भेद की भी कल्पना करना पड़ेगी। किन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि इन वृत्तों में व्यंग्यार्थ जसी वस्तु का सर्वथा अभाव रहता है। वैसे प्राचीन परम्परा के कारण महाकवियों ने इस तरह के वृत्तों का प्रयोग किया है फिर भी हमने इस फोटि को काव्य में नहीं माना है।

उत्तमोत्तम काव्य का ही दूसरा नाम 'ध्वनि' है। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो प्रत्येक वर्ण श्रुतिक होने के कारण उच्चरित होते ही नष्ट हो जाता है। अतः श्रोता (१) उत्तमोत्तम शब्द के बारे ही वर्णों को एक साथ नहीं सुन पाता। इस संबंध में वैचारिक अस्पष्ट स्फोट रूप में शब्द की प्रतिपत्ति मानते हैं तथा उस अस्पष्ट अनुसृजनरूप व्यवृत्त को 'ध्वनि' कहते हैं। इसी प्रकार काव्य में भी जब शब्द व अर्थ गाँठे हैं तथा उनके अनुसृजन से व्यंग्यार्थ

१ यद्यपि अधमाधमवृत्तिमानान्वयान्वा शब्दध्वनिव्यञ्जकः मधमाधमव्यञ्जकः काव्यविधासु गणयितुमुचितम्। यद्विधाधमवृत्तार्थवृत्तिव्यञ्जकव्यञ्जकव्यादि। तथापि समीचीनप्रतिपादकवृत्तानामव्यञ्जकव्यञ्जकमानान्वयान्वा नाशान्तराया यदुक्तं। इत्येवमादिना महाकविभिः प्राचीनकविसामानुष्येनैव एव च काव्येषु विद्वज्जनिनाः समाधिर्गतिगन्।

प्रतीति हो तो वह काव्य 'ध्वनि' कहलाता है।^१ ध्वनि का विशद स्पष्टीकरण हम द्वितीय भाग में करेंगे अतः यहाँ इस विषय के दार्शनिक विवेचन में न जाकर अपने प्रकृत विषय तक ही सीमित रहेंगे।

मम्मट, विश्वनाथ तथा अप्पय दीक्षित ध्वनि को उत्तम काव्य ही मानते हैं। मम्मट के मतानुसार "व्यंग्यार्थ के वाच्यार्थ से अतिशय-चमत्कारकारी होने पर काव्य उत्तम है तथा उसकी 'ध्वनि' संज्ञा है।" अर्थात् ध्वनि काव्य में सौंदर्य वस्तुतः व्यंग्यार्थ में होता है, शब्द तथा उसका वाच्यार्थ वहाँ सर्वथा उपसर्जनीभूत हो जाते हैं। विश्वनाथ ध्वनि को उकृष्ट काव्य तो मानते हैं, पर वे इसके लिए 'उत्तम' शब्द का प्रयोग नहीं करते। अप्पय दीक्षित की परिभाषा भी मम्मट के अनुसार ही है।^२ जगन्नाथ पंडितराज की परिभाषा भी यद्यपि मम्मट के ही आधार पर बनी है, फिर भी अधिक स्पष्ट है:—“जहाँ शब्द तथा अर्थ स्वयं को गुणीभूत कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करें, वह प्रथम कोटि का काव्य है।”^३ इस परिभाषा के द्वारा पंडितराज अतिगूढ व्यंग्य तथा अतिस्फुट व्यंग्य का निराकरण करते हैं। इसी निराकरण के लिए 'कमपि'^४ का प्रयोग किया है। क्योंकि अतिगूढ व्यंग्य तथा अतिस्फुट व्यंग्य काव्यों की गणना "ध्वनि" में न होकर "गुणीभूत व्यंग्य" या द्वितीय कोटि में होती है। काव्य का सच्चा

१ तेन पूर्वपूर्ववर्णानुभावजनितसस्कारसहितान्तिमवर्णानुभवेन स्फोटो व्यज्यते स च ध्वन्यात्मकः शब्दो नित्य ब्रह्मस्वरूपः सकलप्रत्ययप्रत्यायनक्षमोऽङ्गी क्रियते । तद्व्यञ्जकश्च वर्णात्मकः शब्दः । वृत्तिस्तु व्यञ्जनैव । तद्व्यञ्जकश्च शब्दो ध्वनित्वेन व्यवहियते इति वैयाकरणानां मतम् X X X X अतः प्रधानीभूतव्यंग्यव्यंजकसामर्थ्याद् गुणीभूतवाच्यं यद् व्यंग्यं तद् व्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलरूपस्योत्तमकाव्यस्यान्यैरपि कतिपयैर्वैयाकरणानुसारिभिर्ध्वनिपण्डितैरालङ्कारिकैरिति यावत् । ध्वनिरिति सजा कृतेति ।

—काव्यप्रकाशसुधासागर (भीमसेन कृत) पृ० ३०

२. यत्र वाच्यातिशयि व्यंग्यं स ध्वनिः । —चित्रमीमांसा पृ० १

३. शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम् ।

—रसगगाधर पृ० ९

४. कमपीति चमत्कृतिभूमिम् ।

—वही, पृ० १०

कि वही शब्दार्थ ध्वनिलक्षण आत्मा का व्यञ्जक हो सकता है, जो गुण तथा अलंकार से युक्त हो। इसीलिए 'मोटा देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता' इससे "वह रात में खाना खाता है" इस अर्थ की जो प्रतीति होती है, वह ध्वनि नहीं हो सकती,^१ क्योंकि यहाँ पर शब्दार्थ गुणालंकार से उपस्कृत नहीं है। अतः स्पष्ट है कि चारुत्वमय अर्थ की जहाँ शब्द तथा अर्थ के गुणीभाव होने के बाद प्रतीति हो, वह ध्वनि काव्य है।

यह ध्वनि' या उत्तमोत्तम काव्य वस्तुरूप, अलंकाररूप तथा रस रूप इस प्रकार प्रथम तीन प्रकार का माना गया है। ध्वनि के विशेष भेदोपभेद के प्रपञ्च में हम इस परिच्छेद में नहीं जाँयेंगे। यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि इन तीनों में रसरूप ध्वनि की विशेष महत्ता है और 'लोचन' के मतानुसार काव्य की सच्ची आत्मा वही है। विश्वनाथ ने तो इसीलिए वस्तुरूप या अलंकार रूप ध्वनि को मानते हुए भी केवल ध्वनि को काव्य की आत्मा नहीं माना है, क्योंकि ऐसा करने पर वस्तु या अलंकार भी आत्मा बनते हैं। इसी कारण से वे उत्तमोत्तम काव्य में किसी न किसी प्रकार के रसरूप व्यंग्य को ढूँढते हैं। साहित्यदर्पण में 'अत्ता एत्थ णिमज्जइ' इत्यादि गाथा के प्रसंग में उन्होंने बताया है कि यहाँ वे वस्तु के व्यंग्य होने के कारण काव्य न मानकर इसलिए काव्य मानते हैं कि यहाँ रसाभास है, अतः रसरूप ध्वनि है। इस मत का पण्डितराज ने खण्डन किया है। वे लिखते हैं—

"साहित्यदर्पणकार काव्य की परिभाषा रसवत् वाक्य मानते हैं। यह ठीक नहीं है। ऐसा मानने पर तो वस्तु व अलंकार प्रधान काव्य काव्य नहीं रहेंगे। साथ ही उन्हें काव्य न मानना उचित नहीं, क्योंकि सभी कवि उन्हें काव्य मानते हैं तथा जलप्रवाह आदि एवं कपिवाक्य क्रीडादि का वर्णन करते ही हैं। यहाँ ('अत्ता एत्थ' की भाँति) यह उल्लिखित देना ठीक नहीं कि इनमें भी रस है। क्योंकि ऐसा होने पर तो

१. तेनैतन्निरवकाश ध्रुतार्थापत्तावपि ध्वनिव्यवहार. स्यादिति ।

“भाव जानी है”, “हिरण्य शून्यता है” आदि वाक्यों में भी रस भानना पड़ेगा। प्रत्येक प्रथम विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी में नै कोई न कोई होता ही है।^१

ध्वनिवादी तीनों धों ही काव्य मानता है। जैसे,

पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुँ पास।

नित प्रति पून्यो ई रहत आनन ओप उजाम ॥ (विहारी)

इस उदाहरण में कुछ विद्वान उदात्तकता मानते हैं। पर, भ्रन्ति-सिद्धान्त के मत में इसके काव्यत्व का कोई अस्वीकार न करेगा। वे यहाँ “भ्रन्ति” या “उत्तमोत्तम” (मम्मट का उत्तम) काव्य मानते। प्रस्तुत काव्य में कविप्रौढोक्तिनिषद्ध अथवा वक्तृप्रौढोक्तिनिषद्ध सलक्ष्य क्रमः शून्य ध्वनि है। यहाँ वस्तु में अलंकार की व्यंजना होती है। वस्तु भी कल्पित (प्रौढोक्तिनिषद्ध) है। “नायिका की सुन्यप्रभा के कारण उसके घरके चारों ओर सदा पूणिमा का रहना” इस कल्पित वस्तु के द्वारा “उसका सुन्य पूणिचंद्रमा है” उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। जैसे यहाँ वाच्यरूप में परिसंयोग तथा काव्यलिंग अलंकार भी हैं। उक्त वस्तु से यहाँ ‘उसका सुन्य पूणिमा चंद्र है’ यह रूपक अलंकार व्यंजित हो रहा है। यहाँ ‘नित पून्यो ई रहत’ इस उक्ति में ‘नायिका-सुन्य’ (विषय) पर ‘पूणिमा चंद्र’ (विषयी) का आरोप प्रतीत होता है, जो ‘चंद्र’ के अनुपादान के कारण व्यंग्य है, तथा जो पुनः व्यंग्य रूप में व्यतिरेक अलंकार की प्रतीति करता है। उपर्युक्त

१ यत्तु ‘रसवदेव काव्यम्’ इति साहित्यदर्पणे निर्गीतम्, तत्र । काव्य-रसप्रधानानां बाध्यानामस्यपरिवारत्वे । न चोपारति । नदादविमगद्राप्-स्यात्पूर्वाभावप्रसंगात् । तथा च उक्तप्रवाहयोगनिपतनोत्तरतमध्वन्यानि कविभि-र्वर्णितानि कविशालादिवर्णितानि च । न च तथापि यथावर्धितारम्यका रसवदोद्देश्येति वाच्यम् । इदंनारसवदोद्देश्य “गोश्ववति” “सुगो धारति” इत्यादावतिप्रसक्त्येनाप्रसोक्तशायत् । अर्थनाप्रस्य विनाशकृभावध्वनिचापेव-तमवादेति दिक् ।^१

—रसमगण १, पृ० ७

२ यदि हम उक्ति की शिरो काट्टकार नाश के द्वारा कथित नाया नाय तो यहाँ कविप्रौढोक्तिनिषद्ध वास्तु मानना होगा।

काव्य में विश्वनाथ के मतानुयायी संभवतः रति भाव का रेशा ढूँढ निकाले पर ऐसा करना कष्टसाध्य कल्पना ही होगी ।

उत्तमोत्तम काव्य को स्पष्ट करने के लिए हम सर्वप्रथम अलंकार-शास्त्र के प्रसिद्ध उदाहरण को ही लेंगे ।

निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो

नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनु ।

मिथ्यावादिनि दूति, बान्धवजनस्याज्ञातपीडोद्गमे

वापीं स्नातुमितो गतसि न पुनस्तभ्याधमस्यान्तिकम् ॥

“हे बान्धवों की पीडा न जानने वाली भूठी दूति, तू यहाँ से भावली में नहाने गई थी, (सचमुच) उस अधम के पास नहीं गई । तेरे स्तनों के प्रान्त भाग का सारा ही चन्दन खिर गया है, तेरे अधर ओष्ठ की ललाई मिट गई है, दोनों नेत्र अञ्जनरहित हो गये हैं, तथा तेरा यह दुर्बल शरीर भी पुलकित हो रहा है ।”

इस साधारण वाच्यार्थ से यह प्रतीत हो रहा है कि तू उसी के पास गई थी तथा तूने उस अधम के साथ रमण करके मेरा अनिष्ट किया है । यहाँ पर यद्यपि (१) स्तनों के प्रान्तभाग के चन्दन का च्युत होना, (२), अधरराग का मिटना (३), नेत्रों का अञ्जनरहित होना, तथा (४) शरीर का रोमांचित होना, इन वापीस्नान के कार्यों को दिया गया है, पर ये केवल वापी स्नान के ही कार्य नहीं हैं । ये कार्य रमण के भी हो सकते हैं । यहाँ पर “ये सब वापी स्नान से नहीं, अपितु मेरे प्रिय के साथ रमण करने से हुए हैं” इस अर्थ की पुष्टि “अधम” पद के द्वारा होती है । मम्मटाचार्य ने कहा है —“तू उसी के पास रमण के लिए गई थी यह प्रधानरूप से अधम पद से व्यक्त हो रहा है ।”^१ यहाँ कुछ लोग विपरीत लक्षणा के द्वारा प्रतीयमान अर्थ की झप्पि मानते हैं । किन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि लक्षणा में वस्तुतः मुख्यार्थ का वाच्य होता है, तथा लक्ष्यार्थ को प्रतीति किसी दूसरे ज्ञापक के द्वारा होती है । किन्तु जहाँ पर उसी वाक्य के द्वारा प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ लक्षणा कैसे मानी जा सकती है, क्योंकि वहाँ

१. अत्र तदन्तिकमेव रन्तु गतासीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते ॥

बाध (सुन्यार्थबाध) नहीं माना जा सकता।^१ हाँ, जहाँ किसी प्रमाणान्तर ने सुन्यार्थबाध के बाध अर्थप्रतीति हो वहाँ तत्काल्य नहीं माना जा सकता है। महिमभट्ट ने "अधम" पद को साधन या हेतु मानकर प्रतीयमान अर्थ को अनुमितिगम्य माना है। महिमभट्ट की बहना भी समीचीन नहीं। महिमभट्ट के अनुमानमिदान्त का स्पष्टन परते हुए हम उसके मत की निःसारता इसी भाग के नयन परिच्छेद में प्रतीति करते हैं। इसी प्रकरण में हमने इसी उदाहरण को लेकर प्रतीति है कि यहाँ अधम पद जो हेतु मानने पर भी अनुमिति मान न हो सकेगा। नाथ ही यदि चन्दनच्यवनारि को भी हेतु मान लिया जाय, तो भी अनुमिति मान न होगा, क्योंकि ये दोनों ही हेतु निच्छेद न होकर हेतुभास है। अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ व्यञ्जना के द्वारा ही इस अर्थ की प्रतीति होती है और उसका सूचक (व्यञ्जक) "अधम" पद है। यह पदप्रतीति का उदाहरण है। यहाँ वस्तु (चन्दनच्यवनारि) के द्वारा सम्यक् रूप वस्तु व्यञ्ज्य है। यह व्यञ्ज्यार्थ वस्तुसौन्दर्यव्यञ्जित्य के कारण प्रतीति होता है। अधम पद ने यह प्रतीति होता है कि नाथ ने नाथिका को दुःख दिया है। यह वाच्यार्थ किसी दूसरे कारण की प्रतीति करता है, जिससे नाथिका को दुःख मिला है। अतः नाथ का 'दूरीभोगनिमित्तकदुःखदायकत्व' व्यक्त होता है।^२

पण्डितराज जननाथ ने इसी संवेदने सम्यक्त्वार्थ का निम्न उदाहरण दिया है—

१. यद्यपि प्रमाणान्तरं न तज्जायकमप्यसि तद्बाधव्यतिप्रमाण-
महिर्नयं तु तावदप्यस्यैव कथं लक्षणा। बाधाभावात्। * * *
यावत् तावत्प्रमाणान्तरं न तज्जायकमप्यसि तद्बाधव्यतिप्रमाण-
महिर्नयं तु तावदप्यस्यैव कथं लक्षणा। बाधाभावात्।

— श्रीमदेष ५१० प्र० सूत्राभाषण १० ३९

२. अन्वयः यः तावत्प्रमाणान्तरं न तज्जायकमप्यसि तद्बाधव्यतिप्रमाण-
महिर्नयं तु तावदप्यस्यैव कथं लक्षणा। बाधाभावात्। * * *
यावत् तावत्प्रमाणान्तरं न तज्जायकमप्यसि तद्बाधव्यतिप्रमाण-
महिर्नयं तु तावदप्यस्यैव कथं लक्षणा। बाधाभावात्।

शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान् ।
दयिता दयितानभाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥

“समीप सोई हुई होने पर भी अपने मनोरथ की पूर्ति करने में असमर्थ प्रेयसी आँखें कुछ बंद करके अपने प्रिय के मुखकमल की ओर देखती है ।”

यहाँ पर सयोग शृंगार की अभिव्यक्ति होती है । ध्वनि के संबंध में यहाँ दो एक उदाहरण हिन्दी काव्य से भी दे देना आवश्यक होगा ।

(१) देख खड़ी करती तप अपलक,
हीरक सी समीर-माला जप,
शैल - सुरा अर्पण - अशना,
पल्लव वसना बनेगी,
वसन वासंती लेगी ।
रुखी री यह डाल, वसन वासंती लेगी ॥

(निराला: गीतिका)

इसमें शब्दशक्तिमूला व्यंजना के द्वारा प्रस्तुत 'डाल' के साथ ही अप्रस्तुत 'पार्वती' की व्यंजना तथा उनका उपमानोपमेय भाव व्यक्त हो रहा है ।

(२) जब सध्या ने आँसू में
अजन से हो मसि घोली,
तब प्राची के अंचल में
हो स्मित से चर्चित रोली,
काली अपलक रजनी में
दिन का उन्मीलन भी हो ।

(महादेवी. यामा)

इसमें गौणी प्रयोजनवती लक्षणा के द्वारा यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि कवयित्री अपने जीवन में सुख तथा दुख दोनों का अपूर्व मिलन चाहती है । यहाँ यह व्यंग्यार्थ ही कवयित्री का प्रमुख प्रतिपाद्य है तथा इसीमें चमत्कार है ।

(२) उत्तम काव्यः—उत्तमोत्तम काव्य के साठ साध्य की दूसरी फोटि उत्तम काव्य है। यहाँ काव्य गुणीभूतव्यंग्य भी कहलाता है। मन्मट ने बताया है कि व्यंग्य के वाच्यानिश्चय-समस्या न होने पर काव्य कायम फोटि का होता है, तथा उसे गुणीभूतव्यंग्य कहा जाता है।^१ यहाँ पर कुछ विद्वानों के मतानुसार गुणीभूतव्यंग्य काव्य की परिभाषा यो होनी चाहिए थी—“गुणीभूतव्यंग्य का य वह है, जहाँ चित्र काव्य ने भिन्न होने पर (चित्रान्यत्वे सति) व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से उत्कृष्ट न हो।” किन्तु यह मत समोचीन नहीं क्योंकि यहाँ “व्यंग्य” शब्द का अर्थ स्पृष्ट-व्यंग्य से है, चित्ररान्य में तो व्यंग्य अप्रकृत (अस्पृष्ट) रहता है, क्योंकि वहाँ निषेधा का ध्येय शब्दगत या अर्थगत समस्कार ही होता है, व्यंग्यार्थ नहीं।^२ इसीलिये गुणीभूतव्यंग्य के भेदों का चित्रकाव्य के साथ समावेश भी नहीं हो सकता। पंडितराज की गुणीभूतव्यंग्य की परिभाषा और अधिक स्पष्ट है—“यत्र व्यंग्यप्रधानमेव मशमस्कारकारण तद्द्वितीयम्।” अर्थात् जहाँ व्यंग्यार्थ गौण होनेपर भी समस्कारयुक्त प्रबन्ध हो वहाँ द्वितीय (उत्तम) काव्य होगा। गुणीभूतव्यंग्य काव्य के अंतर्गत पद्य ने व्यंग्य प्रधान अलंकारों का भी समावेश हो जाता है। पर्यायों, सूक्ष्म, मगामोक्ति, अपस्तुतप्रशंसा आदि कई अलंकार जिनमें हिमा न हिमा अर्थ की व्यंजना होती है, इसीके अंतर्गत संनिप्रष्ट होने हैं। पंडितराज ने इन काव्यों में जिनमें अर्थालंकार पाये जाते हैं, दो फोटियों की स्थिति मानी है—गुणीभूतव्यंग्यत्व तथा चित्रवाच्यत्व।^३ धनिंकार

१. अनादिति गुणीभूतव्यंग्य इत्यपे तु मत्पदम् । — (वा० प्र० १-५)

(साथ ही) यत्र व्यंग्यं वाच्यानिश्चयि तद्गुणीभूतव्यंग्यम् ।

(वि० जी० १० ३)

२. गुणीभूतव्यंग्ये वास्पृष्टताय इत्यपम् । अथनवापे तु मत्पृष्टतरं

तद्विरह एवेति * * * * *

(सुभाषागार १० २०)

३. तेषां गुणीभूतव्यंग्यत्व, चित्रवाच्यत्व सर्वत्र स्वरूपेण स्थापितम् ।

ने गुणीभूतव्यंग्य को भी आदर की दृष्टि से देखते हुए काव्य का सौंदर्य विधायक मानते हुए कहा है:—

“काव्य का दूसरा प्रकार गुणीभूतव्यंग्य है। इसमें व्यंग्य का अन्वय होने पर वाच्य का सौंदर्य अधिक उत्कृष्ट होता है।”^१

गुणीभूतव्यंग्य के ध्वनिकार, आनंदवर्धन, मम्मट तथा अन्य आचार्यों ने ८ भेद माने हैं। हेमचंद्र मम्मट के इस वर्गीकरण का खंडन करते हैं, उनके मतानुसार गुणीभूतव्यंग्य के तीन ही भेद माने जाने चाहिए।^२ वे लिखते हैं:—“मध्यम काव्य के तीन ही भेद हैं, आठ नहीं।”^३ कुछ विद्वानों के मत से काव्य एक ही प्रकार का है। जब ध्वनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनि मान ली है, तो केवल उत्तमोत्तम (उत्तम) काव्य ही काव्य है, बाकी सब अकाव्य की कोटि में आर्यगे अतः ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य यह कोटि निर्धारण ठीक नहीं। इन मतों की परीक्षा हम द्वितीय भाग में गुणीभूतव्यंग्य के विशेष विवेचन के संबंध में करेंगे, अतः यह विषय वहीं द्रष्टव्य है। गुणीभूतव्यंग्य को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरणों को लेंगे।

वाणीरकुंडंगुड्डीनसउणिकोलाहलं सुणन्तीए ।

घरकम्मभावडाए बहुए सीअन्ति अंग्गई ॥

वेतस कुंज से उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल को सुनती हुई, घर के काम में व्यस्त, बहू के अंग शिथिल हो रहे हैं।

यहाँ शकुनिकोलाहल सुनकर बहू के अंगों का शिथिल होना वाच्यार्थ है, प्रकरणादि के वश से शकुनियों के उड़ने के कारणभूत, वेतसकुंज में दत्तसंकेत उपपत्ति के आगमन रूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। यहाँ यद्यपि इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति अवश्य होती है, यह चमत्कारशाली भी है, तथापि यह व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ का उपस्कारक

१. प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यंग्यः काव्यस्य दृश्यते ।

तत्र व्यंग्यान्वये काव्यचास्त्वं स्यात् प्रकपंवत् ॥ —ध्वन्यालोक

२. असत्संदिग्धतुल्यप्राधान्ये मध्यमं त्रेधा ।

—काव्यानुशासन २, ५७ पृ० १५२

३. इति त्रयो मध्यमकाव्यभेदा न त्वष्टौ । — काव्यानुशासन पृ० १५७

(२) नूरजहाँ ! तेरा सिंहासन था कितना अभिमानी ।
तेरी इच्छा ही बनती थी, जहाँगीर की रानी ॥

(रामकुमारः रूपराशि)

इसमें “तेरी इच्छा ही बनती थी, जहाँगीर की रानी” के वाच्यार्थ में जो चमत्कार है, वह इसके व्यंग्यार्थ में नहीं ।

(३) मध्यम काव्य — मध्यम काव्य के अंतर्गत मम्मट के अर्थचित्र का समावेश होता है । अर्थचित्र व शब्दचित्र दोनों को एक ही कोटि में

मानना ठीक नहीं । अर्थचित्र काव्य शब्दचित्र से विशेष चारुता लिये होता है । अप्पय दीक्षित

मध्यम काव्य

के मतानुसार चित्रकाव्य को तीन प्रकार का

माना जाना चाहिए — अर्थचित्र, शब्दचित्र, उभयचित्र ।^१ विश्वनाथ ने

तो चित्रकाव्य नाम की वस्तु ही नहीं मानी है तथा इस विषय में

मम्मट का खंडन किया है । वस्तुतः चित्रकाव्य को न समझने वाले

आचार्य मम्मट के ‘अव्यंग्य’ का अर्थ नहीं समझ पाये हैं । यहाँ उसका

अर्थ अस्फुटतरव्यंग्य से है, व्यंग्य की रहितता से नहीं ।^२ इस काव्य में

व्यंग्यार्थ चमत्कार नगण्य होता है तथा वाच्यार्थ चमत्कार

अत्यधिक उत्कृष्ट होता है । इसी बात की ओर ध्यान दिलाते हुए

पंडितराज ने तृतीय काव्य की परिभाषा यों निबद्ध की है—“जहाँ

वाच्यार्थ का चमत्कार व्यंग्यार्थ चमत्कार का समानाधिकरण

न होकर उससे विशिष्ट हो ।”^३ ध्वनिकार के मत से वह काव्य जहाँ

रस, भाव, आदि की विवक्षा न हो, तथा अलंकारों का ही निबंधन हो

चित्र काव्य कहलाता है ।^४

१. तस्त्रिविधम्—शब्दचित्रमर्थचित्रमुभयचित्रमिति ।

(चि० मी० पृ० ४)

२. अनुत्त्वणत्वाद् व्यंग्यानामव्यंग्यं चित्रमीरितम् ।

व्यंग्यस्यान्यन्तविच्छेदः काव्ये कुत्रापि नेष्यते ।

—अलंकारसुधानिधि—(प्रतापरुद्धीयटीका रत्नापण से उद्धृत)

३. यत्र व्यङ्ग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम् ।

—रसगगाधर पृ० १९

४. रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति ।

अलंकारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥ —ध्वन्यालोक पृ० ४९७

अर्धविद्यात्मक मध्यम काव्य जैने,

त्रिनिर्गमं मानदमात्मगन्धिगद्

भवत्युदभुत्व नदन्त्यापि यम् ।

संप्रमेन्द्रहतपानिवार्गला

निर्मालिताक्षीष भियाऽमरावती ॥

'शत्रुघ्नो के मान का नदंन फजन घाले हयमीय को अरनी इन्द्रा ने नदल से बाहर निकला हुआ सुनकर अरे हुए इंद्र के द्वारा बंद करवाई हुई अर्गला वाली, अमरावती पूर्ण मानो अर ने आये बंध कर लेती थी ।' यहाँ "अमरपुरी के द्वार बंद होने" इस प्रकृत वस्तु में "अर ने आये बंध कर लेना" इस अप्रकृत वस्तु की संभावना की गई है । अतः यहाँ वस्तुवैश्या अलंकार है । किंतु यहाँ व्यंग्य का सर्वथा अभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि "मानो आये बंध कर लेती थी" इस उल्लेख ने अमरावती तथा नायिका का व्यवहार साम्यरूप व्यंग्य की प्रतीति होता है । हाँ, यह अवश्य है कि वाच्यार्थ की अपेक्षा उसका चमत्कार नगण्य है । कुछ लोग यहाँ हयमीवविपयक उन्माद भाव एवं वीर रमाभान की व्यंजना भी मानते हैं, पर वह भी वाच्यार्थ चमत्कारा भायक नहीं । पंडितराज के मत में यहाँ वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ 'नमानाधिकरण' नहीं होते । इन्हीं के मन्थों में यहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ में उन्मी तरह लीन हो जाता है, जैसे किसी प्राणीगु (अचतुर) नायिका के द्वारा लगाये हुए केसर के उदंन में छिपी हुई, उसके स्वरूप के अंग की सुंदरता । ये वह भी मानते हैं कि किसी भी काव्य में ऐसा वाच्यार्थ नहीं मिलेगा, जो व्यंग्यार्थ के लेश में भी युक्त न हो, फिर भी चमत्कार उत्पन्न करे ।' उक्त काव्य तथा मध्यम काव्य इन दोनों कोटियों में समस्त अर्थालंकार प्रपञ्च का समावेश हो जाता है । जिन अर्थकारों में अथवा शुद्धिभूत होने पर भी जागरूक है, ये उक्त काव्य

१. अमरावती... मन्थानुपेक्षावत् हयमीवविपयता नायिकावैश्यावका
वदितरुकासीरुपयोगानवितोर्गो भित्तोर्गोसिमेरु प्रयोषो । य तादसीरुपि
कोटिपि सत्यार्थो वा नानागानुदप्रपावमान एव इत्येव मन्थोपयोगात्प्राप्त्यु
प्रभवति ।

तथा जिनमें अजागरूक है, वे मध्यम काव्य है। हिंदी से हम यह उदाहरण दे सकते हैं:—

सबै कहत बेंदी दिये अँक दस गुनौ होत ।

तिय ललार बेंदी दिये अगनित बढत उदोत ॥ (बिहारी)

यहाँ पर व्यंग्यार्थ नायिका का अतिशयसौंदर्यरूप वस्तु है। किंतु इस व्यंग्य का चमत्कार अतिशयोक्ति रूप वाच्यार्थ के चमत्कार में लीन हो गया है। यहाँ पर अतिशयोक्ति है। इसमें ही वास्तविक चमत्कार है।

(४) अधम काव्य:—काव्य की अतिम कांठि अधम काव्य है। इसके अतर्गत मम्मट या दीक्षित का शब्दचित्र समाविष्ट होता है। यहाँ

पर किसी भी प्रकार के अर्थ की चमत्कृति गुणी-
अधम काव्य भूत होकर शब्दचमत्कृति को ही पुष्ट करती है।

“जहाँ अर्थचमत्कृति से शून्य शब्दचमत्कृति ही प्रधान हो, वह अधम काव्य चौथा है।”^१ इस काव्य में भी व्यंग्यार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होगा, यह बात ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि व्यंग्यार्थ (रमणीयार्थ) रहित वृत्त या पद्य को हम का य संज्ञा देने के पक्ष में नहीं है। फिर भी इसमें कवि का ध्येय शब्दाडम्बर या अनुप्रास, यमक या श्लेषादि का चमत्कार ही रहता है। जैसे—

स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा

मूर्च्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाह्निकाहाय वः ।

भिन्द्यादुद्यदुदारदुर्दुरदरीदैर्घ्या दरिद्रद्रुम-

द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥

जिसके तीरों पर स्वच्छन्दता से पानी उछला करता है, तथा किनारे के गड्ढों को भर देता है, जहाँ मोह रहित ऋषिगण हर्ष से स्नान क्रिया करते हैं, जिसमें कई भेंढक शब्द क्रिया करते हैं, और जो कमजोर पेड़ों को गिराने के कारण बड़ी-बड़ी लहरों के घमंड में चूर हो जाती है, वह भगवती मन्दाकिनी (गंगा) आप लोगों के अज्ञान को नष्ट करे।

१. यत्रार्थचमत्कृतिशून्या शब्दचमत्कृतिः प्रधानं तदधम चतुर्थम् ।

इन काव्य में यद्यपि भगवती संताहिनी विषयक रति भावकूप व्यंग्यार्थ है अत्रत्य, पर कवि का मुख्य ध्येय अनुपम समस्कार ही है। अतः यहाँ व्यंग्यार्थ तथा वाच्यार्थ दोनों ही गच्छन्मत्तृति के उपभारक हो गये हैं। द्विती का उदाहरण, जैसे

फनक फनक तैं भोगुनी मादकता अगिहार ।

उटि न्याये योग्य है, उटि पाये ही पीराय ॥ (विहारी)

काव्य के कोटि विभाजन का नारतन्त्र्य — इसप्रकार में एक स्थान पर प्रभाकर भट्ट ने काव्यों के इस कोटि-निर्धारण का विवेचन करने हुए एक घान प्रसार है कि सभी काव्यों में सभी कोटि निर्धारण सामान्य प्रकार के काव्यों का साध्य रहता है। ये कहने हैं—'निःशेष' आदि उन्नत काव्य (पटिनराज के उत्तमोत्तम काव्य) में भी व्यंग्य इतना अधिक समस्कारी नहीं है। 'प्रामतन्त्र्य' आदि मध्यम काव्य में (पटिनराज के उन्नत काव्य में) भी समस्कारी व्यंग्य की प्रतीति होती है। साथ ही 'स्वच्छन्द' आदि उदाहरण में गच्छ तथा अर्थ के समस्कार ने अत्यवहित समस्कारी व्यंग्य की प्रतीति होती है, यह सभी महद्य जानते हैं। अतः सभी प्रकार के काव्यों में सखर होता है। फिर भी उनकी अलग ने प्रतीति की दशा में उन्नत आदि काव्यों में परस्पर सांख्य न मानना ही ठीक होगा। इसी घान को मम्मट ने भी पताया है कि प्रति तथा सुगीभू

१. प्रामतन्त्र्यं तत्पदा नवदन्तुलसक्षीमनापरां ।

परपदा भवति सुदुर्निवर्तं नतिना सुमपदाया ॥

उक्त में वदन्तुल को मटे नती की लिये हुए प्रामतन्त्र्य को देखा, प्रामतन्त्र्य की सुमपदाया अत्यवहित नतिन हो जाती है।

यहाँ वदन्तुल के पास 'महेट' पर होकर उपपत्ति होट भाषा है, पर नाधिका न पहुँच पाई। उपपत्ति यह ज्ञान के लिए कि वह वहाँ गया था वदन्तुलसक्षी हाथ में लिए है। उसे देखकर नाधिका दुर्गा होती है। वहाँ नाधिका समस्कार 'सुमपदाया नतिन हो जाना' इस काव्यार्थ में हो है।

२. मर्दं तु मर्दं मर्दं पद—मर्दं उन्नत कारये "निःशेष" आदि उन्नत-कारिणोऽपवर्तितः। 'प्रामतन्त्र्य' निःशरी मध्यमकारये अ समस्कारीपदा-प्रतीति, 'स्वच्छन्द' रसादावधमकारयेऽपि कारयतावक रचितानावधमहितपन-

व्यंग्य का कोई भी विषय ऐसा नहीं है, जहाँ भेदों में परस्पर संकर या ससृष्टि न हो, फिर भी “प्राधान्य से ही व्यपदेश होता है” इस म्याय से किसी विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है।^१

पंडितराज जगन्नाथ ने भी इस प्रसंग को एक स्थान पर उठाया है। वे बताते हैं कि उन काव्यों में जहाँ अर्थचित्र तथा शब्दचित्र दोनों का सांकर्य है, वहाँ तारतम्य देखकर मध्यमत्व या अधमत्व मानना होगा। दोनों के समान होने पर तो मध्यम काव्य ही मानना होगा।^२ जैसे निम्न काव्य में शब्दचित्र तथा अर्थचित्र के चमत्कार के समान होने से मध्यम काव्य ही होगा।

उल्लासः फुल्लपङ्केरुहपटलपतन्मत्तापुष्पन्धयानां
निस्तारः शोकदावानलविकलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम् ।
उत्पातस्तामसाना मुपहतमहसा चक्षुषां पक्षपात
संधातः कोपि धाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत् ॥

उदयगिरि के प्रांतभाग से कोई तेजसमूह (सूर्य) प्रकट हुआ। वह प्रफुल्लित कमलों पर गिरने वाले मस्त भौरों की खुशी (उल्लास) है। वह शोक की अग्नि से व्याकुल चक्रवाकवधुओं का रक्षक है। वह अंधकार के लिए अशुभसूचक उत्पात तथा उन आँखों के लिए सहायक (पक्षपात) है, जिनकी ज्योति दब गई है।

त्कारिर्व्यंग्यप्रतीतिस्तात्पर्यवशाद् दशाविशेषेऽनुभवसिद्धा । तस्माद्धेत्वाभासाना
तत्तत्पुरःस्फूर्तिकदूषणज्ञापितदृष्टीना दशाविशेषेषु विरुद्धत्वादिनानारूपसकर-
वदत्रापि तत्तद्व्यंग्याना स्वप्रभेदप्रतीतिदशासूक्तमादित्वस्वीकारादसकरो
ऽध्यवसेय ।

—रसप्रदीप, पृ० १७

१. यद्यपि स नास्ति कश्चिद्विषयो यत्र ध्वनिगुणीभूतव्यंग्ययोः स्वप्रभेदः
सह संकरः ससृष्टिर्वा नास्ति तथापि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति क्वचित्
केमचिद् व्यवहारः ।

—का० प्र० उ० ५ पृ०

१. यत्र च शब्दार्थचमत्करयोरैकाधिकरण्य तत्र तयोर्गुणप्रधानभावं
पर्यालोच्य यथालक्षण व्यवहर्तव्यम् । समप्राधान्ये तु मध्यमत्वैव ।

—रसगगाधर पृ० २०

पंडितराज जगन्नाथ को भौति हम भी काव्य के चार ही भेद मानते हैं, किन्तु यहाँ यह यह देना आवश्यक होगा कि पंडितराज के भेदों के उदाहरणों में हमारे लक्ष्य सेल नष्ट होयेंगे।

इसका यहाँकाज जो उदाहरण पंडितराज के मत में उत्तमोत्तम है, उसे हम उनका या मध्यम भी मान सकते हैं।

साथ ही उनका उत्तम हमारा मध्यम भी हो सकता है। हाँ, हमारा उत्तमोत्तम उनके भी मत में उत्तमोत्तम ही रहगा। जैसा कि हम देव्य सुके हैं, काव्य का वागविक सम्बन्ध हम 'रसध्वनि' में ही मानते हैं। यह मत अभिनवगुप्त तक को मान्य है। अतः काव्य की उत्तमतामता हम 'रसध्वनि' के आधार पर मानते हैं। किन्तु हम इस मत में विश्वनाथ के पदविहीन पर भी नहीं चल रहे हैं। विश्वनाथ जैसे उदाहरणों में जहाँ वस्तुध्वनि या अलंकारध्वनि है, उत्तम (हमारा उत्तमोत्तम) काव्य मानने के लिए रस का आश्रय कर लेते हैं। हम ऐसा करने से मद्दत नहीं। हम पहले पहल ध्वनिराज्य को भी दो तरह का मान बैठते हैं - एक वह जिसमें व्यञ्जक में विशेष चमत्कार है, दूसरा वह जिसमें स्वयं में विशेष चमत्कार है। मना-वैदिक सङ्गठनों में हम यह कह सकते हैं कि व्यञ्जक प्रधान ध्वनि काव्य में हृदय की अपेक्षा "तुलित्तम" की विशेष प्रधानता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वहाँ मद्दयना का अभाव है। यह या वस्तु-व्यञ्जना तथा अलंकार-व्यञ्जना में पाई जाती है। व्यंग्य प्रधान ध्वनि काव्य में 'मनस्त्व' तथा रागात्मकता की प्रधानता है। इस रागात्मकता प्रधान व्यंग्यविशिष्ट काव्य को ही हम उत्तमोत्तम काव्य मानते हैं। इसमें हम सारी 'रसध्वनि' का समावेश करते हैं।

वस्तुध्वनि तथा अलंकारध्वनि को हम दूसरी कोटि का (उत्तम) काव्य मानते हैं। पर इसमें भी प्राचीन ध्वनि पंडितों ने हमारा मत-भेद है। उन प्राचीनतमय (कविप्रौढिकनिपट तथा वस्तुप्रौढिकनिपट) वस्तु तथा अलंकारों को जहाँ व्यञ्जनात्मिकी में 'उदात्मकता' पाई जाती है, हम 'उत्तम' कोटि का काव्य नहीं मानते। जैसे "पत्रा ही निधि पादने" काटि दोहे में हम पत्रा सुके हैं कि ध्वनिराज्य वहाँ ध्वनि (पंडितराज का उत्तमोत्तम) काव्य बनेगा। साथ ही पंडितराज का 'राजध्वनि-विरह-उदात्ता' आदि पत्र उत्तम काव्य होगा। पर हम इनके इन कोटियों

में न रखकर तृतीय कोटि (मध्यम) में मानेंगे । हम यहाँ अर्थचित्र की प्रधानता मानेंगे और वह अर्थचित्र यहाँ व्यंग्य से विशेष उत्कृष्ट माना जायगा । उदाहरण के लिए नैषधीयचरित का यह श्लोक दमयन्ती की विरहावस्था की व्यंजना कराता है:—

स्मरहुताशनदीपितया तथा बहु मुहुः सरसं सरसीरुहम् ।
श्रयितुमर्धपथे कृतमन्तरा श्वसितनिर्मितमर्मरमुञ्जितम् ॥

कामाग्नि से प्रदीप्त दमयन्ती शीतलता पहुँचाने के लिए बार बार सरस कमल को वक्षःस्थल पर रखने का यत्न करती थी कि उसके श्वास की गर्मी के कारण सूख कर कमल बिलकुल मर्मर हो जाता था और वह उसे फेंक देती थी ।

यद्यपि यहाँ विप्रलंभ शृंगार व्यंग्य है, तथापि वास्तविक चमत्कार उसमें न होकर ऊहात्मक उक्ति में ही है । पाठक उस चमत्कार में ही इतना बह जाता है कि रस की तो प्रतीति ही नहीं हो पाती । अतः व्यंग्य प्रतीति के अभाव में यहाँ मध्यम काव्य ही माना जायगा । प्राचीन ध्वनिवादी इसे 'ध्वनि' काव्य मानेगा ।

द्वितीयकोटि (उत्तम) में हम वस्तुध्वनि तथा अलंकारध्वनि, जिनमें ऊहात्मकता नहीं है, तथा अर्थालंकार-भिन्न गुणीभूतव्यंग्यों को लेंगे । तृतीयकोटि (मध्यम) में समस्त अर्थालंकारमय काव्यों को तथा चतुर्थ (अधम) कोटि में शब्दाडम्बरमय काव्यों को लेंगे । प्रहेलिका या बन्धकाव्यों को हम भी काव्य नहीं मानते । हमारे मत से इन चारों कोटियों के उदाहरण निम्न होंगे ।

(१) उत्तमोत्तम —

पुर ते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दिये मग में डग द्वै ।
झलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूख गये मधुराधर वै ॥
फिर वूमति है चलनौ अत्र केतिक पर्नकुटी करियै कित ह्वै ।
तिय की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चारु चली जल च्वै ॥
(कवितावली)

(२) उत्तमः—

अंजन रंजन फीको परथौ अनुमानत नैनन नीर ढरथौ री ।
प्रात के चंद समान सखी मुख को सुखमा भर मंद परथौ री ॥

भावे सुगम निमामन पौन नै तौ अरगान को राग हज्यौ री ।
 वासरी, पीय सँदेसो न मान्यो नी नै कयो टपी पटावाँ कयो री ॥
 (सुगरिजन)

(३) काव्य —

(१) हाट भये सप्र किंगी नमै भटँ सद नाँधि ।
 गेयँ गेयँ नै धुनि उठे बहो विधा फेहि भाँधि ॥
 (जानकी)

(२) फरी विगत तेसो तउ नैव न द्वाटनु नीधु ।
 दीनै हँ यनमा चयनि पाहँ लयँ न सोचु ॥
 (विदारी)

(४) काव्य —

दुपती छपाई री दुपाईजन-सोर नू,
 दुपाई कयो सहेनाँ गौँ दुपाई ज्योँ कयनि है ।
 सुगम निरैव री या फेवकी लारे से पीर,
 फेवकी हिये मे मानकेव री जगनि है ॥

नन्दि के समक हाँवाँ निपटै समक 'गम,'
 सपर मे मावकाम मंकर-भगति है ।
 मरनी नुमन नेज सरनी सुहाई सर-
 सोरदु प्यारि सीरी नर सो लगनि है ॥
 (निगारीदास)

इस परिच्छेद को समाप्त करने के पूर्व हिन्दी साहित्य के आलोचकों का मन जान लेना होगा । हिन्दी के कई आलोचकिक काव्य का सौन्दर्य 'उत्पत्ति' में न मानकर अभिधा में ही मानते हैं । देवदास का काव्य (उदाहरण) काव्य मानते हैं —

अभिधा उदाहरण काव्य है, सध्य लघुता लीन ।
 काव्य उत्पत्ति रस कृदिल, उदाहरण कहत नवीन ॥
 (काव्यरसायन)

निगारीदास 'काव्यनिर्माण' में उत्पत्ति को ही काव्य की रसोत्पत्ति मानते हुए कहते हैं —

काव्य काव्य में काव्य नै, यनकर अभिधा ।
 यनि भादी का कहत है, उदाहरण काव्य निधा ॥

यहाँ आधुनिक हिंदी साहित्य के आचार्य पंडितप्रवर रामचंद्र शुक्ल के मत का उल्लेख कर देना आवश्यक होगा। आचार्य शुक्ल का उल्लेख न करने से इस विषय में विवेचना अधूरी रह जायगी। शुक्लजी के कुछ लेखों तथा प्रबन्धों पं० रामचंद्र शुक्ल का अवलोकन करने पर यह धारणा घनती और अभिधा है कि शुक्ल जी भी प्राचीन मीमांसकों के उत्तराधिकारी हैं। वे भी अभिधा के ही पक्षपाती हैं तथा इस बात के मानने में सहमत नहीं कि व्यंजना में काव्य है। किंतु शुक्लजी इस ढंग से व्यंजनावादियों से बचना चाहते हैं कि साँप भी मरे और लाठी भी न टूटे। वे अभिधा तथा व्यंजना का खंडन ऐसे शब्दों में करते हैं कि पहले पहल तो व्यंजनावादी उनपर शक ही नहीं कर सकता। उनका तात्पर्य यह है कि व्यंजना में काव्य मानना ठीक नहीं, क्योंकि काव्य तो वस्तुतः अभिधा तथा वाच्यार्थ में ही है, व्यंग्यार्थ में नहीं। वे इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वास्तविक रमणीयता वाच्यार्थ में ही होती है।^१ शुक्लजी के इस

१. शुक्लजी अपने इन्दौरवाले भाषण (१९२४) में “काव्य की रमणीयता किसमें रहती है ?” इस प्रश्न को सुलझाते हुए उदाहरण देते हुए कहते हैं:—

“आप अवधि वन सकूँ कहीं तो, क्या कुछ देर लगाऊँ ।

मैं अपने को आप मिटा कर, जाकर उनको लाऊँ ॥

जिसका वाच्यार्थ बहुत ही अत्युक्त, व्याहत, और बुद्धि को सर्वथा अग्राहा है। उर्मिला जब आप ही मिट जायगी तब अपने प्रिय लक्ष्मण को वन से लायेगी क्या, पर सारा रस, सारी रमणीयता, इसी व्याहत और बुद्धि के अग्राह्य वाच्यार्थ में है। इस योग्य और बुद्धिग्राह्य व्यंग्यार्थ में नहीं कि उर्मिला को अत्यन्त औत्सुक्य है, इससे स्पष्ट है कि वाच्यार्थ ही काव्य होता है, व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं।”

(इन्दौर वाला भाषण पृ० १४)

हमारे मत से इन पक्तियों में व्यंजकविशिष्ट व्यंजना है। यहाँ प्रौढोक्ति के द्वारा वस्तु की व्यंजना हो रही है न कि प्रमुख रूप से किसी रस या भाव की। यही कारण है, शुक्लजी ने यहाँ वाच्यार्थ की रमणीयता मान ली है। यहाँ वाच्यार्थ में रमणीयता न होकर व्यंजना या अभिव्यंजना शैली में

मन में इन सहमन नहीं। अभिधावादी रीतिमयी का व्यञ्जन हम कर ही पुरे है। शुक्लजी हमसे कहते हैं व्यञ्जना का महत्त्व तो है, किन्तु यह काव्य नहीं, का य तो अभिधा में ही है, वाक्यगत सौन्दर्य व्यञ्जना में न मानकर काव्य में इसका महत्त्व मानने में क्या रहस्य है? हमें तो इसमें एक रहस्य जान पड़ता है। यह है शुक्लजी के द्वारा छायावादी तथा प्राधुनिक रहस्यवादी (सां-याचिक रहस्यवादी) कवियों का विशेष। शुक्लजी इन छायावादी कवियों की कविताओं का काव्य मानने के पक्ष में नहीं थे। ही पाद में जाकर इन मन में थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ पर यह भी नहीं के परापर। ये छायावादी कविताएँ व्यञ्जना ही की आधार बनाकर बनी थीं। अतः व्यञ्जना को काव्य मानने पर शुक्लजी इनका निराकरण करते कर सके थे। इसीलिये शुक्लजी ने अभिधा का ही काव्य मानकर इन "वितंडावादी" (शुक्लजी के शब्दों में) का यों की व्यञ्जना से बचने का सख्त तरीका निकाल ही लिया। जैसे उन्होंने ध्वनिवाद तथा अग्निवस्तु के रसनिदान को मान्यता दी ही, चाहे इसमें ये कुछ नवीन मत जोड़ देते हैं। साथ ही शुक्लजी ने स्वयं भी वस्तु व्यञ्जना, अलंकार व्यञ्जना तथा रस व्यञ्जना को माना है। ऐसी दशा में शुक्लजी व्यञ्जना को तो मानते ही हैं। पर इतना होते हुए भी वाच्यार्थ में ही वाक्य मानना हीक नहीं जान पड़ता क्योंकि रस कभी भी वाच्यार्थ नहीं होता।



रसमनोहर है, और यह सभी का वाक्य है। अब कि वाच्यार्थ की प्रतीति हो जाती है। हमने इसका प्रमाण के अर्थ में वितंड (वस्तु वचन अर्थ) तथा रसवितंड (रस) को भी माने है।

सिद्धावलोकन

आशाधर भट्ट ने अपने ग्रंथ 'त्रिवेदिका' में अग्निधा, लक्षणा तथा व्यंजना की तुलना गंगा, यमुना तथा सरस्वती से की है।¹ इसी मस्य में आशाधर ने अर्थ ज्ञान के तीन प्रकार माने हैं—वाक, वाच्यार्थ, वाक्यार्थ। वाच्यार्थ ज्ञान वाक है, लक्ष्यार्थ ज्ञान वाक्यार्थ है तथा वाच्यार्थ ज्ञान वाक्यार्थ है।² इससे यह स्पष्ट है कि आलंकारियों ने वाक्य या वस्तु ही व्यंजना से ही माना है, हिन्दु व्यंजना के स्वरूप को जानने के लिए अग्निधा तथा लक्षणा का स्वरूप जानना आवश्यक है, व्यंजना यह गति है, जो अग्निधा या लक्षणा को ही आधार बनाकर सही होती है। अग्निधा के पूर्व के आलंकारियों ने व्यंजना का कोई संकेत नहीं दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि वे वाच्यार्थ या प्रतीयमान से वाच्यार्थ या ही सर्वथा निपेय करने थे। हम जाना चुके हैं कि भागद, वृष्ठी, वृद्ध या वामन ने व्यंजना का कोई संकेत नहीं दिया है। वृद्ध एवं वामन तो आलंकार्य के सम-सामयिक भी रहे हैं, पर उन्होंने व्यंजना का संकेत करना आवश्यक न समझा है। भागद, वृष्ठी तथा वृद्ध ने तो अग्निधा एवं लक्षणा का भी विचार नहीं दिया है। बीने भागद ने वाच्यार्थ के पक्ष परिच्छेद में अक्षरवाच्यता तथा अक्षरवाच्यता के अर्थ सर्वथा ही वाक्यार्थ के अर्थ ही दिए हैं। वाच्यार्थ या विचार करते समय भागद ने वाच्यार्थ के अर्थ ही दिए हैं।

1. अग्निधा अथवा अग्निधा अथवा अग्निधा ।

2. अग्निधा अथवा अग्निधा अथवा अग्निधा ।—अग्निधा १०० १

3. अग्निधा अथवा अग्निधा अथवा अग्निधा ।—अग्निधा १०० २

4. अग्निधा अथवा अग्निधा अथवा अग्निधा ।

द्रव्यक्रियाजातिगुणभेदात् ते च चतुर्विधाः ।
यदृच्छाशब्दमप्यन्ये छित्थादि प्रतिजानते ॥ (६।२१)

वामन ने काव्यालंकारसूत्र में दो स्थानों पर लक्षणा का संकेत किया है। अर्थालंकारों के प्रकरण में वक्रोक्ति का विवेचन करते समय वामन ने गौणी लक्षणा का संकेत किया है। वामन का वक्रोक्ति अलंकार न तो अन्य आलंकारिकों का वक्रोक्ति अलंकार ही है, न कुंतक की वक्रोक्ति ही जिसका संकेत हम कर आये हैं। वामन ने वक्रोक्ति अलंकार वहाँ माना है, जहाँ सादृश्यमूलक लक्षणा (गौणी लक्षणा) पाई जाती है। (सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः ।—सू० ४. ३. ८) वामन ने इसका उदाहरण यह दिया है:—‘उन्निमील कमलं सरसीना कैरवं च निमिमील मुहूर्तात्’। इस पंक्ति में नेत्र के धर्म उन्मीलन तथा निमीलन सादृश्य के आधार पर लक्षणा से कमल एवं कुमुदिनी के विकास तथा संकोच का लक्षित करते हैं। वामन ने एक दूसरे स्थान पर भी लक्षणा का संकेत किया है। काव्य में प्रयोज्य शब्दों का विचार करते समय वामन ने बताया है कि काव्य में उन्हीं लक्षणाशब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो अत्यधिक प्रचलित हैं, अन्य शब्दों का नहीं। उदाहरण के लिए ‘द्विरेफ’ तथा ‘उदर’ शब्द क्रमशः ‘अमर’ तथा ‘चक्रवाक’ के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ‘द्विक’ शब्द ‘कौवे’ के लिए बहुत कम प्रचलित है।^१

परवर्ती आचार्यों ने प्रायः वे ही शब्दशक्तियाँ मानी हैं, जिनका विवेचन हम अपने प्रबंध में कर चुके हैं। कुछ आलंकारिक प्रायः अभिधा एवं लक्षणा इन दो ही शक्तियों को मानते हैं, अन्य अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य एवं व्यंजना इन चार शक्तियों को मानते हैं। इनमें प्रथम वर्ग में ऐसे भी आलंकारिकों का समावेश किया जा सकता है, जो लक्षणा का अन्तर्भाव अभिधा में ही करते हैं तथा एक ही शब्दशक्ति—अभिधा शक्ति—मानते हैं। मुकुल भट्ट, कुंतक तथा महिमभट्ट, के संबन्ध में हम इसका संकेत कर चुके हैं। द्वितीय वर्ग के ध्वनिवादी आचार्यों में कुछ ऐसे भी हैं, जो तात्पर्य वृत्ति का अन्तर्भाव व्यंजना में ही करते हैं। प्रताप-

१. लक्षणाशब्दाश्चातिप्रयोज्याः ।०.....अनतिप्रयुक्ताश्च न प्रयोज्याः ।

स्ट्रीयकार विद्यानाथ ने तात्पर्य कृत्ति को स्वल्प मानने का संकेत किया है । ये बताते हैं कि तात्पर्यायं गुरु नहीं उन्वयार्थ ही है^१, अतः इसके लिए स्वल्प से शब्दशक्ति मानने या प्रश्न ही अभिप्रेत नहीं होगा । पञ्चावलीकार विद्याभर भी तात्पर्य कृत्ति का संकेत करते समय इसके समदृशा ज्ञान पढ़ने हैं—‘अनुयायानामर्थानां विधेयार्थपरत्वं तात्पर्यमिति व्यापारान्तरं परैरभ्युपगतम्’ ।^२ विद्यानाथ के टीकाकार कुमार स्वामी एवं उनके पिता (पञ्चावली के टीकाकार) नरिनाथ ने बताया है, कि कई विद्वान् तात्पर्य का समायेन उन्वयना में ही करते हैं । कुमार स्वामी ने तो स्वापण में यहाँ नष्ट संकेत किया है कि भ्रमण का भी तात्पर्यकृत्ति मान्य नहीं थी, तभी तो उन्होंने ‘तात्पर्यादींश्चि केपुणित्वा’ कह कर अन्यमन्त्रत्वं (केपुणित्) को व्यक्त किया है । उनमें भ्रात्र प्रकाश ने पर पण उद्भूत कर इस बात को सिद्ध किया है कि तात्पर्य, तथा शक्ति दोनों एक ही यन्त्रु के नाम हैं ।^३ पाद के लोटे लोटे आलंकारियों ने इसीलिए क्षेत्रन तीन ही कृत्तियों (शब्दशक्तियों) माने हैं ।^४

शब्दशक्तियों के विषय में भोजदेव के शृंगारप्रदान में सर्वत्र उन्वयना पाई जाती है । फलतः का मिलेपण करने समय भोज ने फल्य के उपादान (१) शब्द, (२) अर्थ, (३) तथा शब्दार्थ सादित्य के

१. तात्पर्यादीं र्दोषार्थ एव न पृथग्भूता ।—पञ्चावलीकार पृ० ४३

२. पञ्चावली पृ० ७६-७७

३. एष च सति प्राचीनार्त्तराशयानां संसर्गस्य तात्पर्यादींश्चि क्षेत्रन प्रतिपादयन् सगान्तराभिप्रायेति दृष्टव्यम् । अत एवात्र च उक्तं—
‘तात्पर्यादींश्चि केपुणित्वा’ इति । उर्ण च सुधासिधी ‘अन्वयना तात्पर्यव्यापार-
शयेन’ च अर्थे इति । विद्याधरेण ‘अभ्युपगम्’ । ‘तात्पर्यं नाम उपादानार्थं परैरभ्युपगतम्’ इति । अन्वयनादुन्वयतात्पर्यादींश्चि क्षेत्रन प्रतिपादयन् सगान्तराभिप्रायेति दृष्टव्यम् । अत एवात्र च उक्तं—

अतो अन्वयनादुन्वयतात्पर्यादींश्चि क्षेत्रन प्रतिपादयन् सगान्तराभिप्रायेति दृष्टव्यम् ।

अतएव उपादानार्थं तात्पर्यादींश्चि क्षेत्रन प्रतिपादयन् सगान्तराभिप्रायेति दृष्टव्यम् ।

—पञ्चावलीकार पृ० ७६-७७

४. क्षेत्रन क्षेत्रनिति—पञ्चावलीकार पृ० १०

क्रमशः बारह बारह भेद माने हैं। शब्द के बारह भेद निम्न हैं:— प्रकृति, प्रत्यय, उपस्कार, उपपद, प्रातिपदिक, विभक्ति, उपसर्जन, समास, पद, वाक्य, प्रकरण, प्रबंध। अर्थ के बारह भेद ये हैं:—क्रिया, काल, कारक, पुरुष, उपाधि, प्रधान, उपस्कारार्थ, प्रातिपदिकार्थ, विभक्त्यर्थ, वृत्त्यर्थ, पदार्थ, वाक्यार्थ। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द तथा अर्थ का वर्गीकरण भोज ने व्याकरण तथा मीमांसा शास्त्र से प्रभावित होकर किया है। शब्दार्थसंबंध को जिन बारह भेदों में बाँटा गया है, वे ये हैं.—

- (१) ४ केवल शक्ति:—अभिधा, विवक्षा, तात्पर्य, प्रविभाग
- (२) ४ सापेक्षशक्ति—व्यपेक्षा, सामर्थ्य, अन्वय, एकार्थीभाव
- (३) ४ अन्यभेद:—दोषहान, गुणादान, अलंकारयोग, रसावियोग^१

इन उपर्युक्त तीन कोटियों में भोजने प्रथम दो कोटियों को ही 'शक्ति' नाम से अभिहित किया है। उनमें भी परस्पर यह भेद है कि प्रथम वर्ग की चार शक्तियाँ 'केवल शक्तियाँ' हैं, द्वितीय वर्ग की 'सापेक्षशक्तियाँ'। इस प्रकार भोज के मत से ८ प्रकार की शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। हम देखते हैं कि उपर्युक्त तालिका में कहीं भी लक्षणा तथा व्यंजना का संकेत नहीं है। ऐसा क्यों? हम देखेंगे कि भोजदेव भी लक्षणा का अंतर्भाव अभिधा में ही करते हैं, तथा व्यंजना को तात्पर्य में अन्तर्भावित मानते हैं। भोजदेव की इन शक्तियों का संक्षिप्त परिचय देना अनावश्यक न होगा।

(१) अभिधा:—भोजने अभिधा में ही गौणी तथा लक्षणा (शुद्धा) का समावेश किया है। मुख्या को वे दो प्रकार की मानते हैं—तथा-भूतार्था तथा तद्भावापत्तिः। गौणी को भी दो तरह की माना गया है

१. तत्राभिधाविवक्षातात्पर्यप्रविभागव्यपेक्षासामर्थ्यान्वयैकार्थीभाव—दोषहानगुणोपादानालंकारयोगरसावियोगाख्याः शब्दार्थयोर्द्वादश सम्बन्धाः साहित्यमित्युच्यते।

गुणनिमित्ता तथा स्वकारनिमित्ता । (शुद्धा) स्वभावा यो यो वर्णो मे
घांटा तथा है—तत्राणा एव लिखितस्वरणा ।

(२) विवक्षा — विवक्षा के अंतर्गत भोज ने कवि विवक्षा ना यन्-
विवक्षा वा संकेत करने हुए इसे भी 'शक्ति' माना है । प्रमित्त
पादवाच्य आलोचक विचरुंस के मत वा संकेत करने समय हम पता
चुके है कि ये भी 'इन्टेन्शन' को अर्थ प्रतीति में एक तत्त्व मानते
हैं । विवक्षा के अनेक प्रकारों वा निर्देश अंगार प्रधान में किया गया
है । यथा अमरने संवधविवक्षा, अचेतनेषु चेतन्यविवक्षा, प्रधाने गुण-
विवक्षा, गुणे प्रधानविवक्षा, समुदाये अवयवविवक्षा, अवयव समुदाय-
विवक्षा, अभेदे भेदविवक्षा, भेदे अभेदविवक्षा, सदस्योविवक्षा, सद-
स्योत्तरविवक्षा, स्तुत्या निरुाविवक्षा, निरुा स्तुतिविवक्षा, विधिना
निषेधविवक्षा । विवक्षा इस प्रकार कुछ नहीं कवि वा यज्ञा की इन्द्रा
है, जिसकी प्रतीति वाक्य, प्रकरण, अभिनय आदि के द्वारा
होती है । इन्तानिये विवक्षा को तीन कोटियों में विभक्त किया
गया है:—

१. वाक्यादिव्यंग्या—वाक्य, स्वर या पदादि के अन्वये के जग
प्रतीत विवक्षा,
२. प्रकरणव्यंग्या—प्रकरण, अर्थ, लिंग, स्त्रीचिह्न, रेण, पाल
आदि के द्वारा प्रतीत विवक्षा,
३. अभिनयव्यंग्या—चेष्टादि के द्वारा प्रतीत विवक्षा ।

भोजयेव ने विवक्षा के साधनों में प्रायः उन्हीं मय तत्त्वों वा संकेत
किया है, जिसका उल्लेख हम अर्थव्यञ्जना के संबंध में कर आये है ।
भोजयेव ने विवक्षा के संबंध में बताया है कि विवक्षा के ही कारण कर्मी
कवि योशों की पात के लिए भी अधिक यत्नों की स्वप्ना करना है, तो
यर्मी पहलुन सौ पात की योशों से पद्यों के द्वारा ही समय बना देता है ।

कव्यविमर्शस्यैवैवर्णो पञ्चमयस्यैव रचना,

कव्यविद्वन्नु म्भारं कविपद्यस्यैवसिगम्भु ।

चगावाप्यं जगत्त कव्यविद्वि मुलागाविव भुम्भ

स्मिभि. कव्यस्यैवैवविद्वन्मसंभुम्भियनः ॥

(३) गानधर्म, — भोज ने मात्रा नामक क्षेत्र गणि के तीन भेद

माने हैं:—१, अभिधीयमान, २, प्रतीयमान, ३, ध्वनिरूप ।^१ तात्पर्य के ही अंतर्गत भोज ने ध्वनि का समावेश किया है । वे तात्पर्य को कुछ नहीं ध्वनि ही मानते हैं । इस प्रकार भोज की तात्पर्य शक्ति को ध्वनिवादियों की व्यंजना कहा जा सकता है । पर इस संबंध में थोड़ा परिवर्तन करना होगा । भोज के उक्त तीन प्रकारों में अभिधीयमान को छोड़ कर बाकी दो प्रकार ध्वनिवादी की व्यंजना ही हैं ।^२ अभिधीयमान तात्पर्य वहाँ माना गया है, जहाँ, अभिधा के पदार्थ का ज्ञान कराकर क्षीण हो जाने पर आकांक्षा, सन्निधि, योग्यता आदि के द्वारा अर्थ वाक्यार्थ का अभिधान होता है ।

२. प्रतीयमान तात्पर्य वहाँ होता है, जहाँ वाक्यार्थप्रतीति के वाद ठीक बैठता हुआ अथवा असंगत प्रतीत होता हुआ अर्थ प्रकरणादि के जिस अर्थ की प्रतीति कराता है, यह प्रतीयमान होता है । उदाहरण के लिये हम आलंकारिकों के प्रसिद्ध वाक्य 'विषं भुङ्क्ष्व मा चास्य गृहे भुङ्क्ष्व' को ले लें । यहाँ 'जहर खा लेना अच्छा है, इसके घर खाना अच्छा नहीं', यह प्रतीति वाक्यार्थ के अनुपपद्यमान (असंगत) होने पर प्रकरणादि के बल से होती है ।^३ भोज ने इसके

१ तच्च वाक्यप्रतिपाद्यं वस्तु त्रिरूपं भवति—अभिधीयमानम्, प्रतीयमानम्, ध्वनिरूप च ।

—शृंगारप्रकाश सप्तम परिच्छेद,

Raghavan : Bhoja's Srīngaraprakāsa p. 181.

२. यत्र यत् उपात्तशब्देषु मुख्यागौणीलक्षणाभिः शब्दशक्तिभिः स्वमर्थमभिधाय उपरतव्यापारेषु आकांक्षासन्निधियोग्यतादिभिः वाक्यार्थमार्थमभिधीयते तत् अभिधीयमानं यथा गौर्गच्छतीति ।

—वही पृ० १८१

३. वाक्यार्थावगतेरुत्तरकाल वाक्यार्थ उपपद्यमान. अनुपपद्यमानो अर्थ-प्रकरणौचित्यादिसहकृती (तः) यत् प्रत्याययति तत् प्रतीयमानम्, यथा 'विषं भुङ्क्ष्व मा चास्य गृहे भुङ्क्ष्व' इत्युक्ते 'वर विषं भक्षित न पुनरस्य गृहे भुक्तम्' इति प्रतीयते ।

—वही पृ० १८१

ननुभय इव प्रसार माने हैं:—विधि में निषेध, निषेध में विधि, विधि में विपर्यय, निषेध में निषेधांतर आदि । 'विधि में निषेध' का उदाहरण 'भ्रम धार्मिक विग्रह' इत्यादि वाक्या हैं । विधि में विपर्यय का उदाहरण निम्न है—

धनतन्मा ह्यरात्रिः पत्रा प्रोषिता पतिः गृहं जन्मन ।
 तथा आगृहि प्रविशेति न तथा परं सुप्रभातम् ॥
 (दण्डवत्पत्नी ह्यरात्रं स्वप्न पश्यति पतिं परं सुप्रभातम् ।
 नत उदयतस्तस्मै स्वप्नपत्न्य उवाच न मे सुमित्तमानो ॥)

यहां स्वप्नपूर्वी या पद्योत्तरी के प्रति यह विधि अनिषेध ही है कि 'तब तक तने रहना कि हमारे घर चोरी न हो जाय' ? इन विधि में यह विपर्ययत्व पर्यायमान नास्वर्ग (नास्वर्ग शक्ति) में प्रतीत होता है कि पनि विदेश गया है, घर सूना है, रात खोखरी है, पत्नी निषेध होकर मेरे पास चले जाना ।

स्वप्न ही, इन स्थलों में ध्वनिपाठी नास्वर्गार्थ न मानकर स्वप्नार्थ ही मानना चाहेंगा, तथा उसे इनमें नास्वर्ग व्यापार के स्थान पर स्वप्नना व्यापार ही अभिमत है ।

(६) ध्वनिरूप — ध्वनिरूप नास्वर्ग के भी भोजन में अलग प्रकार माने हैं पर मोटे तौर पर इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है—
 अर्थध्वनि तथा शब्दध्वनि । अर्थ ध्वनि तथा शब्दध्वनि पुनः दो तरह की होती हैं, अनुनास्यध्वनिरूप तथा प्रतिस्रावध्वनिरूप ।

(५) अनुनास्यध्वनिरूप अर्थध्वनि नास्वर्गः—जहाँ अर्थध्वनिमान वाक्यार्थ में अनुस्यूत होकर ही हमारे अर्थ की शक्ति इसी तरह की प्रतीति हो, जैसे मूक पक्षी के चिलने पर हमारा अनुनास्य मनाई देना है, यहाँ अनुनास्य ध्वनिरूप नास्वर्ग होता है । भोजन में इसका उदाहरण निम्न पद्य दिया है—

शिवरिचिः क्व तु नाम किञ्चिच्चरं विमनिधानमनापस्त्रोचय ।
 तस्मिन् येन पदाभ्युपाटनं दशमि विषयं सुरतापक ॥

यहाँ हम पद का अभिधीयमान नास्वर्ग यह है कि जागृता का अर्थ विद्वत्पद के समान अस्मत् ही तथा हमारे समान विद्वत्पद के समान जागृता ही भी स्वीकार्यता की है, इसमें शिव का नास्वर्गमान अनुमान ध्वनि होता है । यह नास्वर्गमान अनुमान अर्थध्वनिमान वाक्य में शक्ति-व्यपार में ही प्रतीत होता है, पत्र अनुनास्य ध्वनि है ।

(२) प्रतिशब्दध्वनि—जहाँ अभिधीयमान वाक्यार्थ से अन्य अर्थ सर्वथा पृथक् रूप में प्रतीत हो, जैसे गुफा आदि का प्रतिशब्द शब्द से सर्वथा भिन्न रूप में प्रतीत होता है, वहाँ प्रतिशब्दध्वनि होती है। इसके उदाहरणों में भोज ने 'कस्स ए वा होइ रोसो' इत्यादि गाथा को भी उद्धृत किया है। इस गाथा में अभिधीयमान तात्पर्य सखी का उपालंभ है, किंतु यह नायिका के पति की ईर्ष्या को शांत करने के लिए यह प्रतीति कराता है कि इसके अधर का खडन भौरे ने किया है, उपपत्ति ने नहीं। इससे सखी की चतुरता ध्वनित होती है। यह तात्पर्य अन्य व्यक्ति (सहृदय) के ही हृदय में ध्वनित होता है, अतः यहाँ प्रतिशब्दध्वनि है।

(३) अनुनादध्वनिरूप शब्दध्वनिः—शब्दध्वनि के भी उपर्युक्त दो भेद किये जाते हैं। अनुनादध्वनिरूप शब्दध्वनि का उदाहरण निम्न है:—

‘कल्याणं वः क्रियासुः किसलयरुचयस्ते करा भास्करस्य ।’

यहाँ ‘कर’ शब्द के दो अर्थ हैं ‘हाथ, किरणों’। यह अर्थद्वय ‘किसलयरुचयः’ विशेषण के द्वारा पुष्ट होकर सूर्य की तेजोरूपता तथा पुरुषरूपता को ध्वनित करता है। इस प्रकार यहाँ ‘हस्त’ शब्द वाला अर्थ तथा सूर्य के उभयरूप की प्रतीति अनुनादरूप ही है, क्योंकि वे इस वाक्य के ‘कर’ शब्द से प्रतीत होते हैं।

(४) प्रतिशब्दध्वनिरूप शब्दध्वनिः—इसका उदाहरण ‘दत्तानन्दाः प्रजानां’ आदि पद्य दिया गया है। यहाँ ‘गो’ शब्द का अभिधीयमान तात्पर्य ‘किरणों’ में ही है, किंतु यह शब्द शब्दशक्ति के स्वभाव के कारण तथा तुल्यविशेषणों (‘दत्तानन्दाः’ आदि) के कारण ‘धेनु’ रूप तात्पर्य का प्रतिशब्द उत्पन्न करता है। इसी से पुनः किरणों तथा गायों की विशिष्टता ध्वनित होती है।^१

भोजदेव के ध्वनिसंबंधी मत का विशेष विवेचन हम इस प्रबंध के द्वितीय भाग में यथावसर करेंगे।

१ भोजदेव के इस वर्गीकरण के लिये देखिए:—

कर बाकी सारी शक्तियों का अन्तर्भाव तात्पर्य वृत्ति में ही हो जाता है। भोज की विवक्षा, प्रविभाग, व्यपेक्षा, सामर्थ्य, अन्वय, एकार्थीभाव की कल्पना निरर्गल है। इस तरह तो शब्दशक्तियाँ और भी कल्पित की जा सकेंगी। वस्तुतः ये तात्पर्यवृत्ति के ही अंग हैं। मोटे तौर पर भोज की अभिधा तथा तात्पर्य ये दो शब्दसंबंध शक्तियाँ ही तत्त्वतः शक्तियाँ कही जा सकती हैं, पहली में ध्वनिवादियों की अभिधा तथा लक्षणा दोनों का समावेश हो जाता है, तथा तात्पर्य में ध्वनिवादियों की तात्पर्य वृत्ति तथा व्यंजना दोनों का समावेश हो जाता है। हमें ऐसा जँचता है कि भोज का मंतव्य तो इन दो शक्तियों को मानने से भी सिद्ध हो सकता था।

ध्वनि या व्यंग्यार्थ को भोजदेव ने तात्पर्य से सर्वथा भिन्न नहीं माना है। वे कहते हैं कि तात्पर्य को ही काव्य में ध्वनि कहा जाता है। जिस अर्थ (वाक्यार्थ) को हम साधारण लौकिक वाक्य में तात्पर्य कहते हैं, वही काव्य में ध्वनि कहलाता है।

तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये

सौभाग्यमेव गुणसंपदि वल्लभस्य ।

लावण्यमेव वपुषि स्वदतेऽङ्गनाया

शृंगार एव हृदि मानवतो जनस्य ॥^१

इस सारे विवेचन से स्पष्ट है कि,

- (१) कुछ विद्वान् केवल अभिधा शक्ति ही मानते हैं।
- (२) कुछ विद्वान् अभिधा एव लक्षणा दो ही शक्तियाँ मानते हैं।
- (३) तीसरे लोग अभिधा, लक्षणा एवं तात्पर्य ये तीन शक्तियाँ मानते हैं।
- (४) चौथे लोग अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य तथा व्यंजना ये चार शक्तियाँ मानते हैं।
- (५) पाँचवे अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना ये तीन ही शक्तियाँ मानते हैं।
- (६) भोजदेव ने आठ शब्दशक्तियाँ मानी हैं, पर सूक्ष्म विवेचन

रसगंगाधर में रूपक अलंकार का विचार करते हुए वे रत्नाकरकार के मत की मीमांसा कर इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य अलंकारों (स्मरण आदि) की तरह यहाँ भी सादृश्य संबंध में ही अलंकार मानना ठीक होगा।^१

यद्यपि ध्वनिवादियों से पूर्व के आचार्यों ने व्यञ्जना जैसी शक्ति का कोई संकेत नहीं किया, तथापि वे काव्य में ऐसे अर्थ का सदा संकेत करते रहे हैं, जो वाच्य या लक्ष्य अर्थ से भिन्न है। अर्थात् वे गम्य, प्रतीयमान या व्यंग्य अर्थ की सत्ता का निषेध कभी नहीं करते। भामह के काव्यालंकार में ही गम्य या प्रतीयमान अर्थ का संकेत मिलता है। उपमा अलंकार के एक भेद प्रतिवस्तूपमा का लक्षण (२, ३४) निबद्ध करते समय भामह ने 'गुणसाम्यप्रतीतिः' पद का प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ 'यथा, इव' आदि के प्रयोग के बिना ही गुणसाम्य की प्रतीति (व्यञ्जना) हो, वहाँ प्रतिवस्तूपमा होती है। इस प्रकार भामह प्रतिवस्तूपमा के 'गम्यौपम्य' का निर्देश करते हैं। इसके आगे समासोक्ति (२, ७९) के प्रकरण में भी भामह ने अन्य अर्थ की प्रतीति का संकेत किया है। समासोक्ति के लक्षण में प्रयुक्त 'यत्रोक्ते गम्यतेऽन्योऽर्थः' (२, ७९) में भामह ने 'अन्य अर्थ की प्रतीति' के द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान अर्थ को स्पष्ट स्वीकार किया है। इसी तरह पर्यायोक्त अलंकार के प्रकरण में भी भामह ने बताया है कि पर्यायोक्त वहाँ होता है, जहाँ किसी अन्य (वाच्यवाचक वृत्ति से भिन्न) प्रकार के द्वारा अभीष्ट अर्थ का अभिधान किया जाय।^२ इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यायोक्त में भी प्रयुक्तपदों से वाच्येतर (गम्य) अर्थ की प्रतीति का निर्देश करना भामह को अभीष्ट है।

१. सादृश्यप्रयुक्त, सवधांतरप्रयुक्तो वा यावान्भिन्नयोः सामानाधिकरण्य-निर्देश, स सर्वोऽपि रूपकम् । "तस्मात् दुराग्रह एवाय प्राचाम्—उपमानो-पमेययोरभेदो रूपकम्, न तु कार्यकारणयोः" इति रत्नाकरेणोक्तम्, तत्र ।... तत्र यदि सादृश्यामूलकस्यापि कार्यकारणादिकयो कल्पितस्य ताद्रूप्यस्य रूप-कत्वमभ्युपेयते तदा सादृश्यामूलकस्य चित्तादिमूलस्य स्मरणभ्याप्यलंकारस्य मभ्युपेयताम् ।

—रसगंगाधर पृ० २९८

२. पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते ।

—काव्यालंकार ३, ८

दृष्टी ने भी 'संज्ञार्थ' का संकेत कुछ भावों पर किया है। 'अज्ञाना' नामक गुण के प्रथम ने दृष्टी ने बताया है कि जिना यदि के द्वारा अर्थव्ययान गुण की प्रतीति (संज्ञना) होनेपर 'अज्ञाना' गुण होता है।^१ यहाँ 'प्रतीतिने' पर स्वष्ट 'अज्ञाने' का संकेत बताया है। अज्ञान अज्ञान के प्रथम में तो दृष्टी ने 'अज्ञाने' पर का स्वष्ट प्रयोग किया है।^२ इसके अतिरिक्त अन्य भावों पर भी दृष्टी ने 'मान्यप्रतीति' (२, ५६), प्रतीयमान साहचर्य (२, १८९), सूचन (२, २६५), प्रकाशात् आनयान (२, २५५) वही के द्वारा 'संज्ञार्थ' की सजा माना है।

दृष्ट ने 'संज्ञार्थ' का स्वष्ट संकेत मिलता है। दृष्ट ने अज्ञान-लोकप्रकार आनन्दवर्धन के सनमास्यिक भी है। साथ ही उस सजा-भाव, भाव, भावभावमात्रि साह प्रथम के अस्मत्-स्वरूप अर्थ का संकेत भी करने है। जैसे स्वच्छना या अग्नि को दृष्ट ने नहीं माना है, न उसका संकेत ही किया है। पर पर्यायान्त के प्रथम ने दृष्ट ने आनयानक गुण ने अज्ञान 'अज्ञान' (अज्ञान) रूप अज्ञान प्रथम का संकेत अज्ञान किया है।^३ यह अज्ञान प्रथम एक ही 'अज्ञानता' ही है।

दृष्ट के आनयान्वार ने भी 'संज्ञार्थ' से अज्ञान अर्थ का संकेत मिलता है। दृष्ट ने अपने आनयान्वारि के अज्ञानाने में 'भाव' नामक अज्ञान माना है। भाव नामक अज्ञान एक नही, अज्ञानान्वारियों की पर्यायान्त तथा सुतीभूत अज्ञान है। दृष्ट भाव के से संकेत मानने है:—

(४) जो किसी अज्ञानान्वारि (अज्ञानान्वारि) के द्वारा किसी अज्ञान से ही किया (अज्ञानान्वारि) अज्ञान होता है तथा उस

१. अज्ञानान्वारि गुण अज्ञान अज्ञानान्वारि पर संकेत।

— २, ५६, १, ५३

२. अज्ञानान्वारि अज्ञानान्वारि अज्ञान।

अज्ञान अज्ञान के अज्ञानान्वारि अज्ञान। — २, १८९, १, ६३

३. अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान।

अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान। — २, २५५, १, ३३

विकार तथा विकार हेतु के द्वारा उस व्यक्ति के किसी अभिप्राय का पता लगता है, वहाँ भाव अलंकार होता है ।^१

इसका उदाहरण रुद्रट ने 'ग्रामतरुणं तरुण्या' आदि आर्या दी है । यहाँ नायिका संकेत स्थल से निराश लौटते उपपत्ति के हाथ में वजुलमंजरी देखकर मलिन हो जाती है, इसको देखकर सहृदय को उसके अभिप्राय का पता चल जाता है । अतः यहाँ प्रथम भाव है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी की चेष्टा से काव्यगत व्यंग्यार्थ प्रतीति में रुद्रट भाव नामक अलंकार मानते हैं । रुद्रट का 'विकार' शब्द 'चेष्टा' के लिए प्रयुक्त समझना विशेष ठीक होगा ।

(२) दूसरा भाव वहाँ माना गया है, जहाँ वाच्यार्थ ही अपने आप वक्ता के अभिप्राय रूप ऐसे अन्य अर्थ (गम्य अर्थ) की प्रतीति कराता है, जो वाच्यार्थ के गुण दोषों (विधिनिषेधादि) से भिन्न गुण दोषों वाला हो ।^२

इसका उदाहरण निम्न है:—

एकाकिनी यदब्रता तरुणी तथाह
मस्मिन् गृहे गृहपतिश्च गतो विदेशम् ।

किं याचसे तदिह वासमय वराकी
श्चश्रूर्मेमाधत्रधिरा ननु मूढ पान्थ ॥

यहाँ स्वयंदूती पथिक से रातको यहीं टिकने को कह रही है । इस प्रकार यह अर्थांतर वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भामह, दण्डी, उद्भट तथा रुद्रट ने व्यंग्यार्थ का सर्वथा निषेध नहीं किया है । वे इसे किसी न किसी रूप में अवश्य मानते हैं, किंतु व्यंजना तथा ध्वनि के रूप में इस अर्थ की सत्ता मानना उन्हें अभीष्ट नहीं । इसीसे कुछ लोगों को यह आंति

१. यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिबन्धेन हेतुना येन ।

गमयति तदभिप्राय तत्प्रतिबन्ध च भावोऽसौ ॥

काव्यालंकार ७. ३८

२. अभिधेयमभिधीयमान तदेव तदसदृशसकलगुणदोषम् ।

अर्थांतरमवगमयति यद्वाक्य सोऽपरो भावः ॥—वही ७, ४०

आदि में अन्तर्भावित करते हैं। आनन्द ने ध्वनि या प्रतीयमान अर्थ के विरोधियों को तीन दलों में बाँटा है:—

(१) अभाववादी—इन लोगों के मत से शब्द संकेतित अर्थ का ही प्रतिपादक है, अतः व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न नहीं है। इन अभाववादियों के दो दलों का संकेत ध्वन्यालोक में मिलता है:—एक वे जो व्यंग्यार्थ की सत्ता का ही सर्वथा निषेध करते हैं, दूसरे वे अभाववादी जो व्यंग्यार्थ चमत्कार को मानते तो हैं, किंतु उसका समावेश अलंकारों में ही करते हैं। कहना न होगा कि उद्भटादि इसी दूसरे अभाववादी मत के मानने वाले हैं, जो व्यंग्यार्थ या ध्वनि का सर्वथा निषेध नहीं करते। इस प्रकार इन्हें अभाववादी न कहकर अन्तर्भाववादी कहा जाता है।

(२) भक्तिवादी—ये लोग ध्वनि या व्यंग्यार्थ का समावेश लक्षणा में करते हैं, तथा उसे भाक्त मानते हैं।

(३) अनिर्वचनीयतावादी—इन लोगों के मत से काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती तो है, किंतु वह अनिर्वचनीय है।^१

अलंकारसर्वस्व के टीकाकार जयरथ ने तो ध्वनि या व्यंग्यार्थ के धारह विरोधी मतों का संकेत किया है:—(१) तात्पर्यवादी, (२) अभिधावादी, (३-४) दो लक्षणाएँ—जहत्स्वार्था तथा अजहत्स्वार्था, (५-६) दो अनुमान—स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान, (७) अर्थापत्ति प्रमाण, (८) तंत्र या श्लेषालङ्कार, (९) समासोक्ति या अन्य-अलंकार, (१०) रसकार्यता—रस को व्यंग्य न मानकर विभावादि का कार्य मानना, भट्ट लोल्लटादि का मत, (११) भोग—भट्ट नायक की रससंबन्धी धारणा, (१२) व्यापारान्तरबाधन या अनिर्वचनीयतावाद।^२

१ तत्र समापेक्षेण शब्दोऽर्थप्रतिपादक इति कृत्वा वाच्यव्यतिरिक्त नास्ति व्यग्रम् । सद्यपि वा तदभिधाक्षिप्त शब्दावगत-अर्थबलाकृष्टत्वाद् भाक्तम् । तदनाक्षिप्तमपि वा न वक्तुं शक्यं कुमारीष्विव भर्तृसुन्नमतद्विरसु इति त्रय एवैते प्रधानविप्रतिपत्तिप्रकाराः । —लोचन पृ० १४

२ तदेव यद्यपि 'तात्पर्यशक्तिरभिधालक्षणानुमिति द्विधा । अर्थापत्तिः कचित्तन्त्रं समासोक्त्याद्यलङ्कृति ॥ रसस्य कार्यता भोगो व्यापारान्तरबाधनम् । द्वादशैतद्य ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तय ॥' इति नीत्या बहवो विप्रतिपत्ति-प्रकाराः सभवन्ति, तथापि 'काव्यस्यात्मा ••तत्त्वमूचुस्तदीय' इत्युक्तनीत्यैव ध्वनेर्विप्रतिपत्तिप्रकारग्रयमिह प्राधान्येनोक्तम् । —विमर्शिनी पृ० ११

ने पुनः तीन तीन तरह का माना है:—(१) सिद्धालक्षणा—जहाँ उद्देश्य वाचक पद में लक्षणा हो, (२) साध्या लक्षणा—जहाँ विधेयवाचक पद में लक्षणा हो, (३) साध्यांग लक्षणा—जहाँ विधेय के संबन्ध-बोधक पद में लक्षणा हो।^१ इसके बाद प्रयोजनवती लक्षणा के स्फुट-प्रयोजना तथा अस्फुटप्रयोजना ये दो भेद किये गये हैं, जो मम्मट के अगूढव्यंग्या तथा गूढव्यंग्या नामक भेद हैं। इसके बाद चद्रालोककार ने अन्य लक्षणा भेदों का विवरण दिया है। दशम मयूख में अभिधा का विचार करते समय जयदेव ने छ प्रकार की अभिधा मानी है—जाति, गुण, क्रिया, वस्तुयोग, संज्ञा तथा निर्देश। द्वितीय परिच्छेद में हम वैयाकरणों का संकेतग्रह संबंधी मत उद्धृत कर चुके हैं। उक्त छ प्रकारों में वस्तुयोग तथा निर्देश वाले भेद जयदेव की नई कल्पना है, संज्ञा यदृच्छा का ही दूसरा नाम है। वस्तुयोग वाली अभिधा वहाँ मानी गई है, जहाँ किसी वस्तु से संबद्ध वस्तु का संकेतग्रह हो, जैसे 'दण्डी' शब्द में हम दण्ड से संबद्ध व्यक्ति का संकेतग्रह करते हैं। निर्देश शब्द वहाँ माने जाते हैं, जहाँ शब्द या वर्णादि के द्वारा वस्तु का संकेत किया जाय। ऐसे पदों में जयदेव ने निर्देश अभिधा मानी है। उदाहरण के लिए—'हिरण्यपूर्व कशिपु' 'देवपूर्व गिरि' इन निर्देशों के द्वारा हम 'हिरण्यकशिपु' तथा 'देवगिरि' अर्थ का ग्रहण निर्देश के द्वारा ही करते हैं।^२

शब्दशक्ति को 'वृत्ति' तथा 'व्यापार' के नाम से भी अभिहित किया जाता है। मम्मट का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है—'शब्दव्यापारविचार,' जिसमें मम्मटाचार्य ने शब्दशक्ति को शब्दव्यापार ही कहा है। व्यापार वाली धारणा मानने पर इस संबंध में अन्य तीन व्यापारों का भी संकेत कर दिया जाय, जिनकी कल्पना अन्य आलंकारिकों में मिलती है। ये तीन व्यापार हैं—भावकत्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार एवं रसनव्यापार। इन तीनों व्यापारों को उक्त अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य,

१ लक्षणीयस्य शब्दस्य मीलनामीलनाद् द्विधा ।

लक्षणा सा त्रिधा सिद्धसाध्यसाध्यागभेदतः ॥ —वही ९, २

२ जात्या गुणेन क्रियया वस्तुयोगेन संज्ञया ।

निर्देशेन तथा प्राहुः षड्विधामभिधां पुनः ॥ —वही १०, २

तथा अंजना नामक चार व्यापारों के साथ 'मोक्षरत्न' ग्रन्थ में मन्त्र-
व्यापार की संख्या चार मानना पाठिसे, सिद्ध था कि समीचीन मन्त्र ।
भावकत्व, भोजकत्व (भोगकत्व) तथा स्मृतकत्व व्यापार परमेश्वर
भक्तव्यापार नहीं है किन्तु इनके विवेचन से स्पष्ट हो जायगा ।
भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कल्पना भट्टनाथक ने
स्मृतिव्यति के संबंध में की है तथा स्मृतकत्व व्यापार का संबंध उनके
विद्ययाथ प्रतिपत्त के साहित्यदर्पण में किया है ।

भट्टनाथक ने इस विधान का विवेचन करते समय विनाशक तथा
रस में परमेश्वर 'मोक्षरत्नोक्तभावसंबंध' माना है । अतः ये प्रसिद्ध
मन्त्र 'विनाशानुभावर्यामन्त्रसंयोगादभिवर्तना' के 'विनाशिनः'
मन्त्र का भट्टनाथक ने 'भुक्ति' अथ किया है । भट्टनाथक अविनाश-
कारी थे, किंतु का व्यापार के संबंध में उन्होंने अविनाश व्यापार के
अविनाशक ही अन्य व्यापारों की कल्पना की थी । इन का व्यापारों को
हो वे भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्वव्यापार करने हैं । उपर हम
पाठ्यनाटकादि का अनुशीलन करने हैं तो सर्वप्रथम पाठ्यशास्त्र का
अविनाश के द्वारा पाठ्याथ प्रहण होता है । मन्त्रकत्व भावकत्व व्यापार
के द्वारा रामादि पाथ साधारणीकृत हो जाते हैं तथा महद्वय परिपक्व-
रामादि पाथों का अनुभव करने समय उनके साथ अपनी भावना
सहित प्रकृत होते हैं । इसके बाद भोगकत्व (भोजकत्व) व्यापार के
द्वारा सामाजिक के अंश के उत्तोगुण तथा तमोगुण अथ जाते हैं तथा
स्वयं गुण का उत्पन्न होता है । यही स्वयं गुण का उत्पन्न स्मृतिव्यति
करता है । भट्टनाथक के द्वारा कथित इन दो व्यापारों की प्रमा-
निकता में अविनाशगुण में अतिरिक्त है । वे कथते हैं कि भट्टनाथक के
व्यापारकत्व का कोई नान्वय प्रमाण नहीं है । भट्टनाथक तथा उसके
मन्त्र के महद्वय पर अविनाश विचार करना यहाँ अपायक नहीं
होना । उनका विवेचन हम इस प्रथम ही शिरोधार्य नाम में करके अन्त
पर अविनाश के संबंध में करेंगे ।

१. तथा मन्त्रव्यापार परमेश्वर, मन्त्र, मन्त्र, मन्त्र, मन्त्र । भोगकत्व
मन्त्रव्यापार, मन्त्रव्यापार, मन्त्रव्यापार ।—

(अविनाशक के द्वारा मन्त्रकत्व परमेश्वर का अन्वय) अन्वय, मन्त्र, मन्त्र

विश्वनाथ कविराज ने साहित्यदर्पण में दो स्थलों पर रसनाख्य व्यापार का जिक्र किया है। इसे ही वे 'स्वादनाख्य व्यापार' भी कहते हैं।^१ विश्वनाथ कविराज का यह रसनाख्य व्यापार व्यंजना का ही दूसरा नाम है। वे स्वयं बताते हैं कि रसनिष्पत्ति के संबंध में हम लोगों ने इस व्यापार की कल्पना इसलिये की है कि रस अभिधादि शब्दव्यापारों के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता। अतः रस को अभिधादि से भिन्न व्यापार सिद्ध करने के लिये ही हमने रसादि को व्यंग्य कहा है।^२ व्यंजना तथा रसनाख्य व्यापार में वस्तुतः देखा जाय तो कोई अंतर नहीं है। यदि कोई अंतर माना जा सकता है, तो यही कि व्यंजना शक्ति के द्वारा वस्तु तथा अलंकार रूप अर्थ की व्यंजना होती है, रसनाख्य व्यापार के द्वारा केवल रस रूप अर्थ की ही प्रतीति होती है। जो लोग व्यंजना शक्ति के द्वारा रसवस्त्वलंकाररूप त्रिविध अर्थ की प्रतीति मानते हैं, उनके लिए रसनाख्य व्यापार को मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यंजना को स्वीकार न करने वाले कुछ विद्वान् रसनिष्पत्ति के लिए इस व्यापार की कल्पना करते हैं। विश्वनाथ ने इसीलिये इसे दूसरों (परे) का ही मत बताया है। वे बताते हैं कि 'विद्वान् आलंकारिक इसी को व्यंजना वृत्ति कहते हैं। अन्य विद्वान् रसनिष्पत्ति में रसनाख्य वृत्ति की कल्पना करते हैं।'^३ यह मत किन लोगों का था, इसका कोई सकेत विश्वनाथ में नहीं मिलता। विश्वनाथ के एक आधुनिक टीकाकार का कहना है कि यह मत आलंकारिकों का न होकर किन्हीं नैयायिकों का है। यह मत जगदीश में नहीं मिलता क्योंकि हम देख चुके हैं कि वे व्यंजना का अंतर्भाव मानस बोध में करते हैं और इस तरह उनके मत में रसनिष्पत्ति भी मानस बोध में ही आ जाती है।

×

×

×

१. विलक्षण एवाय कृत्तिज्ञसिमेदेभ्यः स्वादनाख्य कश्चिद्व्यापारः ।

—साहित्यदर्पण पृ० १०६

२ अभिधादिविलक्षणव्यापारमात्रप्रसाधनग्रहिलैरस्माभी रसादीनां व्यंग्यत्वयुक्त भवतीति ।

—वही पृ० १०६

३ सा चेय व्यंजना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः ।

रसव्यक्तौ पुनर्वृत्तिं रसनाख्या परे विदुः ॥

वही ५, ५, पृ० ४३६

द्वितीया काव्यशास्त्रे व्याख्यानं

द्वितीया काव्यशास्त्रे के अलंकारियों ने काव्यमणि के संबंध में कोई विशेष विचार नहीं किया है। केवलमान ने होकर या* के द्वितीया अलंकारियों ने अविचार अलंकार, रस तथा नायक नायिका भेद पर ही अपने विचार प्रकट किये हैं। काव्य के अन्य चरनों पर कतिपय प्रयोगों में जो कुछ प्रतिपादन मिलता है, यह प्रायः अस्मट्ट के काव्यप्रकाश में ही प्रभावित है। संस्कृत के अलंकारप्रयोगों में अविचारप्रतिपादन ही उदात्तता कष्टिनाशक होती है, उसका द्वितीया के अलंकार प्रयोगों में उदाहरण है। इसके ही कारण है, प्रथम तो द्वितीया के अलंकारियों ने अविचारानुसृतः कवि हैं, आचार्य नहीं, दूसरे इस समय तक गद्य का विकास भी नहीं हुआ था। उन्होंने संस्कृत के साहित्यशास्त्रीय सिद्धांतों को अपने काव्योपदेश पर लिया है, उनमें कोई नवीन उदाहरण परने की शक्त नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ पढ़ी द्वितीया अलंकारियों में कुछ मौलिक उदाहरण पताई जाते हैं, जसका संबंध भी किसी संस्कृत अलंकारिक में नहीं जा सकता है। अस्मट्ट के विषय, नेत्र ने 'दाम' नामक शीर्षक-संबंधे लक्ष्मी भाव को माना है, किंतु यहाँ 'दाम' की प्रकृति न ही शर आनुसृत की प्रकृति है, जिसका संबंध 'समस्तविशी' में मिलता है। इसी तरह भूपला में 'भावित्वा' नामक एक अन्य अलंकार का संज्ञेय किया है, जहाँ 'दाम' की कृष्टि में अस्मट्ट का अनुसृत (अनुसृत) रूप में वर्णन किया गया है। यह अनुसृत नवीन प्रकृति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संस्कृत के यह अलंकारियों ने 'भावित्वा' अलंकार में अलंकार तथा अस्मट्ट विप्रकृष्टता से ही भेद माने हैं। जो भावना अस्मट्ट के अलंकार उदाहरण तथा अस्मट्ट की अस्मट्टियों में इसका अस्मट्ट संज्ञेय मिलता है। अस्मट्ट ही द्वितीया अलंकारियों के अस्मट्ट संज्ञेय विवेचन पर लागू होता है।

१. अस्मट्ट काव्यशास्त्रे द्वितीया अलंकार का उदाहरण १०० २३५.
 २. अस्मट्ट काव्यशास्त्रे (अलंकारिक) १०० २३५.
 ३. अस्मट्ट काव्यशास्त्रे अस्मट्ट का उदाहरण अस्मट्टिका १०० २३५.
 (अस्मट्ट ही) अस्मट्ट का उदाहरण अस्मट्टिका १०० २३५.
 अस्मट्ट का उदाहरण अस्मट्टिका १०० २३५.
 — विद्यालोक १०० २३५

हिंदी के रीतिकालीन लक्षण ग्रन्थों में एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो केवल शब्दशक्ति को ही लेकर लिखा गया हो। वैसे प्रतापसाहि की 'व्यंग्यार्थकौमुदी' तथा बूंदी के कविराव गुलाबसिंह जी की 'बृहद्-व्यंग्यार्थ चन्द्रिका', ये दो ग्रंथ ऐसे हैं, जिनके नाम से ऐसा अनुमान होने की संभावना है कि इनमें शब्दशक्ति संबंधी विचार होगा। किंतु ये दोनों ग्रंथ शब्दशक्ति से सीधा संबंध नहीं रखते। प्रतापसाहि की 'कौमुदी' तथा गुलाबसिंह की 'चन्द्रिका' दोनों में ही अभिधा तथा लक्षणा का कोई विचार नहीं किया गया है। साथ ही व्यञ्जना का भी कोई सैद्धांतिक विवेचन नहीं मिलता। वस्तुतः ये दोनों ग्रंथ ध्वनि काव्य या व्यञ्जना के नाना प्रकार के उदाहरणों के संग्रह भर हैं। प्रतापसाहि ने ग्रंथ के आरंभ में अवश्य ध्वनि या उत्तम काव्य का संकेत किया है।

बिग जीव है कवित में सव्द अर्थ गति अंग ।

सोई उत्तम काव्य है बरनै बिग प्रसंग ॥

(व्यंग्यार्थ कौमुदी)

इसी उत्तम काव्य के जीवातुभूत 'बिगारथ' (व्यंग्यार्थ) को स्पष्ट करने के लिए प्रतापसाहि ने 'व्यंग्यार्थ कौमुदी' की रचना की है। इसमें मुख्यतः नायिका भेद का प्रपंच उदाहरणों के द्वारा उपन्यस्त किया गया है। प्रत्येक उदाहरण को लेकर बाद में उसमें अभीष्ट व्यंग्यार्थ, उसमें संकेतित नायिका तथा अलंकार का वर्णन किया गया है। इसका संकेत स्वयं प्रतापसाहि ने ही यों किया है —

कहीं बिग ते नाइका पुनि लच्छना बिचार ।

ता पाछे बरनन करौ अलंकार निरधार ॥

(व्यंग्यार्थ कौमुदी)

आचार्य शुक्ल ने प्रतापसाहि के इन उदाहरणों के विषय में अपना मतव्य प्रकट करते हुए कहा है कि "साहित्यमर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तुव्यंजना के ही होंगे। वस्तुव्यंजना को बहुत दूर घसीटने पर बड़े चक्करदार उहापोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ि के आभास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रसादि के

मय अंगो मया निज निज सँभे तवमानो का अन्वयान न करये धामे को
 लिये गेने पत्र पसेनी ही समझिये ॥”

परिभाष मुन्नापरिह की 'मरुद् संवन्धार्थ' का 'द्वय' प्रतापमादि की
 ही नरप पर प्रताप मरुद् जान पाती है । ये मुँहों के नाम राधा समझिए
 तथा मधुवीरमिह के दरदारी कवि थे । इस संघ ने भी उगाहणों के
 द्वारा इन्होंने नायिकाभेद, संवन्धार्थ तथा अलंकारों को मरुद् किया
 है । पहले नायिका के मधु भेद का अन्वय है, जिस प्रकार उगाहण के
 पत्र पर होने से इस उगाहण के संवन्धार्थ, नायिका तथा अलंकार को
 मरुद् किया गया है । अर्थात्,

“सुखाकट कुबला यही पुनः सोचन पाय ।

प्रगल्भपचना अष्टवचन भाषि तु येव दशाय ॥ (लक्षण)

अथ आरुद्रोचनो वदाहरन ॥ सर्वथा ॥

आज लगी एक सोचमुच कनि कुबल से रूप ही कवि जेना ।

हैं नहि कवक की मन भी उति आनन सी सति थी मुनि हैं ना ।

गोन कपोल अमोल मनोहर पोरन प्रान मुच मन पैना ।

कजन नजन संजन मंजन हैं मन रंजन मंजन मैना ॥

॥ दोहा ॥

पूर्वोक्त मुन्नापना कसुप्राम अनुमानि ।

परम प्रसेव द्वितीय पद की संसृष्टि रितानि ॥” (१६०, १६१)

मरुद् है कि उपरुण शानो शरीरों का आरुद्राणिविप्रेतन से कोई काम
 संघन नहीं है, यमुन, इनका अन्वयान नायिका भेद के संघों में ही किया
 जाना चाहिए । इसी नाम से मरुद् एक अन्य द्वितीय संघ का उल्लेख
 है, सादा भवपानशील की 'अन्वयार्थसंज्ञा' । 'आवाधी' की 'अन्वय' ने
 अन्वयार्थ का विस्तार काव्यय पाया गया है । 'आवाधी' की इस पुनः
 का अर्थ है अन्वयार्थ करने में ।

द्वितीय के शी, मधुन अन्वय संघों को संवन्धार्थक काम से गेने
 पर हम गेहो है कि मधुन अन्वयार्थ में पूर्व भी अन्वयान, संवन्धार्थ
 निज का अन्वय कवि है मरुद् अन्वयार्थ मरुदी शरीरों का अन्वय
 किया है, मधुन अन्वयार्थ के विज्ञानों का अन्वय मधुन से अन्वयार्थ

करने वाले पहले लेखक केशवदास ही हैं। इतना होनेपर भी केशव ने शब्दशक्ति पर कोई विचार व्यक्त नहीं किये हैं। केशव को संस्कृत के ध्वनिवादी आलंकारिकों की सिद्धांतसरणि पूरी तरह ज्ञात थी, किंतु केशव ने दण्डी जैसे आलंकारिकों को ही अपना उपजीव्य बनाया। केशव की 'कविप्रिया' कुछ नहीं, दण्डी के 'काव्यादर्श' की ही छाया है। यही कारण है, दण्डी की तरह केशव ने भी अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना जैसी वृत्तियों पर कोई विचार नहीं किया है। दण्डी की ही भाँति केशव भी कोरे अलंकारवैचित्र्यवादी या चमत्कारवादी हैं। ध्वनि या व्यंजना के विषय में उनका भी ठीक वही दृष्टिकोण रहा होगा, जो हम उद्भट, रुद्रट, प्रतीहारेंदुराज या वाग्भट जैसे संस्कृत आलंकारिकों का पाते हैं। इस दृष्टि से केशव अन्य परवर्ती हिंदी आलंकारिकों से सर्वथा भिन्न सिद्ध हो जाते हैं, जिन्होंने ध्वनिवादियों को अपना उपजीव्य माना है तथा जो मम्मटादि से पूर्णतः प्रभावित हैं। यदि वे अलंकारों का प्रतिपादन करते हैं, तो उन आलंकारिकों (जयदेव तथा अप्पय दीक्षित) के द्वारा प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने ध्वनिवादियों के शब्दशक्तिसंबंधी तथा काव्यसंबंधी विचारों को मान लिया है। इस तरह केशव हिंदी काव्यशास्त्र में भामह, दण्डी तथा उद्भट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अन्य आलंकारिक मम्मट, जयदेव तथा दीक्षित का। आचार्य शुक्ल ने केशवदास की इसी विशेषता का संकेत करते हुए लिखा है —

“केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्यशास्त्र के विकास-क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते-बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गई थी उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्याग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामह और उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित हुई।”^१

यही कारण है, आचार्यशुक्ल ने चिन्तामणि से ही हिंदी रीतिग्रंथों की परंपरा का आरंभ माना है। चिन्तामणि से लेकर घाट तक के आलंकारिकों में दो तीन व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी लक्षण ग्रंथकारों में सूक्ष्म विवेचन तथा पर्यालोचन शक्ति का अभाव देखा जाता है। इन तथाकथित आचार्यों के विषय में शुक्लजी ने लिखा है—“संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्यक्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिये जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कविकर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विफुन विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नये नये सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय नग्न का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य ही में लिखा जाता था। पद्य में किसी घात की सम्यक् मीमांसा या तर्क वितर्क हो ही नहीं सकता था।”^१ जहाँ तक शब्दशक्ति विवेचन का प्रश्न है, स्वयं आचार्य शुक्ल ने ही संकेत किया है कि, “शब्दशक्ति का विषय तो दो ही चार कवियों ने नाममात्र के लिये लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट होना तो दूर रहा भ्रान्त धारणा अवश्य हो सकती है।”^२

डॉ० भगीरथ मिश्र ने अपने “हिंदी काव्यशास्त्र के इतिहास” में जिन आलंकारिकों के लक्षण ग्रंथों का उल्लेख किया है, उनमें तीन तरह के आलंकारिक माने जा सकते हैं:—(१) समस्त काव्यांगों पर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले, (२) रस या नायक नायिका भेद पर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले, (३) अलंकारों पर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले। हिंदी काव्यशास्त्र के उपलब्ध प्रकाशित तथा अप्रकाशित ग्रंथों के लेखकों में अधिकांश द्वितीय तथा तृतीय कोटि के हैं। प्रथम कोटि के रीति ग्रंथकार बहुत थोड़े हैं। इस कोटि के ग्रंथकारों ने शब्द शक्तियों का थोड़ा संकेत अवश्य किया है। हम यहाँ उन ग्रंथों की तालिका डॉ० मिश्र के

१. वही पृ० २५४

२. वही पृ० २३४

ग्रन्थ के आधार पर दे रहे हैं, जिनमें अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना का थोड़ा संकेत मिलता है.—

१. चिंतामणि का कविकुलकल्पतरु,
२. कुलपति मिश्र का रसरहस्य,
३. देव का शब्दरसायन (काव्यरसायन)
४. सूरति मिश्र का काव्यसिद्धांत,
५. कुमारमणि भट्ट का रसिकरसाल,
६. श्रीपति का काव्यसरोज,
७. सोमनाथ का रसपीयूषनिधि,
८. भिखारीदास का काव्यनिर्णय,
९. जनराज का कवितारसविनोद,
१०. रसिकगोविंद का रसिकगोविंदानंदघन,
११. लछिराम का रावणेश्वरकल्पतरु,
१२. सुरारिदान का जसवंत जसोभूषण,

इन ग्रंथों में शब्दशक्ति पर विचार किया गया है। इनमें से अधिकांश ग्रंथों का आधार काव्यप्रकाश रहा है। चिंतामणि का कविकुलकल्पतरु मम्मट के काव्यप्रकाश से पूरी तरह प्रभावित है। चिंतामणि ने मम्मट की ही भाँति 'तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुन क्वापि' को ही काव्यलक्षण माना है —

सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होइ ।
शब्द अर्थ वारौ कवित बिबुध कहत सब कोइ ॥

फर्क इतना है कि 'अनलंकृती क्वापि' के स्थान पर चिंतामणि ने 'अलंकारन सहित' कह कर चंद्रालोककार की तरह काव्य में अलंकारों की सत्ता आवश्यक मान ली है। चिंतामणि का शब्दशक्ति विवेचन कुछ नहीं, मम्मट की ही नकल है। कुलपति मिश्र का 'रसरहस्य' भी काव्यप्रकाश से प्रभावित है, किंतु कुलपति ने अन्य आचार्यों के भी मतों को 'वचनिका' में दिया है। काव्यप्रकाश के ही आधार पर कुलपति ने तीन प्रकार के काव्य माने हैं:—१. सरस व्यंग्य प्रधान, २. मध्यम, ३. चित्र। अपने ग्रंथ के प्रथम वृत्तांत में उन्होंने काव्य के इन तीनों भेदों का संकेत किया है। द्वितीय वृत्तांत में वे वाचक, लक्षक

तथा व्यंजक शब्द पर विचार करते हुए अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना का विवेचन करते हैं ।

वाचक विगक लच्छकों शब्द तीनि विधि होय ।

वाच्य लक्ष्य अरु व्यंग्य पुनि अर्थ तीनि विधि होय ॥

इसी संभव में कुलपति ने 'वचनिका' में तात्पर्य वृत्ति का भी संकेन किया है.—'अरु इन तीनोंनि के व्यवहार ते न्यारी सी प्रतीत करे सोऊ एक तातपरजका व्रति कहत है याको शब्द नाहीं ।'

अगले दो वृत्तों में कुलपति ने ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य का संकेन किया है । वे घनाते हैं कि ध्वनि या व्यंग्यार्थ के ही भेद के कारण काव्य की उत्तम, मध्यम तथा अवर (ओर) संज्ञा निर्धारित की जाती है ।

'कवित हांत धुनि-भेद ते उत्तम मध्यम ओर ।'

देव उन आलंकारिकों में से हैं, जिन्हें हिंदी रीतिप्रबंधकारों की प्रथम श्रेणी में मजे से रखा जा सकता है । देव ने कई लक्षण ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 'काव्यरसायन' में समस्त काव्यांगों का विवेचन पाया जाता है । 'काव्यरसायन' को 'शब्दरसायन' भी कहा जाता है । 'काव्यरसायन' में देव ने शब्दशक्तियों पर विस्तार से विचार किया है तथा इसमें मौलिक उद्धावना भी पाई जाती है । रसायन के द्वितीय प्रकाश में अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना के भेदोपभेद का सम्यक् प्रतिपादन पाया जाता है ।

कवि देव ने 'काव्यरसायन' के प्रथम दो प्रकाशों में शब्द, अर्थ तथा उनकी चार शक्तियों पर विस्तार से विचार किया है । प्रारंभ में वे शब्द तथा अर्थ भेद का वर्णन करते हुए वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य एव तात्पर्यार्थ इन चारों अर्थों का मर्मन करते हैं:—

शब्द वचन ते अर्थ कटि, चट्टे सामुह्ये चित्त ।

ते शब्द वाचक वाच्य है अभिधावृत्ति निमित्त ॥

मडि प्रयोजन करे कछु अर्थ सामुह्ये भूत ।

तिटि तरु प्रगटे लाक्षणिक लक्ष्य लक्षना मूल ॥

समुह्ये कटे न, फटे नो, मल्लते ओरें इत्य ।

धुनि व्यञ्जना धुनि भिद्ये, दोऊ व्यञ्जक व्यंग्य ॥

सुर पलटत ही शब्द ज्यौ, वाचक व्यंजक होत ।
तातपर्ज के अर्थ हूँ, तीन्यौ करत उदोत ॥
तातपर्ज चौथो अरथ, तिहूँ शब्द के बीच ।
अधिक मध्य, लघु, वाच्य, धुनि, उत्तम, मध्यम, नीच ॥

प्रथम प्रकाश में इन चारों अर्थों को स्पष्ट करने के लिए देव ने दो उदाहरण दिये हैं। प्रथम उदाहरण में वाच्यवाचक संबंध तथा अभिधा वृत्ति पाई जाती है। दूसरे उदाहरण में एक ही उदाहरण में वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थों का प्रतिपादन किया गया है। अभिधा के बाद देव ने लक्षणा का विवेचन किया है। यहाँ लक्षणा के तेरह भेदों का संकेत पाया जाता है। प्रयोजनवती लक्षणा के १२ भेद तथा रूढि के एक भेद का संकेत कर उनके क्रमशः लक्षण तथा उदाहरण दिये गये हैं। देव की ये लक्षणाएँ पूर्वोक्त आचार्यों के ही अनुसार हैं।

आपु जनावै और कहि, और कहै कहि आपु ।
उपादान लक्षण दोउ, अजहत जहत सु आपु ॥
सारोपा विषई विषय, निकसत दुओ निदान ।
विषई के भीतर विषय, जहाँ सुसाध्यवसान ॥
सुद्धभेद चारिउ कछौ, मिलित कछौ द्वै भेद ।
वंग्य सुगूढ अगूढ षट, दुगुण होत आखेद ॥
यहि विधि धारह व्यंग्यजुत, एकै रूढि अव्यग्य ।
तेरह भेद सुलक्षना, रूढि प्रयोजन संग्य ॥

स्पष्ट है, प्रयोजनवती के देव ने १२ भेद माने हैं। सर्वप्रथम वे इन्हें दो वर्गों में बाँटते हैं—शुद्धा लक्षणा, तथा मीलित लक्षणा। मीलित लक्षणा वस्तुतः वे उपचार मिश्रा या गौणी लक्षणा को कहते हैं। संभवतः यह नाम उन्होंने चंद्रालोककार जयदेव से लिया है। शुद्धा के सर्वप्रथम चार भेद माने गये हैं:—उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा, सारोपा, साध्यवसाना। गौणी (मीलित) के दो भेद होते हैं—सारोपा तथा साध्यवसाना। इस ६ प्रयोजनवती के पुनः दो प्रकार के भेद होती हैं—गूढव्यंग्या तथा अगूढव्यंग्या। इस तरह कुल प्रयोजनवती १२ तरह की होती है। इनमें प्रत्येक लक्षणा भेद के रुचिर उदाहरण दे देकर बाद में एक एक दोहे में देव ने उसका स्पष्टीकरण किया है। उदाहरण के लिए गूढव्यंग्या प्रयोजनवती लक्षणा का निम्न पद्य लीजिए—

में सुनी, आलिह परों लगि मासुरै, माँचेहु जँहों कहीं सखि सोऊ ।
 देव कहे केहि भाँति मिलैं, अरको जनि फाहि कहीं कर कोऊ ॥
 गेलि तो लेहु भट्ट सँग स्याम के, आजुहि की निशि आये हैं चोऊ ।
 हौं अपने हग मूँडति हौं, घर धाइ के धाइ दुरी तुम रोऊ ॥
 ॥ दोहा ॥

सुर्य अर्थ दुख पूछनो, लक्ष्य कपटतर गेल ।
 प्रगट व्यंग्य भेलन दुहुन, दूतीपन साँ गेल ॥

लक्षणा के घाट देव ने व्यंजना का विचार किया है। प्रथम प्रकाश में वे केवल दो ही उदाहरणों में व्यंजना का विचार करते हैं। यहाँ व्यंजना का कोई विशेष विवेचन नहीं पाया जाता।

द्वितीय प्रकाश में देव ने इन तीनों वृत्तियों के शुद्ध एवं संकीर्ण भेदों का विचार किया है, जो देव की मौलिक उद्भावना कही जा सकती है। किंतु इसका आधार भी हमें संस्कृत अलंकारशास्त्र का वह वर्गीकरण जान पड़ता है जहाँ उन्होंने आर्थी व्यंजना में व्यंग्यार्थ का विवेचन करते समय वाच्यार्थ ने व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ ने व्यंग्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ का विचार किया है। यही वह बीज है, जिसका पल्लवन कर देव ने अभिधा तथा लक्षणा में भी सकर की कल्पना कर ली है। देव ने इन पूर्वोक्त तीन वृत्तियों के १२ प्रकार माने हैं:—

अभिधा—१ शुद्धा अभिधा, २ अभिधा में अभिधा, ३ अभिधा में लक्षणा, ४ अभिधा में व्यंजना,

लक्षणा—५ शुद्धा लक्षणा, ६ लक्षणा में लक्षणा, ७ लक्षणा में व्यंजना, ८ लक्षणा में अभिधा,

व्यंग्यार्थ:—९ शुद्धा व्यंजना, १० व्यंजना में व्यंजना, ११ व्यंजना में अभिधा, १२ व्यंजना में लक्षणा,

इतना ही नहीं, वे बताते हैं कि तात्पर्यार्थ के साथ ये चारह भेद मिल कर अनंत भेदों की सृष्टि करेंगे।^१ देव ने इन सब भेदों का सांदाहरण विवेचन किया है। दिङ्मात्र संकेत निम्न है।

लक्षणा मध्यगत व्यंजना के संकर का उदाहरण यह है।

१. शुद्ध अभिधा है, अभिधा में अभिधा है

अभिधा में लक्षणा है, लक्षणा में व्यंजना है।

‘कौन भॉति ? कब्र धौं ? अनेकन सों एक बार
 सरस्यौ परस्पर, परस्यौ न वियौ तैं ।
 केतिक नबेली, बनबेली मिलि केली करि,
 सगम अकेली करि, काहू सौं न कियौ तैं ॥
 भरि भरि भॉवरि निछावरि ह्वै भौर-भीर,
 अधिक अधीर ह्वै, अधर अमी पियौ तैं ।
 देव सब ही को सनमान अति नीको करि,
 ह्वै कै पतिनी को पति, नीको रस लियो तैं ॥’
 ‘दृच्छिन सो लक्षतु सखा, सदृश उक्ति कहि भौर ।
 गुप्त चातुरी व्यजना ताहि जनावत और ॥’
 (वही पृ० १६)

चतुर्विध संकीर्ण वृत्ति का वर्णन करने के बाद देव ने पुनः तीनों वृत्तियों के विभिन्न मूलों पर विचार किया है । इस संबंध में वे प्रत्येक वृत्ति के चार-चार मूलों का संकेत करते हैं । आरंभ में अभिधा के चार मूल जाति, क्रिया, गुण तथा यदृच्छा का सोदाहरण संकेत किया गया है:—

जाति, क्रिया, गुण, यदृक्षा, चारौ अभिधा मूल ।
 वेई वाचकशब्द के, वाच्य अर्थ अनुकूल ॥

इसके बाद लक्षणा के चार मूलों का संकेत किया गया है:—कारज-कारण, सदृशता, वैपरीत्य, आक्षेप ।

कारज कारण, सदृशता, वैपरित्य, आक्षेप ।
 चारि लच्छना मूल ये, भेदांतर संछेप ॥

सुद्ध लक्षना है, लक्षना में लक्षना है

लक्षना में व्यजना है, लक्षना में अभिधा कहाँ ॥

सुद्ध व्यजना है, व्यजना में व्यजना है

व्यजना में अभिधा है, व्यजना में लक्षना गहाँ ।

तात्परजारथ मिलत भेद बारह

पदारथ अनत सच्चारथ मतै छहौ ॥

—काव्यरसायन (द्वितीय प्रकाश) पृ० १२

इसका आधार प्राचीनों का यह मत है, जहाँ वे पाँच तरह को लक्षणा का संकेत करते हैं.—

कार्यकारणयोगाच्च सादृश्यान् व्यभिचारत ।
वैपरीत्यात्क्रियायोगात्लक्षणा पचधा मता ॥

यहाँ कवि देव ने व्यभिचार तथा क्रियायोग को दो भेद न मानकर आक्षेप में ही दोनों का समावेश कर लिया है ।

प्राचीन आचार्यों की तरह देव ने व्यञ्जना के वक्तृशोद्धत्यादि के अनेक प्रकारों का वर्णन नहीं किया है । वे केवल चार ही मूलों का संकेत करते हैं:—वचन, क्रिया, स्वर तथा चेष्टा ।

वचन क्रिया स्वर चेष्टा एतके जहाँ विकार ।
चारि व्यञ्जना मूल ये भेदातर धुनि-सार ॥

वस्तुतः देव ने वक्तृशोद्धत्यादि समस्त तत्त्वों का इन्हीं चारों में अन्तर्भाव माना है ।

देव के विषय में यह मत बहुत प्रचलित है कि वे व्यञ्जना वाले काव्य को प्रथम कोटि का मानते हैं । इस सवध में देव का निम्न दोहा बहुत उद्धृत किया जाना है —

अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लग्ना लीन ।
अधम व्यञ्जना रम कुटिल, उलटी कहत नवीन ॥

यह दोहा वृत्ति विचार का न होकर रस का विवेचन करते समय देव ने नायिका भेद के प्रसंग में पद्य प्रकाश में लिया है । अतः इसका संबंध व्यञ्जना मात्र की भर्त्सना न होकर एगारी समझ में वस्तुव्यञ्जना की दूराम्भ पद्धति में ही है, जिसको आचार्य शुक्ल ने 'पहली-बुकीबल' कहा है । यह तो स्पष्ट है कि देव काव्य में रस की महत्ता मानते हैं तथा इस दृष्टि में रसव्यञ्जना को वे काव्य की आत्मा मानते ही हैं । यदि देव रस को काव्य का वाच्यार्थ या तात्पर्यार्थ मानकर उसे व्यंग्यार्थ वृत्ति गम्य नहीं मानते हो तथा इस प्रकार व्यञ्जना का अर्थन करने पर तुले हो, तो यह मत भ्रान्त ही कहा जायगा । क्या देव रस को वाच्यार्थ या तात्पर्यार्थ मानते हैं ? इस प्रश्न का कोई उत्तर देव के प्रथम में उपलब्ध नहीं है ।

कुमारमणि भट्ट के रसिक रसाल का आधार मम्मट का काव्य प्रकाश ही है। वे स्वयं कहते हैं कि यह ग्रंथ उन्होंने काव्यप्रकाश के सिद्धांतों को विचार कर भाषा में निबद्ध किया है।

काव्यप्रकाश विचारि कछु रचि भाषा में हाल।

पण्डित सुकवि कुमारमणि कीन्हो रसिकरसाल ॥

रसिकरसाल के प्रथम अध्याय में काव्य प्रकाश के अनुसार ही उत्तम, मध्यम तथा अधम काव्य का विवेचन किया गया है। तदनंतर शब्दशक्ति, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ पर विचार किया गया है। कुमारमणि भट्ट के ग्रंथ की प्रमुख विशेषता विषय प्रतिपादन की न होकर सुंदर उदाहरणों के संनिवेश की है। निदर्शन के लिए 'वक्तृबोधव्यादि वैशिष्ट्य' के प्रकरण में 'वक्तृवैशिष्ट्य' का यह उदाहरण देखिए, जहाँ गोपिका कृष्ण के साथ की गई रति केलि को छिपा रही है, किंतु उसके चरित्र का पता चलने पर सहृदय को यह व्यंग्यार्थ प्रतीति हो ही जाती है कि वह रति केलि को छिपा रही है।

तोहि गई सुनि कूल कलिंदी कै हो हूँ गई सुनि हेलि हमारी।

भूली अकेली कहूँ डरपी मग में लखि कुंजन पुंज अध्यारी ॥

गागर के जल के छलके घर आवत लौ तन भीगि गो भारी।

कम्पत त्रासन ये री विसाखिनि मेरी उसास रहे न सँभारी ॥

श्रीपति के 'काव्यसरोज' का हिंदी रीति ग्रंथों में खास स्थान है। श्रीपति के 'काव्यसरोज' की महत्ता इसलिये भी बढ़ जाती है कि भिखारीदास ने अपने 'काव्य निर्णय' में श्रीपति की कई बातों को अपना लिया है। श्रीपति के विषय में आचार्य शुक्ल के ये शब्द उपन्यस्त किये जा सकते हैं कि "काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, इससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते। दासजी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने 'काव्यनिर्णय' में चुपचाप रख ली हैं।" श्रीपति का शब्दशक्ति विवे-

घन भी मुख्यतया 'काव्यप्रकाश' से ही प्रभावित है। श्रीपति ने प्रथम दल में उत्तम, मध्यम तथा अधम तीन प्रकार के काव्यों का वर्णन किया है।^१ काव्य सरोज के द्वितीय दल में शब्द निरूपण है, जिसमें वाचक शब्द के रूढ़ि, योग तथा योग रूढ़ि तीनों भेदों का वर्णन है। तृतीय दल में वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ का विवेचन है। इस संभव में श्रीपति ने लक्षणा के केवल छः भेदों का ही वर्णन किया है।

सोमनाथ के 'रसपीयूषनिधि' का सकेत आचार्य शुक्ल तथा डॉ० भगीरथ मिश्र दोनों ने किया है।^२ इसकी एक प्रति नागरी प्रचारिणी सभा काशी के हस्तलेख संग्रह में है। सोमनाथ के विषय में आचार्य शुक्ल का कहना है:—

“इन्होंने संवत् १७९४ में रसपीयूषनिधि नामक रीति का एक विमृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिंगल, काव्यलक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द-शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सव विषयों का निरूपण है। यह दासजी के काव्यनिरणय से घड़ा ग्रंथ है। काव्यांगनिरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही हैं। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है।”^३

रसपीयूषनिधि की छठी तरंग में शब्दशक्ति विवेचन पाया जाता है। सोमनाथ ने काव्य का प्राण 'व्यंग्य' को ही माना है।

व्यंगि प्राण अरु अंग सव शब्द अरथ पहिचानि ।

दोष और गुण अलंकरण दूषणादि रर आनि ॥

उनका शब्दशक्तिविवेचन 'काव्यप्रकाश' में ही प्रभावित है।

मित्रागोपाल का 'काव्यनिरणय' हिंदी के रीतिग्रंथों में अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। मिश्रबंधुओं ने तो रीतिकाल को दो कालों में बाँटते समय चिंतामणि को पूर्वालंकरण काल का तथा मित्रागोपाल को उत्तमालंकरण काल का प्रारंभिक आचार्य माना है। मित्रागोपाल के विषय में

१. काव्यसरोज प्रथम दल १^१, १५-१७

२. आचार्य शुक्ल: हिंदी साहित्य का इतिहास पृ० २८४

डॉ० भगीरथ मिश्र: हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पृ० १७७, १३२

३. हिंदी साहित्य का इतिहास पृ० २८४

डॉ० मिश्र का मत है कि 'भिखारीदास की गणना काव्यशास्त्र के उन यथार्थ आचार्यों में से थी, जो कवि-प्रतिभा के साथ उससे अधिक काव्यशास्त्र का ज्ञान लेकर लिखने बैठे थे।'^१ आचार्य शुक्ल का मत इससे सर्वथा भिन्न है। शुक्लजी ने बताया है कि भिखारीदास के 'काव्यनिर्णय' में कई बातें श्रीपति के 'काव्यसरोज' की नकल हैं। जहाँ तक भिखारीदासजी के आचार्यत्व का प्रश्न है, शुक्लजी के ये शब्द महत्त्वपूर्ण हैं:—

“अतः दासजी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दासजी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हे भी नहीं प्राप्त हो सका है। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं आमक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। जैसे, उपादानलक्षणा लीजिए। इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दासजी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं।”^२

स्पष्ट है, आचार्य शुक्ल भिखारीदास में आचार्यत्व न मानकर आचार्यत्वाभास ही मानते हैं। हिंदी में ऐसे आचार्याभासों की कभी कमी नहीं रही है।

दासजी ने 'काव्यनिर्णय' के द्वितीय उल्लास में शब्दशक्ति का विवेचन किया है। इसे वे 'पदार्थनिर्णय' नामक उल्लास कहते हैं। आरंभ में वे तीन प्रकार के शब्द का संकेत करते हैं:—वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक।^१ दासजी ने अभिधा शक्ति के अंतर्गत वाचक शब्द के चार प्रकार जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा का संकेत किया है। व इस बात का भी संकेत करते हैं कि कुछ विद्वान् केवल जाति ही से संकेत मानते हैं—

१. हिंदी साहित्य का इतिहास पृ २७८, २७९

२. पद वाचक अरु लाक्षणिक व्यंजक तानि विधान।

ताते वाचक भेद को, पहिलें करौ बखान ॥

जाति, जद्रिक्षा, गुण, क्रिया, नामजु चारि प्रमान ।

सयकी सज्ञा जाति गनि, वाचक कहें मुजान ॥ (२, २)

दासजी का यह विवेचन मम्मट के 'जात्याद्रिर्जातिरेव वा' का ही अनुवाद है । आगे चलकर विस्तार में अभिधा शक्ति के नियन्त्रक तत्त्वों का पूरे १४ दोहों में संकेत किया गया है । इन तत्त्वों के उदाहरण मम्मट के काव्यप्रकाश में ही लिये गये हैं । अभिधाशक्ति के उदाहरण के रूप में दासजी ने निम्न पद्य दिया है:—

मोरपक्ष को मुकुट सिर, उर तुलसीदल माल ।

जमुनातीर कदंब डिग में देख्या नँदलाल ॥ (२. २१)

भित्तारीदास की लक्षणा की परिभाषा यों है —

मुन्य अर्थ के घाघ सौं, सन्द लाक्षणिक होत ।

रुडि औ प्रयोजनवती, ह्यै लक्षणा उद्योत ॥ (२, २२)

इस संबन्ध में लक्षणा या लाक्षणिक शब्द की दासजी की परिभाषा कुछ दुष्ट है । हम देखते हैं कि लक्षणा में तीन तत्त्व होते हैं—(१) मुन्यार्थवाच, (२) तद्योग, (३) रुडि या प्रयोजन । दासजी की उपर्युक्त परिभाषा में द्वितीय तत्त्व—तद्योग का कोई संकेत नहीं पाया जाता । अतः यह परिभाषा निष्ठुष्ट नहीं है । दासजी ने सर्व प्रथम लक्षणा के दो भेद किये हैं—रुडि तथा प्रयोजनवती । इसके बाद वे इनके शुद्धा तथा गौणी दो भेद मानते हैं । शुद्धा लक्षणा के चार भेद उपादान लक्षणा, लक्षणलक्षणा, सारोपालक्षणा तथा साध्यवसाना लक्षणा का विचार द्वितीय उल्लास के २२ में लेकर ३६ पद्य तक किया गया है । इसके बाद ३७ से लेकर ४० वें पद्य तक गौणी के दो भेद सारोपा तथा साध्यवसाना का विचार किया गया है । मम्मट की भाँति भित्तारीदास ने गूढव्यंग्या तथा अगूढव्यंग्या नामक भेदों का संकेत लक्षणा के प्रमग में नहीं किया है । इनका संकेत वे लक्षणामूलक व्यंग्य का विचार करते समय व्यंजना के प्रकारण में आगे करते हैं ।

व्यंजना का विचार करते समय भित्तारीदास ने बताया है कि व्यञ्जक शब्द का आधार वाचक या लाक्षणिक पद ही होता है । वाचक

१. मुन्यार्थवाचे तद्योगे रुडितोऽप्य प्रयोजनवाच ।

२. सौन्दर्या लक्षणाऽऽद्योदिना क्रिया ॥

या लाक्षणिक पद व्यंग्यार्थ के बिना भी रह सकता है, किंतु कोई भी व्यंजकशब्द तथा व्यंग्यार्थ वाचक या लाक्षणिक पद के बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार वाचक तथा लाक्षणिक पद दो तरह के हो सकते हैं—अव्यंग्य तथा सव्यंग्य। व्यंजक के साथ इनका संबंध बताते समय दासजी ने भाजन (पात्र) तथा जल का दृष्टांत दिया है। जैसे बिना जल के पात्र रह सकता है वैसे ही बिना व्यंग्य के वाचक तथा लाक्षणिक पद हो सकते हैं, किंतु जैसे बिना पात्र के जल नहीं रह सकता, वैसे ही व्यंजक तथा व्यंग्यार्थ बिना वाचक या लाक्षणिक पद के नहीं रह सकते।

वाचक लक्षक भाजन रूप हैं, व्यंजक को जल मानत ज्ञानी।

जानि परै न जिन्हें तिन्ह के समुझाइबे को यह दास बखानी ॥

ये दोउ होत सव्यंगि अव्यंगि और, व्यंगि इन्हें बिनु लावै न बानी।

भाजन लाइब नीर विहीन न आइ सकै बिनु भाजन पानी ॥ (२, ४१)

दासजी ने मम्मट के ही आधार पर व्यंग्य के सर्वप्रथम दो भेद किये हैं—अभिधामूलक व्यंग्य (२, ४४) तथा लक्षणामूलक व्यंग्य (२, ४७)। लक्षणामूलक व्यंग्य के २ भेद होते हैं:—गूढव्यंग्य तथा अगूढव्यंग्य।^१ भिखारीदास के अधिकांश उदाहरण मम्मट के उदाहरणों के ही अनुवाद हैं। शाब्दी व्यजना के बाद आर्थी व्यञ्जना का विचार करते समय दासजी ने— १) वाच्यार्थ व्यंग्य से अपर व्यंग्य, (२) लक्ष्यार्थ व्यंग्य से अपर व्यंग्य, तथा (३) व्यंग्य से अपर व्यंग्य का विचार किया है। (२, ६६-६९) इनके उदाहरण भी काव्य-प्रकाश के उदाहरणों के अनुवाद हैं। दासजी ने तात्पर्य नामक वृत्ति का उल्लेख नहीं किया है।

काव्यनिर्णय के षष्ठ तथा सप्तम उल्लास में वे काव्यभेद का विचार करते समय उत्तम, मध्यम तथा अधम नामक मम्मटोक्त काव्यभेदों का संकेत करते हैं। दासजी की उत्तम काव्य की परिभाषा यों है:—

वाच्य अरथ तैं व्यंगि मै चमत्कार अधिकार।

धुनि ताही कौ कहत सोइ उत्तम काव्य विचार ॥ (६, १)

१. गूढ अगूढौ व्यंग द्वै होहि लक्षणामूल ।

छिपी गूढ प्रगटहि कहै, है अगूढ समतूल ॥ (२, ४७)

भिरारीदासजी ने मध्यम काव्य वहाँ माना है, जहाँ व्यंग्यार्थ में कुछ भी चमत्कार नहीं होता ।

जा. व्यंग्यार्थ में कष्ट चमत्कार नहीं है ।

गुणीभूत सां व्यंग्य है, मध्यम काव्यो सोइ ॥ (७, १)

दासजी के उक्त लक्षण में "कष्ट चमत्कार नहीं है" कहना ठीक नहीं जान पड़ता । वस्तुतः दासजी का मध्यम काव्य का लक्षण दुष्ट है । मम्मट ने केवल इतना कहा है कि 'जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ में अधिक चमत्कारकारी न (अनादृशि) हो, वहाँ गुणीभूतव्यंग्य काव्य होता है' । (अनादृशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्) 'अनादृशि' का अर्थ 'सौंदर्य का अभाव' नहीं है । वस्तुतः मध्यमकाव्य में व्यंग्यार्थ चमत्कारी अवश्य होता है, किंतु या तो वह वाच्यार्थ के समान ही सुंदर होता है या फिर वाच्यार्थ का उपस्कारक हो जाता है । पंडिनराज जगन्नाथ ने इन बात का स्पष्ट संकेत किया है कि गुणीभूतव्यंग्य में व्यंग्यार्थ चमत्कारी अवश्य होता है । उनका उत्तम काव्य (गुणीभूत-व्यंग्य) का लक्षण इस बात में कोई गुंजायश नहीं रखता कि यहाँ व्यंग्यार्थ चमत्कारी अवश्य होना है । यह दूसरी बात है कि यहाँ वह प्रधानरूप में चमत्कार का कारण न होकर अप्रधानरूप में चमत्कार-कारण होता है ।

'यत्र व्यंग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्विद्विनीयम् ।'

(रसगंगाधर पृ० २०)

इतना ही नहीं, पंडिनराज ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि वे अपने लक्षण में 'चमत्कारकारण' का समावेश क्यों करते हैं । वे प्रतीते हैं कि इस विशेषण के न देने पर इस लक्षण में यह दोष हो जायगा कि इसमें उन अर्थचित्र (वाच्यचित्र) काव्यों का समावेश हो जायगा, जिनमें उपमा, रूपक आदि अर्थालंकारों के चमत्कार के कारण व्यंग्य, वाच्यार्थ चमत्कार में लीन हो जाता है । जब कि यहाँ (गुणीभूतव्यंग्य में) व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ में लीन नहीं होता ।^१ दासजी का लक्षण, इस दृष्टि से विचार करने पर दुष्ट ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसकी अनि-व्याप्ति वाच्यचित्र नामक काव्यभेद में अवश्य होगी ।

१. हीनव्यंग्य-वाच्यचित्रातिप्रभंगपारणाम चमत्कारोपवादि ।

दासजी के अवर (अधम) काव्य का लक्षण भी सदोष है । उनका लक्षण निम्न है: —

वचनारथ रचना तहाँ, व्यंगि न नैकु लखाइ ।
सरल जानि तेहि काव्य कौ अवर कहै कबिराइ ॥
अवर काव्य हूँ मैं करै, कवि सुघराई मित्र ।
मनरोचक करि देत है वचन अर्थ कौ चित्र ॥

(७, २५-२६)

चित्रकाव्य में, दासजी ने व्यंग्यार्थ का सर्वथा अभाव माना है:—“व्यंगि न नैकु लखाय” । शायद यह मम्मट के ‘अव्यंग्य’ का अनुवाद है । पर हम बता चुके हैं कि जो गलती साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कर चुके हैं, उसकी पुनरुक्ति दासजी से भी हो गई है । मम्मट के ‘अव्यंग्य’ का अर्थ ‘ईषद्वयंग्य’ है, इसका संकेत मम्मट के सभी टीकाकारों ने किया है । साथ ही चित्रकाव्य में व्यंग्यार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता । पंडितराज ने भी इसका संकेत किया है । इसीलिए वे गुणीभूतव्यंग्य तथा वाच्यचित्र काव्य को जागरूक गुणीभूतव्यंग्य तथा अजागरूक गुणीभूतव्यंग्य भी कहते हैं ।^१ मम्मट के टीकाकार गोविंद ठक्कुर ने ‘स्वच्छन्दोच्छलदच्छ’ इत्यादि पद्य के विषय में बताया है कि शब्दचित्र काव्य में भी व्यंग्य का सर्वथा अभाव नहीं होता, हाँ, वहाँ वह अत्यधिक अस्फुट होता है अथवा उसमें कवि की विवक्षा नहीं होती ।^२ इससे स्पष्ट है कि पंडितराज तथा गोविंद ठक्कुर दोनों को चित्रकाव्य में व्यंग्यार्थ की सत्ता मानना अभीष्ट है । मम्मट का भी यही मत है ।

१ अनयोरेव द्वितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणीभूतव्यंग्ययो... ..
काव्यम् । —रसगंगाधर पृ० २२

२ ननु कथमेतदव्यंग्यमुच्यते । मदाकिनीविषयायाः प्रीतेरभिव्यक्तेः ।
किं च नास्त्येव स काव्यार्थो यस्य न व्यञ्जकत्वमन्ततो विभावत्वेनापीति चेत्स-
त्यम् । किं तु तद्व्यंग्यमस्फुटतरम् । यद्वा तत्र न क्वेस्तात्पर्यम् । अनुप्रासमात्र
एव तस्य सरंभात् । तात्पर्यविषयीभूतव्यंग्यविरहवत्त्वमेव व्यंग्यपदेन
विवक्षितम् । — काव्यप्रदीप पृ० २०-२१

दास के उपर्युद्ध चित्रकाव्य वर्णन से स्पष्ट है कि दास ने दो तरह के चित्र काव्य माने हैं:—१ वचनचित्र (शब्दचित्र) २ तथा अर्थचित्र । इन्हीं के उदाहरण क्रमशः सप्तम उल्लास के २७ तथा २८ वे पद्य में दिये गये हैं । इस सन्ध में काव्यनिर्णय के संपादक से एक भूल हो गई है । उन्होंने वचनचित्र को 'वाच्यचित्र' कहा है । यह भूल दास जी की नहीं जान पड़ती । मभवतः लिपिकार की भूल संपादक ने नहीं पकड़ी है । 'वाच्य' का अर्थ भी तो 'अर्थ' ही है, अतः (१) वाच्यचित्र तथा (२) अर्थचित्र ये भेद मानना असंगत है । 'वाच्यचित्र' के स्थान पर 'वाचकचित्र' या 'वचनचित्र' होना चाहिए । भिखारीदास स्वयं इस भेद को 'वचनचित्र' मानते हैं । (देखिये—काव्यनिर्णय ७, २५-२६)

दामजी के शब्दशक्तिविवेचन को कई लेखकों ने आधार बनाया है । जगन्नाथप्रसाद 'भानु' ने अपने काव्यप्रभाकर में दासजी के काव्यनिर्णय से पर्याप्त सहायता ली है । लाला भगवानदीन जी की 'व्यंग्यार्थमञ्जूषा' का भी मुख्य आधार काव्यनिर्णय का ही शब्दशक्ति-निरूपण है, इस बात का संकेत स्वयं लाला जी ने किया है ।

जनराज कृत 'कविता रमविनोद' में भी मम्मट के काव्यप्रकाश के टंग पर ही शब्दशक्ति-विवेचन पाया जाता है ।^१ रसिकगोविंद का 'रसिक गोविंदानंदघन' रीतिशास्त्र पर एक विशालकाय ग्रन्थ है ।^२ इस ग्रंथ की सत्रमे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मम्मट के अतिरिक्त अन्य आचार्यों के मत भी मिलते हैं । लेखक ने व्याख्या के लिए गद्य का भी प्रयोग किया है । इस ग्रंथ में अनेक सुंदर उदाहरण पाये जाते हैं, जिनमें कई संस्कृत पद्यां के अनुवाद हैं । लछिराम कृष्ण 'रावणेश्वर कल्पतरु' के द्वितीय कुमुद में काव्य के उत्तम, मध्यम, तथा अधम इन तीन भेदों का वर्णन है । तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम कुमुद में क्रमशः अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना का संकेत पाया जाता है । यह विवेचन काव्यप्रकाश के ही आधार पर है । लछिराम पर भिखारीदास के

१. लाला भगवानदीन : व्यंग्यार्थमञ्जूषा (भूमिका) पृ० १

२. शो० निभः हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पृ० १५३

३. यही पृ० १७२

‘काव्यनिर्णय’ का भी पर्याप्त प्रभाव है। उनके द्वारा दिया व्यंजना वृत्ति का परिचय भिखारीदास की ही नकल है:—

वाचक लक्षक शब्द ये राजत भाजन रूप ।
व्यंजन नीर सुवेस कहि बरनत सुकवि अनूप ॥

(५. १)

मुरारिदान का ‘जसवंतजसोभूषण’ पिछले दिनों का विशाल ग्रंथ है। इसके विचारों का संकेत हम इसी ग्रंथ के संस्कृत अनुवादक पं० रामकरण आसोपा तथा सुब्रह्मण्य शास्त्री के विचारों का संकेत करते समय लक्षणा आदि के संबंध में कर आये हैं। मुरारिदान के महत्त्वपूर्ण विचार ये हैं:—

(१) मुरारिदान के मत से लक्षणा सदा प्रयोजनवती होती है। तथाकथित रूढ़ा लक्षणा में भी कोई न कोई प्रयोजन अवश्य रहता है।

(२) लक्षणा के गौणी तथा शुद्धा ये दो भेद मानना अनुचित है। प्राचीनों के मत से सादृश्य संबंध में गौणी लक्षणा होती है, तदितर संबंध में शुद्धा। किंतु हम देखते हैं कि सादृश्य से इतर अनेक संबंध पाये जाते हैं। यदि सादृश्य संबंध में अलग भेद माना जाता है तो फिर इतर संबंध के प्रत्येक प्रकार में भी एक एक भेद क्यों नहीं माना जाता? अतः यह भेद कल्पना ठीक नहीं है।

(३) लक्षणा में प्रयोजनरूप व्यंग्य प्रधानव्यंग्य न होकर सदा गुणीभूतव्यंग्य होता है।

(४) प्राचीन विद्वान् व्यंजना में शाब्दी तथा आर्थी दो भेद मानते हैं। वस्तुतः शाब्दी व्यंजना जैसा भेद मानना अनुचित है। जहाँ वे शाब्दी व्यंजना मानते हैं, वहाँ द्वितीय (अप्राकरणिक) अर्थ वाच्यार्थ ही है, उसकी प्रतीति अभिधा से ही होती है, व्यंजना से नहीं। ऐसे स्थान पर श्लेषालंकार का ही चमत्कार प्रधान होता है।

(५) काव्य में व्यंग्यार्थ के बिना भी रमणीयता हो सकती है, जैसे निम्नपद्य में—

रैन की उनींदी राधे सोवत सवेरो भये
झीनो पट तान रही पायन लौं मुख तैं ।

सोम तें उलट घेनी भाल व्है के उर व्है के
 जानु व्है अंगूठन मी लागी नूरे मय तें ॥
 सुरत ममर रीत जोयन की जेव जीत
 सिरगेमन महा अलसाय रहीं मय तें ।
 हर को हराय मानो मैन मधुकरहैं की
 धरी है उनार जिह चंपे के धनुष तें ॥

(६) मम्मट के द्वारा उत्तम काव्य के उदाहरण 'निःशेष-युत-चंद्रन' आदि की मीमांसा करते समय बताया गया है कि यहाँ 'अधम' पद के द्वारा 'तू चहीं गई थी' इसकी चयना हो रही है। किंतु कभी कभी शब्दाभाव में भी अन्य-संभोग-दुग्गिता की प्रतीति होती है। जैसे निम्न पद्य में—

अंजन रंजन फीको परयो अनुमानन नैनन नीर डरयो री ।
 प्रात के चंद्र मगान मयी, मुन्नको मुत्वमा भर मद पय्यो री ॥
 भाये 'मुरार' निसासन पौन ने तो अथगन को राग हन्यो री ।
 पावरी, पीव सँदेसो न मान्यो तो तें क्यों इती पद्धतायो कन्यो री ॥

षाद के लेखकों में शब्दशक्ति पर लिखने वाले ये हैं:—
 कन्हैयालाल पोद्दार, जगन्नाथप्रसाद भानु, लाला भगवानदीन,
 मिश्रबंधु तथा विहारी लाल भट्ट। पोद्दारजी के 'काव्यकल्पद्रुम' के
 प्रथम तीन स्तवक हमारे आलांच्य विषय में सज्ज हैं। इनमें काव्य-
 प्रकाश का ही आधार है तथा उदाहरण भी काव्यप्रकाश के ही अनु-
 वाद हैं। इस ही प्रमुख विशेषता हिंदी गद्य में शब्दशक्तियों के संरक्ष में
 आवश्यक तत्त्वों का स्पष्टतः निरूपण है। भानुजी, लालाजी तथा
 मिश्रबंधु के 'काव्यप्रभाकर', 'उपसार्थगंजूषा' तथा 'साहित्य-पारिजात'
 का शब्दशक्तिविवेचन भिन्यारीदास के 'काव्यनिर्णय' के आधार पर है।
 विहारीलाल भट्ट का 'साहित्यसागर' संस्कृत ग्रंथों में प्रभावित है, मुद्रयाः
 काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण तथा रस गंगाधर ने। इससे पंचम नरंग में
 अभिधा, लक्षण तथा चयना के अनिश्चित तात्पर्य सूचन का भी उल्लेख
 है। इन सभी ग्रंथों में प्रायः नन्मटादि के सिद्धांतों का ही प्रयोग
 हुआ है।

विद्वले दिनों में रामदत्तिन मिश्र तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
 शब्दशक्तियों पर अपने विचार उपन्यस्य दिये हैं। मिश्रजी के शब्द-

शक्ति विवेचन का आधार भी काव्य प्रकाश ही है। वैसे उन्होंने हिंदी की आधुनिक कविता से शब्दशक्ति के तत्तत् भेदोपभेद के उदाहरण दिये हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिन्होंने हिंदी काव्यशास्त्र में मौलिक उद्भावनाएँ की हैं। क्या रस, क्या अलंकार, क्या शब्द शक्ति सभी में उन्होंने मौलिक विचार रखकर साहित्य की चिंतन धारा को आगे बढ़ाया है। यह दूसरी बात है कि शुक्लजी ने अभिधा को ही काव्य का चमत्काराधायक माना है और उसके लिए उनकी आलोचना भी की गई है, किंतु शुक्लजी के इस निष्कर्ष का भी कोई कारण रहा होगा। संभवतः वस्तुव्यजना तथा ऊहात्मक अलंकार-व्यंजना की रूढ परिपाटी के विरोधी होने के कारण, जिसका खडन शुक्लजी ने कई स्थानों पर किया है, उन्होंने व्यंजना में काव्यत्व मानने का निषेध किया है। शुक्लजी रस को काव्य का चरम लक्ष्य मानते थे, यह एक निर्विवाद सत्य है। अतः प्रकारांतर से शुक्लजी रसव्यंजना को काव्य की आत्मा मानते हैं।

आचार्य शुक्ल के शब्दशक्तिसंबंधी विचार 'रसमीमांसा' में उपलब्ध है। 'रसमीमांसा' के आंग्ल परिशिष्ट तथा उसके आधार पर लिखे गये रसमीमांसा के शब्दशक्ति विवेचन से आचार्य शुक्ल की कुछ मौलिक उद्भावनाओं का पता चलता है।

(१) शुक्लजी ने घटाया है कि प्राचीन आलंकारिकों ने रूढि तथा प्रयोजनवती दो तरह की लक्षणा मानी है। वस्तुतः इनका सांकर्य भी पाया जाता है तथा इस तरह तीसरे भेद की कल्पना भी की जा सकती है। "प्रयोजनवती लक्षणा रूढि भी हो सकती है। इसलिये तीसरा भेद भी होना चाहिए।" इस प्रकार शुक्ल जी रूढि-प्रयोजनवती लक्षणा नामक भेद भी मानते हैं। इसके उदाहरण वे ये देते हैं—'सिर पर क्यों खड़े हो', 'वह उनके चंगुल में है।'^१

(२) 'उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते' इत्यादि पद्य के विषय में हम बता चुके हैं कि यहाँ विश्वनाथ ने वाक्यलक्षणा मानी है। हम इसका खडन कर चुके हैं। हम बता चुके हैं कि पदगत लक्षणा तथा वाक्यगत लक्षणा जैसा भेद मानना ठीक नहीं। इस उदाहरण के संबंध में शुक्ल

जी के विचार द्रष्टव्य हैं। उनके मन में यहाँ वाक्यगत लक्षणा न होकर व्यंजना है। वे बताते हैं कि 'आपने घड़ा उपकार किया' इस वाक्य में 'आपने मेरा उपकार किया है' वह अर्थ लक्षणागम्य नहीं है, वस्तुतः यहाँ व्यंजना ही है। यदि इसके साथ वक्ता 'आपने मेरा घर ले लिया' वह भी कहे, तो लक्षणा हो सकेगी।^१ इन्हीं घात का संकेत शुक्लजी ने आगे भी किया है। विपरीत लक्षणा के संबंध में वे एक शंका करते हैं—'अत्र प्रदन होना है कि उस स्थिति में जय कि किये गए अपकार का कथन गच्छों द्वारा न होगा केवल दोनों व्यक्तियों के द्वारा मन ही मन समझ लिया जायगा तब क्या लक्षणा होगी।^२ स्पष्ट है, शुक्लजी यहाँ व्यंजना ही मानते हैं।

(३) शुक्लजी ने साहित्यदर्पणकार के द्वारा प्रयोजनवर्ती उपादान गौणी सारोपा लक्षणा के उदाहरण के संबंध में बताया है कि 'एते राजकुमारा गच्छन्ति' इस वाक्य में लक्षणा 'राजकुमारा' (राजकुमारों से पद में मिलते जुलते लोगों) में है, 'एते' में नहीं। रसमीमांसा के संपादक पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र ने इस पर आपत्ति की है। वे कहते हैं—'शुक्लजी का कहना है कि 'राजकुमारा' पद ही लाक्षणिक है 'एते' (ये) नहीं। वस्तुतः 'एते' आरोप को पतलाता है। इसलिये 'एते राजकुमाराः' सबका सब लाक्षणिक है।'^३ हमें आचार्य शुक्ल का ही मन ठीक जँवता है। वस्तुतः इसमें 'एते' पद तो जाते हुए लोगों का मुग्धावृत्ति में शोधक है, अतः उसे लाक्षणिक कैसे माना जा सकता है? साथ ही 'एते राजकुमाराः' इस समस्त वाक्य को लक्षणा मानने पर वाक्यगत लक्षणा का प्रमग उपस्थित होगा जिसका हम खंडन कर चुके हैं। इसमें 'राजकुमाराः' पद ही लाक्षणिक है। पहले हम यह पूछ सकते हैं कि 'एते राजकुमारा गच्छन्ति' इस वाक्य में विधेयाश क्या है 'राजकुमारा' अथवा 'एते राजकुमाराः' यह पदद्वय। वस्तुतः कुछ लोग जा रहे हैं यह तो हम मुद्द अंगों से देख रहे हैं, पाठे वह राजकुमार ही, या राजकुमार के समान लोग हैं, या कोई नौकर चाकर हों। पर यह पताने के लिए मि. वे

१. रसमीमांसा पृ० ३७३

२. पृ० ३७६

३. पृ० ३७६ (पाद विरतिः)

लोग जो जा रहे हैं, ऐसे-गैरे लोग नहीं है, राजकुमारों के समकक्ष लोग हैं 'राजकुमाराः' पदका प्रयोग किया गया है। अतः विधेयांश 'राज-कुमाराः' ही सिद्ध होता है। अतः केवल उसे ही 'लाक्षणिक' मानना ठीक होगा। प्रयोजनवती सारोपा गौणी के अन्य उदाहरण में भी जहाँ लक्षणलक्षणा पाई जाती है, वाचक तथा लाक्षणिक दोनों के समवेत वाक्यांश को लाक्षणिक नहीं माना जाना। 'सिंहो माणवकः' या 'गौर्वाहीक' में वस्तुतः लाक्षणिक 'सिंहः' तथा 'गौ' ही है। ठीक वही बात यहाँ लागू होगी। यदि यहाँ इसलिए 'एते' का समावेश करना अभीष्ट है कि यहाँ उपादान लक्षणा होने के कारण लक्ष्यार्थ के साथ ही मुख्यार्थ भी संश्लिष्ट रहता है तो 'राजकुमाराः' का मुख्यार्थ है, 'राजा के लड़के', लक्ष्यार्थ है 'राजा के लड़कों के समान लोग', अतः इस अर्थ में उन दोनों का समावेश 'राजकुमाराः' पद में ही है, इससे तो किसी को विरोध नहीं। जहाँ तक 'एते' पद का प्रश्न है इसका मुख्यार्थ 'राज-कुमाराः' (राजा के लड़के) नहीं है, इसका मुख्यार्थ है 'सामने जाते हुए पुरुषविशेष'। यदि इसका मुख्यार्थ 'राजा के लड़के' होता, तो 'एते राजकुमारा' पूरा वाक्यांश लाक्षणिक माना जा सकता है।

अपने मत की पुष्टि में एक और दलील हम यह भी दे सकते हैं। मिश्रजी ने अपने मत की पुष्टि में लिखा है —, 'वस्तुतः 'एते' आरोप को बताता है'। यह वाक्य अस्पष्ट है। आरोप से मिश्रजी को क्या अभीष्ट है—'एते' आरोप विषय है, या आरोप्यमाण है। दूसरे शब्दों में 'एते' विषय है या 'एते राजकुमाराः' सम्पूर्ण पदद्वय विषयी है। जहाँ तक 'राजकुमारा.' पद के विषयी होने का प्रश्न है, इस विषय में तो कोई विवाद उठता ही नहीं। हम एक दूसरा उदाहरण ले लें। किसी नायिका के मुख को देखकर कोई कहता है—'यह चन्द्रमा है'। इस वाक्य में दो विकल्प होंगे। या तो यहाँ 'यह' को विषय तथा 'चन्द्रमा' को विषयी मानकर सारोपा लक्षणा तथा रूपक अलंकार माना जा सकता है, या फिर 'यह' को 'चन्द्रमा' का विशेषण मानकर सारा ही विषयी मानने पर विषय (नायिकामुख) का निगरण माना जा सकता है। इस मत के मानने पर साध्यवसाना लक्षणा तथा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसी तरह यदि किसी एक पक्ष का कोई साधक बाधक प्रमाण न होगा तो यहाँ संदेह संकर भी माना जा सकता है, ऐसा

मर्मटादि का मत है ।' ठीक इसी तरह यहाँ भी 'एते' को 'जाने हुए लोगो का निर्देशक मानने पर ही सारोपा हो सकेगा । यदि 'एते' को 'राजकुमारा' के साथ जोड़कर लक्षक माना जायगा तो यहाँ सारोपा कैसे हो सकेगी ? यह त्रिचारण्य है ।

(४) अभिधामूला शास्त्री व्यंजना के संभव में शुक्लजी की निम्न टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है । इसमें पता चलता है कि शुक्लजी को श्लेष तथा शास्त्री व्यंजना का वह भेद, जो ध्वनिवादी ने माना है, स्वीकार है । वे कहते हैं — "जहाँ दूसरे अर्थ का बोध कराना भी इष्ट होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, पर जहाँ दूसरे अर्थ की याँ ही प्रतीतिमात्र होती है वहाँ अभिधामूलक शास्त्री व्यंजना हाती है ।"

×

×

×

हम डेगते हैं कि लक्षणा तथा व्यंजना का आधार भी अभिधा ही है । आरंभ में अभिधा को ही विस्तृत बनाकर किमी प्रयोजन के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है । ये लाक्षणिक प्रयोग जब इतने प्रचलित हो जाते हैं कि लोग उन्हें वाचक पदों की तरह बिना प्रयोजन की सहायता के ही समझ लेते हैं तो ये ऋटिमती लक्षणा के क्षेत्र हो जाते हैं । धीरे धीरे ये वाचक की कोटि में प्रविष्ट होते जाते हैं । यही कारण है, कई आचार्यों ने ऋटिमती लक्षणा का खंडन किया है तथा इसे अभिधा का ही अंग माना है । प्रयोजनवर्ती लक्षणा में प्रयोजन सदा व्यंग्यार्थ माना गया है । एमश अत्र यह है कि चमत्कारिक अर्थ के लिए किसी भाव के प्रतिपादन के लिए वक्ता गुम्यार्थ ने हटाकर किसी पद का अन्य अर्थ में प्रयोग करना है । प्रयोजनवर्ती लक्षणा के इस क्षेत्र का सदा विस्तार होता रहता है एक पोर नये शब्द नये नये चमत्कारिक अर्थों को लेकर आते हैं, दूसरी ओर पुराने शब्द अपने चमत्कार को नो छोड़कर ऋटिमत् होते जाते हैं तथा ये 'वाचक' की कोटि में प्रविष्ट होते जाते हैं । किसी देश या मानव समाज के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास के साथ साथ यह शाब्दार्थ संबंधी विकास चलता रहता है इस अर्थ विकास के परिवर्तन के लिए यदि हम किसी

१. 'ऋटिमत्त्वशाब्दार्थसंबन्धित्वेनाप्रतीति' "इतम वदन्त्येदुदितवत्वात्
 अपवमानादितिजायोगि, सि धैतदिति वक्ष्य निर्दिश्य लक्ष्यसंबन्धनादुपपन्न ।

भी भाषा के साहित्य का क्रमिक पर्यालोचन करे, तो पता चलेगा कि जो शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के व्यंजक बनकर किसी खास युग में प्रयुक्त होते हैं, उसके बाद के युग में वे अपना वह अर्थ खो बैठते हैं। संस्कृत में ही हम देखते हैं कि कालिदास ने 'पेलव' शब्द का बड़ा कोमल प्रयोग किया है, किंतु बाद में चलकर संस्कृत साहित्य में ही इस शब्द पर 'सेन्सर' लगा दिया गया है, यह अश्लीलता का व्यंजक समझा जाने लगा है। हिंदी में रीति कालीन कवियों ने स्थूल शृंगार की व्यंजना के लिए जिन पदों का प्रयोग किया, बाद के साहित्य में आकर वे अपनी व्यंजना खो बैठे थे। छायावादी कवियों ने अपने वायवीय शृंगार की व्यंजना के लिए उन पदों को सड़े गले समझा और नये शब्दों को शाण पर चढा कर उनमें नई व्यंजना की आभा भर दी। लेकिन छायावादियों के लाक्षणिक प्रयोग तथा प्रतीक भी धीरे धीरे अपना पालिश खो चुके और प्रयोगवाद ने फिर नये शब्दों को नई चमत्कारवत्ता प्रदान की। शब्द सदा अपने पुराने व्यंग्यार्थ चमत्कार को खोकर वाचक बनता रहता है, अज्ञेय ने 'दूसरे सप्तक' की भूमिका में इस तथ्य का संकेत देते हुए लिखा है —

“यह क्रिया भाषा में निरंतर होती रहती है और भाषा के विकास की एक अनिवार्य क्रिया है। चमत्कार मरता रहता है और चमत्कारिक अर्थ अभिधेय बनता जाता है। यों कहे कि कविता की भाषा निरंतर गद्य की भाषा होती जाती है। इस प्रकार कवि के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि की समस्या बनी रहती है। वह शब्दों को निरंतर नया संस्कार देता चलता है और वे संस्कार क्रमशः सार्वजनिक मानस में पैठ कर फिर ऐसे हो जाते हैं कि उस रूप में—कवि के काम के नहीं रहते। 'वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है।' × × × जब चमत्कारिक अर्थ मरजाता है और अभिधेय बन जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उस अर्थ से रागात्मक संबंध नहीं स्थापित होता। कवि तब उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः राग का संचार हो, पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो।”^१

परिशिष्ट

परिशिष्ट (१)

भारतीय साहित्यशास्त्र के आलंकारिक संप्रदाय

आचार्यों ने काव्य की रीमांसा के विषय में कई प्रश्नों की उद्भावना कर उनका समाधान किया है। सर्वप्रथम तो हमारे सामने यही प्रश्न उठता है कि काव्य का स्वरूप क्या है? हम देखते हैं कि काव्य में कवि अपनी भावनाओं को वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है। इस प्रकार काव्य में वाणी और भाव, शब्द और अर्थ का साहचर्य पाया जाता है। वैसे काव्य का धारा स्वरूप केवल शब्द ही दिखाई देता है, अतः यह धारणा होना संभव है कि काव्य का स्वरूप शब्द है। भारतीय आचार्यों ने काव्य के विषय में दो मत पाये जाते हैं, एक काव्य का स्वरूप 'शब्दार्थ' मानते हैं, दूसरे काव्य का स्वरूप 'शब्द' मानते हैं। 'शब्दार्थ' में काव्यत्व मानने वाले आचार्यों में सबसे प्राचीन भामह हैं। उनके मतानुसार शब्द और अर्थ का साहित्य काव्य है। घाट ने भी कुंनक तथा मम्मट ने भामह की ही परिभाषा को मान्यता दी है। कुंनक के मतानुसार "काव्य वे शब्दार्थ हैं, जो सुंदर कविश्यापार युक्त ऐसी रचना में निरूद्ध हों, जो काव्यमर्मज्ञों को आत्मादिन करने वाली हो।"^१ मम्मट ने काव्य उन शब्दार्थों को माना है, "जो श्लेष, मगुण तथा कहीं-कहीं अनलंकृत भी हो।"^२ दूसरे मत के मानने वालों में मुग्ध दण्डी, विश्वनाथ तथा पंडितराज जगन्नाथ हैं, जो अर्थविशिष्ट शब्द में काव्य मानते हैं। दण्डी के मतानुसार "कथि विवक्षा से युक्त (इष्ट) अर्थ से परिच्छिन्न पदावली (शब्द समूह) काव्य है।"^३

१ शब्दार्थो महितो काव्यम् । —भामहः काव्यालंकार १, १६

२ शब्दार्थो महितो यस्मिन् कविश्यापारमार्त्तानि ।

कथे व्यपस्थितो वाक्यं तद्विद्वद्भाष्यारिणि ॥ —पद्योपनिषत्पिन १, ७

३ शब्दार्थो शब्दार्थो मगुणानलंकृतो पुनः कथारि ।

—दास्यप्रज्ञा १, ४

४ इष्टाधरेपतच्छिन्ना पदावली काव्यम् ।

—दण्डी. काव्यालंकार

विश्वनाथ 'पदावली' को काव्य न कह कर 'वाक्य' को काव्य कहते हैं, उनके मत से "रसात्मक वाक्य काव्य है।"^१ जगन्नाथ पंडितराज ने तो 'शब्दार्थ' को काव्य मानने वाले लोगों का खंडन भी किया है, तथा यह दलील पेश की है कि हम कई बार इस तरह की उक्तियों का प्रयोग करते हैं कि हमने काव्य सुना, पर अर्थ न जान पाये (काव्यं श्रुतं अर्थो न ज्ञातः), इससे यह स्पष्ट है कि काव्य कुछ नहीं शब्दविशेष ही है, अतः काव्य के लक्षण में उसी का व्यवहार करना उपयुक्त है। यही कारण है पंडितराज ने रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द को का-य कहा।^२ का-य की इस समस्त परिभाषाओं में 'शब्दार्थ' में काव्यत्व मानने की परिभाषा अधिक तर्कसमत तथा वैज्ञानिक जान पड़ती है। वस्तुतः शब्द और अर्थ दो होते हुए भी एक हैं, वे एक ही सिक्के के उन दो पहलुओं की तरह हैं, जिन्हें अलग-अलग करना असंभव है। उन दोनों में परस्पर घनिष्ठ अन्वय व्यतिरेक सवध है। इसीलिए तो कालिदास ने वाक् (शब्द) तथा अर्थ को एक दूसरे घनिष्ठतया संपृक्त कहा था।

आचार्यों के समक्ष दूसरा प्रश्न काव्य के प्रयोजन के विषय में था। हम काव्य का अध्ययन क्यों करते हैं, कवि काव्य के प्रणयन में क्यों प्रवृत्त होता है ? भामह के मतानुसार "सत्काव्य का अनुशीलन चतुर्वर्ग में विचक्षणता, कलाओं में प्रीति तथा कीर्ति करने वाला होता है।"^३ मम्मट के मतानुसार काव्य का लक्ष्य 'कान्तासम्मित उपदेश' देना होता है, जा वेदों के प्रभुसंमित उपदेश तथा पुराणोतिहास के मित्रसंमित उपदेश से विलक्षण होता है।^४ इस प्रकार आचार्यों के मत से काव्य का लक्ष्य रसानुभूति के माध्यम से 'रामादिवत् प्रवर्तितव्य न रावणादिवत्' इस मतव्य के द्वारा सत्कर्म में प्रवृत्ति तथा असत्कर्म से निवृत्ति का उपदेश देना है। पाश्चात्य कलावादियों की तरह कोरा मनोरंजन

१. वाक्य रसात्मक काव्यम् । —साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद

२. रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द काव्यम् । —रसगणधर पृ० २

३. धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्य कलासु च ।

करोति प्रीतिर्कीर्तिं च साधुकाव्यनिषेवणम् ॥ —भामह १, २

४. कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे । —काव्यप्रकाश १, २

हमारे किसी आचार्य ने काव्य का लक्ष्य नहीं माना, यद्यपि हमारे आचार्यों ने रसानुभूति को काव्य में कम महत्त्व नहीं दिया है।

काव्य के मंत्रंध में एक तीमरा प्रश्न यह उठता है कि काव्य में ऐसा कौन सा तत्त्व है, जो उसमें चारुता का समावेश करता है, जिसके कारण काव्य गत 'शब्दार्थ' लौकिक 'शब्दार्थ' से विलक्षण हो श्रोता को चमत्कृत करते हैं? यह ऐसा जटिल प्रश्न था, जिसे भारत के आचार्यों ने अपने-अपने ढंग से सुलझाने की चेष्टा की है, तथा इस प्रश्न का इतिहास ही खास तौर पर भारतीय साहित्यशास्त्र का इतिहास है। इसी प्रश्न को सुलझाने समय आचार्यों ने रस, अलंकार, गुण, रीति, चक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, चमत्कार, शय्या, वृत्ति, पाक आदि कई काव्य तत्त्वों की कल्पना की, तथा काव्य के प्रत्येक उपकरण की सूक्ष्म सीमांसा की। इन्हीं में से किसी न किसी एक या दो या अनेक को तत्तन् आचार्यों ने काव्य की चारुता का हेतु माना। चारुता या सौंदर्य की विभिन्न कोटिक मान्यता के ही आधार पर भारतीय साहित्यशास्त्र में कई संप्रदाय देखे जाते हैं। वैसे तो इनमें से कुछ संप्रदाय स्वतंत्र न होकर अन्य-न्य संप्रदायों के ही अवातर प्ररोह हैं, किंतु विद्वानों ने सात साहित्यिक संप्रदायों का संकेत किया है:—(१) रस-संप्रदाय, (२) अलंकार संप्रदाय, (३) रीति गुण संप्रदाय, (४) चक्रोक्ति संप्रदाय, (५) ध्वनि संप्रदाय, (६) औचित्य संप्रदाय, तथा (७) चमत्कार संप्रदाय।'

१. टॉ० एम० कै० दे ने प्रथम पाँच संप्रदायों को ही माना है।—दे० टि० टि० आद्य मन्त्रत पोषटिवम भाग २ । न० म० टॉ० वागे ने भी अपनी मशहूर 'दिष्टी आर मशकन पोषटिवम' में केवल इन्हीं पाँच सिद्धांतों का संकेत किया है।—(दे० वागे टि० म० पा० पृ० ३४०—३७२) पं० यलदेव दत्तात्रय ने 'भाष्येय नाट्यशास्त्र' में छ संप्रदायों का वर्णन किया है। वे भाष्येय को भी एक 'प्रधानभेद' मानता समझता है। (दे० भारतीय साहित्यशास्त्र, प्रथम खंड पृ० २२०) पूर्वोक्त पाँच सिद्धांतों के अतिरिक्त टॉ० वा० गद्यवन ने भाष्येय तथा चमत्कार को नये सिद्धांतों या संप्रदायों का महत्त्व दिया है।—दे० Some Concepts of Alankara Sastra.

(१) रससम्प्रदाय—रससम्प्रदाय सबसे पुराना सम्प्रदाय है। रससिद्धांत का उद्भावक, राजशेखर के मतानुसार, नंदिकेश्वर था। उपलब्ध साहित्य के आधार पर हम नाट्याचार्य भरत को ही रस सिद्धांत का भी आदि आचार्य कह सकते हैं। भरत का समय निश्चित नहीं हो पाया है, किंतु यह निश्चित है कि भरत कालिदास से पूर्व थे, संभवतः भरत के नाट्यशास्त्र का काल विक्रम की दूसरी शती है। भरत ने ८ या ९ नाट्यरसों का वर्णन किया है,^१ तथा रसनिष्पत्ति की सामग्री का भी अपने प्रसिद्ध सूत्र में संकेत किया है—‘विभावानुभाव-व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः’ (नाट्यशास्त्र ६, ३१)। नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में भरत ने रससिद्धांत का पूर्ण विवेचन किया है। इतना होने पर भी यह निश्चित है कि भरत का रस-सिद्धांत दृश्य काव्य तक ही सीमित था। श्रव्य काव्य में यह आनंदवर्धन के समय तक पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं पा सका। भामह को भरत के रस सिद्धांत का पूरी तरह पता था, किंतु वह इसे श्रव्य काव्य के लिए अत्यावश्यक नहीं मानता जान पड़ता। यह कहना कि भामह को रसनिष्पत्ति, उसके उपकरणों विभावादि, तथा तत्तत् रसों का पता ही न था, उद्भावक की वैचारिक अपरिपक्वता का संकेत करेगा। भामह ने स्पष्ट रूप में ‘रसवत्’ अलंकार के प्रकरण में ‘रस’ तथा ‘शृंगारादि’ शब्द का प्रयोग किया है, पर वह ‘रस’ प्रवणता को श्रव्यकाव्य में अलंकार ही घोषित करता है।^२ भामह के मत से काव्य की प्रत्येक चारुता अलंकार की संज्ञा से अभिहित की जा सकती थी। यह कहना कि भामह ने ‘रस’ को मान्यता ही नहीं दी है,

१. शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।

बीभर्त्साद्भुतसज्जौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

—नाट्यशास्त्र ६, १५

भरत की इस कारिका में आठ ही रसों का संकेत मिलता है। बाद के कई आचार्यों ने इसी मत को माना है (दे० धनजय—दशरूपक)। अभिनवगुप्त ने भरत के ही आधार पर ‘अभिनव-भारती’ में शांत रस को भी नवाँ रस माना है, तथा ‘शातोऽपि नवमो रसः’ पाठ माना है।

(दे०—अभिनवभारती ६, १५)

२. रसवद् दर्शितस्पष्टशृंगारादिरसम् यथा । —काव्यालंकार ३, ६

उसने रस का निषेध किया है, बहुत घनी भांति होगी। यह दूसरी बात है कि भामह को रसनिष्पत्ति में संसृष्ट उन सिद्धांतों का पता न था, जो लाष्ट, शंकर या अन्य परवर्ती व्याख्याकारों के द्वारा पाश्चिमी किये गये। भामह ने काव्य में मयने अधिक महत्त्व 'वक्रोक्ति' या 'अतिशयोक्ति' को दिया था, जो ममम अलंकारों का जीवन है।

दण्डी के काव्यादर्श में तो रस सिद्धांत का और अधिक स्पष्ट संकेत मिलता है। दण्डी ने तो माधुर्य गुण में 'रस' का समावेश कर उसे भामह से अधिक महत्त्व दिया है।^१ 'रसवन्' अलंकार के प्रकरण में दण्डी ने स्पष्टतः इस बात का संकेत किया है कि तत्तन् भाव जय 'रस' घन जाते हैं, तो वहाँ 'रसवन्' अलंकार होता है।^२ दण्डी ने द्वितीय परिच्छेद की २८०-२९१ पारिकाओं में 'रसवन्' अलंकार का विश्लेषण करते हुए भरत के आठ रसों तथा उनके तत्तन् भावों के नामों का उल्लेख किया है। जहाँ तक माधुर्य गुण के शब्द (वाचि) तथा अर्थ (वस्तुनि) में स्थित रहने का प्रश्न है, हृदयगमा टीका का यह संकेत है कि शब्दगत या वाच्यगत रस शब्दार्थ में प्रान्यदोष के अभाव के कारण होता है तथा रसवन् अलंकार के रूप में निर्दिष्ट प्रष्टरसायन 'रस' अलंकार होता है। इस प्रकार उसने माधुर्य के संबन्ध में यह गये 'रसवन्' शब्द को अलंकार के लिए प्रयुक्त 'रसवन्' शब्द से भिन्न बताया है।^३ जहाँ तक रसनिष्पत्ति का प्रश्न है, दण्डी ने पौं संकेत नहीं किया, जैसे 'रति शृंगारतां गता' इस पंक्ति में विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि दण्डी ने लाष्ट की भांति शृंगारार्थ को रत्यादि भाव का कार्य मानने हैं।^४ भामह की भांति दण्डी भी 'रस' को अलंकार के रूप में काव्य में गीण स्थान देने हैं।

१. माधुर्यं रसवशाधि वस्तुन्यापि रसमिष्यति ।—काव्यादर्श १, ५१

२. प्राक् प्रीतिर्दंशिता मेधं रतिः शृंगारता गता ।

रूपदाहुरपयोगेन तद्विद् रसवद् वचः ॥ —काव्यादर्श २, २८१

३. माधुर्यगुणे प्रदर्शिता शब्दार्थदोषरहितोपपन्नः एतौ रसो वाच्यव्यपशति, धारणागतया निर्दिष्ट रसवत् सट्टरसायनम् ।

षाद के आलंकारिकों ने तो 'रस' का स्पष्ट संकेत किया है, यह दूसरी बात है कि अलंकार सम्प्रदाय के आचार्यों ने उसमें 'अलंकारत्व' ही माना 'काव्यात्मत्व' नहीं। रुद्रट ने भामह की ही भाँति 'रसमय' काव्य में 'रसवत्' अलंकार ही माना है। यह अवश्य है कि उसने भाव, अनुभाव, स्यायी, संचारी, विभाव जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका प्रयोग भामह तथा दण्डी ने नहीं किया है।^१ प्रो० याकोबी ने एक बार इस मत का प्रदर्शन किया था कि रुद्रट ने ही सर्वप्रथम 'रस' को काव्य की आत्मा घोषित किया है। यह एक अंत मत था^२ जो कर्नल जैकब के काव्यालंकारसारसंग्रह के संस्करण में उपलब्ध एक (प्रक्षिप्त) श्लोक के आधार पर प्रकाशित किया गया था।

रसाद्यधिष्ठितं काव्यं जीवद्रूपतया यतः ।

कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम् ॥

निर्णयसागर तथा बडौदा संस्करणों में यह कारिका नहीं मिलती। निर्णयसागर संस्करण में यह प्रतिहारेदुराज की टीका में किन्हीं लोगों के मत (तदाहुः) के रूप में उद्धृत है। रुद्रट ने काव्यालंकार के आरंभ में ऐसे कवियों की प्रशंसा की है, जिन्होंने रसमय काव्य की रचना से कीर्ति प्राप्त की है। अपने ग्रंथ के बारहवें अध्याय में रुद्रट ने शान्त तथा प्रेय इन दो रसों को भारत के आठ रसों के साथ जोड़कर १० रसों का उल्लेख किया है।^३ उसने शृंगार का विस्तार से वर्णन किया है, तथा नायक नायिका भेद का भी उल्लेख किया है।^४ तेरहवें तथा चौदहवें अध्याय में रुद्रट ने क्रमशः संभोग तथा विप्रलंभ नामक शृंगार भेदों का विवेचन किया है। इस प्रकार रुद्रट ने चाहे 'रस' को काव्यात्म घोषित न किया हो, रस-सिद्धांत की पूर्ण विवेचना की है।

५ देखिये — अलंकारसारसंग्रह १. २-३

(बडौदा संस्करण पृ० ३२, ३३)

६. De : Sanskrit Poetics Vol. II p. 141-42.

१. शृंगारवीरकरुणा वीभक्तमभयानकाद्भुता हास्यः ।

रौद्रः शातः प्रेयानिति मन्तव्या रसाः सर्वे ॥ — काव्यालंकार १२, ३

२. वही १०. ८-९, १२. १७, १२. ४१

वामन तथा कुन्तक जैसे अन्य सिद्धांतशास्त्री भी 'रस' को मान्यता देने हैं, तथा अपने सिद्धांत का कोई न कोई अंग मानते हैं। वामन ने 'रस' को अधिक महत्त्व तो नहीं दिया है, किंतु उने काव्य के नित्य धर्मों में माना है। उसके मतानुसार 'रस' का निरूपण में समाविष्ट हो जाता है।^१ इस प्रकार एक दृष्टि ने वामन को रसमयवी धारणा भासत तथा दण्डी की धारणा ने वहाँ घटकर है—वामन 'रस' को काव्य का नित्य धर्म मानते हैं, जब कि भासह व दण्डी के लिए वह नित्य धर्म न होकर अलंकारों में से अन्यतम था। कुन्तक के समय तक तो 'रस' की पूर्ण प्रतिष्ठापना हो चुकी थी। आनन्दवर्धन 'रस' की महत्ता घोषित कर चुके थे। कुन्तक ने 'रस' को अपने 'वक्रोक्ति' का ही एक प्रकार विनोद माना। कुन्तक ने दो ध्यानों पर 'रस' के संबंध में विचार प्रकट किये हैं। 'रसवत्' के अलंकारत्व का निषेध करते हुए तृतीय उन्मेष में उन्होंने भासह तथा दण्डी का खंडन किया है, तथा उसका अलंकारत्व घोषित किया है।^२ चतुर्थ उन्मेष में कुन्तक ने प्रकरणवचना के अंतर्गत 'रसवक्त्रा' का समावेश किया है। वक्रोक्तिजीवित के द्विती व्याख्याकार विश्वेश्वर सिद्धांतशिरोमणि ने इस प्रकरण की कारिका को निम्न रूप में पुनर्निमित्त किया है:—

यत्रागिरसनिश्चन्द्रनिकप. कोऽपि लक्ष्यते ।

पूर्वोत्तररसन्पाद्यः सागाद्येः कापि वक्रना ॥ (४. १०)

'जहाँ काव्य में प्रकरणों के अन्य पूर्व या उत्तर अंगों के द्वारा कतिपय ऐसी अपूर्व चमत्कृति पाई जाय, जो अंगी रस के निश्चन्द्र

१. शीतलमार वादिः । —भाष्यार्थारससूत्रपृष्टि ३, २, १५

२. भासहारी न रसवत् । रसवदिति याऽप्यनुवादितप्रतीतिनामन्तरा-
स्तस्य धि-पुनर्यद गोपयता इत्यर्थः । कस्मान् कारणात्—'रसवत्-
निरिच्छस्य परम्पाप्रतिभासनात् । उच्यमानस्य चतुर्णो रस रसवत्-
नामोप' परिच्छन्द, तस्मादनिरिच्छस्य'वधिरस्य परम्पाप्रतिभासनात्
समवसोपात्', तद्विदमत्र तावदर्थ—यत् सर्वेषामेवात्तातां सरसि
व. यदवतापनिदमत्' इत्येतिदमत्' इत्येव इत्येवोदात्तविहितोविधि-
भावः सर्वेषु प्रमासुरेषुपि परिच्छुति । रसवत् इत्येव' इत्येवोदात्त-
दुर्गवदिति' इत्येवोदात्त न विच्छिद्येतेव गुणामहे ।

की कसौटी हो, (अर्थात् जो अंगी रस के विलक्षण आस्वाद के कारण होती हो), वहाँ उस प्रकरण के अगादि की भी अपूर्व वक्रता दिखलाई पडती है, ऐसी वक्रता भी प्रकरण वक्रता का एक प्रकार-विशेष है ।”

ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना के कारण ‘रस’ को काव्य में अपना उचित स्थान दिया गया । आनंदवर्धन ने प्राचीन आचार्यों के द्वारा ‘रस’ की अवहेलना करने का खंडन किया तथा अपने ध्वनिभेदों में ‘रसध्वनि’ को काव्य का जीवित घोषित किया । यद्यपि आनंदवर्धन ने ‘ध्वनि’ को काव्य की आत्मा माना है (काव्यस्यात्मा ध्वनिः), तथापि वस्तुध्वनि एव अलंकारध्वनि दोनों को ध्वनि के तीसरे प्रकार रसध्वनि-का उपस्कारक मानकर रसध्वनि की प्रधानता घोषित की है । अभिनव-गुप्त ने अपने ‘लोचन’ में आनंदवर्धन के इस अभिमत को स्पष्टतः संकेतित किया है । ‘ध्वनि संप्रदाय के बाद के सभी आचार्यों ने रस को काव्य में यही स्थान दिया है । मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ, जगन्नाथ जैसे आलंकारिक आनंदवर्धन तथा अभिनवगुप्त के ही मत को मानते हैं ।

ऊपर हमने ‘रस’ के संबंध में आलंकारिकों में क्या धारणा रही है, इसका संकेत किया । रस संप्रदाय के शुद्ध मतानुयायियों में भरत-सूत्र के व्याख्याकार आते हैं । भरत के ‘रसनिष्पत्ति’ संबंधी सूत्र की कई प्रकार की व्याख्याओं का संकेत आलंकारिकों ने किया है । अभिनवगुप्त ने ‘भारती’ में अपने पूर्व के आचार्य लोल्लट, शंकुक तथा भट्ट नायक के रसनिष्पत्ति संबंधी मत का संकेत किया है, तथा उनका खंडन कर अपने नवीन मत की प्रतिष्ठापना की है । मम्मट^३ ने इन्हीं

१. उचितशब्देन रसविषयमेवौचित्यं भवतीति दर्शयन् रसध्वने जीवित-
तत्त्व सूचयति । —लोचन पृष्ठ १३.

(साथ ही) रस एव वस्तुत आत्मा, वस्त्वलंकारध्वनी तु सर्वथा रसं प्रति
पर्यवस्येते । —पृष्ठ २७.

ध्वन्यालोक—लोचन (निर्णयसागर संस्करण)

२. देखिये—अभिनवभारती, अध्याय छः,

३. काव्यप्रकाश चतुर्थ उल्लास पृ० ६१-१०२ (प्रदीप संस्करण, पूना)

चारों मनों का उन्मेष करने का उपप्रकार में किया है। पट्टिभ्राज जगन्नाथ रमन्तिप्रति के संबंध में कुछ अन्य गणों का भी उन्मेष करते हैं और उनके अनुसार भरतमुत्र की उन्मेष प्रकार की व्याख्या भी पाई जाती है। वे रमन्तिप्रति संबंधी व्याख्या मनों का उन्मेष करते हैं। यहाँ हम रमन्तिप्रति के संबंध में प्रचलित प्रसिद्ध चार मनों की ही व्याख्या देगे।

लौक्य, शंकर तथा भट्टनायक के कोई भी ग्रंथ नहीं मिलते। लौक्य तथा शंकर संभवतः भरत के व्याख्याकार थे। भट्टनायक के एक ग्रंथ 'हृदयदर्पण' का नाम भरत मुना जाता है, पर यह भरत की व्याख्या नहीं, या भवतंत्र ग्रंथ इस विषय में जो मत है। डॉ० एम० के० डे ने इसे स्वतंत्र ग्रंथ माना है, जिसका विषय नहिमभट्ट के 'उत्कृष्टविशेष' की तरह 'उत्कृष्टध्वंस' रहा होगा। डे ने इस मत का प्रकाशन व्यक्तियिज्ञ के टीकाकार दय्यक की माध्री पर किया जान पड़ा है।^१ एम० एम० डॉ० फ्रांसे का मत है कि भट्टनायक की इस रचना का नाम केवल 'हृदयदर्पण' न होकर 'सहृदयदर्पण' था।^२ लौक्य का रमन्तिप्रति का साहित्य में 'उत्कृष्टविज्ञ' के नाम से विख्यात है। नीमांसक लौक्य के मतानुसार विभावादि रम के कारण (उत्पादक) हैं, रम विभावादि का कारण (उत्पादक)। इस प्रकार वे 'मयोगान्' का अर्थ 'उत्पादक-उत्पादकभावमयोगान्' तथा 'निप्रति' का अर्थ 'उत्पत्ति' करते हैं। लौक्य रम की स्थिति नट या सामाजिक के हृदय में नहीं मानते। उनके मत में रम की वास्तविक स्थिति अनुकार्य समाधि में ही होती है। यद्यपि नट समाधि नहीं है, तथा जैसे मुक्ति को देखकर रजत को भाति होती है, वैसे ही सामाजिक को नट में समाधि की भाति होती है। शंकर तथा अभिनवगुप्त ने लौक्य के मत में यह दोष बताया है कि प्रथम तो रम तथा विभावादि में कार्यकारणभार नहीं, नहि प्रेमा होता है; नो जैसे मुक्ति का प्राद भी पट का अन्विष्ट रहता है वैसे ही विभावादि के हट जाने पर भी रम पना रहना चाहिये। किन्तु रमानु-

१. रमन्तिप्रति पृष्ठ २६-२७

२. दर्पणो हृदयदर्पणस्यो एव निष्ठांशमन्वयोऽपि । —परिनिष्ठिका पृ० ६

३. Kane: History of Sanskrit Poetics p. 187. (1951 Edition)

भूति में ऐसा नहीं होता, दूसरे यदि सामाजिक को रसास्वाद नहीं होता, तो वह नाटकादि के प्रति क्यों प्रवृत्त होता है।^१

नैयायिक शंकुक के मतानुसार विभावादि रस के 'अनुमापक' हैं रस 'अनुमाप्य'। इस प्रकार शंकुक के मत से 'संयोगात्' का अर्थ है 'गम्यगमकभावरूपात्' (अनुमाप्यानुमापकभावरूपात्) तथा 'निष्पत्तिः' का अर्थ है 'अनुमिति'। भाव यह है, जैसे हम पर्वत में धुआँ देखकर आग का अनुमान कर लेते हैं, वैसे ही नट में रामादि के से अनुभावादि देखकर चित्रतुरगादिन्याय से रस की स्थिति का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार शंकुक भी रस वास्तविक रामादि अनुकार्य में ही मानता है, नट या सामाजिक में नहीं, किंतु लोल्लट से इस मत में इतनी-सी विशिष्टता पाई जाती है कि वह रस सामाजिकों में नहीं होते हुए भी उनकी वासना के कारण उनका चर्वणागोचर बनता है।^२ शंकुक के मत में यह खास दोष है कि वह रस को अनुमितिगम्य मानता है, जब कि रस प्रत्यक्ष प्रमाण सवेद्य है। साथ ही नटादि में जो अनुभावादि दिखाई देते हैं, वे तो कृत्रिम हैं, अतः कृत्रिम अनुभावादि से 'राम सीताविषयकरतिमान् है' यह अनुमान करना ठीक उसी तरह होगा, जैसे कोई कुञ्जटिका (कुहरे) को धुआँ सभक्कर आग का अनुमान करने लगे।

भट्ट नायक के मत से रस भोव्य है, विभावादि भोजक। उसके मतानुसार विभावादि तथा रस में परस्पर 'भोव्यभोजकभावसंबंध' है तथा 'निष्पत्ति' का अर्थ है 'रसको भुक्ति'। भट्ट नायक के अनुसार काव्य में 'अभिधा' व्यापार के अतिरिक्त दो व्यापार और भी पाये जाते हैं—भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार। भावकत्व व्यापार रामादि पात्रों को साधारणकृत कर देता है तथा भोजकत्व व्यापार सामाजिक के सत्त्व गुण का उद्रेक कर रस की भुक्ति कराता है। अभिनवगुप्त ने भट्ट नायक के रस-सिद्धांत में यह दोष निकाला है कि उसने दो ऐसे नवीन व्यापारों की कल्पना की है, जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता।

१. "स्थायी रत्यादिको भावो जनितः" रामादाधनुकार्ये तद्रूपकानुसधानात्तर्तकेऽपि प्रतीयमानो रसः।
—पृ० ६१-६२

२. "तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रस इति शकुकः।

अभिनवगुप्त ने रम की समस्या को हमारे हृदय में सुलनाया है ध्वनिसिद्धांत के द्वारा सम्मत व्यञ्जना शक्ति को ही उन्होंने रमानुभूति का साधन माना है। वे रम को व्यञ्ज्य तथा विभावादि को व्यञ्जक मानते हैं। अभिधा, लज्जा तथा तात्पर्य वृत्ति से अनिश्चित वृत्ति व्यञ्जना के द्वारा काव्यरस या नाट्याभिनय से रमाभिष्यक्ति होती है। अभिनय 'सयोगानु' का अर्थ 'संयोजकताप्रसंगानु' तथा 'निष्पत्तिः' का अर्थ 'अभिष्यक्तिः' करते हैं। इनके मत से रमानुभूति सामाजिक को ही होती है। सामाजिक के मानस में रत्यादि भाव वामना या प्राक्तन संस्कार के रूप में छिपे पड़े रहते हैं। जिस तरह नये संस्कारों में जल डालने पर उममें से मृत्तिका की गंध अभिष्यक्त होती है, वह कहीं बाहर से नहीं आती, न पानी ही उसे उ-रन्न करना है, ठीक वैसे ही जब सहृदय काव्य सुनता है, पढ़ता है या नाट्यादि का अवलोकन करता है, तो उसके मानस में वामनात्मिका स्थित रत्यादि भाव रसस्वरूप में व्यक्त हो जाता है। यह रम विभावादि का कार्य नहीं है, न वे इसके कारण या सापेक्ष कारण ही हैं। रम लौकिक भावानुभव से भिन्न है तथा परिमित अथवा परिमिततर योगियों के संवेदन (ज्ञान) से भिन्न है। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक की तरह रम के लिए विभावादि का साधारणोपकरण सापेक्षक माना है। गण्डव, विद्यनाथ आदि आचार्यों ने अभिनवगुप्त के ही रमसंयोगों का मान्यता दी है। पंडितराज जगन्नाथ ने रमनिष्पत्ति के संबंध में एक नवीन दृष्टांत का संकेत खण्ड्य किया है, वे इसे नव्य आचार्यों का मत बताते हैं। इनके मत से सामाजिक के लक्ष्य में अपने आपकी उपर्युक्त समझने की भावना (एक दोषप्रियेय) पैदा हो जाती है। इस भावना के कारण कल्पितदृष्ट्यतत्त्वके द्वारा अच्युतचित्त अपने प्राय से शृष्टाहाविषय रत्यादि भाव उद्बुद्ध होकर रसस्वरूप प्राप्त करता है।^१

१. रमनिष्पत्ति के इस प्र. १। मतों के कुछ विस्तरपूर्वक संकेत के लिए—
 १०. भोजपुरी भाषा—दिवा दलम्बर (सुनिष्ठा, पृ. ३८, ३९)। रमि
 नवगुप्त से रमसंयोगों मान्यता के विषय में विवेक जग के लिए २०—
 'लोकाशास्त्र' व्यासः रम वृत्ति पर भाष्यरसगुप्त तथा भगवत् सुवर्ण
 (साधारणपरिचित, परिचय, पृ. ५२ अ. ३—८, पृ. २३३, २३८)।

रसके विषय में बाद के आलंकारिकों में भोज, शिग भूपाल, भानुदत्त तथा रूप गोस्वामी का नाम खास तौर पर लिया जा सकता है। भोज को यद्यपि रीति संप्रदाय का भी आचार्य माना जाता है, तथापि रस के विषय में भोज ने नवीन मत उपन्यस्त किया है। उसने शृंगार को ही एक मात्र रस माना है, तथा अन्य रसों को इसी का विवर्त घोषित किया है:—

शृंगारहास्यकरुणाद्भुतरौद्रवीरवीभत्सवत्सलभयानकशांतनाम्नः ।
आत्रासिपुर्दशरसान् सुधियो वयं तु शृंगारमेव रसनाद्रसमामनामः ॥^१

भोज ने रसानुभूति की स्थिति को आत्मस्थित 'अहंकार' का अनुभव माना है।^२ शिगभूपाल में अपने विशाल ग्रंथ 'रसार्णवसिंधु' में रस के अंग प्रत्यंग पर विशद रूप से विचार किया है। भानुदत्त की 'रसमजरी' रस के नायक नायिका भेद परक अंग पर प्रसिद्ध ग्रंथ है, तथा उसका दूसरा ग्रंथ 'शृंगारतरंगिणी' है, जिसमें रस के विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव तथा संचारी का विवेचन मिलता है। इन तीनों आलंकारिकों में एक भोज ही ऐसे हैं, जिनको आचार्य कहा जा सकता है।

रूप गोस्वामी ने उज्ज्वलनीलमणि तथा भक्तिरसामृत सिंधु में एक नये रसकी प्रतिष्ठापना की है:—भक्तिरस या मधुर रस। इसको उन्होंने 'रसरज' घोषित किया है।^३ गोस्वामीजी ने शृंगार रसका परमोत्कर्ष इसी मधुर रस में माना है—अत्रैव परमोत्कर्ष, शृंगारस्य प्रतिष्ठित। (उज्ज्वल० का० ११) इसका स्थायी भाव वे 'मधुरा रति' मानते हैं:—
'स्थायिभावोऽत्र शृंगारे कथ्यते मधुरा रति।'। इस मधुर रस की सबसे

१ Dr. V. Raghavan Bhoja's Srīngaraprakasa
Vol. II p. 470.

२. आत्मस्थित गुणविशेषमहकृतस्य शृंगारमाहुरिह जीवितमात्मयोने ।

—वही p, 444

३ मुख्यरसेषु पुरा यः सक्षेपेणोदितो रहस्यत्वात् ।

पृथगेव भक्तिरसराट् स विस्तरणेणोच्यते मधुर' ॥

प्रती विशेषता यह है कि अन्य रसों में साहित्यिक भाव परमोत्कर्ष को नहीं प्राप्त होते, केवल उमी रस में वे परमोत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। इस मधुर रस में कृष्ण के प्रति परकीया के रूप में रति करना उद्यतम कांठि का माना गया है। अन्य आचार्यों ने परकीया प्रेम में रस न मानकर रसाभास माना है, किन्तु गोश्यामीजी ने एक प्रसिद्ध उक्तोक्त उद्धृत किया है, जिसके अनुसार परकीया रति का अंगो रस के रूप में निबंधन आचार्यों ने लौकिक शृंगार के विषय में मना किया है, कृष्ण-परक परकीया रति के विषय में यह मत लागू नहीं होता।

नेष्टं चदंगिनि रसे कविभिः परोढा नद्गोकुलाद्युज्जनां कुलमन्तरेण ।
आगमया रतिविधेरवतारिताना कंमारिणा रतिकर्मदलशेखरेण ॥

गोश्यामी जी के रससंबंधी मत का साहित्य में गौण महत्त्व ही है, और इसी लिए डॉ० डे ने कहा है कि 'यह ग्रंथ वस्तुतः वैदग्ध्य धर्म का प्रथम है, जिसे साहित्यिक भूमिका में उपस्थित किया गया है।'^१

(२) अलंकार सम्प्रदायः—अलंकार शब्द का टीका इसी रूप में प्रयोग बहुत घाट में मिलता है, किन्तु हमें ऋग्वेद में 'अरकृति' शब्द का प्रयोग मिलता है^२, जो 'अलङ्कृति' का वैदिक रूप है। माहाण तथा निषण्ड में 'अलंकरिण्यु' का प्रयोग मिलता है। नटगणन के गिलालेख में इस घाट का संकेत है कि साहित्यिक गण पण का अलंकरण होना आवश्यक है। अलंकारों की मान्यता का मधमे पदला सकेत भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है। भरत ने ४ अलंकारों का उल्लेख किया है—उपमा, रूपक, दीपक तथा चमक। भरत ने ३६ लक्षणों का संकेत भी किया है। लक्षणों का ज्ञान हमें अलंकारों के विकास को में जानने में मदद कर सकता है। भरत के इन ३६ लक्षणों में हेतु, लेश तथा आशी को घाट के कई आचार्यों ने अलंकार मान लिया है। भामह ने हेतु तथा लेश का अलंकार मानने वाले मत का स्पष्टन किया है, किन्तु आशी को भामह ने भी अलंकार माना है। षण्ठी ने इन तीनों को अलंकार माना है। बाद में आलंकारियों ने

१. D. : Sanskrit Poets p. 336.

२. वा में अथ्याङ्कृति-सूत्रं कथंते मधेशु पाणिनः ।

आशी को अलंकार नहीं माना है, पर अन्य दो को मान्यता दी है। ऋषय दीक्षित के कुवलयानन्द में भी हेतु तथा लेश नामक अलंकार हैं। वैसे तो भरत के लक्षणों में संशय, दृष्टान्त, निदर्शन, निरुक्त तथा अर्थापत्ति ये पाँच लक्षण और ऐसे पाये जाते हैं, जिनका नामतः संदेह, दृष्टान्त, निदर्शना, निरुक्त तथा काव्यार्थापत्ति (अर्थापत्ति) से सर्वत्र दिखाई पड़ता है, पर इनमें प्रथम चार, संदेहादि अलंकारचतुष्टय से भिन्न हैं। अर्थापत्ति तथा काव्यार्थापत्ति दोनों एक ही हैं, तथा भरत के यहाँ यह लक्षण है, बाद के आचार्यों ने इसे अलंकार मान लिया है। भरत तथा परवर्ती आचार्य दोनों ने इसे मीमांसकों से लिया है।

भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के अतिरिक्त गुण, अलंकार तथा दोष का भी उल्लेख किया है। वे १० गुण, ४ अलंकार तथा १० दोषों का संकेत करते हैं। ३६ लक्षणों में प्रथम लक्षण भूषण की परिभाषा में ही वे गुण तथा अलंकार का संकेत करते बताते हैं कि भूषण वह (वाक्य) है, जो गुणों तथा अलंकारों से अलंकृत हो तथा भूषण के समान चित्र (सुंदर) अर्थों से युक्त हो।^१ भरत ने उपमा के पाँच प्रकारों का संकेत किया है—प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सदृशी, किंचित्-सदृशी।^२ रूपक तथा दीपक के भेदोपभेद का संकेत नहीं मिलता, किंतु यमक के दस प्रकारों का उल्लेख पाया जाता है।^३

अलंकार सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य भामह उद्भट तथा दण्डी हैं, वैसे इनके साथ रुद्रट, प्रतीहारेन्दुराज तथा जयदेव का भी नाम लिया जा सकता है। दण्डी को कुञ्ज विद्वान् अलंकार सम्प्रदाय का आचार्य न मानकर रीति-गुण सम्प्रदाय का आचार्य मानना पसंद करते हैं।^४ डॉ० वी० राघवन् दण्डी को अलंकारसम्प्रदाय का ही आचार्य घोषित

१. अलङ्कारैर्गुणैश्चैव बहुभिः समलङ्कृतम् ।

भूषणैरिव चित्रार्थैस्तद्भूषणमिति स्मृतम् ॥ —नाट्यशास्त्र १७-६

२. भरतः नाट्यशास्त्र १७. ५०

३. वहाँ १७. ६३-६५

४ De : Sanskrit Poetics p. 95.

कते हैं।^१ अलंकारसम्प्रदाय के आचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रधानता दी है तथा रम को भी अलंकार ही घोषित किया है। काव्य में अलंकारों की महत्ता बनाने हुए भामह ने कहा है कि अलंकार काव्य की वास्तविक शोभा करने वाले हैं, जैसे रमणी का मुख सुंदर होने पर भी सूर्यरहित होने पर सुशोभित नहीं होता; ठीक वैसे ही काव्य भी रूपरहित अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होना :—

‘न कान्मपि निर्भूषं विभाति वनितासुग्म (काव्यालंकार १. १३) ।

जैसा कि हम रमसम्प्रदाय के सिद्धांतों का तुलनात्मक विवेक्षण देने समय घता आये है भामह, जण्डी उरूट तथा रुद्रट ने रम को रमयन् अलंकार में सन्निहित कर दिया है।

भामह ने अपने ‘काव्यालंकार’ में काव्यशोभा, गुणों व अलंकारों का विवेचन किया है। यद्यपि भामह ‘गुण’ शब्द का प्रयोग मायुष्य, प्रमाद तथा श्रोज के साथ नहीं करते, तथापि उन्होंने इन तीन गुणों का उल्लेख किया है।^२ भामह काव्य को असाध्य (वार्ता) ने अलग करने के लिए यह आवश्यक मानते हैं कि उसमें मालकारना हो। निर्भूष उक्ति को वे काव्य नहीं कहते केवल तथ्यकथन को काव्य मानते या दण्डन करते तथा उसके काव्यत्व का निषेध करते वे कहते हैं :—

गतोऽस्तमर्कं भानोन्दुर्यानि वामाय पद्मिणः ।

अन्वेचनादि कि काव्य, वार्तानेनां प्रचक्षते ।

(२ ८ ७)

अर्थान् नृचं अस्त हा गया, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, पत्नी घोमलो की ओर जा रहे हैं—इस प्रकार की उक्ति क्या काव्य (अथवा द्विधाव्य—कृत्स्नित काव्य) है ? इसे ‘वार्ता’ कहा जाता है (कुछ विद्वान इसमें वार्ता नामक अलंकार मानते हैं) । यही कारण है, भामह ने

१. Really Dandin belongs to the Alankara School much more than Bhamaha.

—Raghavan . Some Concepts of Alankara Sastra p. 139.

काव्य में लोकातिक्रान्तगोचरता आवश्यक मानी है, जिससे काव्य में चारुता का सन्निवेश होता है। भामह काव्य के लिए वक्रोक्ति (अतिशयोक्ति) को महत्त्वपूर्ण समझते हैं, तथा उसी को समस्त अलंकारों का जीवितभूत मानते हैं।

सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यो कोऽलंकारोऽनया विना ॥ (२. ८५)

भामह ने वक्रोक्तिहीन तथाकथित अलंकारों को अलंकार नहीं माना है। इसी आधार पर वे सूक्ष्म, हेतु तथा लेश नामक अलंकारों का निषेध करते हैं,^१ जो भामह के पूर्ववर्ती किन्हीं आचार्यों ने माने हैं, तथा भामह के बाद भी दण्डी ने जिनकी अलंकारता सिद्ध की है। भामह के पूर्व भी कई आलंकारिक हो चुके होंगे और इसीलिए भामह ने काव्यालंकार में अलंकारों का कतिपय वर्गों में वर्णन कर 'अन्ये', 'केचित्' 'परे' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। भामह के इन वर्गों के विभाजन के विषय में विद्वानों के दो मत हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार अलंकारों का यह वर्ग विभाजन अलंकारों के क्रमिक विकास का संकेत करता है, दूसरे विद्वानों के मत से यह भामह की वर्णनशैली मात्र है और कुछ नहीं। भामह के ये वर्ग निम्न हैं:—

१. प्रथम वर्ग—अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक तथा उपमा^२ ।

इसी वर्ग के अंतर्गत भामह ने प्रतिवस्तूपमा अलंकार का भी वर्णन किया है। इस प्रकार प्रतिवस्तूपमा को अलग अलंकार मानने पर इस वर्ग में भामह छः अलंकारों का वर्णन करते हैं। विद्वानों का मत है कि यहाँ भरत के द्वारा सम्मत चार अलंकारों का वर्णन करना भामह को अभीष्ट है तथा अनुप्रास का वर्णन अधिक माना जा सकता है। इसी प्रकरण में भामह ने ७ उपमा दोषों का संकेत किया है तथा उपमा दोषों के संबंध में अपने से पूर्ववर्ती आचार्य मेधावी का उल्लेख किया है।^३

१. भामह . काव्यालंकार २, ८६

२ वही २, ४

३. त एत उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिताः । —वही २, ४०

२. द्वितीय वर्ग—आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, तथा अतिशयोक्ति ।

इसी प्रकारण में भामह ने अतिशयोक्ति (या वक्तोक्ति) की मूढता का तथा सूक्ष्म, लेश एवं हेतु के अनलंकारत्व का उल्लेख किया है ।

३. तृतीय वर्ग—यथासंख्य, उत्प्रेक्षा तथा स्वभावोक्ति ।

भामह ने यथामंस्य के अन्य नाम संख्यान का उल्लेख करते हुए बताया है कि मेघादी इसे संख्यान कहते हैं । इसी वर्ग के अंत में भामह ने 'स्वभावोक्ति' को भी अलंकार माना है तथा बताया है कि इन्द्र विद्वान् स्वभावोक्ति को भी अलंकार मानते हैं । स्वभावोक्ति की परिभाषा देते हुए भामह ने बताया है कि 'स्वभाव' का अर्थ है अर्थ का तदवस्थत्व (अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावः) ।

४. चतुर्थ वर्ग—प्रेय, रसवन्, ऊर्जस्वी, पर्यायोक्त, समाहित, उद्गान (शं प्रकार का), श्लेष (त्रिप्रकार), अपह्नुति, विशेषोक्ति, विगोप, तुल्ययोगिता, अपस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, निर्दर्शना, उपमास्वरूपक, उपमेयोपमा सहोक्ति, परिवृत्ति, ससन्देह, अनन्वय, उत्प्रेक्षावचन, संसृष्टि, भाविक, आशी ।

इन २४ अलंकारों का वर्णन तृतीय परिच्छेद में किया गया है । भामह ने प्रेय, ऊर्जस्वी तथा समाहित अलंकारों का कोई लक्षण नहीं दिया है, केवल इनके उदाहरण देकर ही इन्हें स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है । यथा,

प्रेयो गृहामतं कृष्णमवादीष्टिदुगे यथा ।

अथ या मम गोविद जाता त्व्या गृहामतं ।

काजेनेषा भवेत्प्रानिम्नैर्वागमनत्तुनः ॥ (३, ५)

भामह के इन अलंकारों में से कुछ शब्द के अलंकारियों की परिभाषाओं में मेल नहीं पाते । उपमास्वरूपक, उत्प्रेक्षावचन दो अलंकार ऐसे हैं, जिनका शब्द के अलंकारियों ने निषेध किया है, यद्यपि ये संकर अलंकार के ही भेद हैं । भामह संकर अलंकार को नहीं मानते । उनके संसृष्टि अलंकार में ही संकर का समावेश हो जाता है । अन्-

कारों के प्रकरण को समाप्त करते हुए भामह ने 'आशीः' को भी अलंकार माना है। बाद में दण्डी ने भी 'आशीः' का अलंकारत्व माना है, पर अन्य परवर्ती आलंकारिक 'आशी' को अलंकार नहीं मानते। भामह के अनुसार 'कुछ विद्वानों ने आशी, को भी अलंकार माना है'। जहाँ प्रिय (सौहृदय) अविरोद्ध उक्ति का प्रयोग हो, वहाँ आशी अलंकार होता है।^१ भामह ने इसके दो रमणीय उदाहरण दिये हैं, जिनमें प्रथम निम्न है—

अस्मिन् जर्हाहि सुहृदि प्रणयाभ्यसूया
माश्लिष्य गाढममु मानतमादरेण ।
विन्ध्यं महानिव घनः समयेऽभिवर्ष —
ज्ञानन्दजैर्नयनवारिभिरुक्षतु त्वाम् ॥

कोई सखी प्रणयकोपाविष्ट नायिका को मनाती कह रही है—
'हे सखि, पैरों पर गिरे इस नायक के प्रति प्रणयेष्ट्या को छोड़ दे, इसका आदर के साथ गाढ आलिंगन कर। आलिंगन से आनन्दित होकर यह आनन्दाश्रुओं से तुझे ठीक इसी तरह सींचे, जैसे समय पर वृष्टि करता महान् मेघ विन्ध्य पर्वत को सींचता है।'

भामह ने काव्यालंकार में ३९ अलंकारों का वर्णन किया है। इन्हीं में कुछ जोड़ कर और कुछ का निषेध कर दण्डी ने अलंकारों का वर्णन किया है। उद्भट भी प्रायः भामह के ही अलंकारों को मान्यता देता है। भामह, भट्टि, दण्डी, उद्भट तथा वामन सभी प्राचीन आलंकारिक प्रायः ३० और ४० के बीच काव्यालंकारों की संख्या मानते हैं। अलंकारों की संख्या का परिवर्धन सर्वप्रथम हमें रुद्रट के काव्यालंकार में मिलता है।

भामह के बाद अलंकार सम्प्रदाय के दूसरे प्रधान आचार्य दण्डी हैं। दण्डी को वस्तुतः किस सम्प्रदाय का आचार्य माना जाय, इस विषय में विद्वानों के दो मत हैं। डॉ० सुशीलकुमार दे ने 'संस्कृत पाठ-टिक्स' में दण्डी को रीतिसम्प्रदाय के आचार्यों में स्थान दिया है तथा इस दृष्टि से उन्हें वामन का पुरावर्ती माना है। डॉ० राघवन् ने उन्हें

१ आशीरपि च केषाचिदलंकारतया मता ।

सौहृदयविरोद्धोक्ती प्रयोगोऽस्याश्च तद्यथा ॥—काव्यालंकार ३, ५५

अलंकार सम्प्रदाय का आचार्य माना है। यद्यपि डॉ० रायचन्द्र ने यह भी कहा है कि दंडी ने गुण व रीति की कल्पना में भी तम हाथ नहीं डंटाया है फिर भी दंडी को अलंकार सम्प्रदाय का ही आचार्य मानना ठीक होगा। अलंकारों के विकास में दंडी का हाथ भागद में किसी भी अवस्था में कम नहीं है। दंडी का "काव्यादर्श" भागद के "काव्यालंकार" की भाँति 'सम्कृत साहित्यशास्त्र' के विकास में विशेष स्थान रखता है। काव्य के उस गुणों, उल्लेख, प्रमाद, समता, साधुता, गुरु-मात्रता, अर्थव्यक्ति, उदारता, शोज, कान्ति समाधि वा सर्वप्रथम स्पष्ट विवरण देने वाले दण्डी ही है, यद्यपि इन गुणों का उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में भी मिलता है। गुणों के बाद दंडी ने काव्यमार्गों (रीति) का भी वर्णन करते हैं। अलंकारों का वर्णन दंडी ने दो परिच्छेदों में किया है। वे अलंकारों को शब्द तथा अर्थ दो भेदियों में विभक्त करते हैं। शब्दालंकारों का वर्णन करते हुए दंडी ने चमक के भिन्न भिन्न प्रकारों का विग्रह रूप में वर्णन किया है। अर्थालंकारों के प्रति दंडी ने विशेष ध्यान दिया है तथा ३५ अर्थालंकारों की विवेचना की है। भेदोपभेद की दृष्टि से दंडी में मौलिक उद्धारनाएँ मिलती हैं। उदाहरण के लिए दंडी ने उपमा के २ भेद माने हैं। उल्लेख तथा प्रतिशयोक्ति को दंडी ने अधिक महत्त्व दिया है। समस्त वाच्य को दंडी ने दो वर्गों में बाँटा है:—स्वनायोजि तथा यथोक्ति तथा इन्हीं में काव्य का सौन्दर्य घोषित किया है।

अलंकार सम्प्रदाय के तीसरे आचार्य उद्भट हैं। उद्भट के तीन ग्रंथों का संस्मृत मिलता है—भरत के नाट्यशास्त्र की व्याख्या, भागद के काव्यालंकार की विवृति तथा काव्यालंकारसंग्रह। इनमें केवल अतिम ग्रंथ ही उपलब्ध है, अन्य दो ग्रंथ नहीं मिलते। उद्भट ने यद्यपि भागद के अलंकार संबंधी विचारों का ही पल्लवन किया है, तथापि अलंकार सम्प्रदाय के आचार्यों ने उद्भट का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध रखा है। आनंदराधन तथा अभिनवगुप्त ने उद्भट को ही अलंकार सम्प्रदाय का प्रतिनिधि मानना मानकर उनके मतों का उल्लेख किया है। उद्भट के आचार्यत्व का निम्न कारणों से पार्य जाया है:—

(१) उसके काव्यालंकार में सर्वप्रथम पदमा, नागरिका तथा शोभना इन तीन वाच्यदण्डियों का संस्मृत मिलता है।

(२) अभिनवगुप्त के मत से उद्भूट भी वामन की तरह ध्वनि को लक्षणा में ही अन्तर्भावित करते हैं ।

(३) रसवदादि अलंकारों के विषय में उद्भूट भामह का ही अनुसरण करते हैं ।

काव्यालंकार में उद्भूट ने ४१ अर्थालंकारों का वर्णन किया है । इन अलंकारों में उद्भूट ने कई स्थानों पर नये भेदों की कल्पना की है । उदाहरण के लिये उद्भूट ने ४ प्रकार की अतिशयोक्ति मानी है । अनुप्रास के छेक, लाट तथा वृत्तिनामक भेदों का भी सर्वप्रथम उल्लेख उद्भूट में ही मिलता है ।

अलंकार सम्प्रदाय के अन्य आचार्य रुद्रट हैं । वैसे रुद्रट 'रस-सिद्धांत' से भी प्रभावित हैं, तथापि उन्हें भी अलंकार सम्प्रदाय का ही आचार्य मानना ठीक होगा । उनका ग्रंथ 'काव्यालंकार' है । इसमें १६ परिच्छेद हैं, जिनमें लगभग १० परिच्छेदों में अलंकारों का ही विवेचन पाया जाता है । रुद्रट ने लगभग ६८ अलंकारों का वर्णन किया है । रुद्रट ने ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूप में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार के विभाजन की पृष्ठभूमि दी है । शब्दालंकारों में रुद्रट ने वक्रोक्ति, श्लेष, चित्र, अनुप्रास तथा यमक का विवेचन किया है । अर्थालंकारों को चार वर्गों में बाँटा गया है:—वास्तव, औपम्य, अतिशय तथा श्लेष । रुद्रट ने काव्य में अलंकारों को ही मुख्यता दी है, किंतु रस की सर्वथा अवहेलना नहीं की है । इसीलिये काव्यालंकार के दो परिच्छेदों में रस का विस्तार से वर्णन मिलता है ।

अलंकार सम्प्रदाय का विवरण समाप्त करने से पहले इस सम्प्रदाय के पुनरुत्थान का थोड़ा उल्लेख कर देना आवश्यक होगा । रस तथा ध्वनिसिद्धान्त के जोर पकड़ने पर अलंकार सिद्धांत कमजोर पड़ गया था । यह अवश्य है कि ध्वनिवादियों ने अलंकारों को अपनी सिद्धांतसरणि में अंतर्भावित कर लिया था । किंतु अब अलंकार काव्य के एकमात्र चमत्कारी उपकरण न रहकर, गौण उपकरण हो गये थे । इसीलिये मम्मटाचार्य ने अपनी काव्य की परिभाषा में अलंकारों को अनिवार्य न मानते हुए 'अलंकृती पुनः क्वापि' कहा था । ध्वनिवादियों ने अलंकारों को काव्य के लिए अनिवार्य नहीं माना है । इस प्रकार अलंकारों का महत्त्व कम होने पर भी कुछ आचार्य ऐसे थे जो

काव्य में अलंकारों को रमणी के मैत्रलाकुण्डलादि के सदृश प्रायः शोभा विधायक मानने को उचित न थे। ये आचार्य पुराने अलंकार सम्प्रदाय के ही पोषक थे। हाँ, काव्य की आत्मारम के विषय में इनका नृद्विराग भावह, ठण्ठी या श्लुट की अपेक्षा अधिक विशाल था। चन्द्राक्षरशर जयदेव से हमें अलंकार सम्प्रदाय के पुनरुत्थान की चेष्टा मिलती है। जयदेव के ही मार्ग का अनुसरण करनेवाले प्रायः दीक्षित हैं, किन्तु अल्पव्ययी अलंकार सम्प्रदाय के इतने कट्टर अनुयायी नहीं जान पड़ते जितने जयदेव। जयदेव के मन में अलंकार काव्य के अनिवार्य गुण हैं, जिनके अभाव में काव्य अपने स्वाभाविक गुण से रहित हो जायगा। इमीलिये मन्मट के काव्य लक्षण का गणन करने हुए वे कहते हैं कि 'अनलंकृत शब्दार्थ को भी काव्य माननेवाले (मन्मट) अग्नि को अनुष्ण (उष्णतारहित) क्यों नहीं मान लेते।' जयदेव के मतानुसार काव्यगत शब्दार्थ तथा अलंकार का परस्पर ठीक वही संबंध है, जो अग्नि और उसकी उष्णता का। जयदेव का यह मत अधिक प्रचार न पा सका।

(३) रीति सम्प्रदाय, - रीति सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य घामन माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी 'काव्यालंकारमूर्त्तिसि' में रीति को काव्य की आत्मा निश्चय किया। किन्तु रीति की कल्पना करने वालों में सर्वप्रथम घामन नहीं हैं। अलंकारों की भाँति ही रीति की कल्पना भी मानह एव श्लो ने भी पुरानी है, यह हमारी धारणा है कि वे 'रीति' शब्द का प्रयोग न कर इसके लिए 'मार्ग' शब्द का प्रयोग करते हैं। रीति के विकास में हम तीन अवस्थाएँ पाते हैं, प्रथम स्थिति में रीति का संबंध भौगोलिक दृष्टि से लिए गए साहित्यालोचन से था, द्वितीय स्थिति में रीति का यह संबंध भौगोलिक अर्थ लुप्त हो गया और रीति का संबंध कतिपय काव्यगुणों से तथा प्रबन्ध (उपनय) से स्थापित किया गया, तिसरी स्थिति रीति के विकास में यह है, जयदेव ने रीति को एक नवीन कल्पना की तथा उसे रीति का वैयक्तिक गुण घोषित किया।

रीति के भौगोलिक विभाजन की कल्पना भामह से भी पुरानी है, क्योंकि भामह ने अपने समय में प्रचलित रीतिसंबंधी धारणा की आलोचना की है। वैसे भामह ने 'रीति' शब्द का व्यवहार नहीं किया है, पर वह "वैदर्भ" तथा "गौडीय" इन दो मार्गों का वर्णन अवश्य करते हैं। भामह ने इस मत का खंडन किया है कि इन मार्गों में से एक अच्छा है, दूसरा बुरा। वे कहते हैं—“यह काव्य गौडीय है, यह वैदर्भ है, यह उक्ति गतानुगतिक न्याय के कारण चल पड़ी है। इस तरह का नाना प्रकार का कथन मूर्खों की भेडियाधसान है।”^१ भामह के मतानुसार दोनों ही काव्य रचना के दो विभिन्न मार्ग हैं, तथा प्रत्येक में अपने निश्चित लक्षण विद्यमान हैं, अतः एक की प्रशंसा तथा दूसरे की निंदा करना ठीक नहीं। काव्य के उदात्त होने के लिए उसका अलंकार से युक्त होना, अर्थ्य, अग्राम्य, न्याय तथा अनाकुल होना आवश्यक है, इस तरह का गौडीय मार्ग भी ठीक है तथा इससे विरुद्ध वैदर्भ मार्ग भी अच्छा नहीं।^२ भामह के मतानुसार वैदर्भों के गुण अनतिपोष, अनतिवक्रोक्ति, प्रसाद, आर्जव, कोमल तथा श्रुति-पेशलत्व है।^३ भामह के समय में गौडी बड़ी हेय समझी जाती थी, इसका कारण यह था कि उसमें अक्षराढम्बर अत्यधिक पाया जाता था। गौडी की यही स्थिति दंडी के समय भी पाई जाती है।

दंडी ने 'काव्यादर्श' में गुणों तथा दोनों काव्यमार्गों का वर्णन किया है। भामह ने केवल तीन गुणों का उल्लेख किया है। दण्डी ने १० गुणों की कल्पना की है तथा बताया है कि वैदर्भों में ये दसो गुण पाये जाते हैं। ये दस गुण ही तत्तत् मार्ग (रीति) के नियामक हैं। दंडी गुण तथा मार्ग में अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित कर देते हैं। दंडी के द्वारा गुणों की समुचित प्रतिष्ठापना के कारण कुछ विद्वान् उन्हें 'रीति-गुण सम्प्रदाय' का ही आचार्य मानते हैं किंतु दंडी को अलंकार संप्रदाय का ही आचार्य मानना विशेष

१. गौडीयमिदमेतत्तु वैदर्भ मिति किं पृथक् ।

गतानुगतिकन्यायाज्ञानाख्येयमभेधसाम् ॥—काव्यालंकार १, ३२

२. वही १, ३५

३. वही १, ३३

सर्वमगत ज्ञान पडना है। दंडो ने गौडो की विधि की निन्दा की है, वे इसे अच्छा मार्ग नहीं मानते। इमी को वे पौरुष्य काव्यपद्धति के नाम से भी अभिहित करते हैं। उनके मतानुसार इस काव्यपद्धति की विशेषता अनुप्रास तथा अर्थालंकारद्वन्द्व है। दंडो इन दोनों विशेषताओं को श्लेष तथा समता का विरोधी मानते हैं, जो वैदर्भी के गुण हैं। दंडो इमी बात को यों कहते हैं।

अनुप्रासविद्या गौडैस्त्विट्टं द्वन्द्वगौरवान् ।— काव्यादर्श १, ४७

x

x

x

इत्यनालोन्य वैपन्यमर्थालंकारद्वन्द्वम् ।

अवेक्ष्यमाणा वचुथे पौरुष्या काव्यपद्धति ॥—वर्षा १, ५७

आगे जाकर दंडी ने घनाया है कि गौडों ने वैदर्भ मार्ग को पसंद नहीं किया कि क्योंकि उन्हें अनुप्रास बहुत प्यारा है।

इतीदं नाहतं गौडैरेनुप्रासस्तु तत्प्रियः ।—वर्षा १, ५७

दंडी के घाट मार्गभेद का संकेत हमें घाण ने मिलता है। घाण ने काव्य में चार प्रकार की पद्धतियों का संकेत दिया है। हर्षचरित के प्रस्तावनाभाग में प्रसंगवश घाण ने भौगोलिक आधार पर चार राज्य मार्गों की विशेषताओं का उल्लेख किया है—

“उत्तर के लोग श्लेषमय काव्य को अधिक पसंद करते हैं, पश्चिम के लोग केवल अर्थ को ही पसंद करते हैं, दक्षिण के लोगों में उपेक्षा अन्वय का विशेष प्रचार है, और गौड देश के लोगों को अक्षरद्वन्द्व अधिक अच्छा लगता है।”

किंतु घाण स्वयं उत्तम काव्य की पद्धति बट मानते हैं, जिसमें इन चारों मार्गों का समन्वय हो। तभी तो घाण कहते हैं कि “नारीन अर्थ, सुंदर (अप्रास्य) स्वभावोक्ति (जाति), अक्लिष्ट श्लेष, स्पृष्ट रस तथा विकट अक्षरों की सघटना एक साथ राज्य में मिलना दुर्लभ है।”

१. श्लेषमायतुश्लेषेणु प्रतीत्येवार्थमापन्नम् ।

उपेक्षा अर्थालंकारेषु गौडैरेक्षरद्वन्द्वम् ॥

—हर्षचरितम्

२. अक्षरद्वन्द्वं अतिप्रसन्ना इत्येवंप्रियं स्पृष्टं रसम् ।

उत्तरं उत्तरदेश्यं स्वभावोक्तिं सुंदरम् ॥

—हर्षचरितम् ।

रीति के इतिहास में वामन का प्रमुख स्थान है। वामन ने ही सर्व-प्रथम रीति को काव्य की आत्मा उद्घोषित किया। उनके अनुसार रीति का अर्थ है 'विशिष्ट पद रचना।'

रीतिरात्मा काव्यस्य ।

—काव्यालंकारसूत्र २, ६

विशिष्टपदरचना रीतिः ॥

—वही २, ७

वामन ने गुणों को शब्द गुण तथा अर्थ गुण के रूप में विभक्त किया है। उन्होंने बताया है कि गुणों का रीति से घनिष्ठ संबंध है। गुणों तथा अलंकारों का भेद बताते हुए वामन ने कहा है कि गुण काव्य के नित्य धर्म हैं, तथा काव्य शोभा के कारक हेतु हैं, जब कि अलंकार उस शोभा के बढ़ाने वाले हैं।^१ वामन ने शब्दगुणों की अपेक्षा अर्थगुणों को अधिक महत्त्व दिया है तथा बताया है कि रीति अर्थगुणों के ही कारण उत्कर्ष को प्राप्त होती है। अर्थगुण ही काव्य को रसमय बनाते हैं। इसीलिए वामन ने 'कान्ति' गुण में 'रस' का समावेश करते हुए कान्ति गुण वहाँ माना, जहाँ रस की उद्दीप्ति हो।^२ वामन भी वैदर्भी को ही उत्तम काव्यरीति मानते हैं, किंतु दण्डी की भाँति गौडी को घुरा नहीं मानते। वामन के मतानुसार गौडी में भी वैदर्भी के सारे गुण पाये जाते हैं। हाँ, वैदर्भी के माधुर्य तथा सौकुमार्य वहाँ न पाये जाकर उनके स्थान पर समासबाहुल्य तथा उज्ज्वलपदत्व पाये जाते हैं, जिन्हें हम ओज तथा कान्ति शब्दगुणों का प्राचुर्य कह सकते हैं। वामन ने वैदर्भी तथा गौडी के अतिरिक्त पांचाली नामक तीसरी रीति की भी कल्पना की है। इस रीति को वैदर्भी तथा गौडी का मिश्रण कहा जा सकता है। वामन ने इन तीनों रीतियों में वैदर्भी की ही प्रशंसा की है तथा कवियों को उसी का प्रयोग करने की सलाह दी है, क्योंकि उसमें समस्त गुण पाये जाते हैं, जब कि पांचाली तथा गौडी में कतिपय गुण ही पाये जाते हैं।^३ गुणों की स्फुटता के कारण ही काव्य में परिपक्वता आती है और यह परिपक्वता आम्र की परिपक्वता की

१ काव्यालंकार सूत्र ३. १. १-२

२. दीक्षरसख कान्ति ।

—वही ३. २ १५

३ तासा पूर्वा ब्राह्म्या । गुणसाफल्यात् । न पुनरितरे स्तोःगुणत्वात् ।

—वही १. २. १४-१५

भौति होती है। वामन ने दो तरह के पादों का संकेत किया है, एक क्षात्रपाद, दूसरा वृत्ताक्षपाद। वामन ने प्रथम को उपाधेय माना है, द्वितीय को घृणित।

वामन के बाद रुद्र ने अपने "लाट्यालंकार" में वामन की तीन रीतियों के स्थान पर चार रीतियों का वर्णन किया है।^१ यह नई रीति "लाटीया" है। रुद्र ने बताया है कि रीति का विषय ने प्रतिष्ठ संबंध है।

"चैदर्शो श्रीर पाशाली इन दो रीतियों का उपयोग शृंगार तथा कलात्मक रस में होना चाहिये, भवानक श्रुत एव गौड रसों में लाटी तथा गौडी रीतियों का समुचित प्रयोग करना चाहिये।"^२

ध्वनिवादियों ने रीति को काव्य की संचयना माना है। विद्वन्नाथ ने इसी मतका अनुसरण करते हुए रीति को काव्य-शरीर का अत्यव्यवस्थान कहा है। भग्मट ने रीतियों का वर्णन नहीं किया है, बल्कि वे उपनागरिका, पदपा तथा रोमला वृत्ति का संकेत करते हैं तथा इसी संकेत में यह देना देते हैं कि रामनादि इन ही चैदर्शो आदि रीतियों मानते हैं।^३ विद्वन्नाथ ने चैदर्शी, गौडी, पाशाली तथा लाटी चारों रीतियों का वर्णन किया है। पठितभाज जगन्नाथ ने भी रीति के प्रयोग का उल्लेख नहीं किया है। जहाँ तक गुणों का प्रश्न है, भग्मट ने वामन के दस शब्द गुणों तथा दस स्वार्थ गुणों का उल्लेख किया है। भग्मट के मतानुसार उन सवका समावेश प्रसाद, माधुर्य तथा शोज इन्हीं तीनों में हो जाता है। भग्मट ने बताया है वामन के कुछ गुण इन्हीं तीनों में अन्तर्भावित हो जाते हैं, कुछ शेषाभाव मात्र हैं और कुछ (मागभिदम्बा समया जैसे गुण) कहीं कहीं शेष होते हैं, अतः दस गुण न मानकर तीन ही गुण मानना चाहिये।^४ भग्मट ने

१. र. प्यालंकार २. १-५-६

२. चैदर्शो श्रीर पाशाली प्रेक्षितरश्मि भवानकादृशुवरी ।

लाटीया गौडीये रीति उपाधेय वरीधियवग ।

—वर्षी १.२. २७

३. चैदर्शिविदेशा चैदर्शी उच्यन्ते । अथवा । —र. प्यालंकार २. १. ६

४. अत्रिभ्योऽप्युच्यते हीरादिव्यवसरे विद्या ।

चैदर्शवन्ति २.१२१ चैदर्शवन्ति चैदर्शी २५ । —र. प्यालंकार २. १. ७

गुणों के विषय में एक नवीन धारणा को भी जन्म दिया है। पंडित-राज जगन्नाथ ने मम्मट की पद्धति का अनुसरण न कर पुनः नामन के बीस गुणों—१० शब्दगुण तथा १० अर्थगुण—की कल्पना को पुष्ट किया है। वे 'जरत्तरो' (प्राचीनों के गुण संबंधी मत का उल्लेख कर तदनु रूप ही २० गुणों का विवेचन करते हैं।^१

शिग भूपाल ने रीति की परिभाषा "पद विन्यास-भंगी" दी है तथा कोमला, कठिना और मिश्रा ये तीन रीतियाँ मानी हैं, जो वस्तुतः वैदर्भी, गौडी एवं पांचाली के ही दूसरे नाम हैं। रीति के भेदोपभेद के विषय में नवीन कल्पना करने वाले भोज हैं। सरस्वतीकंठाभरण में वे ६ रीतियों का उल्लेख करते हैं:—वैदर्भी, गौडो, पांचाली, लाटी, आवंती एवं मागधी। भोज की पूर्व चार रीतियाँ ठीक वही हैं, जो प्राचीन आलंकारिकों की। आवंती रीति वहाँ मानी गई है, जहाँ दो, तीन या चार समस्त पद हों, तथा जो पांचाली और वैदर्भी के बीच हो।

अन्तराले तु पांचाली वैदर्भोर्यावतिष्ठते।

सावन्तिका समस्तैः स्याद्वित्रैस्त्रिचतुरै पदैः ॥

—सर० क० २, ३२

अतः भोज के मतानुसार यह रीति लाटी रीति की अपेक्षा वैदर्भी के अधिक समीप है, क्योंकि उसके मतानुसार लाटी में सभी रीतियों का सम्मिश्रण होता है, साथ ही वह समासप्रधान भी होती है। (समस्तरिति वर्यामिश्रा लाटीया रीतिरुच्यते।—वही २, ३३) मागधी रीति वहाँ होती है, जहाँ पहली रीति का निर्वाह न किया गया हो अर्थात् जहाँ पूर्वार्ध में किसी अन्य रीति का ग्रहण किया गया हो, किंतु उसे छोड़-

१. जरत्तरास्तु —

इलेपः प्रसाद समता माधुर्यं सुकुमारता ।

अर्धव्यक्तिरुदारस्वमोजःकातिसमाधयः ॥^१

इति दश शब्दगुणान्, दशैव चार्थगुणानामनन्ति ।

नामानि पुनस्तान्येष, लक्षणं तु भिन्नम् ।

कर उत्तमार्थ में दृमरी ही रीति प्रहण कर ली गई हो। इमालिए इने संशरीनि भी कहने है। (पूर्वरीतेरनिर्वाहे न्यंतरीतिम्नु मागधी । २, ३३)

यद्यपि कुंतक वक्रांक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, तथापि 'रीति' के संबंध में उन्होंने एक नई कल्पना को जन्म दिया है। कुंतक ने रीति को मार्ग के नाम से पुकारा है तथा रीति की देशसंबंधी धारणा का खंडन किया है। वे घनाते हैं कि देश भेद के अनुसार रीति या कल्पना करने पर तो रीति भेद की अनंतता होनी।^१ साथ ही कुंतक को रीति के देशभेद संबंधी—वैदर्भी, गौडी या पांचाली—जैसे नामकरण ने ही आपत्ति नहीं है, वे इनके उत्तम, मध्यम, अधम भेद मानने की धारणा का भी खंडन करते हैं।^२ कुंतक रीति की धारणा देश भेद के आधार पर न मानकर कवि के स्वभावभेद के आधार पर मानना उचित ठीक समझते हैं। वे घनाते हैं:—“कवि के स्वभावभेद के आधार पर किया गया काव्य-मार्ग का वर्गीकरण संगत माना जा सकता है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान् में अभेद संबंध होता है, अतः सुकुमार स्वभाव वाले कवि की शक्ति तदनु रूप ही महज सुकुमार होती है। उन सुकुमार शक्ति के कारण वह सुकुमार स्वभाव वाला कवि वैसी ही सुकुमार-रमणीय व्युत्पत्ति को प्राप्त होता है। तदनंतर सुकुमार शक्ति तथा सुकुमार व्युत्पत्ति के कारण वह सुकुमार मार्ग का आश्रय लेता है।”^३ ठीक यही धार विचित्र स्वभाव वाले कवियों के विषय में लागू होती है, जो तदनु रूप विचित्र शक्ति के कारण विचित्र व्युत्पत्ति को प्राप्त होते हैं तथा उसके द्वारा विचित्र मार्ग का आश्रय लेते हैं। कुंतक मते

१ एतदाद्यमप्यकुंतकसुमम् । वानाहेनभेदविषयो रीतिभेदात्तु देशानां
रूपानांदास्येव प्रसज्यते ।

— कविसिद्धिः १०० ४०

२ न च रीतिना उपमाधमनापमरामेदेन भेदोपमवर्थापरिपुं स्फ रमम्
— वही १०० ४६

३ कतिपयनामभेदविद्वदनुसारेण वाऽपमवर्थाभेदे समस्यसमसं गृह्ये ।
सुकुमारस्वभावस्य कवः सदापिरेव महता शक्तिः सुकुमारः, शक्तिशक्तिमान्-
भेदः । तथा च मयाविषयोसुकुमारसंज्ञानांदां सुकुमारिनादुक्तम् । तावदां च
सुकुमारः (नामं) तस्य स्यात्तः, विदोः ।
— वही १०० ४६

तौर पर दो मार्ग मानते हैं—एक सुकुमार, दूसरा विचित्र, जो क्रमशः वैदर्भी तथा गौडी के ही रूप हैं। इन दोनों का मिश्रित एक तीसरा मार्ग भी हो सकता है, जिसे कुंतक ने उभयात्मक या रमणीय मार्ग कहा है, जो वामन की 'पांचाली' माना जा सकता है। सुकुमार मार्ग की कुन्तक ने बड़ी प्रशंसा की है तथा उसकी तुलना पुष्पों से लदे वन से की है। "सुकुमार मार्ग में कवि जैसे ही संचरण करते हैं, जैसे भौरे फूलों से लदे वन में संचरण करते हैं।"

सुकुमाराभिधः सोय येन सत्कवयो गताः ।

मार्गेणोत्फुल्लकुसुमकाननेनेव षट्पदाः ॥

—वक्रोक्तिजीवित १, २९

किंतु कुंतक ने दृढ़ी की भाँति विचित्र मार्ग की निंदा नहीं की है, अपितु उसे तो वह असिधारापथ बताया है, जिस पर विदग्ध कवि ही चल पाते हैं।

सोतिदु सचरो येन विदग्धकवयो गता ।

खङ्गधारापथेनेव सुभटानां मनोरथा ॥—वही १, ४३

इस प्रकार कुंतक ने कवि के स्वभाव के अनुरूप मार्ग की कल्पना कर इस बात का भी संकेत किया है कविस्वभावगत होने के कारण काव्य मार्ग के समस्त भेदों का आकलन करना असंभव है, अतः मोटे तौर पर उसे तीन तरह का माना गया है।^२ ठीक यही बात शारदा-तनय ने भाव प्रकाश में कही है —

“काव्य की रीति वचन, पुरुष, जाति आदि के आधार पर प्रत्येक के साथ अलग अलग तरह की होने के कारण अनंत प्रकार की हो जाती है। इस आनन्त्य का वर्णन करना असंभव है। इसीलिए कवियों ने संक्षेप से चार ही रीतियाँ मानी हैं।”^३

१. सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।

सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥

—वही, प्रथम टन्मेष कारिका २४

२. यद्यपि कविस्वभावभेदनिवधनस्वादनन्तभेदभिन्नत्वमनिवार्यं तथापि परिमख्यानुमशक्यत्वात् सामान्येन त्रैविध्यमेवोपपद्यते । — वही पृ० ४७

३. प्रतिवचनं प्रतिपुरुषं तदवान्तरजातितः प्रतिप्रीति ।

आनन्त्यात् संक्षिप्य प्रोक्ता कविभिश्चतुर्धैव ॥ —भाव प्रकाश

रीति सम्प्रदाय के विवेचन में हम देखते हैं कि केवल धार्मिक ही पर हमें ध्यान है, जिन्हें कुछ दृष्टि से हम सम्प्रदाय का माना जा सकता है। कुछ विद्वान् बड़ी तथा गौरी की ही सम्प्रदाय का आलम्बित मानते हैं। कुछ विद्वान् 'रीति' तथा 'गौरी' को दो भिन्न-२ सम्प्रदाय मानते हैं, जो अनुचित है, क्योंकि रीति तथा गौरी की धरणा परस्पर अन्योन्याश्रित होकर चली है, उसे हम देख चुके हैं। ये दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। अतः दोनों का एक ही सम्प्रदाय में वर्णन करना उचित है। रीति वस्तुतः विशिष्ट पद्धतना मात्र है, काव्य पुरुष के शरीर का अवयवस्थान है। अतः शरीर के संगठन को ही आत्मा मान लेना या उसी में काव्य का दार्शनिक मर्मार्थ या चरित्र मान लेना उचित नहीं जान पता।

(२) यक्षोक्ति सम्प्रदायः - यक्षोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित कर इसके नाम पर एक नया सम्प्रदाय स्थापित करने वाले राजानुषु युक्त हैं। वेने यक्षोक्ति की धरणा अलंकार शास्त्र में कुतूहल से प्रकृत पदों की है। यह भागद ने भी पुरानी जान पड़ती है। भागद ने उसकी सीमासा करते समय बताया है कि यक्षोक्ति समस्त अलंकारों की चरणा का है। इसके बिना कोई भी अलंकार काव्य में निरस्त नहीं किया जा सकता, कवि को चाहिए कि यह काव्य में यक्षोक्ति का संनिवेश करने के लिए प्रयत्नशील हो। हम देख चुके हैं कि भागद की यक्षोक्ति कुछ नहीं अनिजयोक्ति का ही दूसरा नाम है। भागद के यक्षोक्ति को समस्त अलंकारों के जीवनदायक मानने में ही संभवतः शंकर की यक्षोक्ति संबंधी धरणा का धारण है। शंकर की यक्षोक्ति की धरणा भागद ने मिलती जुलती होने पर भी कुछ भिन्न है। शंकर समस्त काव्य को स्वभावोक्ति तथा यक्षोक्ति इन दो भेदों में विभक्त करते हैं। उनके मतानुसार सभी अलंकारों में यक्षोक्ति है, पर स्वभावोक्ति का अर्थ इसमें

१. देवा यक्षैव यक्षोक्तिमवापो विभाषते ।

यथाऽस्मां कविना कपोः शोभाः शोभाः शोभाः शोभाः शोभाः ॥

—यक्षोक्ति २, २०

२. शंकर यक्षोक्तिं कुतूहलं यक्षोक्तिं यक्षोक्तिं यक्षोक्तिं यक्षोक्तिं ॥

देवा भित्तं स्वयं यक्षोक्तिं यक्षोक्तिं यक्षोक्तिं यक्षोक्तिं ॥

—यक्षोक्ति २, ११०

भिन्न है। वामन की वक्रोक्ति की कल्पना भामह व दंडी दोनों से भिन्न है। उसने सर्व प्रथम वक्रोक्ति को अलग से अलंकार विशेष माना है, पर उसकी वक्रोक्ति बाद के आलंकारिकों की वक्रोक्ति से भिन्न है। वामन ने सादृश्य को लेकर चलने वाली लक्षणा में वक्रोक्ति अलंकार माना है।^१ बाद के आलंकारिकों में वक्रोक्ति के संबंध में जो धारणा पाई जाती है, उसकी कल्पना सर्वप्रथम हमें रुद्रट के काव्यालंकार में मिलती है।^२ इस प्रकार भामह की वक्रोक्ति सबधी कल्पना में परिवर्तन होता रहा है, कुंतक में अवश्य हमें भामह की कल्पना का पल्लवित रूप मिलता है।

राजानक कुंतक का वक्रोक्तिसिद्धांत उस समय प्रचलित किया गया था, जब ध्वनि तथा व्यंजना की स्थापना ने आलंकारिकों में एक खल-बली सी मचा दी थी। प्राचीन आलंकारिक ध्वनि को किसी न किसी अलंकार में अंतर्भावित कर रहे थे, तो दूसरे आलंकारिक कुछ नवीन उद्भावना कर व्यंजना तथा ध्वनि का समावेश उसमें करने की चेष्टा कर रहे थे। ध्वनिवाद के नये संप्रदाय को उदित देखकर कई अभिधावादी तथा लक्षणावादी स्पष्ट या प्रच्छन्न रूप में व्यंजना एवं ध्वनि का निषेधकर उसे अपने सिद्धांतों में आत्मसात् करने के लिए तत्पर थे। ध्वनिवादी के इन विरोधियों में दो प्रबल व्यक्ति पाये जाते हैं— महिमभट्ट तथा राजानक कुंतक। महिमभट्ट ने 'काव्यानुमितिवाद' की स्थापना कर व्यंजना को अनुमिति में अंतर्भूत किया, तथा प्रतीयमान अर्थ को अनुमेय या गम्य अर्थ माना। कुंतक ने प्रतीयमान अर्थ का समावेश वक्रोक्ति में कर समस्त ध्वनि प्रपंच का वक्रोक्ति के तत्तत् भेदों में समाहार कर डाला। महिम तथा कुंतक दोनों ही मूलतः अभिधावादी आचार्य्य थे। ये दोनों लक्षणा का भी अभिधा में ही स्वीकार करते हैं। महिमभट्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि अर्थ दो ही तरह के होते हैं, वाच्य या अनुमेय। वे लक्ष्यार्थ का भी समावेश अनुमेय में करते हैं। कुंतक भी अभिधावादी हैं, उनकी वक्रोक्ति कुछ नहीं एक विशिष्ट प्रकार

१. सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः । —

काव्यालंकारसूत्र, ४, ३, ८

२. काव्यालंकार २, १४, १७

की अभिधा हो तो है। धना होने पर भी महिममट्ट तथा राजानक कुंतक के व्यक्तित्व में महान अंतर है। महिममट्ट फेंबल पंडित हैं, नैयायिक के गभीर पांडित्य के साथ ही वे अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में द्विविजय करना चाहते हैं, पर कुंतक में पांडित्य तथा प्रतिभा का अपूर्ण समन्वय है। आलंकारिक के लिए जिस प्रतिभा की, जिस महद्वया की आवश्यकता होती है, वह कुंतक में यथेष्ट मात्रा में विद्यमान है। यही कारण है कि कुंतक की कई कल्पनाएँ यथा मार्मिक तथा तथ्यपूर्ण हैं, तथा उतने हलके से उग से उठा देने लायक नहीं हैं, जैसा कि बाद के ध्वनियार्थी आलंकारिकों ने कुंतक की वक्रोक्ति को फेंबल अलंकार विशेष घोषित कर कुंतक का गठन कर दिया है। ऐसा जान पड़ता है, बाद के आलंकारिकों ने कुंतक के साथ समुचित स्थाय नहीं किया है।

कुंतक के मतानुसार काव्य का जीवित घटना या वक्रोक्ति ही है। इसीलिए काव्य की परिभाषा निम्न करते समय वे स्पष्ट कहते हैं— "वक्रनामय व्यापार से युक्त, तथा उम (वक्रता) के जानने वाले सहृदयों का आह्लाद करने वाले, वध (पशादि) में प्रयुक्त शब्दार्थ दोनों मिलकर काव्य बने जाते हैं।" अतः कुंतक के मतानुसार काव्य में शब्दार्थमय घटना आवश्यक है। जब शब्द तथा अर्थ दोनों मिलकर काव्य माने जाते हैं, तो यह स्पष्ट है कि वक्रता भी आवश्यक तथा आवश्यक दोनों में माननी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कुंतक ने कहा है कि दोनों (शब्द तथा अर्थ) में उमा प्रकार सहृदयों को आह्लादित करने की क्षमता होगी है, जैसे प्रत्येक तिल में तेल होगा है, फेंबल पुरु में ही नहीं।^१ इन काव्य के प्रसंगभूत शब्दार्थ वा आभासिध्वनि का हेतु यथोक्ति ही है। इसी को कुंतक ने "वेदाभ्यसंगीतगणित" के नाम से पुकारा है। वक्रोक्ति वा आने स्पष्ट करते हुए कुंतक बताते हैं कि

१. उपर्युक्त महिममट्टी वक्रव्यतिपायतत्तात्परिः ।

कथं वदवमिदानीं काव्यं महिममट्टः/दशमः । य —पृष्ठ १, ८.

२. उपर्युक्त उपर्युक्त वक्रव्यतिपायतत्तात्परिः । य महिममट्टः/दशमः वक्रव्यतिपायतत्तात्परिः । य —पृष्ठ १०३, (२१५६७७)

वक्रोक्ति अभिधा का ही दूसरा रूप है, वस्तुतः वह विचित्र प्रकार की अभिधा है, जो अपने प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न अर्थ को द्योतित करती है। अतः कुंतक वक्रोक्तिगम्य अर्थ को वाच्यार्थ ही मानने के पक्ष में हैं।

कुंतक ने वक्रोक्ति के ६ भेद किये हैं:—१. वर्णविन्यासवक्रता, २. पदपूर्वार्धवक्रता, ३. पदपरार्धवक्रता (प्रत्ययवक्रता), ४. वाक्यवक्रता, ५. प्रकरणवक्रता, तथा ६. प्रबंधवक्रता। इन छः भेदों के भी कई अवातर उपभेद किये गये हैं। कुंतक की वक्रोक्ति संबंधी कल्पना बड़ी विशाल है। इसमें काव्य के प्रायः सभी अंगों का समावेश हो जाता है। अलंकार, रस, ध्वनि सभी कुंतक की वक्रोक्ति में अन्तर्भावित हो जाते हैं। वक्रता के इन छः भेदों का विशद वर्णन वक्रोक्तिजीवित के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ उन्मेष में पाया जाता है। हम यहाँ संक्षेप में इनकी रूपरेखा मात्र दे रहे हैं:—

१ वर्णविन्यासवक्रता:—वक्रता का यह भेद वर्णविन्यास से संबंध रखता है। यह वक्रता शब्दसवधिनी है तथा काव्य में एक विशेष प्रकार की विच्छिन्न उत्पन्न करती है। इसको हम अनुप्रासगत चमत्कार मान सकते हैं। यह वर्णविन्यास कभी तो बीच में दूसरे वर्णों का प्रयोग करते हुए उनके बार बार उपन्यास करने से संबद्ध हो सकता है, कभी अव्यवहित रूप वाला। उदाहरण के लिए निम्न पद्य में, जहाँ 'पायं पायं' कदलदलं, दात्यूहव्यूह, केलीकलित, कुहकुहाराव, कान्ता वनान्ता जैसे दो दो वर्णों का अव्यवहित विन्यास पाया जाता है:—

ताम्यूलीनद्धमुग्धक्रमुकतरुतलस्रस्तरे सानुगाभिः,

पायं पायं कलाचीकृतकदलदल नारिकेलीफनाम्भः ।

सेव्यतां व्योमयात्राश्रमजलजयिनः सैन्यसीमन्तिनीभि-

र्दात्यूहव्यूहकेलीकलितकुहकुहारावकान्ता वनान्ता ॥

यही वक्रोक्ति समस्त गुणों तथा मार्गों में पाई जाती है। यमक अलंकार का समावेश भी इसी वर्णविन्यासवक्रता में हो जाता है। यह वर्णविन्यास भी औचित्यपूर्वक किया जाता है। इसी के अनुसार कुंतक ने सुकुमार प्रस्ताव तथा परुप प्रस्ताव इन दो भेदों को माना है।

(२) पदपूर्वार्धवक्रता — संस्कृत के पदों में दो अंश पाये जाते हैं एक प्रकृतिरूप, दूसरा प्रत्यय रूप। प्रकृति को कुंतक ने पदपूर्वार्ध तथा

प्रत्यय को पदपरार्ध कहा है। प्रकृति भी दो तरह की होती है प्राति-
पदिक या धातुरूप। इस प्रकार पदपूर्वार्धवक्रता में प्रातिपदिक या धातु
की वक्रता पाई जाती है। इसके आठ मुख्य भेद हैं:—१. वृत्ति-
वैचित्र्यवक्रता, २. पर्यायवक्रता, ३. उपचारवक्रता, ४. विनोदवक्रता,
५. सवृत्तिवक्रता, ६. वृत्तिवक्रता, ७. लिंगवैचित्र्यवक्रता ८. कित्वा-
वैचित्र्यवक्रता। इन वक्रताओं में से कष्ट के नाम से ही यों-या पद्य
में-में मिल सकता है कि उस वक्रता से तुलक का क्या तात्पर्य है।
इन प्रत्येक के उदाहरणों का उपन्यास न कर केवल पर्यायवक्रता का
एक उदाहरण देते हैं। -

द्वयं गतं सन्प्रति जोचनीयतां नमागनप्रार्थनया कपालिन ।

कला घ सा कालिनी कलायत त्वमन्य लोकस्य च नेत्ररीमुदी ॥

इस पद्य में 'कपालिन' पद में पर्यायवक्रता है। महादेव के लिए
इस विशिष्ट पर्यायवाची शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि
पार्वती की सत्पर वाले अमंगल शिव को बर्ण करने की इच्छा को
शोचनीय मानना कवि का अभीष्ट है। अतः यहाँ 'कपालिन' पद
विन्दिच्छिविवाचक है। यदि यहाँ 'पिनाकिनः' पद का प्रयोग कर
दिया जाय, तो यह विन्दिच्छि नष्ट हो जायगी, यह महत्त्वानुभव
मिष्ट है।

३. पदपरार्धवक्रता (प्रत्ययवक्रता) :—यह वक्रता सुन्दररूप से
इस प्रकार की मानी गई है। प्रत्ययवक्रता के अंतर्गत सुष, मित्र,
सत्या, कारक, पुनरुप आदि की वक्रता का समावेश होता है। इसके
समस्त भेदों में कारकगत वक्रोक्ति में सौंदर्यानिशय पाया जाता है।
उत्ते निम्न पद्य में—

वापाचार्यस्त्रिपुरविजयी कापिदेवो विजयः,
मन्त्रज्यस्तः मदनसुद्धिर्भूरियं हनरार ।
अन्वैयैतिकसु कुरया रेणुद्राकण्ठपाभा,
पदम्भस्तव परशुना लज्जे पन्द्रताम ॥

इस उदाहरण में शयन का शब्द पन्द्रताम यद्यपि अज्ञेय है शिव
भी इसे 'मन्त्रज्ये' किया था कर्ता पना किया गया है। अतः यह
कारकवैचित्र्य है।

४. वाक्यवक्रता.—जहाँ सम्पूर्ण वाक्य के द्वारा विच्छिन्नता का विधान किया जाय, वहाँ वाक्यवक्रता होती है। इसी वाक्यवक्रता के अतर्गत समस्त अर्थालंकारों का समावेश हो जाता है।^१ इस वक्रता में वस्तुवक्रता के साथ अलंकारवैचित्र्य की भीमांसा करते समय कुतक ने अर्थालंकारों के विषय में कई मौलिक उद्भावनाएँ भी की हैं। वाक्यवक्रता का दिङ्मात्र उदाहरण यह है:—

उपस्थितां पूर्वमपास्य लक्ष्मीं वनं मया सार्धमसि प्रपन्नः ।
त्वामाश्रयं प्राप्य तथा नु कोपात्सोढास्मि न त्वद्भवने वसन्ती ॥

यह राम के प्रति लक्ष्मण के द्वारा भेजे गये सीता के संदेश की उक्ति है। यहाँ 'पहले तो उपस्थित राज्यलक्ष्मी को भी ठुकरा कर आप मेरे साथ वन को प्रस्थित हुए थे, किंतु अब क्रोध के कारण आप के आश्रय को प्राप्त कर मेरा घर में रहना भी आप न सह सके—इस वाक्य से राम ने सीता को वनवास देकर उचित किया है या अनुचित यह वे स्वयं ही विचार करें, यह अर्थ वक्रता द्वारा प्रतिपाद्य है।

(५) प्रकरणवक्रता.—जहाँ प्रबध के किसी प्रकरण विशेष में विन्यासवैचित्र्य हो, वहाँ प्रकरण वक्रता होती है। जैसे रामायण में मारीच के माया हरिण बन कर आने के बाद उसका अनुसरण करते हुए राम की आवाज सुनकर सीता सहायता के लिये लक्ष्मण को भेजती है। इस संबंध में राम जैसे महापुरुष के लिये छोटे भाई के द्वारा प्राणपरित्राण की संभावना उचित नहीं, इसलिये उदात्तराघवकार ने मारीच को मारने के लिए गये लक्ष्मण की सहायता के लिए सीता ने राम को भेजा, यह प्रकरण-परिवर्तन कर दिया है। इसमें प्रकरणवक्रता है। अथवा, जैसे वाल्मीकि रामायण में परशुराम का सीता का परिणय कर लौटते हुए मार्ग में राम से मिलना वर्णित है, किंतु तुलसी ने अपने "मानस" में परशुराम का आगमन धनुष के टूटते ही रगभूमि में ही वर्णित किया है। यह भी प्रकरणवक्रता ही है।

१ वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते य. सहस्रधा ।

यत्रालंकारवर्गोऽसौ

सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति ॥

(६) प्रथमवचना—प्रथमवचना काव्य या नाटक के समस्त इतिहास में पाए जाते हैं। इस वक्रोक्ति का क्षेत्र मर ने अधिक व्यापक है। शुक ने प्रथमवचना के कई प्रकार माने हैं। रम का समावेश भी इसी वक्रता में हो जाता है। प्रथम-वक्रता का एक प्रसिद्ध निदर्शन भवभूति का इनरामचरित है। रामायण का अंगी रस कहला है। किंतु भवभूति ने कला का वर्णन करते हुए भी प्रमुख रस अंगार ही रखा है। यह प्रथमवक्रता ही है।

वक्रोक्ति का संस्कृत साहित्यनाम्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह दुर्गा शान है कि वक्रोक्ति रार का सम्मान उतना अधिक न हो सका, त्रितना ध्वनिकार का। ध्वनि की कल्पना में ध्वनिकार ने कवि तथा भासुक सहृदय, कर्तृपक्ष तथा अनुभूतिपक्ष, दोनों को ध्यान में रखा है, जब कि शुक ने वक्रोक्ति कल्पना में विशेष महत्त्व उचित्यापार या परिवर्तन (कर्तृपक्ष) को दिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि कंतक अनुभूतिपक्ष की सर्वथा अवहेलना करने में, फिर भी वे कल्पना-पन को अनुभूतिपक्ष में अधिक स्थान देते हैं। यही कारण है कि ध्वनिकार के अनुभूतिवादी सिद्धांत पर यह सिद्धांत विजय न पा सका।

(५) ध्वनि सम्प्रदायः—हम उन्म चुके हैं कि अलंकार तथा रीति गुरु के सिद्धांतों में रस को गौण स्थान दिया गया था, वह अलंकार या किसी गुरुविशेष के अनंत समावेश कर दिया गया था। इन्म काव्य में तो रम की प्रतिष्ठापना भरत के समय ने ही चली आ रही थी किंतु इन्म काव्य में उसकी महत्ता घोषित न हुई थी। ध्वन्य काव्य में रम की महत्ता घोषित कर उन्म काव्यात्म रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य ध्वनिसिद्धांत ने किया। यद्यपि ध्वनिसिद्धांत का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हमें आनंदवर्धन की ध्वनिकारिकाओं और उनकी पुति ध्वन्यालोप में मिलता है, किंतु यह निश्चय है कि ध्वनिवादी सिद्धांतों के शीघ्र आनंदवर्धन ने भी पुगते हैं। न्यत्र आनंदवर्धन ने ही बताया है कि शार्दूल सिद्धांतों ने ध्वनि का काव्य की आत्मा माना है—'राज्याम्यान्ना ध्वनिरिति दुर्बलः समान्नापुर्तः (शारिका १. १)। इन्म ही उन्म आनंदवर्धन ने यह भी बताया है कि कई ध्वनिसिद्धांतों सिद्धांत ध्वनि का संकटन करते हुए (१) या तो उसका विशेष करने हुए ध्वनि की मत्ता का अन्तर मानते थे, (२) या उन्म भक्तिमय

(भाक्त) अर्थात् लक्ष्यार्थ मानते थे, (३) अथवा उसे वागमोचर अनिर्वचनीय तत्त्व मानकर उसकी विवेचना का निषेध करते थे ।^१ ध्वनि का आधार वह शक्यान्तर (वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान) अर्थ है, जो काव्य को साधारण लौकिक वाक्यादि से भिन्न बनाकर उसमें विलक्षण चमत्कारवत्ता उत्पन्न करता है । ध्वनिवादी के पूर्व के आचार्यों ने भी किसी न किसी रूप में इस वाच्येतर अर्थ की सत्ता स्वीकार की है । यद्यपि भामह, दण्डी, उद्भट जैसे आलंकारिक व्यंग्यार्थ या व्यञ्जना का उल्लेख नहीं करते, तथापि प्रतीयमान अर्थ का ज्ञान उन्हें पूर्ण रीति से था । पर्यायोक्त आदि अलंकारों के प्रकरण में प्रतीत वाच्येतर अर्थ का उन्होंने संकेत किया है । उद्भट ने स्पष्ट रूप में 'अवगमन' का संकेत भी किया है ।^२ इसीलिए पंडितराज जगन्नाथ ने उन नव्य आलंकारिकों का खण्डन किया है, जो यह समझते हैं कि भामहादि को प्रतीयमान अर्थ (ध्वन्यादि) स्वीकृत नहीं है । उन्होंने समासोक्ति, ध्याजस्तुति, अप्रस्तुतप्रशंसा आदि अलंकारों के द्वारा गुणीभूतव्यंग्य का संकेत किया ही है । साथ ही पर्यायोक्त में ध्वनि का भी समावेश किया है । प्रतीयमान अर्थ तो अनुभव सिद्ध है, अतः अनुभवसिद्ध अर्थ का निषेध वे कैसे कर सकते थे । हाँ उन्होंने ध्वनि आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया, पर इतने भर से वे इसका निषेध करते हैं, ऐसा मानना ठीक नहीं ।^३ यही कारण है, ध्वनिकार तथा अभिन्नव-

१ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यं समान्नातपूर्वं
तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।
केचिद्वाचा स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीय
तेन द्रुमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् ॥

—ध्वनिकारिका १. १

२ पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते ।
वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥

—काव्यालंकारसारसंग्रह ४. ११

३. ध्वनिकारात्प्राचीनैर्भासहोद्भटप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यादिशब्दा न प्रयुक्ता दृश्येतावतैव तैर्ध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इति आधुनिकानां वाचोयुक्तिरयुक्तैव । यतः समासोक्तिव्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशंसाफल-

सुप्र ने भी भामहट्टि का मन्वेन श्रानि का मन्वेन निवेन करने वाले लोगों में न पर इनमें दिया है, जो इनके अन्वयपरम्यायिनिरिष्ट मानते हैं।^१ श्रानियाश्रियों ने तथापि श्रानि के मोटे गौर पर तीन भेद माने हैं— रम्याश्रानि, अलकार श्रानि तथा बहवुश्रानि, तथापि इनमें महत्त्व रम्याश्रानि को ही दिया है तथा इनमें श्राव्य का साम्यविद जीवित माना है। यही कारण है कि विद्वानों ने श्रानिमिद्वान को रम्यमिद्वान का ही पहचान करा है।

श्रानियाश्रियों को मिद्वानमरणि व्यञ्जना नामक नई शब्दशक्ति की कल्पना पर आश्रय है। शाब्दशास्त्र में जिस प्रतीचमान अर्थ की प्रतीति महत्त्व को होती है, वह अभिधा, लक्षणा या तात्पर्य नामक त्रिप्रय में प्रतिपाद्य नहीं हो पाता। अभिधा केवल इन्हीं अर्थ की प्रतीति करा पाती है, जो किसी शब्द का साक्षात्कर्मिता अर्थ है। इसी प्रकार लक्षणा भी सुव्यर्थ में महत्त्व अन्य (मन्व्यान्तर) अर्थ की ही प्रतीति करा पाती है, क्योंकि लक्ष्यार्थ प्रतीति नहीं माना जा सकता है, इहाँ सुव्यर्थशेष, तद्बोध, तथा रूढि प्रथया प्रयोजन के हेतुत्रय दिग्गमान हैं। इसी प्रकार तात्पर्य तृति भी व्यञ्जार्थ का बोध नहीं करा पाती। अतः प्रकरणादि के कारण महत्त्व भावा की प्रतिभा में रम्याश्रित विलक्षण अर्थ (प्रतीचमान अर्थ) की प्रतीति के निष् सुमेव (सीधा) व्यापार मानना ही पड़ेगा। इसी को श्रानिवादी व्यञ्जना, श्रानन, श्रवमानन आदि नामों से पुकारते हैं।^२ श्रानियाश्रियों ने इन बात पर भी

उक्तविशेषोक्त विद्वानोऽपि सुप्रभूतपरम्यमेतद्विनिश्चितं । अथवा
मर्थोपि श्रानिप्रवृत्त परम्यवाक्यो विहित । ए ह्यनुभवपरम्याऽपि श्रानिप्रवृत्त-
दोषो न भवति । श्रान्यादिनाः पर परवृत्तयो न ह्यतः । ए श्रान्यावमानतोऽपि
भवति ।
— रम्याश्रित प्र. ५५०-५६६

१. देखिये, अन्वयशास्त्र प्रथम उद्घोष परिभा. १३ जो श्रानि तथा रम्य पर लोचन करा है।

२. महत्त्व अर्थित तात्पर्यमन्वयपरम्यमिद्वान. सुप्रोऽपि. उद्घोषो. ५५०-५६६
काउ. ५५०-५६६. परम्यमन्वयपरम्यमिद्वान. सुप्रोऽपि. उद्घोषो. ५५०-५६६ ।

जोर दिया है कि प्रयोजनवती लक्षणा में जहाँ प्रयोजन रूप अर्थ की प्रतीति होती है, यही व्यंजना व्यापार काम करता देखा जाता है। उदाहरण के लिए 'गगायां घोषः' में 'गंगातट' वाले अर्थ में लक्षणा शक्ति है, किंतु इस लाक्षणिक प्रयोग का प्रयोजन—शैत्यपावनत्वादि—लक्षणा के द्वारा प्रतीत नहीं होता, उसके लिए व्यञ्जनाशक्ति की कल्पना करनी ही पड़ेगी।'

व्यञ्जना की कल्पना करने के बाद ध्वनिवादी ने इसके दो भेद माने हैं—शाब्दी व्यञ्जना तथा आर्थी। व्यञ्जना पुनः दो प्रकार की होती है—अभिधामूला तथा लक्षणामूला। आर्थी व्यञ्जना के तीन भेद माने गये हैं—वाच्यसंभवा, लक्ष्यसंभवा, व्यंग्यसंभवा। इस प्रकार व्यञ्जना शब्द और अर्थ दोनों की शक्ति सिद्ध होती है। प्रत्येक काव्य में वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ तो होते ही हैं, किसी किसी वाक्य में बीच में लक्ष्यार्थ भी हो सकता है। अतः व्यंग्यार्थ तथा वाच्यार्थ की चारुता के तारतम्य को लेकर ही ध्वनिवादी ने काव्य की उत्तम, मध्यम तथा अधम कोटि का संकेत किया है। ध्वनिवादी उस काव्य को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, जिसमें अर्थ अथवा शब्द एव उसका अर्थ दोनों अपने आप को गौण बनाकर किसी अन्य प्रतीयमान अर्थ को व्यंजित करते हैं। इसे ध्वनिकार ने 'ध्वनि' काव्य की संज्ञा दी है। इसमें वाच्यार्थ सदा व्यंग्यार्थ का उपस्कारक होता है तथा विशेष चमत्कार व्यंग्यार्थ में ही होता है। दूसरी कोटि के काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक होता है, अतः इसे गुणीभूतव्यंग्य कहा जाता है। तीसरी कोटि के काव्य में वाच्यार्थ ही विशेष चमत्कारी होता है। इसमें या तो अर्थान्तरकार की महत्ता होती है, या शब्दान्तरकार की। इसमें व्यंग्यार्थ होता तो है, पर वह नगण्य होता है, आर्थी या शाब्दी क्रीड़ा उसे ढँक देती है। इसे चित्र काव्य कहा जाता है। मम्मट ने इन्हीं तीनों को क्रमशः उत्तम, मध्यम तथा अधम संज्ञा दी है।

कुल १६ भेद—१ रसध्वनि, २ शब्दशक्तिमूलक, १२ अर्थशक्तिमूलक, तथा १ उभयशक्तिमूलक होते हैं, लक्षणामूलक के केवल दो भेद होते हैं। इस प्रकार मोटे तौर पर सब भेद १८ हैं। इसके बाद पद, पदांश, वाक्य, प्रबंध आदि के कारण इनके ५१ भेद हो जाते हैं। वैसे तो ध्वनि के शुद्ध तथा मिश्र भेदों की संख्या हजारों के ऊपर है। हम यहाँ दिङ्मात्र उदाहरण दे रहे हैं:—

शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् ।
विस्त्रब्ध परिचुम्भ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं
लज्जानम्रसखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता ॥

‘नायिका ने शयनागार को सूना देखकर सेज पर से धीरे से उठ कर निद्रा के बहाने सोये पति के मुख को बड़ी देर तक निहारकर विश्वासपूर्वक उसके कपोल का चुंबन कर लिया। चुंबन के कारण रोमांचित कपोल को देखकर लज्जा के कारण नीचे मुँह वाली नायिका का हँसते हुए प्रिय ने बड़ी देर तक चुम्बन किया।’

यहाँ शृंगार रसकी व्यंजना हो रही है। यह रसध्वनि या अस-लक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि है। इसमें शृंगार रस का आश्रय नायिका है तथा आलवन नायक। नायिका के औत्सुक्य, ब्रीडा आदि संचारी भाव हैं। शय्या से उठकर नायक के पास जा उसके कपोल का चुंबन करना अनुभाव है।

अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अहं दिअहए पलोएहि ।
मा पहिअ रत्तिअंधअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥

‘हे रतौंधी वाले पथिक, तुम दिन में ही भली भाँति देखकर समझ लेना कि यहाँ मेरी सास सोती है और यहाँ मैं। कहीं ऐसा न हो कि रात में तुम हमारी शय्या पर आकर गिर पड़ो।’

प्रकरणादि के कारण यह पता चलता है कि वक्त्री, जो सच्चरित्रा नहीं है, पथिक को रात में रमणार्थ निमंत्रित करती अपने सोने का स्थान घटा रही है।

स्वायम्भुवनिवसिबुखिनिम्बु संश्रमन्
 म्मेरेदुना तय म्मेरे करनायादि ।
 क्षोभं यदेति न मनानि मेत म्मेरे
 स्वायम्भुव उदयानिर्गमं पदेभिः ॥

हे पवन नेत्र वाली मुंदरि, समस्त दिशाओं को स्वयं स्वयम्भु की प्राप्ति में प्रदीप्त करने वाले सुमहान् हण, तुम्हारे सुमहान् देवदेव भी यह समुद्र पिल्लड़न भुग्घ नहीं होगा, इस बातको देवदेव मैं समझता हूँ कि यह समुद्र संपदुव ही अउमनि (पानी का समुद्र, महान् मूर्ध) है ।

इस पद्य में पवन ने अर्धवार की व्यंजना ही रही है । सुमहान् देवदेव समुद्र को संश्रम होना चाहिये, इस पद्य के द्वारा हण पर पूर्णिमा पन्ड का शाश्वत स्वप्न ही है । इस प्रकार यहाँ शक अर्धवार प्रनि है । यहाँ अथवा हेतुहरे अथवा रनि पादे आये हैं ।

अभिजाती के निर्यातों का धार में कई आचार्योंने संश्रम किया है । नदिसमूह में समस्त अभिप्रपंच की अनुमितिगत मिष्ट मित्रा । आनन्द-वर्षन के धार प्रनि को परिपश्य रूप में आके अभिनन्दुव है, निर्यातोंने अथवा हीरा में प्रनि तथा रूप की विगत हीमाना ही । चाणक्यना-थान नन्दराजार्थ ने अपने पुरं के सभी अभिनिर्गमों आचार्यों का संश्रम पर काव्य के समस्त परधर्मों का अभिनिर्गम में समस्त परधर्म हण प्रनि को एक समुद्र रूप दिया । नगरि समस्त का अर्थ प्रथमान प्रथम नहीं है, तथापि प्रनि को प्रीतिरूप में उपन्यास करना है । ए समस्त आचार्यों ने माने जाते हैं, तथा धार के अन्तर्गतियों ने उन् 'आग्नेयप्रधार' कहकर उनका प्रारंभ के साथ समस्त किया है । धार में जो है अथवा, विद्याधर, विद्यानाथ, विद्यानाथ, विद्यानाथ अथवा धार सभी अन्तर्गतियों में इसी निर्यातों की मान्यता केवल इसी का अर्थान में मान्यता दिया है । यहाँ यह कि अथवा तथा अथवा निर्यात में अन्तर्गतियों ने भी प्रनि का अर्थान कर इस निर्यात की मान्यता पोषित की है ।

१६) कौशिक समस्तार—कौशिक समस्तार के प्रतिपादक अनेकाने माने जाते हैं । अनेक कौशिकसुप्रवाहचार्य के विषय में

तथा उन्होंने ध्वनि सिद्धांतों के ही आधार पर “औचित्य” की कल्पना की है। औचित्य की कल्पना को जन्म देने का श्रेय क्षेमेन्द्र को नहीं जाता, यह कल्पना बहुत पुरानी है, किंतु उसे काव्य का जीवित घोषित करने का श्रेय क्षेमेन्द्र को ही जाता है। औचित्य का संकेत आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त में ही मिलता है, किंतु क्षेमेन्द्र ने उसे एक प्रस्थान भेद के रूप में पल्लवित किया है। यही कारण है कि डॉ० राघवन् ने क्षेमेन्द्र को भी एक सम्प्रदाय का आचार्य माना है।^१

औचित्य के बीज भरत में ही देखे जा सकते हैं। वे बताते हैं “यदि वेशभूषा का समुचित सन्निवेश न किया जायगा, तो वह शोभाघायक नहीं हो सकेगा, वह उसी प्रकार उपहास्य होगा, जैसे वक्षःस्थल पर पहनी हुई मेखला।”^२ भरत की इसी उक्ति का पल्लवन क्षेमेन्द्र के निम्न प्रसिद्ध पद्य में पाया जाता है, जो काव्य में औचित्य की महत्ता उद्घोषित करता है—

कण्ठे मेखलया, नितम्बफलके तारेण हारेण वा,
पाणौ नूपुरबन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा ।
शौर्येण प्रणते, रिपौ करुणया नायान्ति के हास्यतां,
औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणाः ॥

यद्यपि भामह, दण्डी तथा उद्भट में औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, तथापि वे इसकी भावना से पूर्णतः परिचित थे। उपमा दोषों तथा दूसरे काव्य दोषों की कल्पना जो उनमें पाई जाती है अनौचित्यका काव्य में निराकरण करने का प्रयास है। रुद्रट ने काव्यालंकार में स्पष्ट

1. It is his Auctitya Vicharcharcha we are concerned herewith, a small work which yet belongs to the class of ‘Prasthan-works’ like those of Bhamaha, Dandin, Anandvardhan, Kuntaka and Mahimabhata

—Dr Raghavan : Some Concepts of Alankara sastra p 245

२. अट्टेशजो हि वेपस्तु न शोभा जनयिष्यति ।

मेखलोरसि बन्धे च हास्यायैवोपजायते ॥—नाट्यशास्त्र २३ ६९.

स्पष्टतः पुष्ट किया जाय, वही औचित्य उक्ति का जीवित है। जहाँ वक्ता या प्रमाता (बोद्धा) का वाच्य अत्यधिक शोभाशाली स्वभाव के द्वारा आच्छादित हो जाय, उसे भी औचित्य कहते हैं।^१

औचित्य को प्रस्थान भेद के रूप में उपस्थित करने वाला क्षेमेन्द्र का ग्रथ “औचित्यविचारचर्चा” है। क्षेमेन्द्र रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, पर औचित्य को उसका भी जीवित घोषित करते हैं। इस प्रकार औचित्य रस तथा काव्य दोनों का जीवित माना गया है:—

औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचर्वणे ।

रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥ (कारिका ३)

x

x

x

औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् । (कारिका ५)

क्षेमेन्द्र ने औचित्य के २८ प्रकार माने हैं। इसके अंतर्गत गुण, अलंकार, रस के औचित्य के अतिरिक्त पद, वाक्य, कारक, क्रिया, लिंग, वचन आदि के औचित्य का भी संकेत किया गया गया है। क्षेमेन्द्र के औचित्य का दिङ्मात्र संकेत करने के लिए हम ‘रसौचित्य’ का निम्न उदाहरण लेते हैं—

उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणा-

दायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः ।

अद्योद्यानलतामिमां समदना नारीमिवान्यां ध्रुवं

पश्यन् कोपत्रिपाटलद्युति मुख देव्या करिष्याम्यहम् ॥

यह रत्नावली नाटिका में उदयन की उक्ति है। एक उद्यानलता को देखते हुए वह कह रहा है—“इस उद्यानलता की चटकती कलियाँ इस प्रकार शोभित हो रही हैं जैसे मदनोन्मत्त कामिनी आलस्य से जँभाई ले रही हो और हवा के झोंके से हिलती यह लता उत्कंठाभरी नायिका की चंचलता के समान शोभा दे रही है। मैं इसे देखने में

१. आञ्जमेन स्वभावस्य महत्त्वं येन पोष्यते ।

प्रकारेण तदौचित्य उचिताख्यानजीवितम् ।

यत्र वक्तुः प्रमातुर्वा वाच्य शोभातिशायिना ।

आच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते ॥

नाथ के पूर्वज नारायण ने तो चमत्कार को रस का सार माना था (रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते) । पर अभी तक चमत्कार का प्रयोग किसी ने भी निश्चितरूप में “काव्य के जीवित” रूप में नहीं किया था । औचित्य की भाँति चमत्कार में भी रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण, रीति, अलंकार सभी का समावेश कर उनके सम्मिलित सौंदर्य को ‘चमत्कार’ नाम देकर उसे काव्य की आत्मा घोषित किया गया ।

चमत्कार सिद्धांत के सर्व प्रथम पुरस्कर्ता विश्वेश्वर हैं जिन्होंने अपनी ‘चमत्कारचन्द्रिका’ में बताया है कि चमत्कार ही काव्य का जीवित है । इसे वे गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, शय्या, अलंकार इन सात भेदों में विभक्त करते हैं तथा इन सातों तत्त्वों को चमत्कार का कारण मानते हैं ।

विश्वेश्वर का यह ग्रन्थ अप्रकाशित है तथा इसकी एक प्रति मद्रास की ‘ओरियंटल मेन्युस्क्रिप्ट लायब्रेरी’ में दूसरी लंदन की ‘इंडिया आफिस लायब्रेरी’ में है । विश्वेश्वर कविचंद्र के सिद्धांत का संकेत निम्न पद्य से मिल सकता है —

रम्योक्त्यर्थतनूज्ज्वला रसमयप्राणा गुणोल्लासिनी ।
चेतोरंजकरीतिवृत्तिकवितापाक वयो विभ्रती ।
नानालंकरणोज्ज्वलादवसती (?) सर्वत्र निर्दोषतां
शय्यामचति कामिनीव कविता कस्यापि पुण्यात्मनः ॥

(चमत्कारचंद्रिका इंडिया आफिस लायब्रेरी हस्त० ले० न० ३९६६)

चमत्कार को काव्य की आत्मा मानने वाले दूसरे आलंकारिक हरि प्रसाद हैं, जिन्होंने ‘काव्यालोक’ में बताया है कि “चमत्कार ही विशिष्ट शब्द वाले काव्य की आत्मा है । उसको उत्पादित करने वाली कवि की प्रतिभा है ।”^१

वैसे पंडितराज जगन्नाथ भी काव्य में चमत्कार को विशेष महत्त्व देते हैं तथा काव्यकी परिभाषा में प्रयुक्त रमणीयार्थ शब्द की व्याख्या

१ विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः ।

उत्पत्तिभूमिः प्रतिभा मनागतोपपादितम् ॥

—काव्यालोक

दा० राघवन् द्वारा Some Concepts में उद्धृत

परिशिष्ट (२)

प्रमुख आलंकारिकों का ऐतिहासिक परिचय

भारतीय साहित्यशास्त्र का इतिहास लगभग दो हजार वर्ष का इतिहास है। भरत के नाट्यशास्त्र में जिस प्रौढ रूप में साहित्यशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है, इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि साहित्यशास्त्रीय आलोचन भरत से भी पुराना है। भरत के पूर्व के किसी आचार्य का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं। यास्क ने अपने निरुक्त में उपमा का विवेचन करते समय गार्ग्य नामक एक आचार्य के उपमासंबंधी विचारों का संकेत अवश्य किया है। राजशेखर की काव्यमीमांसा में भरत के पूर्व के कई आचार्यों की तालिका मिलती है, जिन्होंने साहित्यशास्त्र की तत्तत् शाखा का पल्लवन किया है।

‘तत्र कविरहस्यं सहस्राक्षः समाम्नासीत, औक्तिकमुक्तिगर्भं, रीति-निर्णयं सुवर्णनाभः, आनुप्रासंगिक प्रचेताः, यमकं यमः, चित्रं चित्रांगदः, शब्दश्लेषं शेषः, वास्तवं पुलस्त्यः, औपम्यमौपकायनः, अतिशयं पाराशरः, अर्थश्लेषमुत्थय, उपमालकारं कुबेरः, वैनोदिकं कामदेव, रूपक-निरूपणीय भरतः, रसाधिकारिकं नदिकेश्वरः, दोषाधिकरणं धिषणः, गुणोपादानिकमुपमन्युः, औपनिपदिकं कुचुमार इति ।’

इन नामों में नदिकेश्वर तथा भरत को छोड़कर प्रायः सभी नाम साहित्यशास्त्र में अप्रसिद्ध हैं। नदिकेश्वर रतिशास्त्र के ग्रंथों में रतिशास्त्र के आचार्य के रूप में विख्यात हैं। भरत प्रसिद्ध नाट्यशास्त्री हैं। राजशेखर की उपर्युक्त तालिका में कई नाम काल्पनिक हैं तथा कई केवल अनुप्रास मिलाने के लिए गढ़ लिये गये हैं। राजशेखर की इस तालिका में भरत ही साहित्यशास्त्र के प्राचीनतम आचार्य जान पड़ते हैं।

(१) भरत (द्वितीय-तृतीय शती) — भरत का नाट्यशास्त्र भारतीय साहित्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। भरत का नाम परवर्ती ग्रंथों में

दो प्रकार से मिलता है—एक वृद्ध भरत या श्राष्टि भरत, दूसरे केवल भरत । नाट्यशास्त्र के विषय में भी कहा जाता है कि हमारे दो रूप थे, एक नाट्यवेदांग, दूसरा नाट्यशास्त्र । पहला ग्रंथ द्वादश साहस्रों, तथा दूसरा ग्रंथ पट्टसाहस्रों भी कहलाता है । शारदातन्त्र के मतानुसार 'पट्टसाहस्रों' प्रथम ग्रंथ का ही नक्षत्र रूप था ।

एवं द्वादशसाहस्रैः श्लोकैरेकं तद्वृतः ।

पट्टमिः श्लोकसहस्रै र्यो नाट्यवेदन्य संग्रह ॥ (भाव प्रकाश)

नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत के समय के विषय में विद्वानों के कई मत हैं । कुछ विद्वान् उनके नाट्यशास्त्र का रचनाकाल ईसा के पूर्व द्वितीय शताब्दी मानते हैं, कई हमसे भी पूर्व । हमारे विद्वान् भरत का समय ईसा की दूसरी या तीसरी शती मानते हैं । कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जो भरत का काल तो ताँसरी या चौथी शती मानते हैं, किन्तु नाट्यशास्त्र के उपलब्ध रूप को उस काल का नहीं मानते । डॉ० एम० के० दे के मतानुसार नाट्यशास्त्र के संगीत वाले अध्याय चौथी शताब्दी की रचना हैं, किन्तु नाट्यशास्त्र में कई परिवर्तन होते रहे होंगे, और उसका उपलब्ध संस्करण श्राष्ट्रों शती के अंत तक हुआ जान पड़ता है ।

कुछ भी हो इतना तो अवश्य है कि भरत वे प्राचीनतम अलंकारशास्त्री तथा रसशास्त्री, हैं, जिनका ग्रंथ हमें उपलब्ध है । भरत के विषय में कुछ ऐसे प्राग और आभ्यन्तर प्रमाण मिलते हैं, जो उनके काल निर्धारण में सहायक हो सकते हैं । कालिदास के विक्रमोपनिषद् में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से भरत का निर्देश मिलता है । कालिदास के समय तक नाट्याचार्य भरत पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर चुके थे, वे प्रशंसि माने गये हैं तथा उन्होंने स्वयं प्रत्या से नाट्यवेद सीखा था । नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में पाई जाने वाली नाटक की उत्पत्ति एवं इसके विकास का सूक्ष्म संकेत हमें कालिदास के निम्न पद्य में भी मिलता है ।

सुनिता भरतेनयः प्रयोगो नयर्नाप्यधरमाभयो निरुद्धः ।

कलितमिनिधं तमग भर्ता मरुतां द्रष्टुमना न लोकापालः ॥

नाट्यशास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे स्थल हैं, जो उसकी प्राचीनता को पुष्ट करते हैं । नाट्यशास्त्र में ऐंद्र व्याकरण तथा वाक्प का प्रभाव पाया जाता है । साथ ही उसमें कई प्राचीनतम मंत्रों व श्लोकों के भी उद्धरण

मिलते हैं:—‘अत्रानुवंश्ये आर्ये भवतः । तत्र श्लोकः’ आदि । भाषा व विषयप्रतिपादन की दृष्टि से भरत का नाट्यशास्त्र प्राचीनता का द्योतक है । भरत के नाट्यशास्त्र में कहीं कहीं सूत्रप्रणाली का भी व्यवहार पाया जाता है । टीकाकारों ने भरत की रचना को कई स्थानों पर ‘सूत्र’ तथा उन्हें ‘सूत्रकृत्’ कहा है । नान्यदेव भरत के लिए ‘सूत्रकृत्’ शब्द का प्रयोग करते कहते हैं—‘कलानामानि सूत्रकृदुक्तानि यथा—’ । अभिनवगुप्त भी भरत के नाट्यशास्त्र को ‘भरतसूत्र’ कहते हैं—‘षट्त्रिंशकं भरत सूत्रमिदं विवृण्वन्’ ।

भरत का नाट्यशास्त्र ३७ अध्यायों का ग्रंथ है । भरत के नाट्यशास्त्र के विषय में प्राचीन टीकाकारों का मत है कि वह ३६ अध्यायों में विभक्त है । अभिनवगुप्त भी अभिनवभारती में उसे ‘षट्त्रिंशक’—३६ अध्याय वाला—ही मानते हैं । किंतु इसके साथ ही अभिनव ने ३७ वें अध्याय पर भी ‘भारती’ की रचना की है । साथ ही इस अध्याय का अलग से मगलाचरण इसका संकेत करता है कि अभिनव ३६ अध्याय की परंपरागत मान्यता को स्वीकार करते हुए भी इस अध्याय की व्याख्या करते हैं । इतना ही नहीं, नाट्यशास्त्र के उत्तर व दक्षिण से प्राप्त प्राचीन हस्तलेखों में भी यह भेद पाया जाता है । उत्तर की प्रतियों में ३७ अध्याय है, जब कि दक्षिण के हस्तलेखों में ३६ व ३७ दोनों अध्याय एक साथ ही ३६ वें अध्याय में पाये जाते हैं । इसका क्या कारण है ? कुछ विद्वानों के मतानुसार ३६ वे अध्याय को दो अध्यायों में विभक्त करना ‘भारती’ के रचयिता अभिनवगुप्तपादाचार्य को ही अभीष्ट था, यद्यपि वे पुरानी परिपाटी का भी भंग नहीं करना चाहते थे । अभिनव ने अपने शैवसिद्धांतों का मेल नाट्यशास्त्र के ३६ अध्यायों से मिलाकर, शैवागम के ३६ तत्त्वों का संकेत किया है । इन तत्त्वों से परे स्थित ‘अनुत्तर’ तत्त्व का संकेत करने के ही लिए उन्होंने ३६ वे अध्याय में से ही ३७ वे अध्याय की रचना की हो । ३७ वें अध्याय का ‘अभिनव भारती’ का मगलाचरण इसका संकेत कर सकता है:—

आकांक्षाणा प्रशमनविधेः पृर्वभावावधीना

धाराप्राप्तस्तुतिगुरुगिरा गुह्यतत्त्वप्रतिष्ठा ।

उर्ध्वादन्व्य. परभुवि न वा यत्समान चकास्ति

प्रौढानन्त तमहमधुनानुत्तर धाम वन्दे ॥

नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटक व नाट्यशास्त्र (नाट्यवेद) की उत्पत्ति का वर्णन है । इसमें रंगभूमि (रंगमंच) के प्रकार, रंगमंच के विभिन्न अंगों—रंगशीर्ष, रंगमध्य, रंगदृष्ट, मनसारणी, तथा दर्शकों के बैठने के स्थान का विस्तृत वर्णन है । चतुर्थ तथा पंचम अध्याय में पूर्वरंग विधान का वर्णन है । इसके बाद भरत ने चारों प्रकार के अभिनयों का क्रमशः वर्णन किया है । नाट्यशास्त्र में चार प्रकार का अभिनय माना गया है—सात्त्विक, आंगिक, वाचिक तथा आहार्य । नाट्यशास्त्र के छठे तथा सातवें अध्याय में सात्त्विक अभिनय का विचार दिया गया है । इसके अंतर्गत स्म, भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारियों का विवेचन किया गया है । आंगे के द्वा. अध्यायों में आंगिक अभिनय का वर्णन है । अगले मान अध्यायों में वाचिक अभिनय का वर्णन है । साहित्यशास्त्रीय दृष्टि में रसप्रकरण तथा यह प्रकरण विशेष महत्त्व के हैं । इसके अंतर्गत दस गुणों दस दोषों तथा चार शलंकारों—यमक, रूपक, उपमा तथा दीपक का उल्लेख पाया जाता है । इसके बाद आहार्य अभिनय तथा ध्रुवादि का वर्णन है ।

भारत के नाट्यशास्त्र के विषय में एक मत यह प्रचलित रहा है कि इसके रचयिता भरत नहीं थे, अपितु भरत के किसी पित्र ने इनको रचना की है । यह मत अभिनवगुप्त व समय में भी प्रचलित था । अभिनय ने इस मत का खंडन किया है तथा इन शान्ती प्रतिष्ठापना की है कि नाट्यशास्त्र भरत की ही रचना है । उन समयों खंडन करते हुए अभिनय ने 'भारती' में लिखा है:—

'एतेन सगणितज्ञाभरतमत्प्रविदेचनेन प्रकृतान्नाम्नाप्रविषाज्जाय मनश्रीसारासारविदेचन तद्प्रथमं प्रश्नैरेव, विहितमिदं शास्त्रं न तु सुनिश्चितमिति यदाहुर्नामिदं धूर्तैर्वाध्यायान्तरप्रवृत्तम् ।'

भारत के नाट्यशास्त्र का मूलो पर ही ही सा. ज्ञान साधु लिखी गई, जो नाट्यशास्त्र के विकास में सहायक हुई है । इनमें कई नों अनुसंधान है । उपर्युक्त बार्हस्पति शास्त्राचार्य महत्त्वपूर्ण आदिष्टाएँ, सात्त्विक-दोषा, वीनिधरकर दोषा इनमें से ज्ञान है । इनके सों का उल्लेख 'अभिनवभारती' में मिलता है । भरत के रसनिश्चयि संप्रदायों मूल ही शास्त्र में लोपट, प्रकृत तथा महत्त्वयक के भी मत मिलते हैं । इनका संप्रदाय अभिनवगुप्त ने 'भारती' में विचार में दिया है । संप्रदाय में भी

भरत के नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार रहे हों। भरत के नाट्यशास्त्र पर एक अन्य टीका नान्यदेव ने लिखी थी।

(२) भामह (छठी शती पूर्वार्ध) :—भामह को ही अलंकारशास्त्र का सर्वप्रथम आचार्य कहना अधिक ठीक होगा। भामह का सबसे पहला संकेत हमें आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की वृत्ति में मिलता है (पृ० ३६, २०७)। इसके बाद उद्भट के 'काव्यालंकारसारसंग्रह' की टीका (पृ० १३) में प्रतिहारेन्दुराज ने इस बात का उल्लेख किया है कि उद्भट ने भामह विवरण नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कदाचित् भामह के काव्यालंकार पर टीका थी। इसकी पुष्टि लोचन से भी होती है, जहाँ अभिनवगुप्त ने उद्भट के लिए 'विवरणकृत' (पृ० १०, ४०, १५९) शब्द का प्रयोग किया है। हेमचंद्र ने भी काव्यानुशासन में उद्भट को भामह का टीकाकार माना है। रुय्यकने उद्भट की टीका के विषय में 'भामहीय उद्भटविवरण' (अलंकार सर्वस्व पृ० १८३) का संकेत किया है, तथा समुद्रबंध ने उसे 'काव्यालंकार विवृति' कहा है। उद्भट के काव्यालंकारसारसंग्रह में कई ऐसी परिभाषायें मिलती हैं, जो कुछ नहीं भामह के द्वारा काव्यालंकार में निबद्ध तत्तत् अलंकार की परिभाषायें हैं। उद्भट के समसामयिक वामन ने काव्यालंकारसूत्रवृत्ति में भामह का साक्षात् उल्लेख तो नहीं किया है, पर वामन की कुछ परिभाषायें देखने पर पता चलता है कि भामह की परिभाषाओं का उस पर प्रभाव है। उदाहरण के लिए भामह ने उपमा की परिभाषा यों दी है:—विरुद्धेनोपमानेन...उपमेयस्य यत् साम्यं गुणलेशेन सोपमा' (२, ३०)। वामन ने इसीका उलथा अपने निम्न सूत्र में कर दिया जान पड़ता है.—'उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्य उपमा (४,२,१)। इतना ही नहीं वामन ने एक अज्ञातनामा कवि का पद्य भी उद्धृत किया है, जो भामह के काव्यालंकार (२, ४६) में शाखवर्धन के नाम से उद्धृत है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भामह की तिथि

१. उदाहरण के लिए रसवत्, अतिशयोक्ति, संसंदेह, सहोक्ति, अपहृति, उद्ग्रेक्षा, यथासंख्य, अग्रस्तुतप्रशंसा, पांयोक्त, आक्षेप, विभावना, विरोध तथा भाविक की परिभाषायें देखिये।

का निर्णय करते समय हमें उल्टा तथा वापस के समय (आठवीं शती का उत्तरार्ध) को अंतिम सीमा मानना होगा ।

भामह की उपरिक्त सीमा के विषय में विद्वानों में बड़ा मत भेद है । भामह के काव्यालंकार (६, ३६) में एक 'न्यासकार का संकेत मिलता है । प्रो० पाठक का मत है कि यह शौद्ध न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि के प्रति संकेत किया गया है, जिनका समय ७०० ई० के लगभग माना जाता है । इस प्रकार भामह को हम आठवीं शती से पहले या नहीं मान सकते । प्रो० कमलाशकर प्राणशकर त्रिवेदी इस मत का विरोध करते हैं । उनके मत से जिनेन्द्रबुद्धि के पूर्व भी कई न्यास ग्रंथ लिखे जा चुके थे, तथा प्राण के हर्षचरित तक में 'न्यास' शब्द का प्रयोग मिलता है । भामह का संकेत किसी प्राचीन न्यासकार की ओर है । यादों ने भी प्रो० पाठक के मतको संदेह की दृष्टि से देखा है । यादों ने यह प्रश्न की चेष्टा की है कि भामह ने अपने काव्यालंकार के पंचम परिच्छेद में शौद्धों के सिद्धांतों का उल्लेख किया है । ऐसा जान पड़ता है कि भामह ने शौद्ध शूर्णनिक धर्मकीर्ति के शूर्णनिक विचारों का प्रयोग किया है । इस प्रकार भामह धर्मकीर्ति से परवर्ती सिद्ध होते हैं । धर्मकीर्ति का समय यादों ने हेनसाग तथा इस्मिग की भारत यात्रा के बीच में माना है । इस प्रकार धर्मकीर्ति का समय सातवीं शती का उत्तरार्ध होगा है । भामह का काल इस तरह सातवीं शती का अंतिम परगु तथा आठवीं शतीका आरंभ है । डा० मुर्शलकुमार दे यादों का मत मानने हैं ।^१ प्रो० बटुकनाथ शर्मा ने 'काव्यालंकार' की भूमिका में इस मतका खंडन किया है । भामह पर धर्मकीर्ति का प्रभाव मानने वाले यादों के मत की विचारने विवेचना करते हुए प्रो० शर्मा ने बताया है कि भामह पर विद्वानों के शौद्ध सिद्धांतों का प्रभाव जान पड़ता है ।^२ इस तरह वे भामह का समय छठी शती के अंतिम चरण में इधर रखने को तैयार नहीं हैं । भामह के प्रश्न से भट्टि तथा टंडी का प्रश्न भी संबद्ध है । इन तीनों में भट्टि ही एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिसके विषय में हम मोटे तौर पर निधि का संकेत कर सकते हैं । भट्टि का काल सातवीं शती

१. De : Sanskrit Poetics Vol. I. 18-19.

२. डा० बटुकनाथ शर्मा—काव्यालंकार की भूमिका भूमिका ६० प०

का प्रथम चरण रहा है। उसे हम ६१० ई० से बाद का किसी भी तरह नहीं मान सकते। इस तरह प्रो० शर्मा के मत से भामह भट्टि से प्राचीन हैं, किंतु याकोबी भट्टि को भामह से पुराना मानते हैं। वैसे ऐसा जान पड़ता है कि दोनों ने अपने पूर्व के आलंकारिकों का उपयोग स्वतन्त्र रूप से किया है। दंडी का समय भी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सका है। कुछ विद्वान् उसे बाण से परवर्ती मानते हैं, कुछ पुराना। साथ ही काव्यादर्श तथा दशकुमारचरित दोनों के रचयिता अभिन्न हैं या भिन्न, इस में भी दो मत प्रचलित हैं।^१ प्रो० शर्मा, याकोबी तथा दे दंडी को भामह से परवर्ती मानते हैं, किंतु म. म. डा० काणे इस मत से संतुष्ट नहीं। उन्होंने भामह की तिथि के विषय में प्रचलित समस्त मतों की आलोचना कर बताया है कि भामह दंडी से परवर्ती थे। वे दंडी का समय ६६०-६८० ई० मानते हैं, तथा भामह को आठवीं शती में रखते हैं।^२ इस प्रकार संक्षेप में भामह के विषय में तीन मत प्रचलित हैं:—

(१) भामह का समय छठी शती का उत्तरार्ध है। वह दंडी तथा भट्टि से प्राचीन हैं। उन पर दिङ्नाग का प्रभाव है, धर्मकीर्ति का नहीं।—प्रो० बटुकनाथ शर्मा का मत

(२) भामह भट्टि से परवर्ती किंतु दंडी से प्राचीन हैं। उनका समय धर्मकीर्ति के बाद माना जा सकता है। अतः उनका समय सातवीं शती का उत्तरार्ध या आठवीं शतीका पूर्वार्ध है।—याकोबी तथा दे का मत

(३) भामह भट्टि, दंडी तथा धर्मकीर्ति के बाद हुए हैं। दंडी का समय सातवीं शतीका उत्तरार्ध है। अतः भामह का समय आठवीं शती का पूर्वार्ध है।—काणे का मत

इन तीनों मतों में प्रो० बटुकनाथ शर्मा का मत विशेष प्रामाणिक जान पड़ता है।

प्रो० कमलाशंकर प्राणशंकर त्रिवेदी भामह की तिथि पर कुछ नहीं कहते, पर वे उसे दंडी से प्राचीन मानते हैं। प्रतापरुद्रोय की भूमिका

१ दंडी के विषय में देखिये—दंडी का विवरण

२. Mm. Kane · History of Sanskrit Poetics

मे वे कई विन्दु ऐसे बताते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि दंडी को भामह का पना था। प्रो० त्रिवेदी ने प्रो० नरसिंहियेगर के सम मत का ग्यंडन किया है कि भामह को दंडी का पना था तथा उसने दंडी का ग्यंडन किया है और प्रहेलिया के उदाहरण ने दंडी के उदाहरण का आधा पत्र उदाहरण किया है। प्रो० त्रिवेदी ने निम्न बातों के आधार पर भामह को ही प्राचीन माना है —

(१) प्राचीन आलंकारिकों ने भामह को प्राचीनतम आलंकारिक माना है:—यथा पूर्वेषु भामहादिभ्यः (एतावती पृ० ३०), भामहो-द्भटप्रभृतयश्चिरंतनालंकारकाराः (अलंकार सप्तम्व पृ० ३) आदि ।

(२) दंडी के द्वारा उपमा, रूपक, आश्लेष, व्यतिरेक तथा शब्दा-लंकारों के भेदोपभेदों का विशद वर्णन उने भामह का परवर्ती सिद्ध करता है, जिनके वाच्यालंकार में ये वर्णन करने मूल्य नहीं हैं ।

(३) भामह तथा दंडी के द्वारा कथा एवं आग्नायिका का विवेचन इस धान का संज्ञेन करता है कि इनके पूर्व ही इन दोनों का भेद माना जाने लगा था । दंडी ने कथा तथा आग्नायिका के जिस भेद का ग्यंडन किया है, वह भामह में मिलता है । संभवतः दंडी ने भामह का ही ग्यंडन किया है ।

(४) भामह ने ११ शेषों का संकेत किया है । दंडी केवल दस शेष मानता है तथा अन्यशेष मानने का ग्यंडन करता है । अतः स्पष्ट है कि दंडी भामह वाले मत को नहीं मानता ।

(५) भामह 'गनोऽन्तमर्क' आदि को 'क्रियाव्य' (कुत्सित वाच्य) कहता है, दंडी इसे साधु वाच्य मानता है । अतः वह भामह के मत को ही ध्यान में रखकर इसे मत्काव्य घोषित करता है ।

(६) प्रेक्स अलंकार का उदाहरण दोनों में एक ही पाया जाता है । भामह ने स्पष्ट कहा है कि उसने अपने ही बनाये उदाहरण दिये हैं, अतः दंडी ने ही भामह से उदाहरण लिया है ।

(७) भामह के २, २०, पत्र का परिवर्तित रूप हमें भट्टिशब्द में मिलता है । जान पड़ता है, भट्टि ने भामह के आधार पर इसे बनाया है । अतः भामह भट्टि से भी प्राचीन है ।

भामह के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। उसके पिता का नाम "रक्रिलगोमिन्" था। इसके आधार पर प्रो० नरसिंहियेंगर ने यह कल्पना की है कि भामह बौद्ध थे। प्रो० त्रिवेदी ने इस मत का खंडन किया है। वे भामह को ब्राह्मण मानते हैं। प्रो० त्रिवेदी निम्न प्रमाण देते हैं:—

(१) 'रक्रिलगोमिन्' का गोमिन् शब्द वस्तुतः निघंटु के अनुसार 'गोस्वामिन्' का समाहृत रूप है। इसका ठीक वही अर्थ है जो आचार्य का।

(२) भामह ने सोमयाग करने वालों की प्रशंसा की है।

(३) काव्यालंकार में रामायण तथा महाभारत की कथाओं का संकेत है।

(४) भामह ने राम, शिव, विष्णु, पार्वती तथा वरुण का उल्लेख किया है, जबकि बुद्ध या बौद्ध कथाओं का संकेत नहीं किया है। भामह ने 'सर्वज्ञ' शब्द का प्रयोग बुद्ध के लिए न कर 'शिव'के लिए किया है।

(५) भामह शब्दार्थ के 'अन्यापोह' संबंध का खंडन करता है, जो बौद्धों का मत है।

(६) भामह वेदाध्ययन का उल्लेख करता है।

भामह का काव्यालंकार ६ परिच्छेदों में विभक्त ग्रंथ है। प्रथम परिच्छेद में काव्यशरीर का वर्णन है, द्वितीय तथा तृतीय में अलंकारों का विवेचन। चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठ परिच्छेदों में क्रमशः दोष, न्याय-निर्णय तथा शब्दशुद्धि पर विचार किया गया है।^१ आलंकारिक भामह के किसी अन्य ग्रंथ का पता नहीं। वररुचि के प्राकृत प्रकाश की टीका मनोरमा के रचयिता भामह इससे भिन्न जान पड़ते हैं। सन् १९०९ तक

१. षष्ठ्या शरीर निर्णीतं शतषष्ठ्या त्वलकृतिः ।

पचाशता दोषदृष्टिः सप्तत्या न्यायनिर्णयः ।

षष्ठ्या शब्दस्य शुद्धिः स्यादित्येव वस्तुपचकम् ।

उक्तं पद्भिः परिच्छेदैर्भामहेन क्रमेण षः ॥

भामह का काव्यालंकार प्रकाश में नहीं आया था । प्रो० त्रिवेदी ने सर्वप्रथम प्रतापनट्टीचयशोभूषण के संपादन के परिशिष्ट में इसका प्रकाशन किया तथा इसे भामहलंकार नाम दिया । इसके बाद प्रो० पट्टकनाथशर्मा ने १९२८ में काव्यालंकार का संपादन किया । भामह पर कोई टीका नहीं मिलती । सुना जाता है कि इस पर उद्भट ने कोई टीका (भामहविवरण) लिखी थी । यह टीका आज अप्पुनपलब्ध है ।

(३) दण्डी (सातवीं शती पूर्वार्ध) - दूसरे प्रसिद्ध आलंकारिक दण्डी हैं, जो अलंकार मन्त्रशाय के प्रमुख आचार्यों में हैं । दण्डी की निधि अलंकार साहित्य के इतिहास में एक जटिल समस्या है । आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में भामह का स्पष्ट उल्लेख किया है, पर यह दण्डी का कोई संकेत नहीं करते । दण्डी का सपने पहला उल्लेख प्रविहारचन्द्रराज की टीका (पृ० २६) में मिलता है । दण्डी के काव्यादर्श में भी कोई निश्चित अन्त साक्ष्य का पता नहीं चलता । वैसे दण्डी ने भूतभाषा में लिखी बृहत्कथा (१, २८) का तथा महाराष्ट्री के मेतुबंध काव्य (प्रवरसेन के रावणवहा) का संकेत किया है, इसमें दण्डी की उपरी सीमा का कुछ संकेत मिल सकता है । प्रयोगकार के प्रकरण में शिवे उदाहरण में राजा राजवर्मा (या रातवर्मा) का उल्लेख है, पर इसमें किसी निश्चित निधि का पता नहीं चल पाता । कुछ विद्वानों ने इस राजा को कार्ची का नरसिंहवर्मा द्वितीय माना है, जो राजमिह वर्मा के नाम से प्रसिद्ध था, तथा जिसका समय सातवीं शती का उत्तरार्ध है । दण्डी के टीकाकार नरणावाचस्पति तथा अन्य ने प्रहेलिका के उदाहरण (३, ११४) में कार्ची के पल्लव राजाओं का संकेत माना है । यिज्ञा या विज्जका नामक कवयित्री ने दण्डी के काव्यादर्श के मंगलाचरण पर कटाक्ष करते हुए एक पद्य लिखा था,^१ किन्तु विज्जा की निधि का पता नहीं । वैसे कुछ विद्वानों ने इसे पुलकेशी द्वितीय के पुत्र पन्नादित्य की पत्नी विजया (६५९ ई०) से अभिन्न माना है ।

१. विज्जका वा यह प्रसिद्ध पद्य यो है.—

नीलोत्पलदम्बदामो विजयमानजानता ।

पथं हि दण्डेण प्रोषं सर्वदुःखं हरयती ॥

यदि दंडी की तिथि का निश्चित संकेत किसी तथ्य से मिल सकता है, तो वह यह है कि दंडी का संकेत सिंहली भाषा के एक अलंकार ग्रंथ 'सिय-बस लकर' में मिलता है। यह ग्रंथ डा० बनेट के मतानुसार नवीं शती से बाद का नहीं हो सकता। एक दूसरे ग्रंथ, कनाडी भाषा के अलंकारग्रंथ कविराजमार्ग में, जो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष नृपतुंग (९ वीं शती) की रचना है, दंडी के काव्यादर्श के छः पद्यों का अनुवाद मिलता है। ये छः पद्य असाधारणोपमा, असंभवोपमा, अनुशया-क्षेप, विशेषोक्ति, हेतु तथा अतिशयोक्ति से संबद्ध हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दंडी की परवर्ती सीमा नवीं शती है। जहाँ तक दण्डी एवं वामन का संबंध है, ऐसा जान पड़ता है कि वामन को दण्डी के काव्यादर्श का पता रहा होगा।^१ दण्डी ने जिस रीति एवं गुण सिद्धांत पर जोर दिया है, वामन ने उसी का पल्लवन किया है। साथ ही भामह एवं दण्डी दोनों कथा एवं आख्यायिका वाले प्रश्न का समाधान करते हैं, पर वामन इस विषय में नहीं जाते, किंतु प्राचीनों के ग्रंथ देखने का संकेत करते हैं।^२ दण्डी ने बड़े यत्न से यह सिद्ध किया है कि 'इव' उत्प्रेक्षा का भी वाचक है, किंतु वामन के समय तक यह तथ्य प्रतिष्ठित हो चुका है। इस प्रकार दण्डी वामन (८ वीं शती) से पुराने हैं।

दण्डी की ऊपरी सीमा को निश्चित करना बड़ा कठिन है। पिटर्सन के मतानुसार दण्डी बाण से परवर्ती हैं। याकोबी भी इसी मतको मानते हैं। प्रो० पाठक दण्डी को बाण, भर्तृहरि तथा माघ से परवर्ती मानते हैं।^३ हमें यह मत मान्य नहीं। हमें ऐसा जान पड़ता है कि दण्डी का समय सातवीं शती का पूर्वार्ध रहा है, तथा वे बाण से एक पीढ़ी पुराने हैं। साथ ही काव्यादर्श एवं दशकुमारचरित के रचयिता दण्डी एक ही हैं, अलग अलग नहीं।

१. De . Sanskrit Poetics p. 60.

२ यच्च कथाख्यायिका महाकाव्य इति तत्त्वक्षणं च नातीव हृदयगम इत्युपेक्षितं अस्माभिः, तदन्यतो ग्राह्यम् ।—काव्यालंकारसूत्रवृत्ति १. ३. ३२

३. De : Sanskrit Poetics p. 63.

दण्डों का प्रसिद्ध अलंकारग्रन्थ 'काव्यादर्श' है। इस ग्रंथ में तीन परिच्छेद हैं, जिनमें कुल ६६० उल्लेख हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण, काव्य के भेद, तथा के भेदत्रय—कथा तथा व्याख्यायिका, रीति, गुण तथा कवि के आवश्यक गुणों का वर्णन पाया जाता है। द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकारों का विवेचन है, जिनमें अलंकार की सामान्य परिभाषा तथा ३५ अलंकारों का सूचन है। तृतीय परिच्छेद में मन्दा-लंकारों, चित्रशब्दों तथा दस काव्य दोषों का वर्णन है।

काव्यादर्श पर एक दर्जन से अधिक टीकाओं और व्याख्याओं का पना चलता है। उनमें दो टीकाएँ सर्वा प्रसिद्ध हैं, एक तन्त्रशास्त्रज्ञपति कृष्ण टीका, दूसरी किर्ती अज्ञात टीकाकार की हृदयगमा नामक टीका। दोनों मद्रास में प्रकाशित हो चुकी हैं। इस पर एक अन्तर् टीका आधुनिक विद्वान पं० रंगाचारी रेड्डी शान्ती न प्रभा नाम से लिखी है। काव्यादर्श का एक जर्मन अनुवाद प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थो० थॉल्लिक ने लिपजिक (१८५०) में प्रकाशित किया था।

(४) उद्भट (आठवीं शती उत्तरार्ध)—अलंकारग्रन्थों के तीसरे आचार्य उद्भट हैं। उद्भट ध्वनिकार आनन्दवर्धन से निश्चित रूप में प्रार्थी हैं। प्रतिहारेंद्रराज, नन्दक तथा पटिनराज जगन्नाथ ने उद्भट को आनन्दवर्धन से प्रार्थी माना है।^१ आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में स्पष्ट रूप से दो बार भट्ट उद्भट का नामनिर्देश किया है। आनन्दवर्धन का समय नवीं शती का पूर्वार्ध है।^२ उद्भट के नाम से स्पष्ट है कि वे काठमीरी थे। कल्याण की राजतरंगिणी में एक भट्ट उद्भट का संज्ञा मिलता है, जो काठमीरराज जयावीर (७७९-८१३ ई०) के सभासति थे। डा० व्यूलहर ने, जिन्होंने उद्भट के अलंकारग्रंथ की संज्ञा की है,

१. शंभु, प्रतिहारेंद्रराज (१० ७९), ४२५४ (१० ३), पटिनराज (१० ४१४ ०)

२. आनन्दवर्धन की विधि के विषय में राजतरंगिणी का निम्न पद प्रमाण माना जाता है। ये भवविषयों (नवीं शती पूर्वार्ध) के राजकवि थे।

सुभाषण, शिवशान्ति आनन्दवर्धन ।

ग्रंथों का अलंकारग्रन्थ नामावली-१५३१-१५३२ ।

आलंकारिक उद्भट को इन्हीं भट्टोद्भट से अभिन्न माना है। इस प्रकार उद्भट का समय आठवीं शती का उत्तरार्ध सिद्ध होता है।

उद्भट का एक ही ग्रंथ उपलब्ध है—काव्यालंकारसारसंग्रह। प्रतिहारेंदुराज की साक्षी पर उद्भट ने एक दूसरी भी रचना की थी, जो भामह के काव्यालंकार की टीका 'भामहविवरण' थी। काव्यालंकारसारसंग्रह से एक तीसरी कृति का भी पता चलता है—कुमारसंभव काव्य। उद्भट ने इस काव्य के लगभग सौ पद्यों को अपने अलंकार ग्रंथ में उदाहरणों के रूप में उपन्यस्त किया है। यह काव्य कालिदास के कुमारसंभव की नकल पर लिखा काव्य जान पड़ता है, और केवल अनुष्टुप् छंदों में निबद्ध है।

उद्भट के ग्रंथ पर दूरी टीकाएँ मिलती हैं। एक प्रतिहारेंदुराज की टीका है, जो निर्णय सागर प्रेस से सर्वप्रथम १९१५ में प्रकाशित हुई थी। प्रतिहारेंदुराज भट्ट मुकुल (अभिधावृत्तिमातृका के रचयिता) के शिष्य थे। यद्यपि प्रतिहारेंदुराज टीकाकार हैं, किंतु प्रसिद्ध ध्वनि-विरोधी होने के कारण आलंकारिकों ने इन्हें भी आचार्य माना है तथा अलंकारसंप्रदाय की आचार्यचतुष्टयी (भामह, दण्डी, उद्भट, प्रतिहारेंदुराज) में इनकी गणना की है। प्रतिहारेंदुराज दक्षिणात्य थे तथा इनका समय दसवीं शती का पूर्वार्ध है। उद्भट के दूसरे टीकाकार राजानक तिलक हैं, जिनकी 'विवेक' नामक टीका गायकवाड ओरियन्टल सिरीज से १९३१ में प्रकाशित हुई है। विवृति के साथ उसके रचनाकार का उल्लेख नहीं है, किंतु इस संस्करण के सपादक रामस्वामी शास्त्री शिरोमणि ने कई प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि इसके रचयिता राजानक तिलक हैं। राजानक तिलक को भूमिका में मम्मट का समसामयिक माना है, तथा उनका समय इस तरह १०७५—११२५

१. जयरथानुवादयोश्चैकं शब्दतोऽन्योऽर्थतः प्रकृतव्याख्याया समुपलभ्यमान, उद्भटसम्मतार्थस्थ विवेचनोद्भटविवेक इत्यभिधानौचित्यं च प्रकृतव्याख्याया राजानकतिलकप्रणीतोद्भटविवेकाभिधानसम्भावना द्रष्टव्यतः।—

—काव्यालंकारसारसंग्रह (भूमिका) पृ० ३८

(गायकवाड ओ० मि० संस्करण)

है माना है। विवेक ने पर्यन्त न्याय पर प्रतीकारेंदुराज्य का टीका का च्युतन भी पाया जाता है।

अथपि उद्भट का ग्रथ भागह के आलंकार पर ही उपजीव्य बना-
कर चला है, तथापि वाद के आलंकारिकों ने उद्भट का नाम इनने प्पान्त्र
ने लिया है कि उद्भट ने भागह की धिति को आलंकार पर दिया है।
उद्भट ने अलंकारों के विषय में सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टिदोष दिया है।
उद्भट ने कई नये अलंकारों का संकेत किया है, माथ ही उद्भट के भेदोप-
भेद का वैज्ञानिक विवरण दिया है। उपमा तथा इलेप के विषय में उद्भट
के भेदोपभेद वाद के आलंकारिकों ने स्वीकार किये हैं।

(५) वामन (आठवीं शती उत्तरार्ध)—वामन रीतिसंप्रदाय के
आचार्य हैं। वामन के अलंकार ग्रथ में सूत्र ४, ३, ६ की धृति में भवभूति
के उत्तररामचरित का उद्धरण पाया जाता है, अतः यह स्पष्ट
है कि वामन भवभूति ने परवर्ती है। भवभूति पञ्चाज के राजा
चणोवर्मा के आश्रय में रहे हैं, जिसका समय आठवीं शती का
पूर्वार्ध है। इस प्रकार भवभूति का समय आठवीं शती का पूर्वार्ध रहा
है। वामन का संकेत राजशेखर की कान्यकीनामा में मिलता है तथा
वामन के सूत्र १, २, १-३ का उद्धरण राजशेखर ने किया है। इसने
स्पष्ट है कि नवीं शती के उत्तरार्ध तक—जो राजशेखर का समय है—
वामन ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। अथपि आनन्दवर्धन ने वामन का
कहाँ भी साक्षात् संकेत नहीं किया है, तथापि अर्पणी ३, ५२ पारिका
की धृति में रीति-सिद्धांत का संकेत अवश्य किया है। ऐसा जान
पड़ता है कि वामन भी भागह, टंडी पर उद्भट की धिति धृति मिश्रण
की उद्भावना के पूर्व हुए थे। प्रतीकारेंदुराज ने वामन का नाम आठ के
साथ लिया है तथा इनने बताया है कि वामन अलंकार धृति के स्थलों
पर चणोक्ति को मानते हैं। प्रो० यादोशी वामन की अज्ञाननामा धृति-
कार (जो आनन्दवर्धन ने भिन्न हैं) का समसामयिक मानते हैं, तथापि
यह स्पष्ट है कि वामन पर धृति मिश्रण का कोई प्रभाव नहीं है। इस
प्रकार हम वामन को नवीं शती के साथ में उपर का नहीं मान सकते।

इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनुचित न होगा कि वामन आठवीं
शती के अंतिम दिनों में थे। डॉ० व्यूहट्टर ने आनन्दवर्धन

को काश्मीरराज जयापीड (७७९-८१३ ई०) के मंत्री वामन से अभिन्न माना है, जिसका संकेत राजतरंगिणी (४, ४९७) में पाया जाता है। इस मत की प्रामाणिकता स्वीकार कर ली गई है। इस मत के अनुसार वामन और रुद्रट एक दूसरे के समसामयिक तथा विरोधी रहे हैं। वामन तथा रुद्रट के विरोधी शास्त्रीय मतों की पुष्टि राजशेखर, हेमचंद्र तथा जयरथ के उन प्रयोगों से होती है, जहाँ वे वामनीय तथा औद्भट संप्रदायों का संकेत करते हैं।

वामन का ग्रंथ सूत्र पद्धति पर लिखा गया है। पूरा ग्रंथ पाँच अधिकरण, बारह अध्याय तथा ३१९ सूत्रों में विभक्त है। प्रथम अधिकरण में काव्य के प्रयोजन, काव्य का अधिकारी, काव्य की आत्मा, रीति के भेद तथा काव्य-प्रकार का वर्णन है। द्वितीय अधिकरण में दोष प्रकरण है। तृतीय अधिकरण में गुणालंकार प्रविभाग तथा दस शब्द गुणों तथा दस अर्थ गुणों का विवेचन है। चतुर्थ अधिकरण में अर्थालंकारों की मीमांसा है। पंचम अधिकरण में संदिग्ध शब्दों के प्रयोग तथा शब्दशुद्धि पर विचार किया गया है।

वामन का ग्रंथ 'काव्यालंकारसूत्र' है जिस पर 'कविप्रिया' नामक वृत्ति है। इसमें उदाहरण भाग भी है। वृत्ति की रचना स्वयं वामन ने ही की है। काव्यालंकारसूत्रवृत्ति पर दो टीकायें प्रसिद्ध हैं—गोपेन्द्र (या गोविंद) कृत कामधेनु तथा महेश्वर कृत साहित्यसर्वस्व। दोनों बहुत वाद की रचनाएँ हैं। इसका आग्ल अनुवाद डॉ० गंगानाथ झा ने प्रकाशित कराया था। इसकी एक हिंदी व्याख्या भी इन्हीं दिनों निकल चुकी है।

(६) रुद्रट (नवीं शती का पूर्वार्ध)—रुद्रट अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। रुद्रट का प्रभाव सर्वप्रथम राजशेखर (काव्य-मीमांसा पृ० ३१) पर पाया जाता है, जो रुद्रट द्वारा सम्मत काकु-वक्रोक्ति (२, १६) का संकेत करता है। अतः स्पष्ट है कि रुद्रट का समय नवीं शती के उत्तरार्ध से पुराना है। माघ के शिशुपालवध के टीकाकार वल्लभदेव (१०वीं शती पूर्वार्ध) ने अपनी टीका में दो स्थानों पर इस बात का संकेत किया है कि उसने रुद्रट के अलंकार ग्रंथ पर भी एक टीका लिखी है। जर्मन विद्वान् हुल्श ने वल्लभ की टीका में

अन्वय भी ऐसे स्थल होते हैं, जो संभवतः रुद्र का संकेत जान पड़ते हैं । प्रतीकारेदुराज की टीका में भी रुद्र की दो कारिकाएँ (७, २५, १२, ५) बिना नाम के उद्धृता हैं तथा रुद्र के सप्तम परिच्छेद का उद्धृतांश भी पाया जाता है । इसमें प्रा० पीटमन के द्वारा रुद्र को दसवीं शती के उच्चारण का मानने की धारणा का उद्भव ही जाना है । रुद्र की निधि की उर्ध्वी सीमा का पूर्ण तरह निश्चय नहीं हो सकता, पर यह स्पष्ट है कि वह आमर, दंडी तथा वामन से परवर्ती है । चाकोदी के मतानुसार रुद्र ने यमोक्ति अलंकार संबंधी धारणा कवि रत्नाकर से ली है, जिसने 'वक्रोक्ति पंचांगिका' की रचना की थी तथा जो अचतिवर्मा का राजकवि था । चाहे रुद्र ने रत्नाकर से यह धारणा न ली हो, पर रुद्र ही ने सर्व प्रथम इसका प्रदर्शन किया है । रुद्र ने इसके दो भेद किये हैं:—इलेप तथा काकु । इन दोनों में कि भागह, दंडी तथा वामन की वक्रांक्ति संबंधी धारणा रुद्र ने सर्वथा भिन्न है । अतः रुद्र वामन से परवर्ती सिद्ध होते हैं । इस प्रकार रुद्र को नवों शती के मध्य भाग में माना जा सकता है ।

विशेष, वेमर, आक्रोक्त तथा व्यूहूर ने रुद्र को शृंगारनिलक के रचयिता रुद्रभट्ट से अभिन्न माना है, किंतु पीटमन, म० म० दुर्गाप्रसाद तथा प्रा० त्रिवेदी ने इन्हे भिन्न भिन्न माना है । रुद्र के पिता का नाम भट्ट वासुदेव था जो मामरेदी मालव्य थे तथा रुद्र का दूसरा नाम शतानंद भी था । जब कि रुद्रभट्ट के हुल का पता नहीं, साथ ही काव्यालंकार के रचयिता वा नमिसाधु एव बल्लभ दोनों ने स्पष्टतः रुद्र के रूप में उल्लेख किया है ।

रुद्र का काव्यालंकार १६ अध्यायों में विभक्त ग्रंथ है । इसमें काव्यस्वरूप, शब्दालंकार, चार रीतियों, पृथियों, विप्रबंध, अर्थालंकार, दोष, दस रस तथा नायक-नायिकाभेद का विवेचन पाया जाता है । रुद्र सत्रमें पहले अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, जिन्होंने रस का विस्तार से बखान किया है । काव्यालंकार पर रुद्रभट्ट ने कोई टीका लिखी थी वह उपलब्ध नहीं । इसके अनिश्चित दो टीकाएँ और हैं— जैन कवि नमिसाधु की टीका, जो ग्यारहवीं शती की रचना है, तथा

काव्यालंकार की प्रसिद्ध टीका है, दूसरी अन्य जैन टीकाकार आशाधर की रचना है, जो तेरहवीं शती की रचना है—ये आशाधर त्रिवेणिका तथा अलंकार दीपिका के रचयिता पंडित आशाधर से भिन्न हैं, जो परवर्ती (१८वीं शती) ब्राह्मण लेखक हैं ।

(७) ध्वनिकार आनंदवर्धन (नवीं शती उत्तरार्ध)—ध्वनि संप्रदाय के सिद्धांतों का प्राथमिक विवेचन हमें उन कारिकाओं में मिलता है, जिनकी रचना आनंदवर्धन ने की या किसी दूसरे व्यक्ति ने, यह प्रश्न साहित्यशास्त्र के इतिहास का अंग बन गया है । ये कारिकायें कब लिखी गईं, किसने लिखीं, क्या ये आनंदवर्धन की ही रचना है ? आदि विवादग्रस्त विषय हैं । संस्कृत के पूर्वोक्त पद्धति के विद्वान अधिकतर यही मानते हैं कि कारिकायें और वृत्ति दोनों आनंदवर्धन की ही कृतियाँ हैं । किंतु पाश्चात्य विद्वानों का मत इस विषय में सर्वथा भिन्न है ।

सर्व प्रथम व्यूलहर ने अपनी “काश्मीर रिपोर्ट” में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि कारिकाकार तथा वृत्तिकार दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं । इसके प्रमाण स्वरूप उनका कहना है कि अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका “लोचन” में कारिकाकार तथा वृत्तिकार के परस्पर विरुद्ध मतों का उल्लेख तीन स्थानों पर (पृ० १२३, ११०, १३० चतुर्थ परि, पृ० २९) किया है । अतः वे दोनों भिन्न ही होने चाहिए ।’ पृष्ठ १२३ पर अभिनव गुप्त ने बताया है कि वस्तु, अलंकार तथा रस रूप ध्वनि-भेदों का स्पष्ट निर्देश कारिकाओं में कहीं नहीं है, साथ ही चतुर्थ उल्लास में वृत्तिकार तो काव्य की अनतता के विषय का उल्लेख करता है, किंतु यह बात कारिकाकार में नहीं पाई जाती । जैसा प्रतीत होता है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत को अपूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाली कारिकाओं पर उसे पूर्ण एवं प्रौढ रूप देने की चेष्टा से वृत्ति लिखी । कालांतर में, आनंद वर्धन के इस प्रौढ-सिद्धांत-विवेचन के कारण ध्वनिकार की महत्ता कम हो गई और वह स्वयं ही ध्वनि सिद्धांत का आदि प्रवर्तक माना जाने लगा । इसी आधार पर हम साहित्यशास्त्र

के अन्य ग्रंथों में आनन्द के नाम से कारिकाओं को, तथा ध्वनिकार के नाम से छुत्ति को उदाहरण पाते हैं। डॉ० व्यून्हर तथा वाकोशी के अनि-
रिक्त डॉ० दे भी अपने "संस्कृत काव्य शास्त्र" में इनको भिन्न ही
मानते हैं।^१

यह कारिकाकार कौन था ? इस विषय में प्रो० सोमानी ने "रायल
एशियाटिक सोसायटी"^२ की पत्रिका में एक धारणा रखी थी। उनके
मतानुसार इन कारिकाओं के रचयिता का नाम "सहृदय" था। इसके
दो कारण देते हैं:—

(१) ध्वन्यालोक का दूसरा नाम 'सहृदयालोक' भी है,

(२) ध्वन्यालोक के चतुर्थ अंश के अंत में तथा अभिनवगुप्त के
व्याख्या के आदि में प्रयुक्त "सहृदय" तथा "कवि सहृदय" शब्द इसकी
पुष्टि करते हैं। किंतु यह मत ठीक नहीं, "सहृदय" शब्द का प्रयोग
बन्ततः उस काव्यानुशीलनकर्ता व्यक्ति के लिए हुआ है, जिसमें रसानु-
भूति की क्षमता है। आनन्द स्वयं छुत्ति में "सहृदयत्व" पर प्रकाश
डालते हैं, तथा अभिनवगुप्त "सहृदय" की परिभाषा यों देते हैं:—

"येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विजयीभूते मनोमुक्तं वर्णनी-
यन्मन्योर्भवनयोग्यता ते हृदयसंवादभाजः सहृदयाः"।

प्रो० वाकोशी ध्वनिकार को काश्मीरनृपति जयापीठ तथा
ललितादित्य एवं मनोरथ का समसामयिक मानते हैं, किंतु इस विषय में
कोई विशेष प्रमाण नहीं। डॉ० दे का मत है कि ध्वनिकार का संप्रदाय
गति, रस व अलंकार के साथ ही साथ प्रचलित हुआ होगा, किंतु
आनन्दपर्यन्त के समय तक यह इतना प्रौढ़ नहीं हुआ था। डॉ० दे के
मत से ध्वनिकार को दही तथा वामन का समसामयिक मानना ही
ठीक होगा।^३

१. Dr. De : Sanskrit Poetics. Vol. I.
PP. 107-110.

२. Journal of Royal Asiatic Society (1910)
PP. 161-67.

३. It only goes to establish that the theory
announced by the Dhvanikara, may have existed

डॉ० कांतिचंद्र पांडेय ने अपने “अभिनवगुप्त—ऐतिहासिक एवं दार्शनिक अध्ययन” नामक गवेषणापूर्ण ग्रंथ में ध्वनिकार तथा आनंदवर्धन संबंधी इस प्रश्न को फिर से उठाया है। इस ग्रंथ के तृतीय परिच्छेद में “ध्वनिकारिका का रचयिता कौन था” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉ० पांडेय ने डॉ० दे आदि का खंडन किया है। ध्वनिकार तथा आनंदवर्धन को एक मानने के वे पाँच प्रमाण देते हैं—

(१) बहुधा ऐसा देखा जाता है कि संस्कृत लेखक किसी रचना के पूर्व में मंगलाचरण अवश्य रखते हैं। ध्वन्यालोक में केवल एक ही मंगलाचरण^१ पाया जाता है। यदि दोनों भिन्न-भिन्न हैं, तो कारिका ग्रंथ का मंगलाचरण अलग तथा वृत्ति ग्रंथ का अलग पाया जाता।

(२) वृत्ति पढ़ते समय हम देखते हैं कि कई कारिकाओं के पूर्व कई स्थानों पर “उच्यते” शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि हमें “उच्यते” क्रिया के कर्ता का पता लग जाय तो ग्रंथकर्ता के प्रश्न पर अवश्य प्रकाश पड़ेगा। अभिनवगुप्त ने एक स्थान पर इसे स्पष्ट किया है। द्वितीय उल्लास की २८वीं कारिका के पहले “इयत् पुनरुच्यते

side by side with these systems, as we find them in the extent works, for it could not have been much later in as much as such a supposition would bring it too near the line of Anandawardhana himself. If the Dhwanikara was contemporaneous with Dandin or Vamana, he may be placed, at most a century earlier than his commentator in the first half of the 8th century.

—Dr. De : Sanskrit Poetics Vol. I. P. 115.

१. स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दव ।

त्रायन्ता वो मधुरिपो. प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः ॥

(ध्वन्यालोक, १, १)

एव" इस वृत्ति की टीका में लोचनकार ने "अग्नाभिरिति वाक्योप' ऐसा लिखा है। क्या इसमें वृत्ति व कारिका दोनों के कर्ता की अभिन्नता नहीं प्रकट होती ?

(३) लोचन में द्वितीय उल्लाम के आदि में "ध्वनिद्विप्रकार. प्रशान्तितः" इस वृत्ति की व्याख्या में अभिनवगुप्त ने "प्रशान्तित इति. नया वृत्तिकारेण मतेति भावः" इसमें "मता" का प्रयोग किया है। यह प्रयोग कारिकाकार तथा वृत्तिकार की अभिन्नता स्वक करता है।

(४) एक स्थान पर अभिनवगुप्त वृत्तिकार को स्पष्ट रूप में कारिकाकार मानते हैं :—प्रधान्तप्रकारद्वयोपसंहारः कर्तावतारमूचन चेतनेव यत्नेन करोमियाशयेन साधारण अवतरणपरं ध्रियति वृत्ति-एव" (ध्वन्यालोक प्र० १०४)

इसमें प्रयुक्त "एकेनैव यत्नेन" वाक्य की कारिका का संकेत करता है। यह "करोमि" क्रिया वाले वाक्य का प्रयोग है। यह वाक्य वृत्तिज्ञान का संकेत करता है। अतः यही "करोमि" का कर्ता है। क्या इसमें दोनों की अभिन्नता स्पष्ट नहीं होती ?

(५) जब अभिनवगुप्त ग्रंथ के उल्लामों के अन्त में 'ध्वन्यालोक' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो केवल वृत्ति के लिए नहीं अपितु वृत्ति एवं कारिका दोनों के लिए।

पं० बलदेव उपाध्याय का मत भी यही है कि ध्वनिज्ञान एवं वृत्ति का कर्ता दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "भारतीय साहित्य शास्त्र" के द्वितीय खण्ड में वे स्पष्ट घोषित करते हैं "कुत्र लोग आनन्द को वृत्तिकार ही मानते हैं, कारिकाकार को उनमें पृथक् स्वीकार करने हैं। परन्तु वस्तुतः आनन्दचर्चन ने ही कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना की है।^३ ध्वनिकार तथा आनन्द चर्चन के विषय में डा० पाण्डेय जैसे लोगों की गवेषणा ने यथा दिया है कि दोनों एक ही हैं। अतः इस प्रश्न का एक प्रकार से अन्तिम उत्तर दे दिया गया है।

१. Dr. Pandey : Abhinavagupta : A Historical and Philosophical study, P. 132-37.

२. भारतीय साहित्य शास्त्र, द्वितीय खण्ड, २०-११

व्यूल्हर तथा याकोबी ने आनन्दवर्धन का समय, राजतरंगिणी के आधार पर नवौं शताब्दी का मध्य भाग माना है। वे निम्न श्लोक के आधार पर काश्मीर राज्य अवन्तिवर्मा के राजकवि थे, जो ८५५ ई० से ८८४ ई० तक विद्यमान था।

“मुक्ताकण. शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः
प्रथां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः”

ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनवगुप्त का समय हमें स्पष्ट ज्ञात है कि उन्होंने ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की बृहती विमर्शिनी १०२५ ई० में लिखी थी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, लोचन के पूर्व अभिनव के ही एक पूर्वज या गोत्रज ने ध्वन्यालोक पर “चन्द्रिका” नाम की टीका लिखी थी, जिसका उल्लेख अभिनव स्वयं भी करते हैं.—“चन्द्रिकाकारैस्तु पठितम्—इत्यलमस्मत्पूर्ववंशैः सह विवादेन बहुना” (पृ० १८५) अतः आनन्द तथा अभिनव के बीच कुछ समय मानना ही होगा। इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न यह भी उठता है कि अभिनव आनन्द के लिए “गुरु” का प्रयोग करते हैं, तो क्या वे आनन्द के समसामयिक थे? वस्तुतः यहाँ “गुरु” का तात्पर्य “परम्परागुरु” ही लेना उचित होगा। आनन्द वर्धन के “देवीशतक” पर कैयट ने ६७७ ई० के आसपास टीका लिखी थी। अतः दसवीं शताब्दी के अन्त तक आनन्द ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी।

आनन्द के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं। हेमचन्द्र तथा इडिया आफिस लन्दन की हस्तलिखित प्रति के आधार पर वे “नोण” के पुत्र थे। इन्होंने देवीशतक, विषमभाणलीला (प्राकृतकाव्य), अर्जुन चरित तथा तत्त्वालोक ये ग्रंथ भी लिखे थे। इनमें से केवल ध्वन्यालोक तथा देवीशतक ये दो ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, अन्य का उल्लेख भर मिलता है।

(८) अभिनवगुप्त — ध्वनि संप्रदाय के संस्थापकों तथा आचार्यों में अभिनव ही अकेले ऐसे हैं, जिनके समय तथा जीवन के विषय में हम आवश्यक बातें जानते हैं। अभिनवगुप्त की विशेष प्रसिद्धि तंत्रशास्त्र तथा शैव दर्शन संबंधी ग्रंथों के लेखक के रूप में है, किंतु भरत तथा

आनंद के प्रमुख नाट्यशास्त्रीय तथा साहित्यशास्त्रीय ग्रंथों पर "भारती" तथा "लोचन" लिखने ने इस क्षेत्र में भी उनकी कम प्रसिद्धि नहीं। समस्त ध्वनिविरोधियों तथा व्यंजनाविरोधियों का खटन कर ध्वनिमिह्रात के आधार पर रम की मनःशास्त्रीय महत्ता प्रतिपादित करने वाले सर्व प्रथम अभिनव ही हैं। इन्हीं के मार्ग पर गम्मत चले हैं। अभिनवगुप्त जैसे प्रकांड विद्वान को पाकर ही ध्वनिसंप्रदाय साहित्यशास्त्र में बद्धमूल हो सका तथा साहित्यमंदिर का स्वर्ण कलश बन सका।

अभिनव का समय ९६० ई० में लेकर १०२० ई० तक माना जा सकता है। इनकी रचनाये ९८५ ई० के बाद की हैं। क्रमशः की रचना इन्हीं के अनुसार ९९१ ई० में हुई थी। जैसा कि अभिनव स्वयं लिखते हैं ईश्वर प्रत्यभिज्ञा की टीका विमर्शिनी १०१४-१५ ई० (कलि संवत् ४०९० में लिखी गई थी।)

इतिनवतितमेशे वत्सरांत्ये युगाजे,
तिशिशालिजलविभ्ये मार्गशीर्षावसाने।
जगति विहितत्रोधार्माश्वरप्रत्यभिज्ञा,
व्यवृणुत परिपूर्णा प्रेरितः शम्भुपार्द ॥

अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंहगुप्त (चुगुलक) तथा माता का नाम विमलका था। अभिनव के कई गुरु थे। इनमें अभिनव ने भिन्न-भिन्न विद्यायें तथा शास्त्र पढ़े थे। इनमें विशेष उल्लेखनीय नरसिंहगुप्त (इनके पिता), इंदुराज तथा भट्टनीत हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः व्याकरण, ध्वनि एवं नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया। इस विषय में भट्टेन्द्रराज अथवा इंदुराज का उल्लेख लोचन में स्थान स्थान पर हुआ है।^१ साथ ही उनके कई पत्र भी उद्धृत हुए हैं। भट्टेन्द्रराज ज्ञान थे, इस विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं।

१. तस्यामनजश्चुगुलकैति जने प्रसिद्धः पन्द्रावदावधिपदा नरसिंहगुप्त
यं मर्षनास्त्रममउज्जयिष्ठ नाहेयरी परमर्षिगुणे नन भवि

२. भट्टेन्द्रराजपरनाचनट्टनाधिवासत्पक्षुनांअभिनवगुप्तवर्दानिधं हम् ।

अभिनव ने तंत्रशास्त्र, काव्यशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र तीनों पर रचनायें की हैं। इनकी आरम्भिक रचनायें तांत्रिक हैं। बीच के समय में अभिनव में साहित्यिक प्रवृत्ति पाई जाती है। उस काल की रचनाएँ “भारती” तथा “लोचन” हैं। “अभिनव भारती” तथा “लोचन” में पहली रचना संभवतः “लोचन” ही हो। इसके बाद अभिनव में दार्शनिक प्रवृत्ति का उदय हुआ और हमें शैव दर्शन पर “बृहती” जैसे ग्रंथ की उपलब्धि हुई। अभिनव के कुल ग्रंथ लगभग ४१ प्रसिद्ध हैं। डा० पाडेय ने अपने अभिनव गुप्त संबन्धी गवेषणात्मक प्रबंध में इनकी पूरी तालिका दी है। अभिनव ने प्रसिद्ध दो साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त ‘काव्य-कौतुकविवरण’ नामक रचना भी की थी। इसकी रचना उनके साहित्यिक काल में सर्व प्रथम हुई थी। भारती इस काल की अंतिम रचना रही होगी। यद्यपि शैव दार्शनिक के रूप में अभिनवगुप्त का महत्त्व अधिक है, तथापि यहाँ हमें उनके साहित्यिक रूप से ही प्रयोजन है। इतना होते हुए हम भी शैव दार्शनिक अभिनव को सर्वथा नहीं भुला सकते, क्योंकि उनकी रस पद्धति पर शैव दर्शन का गहरा प्रभाव है।

(९) कुंतक (दसवीं शती उत्तरार्ध)—कुंतक वक्रोक्ति नामक प्रस्थानभेद के प्रसिद्ध उद्भावक हैं। ये अलंकारसाहित्य में वक्रोक्ति जीवितकार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कुंतक का नाम कुंतल भी प्रसिद्ध है। हम देखते हैं कि वक्रोक्तिजीवित में राजशेखर के नाटकों से—विशेषतः घालरामायण से, कई पद्य उद्धृत किये गये हैं, साथ ही कुंतक ध्वनिकार के सिद्धांतों से पूर्णतः परिचित हैं, अतः स्पष्ट है कि कुंतक का समय नवीं शती से पुराना नहीं हो सकता। कुंतक का उद्धरण सर्व प्रथम हमें महिम भट्ट के व्यक्तिविवेक में मिलता है। महिम भट्ट का समय ग्यारहवीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि कुंतक दसवीं शती के उत्तरार्ध या ग्यारहवीं शती के पूर्वार्ध में रहे होंगे। इस तरह वे लोचनकार अभिनवगुप्तपादाचार्य (दसवीं शती-ग्यारहवीं शती) के समसामयिक सिद्ध होते हैं। लोचनकार ने यद्यपि वक्रोक्ति के संबंध में प्रचलित कई धारणाओं का संकेत किया है, किंतु वे वक्रोक्तिजीवितकार का कोई संकेत नहीं करते।

कुंतक का ग्रंथ चार उन्मेषों में विभक्त है, जिनमें वक्रोक्ति के छः

भेदों का विषय है। प्रथम दारिद्र्य तथा यज्ञि के दण्ड पर लिखा गया है। अतएव ने स्वयं ही दोनों अंगों को रचना की है। गुणक का यज्ञोन्निर्वाहित माहिनिर समाज के मन्सुव पट्टन डर ने प्रकाश में लाया है। इसके प्रकाशन का प्रथम डॉ. नर्माल कुमार ने को है, जिन्होंने इसके प्रथम दो अंगों को पहले तथा शर्की दो अंगों का पाठ में प्रकाशित किया। अतएव के यज्ञोन्निर्वाहित पर दोठे मन्सुव टीका उपलब्ध नहीं है। अभी हाल में ही इस पर एक द्वितीयांग प्रकाशित हुई है।

(१०) भोज (न्यायदर्शी शर्ती का मध्य) — भोज यन्मुन, एक ऐसे आन्तरिक है, जिसे अलंकारशास्त्र का संस्कार कहा जा सकता है। सम्वतीकटाभरण तथा शृंगारप्रकाश दोनों ग्रंथों में भोज ने अलंकारशास्त्र के समस्त विषयों पर विस्तार से विचार किया है। भोज का मथने पहला उल्लेख हमें हेमचंद्र के काव्यानुशासन में मिलता है। हेमचंद्र का समय १२वीं शती का पूर्वार्ध है। भोज प्रसिद्ध धारा-नरेश हैं, जो सिंधुराज गुंज के भतीजे थे। सम्वतीकटाभरण ने राजशेखर तथा विद्वान् तक के पद्यों के उद्धरण पाये जाते हैं, जो भोज की विधि के निर्धारण में सार्थी हैं।

सम्वतीकटाभरण पाँच परिच्छेदों का ग्रंथ है। प्रथम परिच्छेद में काव्य दोषों व गुणों का वर्णन है। भोज ने १६ दोष तथा २५ गुण माने हैं। द्वितीय परिच्छेद में २४ शब्दालंकारों का विवेचन है। तीसरे परिच्छेद में २४ अर्थालंकारों तथा धतुर्थे परिच्छेद में २५ उभयालंकारों की सीमांसा है। प्रतिम परिच्छेद में रस, भाव, पचसंधि तथा वृत्ति अनुष्टुप का वर्णन है। इस ग्रंथ पर रत्नेश्वर नामक लेखक की टीका उपलब्ध है। भोज का दूसरा ग्रंथ शृंगारप्रकाश है। इसके अंतर्गत तीन प्रकाश (२२-२४ प्रकाश) प्रकाशित हुए हैं, शर्की ग्रंथ अक्षरप्रकाश है। पूरा ग्रंथ ३६ प्रकाशों में विभक्त महाकाय ग्रंथ है। इसका विषय ६० रावण के रसिस भोजान् शृंगारप्रकाश के दोनों भागों में मिलता है।

(११) मन्सुव (न्यायदर्शी शर्ती उन्नाय) :— मन्सुव का काव्य प्रकाश ध्वनि संप्रदाय का प्राणागतिक ग्रंथ है, जो प्रथम ग्रंथ की तरह पाठ में देखा जाता रहा है। मन्सुव के समय का पूर्व मन्सुव

निश्चय नहीं हो सकता है, पर यह तो निश्चित है कि मम्मट रुद्रट, अभिनवगुप्त तथा महिमभट्ट से परिचित हैं। रुद्रट के अलंकारसंबंधी विचारों के मम्मट ऋणी हैं। महिमभट्ट (११ वीं शती उत्तरार्ध) का साक्षात् उल्लेख तो काव्यप्रकाश में कहीं नहीं मिलता, किंतु पंचम उल्लास में अनुमानवादी का खंडन संभवतः महिम का ही खंडन है। महिम तथा मम्मट समसामयिक जान पड़ते हैं। मम्मट के द्वारा उद्धृत एक पद्य में भोजदेव का नाम मिलता है—“ भोजनृपतेस्तन्याग-लीलायितम्” इससे स्पष्ट है कि मम्मट भोज से प्राचीन नहीं हो सकते। एक किवदंती के अनुसार वे नैषधीयचरित के कवि श्रीहर्ष के मामा थे। काव्यप्रकाश पर सबसे प्राचीन उपलब्ध टीका माणिक्यचन्द्र ने १२१६ संवत् (= ११६० ई०) में लिखी थी, अतः स्पष्ट है कि इस समय तक मम्मट की अत्यधिक ख्याति हो चुकी थी। इन्हीं दिनों इस पर एक दूसरी भी टीका लिखी गई है। यह टीका अलंकारसर्वस्व के रचयिता रुय्यक की रचना है। रुय्यक का समय बारहवीं शती का मध्य माना जाता है। इस प्रकार मम्मट को ग्यारहवीं शती के उत्तरार्ध में मानना ठीक होगा।

सुधासागरकार भीमसेन दीक्षित के मतानुसार मम्मट के पिता का नाम जैयट था तथा मम्मट के दो भाई कैयट तथा उव्वट थे। कैयट महाभाष्य की प्रसिद्ध टीका प्रदीप के लेखक थे। उव्वट प्रातिशाख्यों के प्रसिद्ध टीकाकार थे। किंतु उव्वट मम्मट के भाई नहीं हो सकते, क्योंकि उव्वट ने अपने पिता का नाम वज्रट लिखा है, जैयट नहीं।

मम्मट की दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—काव्यप्रकाश तथा शब्दव्यापार-विचार। दूसरा ग्रंथ कुछ नहीं काव्यप्रकाश के ही द्वितीय उल्लास का उलथा-सा है। प्रथम ग्रंथ कारिका तथा वृत्ति में लिखा गया है तथा दस उल्लासों में विभक्त है। इसके नवे तथा दसवे उल्लासों में क्रमशः शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का प्रकरण है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मम्मट ने इस ग्रंथ को दसवें उल्लास के परिकर अलंकार के प्रकरण तक ही लिखा था, बाद में अलंकार या अलंकार नाम के विद्वान् ने बाकी अंश को पूरा किया है, पर यह किवदंती मात्र है। डा० दे इस किवदंती पर विश्वास करते हैं।^१

मम्मट के काव्य प्रकाश पर मम्मट के लगभग टीकाएँ लिखी गई हैं। यह तथ्य हम प्रथम की महना का संकेत कर सकता है। इनके प्रमुख टीकाकारों में रुचक, माण्डिक्यचन्द्र, जयवभट्ट, चण्डिकास, विश्वनाथ कविराज, परमानन्द चक्रवर्ती, गोविन्द टक्कुर, कमलाकर भट्ट, भीमसेन शोशिन, नानेश भट्ट तथा वैद्यनाथ तत्सन् का नाम लिया जा सकता है। प्रारंभिक टीकाओं के आधार पर वामनाचार्य मनकीकर ने सुशोभित टीका लिखी है। म० म० टा० गंगानाथ शाने हमकी अंगरेजी काविका उपस्थित की थी तथा इस पर दो हिंदी व्याख्याएँ भी लिख चुकी हैं।

(१२) अग्निपुराण (चारहवीं शती का मध्य) .—अग्निपुराण में अध्याय ३३६ से लेकर ३४६ तक साहित्यशास्त्रीय विषयों का विवेचन है। अग्निपुराण के इस अंग के संकलन कर्ता की रीति तथा ध्वनि के विषय में पूरी जानकारी थी, पर वह ध्वनि का विरोधी जान पता है। उसकी अलंकार संबंधी धारणाओं पर भोज का प्रभाव दिखाई पता है, अतः ऐसा अनुमान होता है कि अग्निपुराण का यह अंश भोज की रचनाओं से परवर्ती है। अग्निपुराण के तीन अध्यायों में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का विवेचन है। ३४२ वे अध्याय में शब्दालंकार तथा चित्रपद्यों का संकेत है, ३४३-४४ वें दो अध्यायों में अर्थालंकारों का। भोज की भाँति अग्निपुराण ने भी उभयालंकार जैसी अलंकार कान्ति मानी है। विद्वाना ने बताया है कि अग्निपुराण के अलंकार संबंधी विचारों पर भागह, दर्डी, तथा भोज का प्रभाव है।^१

(१३) रुचक (चारहवीं शती का मध्य) .—रुचक राजानक तिलक के पुत्र थे। राजानक तिलक स्वयं आलंकारिक थे तथा उन्होंने वदूट पर 'विवेक' नामक टीका लिखी थी। रुचक का दूसरा नाम रुचक भी है। रुचक की प्रसिद्ध आलंकारिक कृति 'अलंकारमय' है। इसके अतिरिक्त रुचक ने दो रचनाएँ और की थीं, एक काव्य-प्रकाश पर 'मंकेन' नामक टीका, दूसरी महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक पर टीका। महिमभट्ट के व्यक्ति विवेक पर विरचित रुचक की टीका व्यक्तिविवेकविचार द्वितीय विमर्श तक ही उपलब्ध हुई है तथा छप चुकी है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि रुचक मम्मट तथा महिम भट्ट ने

परवर्ती हैं। रुय्यक का सबसे पहला प्रभाव जयदेव के चंद्रालोक में दे-
जाता है, जहाँ जयदेव ने 'विचित्र', 'विकल्प' जैसे अलंकारों का वर्ण
किया है, जिनकी उद्भावना सर्व प्रथम रुय्यक ने ही की थी। अ
रुय्यक जयदेव से प्राचीन हैं। रुय्यक ने इस ग्रंथ में मंखुक के श्रीकण
चरित से पाँच पद्यों को उद्धृत किया है। मंखुक रुय्यक का शिष्य था
क्योंकि मंखुक ने श्रीकण्ठ चरित के उपसंहार में अपने आपको रुय्य
का शिष्य बताया है। इस प्रकार रुय्यक ने अपने ग्रंथ में अपने शिष्य
के काव्य से भी उदाहरण दिये हैं। मंखुक का श्रीकण्ठ चरित डा०
व्यूल्हर के मतानुसार ११२५ ई० तथा ११३४ ई० के बीच की रचना है,
अतः रुय्यक का समय भी यही सिद्ध होता है।

रुय्यक की उपर्युक्त तीन कृतियों के अतिरिक्त अलंकारमंजरी,
साहित्यमीमांसा, अलंकारानुसारिणी, नाटकमीमांसा, हर्षचरितवार्तिक,
सहृदयलीला, अलंकारवार्तिक, श्रीकण्ठस्तव नामक रचनाओं का भी
संकेत मिलता है। अलंकारसर्वस्व में दो भाग हैं—एक सूत्रभाग,
दूसरा वृत्तिभाग। प्रश्न होता है क्या दोनों अश रुय्यक की ही
रचना हैं? इस संबंध में दो मत हैं, एक दक्षिण से मिले हस्तलेख के
अनुसार इसके सूत्रकार रुय्यक हैं, वृत्तिकार मंखु या मंखुक। कुछ विद्वान्
इसको प्रामाणिक मानते हैं तथा केवल सूत्रभाग को ही रुय्यक की रचना
मानते हैं। किंतु दूसरा मत इसे नहीं मानता। हम देखते हैं कि जयरथ ने
दोनों को एक की रचना माना है, साथ ही मल्लिनाथ, कुमारस्वामी,
अप्यय दीक्षित तथा पंडितराज जगन्नाथ भी सूत्रकार तथा वृत्तिकार का
पार्थक्य नहीं मानते जान पड़ते। अतः दोनों को रुय्यक की ही रचना
मानना ठीक है।

अलंकारसर्वस्व पहला ग्रंथ है, जो केवल अलंकारों पर लिखा गया
है। घाट के आलंकारिकों ने इसे कई स्थानों पर उद्धृत किया है।
साहित्यदर्पणकार विठ्ठलनाथ इसके ऋणी हैं, तथा अप्यय दीक्षित के
कुवलयानंद का यह ता उपजीव्य ग्रंथ माना गया है। इसमें रुय्यक ने
८० से ऊपर अलंकारों का वर्णन किया है। रुय्यक के अलंकार ग्रंथ की
दो टीकाएँ पाई जाती हैं—जयरथकृत विमर्शिनी टीका, तथा समुद्र-
घंधकृत टीका। विमर्शिनीकार जयरथ के ही कारण रुय्यक की इतनी
प्रसिद्धि हुई है। दीक्षित तथा पंडितराज ने विमर्शिनीकार तक को उद्धृत

रिखा है। पंढरराज ने तो यह स्थानों पर विमर्शितकार का उल्लेख भी किया है।

(१५) हेमचंद्र (प्राग्दर्शी गती का उल्लेख) :— हेमचंद्र प्रसिद्ध ज्योतिषर जैन आचार्य थे, जिन्होंने विविध विषयों पर रचनाएँ की हैं। ये गुजरात के राजा कुमारपाल (प्राग्दर्शी गती का उल्लेख) के मुद थे। उन्होंने 'काव्यानुशासन' नामक अलंकार ग्रंथ लिखा है, जिस पर स्वयं ही टीका भी लिखी है। हेमचंद्र पर मम्मट के काव्यप्रसाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। हेमचंद्र का यह ग्रंथ आठ अध्यायों में विभक्त है, जिसमें काव्य की समस्त सामग्री का विवेचन किया गया है। हेमचंद्र ने छठे अध्याय में अर्थालंकारों का वर्णन किया है, जिनमें केवल २५ अलंकारों का वर्णन किया है।

(१६) वाग्भट्टद्वय (वाग्भट्ट प्रथम १२ वीं गती उल्लेख, वाग्भट्ट द्वितीय १४ वीं गती) — हेमचंद्र के पश्चिमिक वाग्भट्टद्वय भी जैन अलंकारिक हैं। वाग्भट्ट प्रथम काव्यानुशासनकार हेमचंद्र का समकाल-विक है। वाग्भट्ट द्वितीय परवती हैं। वाग्भट्ट प्रथम का ग्रंथ 'वाग्भट्ट-अलंकार' है, जिस पर सिंहदेवगणेश की टीका है। यह पांच परिच्छेद में विभक्त सूक्ष्मकाय ग्रंथ है, जिसमें काव्य के प्रायः सभी अंगों का विवरण पाया जाता है। इसके चतुर्थ परिच्छेद में चार गण्यअलंकार तथा २५ अर्थालंकारों का विवेचन है। वाग्भट्ट द्वितीय का ग्रंथ 'काव्यानुशासन' है। यह सूत्रों में लिखा है, जिस पर प्रथमकार की ही टीका है। ग्रंथ में पांच अध्याय हैं, जिनमें काव्य के सभी अंगों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में ६३ अर्थालंकारों का वर्णन है। वाग्भट्ट द्वितीय ने 'अति सिद्धांत का उल्लेख कर ध्वनि को पर्यायिक अलंकार में शामिल किया है।

(१७) पद्मसूत्र जयदेव (नेरहरी गती उल्लेख) :— जयदेव का चंद्रालोक एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जयदेव उन आलंकारिकों में हैं, जिन्होंने अति सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, पर अलंकार संप्रदाय के सिद्धांतों का मोह नहीं छोड़ सका है। चंद्रालोक में काव्य के समस्त अंगों का वर्णन करते हुए व्यंजना, ध्वनि तथा मुग्धा-भूत काव्य को मानते हुए भी चंद्रालोककार ने काव्य को 'अलंकारही पुनः कश्चि' कहनेवाले अतिप्राचीन मम्मटाचार्य की मदद ली है। ये जयदेव गीत-

गोविंदकार कवि जयदेव से भिन्न हैं, किंतु प्रसन्नराघव के रचयिता से अभिन्न हैं। प्रसन्नराघव के पद्यों के उद्धरण हमें विश्वनाथ के साहित्यदर्पण तथा शार्ङ्गधरपद्धति में मिलते हैं। अतः स्पष्ट है जयदेव विश्वनाथ से प्राचीन हैं। विश्वनाथ का समय १४वीं शती माना जाता है। एक जयदेव प्रसिद्ध नैयायिक भी थे, तथा पक्षधर कहलाते थे। विद्वानों ने इनके साथ पीयूषवर्ष जयदेव की अभिन्नता मानी है, क्योंकि प्रसन्नराघवकार ने अपने को नैयायिक कहा है, पर डॉ० दे इस मतको सदिग्ध मानते हैं। डॉ० दे जयदेव का समय चौदहवीं शतीका पूर्वार्ध मानते हैं।^१ जैसा कि हम रुय्यक के संबंध में बता चुके हैं, जयदेव रुय्यक से प्रभावित हैं, अतः रुय्यक एवं विश्वनाथ का मध्य ही जयदेव का काल है। चन्द्रालोक १० मयूखों में विभक्त अलंकारग्रथ है। इसके पंचम मयूख में जयदेव ने १०० अर्थालंकारों की मीमांसा की है। चन्द्रालोक कारिका पद्धति में लिखा गया है, इसके पूर्वार्ध में लक्षण है, उत्तरार्ध में उदाहरण। चंद्रालोक को ही अप्पय दीक्षित ने अपना उपजीव्य बनाया है, उसी की कारिकायें कुवलयानन्द में ली हैं। इनमें कहीं कहीं परिवर्तन भी कर दिया है। चंद्रालोकपर छः टीकायें उपलब्ध हैं। इनमें दीपिका, शरदागम, रमा तथा राकागम (या सुधा) प्रसिद्ध हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है।

(१८) विश्वनाथ (चौदहवीं शती पूर्वार्ध):— विश्वनाथ का 'साहित्यदर्पण' अलंकारशास्त्र के ग्रंथों में अत्यधिक प्रचलित है। विश्वनाथ ध्वनिवादी हैं, तथा समस्त ध्वनि को काव्य की आत्मा न मानकर रसध्वनि (रस) को ही काव्यजीवित घोषित करते हैं। विश्वनाथ के ग्रंथ में जयदेव कवि के गीतगोविंद, श्रीहर्ष के नैषध तथा पीयूषवर्ष जयदेव के प्रसन्नराघव से उद्धरण मिलते हैं। विश्वनाथ ने रुय्यक के नाम का कहीं भी सकेत नहीं किया है, पर रुय्यक के अलंकारसर्वस्व का साहित्यदर्पण के दशम परिच्छेद में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। विश्वनाथ के ग्रंथ में एक पद्य ऐसा उदाहृत है, जिसमें अलाउद्दीन का उल्लेख है, जो खिलजी बादशाह अलाउद्दीन ही है। इस प्रकार विश्वनाथ का समय चौदहवीं शती से पूर्व नहीं हो सकता।

विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ को काव्यप्रकाश की नकल पर बनाया है। वैसे तीसरे परिच्छेद में नायक-नायिका-भेदप्रकरण तथा पष्ठ में नाट्य-शास्त्रीय सिद्धांतों का विवेचन काव्यप्रकाश की अपेक्षा अधिक है। विश्वनाथ ने दशम परिच्छेद में अलंकारों का विवेचन किया है। विश्वनाथ ने कुल ८४ अलंकार माने हैं, जिनमें ७६ अर्थालंकार हैं। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के अतिरिक्त कई और काव्य नाटक आदि लिखे थे, जो उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने काव्यप्रकाश पर भी एक दर्पण नामक टीका लिखी थी। साहित्यदर्पण पर अधिक टीकायें नहीं मिलतीं। इनमें प्रमुख टीका रामनर्कवागीश की प्रभा है। इस ग्रन्थ का अंगरेजी अनुवाद वेलेटाइन ने प्रकाशित कराया था। इस पर एक सुंदर हिंदी व्याख्या शालिग्राम शास्त्री ने लिखी थी।

(१९) विद्याधर (चौदहवीं शती पूर्वार्ध) :—ये विश्वनाथ के ही समसामयिक हैं। विद्याधर का ग्रंथ 'एकावली' है। विद्याधर ने रुय्यक तथा श्रीहर्ष का उल्लेख किया है। एकावली का सबसे पहला उल्लेख शिंगभूपाल के रसार्णवसुवाकर में मिलता है तथा चौदहवीं शती के उत्तरार्ध में कोलाचल मल्लिनाथ सूरि ने इस पर 'तरला' टीका की रचना की है। विद्याधर ध्वनिवादी आलंकारिक है। इनके ग्रंथ में आठ उन्मेष हैं, जिनमें समस्त काव्यांगों का विवेचन है। अष्टम उन्मेष में अर्थालंकारों का विवेचन है। एकावली का सुंदर संस्करण प्रो० त्रिवेदी ने प्रकाशित कराया था।

(२०) विद्यानाथ (चौदहवीं शती पूर्वार्ध) :—ये भी विश्वनाथ तथा विद्याधर के समसामयिक हैं। विद्यानाथ का ग्रंथ प्रतापरुद्रीय है। ये भी ध्वनिवादी हैं तथा मम्मट एवं रुय्यक के ऋणी हैं। इनका समय काकतीय नरेश प्रतापरुद्रदेव का राज्यकाल है। विद्यानाथ ने अपने ग्रंथ में विद्याधर की भाँति अपने ही बनाये उदाहरण दिये हैं। ग्रंथ में विश्वनाथ की तरह नाटक प्रकरण का भी समावेश है। ग्रंथ ती प्रकरणों में विभक्त है। नवम प्रकरण में अर्थालंकारों का विवेचन है। इस ग्रंथ पर मल्लिनाथ के पुत्र कुमारस्वामी की 'रत्नापण' नामक प्रसिद्ध टीका है। इस पर एक 'रत्नशाण' नामक अधूरी टीका भी उपलब्ध है। इस ग्रंथ का दोनों टीकाओं के साथ एक सुंदर संस्करण प्रो० त्रिवेदी ने वावे संस्कृत सिरीज से प्रकाशित कराया था।

विद्याधर तथा विद्यानाथ का महत्त्व इसलिये भी है कि आप्य दीक्षित, पंडितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर ने अपने ग्रंथों में इनके मतों का उल्लेख किया है।

(२१) शोभाकर मित्र (संभवतः १४वीं शती)—शोभाकर मित्र के 'अलंकाररत्नाकर' का उल्लेख 'रत्नाकर' के नाम से आप्य दीक्षित तथा पंडितराज जगन्नाथ दोनों ने किया है। रत्नाकर-कार के मतों का कई स्थानों पर अलंकार सर्वस्व की विमर्शिनी के रचयिता जयरथ ने भी सूकेत किया है। अतः निश्चित है कि शोभाकर मित्र का काल जयरथ के पूर्व रहा है। जयरथ का समय पंद्रहवीं शती माना जाता है, अतः शोभाकर मित्र का समय चौदहवीं शती ही जान पड़ता है। पंडितराज जगन्नाथ ने दो स्थानों पर अलंकाररत्नाकर का संकेत किया है। उपमा (पृ० २१६) तथा असम (पृ० २७९) अलंकार के प्रकरण में पंडितराज ने अलंकाररत्नाकर के द्वारा असम अलंकार के प्रकरण में उदाहृत निम्न पद्य में असम अलंकार नहीं माना है'—

डुँडुँणतो हि मरीहिसि कण्टककलिआइँ केअइवणाइँ ।

मालइकुसुमसरिच्छं भमर भमन्तो न पावहिसि ॥

शोभाकर मित्र के 'रत्नाकर' में असम अलंकार के प्रकरण में ठीक यही उदाहरण दिया गया है। वे इसे उपमानलुप्ता उपमा मानने का विरोध भी करते हैं।^१ इस संबंध में इतना कह दिया जाय कि अधिकतर

१ "डुँडुँणतो .." इत्यत्रासमालंकारोऽयमुपमातिरिक्त इति वदन्तो-
ऽलंकाररत्नाकरादय परास्ता ।
—रसगगाधर पृ० २१६

२. यत्र "डुँडुँणतो मरीहिसि .." नेयमुपमानलुप्ता तस्याः सभवदुप-
मानानुपादानविषयत्वात् 'अपित्वसमालंकार' इति रत्नाकरेणोक्तम्, तदसत् ।

—वही पृ० २७६

१. देखिये—अत्र मालतीकुसुममदशमन्यन्नास्तीति उपमानासभव प्रती-
यते । तेनोपमानानुपादानलुप्तोपमेयमिति न वाच्यम् । उपमानस्य सभव-
तोऽनुपादाने लुप्तोपमा । अत्र चोपमानस्यासभव एव उपनिषद् । न चास्यान-
न्वयादावन्तर्भाः इत्यलंकारान्तरमेव ।

यत्रोपमानस्य न सभवोऽस्ति तत्रासमः स्यादुपमा न लुप्ता ।

सभाव्यमानस्य सतः समानधर्मादिकस्य त्वनुदीरणे सा ॥

इति मक्षेप ।

— शोभाकरमित्र अलंकाररत्नाकर पृ० ११

(पूना से प्रकाशित)

आलंकारिकों ने इस पद्य में उपमा ही मानी है। (दे० मम्मटः काव्य-प्रकाश पृ० ४५०, हेमचंद्रः काव्यानुशासन पृ० २४२, विश्वेश्वरः अलंकार कौस्तुभ पृ० १३४) ये आलंकारिक असम अलंकार को नहीं मानते। पंडितराज ने रत्नाकर के ही आधार पर दो अलंकार माने हैं, जिन्हें अप्यय दीक्षित ने नहीं माना है। ये हैं—असम तथा उदाहरण। असम के संबंध में उन्होंने रत्नाकर के प्रथम उदाहरण को दुष्ट बताया है, उदाहरण के संबंध में उन्होंने रत्नाकर द्वारा उदाहृत पद्यों में से एक “अनंतरत्नप्रभवस्य यस्य” इत्यादि कुमारसभवस्थ कालिदासीय पद्य को उपन्यस्त किया है। रत्नाकर ने अपने ग्रंथ में १०० से ऊपर अलंकारों का वर्णन किया है। रत्नाकर के ग्रंथ में कई नये अलंकार मिलते हैं तथा कई ऐसे अलंकार हैं, जिनके नाम भिन्न हैं। ये अलंकार निम्न हैं:—

अचित्य, अतिशय, अनादर, अनुकृति, असम, अवरोह, अशक्य, आदर, आपत्ति, उद्भेद, उत्रेक, उदाहरण, क्रियातिपत्ति, गूढ, तत्र, तुल्य, नियम, प्रतिप्रसव, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रत्यादेश, प्रत्यूह, प्रसंग, वर्द्धमानक, विनोद, विपर्यय, व्यत्यास, व्याप्ति, व्यासंग और समता।

शोभाकर मित्र ने संसृष्टि अलंकार का खंडन किया है। वे स्पष्ट कहते हैं—न संसृष्टिः पूर्वहानाच्चाहत्वाभावाच्च ।—सूत्र १११।

शोभाकर मित्र उस समय की देन हैं मम्मट के द्वारा अलंकारों की संख्या सीमित कर दिये जाने पर भी जब एक बार फिर से नये अलंकारों की गवेषणा की धुन में आलंकारिक व्यस्त होने लगे थे। ये काश्मीर निवासी जान पड़ते हैं। उनके पिता का नाम त्रयीश्वर मित्र था। काश्मीरी कवि यशस्कार ने इन्हीं के सूत्रों के तत्तान् अलंकार के उदाहरण उपन्यस्त करते हुए ‘देवीस्तोत्र’ की रचना की थी। शोभाकर की तिथि का पूर्णतः निश्चय नहीं हो पाया है, किंतु ये पंद्रहवीं शती स वाद के नहीं हो सकते। शोभाकर मित्र का नव्य आलंकारिकों के अध्येता के लिए बड़ा महत्त्व है तथा अलंकार शास्त्र के इतिहास में शोभाकर मित्र का उल्लेख न करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। रत्नाकर का यह ग्रंथमूत्र वृत्ति के ढंग पर लिखा गया है। वृत्ति में कई प्रामाणिक काव्यों से उद्धरण पाये जाते हैं। इस

ग्रंथ का प्रकाशन सर्वप्रथम प्रो० सी० आर देवधर ने ओरियंटल बुक एजेसी पूना से सन् १९४२ में कराया है ।

(२२) अप्पय दीक्षित (सोलहवीं शती का अंतिमचरण) :— अप्पय दीक्षित के स्वयं के ही ग्रंथ से उनके समय का कुछ संकेत मिलता है । कुवलयानन्द के उपसंहार में बताया गया है कि वह दक्षिण के किसी राजा वेंकट के लिए लिखा गया था ।

अमुं कुवलयानंदमकरोदप्पदीक्षितः ।

नियोगाद्वेङ्कटपतेर्निरुपाधिकृपानिधेः ॥

आफ्रेकट तथा एगेलिंग के मतानुसार अप्पय दीक्षित का आश्रयदाता विजयनगर का वेंकट (१५३५ के लगभग) था । किंतु हुल्श के मतानुसार इनका आश्रयदाता पेन्नकोण्डा का राजा वेंकट प्रथम था, जिसके १५८६ ई० से १६१३ ई० तक के लेख मिलते हैं ।^१ 'शिवादित्य मणि-दीपिका' की पुष्पिका में अप्पय ने चिन्नवीर के पुत्र तथा लिंगमनायक के पिता, चिन्नघोम्म को अपना आश्रयदाता बताया है । चिन्नघोम्म वेल्लूर का राजा था तथा इसके १५४९ ई० तथा १५५६ ई० के लेख मिले हैं । इस प्रकार अप्पय दीक्षित का रचनाकाल मोटे तौरपर १५५६ ई० तथा १६१३ ई० के बीच जान पड़ता है । अतः दीक्षित को सोलहवीं शती के अंतिम चरण में रखना असंगत न होगा । इसकी पुष्टि इन प्रमाणों से भी हो जाती है कि अप्पय दीक्षित का उल्लेख कमलाकर भट्ट (१७वीं शती प्रथम चरण) ने किया है तथा उन्हीं दिनों पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पय दीक्षित का खण्डन भी किया है । सत्रहवीं शती के मध्यभाग में अप्पय दीक्षित के भ्रातृष्वौत्र नीलकण्ठ दीक्षित ने चित्र मीमांसादोषधिकार की रचना कर पण्डितराज के चित्र मीमांसाखण्डन का उत्तर दिया था ।

अप्पय दीक्षित के नाम के तीन रूप मिलते हैं—अप्पय दीक्षित, अप्पय्य दीक्षित तथा अप्प दीक्षित । कुवलयानन्द के ऊपर उद्धृत पद्य में 'अप्पदीक्षित' रूप मिलता है, पर प्रायः इसका अप्पय्य तथा अप्पय

१ फ्रेच विद्वान् रेञो (Regnaud) ने ल रेतोरीके साँस्कृत (Le Rhetorique Sanskrit) पृ० ३७५ पर अप्पय दीक्षित को विजयनगर के कृष्णराज (१५२० ई०) का ममसामयिक माना है, जो भ्राति है ।

रूप ही देखा जाता है। पंडितराज ने दोनों रूपों का प्रयोग किया है—
देविये अप्पय्य दीक्षित (रसगंगाधर पृ० १४), अप्पय्य दीक्षित (पृ०
२१०)। वैसे चित्रमीमांसाखण्डन के भूमिका के पद्य में अप्पय्य रूप ही
मिलता है:—

सुद्धं विभाव्य मयका समुदीरितानामप्पय्यदीक्षितकुनाविह दूपणानाम् ।
निर्मत्सरो यदि समुद्धरणं विदध्यादस्याहमुज्ज्वलमतेश्चरणौ वहामि ॥

(चित्रमीमांसाखण्डन काव्यमाला पृ० १२३)

अप्पय्य दीक्षित एक सर्वशास्त्रज्ञ विद्वान् थे जिनके विविध शास्त्रों
पर लिखे ग्रंथों की संख्या १०४ मानी जाती है। जिनमें अलंकारशास्त्र
पर तीन ग्रंथ हैं—वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा तथा कुवलयानन्द ।

अप्पय्य दीक्षित मूलतः मीमांसक एवं वेदांती है। उनका निम्न पद्य
तथा उसकी कुवलयानन्द की वृत्ति में की गई व्याख्या अप्पय्य दीक्षित
के तद्विषयक पांडित्य का संकेत कर सकते हैं।

आश्रित्य नूनममृतद्युतयः पदं ते देहक्षयोपनतदिश्यपदाभिमुख्याः ।

लावण्यपुण्यनिच्यं सुहृदि त्वदास्ये विन्यस्य चात मिहिरं प्रतिमासभिन्नाः ॥

जहाँ तक दीक्षित के साहित्यशास्त्रीय पांडित्य का प्रश्न है, उनमें
कोई मौलिकता नहीं दिखाई देती। क्या कुवलयानन्द, क्या चित्र-
मीमांसा, क्या वृत्तिवार्तिक तीनों ग्रंथों में दीक्षित का सम्राहक रूप ही
अधिक स्पष्ट होता है। वैसे जहाँ कहाँ दीक्षित ने मौलिकता बताने की
चेष्टा की है, वे असफल ही हुए हैं तथा उन्हें पंडितराज के कटु आक्षेप
सहने पड़े हैं। पंडितराज ही नहीं, अलंकार कोस्तुभकार विश्वेश्वर ने भी
अप्पय्य दीक्षित के कई मतों का खडन किया है। अप्पय्य दीक्षित के
इन तीन ग्रंथों में वृत्तिवार्तिक तथा चित्रमीमांसा दोनों ग्रंथ अधूरे ही
मिलने हैं। वृत्तिवार्तिक में केवल अमिधा तथा लक्षणा शक्ति का
विवेचन पाया जाता है। चित्रमीमांसा उत्प्रेक्षात मिलती है, कुछ प्रतियों
में अतिशयोक्ति का भी अधूरा प्रकरण मिलता है।

अप्पय्य दीक्षित के अलंकार सर्वधी विचारों के कारण अलंकार
शास्त्र में एक नया वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ है। पंडितराज ने रस-
गंगाधर में दीक्षित के विचारों का कस कर खडन किया है तथा उन्हें
रुच्यक एवं जचरथ का नकलवा घोषित किया है। इतना ही नहीं,
वेचारे अप्पय्य दीक्षित को गालिया तक सुनाई हैं। व्याज स्तुति के

प्रकरण में तो अप्पय्य दीक्षित को महामूर्ख तथा वैल तक बताते हुए पंडितराज कहते हैं:—“उपालम्भरूपाया निन्दाया अनुत्थानापत्तेः प्रतीतिविरोधाच्चेति सहृदयैराकलनीयं किमुक्त द्रविडपुंगवेनेति ।” (रसगंगाधर पृ० ५६३) अप्पय्य दीक्षित तथा पंडितराज के परस्पर वैमनस्य की कई किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनके विवरण में हम नहीं जाना चाहते। सुना जाता है कि यवनी को रखल रखने के कारण पंडितराज को जाति बहिष्कृत करने में दीक्षित ही प्रमुख कारण थे। अतः पंडितराज ने दीक्षित के उस व्यवहार का उत्तर गालियों से दिया है। कुछ भी हो, पंडितराज जैसे महापंडित के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ठीक है या नहीं, इस पर विद्वान् ही निर्णय दे सकते हैं। अप्पय्य दीक्षित के विचारों का खंडन एक दूसरे आलंकारिक ने भी किया था—ये हैं, भीमसेन दीक्षित। भीमसेन दीक्षित ने अपनी काव्यप्रकाश की टीका सुधासागर में बताया है कि उन्होंने ‘कुवलया-नन्द-खंडन’ नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें अप्पय्य दीक्षित के मतों का खंडन रहा होगा। यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।

(२३) पंडितराज जगन्नाथ (सतरहवीं शती पूर्वार्ध) :—भामिनी-विलास के एक पद्य से पता चलता है कि पंडितराज ने अपनी युवावस्था दिल्ली के बादशाह के आश्रय में गुजारी थी। यह बादशाह शाहजहाँ था, जिसके पुत्र दाराशिकोह की प्रशंसा पंडितराजने ‘जगदाभरण’ में की है। जगन्नाथ नवाब आसफ खॉ के आश्रय में रहे थे, जो शाहजहाँ का मनसबदार था। इसकी प्रशंसा में जगन्नाथ ने ‘आसफ-विलास’ का रचना की थी। रसगंगाधर में इसका एक पद्य उद्धृत है। एक पद्य में नूरदीन का भी संकेत मिलता है, जो शाहजहाँ के पिता जहाँगीर का नाम जान पड़ता है। शाहजहाँ का शासनकाल १६२८ ई० से १६५८ ई० तक है, जब वह औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था। ऐसा जान पड़ता है, शाहजहाँ तथा उसका ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह पंडितराज के प्रमुख आश्रयदाता थे। अतः यह निष्कर्ष असंगत नहीं होगा कि पंडितराज की साहित्यिक रचनाओं का काल सतरहवीं शती का द्वितीय चरण रहा है। यह इस बात से भी पुष्ट होता है कि रसगंगाधर तथा चित्रमीमांसा के खण्डन में अप्पय्य दीक्षित

के मतों का खंडन मिलता है तथा १८वीं शती के आरंभ में नागेशभट्ट ने रसगंगाधर पर टीका लिखी है।

जगन्नाथ पेरुभट्ट तथा लक्ष्मी के पुत्र थे। ये भी अल्पवय दीक्षित की तरह दाक्षिणात्य थे। जगन्नाथ के पिता स्वयं प्रकांड विद्वान् थे तथा उन्होंने कई विद्वानों में तत्तात् शास्त्र का अध्ययन किया था। जगन्नाथ ने अपने पिता से तथा अपने पिता के एक गुरु वीरेण्वर से शास्त्रों का अध्ययन किया था। पंडितराज के वैयक्तिक जीवन के विषय में बहुत कम पता है, यद्यपि उनके विषय में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। रसगंगाधर के अतिरिक्त पंडितराज ने कई काव्यों की रचना की है। इसके अतिरिक्त इनका चित्रमीमांसाखण्डन भी प्रसिद्ध है। भट्टोजि दीक्षित की 'सिद्धांतकौमुदी' की टीका 'प्रौढमनोरमा' का खंडन करते हुए उन्होंने एक व्याकरण विषयक ग्रंथ भी लिखा था, जिसका विचित्र शीर्षक था—मनोरमा-कुच-मर्दन। पंडितराजकी लगभग एक दर्जन कृतियों का पता लगता है।

(१) रसगंगाधर, (२) अमृतलहरी, (३) आसफविलास, (४) करुणालहरी, (५) गंगालहरी, (६) जगदाभरण, (७) प्राणाभरण, (८) भामिनीविलास (९) मनोरमाकुचमर्दन, (१०) यमुना वर्णन-चम्पू, (११) लक्ष्मीलहरी, (१२) सुधालहरी (१३) चित्रमीमांसा खण्डन।

पंडितराज के दोनों अलंकारग्रन्थ अधूरे ही मिले हैं। रसगंगाधर केवल उत्तरालंकार प्रकरण तक ही मिलता है, तथा उसमें भी अन्तिम पद्य अधूरा मिला है। रसगंगाधर में इस प्रकार प्रथम आनन पूर्ण तथा द्वितीय आनन अपूर्ण उपलब्ध है। नागेशभट्ट की टीका भी इतने ही अंश तक मिली है। 'गंगाधर' शब्द के त्रिलोचन प्रयोग के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पंडितराज इसे पाँच आननों में निश्चय करना चाहते होंगे। इन पाँच आननों में प्रथम तथा द्वितीय (अपूर्ण) आनन ही मिलते हैं। प्रथम आनन में काव्य के भेद दस शब्दगुण तथा दस अर्थ-गुण, ध्वनि के तत्तत् भेदोपभेद, असंलक्ष्यक्रमध्वनि (रस) तथा अन्य ध्वनिभेदों की विस्तृत मीमांसा है। दूसरे आनन में संलक्ष्यक्रमध्वनि, शक्ति, लक्षणा तथा ७० अलंकारों का विवेचन पाया जाता है। पंडितराज न काव्य की परिभाषा में शब्द की ही प्रधानता मानकर शब्दार्थ

को काव्य माननेवाले मम्मटादि का खंडन किया है। वे काव्य के ती भेद न मानकर चार भेद मानते हैं। रस के संबंध में पंडितराज ने ११ मतों का उल्लेख किया है तथा नव्यों के एक नये मत का उल्लेख कि है, जिसे वे स्वयं मानते जान पड़ते हैं। पंडितराज ने वामन के अनु सार २० गुणों का वर्णन किया है। वे संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि के शक्तिमूलक वर्ग में कवि-निबद्ध-वक्तृप्रौढोक्तिवाले भेद का खंडन करते हैं तथा उसे कवि प्रौढोक्ति में ही अन्तर्भावित करते हैं। इस तरह वे इस ध्वनि के ८ ही भेद मानते हैं, १२ नहीं। शक्ति के द्वारा प्रतीत शाब्दबोध तथा लक्षणाशक्ति के शाब्दबोध के विषय में पंडितराज ने कई वैज्ञानिक विचार प्रकट किये हैं। अलंकारों के विषय में भी पंडितराज ने कई मौलिक विचार प्रकट किये हैं।

पंडितराज ने अपने ग्रंथ में ध्वनिकार, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ के अतिरिक्त, रुय्यक, विमर्शिनीकार जयरथ, विद्याधर, विद्यानाथ, तथा अप्पयदीक्षित का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त वे शोभाकरमित्र के अलंकाररत्नाकर, मम्मट के टीकाकार श्रीवत्सलाञ्छन तथा एक अज्ञात आलंकारिक के अलंकारभाष्य का संकेत करते हैं।

रसगंगाधर पर दो टीकायें लिखी गई थीं। एक टीका नागेशभट्ट या नागोजिभट्ट की 'गुरुमर्मप्रकाशिका' है, जो प्रकाशित हो चुकी है। रसगंगाधर की एक दूसरी टीका भी लिखी गई थी, किसी अज्ञात टीकाकार की 'विषम-पदी' जो उपलब्ध नहीं है। रसगंगाधर का एक स्वतंत्र हिंदी अनुवाद नागरी प्रचारिणी सभा से निकल चुका है। केवल प्रथम आननपर एक दूसरी संस्कृत व्याख्या तथा हिंदी व्याख्या भी प्रकाशित हो चुकी है।

(२४) विश्वेश्वर पंडित (१८वीं शती का प्रथम चरण) :— मम्मट ने रुद्रट के अलंकारों की बढ़ती संख्या को रोकने का षीड़ा उठाया था, किंतु रुय्यक ने अलंकारों की संख्या को पुन बढ़ावा दिया। जयदेव, विश्वनाथ, शोभाकर मित्र, अप्पय दीक्षित तथा पंडितराज ने भी कम-ज्यादा उसी मार्ग का अनुसरण किया। विश्वेश्वर पंडित ने पिछले दिनों में इस षाढ़ को रोकने का प्रबलतम प्रयत्न किया है। यही

प्रयत्न हमे 'अलंकार कौस्तुभ' के रूप में उपलब्ध होता है। विश्वेश्वर ने अलंकार कौस्तुभ में केवल उन्हीं अलंकारों का वर्णन किया है, जिनका वर्णन मम्मट ने काव्यप्रकाश में किया है। इस तरह वे केवल ६१ अर्थालंकारों की मीमांसा करते हैं तथा बाकी अलंकारों को इन्हीं में अंतर्भावित करते हैं। विश्वेश्वर ने स्वयं ग्रंथ के उपसंहार में अपने इस लक्ष्य का संकेत किया है:—

अन्यैरुदीरितमलंकरणातरं यत् काव्यप्रकाशकथित तदनुप्रवेशात् ।

संक्षेपतो बहुनिबंधविभावेनेनालंकारजातमिह चारुमयान्यरूपि ॥

(पृ० ४१६)

विश्वेश्वर अपने समय के प्रबल पंडित थे। पंडितराज की तरह इन्होंने भी तत्तत् अलंकारों का लक्षणपरिष्कार नव्यन्याय की 'अवच्छेदकावच्छिन्न' वाली शैली में किया है। अलंकारकौस्तुभ पर इन्होंने स्वयं ही व्याख्या भी लिखी है, जो केवल रूपक अलंकार प्रकरण तक ही मिलती है। संभवतः ये वाद में व्याख्या न लिख सके होंगे। विश्वेश्वर ने दीक्षित का डट कर खंडन किया है। उपमा के संबंध में वे दीक्षित की परिभाषा का खंडन कर पुन विद्यानाथ की परिभाषा की प्रतिष्ठापना करते हैं—(देखिये पृ० १२-१९)। कई स्थानों पर वे पंडितराज के द्वारा किये गये दीक्षित के खंडन से सहमत हैं, तथा स्वयं दीक्षित का खंडन न कर रसगगावर की पंक्तियाँ ही उद्धृत कर देते हैं। कुछ स्थानों पर वे पंडितराज के मतों का भी खंडन करते हैं। विश्वेश्वर स्वयं कवि भी थे तथा इन्होंने अपने कई ललित पद्यों को उद्धृत किया है। अलंकार कौस्तुभ में श्रीहर्ष के नैपथीय के अधिक उदाहरण पाये जाते हैं। इनके पिता लक्ष्मीधर थे, जो स्वयं प्रकांड विद्वान् थे, तथा संभवतः ये ही इनके विद्यागुरु भी थे। अलंकारकौस्तुभ के आरंभ में विश्वेश्वर ने इनकी स्तुति की है:—

‘लोकध्वान्तघनांधकारपटलध्वंसप्रदीपांकुरा,

विद्याकल्पलताप्रतानजनने धीजं निजाप्रंगिनाम् ।

मध्येमौलि ममासतां सुविमला मालायमानाश्चिरं

श्रीलक्ष्मीधरविद्वदृद्धिन्नलिनोदीताः परागाणवः ॥’

इनके बड़े भाई उमापति थे, जो स्वयं बड़े भारी विद्वान् थे। उमापति के मत का एक स्थान पर 'कौस्तुभ' में संकेत मिलता है। परिकर

अलंकार के प्रकरण में अपने भाई उमापति का संकेत करते वे बताते हैं कि वे परिकरांकुर अलंकार नहीं मानते तथा विशेषण तथा विशेष्य दोनों के साभिप्राय होने पर भी परिकर ही मानते हैं ।

‘तेन विशेष्यविशेषणोभयसाभिप्रायत्वेऽपि परिकर एवेति त्वस्माकं यविष्ठभ्रातुरुमापतेः पक्ष इत्यलं भूयसा ।’ (पृ० ३५७)

विश्वेश्वर के चार अन्य ग्रंथों का भी संकेत मिलता है:—अलंकार मुक्तावली, रसचंद्रिका, अलंकार प्रदीप, कर्वाँद्रकर्णाभरण । विश्वेश्वर को हम अतिम आलंकारिक कह सकते हैं ।



संदर्भ ग्रंथ सूची

(अ) संस्कृत ग्रंथ

- १ ऋग्वेद
- २ चातपथ ब्राह्मण
- ३ कौशीतकीब्राह्मण
- ४ ऐनरेय ब्राह्मण
- ५ बृहदारण्यक उपनिषद्
- ६ छान्दोग्य उपनिषद्
- ७ वाजसनेयी प्रातिशाख्य (उषट् कृत टीका सहित)
- ८ चास्क निरुक्त : (दुर्गाचार्य टीका सहित)
- ९ बृहद्देवता
- १० मीमांसा सूत्र . जैमिनि
- ११ मीमांसाभाष्य : शबर स्वामी
- १२ श्लोकवार्तिक : कुमारिल भट्ट (उभयैककृत टीकासहित) (मद्रास १९४०)
- १३ न्यायरत्नमाला . पार्थसारथि मिश्र
- १४ तत्त्वबिंदु : चाचर्यति मिश्र (अग्रामलाह संस्करण)
- १५ न्यायसूत्र : गोतम (वात्स्यायन भाष्य सहित)
- १६ शक्तिवाद : गदाधर
- १७ शब्दशक्ति प्रकाशिका : जगदीश तर्कालंकार
- १८ न्यायसिद्धांत मुक्तावली (कारिकावली) : विश्वनाथ भट्टाचार्य
- १९ तर्कभाषा : देशव मिश्र
- २० तर्कसंग्रह : अन्नभट्ट (न्यायबोधिनी तथा टीपिका सहित)
- २१ वैशेषिक सूत्र . ऋणाद
- २२ सांख्यसूत्र : कपिल
- २३ वेदान्तसूत्र . चादरायण
- २४ शारीरिकभाष्य : शंकराचार्य
- २५ वेदान्तसार : सदानन्द
- २६ सर्वदर्शनसंग्रह : माधवाचार्य (शम्भकर द्वारा संपादित, पूना)

- २७ व्यास-शिक्षा
 २८ पाणिनि शिक्षा
 २९ अष्टाध्यायी . पाणिनि
 ३० महाभाष्य पतञ्जलि (म० म० शिवदत्त द्वारा संपादित)
 ३१ वाक्यपदीय . भर्तृहरि (पुण्यराज कृत टीका सहित)
 ३२ वाक्यपदीय (ब्रह्मशाण्ड) : भर्तृहरि (सूर्यनारायण व्याकरणाचार्य
 टीका सहित)
 ३३ वैयाकरणभूषणसार : कोण्ड भट्ट
 ३४ वैयाकरणसिद्धांतमजूषा : नागेशभट्ट (संपादित कृत टीका सहित)
 ३५ तन्त्रालोक : अभिनवगुप्त
 ३६ ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी : अभिनवगुप्त (भास्करि सहित) (सरस्वती
 भवन, काशी)
 ३७ नाट्यशास्त्र : भरत (भारती सहित, बड़ौदा संस्करण)
 ३८ काव्यालंकार : भामह (बनारस संस्करण)
 ३९ काव्यादर्श : दण्डी (हृदयागमा तथा प्रभा टीका सहित, दो संस्करण)
 ४० काव्यालंकार सूत्र : वामन (काव्यमाला, १९२६)
 ४१ काव्यालंकार : रुद्रट (नमिसाधुकृत टीका सहित) (काव्यमाला)
 ४२ काव्यालंकार सारसंग्रह : उद्भट (बड़ौदा संस्करण)
 ४३ ध्वन्यालोक : आनंदवर्धन (लोचन सहित) (चौ० स० सि० काशी)
 ४४ ध्वन्यालोक : आनंदवर्धन (लोचन सहित) (प्रथम उद्योतमात्र)
 (मद्रास संस्करण)
 ४५ ध्वन्यालोक : आनंदवर्धन (वदरीनाथ कृत दीधिति सहित) (काशी)
 ४६ वक्रोक्तिजीवित : कुन्तक (दे द्वारा संपादित, १९२५)
 ४७ व्यक्तिविवेक : महिम भट्ट (त० गणपति शास्त्री संपादित त्रिवेन्द्रम
 १९०९)
 ४८ व्यक्तिविवेक . महिम भट्ट (मधुसूदनी विवृति सहित, काशी १९२६)
 ४९ दशरूपक धनजय (धनिककृत अवलोक सहित)
 ५० काव्यमीमांसा : राजशेखर
 ५१ सरस्वतीकठाभरण : भोज (निर्णयसागर, १९३४)
 ५२ काव्यप्रकाश : मम्मट (बालबोधिनी, पूना)
 ५३ काव्यप्रकाश : मम्मट (प्रदीप तथा उद्योत सहित, पूना)

- ५४ काव्यप्रकाश : मम्मट (भीमसेन कृत सुधामागर सहित, काशी
स० १९६४)
- ५५ काव्यप्रकाश : मम्मट (चक्रवर्ती मट्टाचार्य कृत टीका सहित, फलकत्ता)
- ५६ शब्दव्यापारविचार : मम्मट (काव्यमाला)
- ५७ अलंकारसर्वस्वर : रुद्रक (समुद्रबंध तथा जयरथ दोनों टीकाओं के
संस्करण)
- ५८ काव्यानुशासन : हेमचन्द्र (पारिख संपादित, जैन विद्यालय चवई,
१९३८)
- ५९ अभिधावृत्तिमातृका . मुकुल भट्ट (काव्यमाला)
- ६० प्रतापरुद्राय : विद्यानाथ (रत्नापण टीका सहित) (के० पी० त्रिवेदी
संपादन, १९०६)
- ६१ एकावली : विद्याधर (तरला टीका सहित) (के० पी० त्रिवेदी
संपादन, १९०३)
- ६२ साहित्यदर्पण : विश्वनाथ (रामचरण तर्कवागीश टीका सहित)
- ६३ साहित्यदर्पण : विश्वनाथ (हरिदासी टीका सहित)
- ६४ चन्द्रालोक : जयदेव
- ६५ रसगंगाधर : पदित्तराज जननाथ (निर्णयसागर)
- ६६ चित्रमीमांसा : अप्पय दीक्षित (काव्यमाला)
- ६७ वृत्तिवार्तिक : अप्पय दीक्षित (काव्यमाला)
- ६८ त्रिवेणिका : आशाधर (सरस्वती भवन, काशी)
- ६९ अलंकार चन्द्रोदय : वेणीदत्त
- ७० अलंकार कौस्तुभ : विश्वेश्वर पदित (काव्यमाला)
- ७१ यशवन्तयशोभूषण : सुब्रह्मण्य शास्त्रीकृत संस्कृत अनुवाद (जोधपुर)
- ७२ यशवन्तयशोभूषण : रामकरण आसोपाकृत संस्कृत अनुवाद (जोधपुर)

(आ) हिंदी ग्रंथ

- ७३ कविप्रिया : केशवदास
- ७४ काव्यरमायन : देव
- ७५ भाषाभूषण : जयवन्तसिंह
- ७६ काव्यनिर्णय : भित्तारीदास
- ७७ काव्यप्रभाकर : भानु
- ७८ जयवन्तजसोभूषण : मुरारिदान (जोधपुर)

- ७९ व्यंग्यार्थमजूषा : लाला भगवानदीन
 ८० व्यंग्यार्थकौमुदी : प्रतापसाहि
 ८१ काव्यदर्पण : रामदहिन मिश्र
 ८२ साहित्यालोचन : श्यामसुंदरदास
 ८३ चिन्तामणि भाग १, २ . आचार्य रामचंद्र शुक्ल
 ८४ रसमीमासा : आचार्य रामचंद्र शुक्ल
 ८५ साहित्यशास्त्र (प्रथम तथा द्वितीय खण्ड) : प० बलदेव उपाध्याय
 ८६ सिद्धांत और अध्ययन गुलाबराय
 ८७ रीतिकाव्य की भूमिका : डा० नगेन्द्र
 ८८ देव और उनकी कविता : डा० नगेन्द्र
 ९९ हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास : डा० भगीरथ मिश्र
 ९० काव्यरूपा और निबंध : जयशंकर प्रसाद
 ९१ हिंदी साहित्य का इतिहास . आचार्य रामचंद्र शुक्ल

(इ) अंगरेजी पुस्तकें

- ९२ Purva Mimansa Dr. Ganganath Jha.
 ९३ Lectures on Patanjali's Mahabhashya :
 P. S. Subrahmanya Sastri. (Annamalai Uni.
 Series 9, 1944)
 ९४ Philosophy of Sanskrit Grammar Chakra-
 varty.
 ९५ History of Sanskrit Poetics Dr. P. V. Kane.
 (1951)
 ९६ Sanskrit Poetics Vol. I & II Dr. S. K. De.
 (1924)
 ९७ Some Concepts of Alankara Sastra : Dr.
 Raghavan (1940)
 ९८ Number of Rasas Dr. Raghavan. (1940)
 ९९ Rasa and Dhavaḥ Dr. Shankaran.
 १०० Highways and Byways of } Mm. Kuppu-
 Literay Criticism in Sanskrit } swami Sastri.

- १०१ History of Sanskrit Literature : Dr. A. B. Keith,
- १०२ Abhinava gupta : An Historical } Dr. K. C.
and philosophical study } Pandey.
- १०३ Indian Aesthetics Vol. I : Dr. K C Pandey
- १०४ La Rhetorique Sanskrit : Regnand. (French)
- १०५ Poetics . Aristotle.
- १०६ Rhetorics : Aristotle.
- १०७ Principle of Literary Criticism · I. A. Richerds.
- १०८ Practical Criticism : I. A. Richards.
- १०९ The Meaning of the Meaning : Ogden and Richards.
- ११० Illusion and Reality : Candwell.
- १११ An Essay on Human Understanding : Locke,
- ११२ A System of Logic : J. S. Mill.
- ११३ Language, Truth and Logic . Ayar.
- ११४ Meaning and Truth . Russel.
- ११५ Language and Reality : Urban,
- ११६ Language : Bloomfield.
- ११७ Mankind, Nation and Individual · Otto Jespersen.
- ११८ Antiquities in Linguistics : Dr. W. S. Allen.
(Cambridge Univ. Ph. D thesis—typed Copy)
- ११९ Modes of Meaning : Firth. (Essays and Studies, 1950)
- १२० Soviet Contribution to } W. K. Mathews
Linguistic thought }
(Archivum Linguisticum. Vol. II-2.)
- १२१ La Vie de Mots : Dermesteter : (French)

शब्दानुक्रमणिका

(१) पारिभाषिक शब्द

सखद्वयुद्धि २६०	अभिधा ८, २३, ६७, ६८, ६९-
अगूढव्यंग्या (प्रयोजनवती लक्षणा)	१०९
१२८, १३०	अभिधामूला शाब्दी व्यंजना १६०,
अंगागिभाव सर्वंध ११८	१९२-२२२
अजहल्लक्षणा (उपादानलक्षणा) ८२,	अभिहितान्वयवादी १८, २०, १५१,
१६६, ११७	१६२, १६५, १६६, १६८-१७३,
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य २८७	२५८, २५९
अधम काव्य ३३५, ३३८	अविवक्षितवाच्य (ध्वनि) २८७
अर्थ ४०	असिद्ध (हेतु) ३०२
अर्थ (अभिधानियामक) १०६	आकृति ७
अर्थचित्र ३३८, ३५०	आकाक्षा ६१
अर्थविज्ञान (शब्दार्थविज्ञान) ६,	आज्ञानिक संकेत ९१
८, ३८	आर्थी व्यञ्जना २२३-२५०
अर्थांतरसक्रान्तवाच्य २८७	आधुनिक संकेत ९१
अर्थापत्ति २६२	आप्तवाक्य १००
(शब्द-) अनित्यवाद ६३	दृष्टा (प्रयोजन) २४, २५, २६
अनुकरणवाद ३९	उत्तम काव्य ३३५, ३३६, ३३८,
अन्यदादत्ताभिधय (अभिधानिया-	३४७-३५०
मक) १०७	उत्तमोत्तम काव्य ३३८, ३३९-३४६
अन्वयव्याप्ति ३००	उत्पत्तिवाद ५२
अन्वयव्यतिरेक व्याप्ति ३००	उपचार १२०
अन्विताभिधानवादी १८, २०, १५६,	उपमानवस्तुता २८०
१६५, १६६, १६७ २६०, २६१	उपमान १००
अपोह सिद्धांत ६०	उपादान लक्षणा (अजहल्लक्षणा)
अपोहवादी ७६	८२, ८४, ११६, ११७, १३३

उपाधि ८७, ८८
 उभयचित्र ३५०
 औचित्य (अभिधानियामक) १०८
 कदम्बमुकुलन्याय ६२
 काकु २४, २५
 काकवाक्षिप्त २३३
 काल (अभिधानियामक) १०८
 काव्य २
 काव्यानुमिति ३०५, ३०८-३१०
 कुब्जा शक्ति ७४, ७५
 कोश १००
 गुणीभूत व्यंग्य २३३, ३३५, ३३७,
 ३३८, ३४७-३५०
 गूढव्यंग्य (प्रयोजनवती लक्षणा)
 १२८, १२९
 गौणी लक्षणा ११९, १२४, १२५
 चित्र काव्य ३३८
 चेष्टा (अभिधानियामक) १०९
 जहल्लक्षणा (लक्षणलक्षणा) ११६,
 ११७
 जहदजहल्लक्षणा १२७
 जाति ७, ६०
 जातिविशिष्ट व्यक्तिवादी (नैयायिक
 मत) ७७
 जातिशक्तिवाद (मीमांसक मत)
 ७८, ७९
 तद्योग ११२
 तात्पर्य संबन्ध ११८
 तात्पर्य २४, २६
 तात्पर्य वृत्ति २३, ६९
 तावृ ४३

तादर्थ्य संबन्ध ११८
 तुरीया शक्ति ३२
 तो लेखतोन २४७
 देश (अभिधानियामक) १०८
 ध्वनि ३०, २४४, २४५, २९६,
 ३०५, ३३५
 ध्वनिवादी १६१
 (शब्द-) नित्यवाद ६२
 (शब्द-) नित्यानित्यवाद ६२, ६३
 निपात ६५, ६६
 निरूढा लक्षणा ११३
 परार्थानुमान २९९
 प्रयोजन ११२
 प्रयोजनवती लक्षणा (फल लक्षणा)
 ८, ११३
 परा ६४
 परामर्श २९८
 पश्यन्ती ६४
 प्रकरण (अभिधानियामक) १०७
 प्रकृति ६५, ६६
 पदगत लक्षणा १३१
 प्रतिभा १५५
 प्रतीक १४, १७
 प्रतीकवाद ३९
 प्रतीयमान अर्थ १८१
 प्रत्यय ६५, ६६
 प्रहेलिका ३३७, ३३९
 पक्ष ३०१
 फल लक्षणा (प्रयोजनवती लक्षणा)
 ११४
 वाधित (हेतु) ३०२

भाषना २४, २५, २६
भाषाशास्त्र ५, ८
मध्यम काव्य ३३५, ३३६, ३३८,
३५०
मध्यमा ६४
मन शास्त्र ८
मनोरामाभिव्यञ्जकतावाद ३६
मुख्यार्थवाध ११२
मेटेफर (मेताफोराइ) २८, २९, ३०
योग १०१, १०२
योगरूढि १०१, १०२, १०३
योग्यता ६१
रूढा लक्षणा ८
रूढि १०१, ११२
लक्षणा २३, ३१, ६७, ६८, ६९,
८२, ८३, १११-१५०
लक्षणामूला शब्दी (व्यजना)
१९१, २२७
लक्षणलक्षणा (जहल्लक्षणा) ११७
लक्ष्यार्थ १११-१५०
लक्ष्यसंभवा आर्थी (व्यजना) २२६
लिंग (अभिधानियामक) १०७
वर्णवादी मत १५८-१६०
वाक्यगत लक्षणा १३१
वाक्यार्थ १५१-१८०
वाक्यशेष १००
वाच्यार्थ ६९, ७०
वाच्यसंभवा आर्थी (व्यंजना) २२५
वाच्यसिद्धयंग २३४
विपक्ष ३०१
विपरीत लक्षणा २८६

विप्रयोग १०५
विरुद्ध (हेतु) ३०२
विरोध १०६
विवक्षितान्यपरवाच्य (ध्वनि) २८७
विवृति १००
वीचितरंगन्याय ६२
वैखरी ६४
व्यंग्यसंभवा आर्थी (व्यजना) २२५
व्यजना २३, ३०, ३२, ६७, ६९
व्यक्ति ७, ६०
व्यक्ति (अभिधानियामक) १०८
व्यक्तिवाद ५२
व्यक्तिशक्तिवादी ७३
व्यतिरेकव्याप्ति ३००
व्यवहार १००
व्याकरण ९९
व्याप्तिसमबध २६८
शक्ति ३१
शक्तिग्रह ९९-१०१
शब्द ३९
शब्दविग्र ३३८, ३५०, ३
शब्दार्थ ५, ६
शब्दाद्य व्यजना १८१-२२२
शुद्धा लक्षणा १९६, १२७
मनाजशास्त्र ८
मनासपुनरात्तत्व टोप १७७
सत्प्रतिपक्ष (हेतु) ३०२
सपक्ष ३०१
सव्यभिचार (हेतु) ३०२
सकेत (संकेतग्रह) ७१, ७३
मनिधि ६१

सयोग १०५	साहचर्य १०६
सस्कार १५७	साहित्य १, २
सामीप्यसंबंध ११८	सिद्धपदसांनिध्य १००
सादृश्यसंबंध ११८	स्फोट ३०, ४७, ६४, ३५, २५१-५२
साध्यवसाना गौपी १२५	स्फोटवादी १५५
सामर्थ्य (अभिधानियामक) १०७	स्वर (अभिधानियामक) १०८
सामान्य ७	हेत्वाभास ३०१
सारोपा गौणी १२५	ज्ञप्तिवाद ५२

(१) ग्रन्थकारों व ग्रन्थों की नामानुक्रमणिका

अप्यय दीक्षित १२७, १८५, १९४,
१९५, ३१९, ३३७, ३३८, ३४०,
३५०

अभिधावृत्तिमातृका १२४, २७६,
२७८

अभिनवगुप्त २०, १३५, १७५, १७६,
२०४, २०५, २०७, २०८, २७६,
३१९, ३३५

अमोनिठस २४८, ३३३

प्रो० अयर १३, १४

अरस्तू २, ६, ५३, ५९, ६१, ९१,
१३७, २४१, ३३२

अलंकारकौस्तुभ ३२

अलंकारचन्द्रोदय ३

अलंकाररत्नाकर ३७१

अलंकारसर्वस्व १३५, ३३५

अलंकारसुधानिधि ३५०

अश्वघोष ३

अर्घविज्ञान और व्याकरणदर्शन १५३

आगहन ६, ९, १४, १५, ५५, १५०

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल २४२, ३५८

आनन्दवर्धन ३५, १३५, २०३, २५१,
३११, ३१९

आशाधर ३६१

आसुरीकल्प ४३

उद्योत २३६

उपवर्ष १६२

उन्मेष २०३

उवट ५३

ऋग्वेद ४२, ४५, ५२, ६४, ६५

एकावली १२८, २७७, ३३६

एल्फ्रेड सिजविक ९

कपिलदेव द्विवेदी १५३

कात्यायन प्रातिशाख्य २४१

कामसूत्र ३

कामायनी ११४, ११८

कारिकावली ६२

काव्यप्रकाश ५७, ७०, ७६, ७७,

८३, ११२, ११७, १२२, १६७,

२८६, २९१, ३३५, ३३६, ३४४,

३४७

काव्यप्रकाश सुधासागर ३४०, ३४५,

३४७

काव्यप्रदीप ७६, १३१, १८६, १९१,

३२०

काव्यानुशासन १०४, ११४, १८३,

३३६, ३४८

काव्यालंकार ३७३

काव्यरसायन ६९

काव्यालंकार ३, ६७

कालिदाम २०, १०८

कॉटवेल ७२

कॉटिलेच ९८

क्रिमिपम ४०

क्रिश्तीलियन ६, १३१, १४२, - ६,

कीथ ३३७

कुमारिल ७, २०, ७९, १५१, १५५
 १५६, २५३
 कुतक १३४, १३५, २७६, २७७,
 २८०, ३१९, ३३१
 कृष्ण भट्ट ३२४
 कोण्डभट्ट ३२०
 कौशीतकी घ्राहण ५०
 क्षेमेन्द्र ३३१
 खण्डदेव १५१
 गदाधर ७१, ३२३, ३२४
 गगेश २४१, ३२३
 गीतिका ३४६
 गोतम ४०
 गोविंद ठक्कुर ७६, १८६, ३२०
 चन्द्रालोक ३३१
 चित्रमीमांसा ३३८, ३४०, ३४७,
 ३५०
 छादोग्य उपनिषद् ४७
 जगदीश २०, ७७, ३२३, ३२६,
 ३२७
 जयदेव ३१९, ३३१
 जयंत भट्ट १५३
 जेलर २४७
 तर्कभाषा ६३
 तर्कसंग्रह ५९, २९९, ३००, ३०१
 तत्त्वविंदु १५४, १५७, १५९, १६०,
 १६१, १६३, १६४, १६५, १६८-
 १७२
 तत्त्वविभावना १६२
 तुलसीदास २२
 त्रिवेनिफा ३६१

थ्योफ्रेस्टुस ३३२, ३३४
 द इन्तरप्रितेशनाल ३३३
 दण्डी ३७, ६७, ३३०, ३३४, ३३९
 द मीनिंग आव् मोनिंग ३३४
 दर्मेस्तेते ६, २७
 दशरूपक २६७, २६८
 दामोदर गोस्वामी ७५
 दायनोलियस ५३
 दुर्गाचार्य ५१, ५८
 दुमार्से ६, १३६, १३७, १४९, २४६
 धनजय २६७
 धनिक २६७, २६८
 ध्वनिकारिका २२४, २४५
 ध्वन्यालोक २०३, २७६, २८७,
 ३४१, ३४८
 नागेश ३२१
 निराला ३४६
 निरुक्त ६
 न्यायसूत्र ४१
 न्यायरत्नमाला ८१
 पतञ्जलि ६, ३७, ३९, ४२
 प्रतापरुद्राय ५, ११९, १७६, ३३६,
 ३५०
 प्रभाकर भट्ट १८, २०, ७९, ८४,
 ८६, १५६, १६५, १६६, २६१
 प्रसाद २
 पंडितराज जगन्नाथ १३६, १८३,
 २१०, २११, २१२, २१९, २२१,
 २२२, ३३०, ३३५, ३३८, ३४५
 पाणिनिशिक्षा २४१
 पार्थ सारथि मिश्र ८१

प्रीस्किगन ९२
 पुण्यराज २४०
 पोर्टरॉयल तर्क शास्त्री ९२
 पोस्टगेट ३८, ४०
 प्लूतो ५३
 प्लूताचं २४९
 प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म २४
 प्रथं न, ९, १५, १६
 फ्रॉयड ४४
 चाइविल ४६
 वॉभस ५४
 विहारी ४, २४, २६
 वृहती ८६
 वृहदारण्यक ४५, ५०
 वृहदेवता २७१
 वेल्लेटाइन ६१
 वेबाल ८, ९
 वल्लमफील्ड ९८, ९९, १८७
 महासूत्रभाष्य (धारीरिकभाष्य) ४६
 भट्ट लोल्लट २६४, २६५, २६६, २६७
 भट्टोजि ३२०, ३२१
 भरत ६७
 भर्तृहरि २१, ४७, ४८, ५१, ६१,
 ६४, ८८, ८९, ९१, १०४, १५६,
 २५२, ३२०
 भामह ३, ६७, ३३०, ३३४
 भास्कर कण्ठ ३१
 भास्करा ३१
 भित्तारीटाम ३४१
 भीममेन ३४०, ३४५
 भोजटेज ३६३, ३६४, ३६५

मथुरानाथ ३२३
 मम्मट २०, ७०, ८३, ९०, १३१,
 १३५, १६७, १७४, १८३, २०८,
 २०९, २६१, २६३, ३१९, ३३५,
 ३३८, ३४०, ३४४
 मनु ४५
 मयूरशतक १९८
 मल्लिनाथ १६७
 महाभाष्य ४२, ५२, ५३, ६५
 महादेवी ३४६, ३४९
 महिन भट्ट १३४, १३५, १७९,
 १९७, २९५, ३०१, ३०२, ३०३-
 ३१७, ३१९, ३४५
 मदन मिश्र ८२, ८३
 माघ १६९
 माधव ३२४
 मिल ६, ४८, ९५, ९६, ९७
 मीमान्सासूत्र (जैमिनिसूत्र) ६, ७
 मीमासाकौस्तुभ १५१
 मुकुल भट्ट १३४, २७६, २७८
 सुरारिदान ११५, ११९
 मूर, जे० एम० ११, १४
 मेध्वानिनोव २१
 यशवंतयशोभूषण ११५, ११९, १६७
 यामा ३४६, ३४९
 रामकुमार वर्मा ३५०
 यास्क ६, ५०, ५१, ७८
 योगसूत्रभाष्य १६२
 रत्नाकर १८५
 रत्नगाधर १०१, २१०-३
 ३३८, ३३९, ३४०, ३४
 ३४७, ३४९, ३५०

रसैल ६
 रामकरण असोपा ११५, ११९, १९७
 रिचर्ड्स आइ० ए० ६, ६, १४,
 १५, २४, २७, ५५, ५७, १५०,
 १८१, १८२, २०१, ३३४
 रुक्मिणीपरिणय ३३१
 रुद्रट ३७३
 रुय्यक १३५, २७७, २६४, ३०७
 रेणो ६, १०४
 रेटोरिक्स (हेतोरिके) ३४
 ल वी दमो २८
 लाला भगवानदीन १८४
 लॉक ६, ५८, ९३, ९४
 लीवमान २३
 लोचन १८६, २८५, २०६, २०७,
 २३०, २७६, २८८, ३४१
 वक्रोक्तिजीवित १३५, २७६, २८१,
 २८२
 वाक्यपदीय ४८, ५१, १५६, ३२०
 वाजप्यायन ७, ८
 वाचस्पति मिश्र १५४, १५५, १५६,
 १६५
 वात्स्यायनभाष्य (न्यायसूत्र) ४१,
 १६१
 वार्तिककार (कात्यायन) ८
 वाजसनेयी प्रातिशाख्य ५३
 वामन ६८, ३३१, ३३४
 वाटमीकि १
 वितगेनस्तीन १९
 विद्याधर ९०, ३३६
 विद्यानाथ ५, ९०, ११९, ३३६

विश्वनाथ ५९, ६०, १२८, १३१,
 १३५, १५१, २०९, ३१६, ३३०,
 ३३६-३३७, ३४२
 विश्वेश्वर (चमत्कार चन्द्रिका के
 लेखक) ३३१
 विश्वेश्वर (भलकार कौस्तुभ के
 लेखक ३२, ४९४
 व्याहृि ७, ८
 व्यास १६२
 वृत्तिवार्तिक १०१, १०४, १०९,
 ११३, ११४, १२७, १८५
 वेणीदत्त ३
 वेदातसूत्र ३०
 वैयाकरणभूषणसार ३२०
 वैयाकरणसिद्धांतमजूपा १७७, १७९,
 ३२१, ३२३
 व्यक्तिविवेक १८०, १६८, १६६, २६५
 व्यक्तिविवेकव्याख्यान २९५, ३०७
 व्यासशिक्षा २४१,
 शक्तिवाद ७१, ७३, ७५, ७६, ८१,
 ८२, ८५, ३२३, ३२४, ३२५
 शतपथ ब्राह्मण ४२, ४५, ५०
 शबरस्वामी ६, ७, १५६
 शबरभाष्य ७, २५३
 शब्दव्यापारविचार १३१
 शब्दशक्तिप्रकाशिका २०, ५७, ६५,
 ६६, ७७, ७९, ८३, १००, ३२३,
 ३२६
 शंकराचार्य ४६, ४७
 शिलर ९

इलोकवातिक ७, २५३	मिष्टान्तमुक्तावली १००
धीकर ८२	मिसरो ६, १४९
शृंगारप्रनादा ३६३, ३६४, ३६५, ३६९, ३७०	स्तान्याल २२
• शोभाकरमित्र ३७१	स्केलिगर ९२
समुद्रबन्ध २७७	स्ट्रोंग ९
सायन्स एंड पोयट्री ३३३	हर्वर्ट पार्सन्स १०
साहित्यदर्पण ५६, ६१, ११२, ११४, १२०, १२२, १२८, १९८, २०९, ३३०, ३३७, ३४२	हरिप्रसाद ३३१
सारयसूत्र ३०	हार्गेल २, ३३२
	हुम्बोल्ट ५१
	हेमचन्द्र ९०, १०९, १८२
	हेल्डेन जे० वी० एम० ४४

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७	१	शब्द के तथा अर्थ	शब्द तथा अर्थ
३०	१६	उपादन	उपादान
३३	३०	Spangern	Spingern
४४	३१	lectere	lecture
४८	१८	सामान्य निमनों का	सामान्य नियमों का
५१	१७	विजिज्ञापमिपया	विजिज्ञापयिपया
६५	२१	मर्त्याँ	मर्त्याँ
१०२	२१	°रुचिमेयतपस्यर्तीदुः ॥	रुचिमेप तपस्यर्तीदुः ॥
१११	१	३	नृतीय परिच्छेद
१२३	२७	साधारणगुणाश्रयत्वेन	साधारणगुणाश्रयत्वेन
१४८	७	आरोपक तथा आरोप्यमाण	आरोपविषय तथा आरो- प्यमाण
१४८	१०	आरोपक आरोप्यमाण का	आरोप्यमाण आरोपविषय का
१८१	४	प्रसिद्धावमवातिरिक्त	प्रसिद्धावयवातिरिक्त
२००	१९	स्वनत्तुहिनदीधिति°	स्वलत्तुहिनदीधिति°
२४४	२९	व्यक्तः	व्यक्त्तः
२४५	२४	allurios	allusion
२४६	१७	les jeux de mots	les jeux de mots
२५५	५	हमारा	हमारा
४२४	७	कार्यों	कार्यः
४३७	२७	कार्यों	कार्यः
४४९	२	°पूरितादिट् सुत्वे	°पूरितदिट् सुत्वे